ा माला, खंड 26, अंक 2

मंगलवार, 16 जुलाई, 2002

25 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 2 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 16 जुलाई, 2002/25 आषाढ़, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सभा का कार्य संचालन	3-7
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 23	9-51
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 24 से 40	51-111
अतारांकित प्रश्न संख्या 215 से 400	111-436
सभा पटल पर रखे गए पत्र	437-438
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	438-439
समिति के लिए निर्वाचन	
राजभाषा समिति	440
स्थगन प्रस्ताव—अस्वीकृत	
जम्मू के कासिमपुरा में हुआ नरसंहार	440-598
श्री शिवराज वि. पाटील	440-460, 593-597
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	460-467
श्री सोमनाथ चटर्जी	467-479
श्री सुरेश रामराव जाधव	479-482
श्री मुलायम सिंह यादव	482-489
श्री जार्ज फर्नान्डीज	489-496
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा	496-508
श्री राशिद अलवी	508-513

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम

श्री के. येरननायडू	513-517
श्री पी. एच. पांडियन	517-524
श्रीमती कृष्णा बोस	524-529
श्री पूर्णो ए. संगमा	529-535
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	535-540
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	540-544
श्री उमर अब्दुल्ला	545-553
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	553-558
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	559-560
श्री भान सिंह भौरा	560-562
प्रो. चमन लाल गुप्त	562-567
श्री सनत कुमार मंडल	567-568
सरदार सिमरनजीत सिंह मान	568-570
श्री चन्द्रकांत खैरे	570-571
श्री अमर राय प्रधान	571-573
श्री ई. अहमद	573-576
श्री नागमणि	576
श्री पी. सी. थामस	577
श्री हरीभाऊ शकर महाले	578
श्री रामदास आठवले	578-580
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	580-598
परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक—वापस लिया गया	598
नियम 377 के अधीन मामले	599-607
(एक) देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में और अधिक टी. वी. प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	599

(दो) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाक्साइट आधारित उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत 599-600

(तीन) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, झारखंड द्वारा दामोदर नदी में किए जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 600

(चार) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच, विशेष रूप से दिन के समय और अधिक विमान सेवाएं चलाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 600-601

(पांच) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा 601

(छह) देश में मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा किए जाने की दृष्टि से "मैरिन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट" को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 601-602

(सात) उत्तरी बंगाल क्षेत्र को बार–बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 602

(आठ) सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का विनिवेश न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा 602-603

(नौ) भागलपुर, बिहार में एक केन्द्रीय अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय 603

(दस) आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के रामागुंडम शहर में एन.टी.पी.सी. की आठवीं इकाई को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी 604

(ग्यारह) आगरा के लिए और अधिक रेलगाड़ियां आरंभ करके इसे देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 604-605

विषय	कॉलम

(बारह) बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित भागों में निःशुल्क नलकूप लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन 605

(तेरह) गोपालगंज जिले में सारण तटबंध की मरम्मत के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा 605-606

(चौदह) "अपैरल पार्क्स फार एक्सपोर्ट्स" योजना के अन्तर्गत चौडवार, उड़ीसा में अपैरल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 606-607

(पन्द्रह) बिहार में मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद 607

राज्य सभा से संदेश 608

लोक सभा

मंगलवार, 16 जुलाई, 2002/25 आषाढ़, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ टिप्पणी करनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य मुझसे कह सकते हैं जो वह बोलना चाहते हों।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा प्रश्न काल के बाद कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पानी और बिजली का संकट तो है ही लेकिन सूखे का संकट इतना गंभीर है जिसके कारण खरीफ की फसल, मक्का, बाजरा और धान की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि महिलाएं इंद्र देव को खुश करने के लिए नंगा होकर रात में हल चला रही हैं।...*(व्यवधान)* ये बहुत गंभीर और वीभत्स घटनाएं हैं। पानी, बिजली और सूखे की इतनी गंभीर समस्याएं हैं लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।...*(व्यवधान)* किसान इससे बर्बाद हो रहा है।...*(व्यवधान)* बाढ़ तो आठ दिन की होती है लेकिन सूखे की समस्या एक–दो साल तक परेशान करती है और आगे आने वाली फसल पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।...*(व्यवधान)* वहां लोग आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं।...*(व्यवधान)* इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि सारी कार्रवाई रोककर पहले सूखे पर बहस कराई जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप जो विषय उठा रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है लेकिन मैं बाद में यह विषय ले सकता हूं। अभी प्रश्नकाल होना चाहिए, मेरी आपसे यही विनती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे खेद है। मैं किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में हर विषय रेज करने देने के लिए तैयार हूं लेकिन अभी ऐसा नहीं चलेगा। बाद में आप अपना विषय रेज कर सकते हैं। मैं आपको इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वैको की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण

मुद्दा है; आप अपनी बात प्रश्न काल के बाद रख सकते हैं।

अब, मुझे कुछ टिप्पणी करनी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, मैंने आपको बात बताई है। मैं आपको बाद में इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सूखे का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनिए।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा का कार्य संचालन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण,

"जब से मैंने अध्यक्ष का पदभार संभाला है, मुझे अंतर-सत्रावधि के दौरान अनेक राजनीतिक नेताओं, सांसदों, मीडिया के लोगों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों से संसद के कार्यकरण के बारे में बातचीत करने का अवसर मिला है। इस बातचीत से मेरी यह धारणा बनी है कि अपनी इस सर्वोच्च विधायी संस्था का सुचारु और व्यवस्थित कार्य संचालन सुनिश्चित करने के लिए हमें और प्रयास करने चाहिए। मैंने आप में से कुछ लोगों के साथ इस बारे में चर्चा की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे इस संबंध में बहुत ही उत्साहजनक परिणाम मिले। मैं चाहता हूं कि आज का कार्य औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले मैं अपने विचार आपके सम्मुख रखूं।

जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। यह उचित अवसर है कि हम अपनी संसदीय परम्परा को सुदृढ़ करने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें। इस दिशा में हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए कि हम सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभा की कार्यवाही उन नियमों और प्रक्रियाओं, जिन्हें हमने स्वयं इस प्रयोजन के लिए बनाया है, के अनुसार सुचारु और व्यवस्थित रूप से चले।

इस वर्ष के बजट सत्र के दौरान हुई बैठकों के कुल 287 घंटे और 54 मिनट के समय में से 66 घंटे और 35 मिनट का बहुमूल्य समय व्यवधानों के कारण सभा को स्थगित करने से नष्ट हुआ। यह सभा के कुल समय के 23.12 प्रतिशत के बराबर है जो कि एक चिंता का विषय है।

आप इस बात से सहमत होंगे कि बार-बार बाध्य होकर सभा को स्थगित करने से सभा के बहुमूल्य समय के नष्ट होने के अतिरिक्त लोगों की नजरों में संसद की गरिमा कम होती है।

हम सभी इस स्थिति की गंभीरता से चिंतित हैं। अगस्त-सितम्बर 1997 में भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर बुलाए गए लोक सभा के विशेष सत्र के दौरान और 25 नवम्बर, 2001 को नई दिल्ली में "संसद और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में अनुशासन और शालीनता" विषय पर आयोजित पीठासीन अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों, संसदीय कार्य मंत्रियों, दलों के नेताओं और सचेतकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हमने इन मुद्दों पर चर्चा की है।

दिसम्बर, 2001 में नियम पुस्तिका में एक नया नियम 374क जोड़ा गया जिसमें ऐसे सदस्य के स्वतः निलम्बन का उपबंध है जो सभा में अध्यक्ष के आसन के समीप आता है और वहां बाधा उत्पन्न करता है।

इस प्रकार की प्रशंसनीय पहल किए जाने के बावजूद स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ जैसाकि अव्यवस्था उत्पन्न करने और बाध्य होकर सभा को स्थगित करने के कारण बैठकों के समय के नष्ट होने से स्पष्ट है।

मेरा यह दृढ़ विचार है कि यद्यपि अनुशासन और शालीनता बनाए रखने के लिए नियम विद्यमान हैं फिर भी सदस्यों को स्वेच्छा से अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए और सभा के कार्य को सुचारु और व्यवस्थित ढंग से चलाना सुनिश्चित करना चाहिए। यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि हमें उन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिन्हें हमने स्वयं बनाया है। इसमें नियम 374क भी शामिल है जिसमें ऐसे सदस्यों के स्वतः निलम्बन का उपबंध है जो सभा में अध्यक्ष के आसन के समीप आते हैं और वहां गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि अध्यक्षपीठ का यह कर्तव्य है कि वह सभा के निर्देशों का अनुपालन करे जो नियमों में दिए गए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ऐसे अप्रिय अवसर नहीं आएंगे और हम निश्चित रूप से अपना कार्य नियमों के अनुरूप कर सकेंगे। मेरी ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए भी भरसक प्रयास होगा कि सभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सदस्यों को पर्याप्त अवसर मिले। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि वह सदस्यों की वास्तविक शिकायतों पर ईमानदारी से शीघ्र ध्यान दे। मेरे विचार से इस तरह के प्रयास हमारे पूर्व अध्यक्ष, श्री जी.एम.सी. बालयोगी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सभा की कार्यवाही को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए अनथक प्रयास किए।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में सभा की बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा पालन किए जाने के लिए शिष्टाचार और आचरण के कतिपय मानदंड निर्धारित किए गए हैं। उदाहरणस्वरूप, नियमों में सदस्यों को ऐसी कोई पुस्तक, समाचारपत्र या पत्र नहीं पढ़ना चाहिए जिनका सभा के कार्य से संबंध न हो; अध्यक्षपीठ और किसी सदस्य, जो भाषण दे रहा हो, के बीच से नहीं गुजरना चाहिए; जब अध्यक्ष सभा को सम्बोधित कर रहे हों तो सदस्यों को सभा से बाहर नहीं जाना चाहिए; सदस्यों को अध्यक्षपीठ की ओर पीठ करके बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए; अध्यक्षपीठ के पास स्वयं नहीं जाना चाहिए और अपने भाषण के तुरंत पश्चात सभा से बाहर नहीं जाना चाहिए। नियमों में सदस्यों से इस बात की भी अपेक्षा की जाती है कि वे सभा में प्रवेश करते या बाहर जाते समय और अपने स्थान पर बैठते या वहां से उठते समय अध्यक्षपीठ के प्रति नमन करें; सदैव अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें; और सदस्य लाबी में इतना तेज न बोलें या हंसें कि सभा में सुनाई पड़े। ये बहुत ही मामूली और साधारण मानदंड हैं लेकिन शिष्टाचार की दृष्टि से अर्थपूर्ण हैं जिनका पालन सभी सदस्यों को परस्पर तथा पीठासीन अधिकारी के प्रति, जिसका कर्त्तव्य इन मानदंडों का पालन करवाना है, का सम्मान करते हुए करना चाहिए।

जैसाकि मैंने पिछले सत्र के अंतिम दिन अपनी विदाई टिप्पणी में कहा था कि सभा में मौखिक उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या में कमी आती जा रही है। तेरहवीं लोक सभा के नौ सत्रों का औसत मात्र 2.52 तारांकित प्रश्न प्रतिदिन रहा है, जबकि प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 20 तारांकित प्रश्न सूची में रखे जाते हैं। धीरे–धीरे इस औसत को बढ़ाना अति आवश्यक है। आपके सहयोग से मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि इस सत्र के प्रारम्भ से यह औसत बढ़कर उत्तर दिए जाने के लिए 5 तारांकित प्रश्न प्रतिदिन हो जाए।

मैं इस बात के लिए भी उत्सुक हूं कि "शून्यकाल" को प्रतिदिन और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि केवल तात्कालिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों को ही "शून्यकाल" के दौरान उठाया जाए। अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मामले, चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों, सदस्यों द्वारा निवेदन के माध्यम से नियम 377 के अधीन उठाए जा सकते हैं। मेरा दृढ़ विचार है कि ऐसा करने से "शून्यकाल" को और अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

माननीय सदस्यो, इस सभा के प्रथम सेवक के रूप में आपने सर्वसम्मति से मुझे जो सम्मान दिया है, उसे देखते हुए मेरा यह कर्त्तव्य है कि मै सभा के कार्य का संचालन नियमों के अनुसार सुनिश्चित करूं। इस सर्वोच्च संस्था की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए मैं सभा के सभी सदस्यों के सहयोग

की अपेक्षा करता हूं। कहने की आवश्यकता नहीं कि दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों को इस कठिन कार्य में विशेष भूमिका निभानी होगी। अंततः हममें से प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह इस महान संस्था के सेवक के रूप में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें चुना है। यह हमारी संसद के स्वर्ण जयंती वर्ष में देश के करोड़ों लोगों के लिए सबसे उत्तम उपहार होगा।"

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही थी कि आपकी नियमावली का पूरी तरह पालन किया जाएगा, पूरा अनुशासन बनाए रखेंगे।...*(व्यवधान)* मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि कभी-कभी विषय ऐसा होता है, जब हमें बोलना पड़ता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी इच्छा जान ली है। आपके विषय को ध्यान में लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन : महोदय, पोटा का दुरुपयोग किया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के बाद आप बोल सकते हैं। प्रश्न काल में यह विषय नहीं ले सकते।

[अनुवाद]

अब मैं प्रश्न काल शुरू करता हूं।

प्रश्न सं.-21 श्री के. मुरलीधरन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मुरलीधरन, कृपया अपना प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। श्री बूटा सिंह, कृपया बैठ जाइए। आप जानते हैं, आप सीनियर मेम्बर हैं। मुरलीधरन जी, आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदुर) : महोदय, पोटा का दुरुपयोग हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको प्रश्न काल के पूर्व यह प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री मुरलीधरन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि प्रश्न काल के बाद मैं आपको श्री वैको के गिरफ्तारी के मुद्दे को उठाने की अनुमति दूंगा।

कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। आपको मैं प्रश्न काल के बाद मुद्दा उठाने की अनुमति देता हूं, अभी नहीं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय विपक्ष ने पोटो का विरोध किया था। वैको जी की जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, उसकी हम घोर निन्दा करते हैं...*(व्यवधान)* अगर इस सरकार में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो वैको जी की गिरफ्तारी पर उसे त्यागपत्र देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी आप सब से रिकवैस्ट है कि मैंने वैको जी का विषय अभी शुरू नहीं किया है।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है। पोटा को तुरन्त वापस लिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, आप जानते हैं कि मैंने यह विषय नहीं लिया है। जब यह विषय लिया जाएगा तब इस पर बोलिए।

[अनुवाद]

मुझे खेद है; मैं इस मुद्दे पर अभी आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। यह जरूरत से ज्यादा है। किसी भी चीज की सीमा होती है। कृपया बैठ जाइए। अब मैं प्रश्न काल शुरू करना चाहता हूं। मैं प्रश्नकर्ता के अलावा किसी अन्य को बोल` की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, पोटा को वापस लिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, यह हाउस चल रहा है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : पोटा को विदड्रा करिए। ...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.16 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

\+

*21. **श्री के. मुरलीधरन :**

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2002–2003 में सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। हिन्दुस्तान जिंक लि., मारुति उद्योग लि., इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि., भारत पर्यटन विकास निगम (9 होटल्स) तथा होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (1 होटल) में विनिवेश चालू वर्ष के दौरान अब तक पूरा कर लिया गया है। निम्नलिखित 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में विनिवेश का निर्णय ले लिया गया है और विनिवेश प्रक्रिया चल रही है :

1. एयर इंडिया लि.,*
2. बामर लॉरी एण्ड कंपनी लि.,
3. भारत ऑफ्थेल्मिक ग्लास लि.,
4. भारत पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.,
5. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी,
6. बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कंपनी,
7. इंजीनियर्स इण्डिया लि.,
8. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.,
9. हिन्दुस्तान केबल्स लि.,
10. हिन्दुस्तान कॉपर लि.,
11. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.,
12. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.,
13. हिन्दुस्तान साल्टस लि.,
14. इंडिययन एयरलांइस लि.,
15. मद्रास फर्टिलाइसर्स लि.,
16. मेकॉन लि.,
17. भारत खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.,

18. राष्ट्रीय उर्वरक लि.,

19. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.,

20. नेशनल इंस्ट्रूमैंट्स लि.,

21. शिपिंग कॉर्पो. ऑफ इण्डिया लि.,

22. स्पॉंज आयरन इंडिया लि.,

23. भारत राज्य व्यापार निगम लि.,

24. तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि.,

25. टायर कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.,

26. भारत हैवी प्लेटस वैसल्स लि.,

27. नेपा लि.,

28. इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि.,

29. भारत पर्यटन विकास निगम (शेष होटल)

30. होटल कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि. (शेष होटल)

31. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.

*पूर्व की बिक्री की प्रतिक्रिया न मिलने के बाद प्रक्रिया फिर से आंरभ नहीं की गई है।

(ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित निवल लाभ दर्शाने वाला अनुबंध संलग्न है।

अनुबन्ध

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	निवल लाभ/हानि		
		2000-01	1999-00	1998-99
1	2	3	4	5
1.	एयर इंडिया	(-) 4413	(-) 3763	(-) 17448
2.	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लि.	601	1432	1683
3.	भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि.	(-) 3769	(-) 3769	(-) 2458
4.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.	82012	70164	70602
5.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी	174	(-) 1413	41
6.	बर्न स्टैण्डर्ड एण्ड कंपनी	(-) 4522	(-) 3541	28163
7.	इंजीनियर्स इण्डिया लि.	12386	12620	11806
8.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.	1776	(-) 4813	(-) 3419
9.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	(-) 7141	(-) 9931	(-) 13873
10.	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	(-) 10580	(-) 14746	(-) 5120
11.	हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि.	(-) 3906	(-) 10502	(-) 2307
12.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.	108801	105741	90126

1	2	3	4	5
13.	हिन्दुस्तान साल्ट लि.	(–) 219	(–) 291	(–) 216
14.	इंडियन एयरलाइंस लि.	(–) 15917	4527	1312
15.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	(–) 2976	2498	(–) 2574
16.	मेकॉन लि.	(–) 5136	(–) 2027	(–) 1117
17.	एम.एम.टी.सी.	1239	1497	1807
18.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	2731	3489	4115
19.	नाल्को	65583	51153	24825
20.	नेशनल इंस्ट्रूमैंट्स लि.	9	(–) 2703	(–) 2902
21.	शिपिंग कॉर्पो. ऑफ इण्डिया लि.	38256	16161	20133
22.	स्पॉज आयरन इंडिया लि.	664	(–) 1470	(–) 964
23.	भारत राज्य व्यापार निगम लि.	2665	2292	1251
24.	तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि.	7	8	6
25.	टायर कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	(–) 6643	(–) 6062	(–) 6177
26.	भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लि.	94	(–) 2036	94
27.	नेपा लि.	486	568	(–) 2260
28.	इंस्ट्रूमैंटेशन कंट्रोल वाल्वस लि.*	–	–	–
29.	भारत पर्यटन विकास निगम	(–) 3547	(–) 2733	994
30.	होटल कॉर्पो. ऑफ इंडिया लि.	(–) 2508	(–) 160	68
31.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	(–) 15195	(–) 3980	(–) 4826

*यह इंस्ट्रूमैन्टेशन लि., कोटा की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा इसका अलग तुलन–पत्र तैयार नहीं किया जाता।

स्रोत : लोक उद्यम सर्वेक्षण 2000–2001 (खण्ड–3)

श्री के. मुरलीधरन : माननीय विनिवेश मंत्री ने उत्तर में कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 31 उपक्रम विनिवेश की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने फर्टिलाजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोची का उल्लेख संख्या 31 पर किया। इसका संबंध केरल राज्य से है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय अरूण शौरी जी, आप उत्तर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री के. मुरलीधरन : मुझे अपना प्रश्न पूछना है।

पिछले सप्ताह केरल के मुख्यमंत्री ने केरल राज्य के संसद सदस्यों की बैठक बुलाई और कहा कि केरल सरकार ने फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोची के विनिवेश हेतु अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें केरल राज्य से कोई आपत्ति पत्र मिला है। और केरल राज्य में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड कोची के विनिवेश के बारे में उनका रवैया क्या है?

श्री अरूण शौरी : माननीय सदस्य का कहना ठीक नहीं है, ये 81 उद्यम न होकर 31 उद्यम हैं जो विनिवेश की प्रक्रिया में है।

श्री के. मुरलीधरन : मैंने 31 उद्यमों का ही उल्लेख किया है।

श्री अरूण शौरी : फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड उनमें से एक है। हम राज्य सरकार के भी निरंतर सम्पर्क में हैं। उन उद्यमों, जिनमें विनिवेश किया गया है, का अनुभव यह रहा है कि विनिवेश के समय जो आशंकाएं एक अथवा दो राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई थीं। निराधार पाई गई हैं। केरल के मामले में हम निश्चित रूप से राज्य सरकार के लगातार सम्पर्क में रहेंगे।

इस मामले में माननीय सदस्य ने विनिवेश प्रक्रिया के बारे में पूछा है। फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के विनिवेश हेतु अनुमोदन 31 मई, 2002 को किया गया था। इसका संचालन करने हेतु अन्तर मंत्रालय समूह का गठन किया गया है। 20 जून को विज्ञापन जारी किए गए और इच्छुक पक्षकारों को 31 जुलाई को सलाहकार की नियुक्ति हेतु अपने कागजात प्रस्तुत करने होंगे।

इस पूरी प्रक्रिया में उद्यमों, संघों और राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाएगा और आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि. के मामले में अथवा पारादीप फास्फेट्स अथवा किसी अन्य कंपनी के मामले में जब इन उद्यमों में लाभ होगा तो राज्य सरकार को गर्व होगा। फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के मामले में सदस्य को यह जानने की रुचि होगी कि कुल घाटा अब 250 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष यह घाटा 152 करोड़ रुपए था। यह ऐसी कंपनी है जिसके लाभ कमाने की हम आशा करते हैं ताकिं खजाने के माध्यम से राज्य के लागों तथा सरकार को लाभ हो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब प्रक्रिया को जानते हैं। कृपया इसका अनुपूरक रखें।

श्री के. मुरलीधरन : मै जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यूनिट का मूल्य और क्रेताओं को पात्र बनाने और पात्रता समाप्त करने हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के बारे में समान मानक निर्धारित किए हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वित्त संबंधी स्थायी समिति ने विनिवेश के बारे में कोई सुझाव दिए हैं। मैं इन बातों पर सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री अरूण शौरी : जैसाकि आप जानते हैं आरक्षित मूल्य के निर्धारण हेतु विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है ताकि आरक्षित मूल्य की गणना अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत चार उपायों द्वारा की जाती है। यह कार्य मूल्य निर्धारकों और सलाहकारों के आधार पर किया जाता है जैसाकि आप भली भांति जानते हैं जिनका चयन पूर्ण जांच के माध्यम से प्रतियोगात्मक प्रक्रिया के बाद किया जाता है।

दूसरा, पूरी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पुस्तक में बताई गई है जिसकी प्रति संसद के प्रत्येक सदस्य को वितरित की गई जो मंत्रालय की वेबसाइट पर भी है।

अन्य बात जो माननीय संसद सदस्य ने उठायी थी वह बोलीदाताओं की पात्रता और अपात्रता के बारे में थी। मानकीकृत दिशानिर्देश बनाए गए हैं और उनका अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। वे दिशानिर्देश भी वेबसाइट पर हैं और इस सभा में ही पूर्व प्रश्नों के उत्तर में ये दिशानिर्देश सभी सदस्यों को वितरित किए गए हैं।

जहां तक संसदीय समिति की सिफारिशों का संबंध है उन पर स्वभाविक रूप से सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है और सरकार, जब सब प्रकार के सलाह मशविरे के बाद किए गए इन प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से विचार कर रही है, उन पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष महोदय, सरकार की विनिवेश नीति का मुख्य उद्देश्य घाटे में जा रहे सरकारी उपक्रमों से निजात पाना है परन्तु बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। बाल्को जैसी कम्पनी...

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न से संबंधित विषय पर स्ट्रेट प्रश्न पूछिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव : अध्यक्ष जी, मैं इसी विषय पर सीधे सवाल पूछ रहा हूं। बाल्को जैसी कंपनी की प्रापर्टी का मूल्य 5,000 करोड़ रुपए था और 2720 एकड़ जमीन थी, जिसे मात्र 521 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इसके अलावा विदेश संचार निगम, मारूति उद्योग लिमिटेड, आई.डी.पी.एल. जैसी मुनाफे में चलने वाली कम्पनियों को भी सरकार ने बेच दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछले सालों में जिन 27 उपक्रमों का डिसइनवैस्टमेंट करके 12 हजार करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, उनमें से अब तक कितने उपक्रम बेच दिए गए हैं? उन उपक्रमों में से कितने मुनाफे में चल रहे थे और कितने घाटे में चल रहे थे? राजस्व घाटा पूरा करने के लिए जो यह कारोबार हो रहा है, मेरे ख्याल से माननीय मंत्री जी एक पत्रकार हैं, मीडियामैन हैं, उन्हें बेचने-खरीदने का कोई अनुभव नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार का 12 हजार करोड़ रुपए जुटाने का जो लक्ष्य था, या जो सरकार डिसइनवैस्टमेंट करके प्राइवेटाजेशन की तरफ जा रही है, बाजार के आखिरी आदमी की जो लूट होने वाली है, उसे बचाने के लिए सरकार की क्या नीति रहेगी?

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उनके बारे में बता दिया गया है। संक्षेप में उत्तर यह है कि 12 हजार करोड़ रुपए के लक्ष्य में से इस वर्ष अब तक हमने इन कंपनियों के संबंध में लगभग 3190 करोड़ रुपए जुटाए हैं।

महोदय, जहां तक कंपनियों का संबंध है, एक ओर हमें बताया गया है कि आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर हमें बताया गया है कि आप यह कार्य अव्यवस्थित रूप से और बहुत जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। अतः बात यह है कि इन कंपनियों जिनके बारे में सदस्य इतना अधिक बोले हैं, के लाभांश द्वारा औसत निवल लाभांश पिछले आठ वर्षों में 74 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से कम था। अब हमने इन कंपनियों से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए हैं। यदि आपने सावधि जमा में 11,000 करोड़ रुपए लगाए तो आप को निरन्तर लाभ में प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपए से अधिक मिलेंगे।...*(व्यवधान)* इन उद्यमों के लाभ को छोड़कर एक और बात है। माननीय सदस्य ने बाल्को का उल्लेख किया है। हमें याद है कि इस सभा में ही बाल्को पर तीव्र वाद विवाद हुआ है। बाल्को का विरोध करने वाले लोगों ने ही बाल्को संयंत्र के विस्तार हेतु 5,000 करोड़ रुपए के नए बोलीदाताओं के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे कितनी नौकरियां सृजित होंगी। बाल्को स्वयं के कर्मचारियों के मामले में ही निराधार हड़ताल के कारण दो सौ करोड़ रुपए के घाटे के बावजूद मूल वेतन में बीस प्रतिशत वृद्धि की गई है और प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। अब वही मुख्यमंत्री...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सदन को गुमराह किया जा रहा है...*(व्यवधान)* इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि मंत्री जी का जवाब गलत है तो आप बाद में प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : मारूति का उल्लेख किया गया। अध्यक्ष महोदय, आप इससे भली भांति अवगत हैं। मारूति के संबंध में आप इतने अधिक अवगत हैं क्योंकि आपके भगीरथ प्रयासों के कारण ही एक जिसे हमने पंचतारा कम्पनी और विशाल हीरा समझा था जिसका अभी उल्लेख किया है। जिसने लगभग दो सौ करोड़ रुपए का वार्षिक नुकसान किया था, लाभ वाली कम्पनी में तब्दील हो गई। ऐसा मंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण हुआ। हमारे बातचीत शुरू करने से पहले ही यह कम्पनी लाभ वाली कम्पनी में पिछली तिमाही में तब्दील हुई। वास्तविक स्थिति यह है।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आप अब डिसइनवैस्टमैंट की कार्रवाई करते हैं, इस समय क्या आप वर्कर्स की सिक्युरिटीज, बैनिफिट और उनके भविष्य के बारे में भी चिंता करते हैं

या नहीं। मॉडर्न फूड और बाकी कंपनियों का जब डिस–इनवैस्टमैंट हुआ, क्या उससे वर्कर्स को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इसके साथ ही स्मॉल इनवैस्टर्स को जो 20 प्रतिशत ओपन ऑफर की बात कही गई, मैं यह जानना चाहता हूं कि आई.बी.पी. और आई.पी.सी.एल. के अंदर उन्हें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। वर्ष 1991–1995 के दरम्यान सरकार ने जिस डिसइनवैस्टमैंट पॉलिसी को अपनाया, इनडायरेक्ट डिसइनवैस्टमैंट थ्रू म्युचुअल फंड्स यू.टी.आई. की बात कही गई थी, मेरी जानकारी के अनुसार उसके कारण स्मॉल इनवैस्टर्स को 4800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या आप इसके बारे में सदन में स्पष्ट जानकारी देंगे?

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ओर जब आप ग्लोबलाइजेशन के लिए मोनोपोलिस्टिक कंडीशन समाप्त करते हो और ओपन कम्पटीशन इन्वाइट करते हो, इस परिस्थिति में डिसइनवैस्टमैंट का, लॉस मेकिंग यूनिट होने के बावजूद, क्या फायदा है। इस संबंध में सरकार की नीति और राय क्या है? सरकार की घाटे में चल रही इकाइयों में निवेश की दर क्या है?

श्री अरूण शौरी : माननीय सदस्य ने चार–पांच प्रश्न पूछे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इनके एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, सभी का जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री अरूण शौरी : जैसा आप कहेंगे, जैसा आपका हुक्म होगा।

श्री किरीट सोमैया : आप पहले स्मॉल इनवैस्टर्स के बारे में बताएं।

श्री अरूण शौरी : एम्पलायीज और इनवैस्टर्स के लिए हमेशा इनका आग्रह रहा इसलिए मैं उनके बारे में जवाब देता हूं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि सदन में कई बार यह बात कही गई है। मैंने बाल्को के बारे में आपसे अर्ज किया कि 20 परसेन्ट उनकी बेसिक पे में इनक्रीज हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल : कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री अरूण शौरी : इन्होंने मॉडर्न फूड के बारे में भी पूछा है। मॉडर्न फूड में प्रति वर्कर, प्रति मन्थ 1600 रुपए इनक्रीज हुई है।

तीसरे प्वाइंट में पारादीप फॉस्फेट में एक कंपनी जिसमें कि अकुमुलेटिड लॉस करीबन...*(व्यवधान)*

श्री प्रभात सामन्तराय : मंत्री जी, आपको पारादीप फॉस्फेट्स के बारे में सही जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अरूण शौरी : पारादीप फॉस्फेट्स के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इसे प्रस्तुत करता हूं बशर्ते इसमें शुद्धि की जाए। मगर जो हमें बतलाया गया है...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण सवाल पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

श्री अरूण शौरी : मैं जवाब दे दूं, फिर अध्यक्ष महोदय जो निर्णय करें। पारादीप फॉस्फेट्स में वेज एग्रीमेंट 1997 से रिवाइज नहीं हुआ था। अब 30 दिन के अंदर वेज रिवीजन हुआ और एरियर्स पे किए गए।

श्री प्रभात सामन्तराय : एरियर पे नहीं किए गए...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : हमें बोलने तो दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : मेरे प्रश्न का जवाब तो आने दीजिए। उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। मैं छोटे निवेशकों के दृष्टिकोण, श्रमिकों के दृष्टिकोण के बारे में जानना चाहता हूं। स्मॉल इनवैस्टर्स को कितना नुकसान हुआ, उसका जवाब मैं चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : पारादीप फास्फेट में मजदूरी प्रतिमाह प्रति कर्मचारी 2789 रुपए बढ़ गई है। मजदूरी 9360 रुपए से बढ़ गई है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने आपको केवल इस प्रश्न का उत्तर देने का निदेश नहीं दिया है। हम अन्य प्रश्नों का उत्तर भी सुनना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। मजदूरी प्रति कर्मचारी प्रतिमाह 9360 रुपए से बढ़कर 12419 रुपए प्रतिमाह हो गई है।

छोटे निवेशकों के बारे में मैं कहूंगा कि मैं मानता हूं कि यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यह हमारे प्रयास के द्वारा है कि सेबी के नियम में यह कहकर संशोधन किया गया है कि सफल बोलीदाता को बोली के मूल्य पर ही बीस प्रतिशत का खुला प्रस्ताव करना होगा।

[हिन्दी]

इसी सदन में आई.पी.सी.एल. पर आपको याद होगा कितनी बहस हुई थी। आई.पी.सी.एल. का शेयर छः महीने पहले 40 रुपए का था और बिड प्राइस 231 रुपए थी।

[अनुवाद]

आई.पी.सी.एल. में प्रत्येक निवेशक को रिलायंस द्वारा 231 रुपए प्रति शेयर देने होंगे और उसमें वृद्धि होगी...*(व्यवधान)*

जहां तक बकाया का संबंध है हमने ऐसी व्यवस्था की है कि प्रबंधन सौंपने के 90 दिन के भीतर पी.डी.एल. में बकाया धनराशि के करार को अन्तिम रूप दिया जाएगा और बोलीदाता ऐसा करने को बाध्य हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे 90 दिन के भीतर क्यों अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए? तत्काल क्यों नहीं?

श्री अरूण शौरी : ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने यह कार्य पिछले चार साल से नहीं किया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। मंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अरूण शौरी, आप को उन्हें उत्तर देने की जरूरत नहीं है। वह बैठे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। आप उन्हें उत्तर क्यों देना चाहते हैं?

श्री अरूण शौरी : महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी क्षेत्र स्टाक का विपणन पूंजीकरण जनवरी से विनिवेश प्रक्रिया के कारण हुआ है, उसमें 75,000 करोड़ रुपए तक वृद्धि हुई है। इससे सरकार और यू.टी.आई. जैसी वित्तीय संस्थानों, जो बड़े संकट में थीं, को 50,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। इससे छोटे निवेशकों को भी सीधे लाभ हुआ है जिन्होंने शेयरों में अपनी धनराशि लगाई थी...*(व्यवधान)* मैं श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि के आंकड़े दे रहा हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी लिखा–पढ़ी वाले आदमी हैं। कोई भला आदमी देश बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ तो यह काम इनको दे दिया। अब पैरवी के लिए यह मंत्री बने, इनकी लाचारी है, इनको देश बेचने को तैयार होना पड़ा। मैं जानना चाहता हूं सरकार से...*(व्यवधान)* क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो देश की संपत्ति है, उसका दाम लगाने में हेराफेरी हो रही है, इसके मूल्य निर्धारण में गड़बड़ हो रही है। जो इसकी रेमेडी है; मल्टीनेशनल लोग वह भी निकाल लेते हैं, उसको खराब स्थिति में पहुंचा देते हैं और औने–पौने दामों में उसका सौदा होता है। देश भर की जनता में गर्म चर्चा है कि देश की अमूल्य संपत्ति को करोड़ों करोड़ रुपयों का लेन–देन करके ये लोग बेच रहे हैं। इसके संबंध में सरकार कौन सी कार्रवाई करने वाली है ताकि देश ने बिके और देश भर में जो गर्म चर्चा है कि सारी संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की बिक रही है, इस पर सरकार जवाब दे। इसमें ट्रांसपेरेन्सी लाने के लिए सरकार की क्या योजना है जिससे देश और दुनिया के लोग जान जाएं कि इसमें करोड़ों रुपयों का लेन–देन नहीं हो रहा है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार प्रश्न काल में सूचना नहीं दी जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, माननीय सदस्य ने वास्तव

में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बताया और तथात्मक वक्तव्य नहीं दिया है। जैसाकि आप जानते हैं। मूल्य निर्धारण उस मूल्य निर्धारण आचार संहिता का अनुसरण कर किया जाता है जिसकी सिफारिश की गई है और उन्हें हर बार इस सभा में बताया जाता है। हर बार मैं मूल्य निर्धारण के सभी तरीके बताता हूं और प्रत्येक उपाय द्वारा जो मूल्य निर्धारण किया जाता है और जब आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाता है तो किसी बोलीदाता को इसका पता नहीं होता। इसीलिए हम अर्न्तराष्ट्रीय सलाहकारों द्वारा निर्धारित लगभग दोगुना आरक्षित मूल्य बोलीदाताओं से इसका मूल्य निर्धारण करने में कामयाब हुए हैं।

[हिन्दी]

यह देश की संपत्ति बेचना नहीं है। आप कह रहे थे कि मुझे पारादीप फास्फेट की जानकारी नहीं है। क्या इन दो माह में पारादीप फास्फेट का उत्पादन तिगुना नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

मॉडर्न फूड्स में, इस तिमाही में बिक्री पिछले वर्ष की इसी तिमाही से 96 प्रतिशत अधिक है। आई.पी.सी.एल. में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से इसका विस्तार करने की घोषणा की है।

[हिन्दी]

और यह सम्पत्ति किस के पास गई है, आपके एंटर प्रिन्योर्स के पास गई है; आपके लोगों के पास गई है, इंडियन स्माल इनवैस्टर्स के पास गई है, उनकी वैल्थ लौटाई जा रही है, हममें क्या खराबी है।

[अनुवाद]

श्री जार्ज ईडन : अध्यक्ष महोदय, फैक्ट केरल में सबसे बड़ा सरकारी उद्यम है और इसमें दो डिवीजन नामतः कोची डिवीजन और उद्योग मंडल डिवीजन हैं। एफ.ए.सी.टी. के इन दो डिवीजनों में लगभग 5,000 श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं और लगभग 10,000 श्रमिक अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मौजूदा अमोनिया संयंत्र बंद करने और नया संयंत्र खोलने के लिए न्यायालय ने निर्णय दिया था। एफ.ए.सी.टी. पिछले सोलह वर्ष से मुनाफा कमा रहा था किन्तु नए अमोनिया संयंत्र की स्थापना के बाद यह संयंत्र घाटे में रहा है। वास्तविकता यह है । एफ.ए.सी.टी. की उद्योग मंडल और अम्बाला मेडु डिवीजन करोड़ों रुपए की है किन्तु सरकार उन्हें बहुत सस्ते दामों पर बेचने जा रही है। अतः क्या इस मामले में पुनर्विचार किया जा रहा है?

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। इन सब बातों पर ऐसी क्या बात है कि वर्षों से इन राज्यों के इन प्रबंधनों द्वारा इन कंपनियों की स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ है?

श्री सुरेश कुरुप : अध्यक्ष महोदय, यह तथ्यों से परे है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर जारी रखें।

श्री अरूण शौरी : महोदय, जैसाकि मैंने कहा 'फैक्ट' का एक ही वर्ष का घाटा 152 करोड़ रुपए है। अब तक का संचित घाटा 250 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 22। श्री प्रभुनाथ सिंह।

श्री जार्ज ईडन : महोदय, मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, प्रश्न काल के दौरान कोई चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी,...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मैं आपको बताता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप : महोदय, मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। इस मसले पर आधे-घंटे की चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं जानता हूं कि

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे ज्ञात है कि इसने आधे-घंटे से अधिक समय लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं, आपके आधे घंटे की चर्चा के सुझाव को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप किसी नियम के तहत चर्चा करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन प्रश्नकाल में, मैं कम से कम चार या पांच प्रश्न पूरे करना चाहता हूं। अन्यथा, अगला प्रश्न नहीं हो पाएगा। श्री प्रभुनाथ सिंह भी प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : क्या आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति देने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न करने के तरीके होते हैं। लेकिन, जिस तरह आप इसे उठाने का प्रयास कर रहें हैं, वह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग

\+

***22. श्री प्रभुनाथ सिंह**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के आरंभ से इसके अंतर्गत कितना रोजगार सृजित हुआ है;

(ख) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए निर्धारित निधियों के अन्यत्र उपयोग से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हों, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) वर्ष 2002-2003 के लिए कितनी निधियां आवंटित/जारी की गई हैं;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए निर्धारित निधियों के अन्यत्र उपयोग को गंभीरतापूर्वक लिया है और सरकार को निदेश दिया है कि जब तक राज्य सरकारों द्वारा पूर्व के अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई और अनुदान न दिया जाए; और

(च) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर की गई या प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना सितम्बर, 2001 में शुरू की गई थी। यह योजना चूंकि वर्ष 2001-2002 के मध्य में शुरू हुई, इसलिए चालू सुनिश्चित रोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अनाज के नए आवंटन सहित दोनों योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अलावा निधियों के अतिरिक्त आवंटन के साथ उस वर्ष में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के एक अंग के रूप में कार्य करती रहीं। चालू वित्तीय वर्ष में ये दोनों योजनाएं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में पूर्णतः शामिल हो गई हैं।

2001-02 के दौरान, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (चरण-I और चरण-II) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 34.52 लाख टन अनाज सहित 3789.60 करोड रुपए रिलीज

किए गए थे। 2002–03 के दौरान, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (चरण–I और चरण–II) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रथम किस्त के रूप में 14.42 लाख टन अनाज सहित 1405.77 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2001–2002 के दौरान 4337.62 लाख श्रमदिनों का रोजगार (अनंतिम) सृजित किया गया था।

यद्यपि सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए निधियों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में कोई विशेष संदर्भ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में होने वाली कमियों से संबंधित मामलों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य द्वारा दायर की गई 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196, जिसमें समस्त राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को प्रतिवादी के रूप में दर्ज किया गया है, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 8 मई, 2002 के अपने आदेश के पैरा (इ) में स्पष्ट किया है कि "केन्द्र सरकार अनुसूची के प्रत्येक राज्य को रोजगार सृजन संबंधी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि रिलीज करेगी, बशर्ते कि राज्य सरकारें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों। राज्य सरकारों को इन शर्तों को पूरा करने तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया है। राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी और इसके प्रस्तुत हो जाने के बाद ही अगली राशि रिलीज की जाएगी। उपलब्ध कराई गई निधियां केवल सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम के संबंध में ही प्रयोग में लाई जाएंगी।"

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को समस्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुपालन के लिए अग्रसारित कर दिया गया है और इसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा–निर्देशों में शामिल किया जा रहा है। चालू वर्ष में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रथम किस्त उन जिलों को रिलीज कर दी गई हैं जिन्होंने अपेक्षित शर्तों को पूरा कर लिया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सुनिश्चित रोजगार योजना और जवाहर योजना, इन दोनों को मिलाकर एक समृद्धि रोजगार योजना शुरू की है। इनकी नीयत ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना और गांवों का विकास करना है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आखिर आप राज्यों और जिलों को साल में कितनी राशि देना चाहते हैं और उसे कितनी किस्तों में मुक्त करना चाहते हैं? किस्त देने का क्राइटीरिया क्या है? इसके अलावा आप राज्यों और जिलों को राशि का आवंटन करते हैं, उसका आधार क्या है? क्या उसका आधार जनसंख्या है या पिछड़ापन है? इस सबका हम विस्तृत ब्यौरा जानना चाहेंगे।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि अभी तक इन्होंने जो राशि रिलीज की है, यह योजना 2000–2001 में शुरू हुई है, उसके अनुसार अब तक कितनी राशि रिलीज की गई है और यदि उतनी किस्तें रिलीज नहीं की गईं तो उसका कारण क्या है?

श्री शांता कुमार : मान्यवर, यह टोटल 10 हजार करोड़ रुपए की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसमें 50 लाख टन अनाज, 5 हजार करोड़ रुपए का राज्यों को भारत सरकार की तरफ से किस्त के आधार पर बिल्कुल मुफ्त दिया जाना है। इसमें एक और व्यवस्था है। उस 5 हजार करोड़ रुपए में से केवल 25 प्रतिशत का योगदान राज्यों का है, अर्थात् कुल मिलाकर 10 हजार करोड़ रुपए की योजना में केवल 1200 करोड़ रुपए का योगदान राज्यों का है। इसके आवंट्न का आधार है कि जब केन्द्र राज्यों को आवंटन करता है तो राज्य की गरीबी की प्रतिशतता को आधार बनाया जाता है। जब राज्यों से जिले को आवंटन होता है तो जिले की बैकवर्डनैस और उस जिले में एस.सी.एस.टी. की पापुलेशन को आधार बनाकर जिलों में आवंटन किया जाता है। 25 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री ने इस योजना की घोषणा की थी और 21 सितम्बर को यह योजना शुरू हुई। इस समय तक 2001–2002 के अंदर कुल मिलाकर 944 करोड़ रुपए का आवंटन हमने किया। इस प्रकार की दो योजनाएं पहले चल रही थीं, जिनको बीच में लाया गया और टोटल ऐवेलेबल फंड जो राज्यों के पास थे, इस प्रकार 5,855 करोड़ रुपए थे। अभी तक यूटीलाइजेशन की जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसके मुताबिक राज्यों ने 3,601 करोड़ रुपए यूटीलाइज कर लिए हैं। लेकिन इसमें सभी राज्यों की पूरी सूचना अभी तक आई नहीं है, वह आ रही है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर के पैरा तीन में कहा है कि यद्यपि सम्पूर्ण रोजगार योजना के लिए निधियों के अन्यत्र उपयोग के संबंध में कोई विशेष संदर्भ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने पैरा पांच के अंत में कहा है कि चालू वर्ष में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत प्रथम किस्त उन जिलों को रिलीज कर दी है, जिन्होंने अपेक्षित शर्तों को पूरा किया है। हम जानना चाहते हैं कि वे कौन–कौन से जिले हैं जिन्होंने आपकी शर्तों को पूरा किया है और जिन जिलों ने आपकी शर्तों को पूरा नहीं किया, उन जिलों को अगर उस निधि का आवंटन नहीं हुआ तो उस जिले के लोग रोजगार और उसके लाभ से वंचित रह गए हमारा कहना है कि जिन जिलों में आपकी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता, उसके लिए केन्द्र के स्तर पर क्या आपने कोई मानीटरिंग करने का इंतजाम किया है जिसके चलते आप राज्य के हर जिले को उचित धनराशि मुहैया कराकर हर जिले में विकास की गति को तेज कर सकें।

दूसरे जब आपने स्वयं कहा है कि हम राज्यवार निधि का आवंटन करते हैं, फिर आपने जिलों को यहां से सीधे निधि कैसे आवंटित कर दी क्योंकि आपके उत्तर में एक स्थान पर लिखा है कि हमने जिलों को निधि रिलीज की है। आपने जिन राज्यों को अनाज का जितना आंवटन किया की है, क्या उन राज्यों ने आपके आवंटन क अनुसार अनाज को उठा लिया है? अगर नहीं किया है तो कौन–कौन से राज्य और जिले हैं जिन्होंने अनाज को नहीं उठाया है और इसके कारण कितने लोग रोजगार से वंचित रह गए?

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जहां तक डायवर्शन की बात की है, यह योजना क्योंकि पिछले साल ही शुरू हुई है, इसलिए फूडग्रेन डायवर्शन की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। केवल तीन प्रदेशों से कुछ शिकायतें आईं, जिन पर सरकार ने एक्शन ले लिया है। असम, मणिपुर और बिहार से तीन प्रकार की शिकायतें आई हैं। असम से शिकायत आई है कि उन्होंने वहां कंस्ट्रक्शन कमेटी द्वारा निर्माण कार्य शुरू किए। इस बारे में उनको कह दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की कान्ट्रैक्टर कमेटी का प्रावधान नहीं है। मणिपुर से शिकायत है कि वहां तीन एम.एल.एज. किसी करप्शन में इन्वॉल्व थे। डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर ने वहां एफ.आई.आर. लॉज करके उस पर कार्यवाही शुरू कर दी है। बिहार में इररैगुलैरिटिज की शिकायत आई है। स्टेट गवर्नमैंट को कह दिया गया है और वह उन शिकायतों को ऐग्जामिन कर रही है।

आपने फूडग्रेन के बारे में पूछा है। इसके अंतर्गत 34.51 लाख टन टोटल फूडग्रेन आवंटन किया गया जिसमें से अभी तक 18.82 लाख टन लिफ्ट हुआ है। देश में टोटल 574 जिले हैं। फर्स्ट इंस्टालमैंट नेट रिलीज अंडर एस.जी. आर.वाई. 46 डिस्ट्रिक्ट्स–इसमें यह नियम है कि प्रारंभ में पहली किस्त दे दी जाती है और दूसरी किस्त के लिए उनको यह बताना होता है कि उन्होंने प्रथम किस्त का 60 प्रतिशत खर्च कर लिया है। जिन जिलों से यह रिपोर्ट आ जाती है कि उन्होंने प्रथम किस्त का 60 प्रतिशत खर्च कर लिया है, उनको दूसरी किस्त भी रिलीज हो जाती है। जहां से यह रिपोर्ट नहीं आती, वहां दूसरी किस्त रिलीज नहीं होती।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल था कि जिन जिलों ने अनाज नहीं उठाया है, क्या केन्द्र ने मौनीटरिंग का कोई उपाय किया है या नहीं जिससे समय पर पैसा खर्च हो।...*(व्यवधान)* हमने यह सवाल पूछा था और इसका उत्तर नहीं मिला।...*(व्यवधान)*

श्री शांता कुमार : मेरे पास पूरी सूची है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उसे माननीय सदस्य को भेज दें।

श्री शांता कुमार : मैं आपको पूरी सूची भेज दूंगा कि किन प्रदेशों के कितने जिलों ने पूरी सूचना नहीं भेजी इसलिए उनको किस्त रिलीज नहीं हुई।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल किए गए थे, उन पर मंत्री जी का बयान पूरी तरह साफ नहीं है। ग्रामीण अंचल में लोगों को रोजगार मिले, इस प्रयास की ओर से सरकार की कोई सार्थक पहल नहीं है। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, 1998 में लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम दस करोड़ लोगों को दस वर्ष में रोजगार देंगे।...*(व्यवधान)* यह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में था--दस वर्ष में दस करोड़ लोगों को रोजगार। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक वर्ष में एक करोड़ लोगों को रोजगार–लेकिन वित्त मंत्री जी के बजट में एक आदमी को भी रोजगार नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी के सवाल पर यह सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2001–2002 के दौरान सिर्फ 4332.62 लाख श्रम दिनों का रोजगार क्रिएट हुआ है। लेकिन हिन्दुस्तान जैसा देश, जिसकी आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है, वहां इतने कम श्रम दिनों का सृजन हुआ है, वह नहीं के बराबर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कोई आंकड़े तैयार किए हैं कि ग्रामीण अंचल में कितने लोग बेरोजगार हैं? जो रोजगार आपने दिया है, उसकी तुलना में वह नहीं के बराबर है। इस योजना का जो लक्ष्य है, इसमें सम्पूर्ण ग्रामीण अंचल के लोगों को रोजगार देने के लक्ष्य की प्राप्ति आप कब तक प्राप्त कर लेंगे? दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि जब–जब भी योजनाओं की बात होती है तो देखने में यह आता है कि राज्य सरकारें गंभीर नहीं रहती हैं। ऐसी ही बात इस सवाल पर है कि राज्य सरकारों से जब प्रमाण–पत्र मिल जाएगा, यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तब जाकर आप दूसरी किस्त रिलीज करेंगे। अगर कोई सरकार लापरवाही बरत रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि जो पात्र लोग हैं, उनको बलि का बकरा बना दिया जाए। हम बराबर इसकी मांग करते रहे हैं कि राज्य सरकारों को भारत सरकार जो दौलत भेजती है, उसके लिए एक तंत्र विकसित होना चाहिए। यह देखा जाए कि उस दौलत का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल के लागों को रोजगार देने का सरकार का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को सरकार कब तक पूरा कर लेगी और जो राज्य सरकारें लापरवाही की वजह से प्रमाण–पत्र नहीं भेज पाती हैं और वहां के लोग सर्वाधिक गरीब हैं, उनके साथ इंसाफ कैसे हो, इसके लिए क्या भारत सरकार का कोई तंत्र विकसित करने का इरादा है?

श्री शांता कुमार : महोदय, भारत सरकार अति गंभीर है, इसीलिए 10 हजार करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 43.37 करोड़ मैनडेज क्रिएट हुए हैं।

श्री रामजीलाल सुमन : रोजगार सृजन होना चाहिए। सरकार कब तक लक्ष्य प्राप्ति करेगी? यह सवाल है।

श्री शांता कुमार : अभी तक कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए मैनडेज क्रिएट करने का लक्ष्य रखा है। एक बात आपने कही है तो आखिर कोई नियम तो बनाना पड़ेगा। यदि कुछ धन राज्यों को देते हैं तो उसको खर्च करने के बाद उसके यूटीलाइजेशन की सूचना, सर्टिफिकेट तो आना चाहिए। जब वह सूचना नहीं आती उसके लिए हम लगातार राज्यों से बातचीत कर रहे हैं। मोनिटरिंग, विजिलेंस कमेटीज राज्य स्तर तक बनी हैं। उन कमेटीज के द्वारा यह प्रयत्न हो रहा है कि सारे धन का ठीक ढंग से यूटीलाइजेशन हो। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है कि एम्पलायमेंट क्रिएट करने के लिए हम आवंटन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस का राज्य सरकार निर्वहन करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक राज्य यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट न दें, तब तक उनको नई किस्त न दी जाए। ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जो आब्जर्वेशंस हैं, इनको हम अपनी गाइडलांइस में शामिल कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से अगर यह लोक सभा चलने लगेगी तो हम यहां किसलिए हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरमनायडू : महोदय, आरंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय की दो योजनाएं थीं। एक, रोजगार आश्वासन योजना और दूसरी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी। दोनों योजनाओं का विलय करके आपने सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की है। पहले रोजगार आश्वासन योजना में लोक सभा सदस्यों की भूमिका होती थी। यह मांग आधारित योजना थी। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत आप गरीबी के आधार पर राज्यों को निधियों का आवंटन कर रहे हैं। शुरू में, रोजगार आश्वासन योजना मांग आधारित योजना थी। हमारे देश के बहुत से ऐसे भाग हैं जिनमें वर्षा नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बेरोजगारी है। यदि उन्हें अधिक खाद्यान्न या धन चाहिए, वे ले सकते हैं; यदि वे खर्च करते हैं तो ले सकते हैं। इस नई योजना के अंतर्गत आपने पिछड़े क्षेत्रों, सूखा–प्रवण क्षेत्रों और मरुक्षेत्रों को इस सुविधा से वंचित कर दिया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मांग आधारित कार्यक्रम नहीं है। सरकार इसे बदलने के बारे में सोच रही है। इस नई योजना के अंतर्गत आप इसे मांग आधारित कार्यक्रम बनाने की अनुमति देंगे या नहीं?

जनता द्वारा चुने गए संसद सदस्यों की सुनिश्चित रोजगार योजना में भूमिका थी।

इस योजना का सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय करने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं रह गई है। अब मंत्रालय ने राज्य सरकारों और जिलाधीशों को क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं? आप स्थानीय निकायों को किस अनुपात में आवंटन कर रहे हैं? मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि पिछली दो योजनाएं, जो गांवों में रोजगार देने के लिए थीं, उनको इस योजना में शामिल कर दिया गया है। आपने सांसदों के रोल के बारे में प्रश्न पूछा है। इस बारे में बहुत से सुझाव आए हैं। मुझसे पहले भी इस विषय पर विचार हुआ है। यह योजना एलोकेशन बेस्ड है। मुझे यह कहना है कि इस योजना में जितना आवंटन हमने किया, वही अभी तक राज्यों ने पूरी तरह से नहीं उठाया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो धन और फूडग्रेन हमने दिया है, वह भी राज्यों ने पूरा नहीं उठाया है। हमने 34 लाख टन फूडग्रेन आवंटित किया था, उसमें से अभी तक केवल 18 लाख टन ही लिफ्ट हुआ है। इसी तरह हमने इस योजना के तहत 5855 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, उसमें से अभी तक केवल 3601 करोड़ रुपए का ही यूटिलाइजेशन हुआ है। जहां तक मानिटरिंग और विजीलेंस की बात है, मैं मानता हूं कि वह ठीक ढंग से होनी चाहिए। लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों का उचित योगदान इन सारी योजनाओं के कार्यान्वयन में हो, यह मामला हमारे मंत्रालय के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

गुजरात के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

+

***23. श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 1 जून, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात में हुई हिंसा के संबंध में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति और इस रिपोर्ट में की गई मुख्य टिप्पणियों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सरकार को क्या नए मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ज) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि देश के किसी भाग में इस प्रकार की हिंसा न हो?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ज) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात की स्थिति के संबंध में दिनांक 31.5.2002 की अपनी अंतिम कार्यवाहियां प्रस्तुत कर दी हैं। इन कार्यवाहियों में दी गई मुख्य–मुख्य टिप्पणियों और सिफारिशों का सार संलग्न अनुबन्ध में है।

(ग) से (च) सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दिनांक 31.5.2002 की कार्यवाहियों का अध्ययन किया है। अधिकांश सिफारिशें गुजरात सरकार से संबंधित हैं तथा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक रिपोर्ट भेजी जानी है। केन्द्र सरकार का संबंध रिपोर्ट की दो सिफारिशों, अर्थात कुछ जटिल मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने तथा पुलिस सुधारों को कार्यान्वित करने से है।

जटिल मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के बारे में आयोग को कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मौजूदा नियमों के अंतर्गत, केन्द्रीय जांच ब्यूरो किसी राज्य में मामलों की जांच का कार्य तभी तक अपने हाथ में ले सकता है जब उस राज्य की सरकार के द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया गया हो, गुजरात सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है क्योंकि हो सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उल्लिखित जटिल मामलों की राज्य सरकार की जांच एजेन्सियों द्वारा पहले ही जांच की जा रही हो।

केन्द्र सरकार, देश का संघीय ढांचे के अनुरूप, राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा संस्तुत पुलिस सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को राजी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस सुधारों पर रिबेरियो समिति की रिपोर्ट फिलहाल उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है तथा इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित किया जाएगा।

(छ) और (ज) भारत के संविधान के तहत आम व्यवस्था और शांति बनाए रखने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार समय-समय पर आसूचना का आदान-प्रदान करती है तथा राज्यों/संघ शासित क्षत्रों को समय-समय पर सलाह तथा सर्तकता संदेश भेजती है तथा उनके विशेष अनुरोध पर उन्हें केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराती है। केवल साम्प्रदायिक तनावों से ही निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई बल नामक एक विशेष बल की तैनाती की जाती है। राज्य सरकारों को उनकी पुलिस व्यवस्था अवसंरचनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान की जाती है।

ऐसे संगठनों की गतिविधियों पर विधि प्रवर्त्तन एजेन्सियां निरंतर निगाह रखती हैं, जो देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ सकती हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

अनुबंध

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मुख्य टिप्पणियां

(i) **जीवन, आजादी, समानता और मान-मर्यादा के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहना**

आयोग ने इस प्रश्न पर कि क्या राज्य सरकार ने उन सभी लोगों जिन्होंने इसे बनाया है के जीने के अधिकार, आजादी, समानता और मान-मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी प्राथमिक और अपरिहार्य जिम्मेवारी का निर्वहन किया है, के बारे में टिप्पणी की है और 1 अप्रैल, 2002 की अपनी पहले की कार्यवाही का उल्लेख किया है। गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा के इतिहास को देखते हुए, जैसा कि राज्य सरकार ने स्वयं अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है, आयोग ने यह प्रश्न उठाया है कि गुजरात के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल रहने में राज्य सरकार की जिम्मेवारी की सीमा का मूल्यांकन करने में "स्वयं प्रमाण" का सिद्धान्त लागू क्यों न किया जाए। आयोग ने आगे यह कहा कि जब तक राज्य सरकार इसका खंडन नहीं करती है तब तक उसके विरुद्ध लगाए जाने वाले प्रतिकूल निष्कर्ष के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार होगी। अतः इस अवधारणा का खंडन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। आयोग ने आगे यह कहा है कि राज्य सरकार से इसे प्राप्त हुई रिपोर्टों में या इसके द्वारा किए गए तथाकथित उपायों से इस अवधारणा के खंडन के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा गया है। आयोग ने आगे यह टिप्पणी भी की है कि लोगों और उनकी मान मर्यादा पर किया गया हमला, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के साथ, बलात्कार तथा हिंसा और क्रूरता के अन्य अपराधों से इसकी टिप्पणियों को बल मिलता है। अतः आयोग ने यह टिप्पणी की है कि तथ्य अपने आप बोलते हों। इसलिए आयोग इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा है कि "स्वयं प्रमाण" का सिद्धांत इस मामले में लागू होता है और 27, फरवरी, 2002 को गोधरा कांड से शुरू और आगामी सप्ताहों में हुई हिंसा के दौरान गुजरात में लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में राज्य सरकार बुरी वरह विफल रही है। आयोग ने, स्थिति से निपटने के लिए मुख्य मंत्री के सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए आगे और टिप्पणी की है कि इस बात से इसकी पुष्टि हो जाती है कि राज्य के लोगों के जीवन, आजादी, समानता और मान-मर्यादा के अधिकारों के लगातार हो रहे उल्लंघनों को नियंत्रित करने में पहले चूक हुई है।

(ii) **आसूचना संग्रहण में विफलता**

आयोग ने आगे यह टिप्पणी की है कि आसूचना तंत्र

बुरी तरह विफल हुआ है और गोधरा में प्रारम्भिक दुःखद घटना और उसके बाद हुई हिंसा को रोकने में सरकार समय पर और पर्याप्त पूर्वाभासी कदम उठाने में असफल रही है। आयोग ने आगे यह भी टिप्पणी की है यह अकल्पनीय प्रतीत होता है कि "कार–सेवकों" की जाने की योजना के मामले पर जिसके बारे में गुजरात आसूचना ब्यूरो और उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस के बीच बार–बार पत्र व्यवहार हुआ, उनकी वापसी की यात्रा के बारे में आसूचना का अत्यंत अभाव रहा हो। उस समय अयोध्या में बन रही अस्थिर स्थिति और समाचार पत्रों में अन्तर साम्प्रदायिक हिंसा के खतरे के बारे में प्रकाशित हो रही चेतावनियों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए यह अपरिहार्य था कि गुजरात आसूचना ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में अपने प्रतिपक्ष से और केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो से गहन और सतत सम्पर्क बनाए रखता। दोनों तरफ से आसूचना प्राप्त करने में असफल रहने पर ही निसन्देह यह दुःखद घटना घटी।

(iii) उपयुक्त कार्रवाई करने में विफलता

आयोग ने यह टिप्पणी की है कि उसकी राय में, आसूचना की कमी के साथ–साथ, हिंसा को फैलने से रोकने में उपयुक्त पूर्वाभासी और बाद की कार्रवाई करने में असफल रहना भी इसका एक कारण रहा है। आयोग ने यह टिप्पणी भी की है कि उसने "स्थानीय कारकों और तत्वों" की तरफ भी इशारा किया था जिन्होंने कुछ घटनाओं में जिला अधिकारियों की भी अनदेखी की लेकिन कुछ में नहीं और राज्य सरकार से यह पूछा था कि वे तत्व कौन थे जिनके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। आयोग के अनुसार राज्य सरकार के उत्तर में, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। इसके विपरीत, आयोग के अनुसार, राज्य सरकार ने साम्प्रदायिक घटनाओं की "गंभीरता" का उल्लेख किया है जिसके कारण दंगे भड़के और इलैक्ट्रोनिक माध्यमों की भूमिका का उल्लेख किया। आयोग ने यह टिप्पणी की कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोधरा कांड एक गंभीर घटना थी यह कि इसके संभावित परिणामों को नियंत्रित करने में राज्य सरकार से अत्यधिक जिम्मेवारी की अपेक्षा थी, विशेष रूप से गुजरात बंद के आह्वान और राज्य सरकार द्वारा उस आह्वान का खुल्लम–खुल्ला समर्थन करने की घोषणा के बाद।

(iv) स्थानीय कारकों और तत्वों की पहचान करने में विफल रहना

आयोग ने यह टिप्पणी की है कि राज्य सरकार "स्थानीय कारकों और तत्वों" के बारे में मौन है और उसने इसके बजाय यह कहा कि यह मामला, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग के विचारणीय विषयों की परिधि में आता है। आयोग ने इस उत्तर को टाल–मटोलपूर्ण और पारदर्शितता रहित बताया है।

(v) गिरफ्तारियों के तौर-तरीके

आयोग ने यह टिप्पणी की है कि उसने राजय सरकार द्वारा अपनी 12 अप्रैल, 2002 की रिपोर्ट में बताए गए गिरफ्तारियों के तौर–तरीकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है। आयोग ने टिप्पणी की है कि कुल 27,780 गिरफ्तारियां की गईं, जिनमें आपराधिक और निवारात्मक नजरबंदी, दोनों ही शामिल हैं। आयोग ने आगे यह कहा है कि राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभिन्न अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किए गए 11167 व्यक्तियों में से, 3269 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और 7896 बहुसंख्यक समुदाय के। जहां तक 16615 निवारात्मक गिरफ्तारियों का संबंध है, 13804 बहुसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं और 2811 अल्पसंख्यक समुदाय से। तथापि इससे यह पता नहीं चलता है कि गिरफ्तारियां कब और कहां की गईं, किसे गिरफ्तार किया गया और उन्हें कब तक हिरासत में रखा गया और वे कहां हैं जिन्हें विशेष रूप से गिरफ्तार किया गया, दिखाया गया है। आयोग ने आगे यह कहा है कि जहां तक गुजरात में इसके विशेष प्रतिनिधि की रिपोर्ट का सवाल है गिरफ्तार किए गए लगभग 90 प्रतिशत लोग, यहां तक कि हत्या, आगजनी इत्यादि जैसे जघन्य अपराधों में गिरफ्तार व्यक्ति भी गिरफ्तार होने के तुरन्त बाद जमानत प्राप्त करने में सफल हो गए। यह बात राज्य सरकार द्वारा अपनी 12 अप्रैल, 2002 की रिपोर्ट में कही गई इस बात से बिल्कुल विपरीत है कि सभी अभियुक्तों के जमानत के आवेदनों को कड़ा किया जा रहा है और उन्हें रद्द किया जा रहा है।

(vi) प्रमुख मामलों से निपटने में अलग-अलग तरीके अपनाना

आयोग ने यह टिप्पणी की है कि राज्य सरकार के

12 अप्रैल, 2002 के उत्तर का विश्लेषण करने पर आयोग ने पाया कि आज तक जिन प्रमुख मामलों पर कार्रवाई की गई उनमें अलग-अलग तरीके अपनाए गए। आयोग ने यह टिप्पणी की कि गोधरा घटना, जिसमें 59 व्यक्ति मारे गए थे 58 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और वे सभी हिरासत में हैं। तथापि, चमनपुरा मामले में, जिसमें एक भूतपूर्व संसद सदस्य सहित 50 व्यक्ति मारे गए थे, 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। नरोदा पातिया मामले में, जिसमें बताया गया है कि 150 व्यक्ति मारे गए थे, 22 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। एक दूसरे मामले बड़ोदरा में बेस्ट बैकरी मामले में, जिसमें लगभग 8 व्यक्ति मारे गए थे, 12 अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं। तथापि, मेहसाना जिले के सदापुरा मामले में जिसमें लगभग 28 व्यक्ति मारे गए बताए गए हैं, गिरफ्तार किए गए 46 व्यक्तियों के बारे में कोई ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।

(vii) प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करना

आयोग ने यह टिप्पणी की है कि मीडिया में और इसकी टीम को अनेक शिकायतें की गई हैं कि अनेक मामलों में प्र.सू. रिपोर्टों को कमजोर तरीके से रिकार्ड किया गया है या उनके तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और यह कि कुछ वरिष्ठ राजनैतिज्ञ अपनी उपस्थिति में पुलिस स्टेशनों के कार्यकरण को प्रभावित कर रहे हैं। आयोग ने टिप्पणी की है कि बार-बार लगाए गए इन आरोपों का राज्य सरकार की रिपोर्ट में कोई प्रतिकार नहीं किया गया है कि नामित वरिष्ठ राजनैतिज्ञ पुलिस स्टेशनों में मौजूद रह कर उनके कार्यकरण को प्रभावित कर रहे हैं। आयोग ने आगे यह टिप्पणी की है कि गुजरात में इसके विशेष प्रतिनिधि की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित पक्षों की शिकायतों को दर्ज करते समय भी, यह आरोप लगाया गया है कि अपराध करने वालों के नाम नहीं लिखे जाते हैं। लगभग सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपियां नहीं दी गईं जिसे पाने का शिकायतकर्ता को अधिकार है। आयोग ने आगे यह टिप्पणी की कि आयोग की टीम ने गुजरात के दौरे के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों, एक पीठासीन और एक सेवानिवृत्त, जिन्हें दूषित वातावरण के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, सहित समाज के सभी वर्गों में व्यापक रूप से असुरक्षा की भावना पाई गई। आयोग ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ने भी यह कहा है कि न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं, असुरक्षा की भावना इतनी अधिक थी कि इसे पुलिस द्वारा किए गए प्रबंधों के बावजूद भी समाप्त नहीं किया जा सका। आयोग ने आगे यह टिप्पणी की कि पहुंचाई गई क्षति को रोकने के लिए समय और अवसरों के बावजूद, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सुरक्षा के प्रति, राज्य सरकार के प्रबंध इतने अधिक अपर्याप्त हैं तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अन्य कम विख्यात हैं, जो जाने-माने लोग नहीं हैं, उनकी दशा तो और भी खराब होगी। आयोग ने पुनः टिप्पणी की है कि गुजरात सरकार ने उसे प्रेषित की गई गोपनीय रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की। आयोग ने गुजरात सरकार से उक्त रिपोर्ट में नामित उन व्यक्तियों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा दर्शाते हुए स्पष्ट उत्तर देने का आग्रह किया है जिन्होंने मानवाधिकारों का हनन किया है अथवा ऐसे अधिकारों के रक्षा हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व के निर्वहन में बाधा पहुंचाई है।

उपर्युक्त टिप्पणियों के मद्देनजर आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

I. कानून एवं व्यवस्था

(i) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शामिल करना

आयोग ने अपनी पूर्व की सिफारिशों का स्मरण कराया है कि इन व्यापक आरोपों को मद्देनजर रखते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ये तो पूरी तरह लिखी नहीं गई अथवा गलत तरह से लिखी गई है और यह कि जांच बाहरी कारकों अथवा तत्वों द्वारा प्रभावित की गई है, प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा की बहाली की जानी चाहिए। अतः उन्होंने सिफारिश की है कि उनके द्वारा विशेष तौर पर उल्लिखित पांच जटिल मामलों सहित, कुछ मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिए जाएं। आयोग ने राज्य सरकार के इस उत्तर को नोट कर लिया है कि उन मामलों को, जिनमें राज्य पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और यह कि इस अवस्था

में जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने से जांच कार्य में विलम्ब होगा। आयोग ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के इस उत्तर को भी नोट कर लिया है कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो मामलों की जांच का कार्य अपने हाथ में तभी ले सकता है ज्न्न राज्य सरकार ऐसा अनुरोध करे। चूंकि इस मामले में राज्य सरकार ने ऐसा अनुरोध नहीं किया है, अतः राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा की जा रही जांच को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उल्लिखित मामलों की जांच का कार्य हाथ में लेने के लिए निदेश देना संभव नहीं है। आयोग ने टिप्पणी की है कि उनसे इन उत्तरों पर विचार किया है परन्तु वह एक बार पुनः यह अनुरोध करना चाहेगा कि आयोग द्वारा उल्लिखित मामले केन्द्रीय जांच बयूरो को सौंप दिए जाने चाहिए तथा केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसा कर लिया जाता है कम से कम भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत अपने उत्तरदायित्व को देखते हुए और राज्य सभा संकल्प को मद्देनजर रखते हुए।

(ii) पुलिस सुधार

आयोग ने पुलिस सुधार के गंभीर प्रश्न पर निर्णयात्मक तौर पर कार्रवाई करने की आवश्यकता के संबंध में अपनी पहले की गई सिफारिश की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिस पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें उन पर कार्रवाई करने के प्रयासों के बावजूद लंबित पड़ी हैं। आयोग ने पुलिस सुधारों के लिए अब तक किए गए प्रयासों तथा इस तथ्य को कि "पुलिस" राज्य का विषय है नोट किया लेकिन केन्द्र कम से कम नेतृत्व और मार्ग दर्शन तो कर ही सकता है। अतः आयोग ने गुजरात की स्थिति को चेतावनी तथा उत्प्रेरक तत्व (कैटेलिस्ट) के तौर पर लेते हुए संस्तुत तथा ऊपर संदर्भित विभिन्न पुलिस सुधारों को लागू करने के लिए दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों दोनों से ही आग्रह किया है। आयोग ने यह अनुरोध किया है कि पुलिस सुधार के मामले पर केन्द्र व राज्यों में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा मामले को देश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को नेकनीयती के साथ तथा निरंतर उठाया जाना चाहिए।

(iii) विशेष न्यायालय तथा विशेष अभियोजक

आयोग ने 1.4.2002 की कार्यवाहियों में अपनी पूर्व सिफारिशों का हवाला दिया है कि सर्वाधिक जटिल मामलों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर अभियोजन चलाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों का चयन किया जा रहा है तथा आवश्यकतानुसार विशेष अभियोजक नियुक्त किए जा रहे हैं। आयोग ने कहा कि राज्य सराकार की प्रतिक्रिया से स्पष्ट नहीं होता है कि वह आयोग द्वारा प्रस्तावित किस्म के विशेष न्यायालयों, जिनका उद्देश्य त्वरित अभियोजन चलाना है, की सिफारिशों को स्वीकार करती है। राज्य सरकार ने विशेष अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। राज्य सरकार से उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया गया है।

(iv) विशेष प्रकोष्ठ

आयोग ने अपनी पूर्व की सिफारिशों का स्मरण कराया है कि ब्यूरो को सौंपे गए मामलों की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों के तहत विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाएं तथा इनका प्रबोधन अपर महानिदेशक (अपराध) द्वारा किया जाना चाहिए। आयोग ने राज्य सरकार की प्रतिक्रिया नोट की है जिसमें अपर महानिदेशक (अपराध) की प्रस्तावित भूमिका स्वीकार की है लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उपयुक्त कार्रवाई कर ली गई है। राज्य सरकार विशेष प्रकोष्ठ की आवश्यकता की सिफारिश पर भी मौन है। अतः आयोग ने अपनी सिफारिशें दोहराई हैं।

(v) जांच-पड़ताल हेतु समय-सीमा

आयोग ने पूर्व में सिफारिश की थी जांच शीर्घतापूर्वक निपटाने के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित की जाए। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है लेकिन कोई विशेष समय-सीमा नहीं बताई है। अतः राज्य सरकार को इस मामले में अपना निर्णय स्पष्ट करने का निदेश दिया गया है।

(vi) राहत शिविरों में पुलिस डेस्क

आयोग ने सिफारिश की थी कि शिकायतें प्राप्त करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तथा उन्हें संबंधित थानों में अग्रेषित करने के लिए राहत शिविरों में पुलिस डेस्क स्थापित किए जाने चाहिए। राज्य सरकार ने बताया है कि इस संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं तथा राहत शिविरों में 3532 लोगों के बयान तथा 283 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई थीं। आयोग ने आगे यह भी नोट किया है कि उनके विशेष प्रतिनिधि से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पुलिस डेस्क अहमदाबाद में मौजूदा 35 राहत शिविरों में से 9 राहत शिविरों में ही स्थापित किए गए हैं। इन डेस्कों ने कुछ ही दिन कार्य किया वह भी औसतन दो घंटे प्रतिदिन के हिसाब से। अतः आयोग ने राहत शिविरों में ऐसे पुलिस डेस्क स्थापित करने के संबंध में की गई अपनी सिफारिशों का पूरी तरह अनुपालन करने की संस्तुति है।

(vii) सभी प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण

आयोग ने विगत में हुई हिंसा में मारे गए अथवा लापता, घायल व्यक्तियों, विधवा हो गई महिलाओं, अनाथ अथवा बेसहारा हो गए बच्चों की संख्या और नामों के संबंध में आंकड़े तैयार करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। गुजरात राज्य सरकार के जवाब से यह पता नहीं चलता है कि इन आंकड़ों को एकत्र करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है। अतः आयोग ने सिफारिश की कि राज्य सरकार जिला वार आधार पर संकलित किए गए आंकड़े जल्दी प्रकाशित करे।

(viii) गैर सरकारी संगठनों तथा अन्यों द्वारा एकत्र की गई सामग्री का विश्लेषण

आयोग ने सिफारिश की है कि गैर सरकारी संगठनों जैसे सिटीजन इनीशिएटिव, पी.यू.सी.एल. तथा अन्यों द्वारा एकत्र सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के उत्तर से पता चलता है कि विभिन्न संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की जांच की जाएगी तथा जांच के उपरांत यदि इसे ठीक पाया जाता है तो इसका कानून के अनुसार उपयुक्त प्रयोग किया जाएगा। आयोग ने राज्य सरकार के उत्तर को नोट कर लिया है। आयोग इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का प्रबोधन करेगा।

(ix) उत्तेजक बयानबाजी

आयोग ने लोगों द्वारा इलैक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया, विशेष तौर पर स्थानीय मीडिया में दी गई उत्तेजक बयानबाजी की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित किया और अनुरोध किया कि इनकी जांच की जाए और इन पर कार्रवाई की जाए, और इस बारे में अपने बयानों पर स्पष्टीकरण देने अथवा उनका खंडन करने का भार उन्हीं पर डाला जाए। आयोग ने राज्य सरकार का यह उत्तर नोट किया है कि ऐसे बयानों की जांच की जाएगी तथा उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि किन–किन बयानों की जांच की जा रही है और नहीं ऐसे व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता तथा इसके संबद्ध अधिनियमों के तहत की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है, अतः आयोग ने सिफारिश की है कि वह इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए व्यक्तियों और संगठनों तथा ऐसे बयान तथा कार्रवाई, जिनके लिए उन्हें अभियोजित किया जा रहा है, से संबंधित पूरा ब्यौरा प्राप्त करना चाहेगा। गुजरात सरकार से उपरोक्त अनुसार आगे विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

(x) कर्तव्य की अवेहलना करने वाले सरकारी सेवकों की पहचान

आयोग ने अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल रहे अधिकारियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। आयोग ने यह सिफारिश भी की कि जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन भली–भांति किया है, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आयोग ने राज्य सरकार के इस उत्तर को नोट किया है कि राज्य सरकार इसके द्वारा नियुक्त जांच आयोग के निष्कर्षों का पालन करेगा और कुछेक अधिकारी जिन्होंने अपने कर्तव्य का भली प्रकार से निर्वहन किया है, उन्हें पहले ही समुचित रूप से पारितोषिक दे दिया गया है। आयोग का यह मत है कि कर्तव्य की अवहेलना करने वाले सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, सभी दृष्टांतों में, जांच आयोग के परिणाम का इंतजार नहीं

किया जाना चाहिए। आयोग, इसलिए, सिफारिश करता है कि कर्तव्य की अवेहलना करने वाले सरकारी सेक्कों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और शुरू की गई कार्रवाई की प्रगति आयोग को सूचित की जानी चाहिए।

(xi) मौजूद' सांविधिक प्रावधानों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का उचित कार्यान्वयन

आयोग ने यह टिप्पणी की कि साप्रदायिक दंगे भारत में कोई नई बात नहीं है और कम से कम गुजरात के मामले में, जैसा कि राज्य सरकार की स्वयं की प्रतिक्रिया इंगित करती है। आयोग इसलिए, इस पर जोर देना चाहेगा कि देश में सांविधिक प्रावधानों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों इत्यादि के रूप में व्यापक सामग्री पहले से ही मौजूद है और जिसे पिछले कई वर्षों में अति सावधानी से सुसम्पादित किया गया है तथा देश में कानून और व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी लोगों द्वारा इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। इसलिए आयोग ने यह आकलन किया है कि क्या गुजरात सरकार ने हिंसा का सामना करने में अपनी जिम्मेवारी का समुचित रूप से निर्वहन किया है जिसके कारण राज्य, इस सामग्री के होने के बावजूद दो महीने से अधिक समय से ग्रस्त रहा। आयोग ने इसलिए, गुजरात में विकास के लिए कानूनों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों की क्रमबद्ध रूप से सूची बनाई है तथा उनमें से कुछेक को राज्य सरकार और इसके अधिकारियों के आचरण के लिए उपयोगी माना है। इसने, विशेष रूप से, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1997 में जारी किए गए दिशा निर्देशों, जिन्हें केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा 22 अक्तूबर, 1997 को सभी मुख्य मंत्रियों को परिचालित किया गया था, का उल्लेख किया है, इन दिशा निर्देशों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है, विशेष रूप से साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाले एवं गंभीर साम्प्रदायिक उपद्रवों से निपटने के लिए अपेक्षित प्रशासनिक उपायों से संबंधित दिशा निर्देशों का आयोग ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को भी नोट किया, जिसने साम्प्रदायिक हिंसा की प्रमुख घटनाओं की जांच करने के लिए, पहले गठित विभिन्न जांच आयोग की सिफारिशों, की जांच की है, इनसें पता लगी घटनाओं के प्रकार और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों, विशेष रूप से साम्प्रदायिक हालातों के संबंध में। उपर्युक्त, विषय का उल्लेख करने के पश्चात, आयोग, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गुजरात सरकार इन महत्वपूर्ण अनुदेशों के चिरकालिक प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रूप से कार्य करने में असफल रही और इन निर्देशों में उल्लिखित मानदंडों की तुलना में राज्य सरकार का कार्य अपेक्षित स्तर का नहीं रहा। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने आप में गंभीर आत्ममंथन किए जाने की आवश्यकता है, इसके निष्पादन में हुई कमियों का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उपरिनिर्दिष्ट सांविधिक प्रावधानों, परिपत्रों और दिशा निर्देशों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है तथा इस विश्लेषण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा ब्यौरेयार रिपोर्ट गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार को उनके विचारार्थ उपलब्ध करानी चाहिए।

(xii) शिविर

आयोग ने सिफारिश की है कि वरिष्ठ राजनैतिक नेताओं और अधिकारियों द्वारा इन शिविरों का बकायदा दौरा करना चाहिए तथा गैर सरकारी संगठनों को भी इस प्रकिया में शामिल करना चाहिए। आयोग ने राज्य सरकार के उस उत्तर को नोट किया है जिसमें किए गए दौरों की संख्या, नियुक्त/तैनात चिकित्सकीय, पैरा-मेडिकल, सफाई कर्मचारियों, आगनवाड़ी और अन्य स्टाफ तथा वितरित की गई औषधियों के बारे में बताया गया है। किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(क) शिविरों में सफाई व्यवस्था में सुधार करने और शौचालयों एवं जल आपूर्ति की व्यवस्था में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) महामारी, खसरा और अन्य बीमारियां, जिनसे पहले ही लोग मारे जा चुके हैं, को फैलने से रोकने के लिए विशेष सतर्कता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ग) यद्यपि राज्य सरकार में उत्तर से 8 जिलों में शिविरों में खाद्यान्नों, दालों इत्यादि की मात्रा को दिखाया गया है, तथापि इसमें आवश्यक खाद्य–मदों को प्रदान करने में अपनाए गए स्वीकृत मानदंडों के बारे में नहीं बताया गया है। ये मानदंड डब्ल्यू. एच.ओ./यूनीसेफ (यूएनआईसीईएफ) और इस प्रकार के हालात में भारत सरकार के समक्ष मंत्रालयों द्वारा निर्धारित निम्नतम पौष्टिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए।

(घ) अर्द्ध–स्थायी ढांचों और तत्वों से बेहतर ढंग से बचाव के लिए उपाय किए जाने की तत्काल एवं अत्यंत आवश्यकता है।

(ङ) प्रत्येक शिविर की निगरानी के लिए शिविर–वार प्रबोधन समितियां गठित की जानी चाहिए।

(च) गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और कार्य जो अभी तक स्पष्ट नहीं थे उन्हें और ज्यादा साफ तौर पर स्पष्ट किया जाए।

(छ) शिविरों में प्रबोधन कार्य के लिए नियुक्त सचिव–स्तरीय अधिकारियों की रिपोर्टों को निर्धारित प्रपत्रों में रिकार्ड किया जाना चाहिए और उन्हें जनता को तथा गुजरात में आयोग के विशेष प्रतिनिधि को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ज) पीड़ितों के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में अभिघात विशेषज्ञों को परामर्श देने के लिए शिविरों तथा अन्य आपदा क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए।

(झ) मुआवजा शीघ्र देने के उद्देश्य से मृत्यु–प्रमाणपत्रों और मालिकाना प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। दावों के निपटान के लिए और प्रभावित शहरों और गांवों के सर्वेक्षण के लिए समय–सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

(ञ) शिविरों में आश्रय लिए हुए व्यक्तियों और अन्य पलायन कर चुके लोगों की उनके घरों तथा कार्यस्थलों पर वापसी को सुकर बनाने के उद्देश्य से उनमें विश्वास पैदा करने वाले उपाय किए जाने चाहिए एवं उनसे जनता को अवगत कराना चाहिए।

इन हालातों में, आयोग एक बार पुनः यह सिफारिश करता है कि किसी भी शिविर को, कलक्टर, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, शिविर के प्रतिनिधि तथा गुजरात में आयोग को विशेष प्रतिनिधि अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति को मिलाकर बनी समिति की स्पष्ट सिफारिश के बिना बंद नहीं किया जाना चाहिए।

II. पुनर्वास

(i) आयोग ने यह नोट किया है कि राज्य सरकार ने अपने 12 अप्रैल, 2002 के प्रत्युत्तर में, इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया है कि क्षतिग्रस्त पूजास्थलों की शीघ्रता से मरम्मत की जाए। तथापि कार्य शुरू करने के लिए अभी काफी कुछ किया जाना है। आयोग ने सिफारिश की कि नष्ट हुए और क्षतिग्रस्त स्थलों/स्मारकों की पूरी जिला–वार सूची प्रकाशित की जानी चाहिए।

(ii) आयोग ने प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए गए योगदान सहित राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत तथा पुनर्वास उपायों के पैकेज को ध्यान में लिया है। इसने यह भी नोट किया है कि सहायता का वितरण अभी भी हो रहा है। मृत्यु और मालिकाना प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने में हुई कठिनाइयों से चिन्तित है तथा इस बात को पहले की कार्यवाहियों में भी दिखाया गया है। क्षति के आकलन और मुआवजे को अदा करने में भी उपयुक्त स्तर पर विलंब हुआ है। आयोग ने अनुरोध किया कि प्रक्रिया को सुचारु बनाया जाना चाहिए और उपर्युक्त मुद्दों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए।

(iii) आयोग ने पीड़ितों के पुनर्वास हेतु किए जा रहे उपायों को नोट किया है। 12 अप्रैल, 2002 का राज्य सरकार का उत्तर यह नहीं दर्शाता है कि क्या इसने आयोग की इस सिफारिश के अनुसार कार्य किया है कि पुनर्वास कार्य में सहायता के लिए हुडको (एचयूडीसीओ), एचडीएफसी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषित एजेंसियों का सहयोग प्राप्त

किया जाना चाहिए। आयोग इस बारे में आगे उत्तर जानना चाहेगा।

(iv) आयोग ने सिफारिश की कि फॉर्मास्यूटिकल उद्योग सहित निजी क्षेत्र से राहत और पुनर्वास कार्य में सहायता करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने 12 अप्रैल, 2002 के उत्तर में बताया कि उसने अभी तक औषधियों और दवाईयों की किसी भी प्रकार की कमी अनुभव नहीं की है।

(v) आयोग ने, उसके द्वारा की गई इन सिफारिशों को कि राहत और पुनर्वास कार्य में गैर सरकारी संगठनों और गुजरात आपदा प्राधिकरण को शामिल किया जाए, के बारे में प्राप्त राज्य सरकार के उत्तर को भी नोट किया है। महिलाओं और बच्चों की दुर्दशा, विशेष रूप से विधवाओं, बलात्कार पीड़ितों तथा अनाथों के हालात के प्रति आयोग चिन्तित है। आयोग बारीकी से इस मामले का प्रबोधन करना चाहेगा।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

गोधरा घटना के साथ शुरू हुई गुजरात की दुखांत घटनाएं और निरंतर चलने वाली हिंसा जिसने दो महीने से ज्यादा समय तक के लिए राज्य को हिला दिया, से देश को बहुत दुख पहुंचा है। इस आयोग के विचार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य के लोगों के जीवन, आजादी, समानता और मान–मर्यादा के अधिकारों के निरंतर हनन पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार बुरी तरह से असफल रही। जख्मों को भरना और शांतिमय और सौहार्दपूर्ण भविष्य की कामना करना नितान्त आवश्यक है। लेकिन इन उच्च उद्देश्यों को न्याय और गणतंत्र के संविधान के मूल्यों और देश के कानूनों के आधार पर ही प्राप्त किया जाना चाहिए। इसलिए यह बात सैद्धांतिक महत्व की है कि मानवाधिकारों के हननकर्ताओं का सजा देने के लिए निश्चित तौर पर कदम उठाए जाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, गांधी जी की धरती गुजरात में जो हिंसा की घटनाएं हुईं, उससे पूरा राज्य लहूलुहान हुआ है। देश में और विदेशों में उसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। धर्म के नाम पर देश के माथे पर कलंक लगाया गया। साम्प्रदायिक ताकतों को सरकार और अन्य संगठनों से बढ़ावा मिलता रहा। हिंसा का नंगा नाच राज्य में कई दिनों तक चलता रहा, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा और साम्प्रदायिक सद्भाव के आदर्शों का परचम लहराने वाला देश आज विश्व से आंख नहीं मिला पा रहा है। हमारी गर्दन शर्म से झुकी हुई है। यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकारी की निंदा न केवल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने की है, बल्कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो रहा है इसलिए आप जल्दी से पूरक प्रश्न पूछें।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो मिनट में पूरा नहीं हो सकता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक प्रश्न पूछें, क्योंकि समय पूरा हो रहा है।

श्री विलास मुत्तेमवार : दुर्भाग्य से राष्ट्रीय मानवाधिकार की इस रिपोर्ट पर वहां के मंत्रियों ने भी टिप्पणी की है। उनका मानना है कि इस आयोग पर उनका कोई विश्वास नहीं है। यहां तक कि उप–प्रधान मंत्री जी ने भी मोदी सरकार को सभी मामलों से बरी कर दिया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी गोधरा घटना के साथ शुरू होकर गुजरात में दुखद घटनाओं और निरंतर चलने वाली हिंसा पर आई है, जिसने दो महीने से ज्यादा समय तक के लिए राज्य को हिला दिया और इसने पूरे देश को बहुत चिंतित किया है। इस आयोग का विचार है कि इस बात में कोई संदेह नहीं कि राज्य में लोगों का जीवन, आजादी, समानता और मान–मर्यादा के अधिकारों के निरंतर हनन पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार पूरी तरह से असफल रही है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि सरकार की इस पर क्या टिप्पणी है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट टिप्पणी इस पर नहीं आई है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार जिस तरह वहां बर्बरता

हुई है, वहां की मोदी सरकार को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, यही मुझे कहना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो टिप्पणी आई है, जो निष्कर्ष है, उस पर सरकार की क्या टिप्पणी है?

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागार राव : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कुछ टिप्पणियां और सिफारिशें की गई थीं। अधिकांश टिप्पणियां और सिफारिशें राज्य सरकार के बारे में हैं। इसमें केवल दो चीजें थीं। एक, पांच महत्वपूर्ण मामलों का सी.बी.आई. को हस्तांतरण और दूसरी, पुलिस सुधारों का कार्यान्वयन है।

जहां तक इन मामलों को सी.बी.आई. को सौंपने का संबंध है, राज्य सरकार कह चुकी है कि इन मामलों के बारे में जांच की जा रही है। इसलिए, सी.बी.आई. के हस्तक्षेप का प्रश्न ही नहीं उठता।...*(व्यवधान)*

जहां तक पुलिस सुधारों का संबंध है, केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को पुलिस सुधार लागू करने के लिए बार-बार अनुदेश जारी कर रही है।

जहां तक रिबैरो समिति का संबंध है, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाथ में ले लिया है। यह मामला न्यायाधीन है। माननीय सदस्य ने जो शेष बातें कही हैं, उनके बारे में विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

***24. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :**
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान और आज तक राज्य सरकारों की ओर से उनके पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार मांग के अनुसार राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने में असफल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मांगी गई पूरी सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत वर्ष 2001-02 के दौरान केन्द्रीय सहायता रिलीज करने के लिए सरकार को सभी 28 राज्यों से कार्य योजनाएं प्राप्त हुई थीं। वर्ष 2002-03 के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा और तमिलनाडु राज्य सरकारों से प्राप्त हुई हैं।

(ख) वर्ष 2001-02 के लिए वार्षिक कार्य योजनाओं पर इस प्रयोजन के लिए गठित शक्तिप्राप्त समिति द्वारा विधिवत रूप से विचार किया गया और गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें अनुमोदित किया गया। वर्ष 2001-02 के दौरान रिलीज की गई राज्यवार धनराशि के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 2002-03 के लिए 6 राज्यों से प्राप्त कार्य योजनाएं विचाराधीन हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। राज्यों को अनुमोदित योजनाओं के आधार पर और उनकी मानकीय हकदारी के अनुसार, पूरी केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना–2001–02

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वार्षिक आवंटन	योजना का आकार राज्य का हिस्सा सहित	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत 2001–02 की वार्षिक योजना (केन्द्र और राज्य का हिस्सा)	शक्ति प्राप्त समिति द्वारा योजना के मानदंडों के अनुसार अनुमोदित योजना (केन्द्र और राज्य का हिस्सा)	रिलीज की गई वास्तविक धनराशि (केन्द्र का हिस्सा)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	82.00	164.00	169.62	154.405	77.2025
2.	अरुणाचल प्रदेश	05.20	10.40	10.39	8.82917	04.414585
3.	असम	38.70	77.40	77.40	77.18	38.59
4.	बिहार	54.00	108.00	119.0644	118.9934	54.00
5.	छत्तीसगढ़	19.00	38.00	63.4458	50.430508	21.97
6.	गोवा	02.00	4.00	31.25	4.8536	02.00
7.	गुजरात	50.00	100.00	143.63	129.0473	50.00
8.	हरियाणा	22.10	44.20	54.30	51.3721	24.4605572
9.	हिमाचल प्रदेश	06.70	13.40	13.40	12.7589	06.37945
10.	जम्मू और कश्मीर	28.50	57.00	66.45	66.269445	28.50
11.	झारखंड	18.00	36.00	92.51	90.5463	28.935
12.	कर्नाटक	75.00	150.00	181.63	153.9597	76.97985
13.	केरल	31.50	62.00	63.46	62.230375	31.115187
14.	मध्य प्रदेश	53.00	106.00	122.67546	106.00091	53.000455
15.	महाराष्ट्र	92.10	184.20	243.54	185.4773	92.10
16.	मणिपुर	10.50	21.00	10.50	9.90492	04.95246
17.	मेघालय	5.50	11.00	12.7491742	11.5939867	05.1914584
18.	मिजोरम	5.50	11.00	20.43	17.1523	05.50

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	13.50	27.00	43.4623	26.8855	13.44275
20.	उड़ीसा	30.50	61.00	71.13215	62.2377	30.50
21.	पंजाब	32.10	74.24	64.20	64.1997948	32.0998974
22.	राजस्थान	61.10	122.20	155.69	132.3554	61.10
23.	सिक्किम	03.20	6.40	5.7676	5.7447	2.87235
24.	तमिलनाडु	68.10	136.20	272.24	136.20	68.10
25.	त्रिपुरा	05.60	11.20	25.00	11.9673	05.60
26.	उत्तर प्रदेश	123.52	247.04	255.51	232.099	116.0495
27.	उत्तरांचल	06.58	13.16	39.39825	16.888925	08.444
28.	पश्चिम बंगाल	56.50	113.00	160.52	120.45173	56.50
	कुल	1000.00	2000.00	2609.437296	2120.0035264	1000.00

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल

***25. श्री इकबाल अहमद सरडगी :**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों पर अब तक 32000 करोड़ रुपए व्यय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी धनराशि व्यय करने के बाद भी 20,000 से अधिक गांवों में पेयजल की बूंद भी नहीं है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार अब तक कितने गांवों को पूर्ण रूप से और कितने गांवों को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध किया जा चुका है और कितनों को पेयजल स्रोत विहीन घोषित किया गया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का वर्ष 2004 तक सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव इस गति से संभव नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में परिव्यय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) इस योजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा सभी को वर्ष 2004 तक पेयजल उपलब्ध कराने की योजना को क्रियान्वित करने और राज्यवार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 36,000 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय होने की वजह से, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं, इसे मंजूरी दी जाती हैं तथा कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं बनाने, उन्हें मंजूरी देने तथा कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं।

राज्य सरकारों से 10.7.2002 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में 1422664 ग्रामीण बसावटों में से 1274149 बसावटों को पेयजल सुविधा पूरी तरह उपलब्ध करायी जा चुकी है और 132183 बसावटों को आंशिक रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 16332 ग्रामीण बसावटों में अभी तक पेयजल सुविधा मुहैया कराना बाकी है। शासन की राष्ट्रीय कार्यसूची के अनुसार देश में सभी बसावटों को वर्ष 2004 तक पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई जानी हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पेयजल सुविधा से रहित बाकी की 16332 बसावटों में से अधिकांश को तथा आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त बसावटों में से लगभग आधी बसावटों को यह सुविधा उपलबध कराने का प्रस्ताव है। चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित किया जा रहा है। राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे वर्ष 2004 तक वरीयता आधार पर पेयजल सुविधा से रहित सभी तथा आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त बसावटों को सुविधा उपलबध कराने पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। पूरी तरह और आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त तथा पेयजल सुविधा रहित बसावटों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

योजना आयोग द्वारा वर्ष दर वर्ष आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए वार्षिक परिव्यय को अंतिम रूप दिया जाता है। सामान्यतः राज्यों के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. रिलीजें बढ़ रही हैं। 1998–99 के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत राज्यों के लिए भारत सरकार की रिलीज 1600.64 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1999–2000 में 1714.41 करोड़ रुपए, 2000–2001 में 1896.55 करोड़ रु. और पिछले वर्ष (2001–02) में 1943.05 करोड़ रु. हो गई है। चालू वर्ष (2002–2003) में 2235 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। 2004 तक पेयजल सुविधा रहित तथा आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त बसावटों में से और अधिक बसावटों को सुविधा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत अंतरराज्यीय आवंटन मानदंड के लिए सुविधा रहित और आंशिक रूप से सुविधा प्राप्त के वेटेज को बढ़ाने का निर्णय लिया है। सुविधा रहित तथा आंशिक रूप से प्राप्त बसावटों के लिए वेटेज को ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत निधियों के आवंटन संबंधी मानदंड को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे सुविधा रहित और आंशिक रूप से सुविधा प्राप्त बसावटों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त निधियां मिलेंगी।

विवरण

पूरी वरह और आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त तथा पेयजल सुविधा रहित बसावटों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बसावटों की स्थिति			
		एन.सी.	पी.सी.	एफ.सी.	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	16023	53709	69732
2.	अरुणाचल प्रदेश	327	894	3077	4298
3.	असम	650	19719	50300	70669
4.	बिहार	0	0	105340	105340
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50379	50379
6.	गोवा	8	45	343	396
7.	गुजरात	96	1683	28490	30269
8.	हरियाणा	0	48	6697	6745
9.	हिमाचल प्रदेश	1053	10173	34141	45367
10.	जम्मू व कश्मीर	2074	3688	5422	11184
11.	झारखण्ड	497	119	99480	100096
12.	कर्नाटक	3	20492	36187	56682
13.	केरल	783	6871	2109	9763
14.	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489
15.	महाराष्ट्र	2036	24405	59489	85930
16.	मणिपुर	30	282	2479	2791

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	346	808	7485	8639
18.	मिजोरम	0	461	450	911
19.	नागालैंड	349	569	607	1525
20.	उड़ीसा	0	18	114081	114099
21.	पंजाब	1503	2197	9749	13449
22.	राजस्थान	6093	8357	79496	93946
23.	सिक्किम	0	372	1307	1679
24.	तमिलनाडु	0	0	66631	66631
25.	त्रिपुरा	287	451	6674	7412
26.	उत्तर प्रदेश#	0	0	243633	243633
27.	उत्तरांचल	119	913	29976	31008
28.	पश्चिम बंगाल	0	13147	65889	79036
29.	अंडमान निकोबार	0	121	383	504
30.	दादरा व नगर हवेली	38	242	236	516
31.	दमन व द्वीव	0	0	32	32
32.	दिल्ली	0	0	219	219
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10
34.	पांडिचेरी	40	75	152	267
35.	चंडीगढ़	0	0	18	18
	कुल	16332	132183	1274149	1422664

एन.सी.–पेयजल सुविधा रहित

पी.सी.–आंशिक रूप से पेयजल सुविधा प्राप्त

एफ.सी.–पूरी तरह पेयजल सुविधा प्राप्त

#उत्तर प्रदेश के मामले में पूर्ण रूप से पेयजल सुविधा बसावटों में शहरी क्षेत्रों मे शामिल की गई 125 बसावटें भी शामिल हैं (पत्र सं. 392/20 प्वाइंट प्रोग्राम/रूरल 1 दिनांक 9.4.2002 के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार)।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय शिक्षा योजना

***26. कुंवर अखिलेश सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा से वंचित बच्चों ने अप्रैल माह में संसद के सामने प्रदर्शन किया था और प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में उठाई गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की मांगों पर अब तक क्या निर्णय लिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रधानमंत्री को इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेकिन, पीस ट्रस्ट, तमिलनाडु इकाई द्वारा प्रधानमंत्री को सम्बोधित दिनांक 8.5.2002 का एक ज्ञापन, प्रधानमंत्री कार्यालय में डाक से प्राप्त हुआ था जिसे उचित कार्रवाई हेतु इस विभाग को भेजा गया था। इस ज्ञापन में सरकार से सब बच्चों के लिए एक समयबद्ध राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत 6 से 14 आयु–वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक आठ वर्ष की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार का लक्ष्य है। वर्ष 2001–2002 में इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने 512 जिलों की जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं को अनुमोदित किया है, जिनके लिए 1106 करोड़ रु. कुल परिव्यय प्रदान किया गया है। ज्ञापन में उठाया गया मुद्दा सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य में समाहित है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा सर्वव्यापीकरण हेतु कुल रु. 28750 करोड़ का परिव्यय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

देश में साम्प्रदायिक दंगे

***27. श्री ए. वेंकटेश नायक :**

श्री जी. एम. बनातवाला :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के पास साम्प्रदायिक हिंसा के संबंध में आसूचना एकत्र करने और उस पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रैल–जून, 2002 के दौरान राज्यवार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(घ) इनमें राज्यवार कितने नागरिक/सुरक्षा कर्मी मारे गए/घायल हुए और सम्पति का कितना नुकसान हुआ;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने उन संगठनों की पहचान कर ली जो इन दंगों के पीछे थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को इस प्रकार के दंगों को रोकने के लिए कितनी सहायता दी गई है

(ज) इन दंगों से निपटने और राहत और पुनर्वास कार्य हेतु केन्द्र द्वारा जारी किए गए मार्ग–निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इसलिए अपराधों को रोकथाम करने, पता लगाने, दर्ज करने, जांच–पड़ताल करने और अभियोजन के साथ–साथ इस संबंध में आंकड़े रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र स्तर पर, गृह मंत्रालय विभिन्न आसूचना एजेंसियों से प्राप्त आसूचना के आधार पर, देश में सांप्रदायिक स्थिति पर निगरानी रखती है।

(ग) और (घ) गुजरात में सांप्रदायिक दंगे जो 27.2.2002 को गोधरा रेल हत्याकांड से शुरू हुए थे प्रश्नगत अवधि अर्थात अप्रैल–जून, 2002 के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की कुछ छुट–पुट घटनाओं के साथ जारी रहे। इस अवधि के दौरान 216 सिविलियन और 2 पुलिस/सुरक्षा कर्मी मारे गए, 790 सिविलियन और 211 पुलिस/सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए तथा लगभग 417.07 करोड़ रुपए मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई। इसके अलावा, उपलब्ध सूचना के अनुसार, अप्रैल से जून, 2002 तक के दौरान, महाराष्ट्र के जलगांव जिले में जामनेर कस्बे में एक बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें सात व्यक्तियों की जानें गईं और 42 व्यक्ति जख्मी हुए।

(ङ) और (च) गुजरात सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया है जिसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री जी.टी. नानावती और गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के.जी. शाह सदस्य हैं। जांच चल रही है। गुजरात के कथित सांप्रदायिक दंगों में किसी संगठन के संलिप्त होने के बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पता लग पाएगा।

(छ) और (ज) देश में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की अनेक प्रकार से सहायता करती है जैसे आसूचना का आदान–प्रदान, सतर्कता संदेश भेजना, राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर, सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से सृजित संयुक्त त्वरित कार्य बल सहित केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराना और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकरण के लिए सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार इस संबंध में समय–समय पर सलाह और दिशा–निर्देश भेजती है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें विभिन्न पहलू जैसे आसूचना एकत्र करना, जिला और राज्य स्तरों पर स्थिति की सावधिक समीक्षा, शांति समिति तंत्र, संबंधित अधिनियमों को कार्यान्वित करना, मीडिया प्रबंधन, पुलिस की भूमिका और उनका प्रशिक्षण, आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन, विशेष न्यायालयों की स्थापना, दंगा पीड़ितों को मुआवजा आदि है। गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउनडेशन सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित बच्चों के पुनर्वास हेतु योजनाओं को भी कार्यान्वित कर रही है। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के प्रयासों में व्यक्तियों के लिए वार्षिक कबीर पुरुस्कार और सांप्रदायिक

सौहार्द पुरुस्कार तथा "कौमी एकता सप्ताह" आयोजित करना शामिल है।

राज्य सरकारों से जिला कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों को विशिष्ट निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे और यह कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और अभियुक्तों के खिलाफ शीघ्रता से कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

घुसपैठ

***28. श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पार से घुसपैठ लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और विशेषकर जनवरी, 2002 से आज की तिथि तक पाकिस्तान सीमा से कितने घुसपैठियों ने भारत में प्रवेश किया है; और

(ग) सरकार द्वारा घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) किसी समयावधि के दौरान घुसपैठ के सही–सही आंकड़े बताना कठिन है। तथापि उपलब्ध रुझान से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि विगत तीन वर्षों से तुलना करें तो इस वर्ष घुसपैठ के स्तर में कुछ कमी आई है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर कूटनीतिक पहलों तथा सीमा/नियंत्रण रेखा पर सेना की तैनाती के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर में पाक आई.एस.आई. द्वारा सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को काबू करने के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबधन को मजबूत बनाना, जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालयों के ऑपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के संस्थानिक ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, शस्त्र और उपस्कर तथा आतंकवादियों के समर्थकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई शामिल है।

ग्रामीण विकास योजनाओं संबंधी वृत्तचित्र

***29. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की सूचना देने के लिए वृत्तचित्र निर्मित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नौवीं योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई निधियों और उन अभिकरणों जिन्हें यह कार्य दिया गया है, का ब्यौरा क्या है;

(घ) वृत्तचित्र निर्माण के कार्य देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या श्रव्य–दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) ने सरकार से इन वृत्तचित्रों का निर्माण करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो इस कार्य को श्रव्य–दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) को न देने के क्या कारण हैं; और

(छ) सभी वृत्तचित्रों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और उन्हें कब तक सरकार को सौंप दिया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) ग्रामीण जनता तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी पहुंचाने के लिए समय–समय पर विडियो स्पॉट, अल्प अवधि की फिल्में, विडियो कार्यक्रम और वृत्तचित्र जैसे

श्रव्य–दृश्य साफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं। नौवीं योजना के दौरान तैयार किए गए श्रव्य–दृश्य साफ्टवेयर के ब्यौरे, निर्माण में हुए व्यय सहित, विवरण में दिए गए हैं।

यद्यपि श्रव्य–दृश्य साफ्टवेयर स्थापित मानदण्डों के अनुरूप विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय और प्रसार भारती द्वारा तैयार किए जाते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2002–2003 के दौरान पैनल में शामिल निर्माताओं के माध्यम से श्रव्य–दृश्य साफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रासंगिक मानदण्ड निर्धारित किए हैं। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने सुझाव दिया था कि डायरेक्टरेट फार प्रोडक्शन ऑफ साफ्टवेयर आन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स (दि डी ए वी पी के माध्यम से) के पैनल में शामिल निर्माताओं की सेवाएं लेने पर विचार किया जा सकता है। मंत्रालय को जब कभी भी आवश्यकता होगी, श्रव्य–दृश्य साफ्टवेयर के निर्माण तथा प्रचार (संचार के अन्य तरीकों के माध्यम से) के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की सेवाओं का उपयोग करेगा।

इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किसी भी निर्माता को कोई वृत्त–चित्र नहीं सौंपा गया है।

विवरण

ग्रामीण विकास योजनाओं पर वृत्त–चित्रों के संबंध में

क्र.सं.	वर्ष	निर्मित श्रव्य–दृश्य साफ्टवेयर	व्यय (लाख रु. में)	एजेंसी
1.	1997–1998	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 3 विडियो स्पॉट	12.75	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
2.	1998–1999	कोई नहीं		कोई नहीं
3.	1999–2000	कोई नहीं		कोई नहीं
4.	2000–2001	(i) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 3 विडियो स्पॉट	9.43	(i) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
		(ii) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 5 वृत्त चित्र	12.50	(ii) गायत्री कम्युनिकेशन्स
5.	2001–2002	हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 182 विडियो स्पॉट और 1006 आधे–आधे घंटे के कार्यक्रम	2198.15	प्रसार भारती

जेल नियमावली संबंधी समिति

***30. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने एक आदर्श जेल नियमावली बनाने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन–कौन हैं और प्रत्येक सदस्य किस क्षेत्र में विशेषज्ञ है;

(ग) क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया गया है या समिति के विचारण हेतु संबंधित मुद्दों पर उनकी राय ली जाती है;

(घ) क्या ऐसे विशेषज्ञों को जो जेल प्रशासन में समुचित चिकित्सा सुविधाओं और भोजन के अभाव, मानवाधिकारों का उल्लंघन, जेल अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार आदि जैसी खामियों से परिचित हैं, उनको भी समिति में शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने, आदर्श जेल नियमावली तैयार करने के लिए, जिसे सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाया जा सकता है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में, इसके महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का

गठन किया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के निदेश (आर. एण्ड डी.) इस समिति के सह–अध्यक्ष हैं और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहायक निदेशक इसके सदस्य सचिव हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तामिलनाडु राज्यों के जेल विभागों के प्रमुख और तीन बाहरी ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ, सुधारात्मक प्रशासन, अपराध शास्त्र और मानवाधिकार प्रत्येक क्षेत्र का एक–एक विशेषज्ञ समिति के सदस्य हैं। समिति ने आदर्श जेल नियमावली तैयार करने में उसकी सहायता करने के लिए, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जेल विभागों के अधिकारियों को लेकर 6 कार्यकारी ग्रुप गठित किए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों को समिति के सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

समिति के सदस्य और कार्यकारी ग्रुप के सभी अधिकारी अनुभवी और विशेषज्ञ हैं और ये जेल में वर्तमान मूलभूत सुविधाओं और प्रशासन की खामियों से भलीभांति परिचित हैं। तथापि, समिति को, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी को सहयोजित सदस्य के रूप में लेने की शक्तियां प्राप्त हैं।

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलना

*31. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री सुरेश चन्देल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्यवार कितने केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नवोदय विद्यालय अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) उन केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का राज्य वार ब्यौरा क्या है जहां पर भवन और मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं; और

(च) ऐसे केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) नवोदय विद्यालय योजना में प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है। इन राज्यों के जिलों को छोड़कर देश में 74 जिले ऐसे हैं जिनमें इस समय जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, इनमें कुछ नये सृजित जिले भी हैं। इन 74 जिलों का राज्यवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है। 10वीं योजना के दौरान नवोदय विद्यालय समिमि का इन सभी 74 जिलों में नवोदय विद्यालय खोलने को प्रस्ताव है। 10वीं योजना के दौरान योजनागत निधियों से केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) से (घ) सामान्यतया नवोदय विद्यालयों ने बोर्ड परीक्षा परिणामों की मात्रा तथा गुणवत्ता, विभिन्न सह–पाठ्यचर्या संबंधी कार्यकलापों में बच्चों की भागेदारी, खेलकूद और अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित पैरामीटरों को पूरा किया है। तथापि, कुछ स्कूल अपर्याप्त आवास, अवसंरचना संबंधीं सुविधाओं के अभाव में छात्रों को लक्षित संख्या में दाखिला नहीं दे पाए हैं।

अवरांरचना संबंधी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपेक्षित भूखंड का हस्तांतरण शीघ्र करें।

(ii) उन निर्माण एजेंसियों के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है जिन एजेंसियों को भवन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि निर्माण कार्य की प्रगति पर गहन मानीटरिंग की जा सके।

(ङ) और (च) 435 कार्यरत जवाहर नवोदय विद्यालयों में से 332 विद्यालय स्थायी स्थलों पर अपने भवनों में कार्य कर रहे हैं। जहां भूमि प्रदान नहीं की गई है या भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, ऐसे 103 जवाहर नवोदय विद्यालय संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये अस्थाई भवनों में कार्य कर रहे हैं। तथापि, इन विद्यालयों में अस्थायी स्थलों पर भी पानी, सफाई, विद्युत आदि जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

अस्थायी भवनों में कार्य कर रहे 103 जवाहर नवोदय विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। इनमें से अधिकांश विद्यालयों में स्थायी भवनों का निर्माण कार्य 2004 तक पूरा होने की आशा है।

जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का संबंध है, इस समय 843 केन्द्रीय विद्यालयों में से 614 केन्द्रीय विद्यालय स्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं। शेष 229 केन्द्रीय विद्यालयों में से 104 केन्द्रीय विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है और विद्यालयों का निर्माण कार्य अगले दो वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है। 43 केन्द्रीय विद्यालयों में भवन निर्माण कार्य आयोजना स्तर पर है और 82 विद्यालयों में प्रायोजक एजेंसियों द्वारा उपयुक्त भूमि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को अभी उपलब्ध कराई जानी है ताकि वहां पर स्थायी विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जा सके। तथापि जब तक शेष 229 विद्यालयों के लिए स्थायी विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए शर्तों के अनुसार प्रायोजक एजेंसियों द्वारा भवन तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

विवरण-I

जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा शामिल न किये गये 74 जिलों का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	04
3.	असम	03
4.	बिहार	02
5.	छत्तीसगढ़	06
7.	गुजरात	08
8.	हरियाणा	03
9.	केरल	01
10.	मध्य प्रदेश	03
11.	झारखंड	01
12.	महाराष्ट्र	06
13.	मेघालय	01
14.	मिजोरम	04
15.	नागालैंड	01
16.	उड़ीसा	08
17.	राजस्थान	01
18.	सिक्किम	01
19.	त्रिपुरा	01
20.	उत्तरांचल	04
21.	उत्तर प्रदेश	08
	कुल	74

विवरण-II

अस्थाई भवनों में कार्य कर रहे 103 जवाहर नवोदय विद्यालयों का राज्य–वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अस्थाई भवनों में कार्य कर रहे जवाहर नवोदय विद्यालय
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	02
2.	मध्य प्रदेश	03

1	2	3
3.	उड़ीसा	06
4.	हिमाचल प्रदेश	02
5.	जम्मू एवं कश्मीर	03
6.	पंजाब	01
7.	अंदमान और निकोबार द्वीप	01
8.	कर्नाटक	06
9.	केरल	01
10.	हरियाणा	02
11.	राजस्थान	04
12.	उत्तर प्रदेश	15
13.	उत्तरांचल	03
14.	बिहार	14
15.	झारखंड	07
16.	गुजरात	03
17.	महाराष्ट्र	03
18.	अरुणाचल प्रदेश	05
19.	असम	12
20.	मणिपुर	01
21.	मेघालय	03
22.	नागालैंड	03
23.	सिक्किम	02
24.	त्रिपुरा	01
	कुल	103

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका

*32. **श्री राजो सिंह :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा राज्यवार क्या भूमिका अदा की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को शामिल किया जाता है और इन्हें परियोजनाओं की योजना बनाने तथा इन्हें तैयार करने, गतिविधि समूहों की पहचान करने, ढांचागत योजना बनाने, स्व-सहायता समूहों के गतिविधि का चयन और क्षमता निर्माण करने में गहन रूप से शामिल किया जाता है, इसमें वैयक्तिक स्वरोजगारियों का चयन और ऋण वसूली सहित लेने से पूर्व तथा ऋण लेने के बाद की निगरानी भी शामिल है।

बैंकों द्वारा स्वरोजगारियों को ऋण संबंधी पास बुक जारी किया जाना आवश्यक है, जिसमें उन्हें दिए गए ऋणों के ब्यौरे होंगे, ये बैंक उन्हें एक बार के ऋण के बजाय अनेक बार भी ऋण उपलब्ध करायेंगे। बैंक शाखाओं को सप्ताह में एक दिन गैर-सार्वजनिक व्यापार कार्य दिवस के रूप में मनाना होता है ताकि स्टाफ क्षेत्रों में जाएं और स्वरोजगारियों की समस्या को सुलझा सकें। बैंकों को स्वरोजगारियों द्वारा प्रस्तुत सम्पत्तियों की गुणवत्ता की जांच और उचित निगरानी सुनिश्चित करनी होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन्हें सलाह दी गयी है कि वे एस.जी.एस.वाई. स्वरोजगारियों को दिए जाने वाले ऋण की आवधिक समीक्षा व निगरानी के लिए क्षेत्रीय/जोनल कार्यालयों में एस.जी.एस.वाई. प्रकोष्ठों का गठन करें। एस.जी.एस.वाई के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियों के बीच अपेक्षित सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए योजना में बैंकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ ब्लॉक/जिला/राज्य और केन्द्र स्तरों पर समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत वितरित किए गए ऋणों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1999–2000 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण की राज्यवार राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावन	इलाहाबाद बैंक	आन्ध्रा बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	कैनरा बैंक	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	1201.60		1116.23					11.39	935.81	72.08	55.53		264.00	89.10
2.	अरुणाचल प्रदेश														
3.	असम	88.76								17.87					6.00
4.	बिहार	1628.34							432.53		274.89	950.98	164.3		693.39
5.	गोवा														
6.	गुजरात	328.18					246.36				768.58	96.96	6.32		130.64
7.	हरियाणा	447.67	0.48	1.50	0.77	273.62			32.57		14.07	23.77		73.51	183.01
8.	हिमाचल प्रदेश	असूचित													
9.	जम्मू और कश्मीर	असूचित													
10.	कर्नाटक	असूचित													
11.	केरल	396.25						1090.69		5.87	44.55	117.75		391.43	109.22
12.	मध्य प्रदेश	3551.74	0.75		1271.85				313.25		162.52	1007.08	262.29	31.71	2026.50
13.	महाराष्ट्र	2739.64		245.87	123.28		709.93	1429.74	2480.14	88.40	1435.47				
14.	मणिपुर	असूचित													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	मेघालय	असूचित													
16.	मिजोरम														
17.	नागालैंड	असूचित													
18.	उड़ीसा	2766.64							164.09	138.20	134.00	926.52		188.17	76.44
19.	पंजाब	35.65				57.65			5.85		0.75			6.85	2.72
20.	राजस्थान	397.77	2018.05		2.95	7.11			32.90		973.95	34.54		4.24	145.19
21.	सिक्किम	असूचित													
22.	तमिलनाडु	1465.65												1043.23	
23.	त्रिपुरा	264.81													3.78
24.	उत्तर प्रदेश	1036.44							400.34		420.32	138.18		86.67	148.63
25.	पश्चिमी बंगाल	असूचित													
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप	असूचित													
27.	दमण और दीव	असूचित													
28.	दादरा और नागर हवेली	असूचित													
29.	लक्षद्वीप														
30.	पांडिचेरी	8.72			*						0.53				
	कुल	16457.86	2019.28	1363.60	1275.57	338.38	246.36	1090.69	1516.20	1079.88	3594.04	4780.05	2748.75	2342.59	5050.09

*बैंक वार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

1999–2000 के दौरान एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण की राज्यवार राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉरपोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीस बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब एंड सिन्ध बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक इंडिया	यू५.। बैंक	विजया	कुल
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	आन्ध्र प्रदेश	89.48	16.18	212.04	213.73		31.58		451.38	211.32		10.70	54.16	1290.57
2.	अरुणाचल प्रदेश													6.49*
3.	असम			41.89	2.06		93.73			7.30	36.83			181.81
4.	बिहार			28.70	6.69		1013.27	3.11	35.27	1.49	212.43	136.29		1584.76
5.	गोवा													0.00
6.	गुजरात		316.59	7.15	12.00		5.86		9.58	84.58		14.89		450.65
7.	हरियाणा	369.11	3.10	8.51	144.80		960.24	41.22	93.66	36.02	16.95	58.63		1732.24
8.	हिमाचल प्रदेश													0.00
9.	जम्मू और कश्मीर													0.00
10.	कर्नाटक													0.00
11.	केरल	62.09		154.76	218.53		16.39		101.40		202.71	20.30	63.11	839.29
12.	मध्य प्रदेश		153.66	8.70		42.80	691.70	20.47	52.54	410.94		214.09		1594.90
13.	महाराष्ट्र		264.09	64.61			85.87		139.64	492.53		62.54		1109.28
14.	मणिपुर													0.00
15.	मेघालय													0.00

1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16.	मिजोरम													0.00
17.	नागालैंड													0.00
18.	उड़ीसा			206.09	390.35		217.92		114.78	111.44	589.65	895.45		2525.68
19.	पंजाब		0.90	1.44		12.30	77.27	41.10			7.50	18.25		158.76
20.	राजस्थान				15.60	138.33	912.07	19.60			111.62	176.87		1374.09
21.	सिक्किम													8.18*
22.	तमिलनाडु			1171.97	1173.77									2345.73
23.	त्रिपुरा										418.56	69.41		487.97
24.	उत्तर प्रदेश				31.88	124.25	424.17		121.29	142.90				844.49
25.	पश्चिमी बंगाल													0.00
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप													0.00
27.	दमण और दीव													0.00
28.	दादरा और नागर हवेली													0.00
29.	लक्षद्वीप													0.00
30.	पांडिचेरी			7.12	3.05							7.29		26.71
	कुल	520.68	754.52	1912.98	2212.46	317.68	4530.07	125.50	1119.54	1646.03	1596.25	1684.71	117.27	16553.42

*बैंक वार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

2000–2001 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण की राज्यवार राशि

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	इलाहाबाद बैंक	आन्ध्रा बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	कैनरा बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	1136.19		592.56				136.70	838.52	100.65	157.01	43.90	196.20	165.70
2.	अरुणाचल प्रदेश													
3.	असम	306.41						9.80		2.43	4.80			7.20
4.	बिहार	2557.17						769.49		406.58	441.02		257.38	1455.52
5.	छत्तीसगढ़	असूचित												
6.	गोवा													
7.	गुजरात	543.05					462.02			1037.31	217.61	9.69		196.79
8.	हरियाणा	577.41	1.27		1.23	341.46		64.98		23.40	23.26		141.85	252.41
9.	हिमाचल प्रदेश	असूचित												
10.	जम्मू और कश्मीर	असूचित												
11.	झारखंड	असूचित												
12.	कर्नाटक	असूचित												
13.	केरल													
14.	मध्य प्रदेश	2568.85	1.13		1463.45			319.43		145.93	1196.75	555.43	34.24	1960.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	महाराष्ट्र	3284.55		698.77				128.28		717.64	1357.54	2685.55	128.58	2175.97
16.	मणिपुर	असूचित												
17.	मेघालय													
18.	मिजोरम	2.62												
19.	नागालैंड													
20.	उड़ीसा	3025.46						221.24	367.92	133.83	631.82		139.52	161.58
21.	पंजाब	300.77				302.07		9.25		26.43	51.92		86.08	66.77
22.	राजस्थान	657.93	2590.66		1.35	6.79		44.84		1305.08	106.70		18.75	277.35
23.	सिक्किम													
24.	तमिलनाडु	1515.72											809.63	
25.	त्रिपुरा	486.89												29.34
26.	उत्तर प्रदेश	2369.96						1615.75		1305.56	288.06	317.81	465.69	
27.	उत्तरांचल	असूचित												
28.	पश्चिमी बंगाल	195.65						39.85		14.32	3.22			46.97
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1.65												
30.	दमण और दीव													
31.	दादरा और नागर हवेली	असूचित												
32.	पांडिचेरी	1.44												
	कुल	19531.71	2593.06	1291.22	1466.03	650.32	462.02	3359.61	1206.44	5219.71	4479.71	3612.38	2284.32	6796.19

*बैंक वार जारकारी उपलब्ध नहीं है।

2000–2001 के दौरान एस.जी.एस.वाई के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण की राज्यवार राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉरपोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीस बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब एंड सिन्ध बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	यूको बैंक	विजया बैंक	कुल
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	आन्ध्र प्रदेश	137.70	69.80	379.10	252.95		87.10		249.48	120.65		67.90	120.95	4853.06
2.	अरुणाचल प्रदेश													47.04*
3.	असम			5.07	0.96		69.70				110.83	84.85		602.05
4.	बिहार			66.09	19.85		1745.39		14.42	436.15	236.36	810.53		9215.95
5.	छत्तीसगढ़													0.00
6.	गोवा													0.00
7.	गुजरात		612.61	9.71	19.36		12.62		35.85	153.97		40.04		3350.63
8.	हरियाणा		2.72	14.12		277.23	1176.52	76.85	141.59	43.98		69.75	0.49	3230.52
9.	हिमाचल प्रदेश													0.00
10.	जम्मू और कश्मीर													0.00
11.	झारखंड													0.00
12.	कर्नाटक													0.00
13.	केरल								139.45	247.29		13.56	46.40	446.70
14.	मध्य प्रदेश		38.64	2.18		98.28	691.92	39.30	61.17	618.76		205.40		10001.44
15.	महाराष्ट्र		409.49	62.99			138.00		138.24	656.10		93.07		12674.77

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16.	मणिपुर													0.00
17.	मेघालय													0.00
18.	मिजोरम													2.62
19.	नागालैंड													0.00
20.	उड़ीसा			261.79	499.62		258.02		86.86	148.87	431.39	1136.11		7504.03
21.	पंजाब		4.57	13.79	12.42	147.86	670.61	366.79	3.50		51.95	108.89	0.48	2224.15
22.	राजस्थान		4.97		19.14	168.47	1371.93	36.93			113.00	346.28	4.00	7074.17
23.	सिक्किम													8.18*
24.	तमिलनाडु			1308.69	1254.58									4888.61
25.	त्रिपुरा										602.57	112.10		1230.90
26.	उत्तर प्रदेश				231.26	260.95	1334.34		337.18	474.87				9001.43
27.	उत्तरांचल													0*
28.	पश्चिमी बंगाल			5.76	1.75	8.51	35.83		0.93	33.77	36.69	14.42		444.07
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप								0.30					1.95
30.	दमण और दीव													0.00
31.	दादरा और नागर हवेली													0.00
32.	लक्षद्वीप													0.00
33.	पांडिचेरी			2.02										3.46
	कुल	137.70	1142.80	2131.31	23.1189	961.30	7591.98	519.87	1208.97	2934.41	1582.79	3102.90	172.32	76805.73

*बैंकवार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

2001–2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण की राज्यवार राशि

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	इलाहाबाद बैंक	आन्ध्रा बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	कैनरा बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आन्ध्र प्रदेश	607.05		647.40				145.84	780.00	181.35	149.10	75.50	227.35	173.29
2.	अरुणाचल प्रदेश													
3.	असम	251.84						133.93		45.00	90.36		131.98	196.23
4.	बिहार	3921.06						915.57		328.98	563.85		472.60	2064.31
5.	छत्तीसगढ़	1818.45			100.74			141.42		101.60	35.20	44.77	15.24	661.61
6.	गोवा	असूचित												
7.	गुजरात	403.47					421.16			646.16	183.08	5.90		
8.	हरियाणा	300.55		0.91	0.26	172.39		34.38		10.48	6.58		68.90	122.85
9.	हिमाचल प्रदेश	असूचित												
10.	जम्मू और कश्मीर	160.41												2.50
11.	झारखंड	असूचित												
12.	कर्नाटक	असूचित												
13	केरल													
14.	मध्य प्रदेश	2682.66	2.87		1616.89			419.51		134.64	1609.40	539.86	49.13	2365.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	महाराष्ट्र	4064.88		693.99				137.65		678.73	1773.49	2834.25	122.70	2227.55
16	मणिपुर	असूचित												
17.	मेघालय	असूचित												
18.	मिजोरम													
19.	नागालैंड	असूचति												
20.	उड़ीसा	2161.20						133.52	230.97	65.69	306.64		80.62	132.06
21.	पंजाब	238.43				307.74		9.60		9.03	36.74	1.03	46.14	59.45
22.	राजस्थान	519.85	2275.74		7.25			31.21		971.76	104.59		13.69	265.77
23.	सिक्किम	260.06									1.76			52.21
24.	तमिलनाडु	646.36											462.13	
25.	त्रिपुरा	690.38												303.43
26.	उत्तर प्रदेश	2248.60				1.65		1414.72		1271.63	647.50		190.22	659.98
27.	उत्तरांचल	असूचित												
28.	पश्चिमी बंगाल	342.96						226.78		36.86	88.86		5.33	53.35
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	2.89												
30.	दमण और दीव	असूचित												
31.	दादरा और नागर हवेली	असूचित												
32.	लक्षद्वीप	असूचित												
33.	पांडिचेरी	6.80												
	कुल	21327.90	2278.61	1342.30	1725.14	481.78	421.16	3744.13	1010.97	4481.91	5596.95	3502.31	1886.03	9339.83

*बैंकवार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

2001–2002 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वितरित किये गये ऋण की राज्यवार राशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉरपोरेशन बैंक	देना बैंक	इंडियन बैंक	इंडियन ओवरसीस बैंक	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब एंड सिन्ध बैंक	सिंडिकेट बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	यूको बैंक	विजया बैंक	कुल
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	आन्ध्र प्रदेश	188.24	94.60	365.90	259.50		117.97		274.05	139.60		117.60	139.00	4683.34
2.	अरुणाचल प्रदेश													93.71*
3.	असम			5.49	78.55		71.82			295.75	270.93	311.23	33.64	1916.75
4.	बिहार			91.44			2554.53		84.68	143.96	478.31	804.36		12423.65
5.	छत्तीसगढ़		622.04	21.95		8.25	349.18	5.76		92.04	51.31			4069.56
6.	गोवा													0.00
7.	गुजरात		540.36	7.80	16.10		11.54		9.10	95.35		28.30		2368.32
8.	हरियाणा	0.00	1.77	6.38		140.99	638.99	38.12	86.48	21.93		43.09		1695.05
9.	हिमाचल प्रदेश													0.00
10.	जम्मू और कश्मीर						99.99					1.78		264.68
11.	झारखंड													0.00
12.	कर्नाटक													0.00
13.	केरल								75.48		131.34	13.50	41.72	262.04
14.	मध्य प्रदेश		25.33	18.46		104.62	929.74	31.78	35.98	846.75		340.45		11753.31
15.	महाराष्ट्र		457.77	91.21			112.73		129.45	712.37		80.76		14118.53

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16.	मणिपुर													0.00
17.	मेघालय													0.00
18.	मिजोरम													0.00
19.	नागालैंड													0.00
20.	उड़ीसा			159.76	318.62		131.97		65.48	80.06	303.52	748.23		4918.34
21.	पंजाब	0.25	2.50	20.46	13.25	120.17	462.68	262.67	7.07	31.49		68.06	0.30	1697.06
22.	राजस्थान		5.18		14.63	126.71	1145.57	23.47			99.45	247.21	4.95	5857.03
23.	सिक्किम									10.89	9.40		0.20	334.52
24.	तमिलनाडु			738.32	627.52									2474.33
25.	त्रिपुरा										667.44	75.74		1736.99
26.	उत्तर प्रदेश		96.93	2.26	71.12	206.70	1329.53	40.12	251.04	973.04	27.64	189.58	10.80	9633.06
27.	उत्तरांचल													0.00*
28.	पश्चिमी बंगाल			5.50	13.83	17.66	29.42		10.42	50.81	200.51	173.04		1255.13
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप								1.40					4.29
30.	दमण और दीव													0.00
31.	दादरा और नागर हवेली													0.00
32.	लक्षद्वीप													0.00
33.	पांडिचेरी			4.46								0.98		12.24
	कुल	188.49	1846.48	1539.39	1413.12	725.10	7985.66	401.92	1030.63	3494.04	2239.85	3243.91	230.61	81571.93

*बैंकवार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

निजी कंपनियों द्वारा अवैध खनन

***33. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) के अंतर्गत, इस समय स्थानवार कितनी कोयला खानें हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कोयला-खनन क्षेत्र में कतिपय निजी कंपनियां विशेषकर टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड अवैध खनन में संलिप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी क्षेत्र की कोयला खानों द्वारा नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस उल्लंघन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) के अंतर्गत इस समय सात कार्यशील खानें हैं। दो खानें झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले के वेस्ट बोकारो क्षेत्र में स्थित हैं, शेष पांच खानें झारखंड राज्य में धनबाद जिले के जामदोबा, पिट 6 और 7, डिगवाडीह, सिजुआ और भेलटांड क्षेत्रों में प्रत्येक में एक-एक स्थित हैं।

(ख) और (ग) हालांकि, कतिपय निजी क्षेत्र की कोयला कंपनियों द्वारा अवैध खनन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु एक मामले को छोडकर, आगे जांच करने पर इन्हें प्रमाणित नहीं पाया गया। टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड के कोयले के अवैध खनन में शामिल होने के बारे में इस विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) लागू अधिनियमों तथा नियमों के खनन से संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं तथा मानदंड और उनके उल्लंघन के लिए आर्थिक दण्ड तथा सजा के प्रावधान हैं। कोयला खनन में लगी निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अवैध खनन में शामिल होने के बारे में कोयला विभाग में प्राप्त शिकायतों की उस क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई. एल.) की प्रचालनरत सहायता कोयला कंपनी, कोयला नियंत्रक के कार्यालय और अथवा संबंधित राज्य सरकार की सहायता से विभाग द्वारा जांच की जाती है।

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

***34. श्री अरूण कुमार :**

डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कई अन्य योजनाओं का विलय करके आरंभ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं के विलय का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के मार्ग निर्देशों में कतिपय परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रस्तावित परिवर्तनों से इस योजना के कार्यान्वयन में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है;

(च) क्या दिल्ली में ग्रामीण गरीब लोगों के लिए "कटिंग" और "टेलरिंग" का प्रशिक्षण बंद कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली में इस योजना को पुनः शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(पूर्ववर्ती) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर. डी.पी.) ग्रामीण्य युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार-किटों की आपूर्ति (सिट्रा) और गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई) को पुनर्गठित कर अप्रैल, 1999 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गयी थी। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों (स्वरोजगारियों) को स्व-सहायता समूहों

में संगठित कर, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया के जरिए उनका प्रशिक्षण एवं क्षमता–निर्माण करके और बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के मेल से आयोपार्जक परिसम्पत्तियों का प्रावधान कर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। समुचित सम्पर्कों के अभाव के अतिरिक्त, पूर्ववर्ती कार्यक्रमों का कार्यान्वयन स्थायी आयोपार्जन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केन्द्रित होने की बजाय वैयक्तिक कार्यक्रम की ओर विशेष उन्मुख था।

2. जून, 2001 में हुई "एस.एच.जी. मूवमेंट इन दि कन्ट्री एण्ड दि एस.जी.एस.वाई" के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों, दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रदेशों से प्राप्त सुझावों के परिप्रेक्षय में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा–निर्देशों के संबद्ध भागों में हाल ही में विशेष संशोधन किए हैं। संशोधनों का एक सार अनुबंध में संलग्न है और ऐसी आशा की जाती है कि संशोधित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जा रही अधिकतम लोचता के साथ कार्यक्रम को क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकेगा।

3. इस कार्यक्रम को दिल्ली में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

अनुबंध

संशोधनों का सार

प्रमुख गतिविधियों की संख्या : प्रत्येक ब्लॉक के लिए 4–5 प्रमुख गतिविधियों का पहले का प्रावधान काफी प्रतिबंधित था। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कवरेज को आसान बनाने के लिए एक ब्लॉक में चुनी गई प्रमुख गतिविधियों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। तथापि, 4–5 गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिनकी अधिकांश समूहों के लिए वांछित पूर्वापर संबंध के साथ समूह दृष्टिकोण में प्रशिक्षण और माइक्रो इण्टरप्राईज विकास के लिए पहचान की गई हो।

आर्थिक गतिविधि से आय : स्वरोजगारियों द्वारा शुरू की गई आर्थिक गतिविधि से आय में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए जो लंबे समय तक जारी रहे जिससे स्वरोजगारियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने मे मदद मिलेगी। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि परियोजना में निर्धारित अनुमानित आय परियोजना अवधि के दौरान ही प्राप्त हो और परियोजनाओं का कम वित्तपोषण न किया जाए।

स्व-सहायता समूह का आकार : आमतौर पर एक स्व–सहायता समूह 10–20 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। तथापि, मरूभूमि, पहाड़ी तथा बिखरी एवं छितरी आबादी वाले क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में और लघु सिंचाई और अपंग व्यक्ति के मामले में, 5–20 व्यक्ति वाले स्व–सहायता समूहों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। राज्य स्तरीय एस.जी.एस.वाई. समिति द्वारा दुर्गम क्षेत्रों की पहचान की जानी है।

स्व-सहायता समूह की संरचना : समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के होने चाहिए। तथापि, गांवों में यह देखा गया है कि कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर हैं और बी पी एल परिवारों के निकट ही निवास करते हैं। ऐसे परिवारों की आय विपत्ति के समय घट–बढ़ सकती है। इसलिए स्व–सहायता समूह में ऐसे परिवारों को शामिल करने के लिए, दिशा–निर्देशों में संशोधन किए गए हैं ताकि आवश्यक होने पर, बी पी एल परिवारों के निकट निवास करने वाले गरीबी रेखा से थोड़े से ऊपर के परिवारों में से समूह में अधिकतम 20 प्रतिशत सदस्यों और आपवादात्मक मामलों में, जहां अत्यधिक आवश्यक हो अधिकतम 30 प्रतिशत सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी जा सके, यदि समूह के बी पी एल सदस्यों को एतराज न हो। समूह के ए पी एल सदस्य योजना के अंतर्गत सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे और समूह के पदाधिकारी पद पर (समूह लीडर, सहायक समूह लीडर या खजांची) नहीं होंगे। बी पी एल परिवार प्रबंधन और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेंगे जो कि पूर्ण रूप से ए पी एल परिवारों के हाथों में नहीं होना चाहिए।

प्रेरकों/सामुदायिक समन्वयकों की सेवा का उपयोग करने के लिए प्रावधान :

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक प्रक्रिया–उन्मुखी योजना है। अतः मददगारों की भूमिका लोगों की सामाजिक जागरूकता, स्व–सहायता समूहों के गठन एवं प्रगति में अत्यंत निर्णायक है। देश के कई क्षेत्रों में गैर–सरकारी संगठन विद्यमान नहीं हैं, जिन्हें मददगारों के रूप में शामिल किया जा सके। इस पक्ष को ध्यान में रखते हुए, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को छूट दी जाती है कि वे प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं को मददगारों के रूप में प्रयोग कर सकें। जिला स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति उपयुक्त संगठनों/सोसायटियों/

व्यक्तियों को स्व–सहायता समूह के गठन, सामुदायिक या इसी तरह के अन्य कार्य में उनके पुराने अनुभव के आधार पर, जिसमें उनका सहभागितापूर्ण अभिगम, संचार कौशल, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ रहने की क्षमता आदि शामिल हो, को मददगारों/सामुदायिक समन्वयकों के रूप में चुन सकती है। उन्हें समूह के साथ 2–3 वर्षों तक रहना होगा, जिससे निरन्तरता सुनिश्चित हो सके और समूह स्व–प्रबंधित संगठनों के रूप में विकसित हो सके। एक सामुदायिक समन्वयक/प्रेरक को 4–5 किलो मीटर के दायरे में 4–5 गांवों को शामिल कर एक भौगोलिक क्षेत्र में 10–15 स्व–सहायता समूहों के प्रबंधन का उत्तरदायित्व लेना चाहिए।

निधियों के उपयोग में लचीलापन : एस.जी.एस.वाई. एक प्रक्रियोन्मुख योजना है, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन और समूह निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हो सकते हैं। बुनियादी अभिमुखीकरण, क्षमता विकास, उद्यम विकास, स्व–सहायता समूहों की आवर्ती निधि और आर्थिक गतिविधि के लिए सब्सिडी सहित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक निधि प्रत्येक राज्य में अलग–अलग होगी। डी.आर.डी.ए. विभिन्न घटकों जैसे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आवर्ती निधि तथा स्थानीय आवश्यकताओं और समूह निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित आर्थिक गतिविधि के लिए सब्सिडी पर व्यय को प्राथमिकता दे सकते हैं। तथापि, आधारभूत संरचना पर व्यय कुल वार्षिक आवंटन के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत)।

विपणन अनुसंधान/उत्पादों में मूल्यवृद्धि से संबंधित अध्ययनों के लिए प्रावधान :

विपणन अनुसंधान, मूल्य संवर्द्धन या उत्पादों के अन्य उपयोग या अन्य कोई निवेश से जुड़े व्यवसायिक निवेश के प्रबंधन पर योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों में से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि खर्च की जा सकती है जो उपयुक्त परियोजनाओं के संचालन और उत्पादों के विपणन में सुविधा प्रदान करेगा। इससे स्वरोजगारियों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी और मॉडल का विकास होगा जिनको फिर से तैयार किया जा सकेगा।

स्व-सहायता समूहों और अपंग व्यक्तियों के लिए अनुदान (सब्सिडी) मानदण्ड :

एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत सब्सिडी, परियोजना लागत के 30 प्रतिशत पर एक समान होगी जो अधिकतम 7500 रुपए तक होगी। तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अपंग व्यक्तियों के मामले में यह क्रमशः 50 प्रतिशत और 10,000 रुपए होगी। स्वरोजगारियों के समूह के लिए सब्सिडी, परियोजना लागत की 50 प्रतिशत होगी बशर्ते कि प्रतिव्यक्ति सब्सिडी 10,000 रुपए या 1.25 लाख रुपए, जो भी कम हो, हो। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं होगी।

प्रशिक्षण पर व्यय :

बुनियादी अभिमुखीकरण और क्षमता विकास प्रशिक्षण दोनों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति एस.जी.एस.वाई. निधि से करने के लिए डी.आर.डी.ए. अधिकृत होगा। बुनियादी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में, स्व–सहायता के सिद्धांत, समूह सक्रियता, विवाद समाधान, समूह बैठकों का संचालन, अभिलेखों के रखरखाव, सामाजिक एवं पारिवारिक कल्याण कार्यक्रमों आदि के बारे में जागरूकता संबंधी विषय शामिल होंगे। क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण में अद्यतन औजार और प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन, मूल्य संवर्द्धन और उत्पादों के अन्यत्र उपयोग, उद्यम विकास, विपणन क्षमता, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि के जरिए क्षमता संवर्द्धन शामिल होगा।

बुनियादी अभिमुखीकरण और क्षमता विकास प्रशिक्षण पर कुल व्यय प्रति प्रशिक्षणार्थी 5000 रुपए से अधिक नहीं होगा।

स्वरोजगारियों के लिए मेला और प्रदर्शनियों पर व्यय :

मेले और प्रदर्शनी आयोजित करने और मेलों तथा प्रदर्शनियों में स्वरोजगारियों की भागीदारी पर हुए व्यय को एस.जी.एस.वाई. कार्यक्रम आधारभूत संरचना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से पूरा किया जा सकता है।

स्व-सहायता समूहों के ग्रेडिंग के लिए समय की छूट :

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए, द्वितीय ग्रेडिंग के लिए समय की छूट की अनुमति होगी, यदि समूह विश्वसनीय पाया गया हो तथा परियोजना उपर्युक्त हो। छूट से संबंधित निर्णय प्रखण्ड स्तर की एस.जी.एस.वाई. समिति द्वारा लिया जायेगा।

अगर अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत एस.जी.एस.वाई. के पहले स्व सहायता समूह अस्तित्व में रहा हो और अपने गठन की तिथि से 6/12 महीने पूरे कर लिए हों तथा इसे एस.जी.

एस.वाई. के अंतर्गत लाया गया हो तो क्रमशः आवर्ती निधियों/आर्थिक गतिविधि की स्वीकृति के लिए अन्य 6/12 महीने प्रतीक्षा किये बिना ऐसे समूह प्रथम/द्वितीय ग्रेडिंग के हो सकते हैं।

परीक्षा प्रणाली

***35. श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 2002 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य समकक्ष परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा से पूर्व और पश्चात् पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों की तुलना में कितने विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की खामियों तथा अवसाद के लिए उत्तरदायी वातावरण का अध्ययन किया है जिसके कारण विद्यार्थियों को आत्महत्या करनी पड़ती है; और

(ग) परीक्षा प्रणाली तथा समग्र वातावरण को सुधारने और संशोधित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद परीक्षओं से संबंधित आत्महत्या के कुछ मामलों की खबर अखबारों में छपी थी। तथापि, इससे संबंधित आंकड़े इस मंत्रालय को नहीं भेजे जाते हैं। अवसाद और आत्महत्या से संबंधित मामलों के कई कारण हैं जिनमें शामिल हैं– विद्यार्थी का अपना व्यक्तित्व, तेजी से बदलती सामाजिक गतिकी, घर का वातावरण, बच्चों द्वारा परिवार की मांगों और अपेक्षाओं को पूरा न कर पाना, साथी समूहों का दबाव और ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्याशियों की बढ़ती हुई संख्या के मुकाबले कैरियर के बहुत ही सीमित अवसर होना और कैरियर के लिए परीक्षाओं का मुख्य निर्धारक होना।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं, जैसे :

- विद्यालयों में तनाव रहित वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था।
- जीवन कौशल शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के बारे में निर्णय लिया गया है।
- छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम करने के उद्देश्य से प्राप्तांकों के समग्र जोड़ की प्रणाली को समाप्त करना।
- व्यापक एवं सतत स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था शुरू करना।
- कक्षा X में दो विषयों और कक्षा XII में एक विषय में कम्पार्टमेंट परीक्षा की सुविधा प्रदान करना।
- कक्षा X और कक्षा XII के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा के तीन अवसर देना।
- विज्ञान और गणित जैसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों में प्रश्नों की पुनर्संरचना।
- नमूना प्रश्न पत्रों और अंकन योजनाओं को प्रकाशित करना जिससे शिक्षक और छात्र प्रश्नों और प्रश्न पत्रों के प्रकारों से परिचित हो सकें।

इसी प्रकार, भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद ने कई कदम उठाए हैं, जैसे– माध्यमिक स्तर पर विषयों के चयन में उदारता बरतना, आंतरिक मूल्यांकन, निर्धारित पाठ्यक्रम इत्यादि को अद्यतन बनाने और इसे संशोधित करने में स्कूलों/शिक्षकों को अनवरत रूप से शामिल करना ताकि अध्ययन सुविधाजनक बनाया जा सके और छात्रों पर दबाव को कम किया जा सके।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, मनःचिकित्सकों और स्कूलों के अनुभवी प्रधानाचार्यों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर टेलीकाउंसलिंग भी शुरू की है। परीक्षा के पहले और परीक्षा के दौरान तथा परिणाम घोषित होने के दौरान भी इसकी व्यवस्था की जाती है ताकि छात्रों में चिन्ता और तनाव की अनुभूति को खत्म किया जा सके। वर्ष 2002 की परीक्षाओं के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश के अन्दर और देश से बाहर 31 केन्द्रों से हेल्पलाइन शुरू की थी। इस संबंध में माता–पिता को काउंसलिंग देने के महत्व को देखते हुए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने

अपने से सम्बद्ध सभी स्कूलों को ऐसे काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के लिए लिखा है।

ग्रामीण विकास योजनाओं संबंधी प्रगति

*36. **श्री राम मोहन गाड्डे :**

प्रो. रासासिंह रावत :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2002 के "दि हिन्दू" में "मिनिस्ट्री अनहैप्पी ओवर स्लो प्रोग्रेस रूरल प्रोजेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार समीक्षा के क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी निधियों के संबंध में पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में योजनावार और राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) शेष निधियां राज्यों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन की नियमित समीक्षा करता है। मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए निधियों की रिलीज संबंधी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित जानकारी सार्वजनिक कर दी है। प्रश्न में प्रकाशित समाचार, जो 17 जून, 2002 के 'दि हिन्दू' में छपा था, दिनांक 14 जून, 2002 के मंत्रालय के प्रेस रिलीज पर आधारित था।

हालांकि समीक्षा बैठकों के परिणामस्वरूप वित्तीय निष्पादन में काफी सुधार हुआ है तथापि, राज्यों को ग्रामीण विकास गतिविधियों में पर्याप्त रुचि लेना जारी रखना होगा और उन्हें जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के साथ नियमित रूप से पारस्परिक संपर्क रखने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों को उचित ढंग से खर्च किया जाए और कार्यक्रम में और तेजी आए। समीक्षा बैठकों में, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर भी बल दिया जाता है।

जिन योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2001–02 के दौरान, उपयोग प्रमाण–पत्र/ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण, संपूर्ण आवंटन प्राप्त नहीं कर सके थे उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

किसी खास वर्ष के लिए किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित निधियां समाप्त हो जाती हैं, यदि वे उसी वित्तीय वर्ष में रिलीज नहीं की जाती हैं।

विवरण

वर्ष 2001–2002 के दौरान संपूर्ण आवंटन रिलीज न किए जाने के संबंध में राज्य–वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित योजनाओं के लिए संपूर्ण केन्द्रीय आवंटन रिलीज नहीं किया गया था
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	एसजीएसवाई, स्वच्छता, एनओएपीएस, एनएफबीएस
2.	असम	एनओएपीएस, एनएफबीएस
3.	बिहार	एसजीएसवाई, एनएफबीएस, आईएवाई
4.	छत्तीसगढ़	आईएवाई, एनओएपीएस
5.	गुजरात	एनओएपीएस, एनएफबीएस
6.	हरियाणा	स्वच्छता, एनओएपीएस
7.	जम्मू व कश्मीर	आईएवाई, एनओएपीएस एनएफबीएस
8.	झारखंड	आईएवाई, एनओएपीएस, एनएफबीएस

1	2	3
9.	कर्नाटक	एनओएपीएस
10.	महाराष्ट्र	एनओएपीएस, एनएफबीएस
11.	मणिपुर	एनओएपीएस
12.	मेघालय	एनओएपीएस
13.	मिजोरम	एनओएपीएस, एनएफबीएस
14.	नागालैण्ड	स्वच्छता, एनओएपीएस, एनएफबीए
15.	उड़ीसा	आईएवाई
16.	पंजाब	एनओएपीएस, एनएफबीएस
17.	राजस्थान	एनओएपीएस
18.	पश्चिम बंगाल	एनओएपीएस
19.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	ईएएस, एनओएपीएस, एनएफबीएस
20.	दमन व दीव	एनओएपीएस

ई ए एस – सुनिश्चित रोजगार योजना
आई ए वाई – इंदिरा आवास योजना
एस जी एस वाई – स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एन ओ पी एस – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
एन एफ बी एस – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

[हिन्दी]

जासूसी के मामले

37. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि तक देश के विभिन्न भागों में राज्यवार जासूसी में संलिप्त कितने पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 1999 और 1 जुलाई, 2002 के बीच नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार, देश के विभिन्न भागों से जासूसी की गतिविधियों में संलिप्त इक्कीस पाक राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए हैं।

बिहार	–	01
महाराष्ट्र	–	01
दिल्ली	–	04
पश्चिम बंगाल	–	02
राजस्थान	–	06
आन्ध्र प्रदेश	–	03
उत्तर प्रदेश	–	03
पंजाब	–	01

गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध संगत कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों द्वारा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में निवेश

***38. श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश की प्रक्रिया में सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में निवेश करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या लाभ हैं; और

(ग) सरकार को देय लाभांश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) विनिवेश के लिए तय किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में भागीदारी अर्जित करने के लिए बोलीदाताओं की अहर्ता के लिए निर्धारित मानदण्ड

के आधार पर, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कोई भी कंपनी प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती है। तथापि, किसी मामले की बेमिसाल विशेषता पर निर्भर करते हुए तथा सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखकर, सरकार जनहित में, स्वामी के रूप में अपने हित तथा "गैर–सामरिक" सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजीकरण के हित में, विशेष मामलों में सदा उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकती है।

(ग) उन पर सरकार को देय लाभांश के प्रभाव का ठीक–ठीक आकलन नहीं किया जा सकता। शेयर धारकों को देय लाभांश अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी के कार्य–निष्पादन तथा लाभार्जन पर निर्भर करता है।

किसानों को पास बुक जारी करना

*39. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में सभी किसानों को भू–स्वामित्व का अधिकार देने के लिए "पट्टादार पास बुक" जारी करने की कोई योजना तैयार की है और तत्संबंधी कानून बनाने का प्रस्ताव उसके विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि सुधारों का काम राज्यों के विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण का विषय है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों को उनकी टिप्पणियों और कार्यान्वयन के लिए नमूना पास बुक और नमूना विधेयक प्रारूप भेजे गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना पर निगरानी रखने के लिए कोई तंत्र तैयार किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (ज) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसके प्रबंधन का विषय पूर्णतया राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इस संबंध में केन्द्र सरकार केवल एक सलाहकार और समन्वयक की भूमिका अदा करती है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व सचिवों का एक सम्मेलन अक्तूबर, 2000 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि पूरे देश में सभी किसानों को एकसमान पट्टा पास बुक जारी करने तथा उन उपायों, जिन्हें ऐसे दस्तावेज को कानूनी तथा प्रशासनिक आधार प्रदान करने हेतु उपयोग में लाया जा सके, को आरंभ करने के लिए भूमि संसाधन विभाग के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया गया था ताकि किसान अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पट्टा पास बुक का बहुआयामी प्रयोग कर सकें।

कार्य बल ने यह देखा कि जबकि कुछ राज्यों ने अलग अलग नामों से किसान पास बुकें पहले ही जारी की हैं, तथापि यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि पट्टादार पास बुक (कानूनी आधार सहित) की विषय–वस्तु और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपयुक्त एवं एकसमान हो। तत्पश्चात्, एक समेकित और विस्तृत दस्तावेज अर्थात नमूना पट्टादार पासबुक और साथ ही एक नमूना विधेयक भी तैयार किया गया और टिप्पणियों/सुझावों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया । सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् नमूना पट्टादार पासबुक (नमूना विधेयक सहित) को मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया और इसे अपनाने/लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित किया गया है।

पट्टादार पासबुक वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है और केन्द्र सरकार इस संबंध में एक समन्वयक की भूमिका अदा करती रहेगी।

भारत शिक्षा कोष

*40. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर के गैर–सरकारी और सरकारी

दोनों नियोजकों से उनके नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के पहले वेतन को कर लाभों के बदले गुरू दक्षिणा के रूप में एक किटी में, जिसे भारत शिक्षा कोष कहा जाता है, में जमा करवाने की योजना बना रही है, जैसा कि 30 जून, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस कार्यवाही का औचित्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सरकार द्वारा अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

215. श्री जय प्रकाश : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान पेयजल संबंधी परियोजनाओं हेतु राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों रो इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक सहायता के अभाव में देश के विभिन्न जिलों में पेयजल के सुधार में आशानुरूप परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेयजल की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में इस समस्या के समाधान हेतु क्या निर्णय लिए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। अपनी-अपनी पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, उन्हें मंजूरी देने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को रिलीज की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपने स्वयं के संसाधनों से निधियां उपलब्ध करानी होती हैं जो कम से कम केन्द्र द्वारा ए आर डब्ल्यू एस पी के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों के अनुरूप हों। कुछेक राज्य सदृश अंश उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मामलों में, उस अन्तर को ए आर डब्ल्यू एस पी निधियों की अगली किस्त रिलीज से घटा दिया जाता है। इस कारणवश, उन राज्यों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावित होता है।

(घ) दिल्ली में जून, 2002 में संपन्न हाल ही का राष्ट्रीय सम्मेलन विशेष रूप से ग्रामीण पेयजल क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए था। इसमें जल गुणवत्ता समस्या पर चर्चा नहीं की गई थी।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन और रिलीज को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002		2002-2003	
		आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12534.37	1253.37	11600.00	11600.00	13044.00	13601.10		3913.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	2476.00	1980.80	4365.00	2182.50	4476.00	2455.91		1342.80
3.	असम	4180.00	2090.00	7372.00	5459.78	7561.00	5357.67		2268.30
4.	बिहार	9380.00	4690.00	4661.00	0.00	7274.00	0.00		0.00
5.	छत्तीसगढ़	–	–	1580.00	1580.00	3877.00	3977.00		1163.10
6.	गोवा	352.92	0.00	1404.00	888.59	1455.00	727.50		0.00
7.	गुजरात	8264.42	7442.20	7085.00	16255.00	7837.00	9376.30		2351.10
8.	हरियाणा	2582.63	2407.24	1943.00	1880.18	2200.00	2200.00		660.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3119.82	3075.09	5091.00	5091.00	5552.00	6452.00		1665.60
10.	जम्मू व कश्मीर	6381.44	3190.72	8788.00	3694.00	9896.00	6292.10		2968.80
11.	झारखण्ड	–	–	4719.00	2359.50	3619.00	1809.50		0.00
12.	कर्नाटक	11518.53	11409.40	10350.00	8165.12	12414.00	12714.00		3724.20
13.	केरल	5905.62	4568.30	5746.00	4022.42	6331.00	5045.00		1899.30
14.	मध्य प्रदेश	12947.59	12330.44	9529.00	9529.00	8877.00	9077.00		2663.10
15.	महाराष्ट्र	18663.81	17302.37	16934.00	16934.00	19159.00	19659.00		5747.70
16.	मणिपुर	907.00	0.00	1475.00	0.00	1643.00	821.50		0.00
17.	मेघालय	2282.40	779.20	1716.00	1644.08	1760.00	1215.51		0.00
18.	मिजोरम	1630.29	696.00	1226.00	1161.99	1257.00	1634.10		377.10
19.	नागालैंड	724.00	579.20	1275.00	822.61	1308.00	1700.40		392.40
20.	उड़ीसा	6645.97	4847.93	6213.00	3106.50	6522.00	4852.09		1956.60
21.	पंजाब	2358.80	2320.64	2383.00	1783.00	2277.00	1985.50		683.10
22.	राजस्थान	17377.66	12002.50	16361.00	16361.00	18705.00	14919.08		5611.50
23.	सिक्किम	695.59	695.59	650.00	325.00	536.00	696.80		160.80
24.	तमिलनाडु	8958.28	8958.28	7308.00	7308.00	7956.00	8956.00		2386.80
25.	त्रिपुरा	2021.55	1662.00	1521.00	1521.00	1559.00	2026.70		467.70
26.	उत्तर प्रदेश	19800.17	14825.12	12472.00	10884.83	13269.00	13063.35		3980.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तरांचल	–	–	2304.00	2304.00	3356.00	3447.88		1006.80
28.	पश्चिमी बंगाल	7008.15	5606.45	7895.00	7837.31	8773.00	8947.63		2631.90
29.	अंदमान और निकोबार	12.50	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00		0.00
30.	दादरा और नागर हवेली	12.50	0.00	7.00	3.50	0.00	0.00		0.00
31.	दमण और दीव	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
32.	दिल्ली	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		0.00
33.	लक्षद्वीप	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
34.	पांडिचेरी	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00		0.00
	कुल	168772.00	135993.84	163996.00	144703.91	182523.00	163010.62	0.00	50022.60

नोट : 1. वर्ष 2002–2003 के लिए अभी तक राज्य वार आवंटन नहीं किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तरांचल राज्य 2000–2001 के दौरान बनाए गए थे।

[अनुवाद]

उत्तरांचल में हिमनद विज्ञान केन्द्र की स्थापना

216. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की उत्तरांचल में हिमालयन हिमनद विज्ञान केन्द्र की स्थापना की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित केन्द्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) हमारे देश में इस समय ऐसे हिमनद विज्ञान केन्द्रों की संख्या कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'') : (क) और (ख) जी, हां। सरकार की 10वीं योजना के दौरान हिमालयी हिमनद विज्ञान में क्षेत्र कार्यों एवं अनुसंधान हेतु एक राष्ट्रीय केन्द्र (एन सी एफ ओ आर एच जी) की स्थापना करने की योजना है। प्रस्तावित केन्द्र की स्थापना के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पहले ही तैयार कर लिया गया है। योजना आयोग द्वारा गठित हिमालयी हिमनदों पर एक उप–समिति की सिफारिशों के अनुसार सिफारिश की गई है कि :

(i) प्रारम्भ में केन्द्र या तो वाडिया हिमालयी भू–विज्ञान संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल) के साथ या स्नो एण्ड एवालन्च स्टडी इस्टेब्लिशमेंट (एस ए एस ई), चण्डीगढ़ के मुख्यालयों के साथ सह–स्थापित किया जाएगा।

(ii) एन सी एफ ओ आर एच जी की स्थापना एक स्वायत्तशासी अनुसंधान संस्थान के रूप में की जाएगी।

(iii) 36 करोड़ रुपए की बजटीय आवश्यकता प्राथमिक रूप से मुख्य स्टेक–धारकों अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, खान मंत्रालय तथा डी आर डी ओ के बीच बांटी जाएगी ताकि केन्द्र की स्थापना एवं संचालन मिल–जुला हो।

(iv) एन सी एफ ओ आर एच जी की स्थापना के तरीके पर अंतिम निर्णय योजना आयोग द्वारा लिया जा सकता है।

संचालित होने पर एन सी एफ ओ आर एच जी के सभी हिमनद विज्ञान संबंधी गतिविधियों, अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों का केन्द्र बनने की आशा है और जो कि भारत में हिमनद विज्ञान को सुदृढ़ करेगा। तत्काल ध्यानाकर्षण के प्रस्तावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- कई प्रतिनिधि हिमनदों पर उच्च गुणवत्ता के मानक आंकड़े एकत्र करने के लिए हिमनद विज्ञान क्षेत्र प्रेक्षण स्टेशनों की स्थापना
- मास संतुलन
- हिमनद जल विज्ञान
- परत स्थानांतरण
- हिमनद गतिकी
- पर्यावरण एवं जलवायु
- हिमनद संबंधी आपदाएं
- हिमनद प्रक्रियाओं की एकीकृत मॉडलिंग
- डाटा बैंक एवं सूचना प्रणाली
- उत्तर भारत के एक अग्रणी विश्वविद्यालय के साथ सहयोग में श्रम शक्ति विकास

(ग) वर्तमान में हमारे देश में ऐसा कोई हिमनद विज्ञान केन्द्र नहीं है।

ग्रामीण सड़क निधियों के दुरुपयोग के संबंध में सी.ए.जी. की रिपोर्ट

217. श्री रघुनाथ झा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992–99 के बीच मजबूत सड़कों के निर्माण की आवश्यकता के विपरीत कुछ राज्यों में "कच्चा" ग्रामीण सड़क सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर 164.64 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी, जैसा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 2000 की रिपोर्ट संख्या 3 (सिविल) के पृष्ठ संख्या 222 के पैरा संख्या 4.12.3 में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सार्वजनिक धनराशि व्यय करने के लिए प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि धनराशि का व्यय आम जन के व्यापक लाभ के लिए विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) और (ख) नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने 2000 (सिविल) की रिपोर्ट सं. 3 में जानकारी दी थी कि जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) और सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) के अंतर्गत शुरू किए गए कार्य टिकाऊ स्वरूप वाले थे, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश और नागालैंड में कार्यान्वयन एजेंसियों ने 1992 से 1999 के बीच 164 : 64 करोड़ रुपए की लागत से "कच्चा" सड़कों का निर्माण करवाया था।

(ग) से (च) लेखा–परीक्षा की टिप्पणियां संबंधित राज्यों को भेजी गई थीं ताकि वे उन पर अपनी टिप्पणी भेज सकें। राज्य सरकारों ने बताया कि वित्तीय कमी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण संपर्क सड़कों की आवश्यकता के आधार पर और न्यूनतम पूंजी लागत पर अधिकतम मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए "कच्चा" सड़कों का निर्माण उचित है। जे आर वाई तथा ई ए एस दोनों का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करना था। इसलिए कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में 60 : 40 के सामग्री एवं मजदूरी का अनुपात निर्धारित किया गया था, जिसका कार्यों के चयन एवं कार्यान्वयन करते समय पालन करना कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए आवश्यक था।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत चंडीगढ़ के लिए धनराशि का आवंटन

218. श्री पवन कुमार बंसल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए योजनावार कितनी धनराशि आवंटित एवं वितरित की गई; और

(ख) आज की तिथि के अनुसार इससे योजनावार कितने लोग लाभान्वित हुए?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजनावार आवंटित और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। चालू वर्ष के दौरान संघ राज्य क्षेत्र को कोई निधियां आवंटित/रिलीज नहीं की गई हैं।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में वर्ष 1999–2000 से 2001–02 के दौरान योजनावार लाभान्वित लोगों की संख्या का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

चंडीगढ़ में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटित निधियां

(रुपए लाख में)

योजना का नाम	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज	आवंटन	रिलीज
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	2.86	2.86	2.86	2.86	2.25	2.25
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	2.65	1.33	2.65	—	—	—
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	13.66	13.66	8.83	17.74	5.87	
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	5.00	—	—	—	—	—
अन्नपूर्णा	—	—	2.95	2.95	3.08	—

विवरण-II

लाभान्वित लागों की संख्या

योजना का नाम	लाभान्वित लोगों की संख्या			इकाई
	1999–2000	2000–2001	2001–2002	
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	20.00	29.00	32.00	लाभान्वित परिवारों की सं.
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	225.00	0.00	—	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सं.
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	1,763.00	2532.00	2714.00	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सं.
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	निर्मित स्वच्छ शौचालयों की सं.
अन्नपूर्णा	—	सूचित नहीं	सूचित नहीं	लाभार्थियों की संख्या

[हिन्दी]

राजस्थान के लंबित प्रस्ताव

219. श्री कैलाश मेघवाल : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को भेजा है जिन्हें दिनांक 1.4.1998 से ही मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो लंबित प्रस्तावों के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां।

विभिन्न केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत राजस्थान सरकार द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों की स्थिति निम्नलिखित है :

(i) छोटे एवं मझोले कस्बों का समेकित विकास (आई. डी.एस.एम.टी.) स्कीम–राजस्थान सरकार से इक्कीस (21) प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा उन सभी को मंजूरी दे दी गयी है।

(ii) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस. पी.) उनतीस (29) प्रस्ताव प्राप्त हुए। तेईस (23) प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है तथा वर्ष 2002 में प्राप्त शेष छः प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं। चार प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से और ब्यौरे मांगे गए हैं।

(iii) कम लागत सफाई स्कीम–हडको द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस स्कीम के तहत राजस्थान सरकार से दस प्रस्ताव प्राप्त हुए। नौ प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। शेष एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान यथाशीघ्र मंजूरी के लिए इस पर विचार किया जाएगा।

(iv) रैन–बसेरा स्कीम–यह हडको के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राजस्थान राज्य की दो आदाता एजेंसियों ने दो प्रस्ताव भेजे हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है और चालू वित्त वर्ष के दौरान दिशानिर्देशों के अनुसार इस पर यथाशीघ्र मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र में पेयजल योजना

220. श्री शिवाजी माने : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में पेयजल योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य में प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि आवंटित की गई और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप में पृथक–पृथक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और उनमें से कितनी राशि वापस की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर. डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। अपनी–अपनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं बनाने, उन्हें मंजूरी देने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, 10.07.2002 को महाराष्ट्र की कुल 85930 ग्रामीण बसावटों में से, 59489 बसावटों का पूरी तरह पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है, 24405 बसावटों को आंशिक रूप से इसकी सुविधा प्रदान की गई है और 2036 बसावटों में यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को आवंटित/रिलीज की गई निधियों तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटन	रिलीज	उपयोग
1999–2000	136.14	173.02	188.46
2000–2001	169.34	169.34	168.65
2001–2002	191.59	196.59	204.67

महाराष्ट्र के अमरावती, धूले, नांदेड और रायगढ़ जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए क्षेत्र सुधार परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला	परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश	रिलीज की गई निधियां	सूचित खर्च
1.	अमरावती	21.26	19.73	5.92	1.72
2.	धूले	39.53	36.93	11.08	0.88
3.	नांदेड	40.00	37.40	11.22	1.90
4.	रायगढ़	37.93	34.74	10.42	0.55

काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठन

221. श्री बीर सिंह महतो :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री **यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान से आज तक राज्यवार कितने गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है;

(ख) क्या "कपार्ट" ने काली सूची में डाले गए गैर–सरकारी संगठनों और वित्त पोषण प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिए "कपार्ट" के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) वर्ष 2001–2002 के दौरान आज तक कपार्ट द्वारा काली सूची में रखे गए गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

वर्ष 2001–2002 के दौरान आज तक काली सूची में रखे गए गैर–सरकारी संगठनों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	काली सूची में रखे गए गैर–सरकारी संगठनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
कर्नाटक	1
मणिपुर	1
मिजोरम	3
नागालैंड	1
उत्तर प्रदेश	1
कुल	8

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कों के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता

222. श्री एम. के. सुब्बा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने देश में विशेषकर असम में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार प्रस्तावित सहायता की शर्तें क्या हैं और कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) बिना सम्पर्क वाले कितने गांवों और आबादी को सड़क से जोड़ दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा विचारित सड़क संपर्क प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) फिलहाल क्षेत्र विकास ऋण के रूप में कार्यक्रम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) का आकलन कर रहा है।

[हिन्दी]

मितव्ययिता संबंधी उपाय

223. श्री रामदास आठवले : क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न **शीर्षों** पर वर्षवार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का एस.टी.डी. और आई.एस.डी. बिलों, बिजली के बिलों विशेषकर एयरकंडीशनर और कूलर के बिलों का भुगतान किए जाने सहित प्रचार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान-पान, उद्‌घाटन समारोहों, संगोष्ठियों देश में और देश के बाहर किए जाने वाले दौरों एवं ऐसे ही अन्य व्ययों को कम करने हेतु कोई मितव्ययिता संबंधी अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) विनिवेश मंत्रालय के अधीन कोई विभाग नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न बजट शीर्षों पर विनिवेश आयोग सहित, विनिवेश मंत्रालय द्वारा किए गए वास्तविक व्यय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

(रुपए में)

शीर्ष	1999–2000	2000–2001	2001–2002
वेतन	22,85,000	45,24,000	82,05,000
मजदूरी	49,000	88,000	33,000
समयोपरि भत्ता	20,000	32,000	1,57,000
यात्रा भत्ता (घरेलू)	5,10,000	2,38,000	9,86,000
यात्रा भत्ता (विदेश)	90,000	95,000	6,00,000
कार्यालय व्यय	36,79,000	76,08,000	61,48,000
प्रकाशन	6,14,000	2,19,000	6,35,000
अन्य प्रशासनिक व्यय		2,65,000	81,000
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	26,000	7,92,60,000	6,02,19,000
अन्य प्रभार	15,000	13,000	–
कुल	72,88,000	9,23,42,000	7,70,65,000

(ख) और (ग) गैर-योजना, गैर-विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने का सरकार का निरंतर प्रयास रहता है। यह इसी परिप्रेक्ष्य में है कि अन्य युक्तियों के साथ-साथ सभी मंत्रालय/विभाग फिजूलखर्ची से बचने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करते हैं। इन उपायों में, पदों के सृजन पर रोक, संस्वीकृत पदों की संख्या में कटौती, रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध, कार्यालय व्यय में कमी, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा तथा मनोरंजन/आतिथ्य सत्कार पर किए जाने वाले व्यय में कटौती, सम्मेलन/संगोष्ठियों के आयोजन आदि में कमी, बिजली की खपत में कटौती, एस.टी.डी./आई.एस.डी. सुविधा में कमी, सरकारी आवासीय टेलिफोनों पर निःशुल्क कॉलों की संख्या में कटौती आदि उपाय शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

224. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 2002 के "नवभारत टाइम्स" में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इससे संबंधित लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए और दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सहभागी राज्यों को उनकी विकास परियोजनाओं के लिए सब्याज ऋण मुहैया कराता है। इसने शुरूआत से लेकर अब तक कुल 5003.00 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत की 159 परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है, जिसके लिए 2087.78 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया था, जिसमें से मार्च, 2002 तक 1323.12 करोड़ रु. जारी कर दिए गए थे। बोर्ड द्वारा स्वीकृत 159 परियोजनाओं में से 79 पूरी हो चुकी हैं तथा शेष 80 परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। स्कीमों को एक निर्धारित सीमा के भीतर पूरी करने के लिए बोर्ड विभिन्न समीक्षा/परियोजना मंजूरी व मानीटरिंग ग्रुप बैठकों तथा सहभागी राज्यों द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए परियोजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी करता है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा गठित, शहरी परिवहन, शहरी जल आपूर्ति, सफाई तथा शहरी पर्यावरण सहित शहरी विकास पर कार्यदल हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 6882.00 करोड़ रु. की अनुमानित जरूरत का पूर्वानुमान लगाया है। इसमें से 3160.00 करोंड. रु. की अपेक्षित धनराशि बजट संसाधनों के मार्फत है जबकि 9वीं योजना में 800.00 करोड़ रु. की तथा 3722.00 करोड़ रु. आन्तरिक अतिरिक्त बजट संसाधनों (आई. ई.बी.आर.) के मार्फत है।

10वीं योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड हेतु अंतिम परिव्यय को योजना आयोग के परामर्श से शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

महानगरों में अपराध

225. श्री विकास चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 2002 में महानगरों में अपराध की कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं और गत तीन वर्षों में इसी महीने के महानगरवार तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या इस वर्ष जून में अपराध दर में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान महानगरों में जून में सूचित किए गए भारतीय दंड संहिता मामलों के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के आंकड़े इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	नगर	वर्ष में मामलों की संख्या		
		1999	2000	2001
1.	चैन्ने	589	557	520
2.	दिल्ली	4427	4923	4746
3.	कोलकाता	870	956	999
4.	मुंबई	2195	2439	2351

महानगरों में जून, 2002 में सूचित अपराधों की संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में अभी तक राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए गत तीन वर्षों के जून माह की अपराध दर की तुलना जून, 2002 के साथ नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर का विभाजन

226. श्रीमती निवेदिता माने : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संगठनों ने जम्मू–कश्मीर का तीन भागों में विभाजन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जम्मू–कश्मीर की समस्याओं के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) इस संबंध में कुछ व्यक्तियों/संगठनों द्वारा कुछ आवाजें उठाई गई हैं। तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) सरकार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार के साथ मिल कर राज्य में शांति और सामान्य हालात बहाल करने के लिए बहु–आयामी रणनीति का निरंतर अनुसरण कर रही है। इस रणनीति के तीन मुख्य अंग हैं (1) जम्मू और कश्मीर के भीतर सीमा पार से चलाए जाने वाले आतंकवाद को प्रतिकारी रूप से निपटना; (2) राज्य के आर्थिक विकास को तेज करना; (3) राज्य के भीतर लोगों को किसी भी ग्रुप, जो हिंसा के रास्ता त्याग देता है, के साथ वार्ता के लिए तैयार रहना। उपर्युक्त रणनीति में आवश्यकताओं के अनुसार समय–समय पर जरूरी परिशोधन निरंतर किए जाते रहेंगे ।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रसायन और उर्वरक उपक्रमों का विनिवेश

227. **श्री टी. गोविन्दन :**
श्री महबूब जहेदी :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के विनिवेश का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार एच.ओ.सी.एल. के लिए पुनर्गठन पैकेज की घोषणा की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर के संबंध में किसी पक्ष से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फेक्ट) की 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से और 2 प्रतिशत इक्विटी कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ) में फिलहाल विनिवेश का कोई निर्णय नहीं है। सरकार ने हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि. (एच.ओ.सी.एल.) की 32.61 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश अनुकूल बिक्री के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां विभिन्न हित–चिन्ताओं/पहलुओं पर विचार करने के अनुरोध के साथ कर्मचारी संघों से अभ्यावेदन, संसद सदस्यों तथा केरल की राज्य सरकार से पत्र प्राप्त हुए हैं। ज्यों–ज्यों मामलों पर कार्रवाई होती है उनमें अभिव्यक्त हित–चिन्ताओं पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्र

228. **श्री रामानन्द सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में विशेषकर सतना और कटनी जिलों में स्थानवार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन केन्द्रों में लगातार कई महीनों से दूध, दालें, घी और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विशेषकर सतना जिले के पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय मध्य प्रदेश में 47433 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से सतना और कटनी जिलों में क्रमशः 1237 और 902 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं।

(ख) और (ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अनुसार, सभी पात्र लाभार्थियों को राज्य संसाधनों से पूरक पोषाहार प्रदान करना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन केन्द्रों में पूरक पोषण के रूप में दलिया दिया जाता है। यद्यपि, कटनी जिले में पूरक पोषाहार प्रदान करने में किसी प्रकार के व्यवधान की खबर नहीं है, तथापि राज्य में बजट की कमी के कारण सतना जिले में दिसम्बर, 2001 से मार्च, 2002 तक की अवधि के दौरान पूरक पोषाहार प्रदान करने में व्यवधान रहा है।

(घ) और (ङ) फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय

229. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे अद्धसैनिक बल कौन–कौन से हैं जिनका ग्रुप सेंटर मुख्यालय राजस्थान में स्थित है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उक्त सेंटरों अथवा मुख्यालयों के विकास और जवानों के आवास हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेंटरों/मुख्यालयों के विकास हेतु भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) महोदय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और विशेष सेवा ब्यूरो (एस.एस.बी.)।

(ख) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि विशेष सेवा ब्यूरो (एस.एस.बी.) भारत–नेपाल सीमा पर तैनात की गई है, अतः भविष्य में राजस्थान में इसके केन्द्रों का विकास करने की कोई योजना नहीं है। जहां तक सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का संबंध है, इनके केन्द्रों/मुख्यालयों का विकास कार्य इनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार वार्षिक आधार पर किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और विशेष सेवा ब्यूरो द्वारा राजस्थान में केन्द्रों के विकास और जवानों के आवास हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा

संगठन का नाम	व्यय की गई राशि (लाख रु.)		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	114.06	310.14	368.78
सीमा सुरक्षा बल	550.38	485.05	1676.05
विशेष सेवा ब्यूरो	87.88	106.27	26.78

जम्मू और कश्मीर में पेयजल की समस्या

230. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में पेयजल की समस्या बड़ी ही विकट समस्या बनती जा रही है;

(ख) क्या राज्य पेयजल योजना के तहत कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केन्द्र स्तर पर इस समस्या को हल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी प्रगति हुई/विकास कार्य हुए; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई/जारी की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया इस धनराशि में से कितनी धनराशि केन्द्र सरकार को वापिस की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है कि जनसंख्या में वृद्धि और कुछ वर्षों से मौजूद सूखे जैसी स्थितियों के कारण, राज्य में पेयजल की समस्या है।

(ख) से (घ) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराकर राज्यों के प्रयासों की सहायता करती है। अपनी-अपनी ग्रामीण पेयजल योजनाएं बनाने, उन्हें मंजूरी देने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। जम्मू व कश्मीर की सरकार भी उसी तरीके से राज्य में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है।

(ङ) और (च) 10.07.2002 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1.4.99, 1.4.2000, 1.4.2001 तथा 1.4.2002 को कवर न की गई (एन.सी.), आंशिक रूप से कवर की गई (पी.सी.) और पूरी तरह कवर की गई (एफ.सी.) बसावटों की स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

की स्थिति के अनुसार	बसावटों की स्थिति		
	एन.सी.	पी.सी.	एफ.सी.
01.04.1999	2430	4047	4707
01.04.2000	2348	3726	5110
01.04.2001	2074	3688	5422
01.04.2002	1709	3576	5899

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य को अवंटित/रिलीज की गई निधियों तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आवंटन	रिलीज	उपयोग
1999-2000	63.81	31.91	23.37
2000-2001	87.88	36.94	68.12
2001-2002	98.96	62.92	65.69

जम्मू व कश्मीर के श्रीनगर और उधमपुर जिले में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए क्षेत्र सुधार परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला	परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश	रिलीज की गई निधियां	सूचित खर्च
1.	श्रीनगर	25.11	23.48	7.04	3.36
2.	उधमपुर	25.00	22.50	6.75	4.41

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा

231. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजनावधि के अंत तक स्कूल जाने वाले छः और चौदह साल की आयु वर्ग के बीच के बच्चों का राज्यवार प्रतिशत क्या है;

(ख) नौवीं योजनावधि के अंत तक राज्यवार ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय थे जिनमें केवल एक ही अध्यापक था;

(ग) दसवीं योजनावधि के दौरान छः और चौदह आयु वर्ग के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने और प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था करने हेतु किन उपायों की योजना बनाई जा रही है;

(घ) इसमें केंद्र और राज्यों की वित्तीय भागीदारी कितनी होगी;

(ङ) क्या यह भागीदारी विकसित और पिछड़े राज्यों के लिए एक समान होगी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 2000–2001 के चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार, स्कूल जाने वाले 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिशतता के रूप में कक्षा I–VIII के लिए राज्यवार सकल नामांकन अनुपात को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित अखिल भारतीय छठे शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार अद्यतन उपलब्ध सूचना के आधार पर एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

(ग) लोक सभा ने 6–14 आयु–वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए 28.11.2001 को संविधान (93वां संशोधन) विधेयक–2001 पारित किया है। लोक सभा द्वारा यथा पारित संविधान (93वां संशोधन) विधेयक, 2001 पर राज्य सभा द्वारा भी विचार किया गया तथा 'बावनवां' के स्थान पर 'तिरपनवां' शब्द रखने तथा खंड 1 में '2001' के स्थान पर '2002' रखने के लिए अधिनियम सूत्र में आधिकारिक संशोधन के साथ इसे इसने 14.5.02 को पारित किया। राज्य सभा ने यह विधेयक लोक सभा को 15.5.02 को लौटा दिया। आशा है कि लोक सभा अपने वर्तमान सत्र में इस संशोधित विधेयक पर विचार करेगी।

सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को मिशन रूप में सर्वसुलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ–साथ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रत्येक 40 बच्चों के लिए एक शिक्षक; एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षकों और उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक के प्रावधान की परिकल्पना है।

(घ) से (च) सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनुमानित कुल राशि लगभग 98,000 करोड़ रुपए है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुमोदित निधियन पद्धति के अनुसार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा इसमें हिस्सेदारी की जाएगी। इसके अनुसार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 9वीं योजना के दौरान 85 : 15 अनुप्रात में, 10वीं योजना के दौरान 75 : 25 अनुपात में और उसके बाद 50 : 50 अनुपात में वहन किया जाएगा। इस पद्धति का पालन करते हुए केन्द्र का हिस्सा लगभग 63,000.00 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा लगभग 35,000.00 करोड़ रुपए होगा। यह केवल एक अनुमान है और वास्तविक आवंटन प्रत्येक जिले के लिए तैयार की गई जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं और राज्यों द्वारा बस्ती स्तर की योजनाओं पर आधारित इन जिला योजनाओं में प्रदर्शित आवश्यकता पर निर्भर करेगा। यद्यपि सभी राज्यों के लिए निधियन पद्धति समान है, फिर भी राज्यों को संवितरित राशि जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं में यथा प्रदर्शित उनकी वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।

विवरण-I

30.9.2000 की स्थिति के अनुसार कक्षा I-VIII (6–14 वर्ष) के लिए सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	सकल नामांकन अनुपात
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	81.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.35
3.	असम	99.54
4.	बिहार (अविभाजित)	61.35
5.	गोवा	67.99
6.	गुजरात	103.26
7.	हिमाचल प्रदेश	91.40
8.	हरियाणा	73.13
9.	जम्मू व कश्मीर	83.01
10.	कर्नाटक	98.41

1	2	3
11.	केरल	91.03
12.	मध्य प्रदेश (अविभाजित)	91.80
13.	महारा[illegible]	101.05
14.	मणिपुर	89.60
15.	मेघालय	95.47
16.	मिजोरम	96.28
17.	नागालैंड	92.07
18.	उड़ीसा	90.54
19.	पंजाब	73.75
20.	राजस्थान	99.06
21.	सिक्किम	113.26
22.	तमिलनाडु	95.01
23.	त्रिपुरा	91.74
24.	उत्तर प्रदेश (अविभाजित)	54.91
25.	पश्चिम बंगाल	86.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	88.99
27.	चंडीगढ़	67.23
28.	दादरा व नगर हवेली	105.29
29.	दमन व दीव	93.03
30.	दिल्ली	58.44
31.	लक्षद्वीप	106.40
32.	पांडिचेरी	84.06
	भारत	81.58

नोट : 6–14 आयु–वर्ग में अनुमानित बच्चों में से कक्षा I-VIII में नामांकन की प्रतिशतता के रूप में सकल नामांकन अनुपात की परिभाषा की गई है। इन कक्षाओं में नामांकित बच्चों में कम आयु के और अधिक आयु के बच्चे भी शामिल होते हैं, अतः कुछ मामलों में कुल प्रतिशतता 100 से अधिक हो सकती है।

विवरण-II

एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों की संख्या (1993)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15932
2.	अरुणाचल प्रदेश	521
3.	असम	5497
4.	बिहार (अविभाजित)	11390
5.	गोवा	167
6.	गुजरात	3774
7.	हिमाचल प्रदेश	1629
8.	हरियाणा	793
9.	जम्मू व कश्मीर	3045
10.	कर्नाटक	5832
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश (अविभाजित)	21678
13.	महाराष्ट्र	7103
14.	मणिपुर	567
15.	मेघालय	1505
16.	मिजोरम	142
17.	नागालैंड	86
18.	उड़ीसा	6078
19.	पंजाब	1432
20.	राजस्थान	9352
21.	सिक्किम	8

1	2	3
22.	तमिलनाडु	3641
23.	त्रिपुरा	154
24.	उत्तर प्रदेश (अविभाजित)	7791
25.	पश्चिम बंगाल	3356
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21
27.	चंडीगढ़	0
28.	दादरा व नगर हवेली	63
29.	दमन व दीव	0
30.	दिल्ली	0
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	13
	भारत	112026

यातायात पुलिस की सांठ-गांठ

232. श्री शीश राम सिंह रवि : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने यातायात पुलिसकर्मी निजी वाहन मालिकों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए;

(ख) उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) निजी वाहन मालिकों के साथ यातायात पुलिस कर्मियों की सांठ गांठ खत्म करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, अतः यातायात पुलिस कार्मिकों द्वारा रिश्वत लेने के मामलों से निपटना राज्य सरकारों का काम है। निजी वाहन मालिकों से रिश्वत लेते रंगे–हाथों पकड़े गए यातायात कार्मिकों की संख्या और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना को न तो केन्द्र सरकार संकलित करती है और न ही उसका प्रबोधन करती है।

धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण

233. सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण करने हेतु अनुमति नहीं दी है जैसाकि दिनांक 25 जून, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस संबंध में सरकार के साथ इस मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं कि वायदे बिना विलम्ब पूरे किए जाएं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचनानुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि दंगाईयों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई 293 दरगाहों और 202 मजिस्दों का पुनर्निर्माण करवाया जाए तथा राज्य सरकार इस सुझाव से सहमत हो गई थी और इस संबंध में सर्वेक्षण शुरू कर दिया था। चूंकि यह मुद्दा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है, अतः इस संबंध में आज्ञा न देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सलाहकार परिषदों का कार्यकरण

234. श्री किरीट सोमैया : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य स्तर पर बनी वैम्बे सलाहकार परिषदों और निर्मल भारत योजना ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैम्बे और निर्मल भारत योजना के कार्यान्वयन

को सुदृढ़ करने हेतु ऐसी समितियों का गठन करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी दिशानिर्देश क्या हैं;

(ङ) सलाहकार परिषदों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या-क्या होंगी;

(च) क्या महाराष्ट्र समिति का गठन कर दिया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) इन परिषदों को गठित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है; और

(ञ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्य-योजना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ङ) 'वाम्बे' और 'निर्मल भारत अभियान' के लिए राज्य स्तर पर कोई सलाहकार परिषदें नहीं हैं। तथापि, वाम्बे के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वियन की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर विशिष्ट कार्यों सहित किसी संसद सदस्य की अध्यक्षता में प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय समन्वयन समिति गठित करने का आदेश सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी किया गया है। दिनांक 3 जून, 2002 के आदेश की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मत्रालय ऐसी परिषदों का गठन करने में सक्षम है।

(ञ) चूंकि वाम्बे राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली मांग मूलक स्कीम है इसलिए स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की है।

विवरण

सं. ओ.-11011/24/2002-वी.ए.एम.

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग

दिनांक 3 जून, 2002

आदेश

विषय : वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के तहत परियोजनाओं के कार्यान्व्यन को मॉनीटर करने के राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा हाल ही में आरंभ की गई वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना में स्लम वासियों के लिए आश्रय के निर्माण/उन्नयन तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की परियोजनाओं हेतु 50 प्रतिशत केन्द्रीय सब्सिडी के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से समान अंश की परिकल्पना की गई है। स्कीम के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नामित संबंधित राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सांसद की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय (एस.एल.सी.सी.) गठित की जाएगी जिसकी सरंचना निम्नलिखित होगी :

1. राज्य/संघ शासित प्रदेश का एक सांसद (केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)-अध्यक्ष
2. आवास/शहरी विकास/एल.एस.जी./जल आपूर्ति एवं सफाई का कार्य देखने वाले सचिव, राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश या राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश द्वारा नामित वैसे अन्य अधिकारी-(सदस्य)
3. इस मंत्रालय द्वारा नामित भारत सरकार के दो अधिकारी-सदस्य
4. हडको के क्षेत्रीय अध्यक्ष-सदस्य

5. केन्द्र/राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश विधान सभा सदस्यों/सामाजिक कार्यकर्त्ताओं/गैर-सरकारी संगठनों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों में से 5 सदस्यों तक नामित कर सकते हैं।

6. राज्य सरकार का एक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में नामित होगा।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति के कार्य

राज्य स्तरीय समन्वय समिति साथ-साथ निम्नलिखित पहलुओं की जांच करती है :

(क) वाम्बे के कार्यान्वयन की प्रगति

(ख) निर्मल भारत अभियान के कार्यान्वयन की प्रगति

(ग) गैर-सरकारी संगठन/सी.बी.ओ. की भूमिका, विशेषकर सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव में उनकी भूमिका का प्रोत्साहन

(घ) निर्माण का स्तर, पारदर्शिता तथा स्कीमों का त्वरित कार्यान्वयन

(ङ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) द्वारा इसे भेजा गया कोई अन्य मुद्दा।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य करेगी :

1. राज्य स्तरीय समिति स्कीम के कार्यान्वयन की प्रभावी मॉनीटरिंग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार बैठकें करेगी।

2. समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि एवं समय पर होगी।

3. बैठक के लिए अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित एजेंडे को कम से कम 10 दिन पहले परिचालित किया जाएगा तथा बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जारी किया जाएगा।

4. कोरम के लिए कम से कम समिति के एक-तिहाई सदस्य होने चाहिए।

5. बैठकें सामान्यतया राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्यालय में की जाएं। तथापि, गुणवत्ता, लाभार्थियों की पात्रता इत्यादि के बारे में शिकायत मिलने पर समिति निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर सकती है।

6. बैठक के आयोजन के पंद्रह दिनों के अंदर सदस्य सचिव द्वारा बैठक के कार्यवृत्त के साथ विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो, शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए।

अधिकारिक सुविधाएं

समिति का सदस्य सचिव बैठक के आयोजन तथा फील्ड दौरों के लिए अधिकारिक सुविधाएं तथा साचिविक सुविधाएं मुहैया करायेगा।

समिति के खर्च का वहन हडको द्वारा किया जाएगा तथा इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा एक अलग खाता रखा जाएगा।

हस्ता/-

(एस. सी. शर्मा)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 3017630

[हिन्दी]

रिक्त पद

235. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्त पद भर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय तथा इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के भरे गए आरक्षित पदों के ब्यौरे विवरण में हैं। इसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मुद्रण निदेशालय तथा सम्पदा निदेशालय से संबंधित सूचना शामिल नहीं है, जो एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) रिक्तियों के बारे में समय-समय पर कर्मचारी चयन आयोग/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सूचित किया गया है। तथापि, योग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण सभी रिक्तियां भरी नहीं जा सकीं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान भरे गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के आरक्षित पद

वर्ष	समूह	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		पिछड़ी जातियां	
		आरक्षित	भरे गए	आरक्षित	भरे गए	आरक्षित	भरे गए
1999	ए	—	—	—	—	—	—
	बी	1	1	—	—	—	—
	सी	8	3	3	2	24	1
	डी	1	1	—	—	—	—
2000	ए	—	—	—	—	—	1
	बी	1	—	5	—	2	—
	सी	2	1	10	6	4	—
	डी	1	1	—	—	—	—
2001	ए	—	—	—	—		1
	बी	2	—	2	—	1	1
	सी	—	—	4	—	3	—
	डी	—	1	—	—	—	—

[अनुवाद]

कॉलेजों में प्रवेश

236. श्री जे. एस. बराड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू शैक्षिक वर्ष के दौरान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अधिकांश छात्रों को आगे के अध्ययन के लिए कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल सकेगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा आगे अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले छात्रों की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उच्चतर माध्यमिक स्तर

पर व्यावसायिक विषयों को अनिवार्य बनाने और भारत भर में व्यावसायिक कॉलेज खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। अनुमान है कि 18–23 आयु वर्ग के कुल व्यक्तियों में से केवल 6 प्रतिशत व्यक्ति ही उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने दसवीं योजना के दौरान इस प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव किया है। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

(i) संस्थाओं की संख्या में वृद्धि;

(ii) दाखिला क्षमता में वृद्धि; तथा

(iii) औपाचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक संस्थाओं का संकेन्द्रण।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त योजनाएं शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

रुग्ण उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

237. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कुछ रुग्ण उर्वरक कम्पनियों के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन कम्पनियों को इस योग्य बनाने हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी कि वे पूर्ण उत्पादन दे सकें?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के चार रुग्ण उर्वरक उपक्रमों (पीएसयू) नामतः हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमि. (एचएफसी), फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमि. (एफसीआई), प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमि. (पीडीआईएल) और पाइराइट्स, फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स लिमि. (पीपीसीएल) को पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक धनराशि सहित उनकी इकाईवार तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर व्यापक पुनःस्थापना/पुनर्गठन प्रस्तावों की जांच करने के लिए जून, 2001 में एक मंत्रिदल (जीओएम) का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

छात्रवृत्तियां

238. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मैक्सिको सरकार के साथ छात्रवृत्तियों का आदान–प्रदान करने का कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो पारस्परिक करार का ब्यौरा क्या है और यह छात्रवृत्तियां किन–किन विषयों में दी जाएंगी और इनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैक्सिको के साथ विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्तियों का आदान–प्रदान बढ़ाने के कोई प्रयास हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) यद्यपि, भारत सरकार का मैक्सिको सरकार के साथ कोई सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम नहीं है तथापि दोनों देश एक–दूसरे के राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां दे रहे हैं।

(ख) पिछले वर्ष दी गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) क्योंकि प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जा रहा है इसलिए शैक्षिक आदान–प्रदान को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

मैक्सिको सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रिकों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा

वर्ष	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	प्राप्त की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	प्रदान किए गए विषय
2002–2003	6	2	स्पेनिश भाषा और साहित्य, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, इतिहास, भाषा विज्ञान और एशिया तथा अफ्रीका

भारत सरकार द्वारा मैक्सिको के राष्ट्रिकों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा

वर्ष	प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	प्राप्त की गई छात्रवृत्तियों की संख्या	प्रदान किए गए विषय
2002–2003	4	–	चिकित्सा को छोड़कर सभी विषय

अपव्यय

239. **श्री अमर राय प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में अपव्यय को कम से कम करने हेतु कदम उठाए हैं और पहले ही इसका पता लगा लिया है कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष (31.12.2001 की स्थिति के अनुसार) उनके मंत्रालय/विभागों के अन्तर्गत इस प्रयोजनार्थ पता लगाए गए ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उनमें कितने अपव्यय का पता लगाया गया; और

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसे अपव्यय को कम करने/समाप्त करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम, यदि कोई हो, उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आईपीसीएल का विनिवेश

240. **श्री महबूब जहेदी : क्या विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2000–01 के दौरान 248.95 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है;

(ख) क्या आईपीसीएल के पास 2,946.13 करोड़ रुपए की आरक्षित और अतिरिक्त धनराशि थी;

(ग) क्या सरकार ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो की नीति का अनुपालन किया था और कम्पनी के 26 प्रतिशत शेयर की बिक्री के दौरान इसकी विशाल सम्पत्ति पर विचार नहीं किया था;

(घ) क्या कम्पनी का प्रबंधन रिलायंस का पास था;

(ङ) यदि हां, तो रिलायंस को पेट्रोकैमिकल्स बाजार में एकाधिकार प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी; और

(च) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि. का वर्ष 2000–01 का निवल लाभ 248.90 करोड़ रु. था।

(ख) 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार आईपीसीएल में 'नकदी तथा बैंक अधिशेष' के रूप उपलब्ध निधियां 288.87 करोड़ रुपए थी।

(ग) जी, नहीं। सरकार, सरकार के सलाहकार की मूल्य निर्धारण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही आरक्षित मूल्य

तय करती है। आरक्षित मूल तक पहुंचने के लिए आमतौर पर स्वीकार्य मूल्य निर्धारण पद्धतियों के अधीन मूल्य निर्धारणों नामतः बट्टागत नकदी प्रवाह, तुलन-पत्र तूल्य कंपनियों तथा परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण सभी पर विचार किया गया था।

(घ) अनुकूल साझीदार मैसर्स रिलायंस पेट्रो-इनवेस्टमैंट लि. (रिलायंस समूह) ने आईपीसीएल की 26 प्रतिशत इक्विटी के लिए 4 जून, 2002 को 1490.84 करोड़ रुपए का विक्रय प्रतिफल अदा किया और आईपीसीएल का प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

(ङ) और (च) आईपीसीएल में 26 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता की खरीद के परिणामस्वरूप पेट्रो-रसायन क्षेत्र में रिलांयस के एकाधिकार प्राप्त कर लेने के मसले पर विचार किया गया था और इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा सरकार के पास उपलब्ध पर्याप्त वित्तीय तथा विधिक उपायों द्वारा प्रबल प्रतियोगियों द्वारा बाजार संबंधी चालबाजी की किसी भी संभाव्य घटना को रोका जा सकता है। भारत में चार प्रमुख ओलफिनिक कॉम्प्लैक्स हैं। ये रिलायंस उद्योग लि., इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि. गैस ऑर्थोरिटी ऑफ इंडिया तथा हल्दिया पेट्रोकैमिकल्स लि. के पास हैं। "एकाधिकार" का अहम परिणाम प्रमुख प्रतियोगी की मूल्य निर्धारण शक्ति है जो उपभोक्ताओं के हित को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। तथापि निम्नलिखित कारणों की वजह से पोलिमयर्स जैसे जिंस के लिए ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है।

(i) भारत में पेट्रोरसायन उद्योग व्यापक रूप से विनियमित नहीं है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन इस प्रकार के उत्पादों के लिए अधिकतर मामलों में लाइसेंस लेने की आवश्यकता को बंद कर दिया गया है। ओलफिन्स, एरोमैटिक्स तथा फाइबर एण्टरमीडिएट सहित पेट्रोरसायन का आयात सीमा शुल्क की विभिन्न दरों के साथ खुलेआम लाइसेंस पर है। शुल्क दर संरक्षण पिछले 10 वर्षों में नीचे आ गया है, जिससे आयात करना कहीं अधिक कम खर्चीला हो गया है।

(ii) उत्पादों का वास्तविक आयात काफी सरल हो गया है। तरल अथवा गैस संबंधी रसायनों के विपरीत पोलिमियर्स सामान्य तापमान तथा दबाव के अंतर्गत स्थिर तथा ठोस हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पोलिमियर्स के आयात को किसी बड़े आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीमेंट अथवा उर्वरक के विपरीत "मूल्य/वजन" अनुपात काफी ऊंचा है और इसलिए ढुलाई की लागत बहुत अधिक है। पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पोलिमियर्स को लाने ले जाने तथा ढुलाई की लागत बहुत कम आती है।

(iii) आयात का सरल होना भी दो तरह से प्रतिबिम्बित होता है-(क) विगत समय में बड़ी प्रमात्रा में आयात हुआ है तथा (ख) घरेलू प्रतियोगी आयात के विरुद्ध अपनी बिक्री की हिफाजत के लिए अपने उत्पादों का मूल्य, स्थल लागत से नीचे रखते हैं।

(iv) आईपीसीएल, रिलायंस के हाथ में चले जाने पर भी, घरेलू बाजार के एक भाग की आवश्यकता की पूर्ति हल्दिया पेट्रोकैमिकल्स तथा गेल द्वारा की जाएगी। इनमें से दोनों को पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धात्मक ताकत प्राप्त है।

(v) बाजार में, स्वदेशी तथा विदेशी मूल के पेट्रोरसायन उत्पादों का मुक्त रूप से व्यापार होता है। बाजार ताकतें नामतः मांग, पूर्ति तथा गुणवत्ता, मूल्य तय करती हैं। एथलीन तथा इससे निकलने वाले पोलीथीन जैसे उत्पाद में क्षेत्रीय बाजार पहले से ही परिपूर्ण है और डंपिंग का खतरा स्थानीय मूल्य को नियंत्रण में रखेगा। अन्त में, भारत में पेट्रोरसायन के कारोबार में 100 प्रतिशत तक की इक्विटी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

अनधिकृत फार्म हाउसों को नियमित करना

241. **श्री सुकदेव पासवान : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 26.2.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1998 के नियमों के अंतर्गत (अगस्त, 2000

तक लागू) दिल्ली में नियमित किए गए अनधिकृत फार्म हाउसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एमनेस्टी योजना के अंतर्गत उन फार्म हाउसों को नियमित करने हेतु समाधेय सीमा क्या है; और

(ग) उन 179 फार्म हाउसों का ब्यौरा क्या जिनमें दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में उनके द्वारा पूरे किए गए सर्वेक्षण के दौरान भवन निर्माण संबंधी उपनियमों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया था/देखा गया था?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में पुनर्वास कार्य

242. श्री मानसिंह पटेल :

श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक एजेन्सियों और गैर–सरकारी संगठनों ने गुजरात में पुनर्वास कार्य में योगदान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आज तक कितने घरों का निर्माण किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त हुए 15 लाख मकानों में से 11.61 लाख मकानों के पुनर्निर्माण का कार्य एवं स्वयं तथा 0.37 लाख मकानों के पुनर्निर्माण का कार्य गैर–सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करके हाथ में लिया है, तथा 0.60 लाख मकानों का पुनर्निर्माण गैर–सरकारी संगठन करेंगे। उपलब्ध सूचना के अनुसार 8 लाख मकानों का पुनर्निर्माण/मरम्मत कर दी गई है।

योग संस्थानों का खोला जाना

243. श्री वाई. जी. महाजन :

योगी आदित्यनाथ :

श्रीमती जस कौर मीणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक योग संस्थान खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन–कौन से स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) योग संस्थानों की स्थापना कब तक कर ली जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग केन्द्र प्रायोजित योजना "स्कूलों में योग संवर्धन" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत योग शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, योग प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु पुस्तकालय सुविधाओं के उन्नयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठन को वित्तीय सहायता दी जाती है। योग संस्थानों की स्थापना के लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ऐसे संस्थान स्थापित करती हैं।

[अनुवाद]

कश्मीरी पंडितों का पलायन

244. डा. बलिराम :

श्री रामरती बिन्द :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 20 मई, 2002 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के 'कश्मीर कनन्ड्रम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

की जानकारी है जिसमें एक सेवारत अधिकारी की सम्मतियां दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) समाचार पत्र साक्षात्कार में रिपोर्ट किए गए मामले अधिकारी का निजी दृष्टिकोण है।

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन

245. प्रो. दुखा भगत : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष और आज की तारीख तक राज्यवार खुले मुहाने वाली और भूमिगत खानों से कितना कोयला उत्पादन हुआ है;

(ख) विश्व के कोयला उत्पादक अन्य देशों की तुलना में कितनी मात्रा में कोयले का उत्पादन हुआ है;

(ग) देश में कोयला खानों में कम उत्पादकता के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने कोयला उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ओपन कास्ट तथा भूमिगत खानों से राज्यवार कोयले का उत्पादन निम्नानुसार है :

(मिलियन टन में)

राज्य	1999–2000			2000–2001			2001–2002*		
	ओ.सी.	यू.जी.	जोड़	ओ.सी.	यू.जी.	जोड़	ओ.सी.	यू.जी.	जोड़
आंध्र प्रदेश	16.77	12.79	29.56	16.49	13.79	30.28	7.06	13.75	30.81
असम	0.37	0.20	0.57	0.46	0.20	0.66	0.46	0.18	0.64
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	41.71	8.52	50.23	45.23	8.39	53.62
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03
झारखंड	61.22	15.31	76.53	61.74	13.68	75.42	64.10	12.70	76.80
महाराष्ट्र	23.20	4.50	27.70	24.21	4.54	28.75	26.59	4.24	30.83
मध्य प्रदेश	66.64	21.26	87.90	30.00	12.50	42.50	31.38	12.78	44.16
मेघालय	4.06	0.00	4.06	4.07	0.00	4.07	5.02	0.00	5.02
उड़ीसा	41.90	1.65	43.55	43.18	1.62	44.80	46.16	1.64	47.80
उत्तर प्रदेश	16.22	0.00	16.22	16.86	0.00	16.86	16.53	0.00	16.53
पश्चिम बंगाल	6.89	11.09	17.98	8.91	11.19	20.10	10.24	11.16	21.40
सम्पूर्ण भारत	237.27	66.83	304.10	247.63	66.07	313.70	262.77	64.87	327.64

टिप्पणी : (1) ओ.सी.–ओपनकास्ट (2) यू.जी.–भूमिगत (3) *अनंतिम

(ख) केलेन्डर वर्ष 2000 के दौरान विश्व में कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में, यथा उपलब्ध, कोयले का उत्पादन निम्नानुसार है :

(मिलियन टन में)

देश	वर्ष 2000 के दौरान उत्पादित कोयला
चीन	1231.09
यू.एस.ए.	895.19
भारत	315.56
आस्ट्रेलिया	239.43
साउथ अफ्रीका	222.74
रूस	152.54

(ग) देश में कोयला खानों में कम उत्पादकता के कारण इस प्रकार हैं :

(1) परम्परागत बोर्ड पिलर प्रणाली, जो यांत्रिकीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, का अनुसरण अधिकांश भूमिगत खानों में किया जा रहा है।

(2) प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियों के कारण भूमिगत खानों में बड़े पैमाने पर यांत्रिकीकरण किए जाने की गुजाइंश सीमित है।

(3) घाटे में चलने वाली कंपनियों में निधि की कमी।

(4) अधिशेष जनशक्ति।

(घ) कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं–नई परियोजनाओं का शुरू किया जाना/नई खानों का खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना, प्रौद्योगिकी का स्तर बढ़ाया जाना, उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना आदि।

[अनुवाद]

गुजरात के दंगों में नुकसान का सर्वेक्षण

246. श्री सी. के. जाफर शरीफ : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के दंगा पीड़ितों को हुए नुकसान/क्षति के संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या यह सच है कि कुछ पीड़ितों को उनके मकान ढहने/मकान क्षति होने पर मात्र 200 रुपए का मुआवजा दिया गया था जिसे बाद में मनमाने ढंग से बढ़ाकर 12,000 रुपए और 32,000 रुपए कर दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) दंगा पीड़ितों को हुए नुकसान के बारे में राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया गया। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 2002 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 11449 मामलों में 1531.72 लाख रुपए वितरित किए गए और शहरी क्षेत्रों में 15,533 मामलों में 1007.16 लाख रुपए आवास सहायता के रूप में वितरित किए गए।

(ग) और (घ) अपर्याप्त राहत के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं और इन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की सीटों की संख्या में कमी

247. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों की सीटों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार विशेषतः आंध्र प्रदेश में क्या कारण हैं; और

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इंजीनियरिंग कॉलेजों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं की जांच करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी संस्थानों की नियमित रूप से मानीटरिंग करती है। यदि कोई कमियां नजर आती हैं तो अनुमोदन की अवधि आगे बढ़ाने से पूर्व संबंधित संस्थान को उन कमियों में सुधार करने के लिए बता दिया जाता है।

अवैध रेडियो स्टेशन

248. श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले में अवैध रेडियो स्टेशनों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी गतिविधियां किस प्रकार की थीं और ये रेडियो स्टेशन किस देश के लिए काम कर रहे थे; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) यह दर्शाने वाली कुछेक रिपोर्टें हैं कि उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले में कुछ रेडियो स्टेशन चल रहे हैं जिनके स्थानीय रूप से तैयार किए गए मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। संचार मंत्रालय (डब्ल्यूपीसी) और उड़ीसा सरकार से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विनिवेश

249. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन ऑयल कारपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश की सीमा सहित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कम्पनियों में से प्रत्येक के शेयर का मूल्य कितना है;

(घ) इस बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) विनिवेश प्रक्रिया के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, सरकार समय–समय पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश प्रस्तावों पर विचार करती रहती है। प्रस्तावों पर अन्तर–मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से विचार किया जाता है और अंतिम निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय तेल निगम (आईओसी), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) और भारत गैस प्राधिकरण लि. (गेल) में इक्विटी के विनिवेश के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल सरकार की नई जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी नीति

250. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई जैव–प्रौद्यागिकी नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र भी पश्चिम बंगाल सरकार की इस नीति को लागू करने के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराता है;

(घ) यदि हां, तो अन्य राज्यों में भी ऐसी ही योजनाएं चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी नीति तैयार की है जिसमें जैवविविधता के संरक्षण, कृषिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, गांव के स्तर पर उद्योगों के संवर्धन तथा रोजगार के सृजन पर प्रमुख बल दिया गया है। इस नीति में जैवसूचनाप्रणाली के प्रयोग, आईपीआर सुरक्षा, जैवसुरक्षा और जैवनीतिशास्त्र संबंधी जानकारी के बारे में समाधान दिए गए हैं। इस प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों का भी प्रस्ताव किया गया है।

जिन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है वे हैं : अनाज फसलों का पराजनी विकास, जूट और चाय की खेती, औषधीय एवं सुगन्धित पादप, जीन बैंकों की स्थापना, जैवउर्वरक, जैवकीटनाशी, खाद्य टीके, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पशुधन रोगों के लिए टीके और वैकल्पिक संसाधनों के साथ प्रणाली प्रबंधन और जैव-भार विकास। जैवप्रौद्योगिकी नीति की निगरानी और उसके कार्यान्वयन को देखने के लिए, एक कार्यदल और जैवप्रौद्योगिकी पर एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

(ग) बायोटेक्नोलॉजी विभाग पश्चिम बंगाल के विभिन्न अनुसंधान संसाधनों, स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों के पहचान किए गए थस्ट क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। नीति बनाने के मामले में भी, विभाग को सम्बद्ध किया गया है।

(घ) और (ङ) डीबीटी के निकट सहयोग से अन्य कई राज्यों द्वारा भी जैवप्रौद्योगिकी के विकास, प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा अनुप्रयोग के लिए प्रयास किए गए हैं। उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि कुछ ऐसे राज्य हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

251. श्री सुनील खां : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्टें काफी समय से संसद में प्रस्तुत नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रिपोर्टों को सभा पटल पर कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के उपबन्धों के अनुसार, सरकार ने अब तक राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 की वार्षिक रिपोर्टें और लेखा परीक्षा रिपोर्टें तथा उनमें उल्लिखित सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा नीचे लिखी तारीखों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है :

क्र.सं.	वार्षिक रिपोर्ट का वर्ष	की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के साथ लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने की तारीख	की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट के साथ राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किए जाने की तारीख
1.	1992-93	26.8.1995	25.8.1995
2.	1993-94	16.5.1997	16.5.1997
3.	1994-95	14.12.1998	18.12.1998
4.	1995-96	23.12.1999	12.5.2000
5.	1996-97	19.12.2000	22.12.2000
6.	1997-98	18.12.2001	3.5.2002

वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्टें भी प्राप्त हो चुकी हैं। इन वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित सिफारिशें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विषयों से संबंधित हैं। इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

पाठ्य-पुस्तकों का मुद्रण

252. श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू शैक्षिक वर्ष के लिए स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रण में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों को उचित समय पर

पाठ्य–पुस्तकें प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बहुत पहले ही कक्षा II, IV, V, VII, VIII, X और XII के लिए सभी पाठ्य–पुस्तकों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) का प्रकाशन कर चुकी है और बाजार में इन्हें विक्रय के लिए भेज चुकी है। इसके अतिरिक्त कक्षा I, III, VI और IX के लिए अधिकांश नई पाठ्य–पुस्तकें (अंग्रेजी संस्करण) भी प्रकाशित की जा चुकी हैं और विक्रय के लिए बाजार में भेजी जा चुकी हैं। तथापि, कक्षा XI की कुछ पाठ्य–पुस्तकों (अंग्रेजी संस्करण) का मुद्रण किया जा रहा है और शीघ्र ही इन्हें जारी कर दिया जाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए हिन्दी, सामाजिक अध्ययन (कक्षा I, III, VI, और IX) तथा इतिहास और हिन्दी (कक्षा XI) की नई पाठ्य–पुस्तकें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित नहीं की गई हैं।

नकली दवाओं का जब्त किया जाना

253. श्री रामजी मांझी :
श्री अधीर चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में नकली दवाएं जब्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इनके विनिर्माताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है; और

(घ) दिल्ली पुलिस ने सभी दवा विनिर्माताओं और राजधानी में नकली दवाएं बेचने वाले केमिस्टों पर निगरानी रखने के लिए क्या उपाय किए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी, हां। श्रीमान।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस को मिली एक सूचना के आधार पर बड़ी मात्रा में नकली दवाओं का जखीरा, जिसे पटना में एक वितरक को भेजा जा रहा था, 14 मई, 2002 को तेलीबाड़ा क्षेत्र में एक गोदाम से बरामद किया गया। इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल के दौरान, कच्चा माल, दवा बनाने की मशीनों डाईयों आदि के अलावा अतिरिक्त मात्रा में नकली दवाएं दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश स्थित तीन फैक्टरियों से बरामद की गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य दो अभियुक्त फरार हैं।

(घ) नकली दवाओं के उत्पादन एवं वितरण की रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों में (क) दवा उत्पादक परिसरों एवं बिक्री केंद्रों का नियमित निरीक्षण; (ख) उनके असलीपन को परखने के लिए नकली ग्राहकों के माध्यम से दवाओं की खरीद; (ग) नकली दवाओं की बिक्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों की त्वरित जांच; (घ) नकली दवाओं के उत्पादन/बिक्री में संलिप्त संदिग्ध लोगों पर निगरानी; (ङ) प्रतिष्ठित उत्पादकों और डीलरों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखना ताकि संदेहास्पद गुणवत्ता वाली दवाएं, अगर कोई हैं तो, उनकी जानकारी लेना; (च) कुशल प्रवर्त्तन में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सलाहकार समिति का गठन करना शामिल है।

[हिन्दी]

मदरसों पर रोक लगाने के लिए कानून

254. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मदरसे बनाने हेतु सरकार से अनुमति लेने को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई विशेष कानून राज्यों के पास नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गैर पंजीकृत मदरसों और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई विधान लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जैसा कि दिनांक 21 जून, 2002 के 'जनसत्ता' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि इन संस्थाओं का दुरुपयोग आतंकवादियों के भर्ती केंद्रों के रूप में किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) मदरसा मुसलमानों में धार्मिक शिक्षा के लिए एक परंपरागत संस्थान है। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्यों में इन संस्थानों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए मदरसा बोर्ड है।

(ख) और (ग) इस समय, केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ मदरसे आतंकवादियों द्वारा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बदला जाना

255. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना संबंधी परियोजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की नई अवधारणा द्वारा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का किस प्रकार स्थान लिए जाने की संभावना है;

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संरचना, आदि में क्या अंतर है;

(घ) पूर्वोक्त अवधारणा के वित्तीय प्रभाव क्या होंगे;

(ङ) क्या सरकार इन संस्थानों के उन्नयन हेतु संबंधित राज्यों को निधियां प्रदान करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उन्नयन कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रणाली के कार्यकरण की समीक्षा करने और उसको सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने जून 1996 में डा. आर. ए. मशेलकर की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया था कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाए और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित किया जाए। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तन करने का मुख्य लक्ष्य उनको सुदृढ़ बनाना है ताकि वे छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा प्रदान कर सके। तदनुसार माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को संगत ज्ञापन/नियमावली का नया मसौदा परिचालित किया था तथा उन्हें अपने शासी बोर्ड के अनुमोदन से उसे अपनाने का अनुरोध किया था। 17 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में से अब तक 10 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों ने नए संगम ज्ञापन/नियमावली को अपना लिया है; भारत सरकार ने उन्हें (10 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजो को) पूर्ण शैक्षिक स्वायत्ता के साथ 'सम विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान किया है ताकि शैक्षिक नवाचार और उद्योग के साथ उनके अधिक से अधिक तालमेल को बढ़ावा दिया जा सके। उन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम दिया गया है।

जहां तक बाकी 7 क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों का संबंध है, मामले पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है तथा जैसे ही वे नए संगम ज्ञापन/नियमावली को अपना लेंगे तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे उन्हें भी 'सम विश्वविद्यालय' घोषित कर दिया जाएगा तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम दे दिया जाएगा।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परिवर्तित होते ही शासी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के अधिकार केन्द्र सरकार को अंतरित कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रधानाचार्य को निदेशक के रूप में पुनः पदनामित कर दिया जाएगा तथा संस्थान निदेशक की नियुक्ति का अधिकार भी केन्द्र सरकार को अंतरित कर दिया जाएगा।

(घ) से (च) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को राष्ट्रीय

प्रौद्योगिकी संस्थानों में परिवर्तित करने के लिए कुछ सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। तथापि, इन सुविधाओं के सृजन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था वृहत रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजट से की जाएगी।

बांग्लादेशियों को वापिस स्वदेश भेजना

256. श्री पुन्नू लाल मोहले :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री पी. आर. खूंटे :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेशियों की पहचान करने और देश में, विशेषतः दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वालों को स्वदेश भेजने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है और पश्चिम बंगाल पुलिस से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रणनीति को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेशी नागरिक दिल्ली और देश के अन्य भागों में अपराध और अव्यवस्था पैदा करने में लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) एक जनहित याचिका में, दिल्ली के उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने अवैध बांग्लादेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें दिल्ली से प्रत्यावर्तित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। अवैध बांग्लादेशियों की शिनाख्त में मदद करने के प्रयोजन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता मांगी गई है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करने और उन्हें प्रत्यावर्तित करने के लिए विशेष रूप से 10 टास्क फोर्स सृजित किए हैं। प्रगति का प्रबोधन करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव के अधीन एक नोडल अथारिटी गठित की गई है। इस रणनीति पर पहले ही कार्य हो रहा है और अभियान चल रहा है।

(ग) और (घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है अतः जब कभी बांग्लादेशियों के आपराधिक घटनाओं में संलिप्त होने की घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं तो राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा आपराधिक मामलों की जांच की जाती है। इस संबंध में आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

बीजीएमएल के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

257. के. एच. मुनियप्पा : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल) के कर्मचारियों के लिए कोई विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज लाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के कर्मचारियों को अन्य विभागों में स्थानान्तरित करने संबंधी विकल्प भी दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके दिनांक 29.1.2001 के पत्र के तहत प्रदान की गई स्वीकृति के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अंतर्गत भारत गोल्ड मांइस लिमिटेड (बीजीएमएल) को 1.3.2001 से बन्द कर दिया गया है। कंपनी को बंद करने/इसका समापन करने संबंधी मुद्दा कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है क्योंकि बीजीएमएल के तत्कालीन कर्मचारियों ने मुकदमा दायर किया हुआ है। इसलिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) बंद पड़े बीजीएमएल में लागू नहीं की जा सकती। तथापि, बीजीएमएल के तत्कालीन कर्मचारियों के अनुरोध तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के निदेशों तथा मानवीय आधार पर सरकार ने न्यायालय के निर्णय के अधीन फरवरी, 2001 तक प्रचलित

वीएसएस के समान विशेष टर्मिनल पैकेज देने का निर्णय लिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अल-कायदा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ

258. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश में विशेषकर कश्मीर और असम में अल–कायदा आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) देश में अल–कायदा की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (ग) सरकार को इस आशय की रिपोर्टें मिलती रही हैं कि तालीबान और अन्य विदेशी आतंकवादियों, जो नवम्बर, 2001 से पहले अफगानिस्तान में थे, की हार के बाद काफी बड़ी संख्या में भूतपूर्व तालीबान और संबद्ध रूढ़िवादी ग्रुप पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आ गए हैं। इन उग्रवादियों के, जैश–ए–मोहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा, अल बदर, हिज्बुल मुज्जाहिद्दिन इत्यादि जैसे आतंकवादी गुटों में शामिल होने की संभावना है ताकि इनकी जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ कराई जाए और जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों में आतंकवादी हिंसा में बढ़ोतरी की जा सके। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अल–कायदा के आतंकवादी जम्मू और कश्मीर असम में घुस आए हों। विभिन्न स्तरों पर निरंतर कूटनीतिक पहल करते रहने, सीमाओं/नियंत्रण रेखा पर सेना को पुनः तैनात करने तथा राज्य के अंदर आतंकवादियों के ऊपर दबाव बनाए रखने के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार से मिल कर एक बहु–आयामी रणनीति तैयार की है ताकि पाक समर्थित आतंकवादी गुटों/पाक आई.एस.आई. द्वारा जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। इस रणनीति में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल हैं, घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सभी स्तरों पर यू.एच.क्यू. के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के संस्थागत ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।

आतंकवादियों का सामना करने के लिए रणनीति, दांव पेंच और सुरक्षा बलों की सक्रिय तैनाती की राज्य में यूनिफाइड हैडक्वार्टर्स तथा आपेरशन ग्रुपों में विभिन्न स्तरों पर निरंतर समीक्षा की जाती है, उसमें सुधार किया जाता है और उस पर निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बायोडीजल नीति

259. डा. रामचन्द्र डोम :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार कोई व्यापक राष्ट्रीय बायोडीजल नीति लाने की योजना बना रही है जैसा कि 24 जून, 2002 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उक्त नीति की घोषणा और कार्यान्वयन कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों में एथनोल

ब्लैंड्स और अन्य बायो ईंधन का उपयोग किए जाने के संबंध में नीति संबंधी एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन से एथनोल के उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकी और मोटर ईंधन में बदलाव, इसके आर्थिक और वित्तीय लागत लाभ विश्लेषण, इसकी उपलब्धता, आदि की समीक्षा होने की आशा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि पर बायोईंधन वृक्षारोपण (अखाद्य तिलहन वाले वृक्षों) सहित वृक्षों का रोपण करना एक महत्वपूर्ण कार्य–कलाप है।

[हिन्दी]

वैदिक अनुसंधान केन्द्र

260. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर में वैदिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा लिखित वैदिक पुस्तकों/धर्मग्रंथों के विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने और इस साहित्य के प्रचार के लिए भी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी विशेषकर महाराष्ट्र में इस केन्द्र की शाखाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अजमेर में कोई वैदिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों का पंजीकरण

261. श्री हरिभाई चौधरी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया;

(ग) तत्संबंधी राज्यवार, और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार भूमिका क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

निलंबित पुलिस अधिकारियों की गैर-कानूनी गतिविधियां

262. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के अनेक निलंबित/बरखास्त अधिकारी गैर–कानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में आए उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें दिल्ली पुलिस के निलंबित/बरखास्त अधिकारी संलिप्त हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन अधिकारियों को इस प्रकार की गैर–कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) वर्ष 2001 तथा 2002 (30 जून, 2002 तक) में दिल्ली पुलिस के 14 कार्मिक, जिन्हें या तो बर्खास्त किया गया अथवा निलंबित किया गया, कथित रूप से डकैती, हत्या, लूट–खसोट आदि से संबंधित अपराधों में संलिप्त पाए गए।

(ग) दिल्ली पुलिस, भूतपूर्व पुलिस कार्मिकों, विशेषतः जिनके बारे में लाइसेंस शुदा अथवा गैर लाइसेंसी अग्नेयास्त्र रखने का संदेह है, की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है।

ग्रामीण गार्डों और परिषदों को हथियार और श्रमशक्ति प्रदान करना

263. श्री के. ए. सांगतम : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादियों का मुकाबला करने हेतु ग्रामीण गार्डों को अत्याधुनिक हथियार और ग्राम परिषदों को और अधिक श्रमशक्ति प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक राज्य को अलग-अलग दिए गए हथियारों और इस प्रकार दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए, माल के रूप में, विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की एक योजना कार्यान्वित करता रहा है, जिसके अंतर्गत वाहन, संचार उपकरण, शस्त्र और गोलाबारूद और सुरक्षा संबंधी अन्य उपस्कर, राज्य सरकारों को दिए जाते हैं। तथापि, इनका आगे वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

गुजरात दंगों में बलात्कार के शिकार

264. श्रीमती मिनाती सेन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात का दौरा करने वाले छः सदस्यीय तथ्यान्वेषी दल के अनुसार राज्य में हाल ही के साम्प्रदायिक हत्याकांड के दौरान महिलाएं अकल्पनीय, अमानवीय, क्रूर बलात्कारी हिंसा की शिकार हुईं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बलात्कार की शिकार अधिकांश महिलाओं को जिन्दा जला दिया गया;

(घ) यदि हां, तो क्या दौरा करने वाले दल ने छः जिलों के सात राहत कैम्पों में जीवित ऐसी महिलाओं के कथन रिकार्ड किए; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्रूर अपराधों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न दिनांक 10-12 मार्च, 2002 को आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमन्स एसोसिएशन के नेताओं के साथ सीपीआई (एम) के प्रतिनिधिमंडल के गुजरात दौरे के संदर्भ में है। इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद श्री सुबोध राय तथा 5 अन्य सदस्य थे। प्रतिनिधिमंडल ने 12-3-2002 को अपनी रिपोर्ट गुजरात के राज्यपाल को सौंप दी। इस रिपोर्ट की एक प्रति श्री सोमनाथ चटर्जी, सांसद ने 15-3-2002 के अपने पत्र के तहत केन्द्रीय गृह मंत्री को भेजी। मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के साथ माननीय सांसद महोदय के पत्र की प्रतिलिपि तुरंत कार्रवाई हेतु राज्य सरकार को भेजी है।

ताप विद्युत संयंत्रों के बकाया बिल

265. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत समय में बिलों का भुगतान न करने के कारण अनेक ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में बाधा आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख में कोल इंडिया लि. के संयंत्र-वार कुल कितनी धनराशि के बिलों का भुगतान नहीं किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, तापीय विद्युत

संयंत्रों को कोयला आपूर्तियों के भुगतान को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से अग्रिम राशि जमा करानी होती है या अपरिवर्तनीय आवर्ती साख–पत्र जारी करना होता है। दुर्भाग्यवश, कुछ मामलों में विद्युत संयंत्र समय पर तथा पर्याप्त भुगतान सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, कभी–कभी कोयले की आपूर्तियां प्राप्त भुगतान के साथ नियमित की जाती हैं।

(ग) सी.आई.एल. तथा अनुषंगी कोयला कंपनियां प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड (एस.ई.बी.) के बकाया देयों का लेखा–जोखा रखती हैं। 30.6.2002 को सी.आई.एल. तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों को भुगतान किए जाने वाले बकाया देय अनुषंगी–वार संलग्न विवरण में हैं।

(घ) बकाया देयों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कैश एंड कैरी पद्धति द्वारा।

(2) संबंधित राज्यों की केन्द्रीय योजनागत सहायता (सी.पी.ए.) से वसूली।

(3) राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.) के कोयला बिक्री देयों का विद्युत बिलों, रायल्टी, उपकर के प्रति समायोजन।

(4) सरकार ने देयों के प्रतिभूतिकरण की एक योजना प्रारंभ की है।

(5) विवादित बकाया देयों का सरकार द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायकों के माध्यम से निपटारा।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों के नाम	30.6.2002 को बकाया देय		
	विवादित	अविवादित	जोड़
1	2	3	4
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड	30.30	216.43	246.73
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	0	8.25	8.25
उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड	17.93	362.07	380.00
पंजाब विद्युत बोर्ड	193.81	76.14	269.95
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	210.58	219.82	430.40
हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	0.04	14.25	14.29
राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	12.10	74.42	86.52
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	424.80	151.30	576.10
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड	238.60	907.95	1146.55
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड	0	39.88	39.88
गुजरात विद्युत बोर्ड	10.46	436.36	446.82
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड	4.11	0.80	4.91
पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	53.49	928.40	981.89
आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड	0	14.42	14.42
कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि.	0	6.51	6.51
दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1.86	247.55	249.41
दामोदर वैली कारपोरेशन लि.	91.88	9.74	101.62
दिल्ली विद्युत बोर्ड	8.33	10.28	18.61
बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	239.22	348.88	588.10
नेशनल थर्मल पावर स्टेशन	221.35	188.72	410.07
कलकत्ता विद्युत सप्लाई कार–पोरेशन (सी.ई.एस.सी)	0.75	23.52	24.27
अहमदाबाद विद्युत कारपोरेशन (ए.ई.सी.)	10.92	9.70	20.62
बोम्बे सबरबन इलैक्ट्रिक कंपनी (बी.एस.ई.एस.)	0.21	0.51	0.72
दुर्गापुर पावर सप्लाई (डी.पी.एस.)	0	0.93	0.93

1	2	3	4
तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन	0	35.34	35.34
हीराकुंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड	0	0.22	0.22
उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन	6.8.	7.92	14.72
जोड़	1777.54	4340.31	6117.85

काल गर्ल रैकेट

266. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया', नई दिल्ली 'काल गर्लस कमिंग इजीली फ्राम रशिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि रूस और सीआईएस देशों की औरतों का कालगर्ल रैकेट दिल्ली में गत तीन वर्षों से चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रैकटों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) समाचार में उल्लिखित हत्याकांड की जांच–पड़ताल से प्रथम दृष्टया पता चला है कि मृतक देह व्यापार में संलिप्त था। विदेशी राष्ट्रिकों की संलिप्तता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

पंचायतों को सीधे निधियां दिया जाना

267. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की अनदेखी करके पंचायतों को सीधे ही अनुदान/निधियां प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों को निधियां दिए जाने के ऐसे तरीकों का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान/निधियां या तो राज्य सरकारों को अथवा जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पंचायतों को वित्तीय अधिकार

268. श्री महेश्वर सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पंचायती राज संस्थाओं को अलग–अलग अनुपात में वित्तीय शक्तियां सौंपी हैं।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय उच्च स्तरीय बैठकों के जरिए और मुख्य मंत्रियों, राज्यों के पंचायती राज्य मंत्रियों/राज्य सचिवों के साथ पत्राचार के द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करता रहा है कि वे पंचायतों को और अधिक शक्तियां सौंपें जैसा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पना की गई है। जुलाई, 2001 में नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्तियां सौंपेंगे। अप्रैल, 2002 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित हुआ। जिसमें 1327 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह संकल्प व्यक्त किया गया कि 31.12.2002 तक शक्तियां सौंप दी जाएंगी। फलस्वरूप, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित तिथि तक पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

269. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस संबंध में उपरोक्त विश्वविद्यालय से उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा में कितने लोग प्रशिक्षित किए गए;

(घ) इस संबंध में अन्य ब्यौरे क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 1999–2000 से 2001–2002 के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, अधिकांश मामलों में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भुगतान किए गए पूर्व अनुदान का उपायोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर ही विश्वविद्यालयों को अनुदानों की अगली किस्त जारी की जाती है।

(ग) और (घ) इस समय, कम्प्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या पर कोई डाटाबेस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नहीं रखा जाता।

विवरण

1999–2000 से 2001–2002 के दौरान कम्प्यूटर शिक्षा के संवर्धन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय की श्रेणी	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	100.54	19.50	81.37
2.	सम विश्वविद्यालय	69.00	50.74	104.90
3.	राज्य विश्वविद्यालय	721.54	200.99	351.63
	कुल	891.08	271.23	537.90

आसूचना ब्यूरो को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाना

270. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के आसूचना ब्यूरो और इससे संबद्ध विभागों को चुस्त–दुरुस्त बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ, सम्पूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु अप्रैल, 2002 में स्थापित मंत्रियों के ग्रुप (जीओएम) ने आसूचना ब्यूरो सहित देश में आसूचना ढांचे से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की है। मंत्रियों के ग्रुप की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में सिफारिशों का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है।

[हिन्दी]

असम सीमा से बांग्लादेशियों की घुसपैठ

271. श्री राम टहल चौधरी :

श्री शिवाजी माने :

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सीमाओं से बांग्लादेशियों की घुसपैठ आज भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस तरह की घुसपैठ को रोकने में सरकार के सामने क्या कठिनाइयां आ रही हैं;

(ग) क्या इस कथित घुसपैठ को आईएसआई द्वारा अंजाम दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में असम राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) घुसपैठ रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आईएसआई की गतिविधियां

272. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री अधीर चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी बम विस्फोट करने के लिए कई तरह से मोबाइल फोनों और पेजरों का उपयोग कर रहे हैं; जैसा कि दिनांक 10 जून, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में आईएसआई प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा मोबाइल फोनों और पेजरों का दुरुपयोग रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) मोबाइल फोन सेवा और पेजर का प्रयोग करके बम विस्फोट करने की आतंकवादियों की क्षमताओं के बारे में सरकार को जानकारी है। तथापि, अभी तक ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) और (घ) देश में राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा मोबाइल फोन और पेजरों का दुरुपयोग रोकने के लिए संबंधित एजेन्सियों को निर्देश जारी किए गए हैं और सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सभी एजेन्सियों को, सेल-फोन कनेक्शन और कैश कार्ड की बिक्री/पंजीकरण करते समय निवास का पता, पहचान इत्यादि के बारे में सबूत प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया गया है।

छात्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा करना

273. **श्री ए. ब्रह्मनैया :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ देशभर में बहुधा प्रदर्शनियां आयोजित करती है;

(ग) क्या विज्ञान प्रदर्शनियां आदि आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालयों के सहयोग से कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे चलने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत ''बचदा'') : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यतः सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कोई प्रदर्शनी एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं करती। तथापि विद्यार्थियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रुचि जगाने के लिए विश्वविद्यालयों को विशिष्ट विषय आधारित प्रदर्शन तथा प्रदर्शनियों का विकास करने के लिए सहायता और प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग) विज्ञान प्रदर्शनियों सहित विशेष कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों के सहयोग के साथ कार्यान्वित किया जाता है, जिनका प्रारंभ या समापन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस/प्रौद्योगिकी दिवस पर होता है।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है।

कोयले के संबंध में भारत-चीन की बैठक

274. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के संबंध में भारत–चीन कार्यदल की हाल ही में चीन में बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, बैठक में किस एजेंडे पर चर्चा हुई और उसमें क्या निर्णय लिए गए?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां। कोयले पर इंडो–चीन कार्यकारी दल का 8वां सत्र 4 से 5 जून, 2002 को बीजिंग में आयोजित किया गया था।

(ख) भारत और चीन दोनों पक्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमत हो गए हैं :

(1) कोयला उद्योग में नीतियों, नियमों और ढांचागत समायोजनों का आदान–प्रदान।

(2) खान सुरक्षा पर्यवेक्षण पर प्रौद्योगिकी और अनुभव का आदान–प्रदान।

विचार–विमर्श की गई कार्य–सूची और लिया गया निर्णय संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कोयले पर इंडो–चीन कार्यकारी दल का 8वां सत्र 4–5 जून, 2002 को बीजिंग में आयोजित किया गया था। कोल इंडिया लि. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. के संबंध में निम्नलिखित कार्य–सूची पर विचार–विमर्श किया गया :

कोल इंडिया लि.

(1) ईसीएल की झांझरा परियोजना

(2) बीसीसीएल की मूनीडीह परियोजना

(3) एसईसीएल की चुर्चा खान की हार्ड रूफ प्रबंधन तकनीक

(4) विद्यमान लांगवाल मुहानों का कार्य–निष्पादन

(5) भारत में कलपुर्जों का सह–विनिर्माण

(6) लांगवाल उपकरण हेतु वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध

(7) भारत में बांडेड भंडार–गृहों की स्थापना

(8) कलपुर्जों की सूची

(9) एसईसीएल की बलरामपुर परियोजना हेतु शार्ट लांगवाल उपकरण

(10) एसईसीएल की 3 लांगवाल परियोजना के विद्युत सपोर्ट को सुदृढ़ करना

(11) अधिक खपत वाले (फास्ट मूविंग) कलपुर्जों के आरेख का विनिर्माण

(12) एक वर्ष की वैधता के साथ कलपुर्जों की मूल्य सूची

(13) भारतीय पक्ष के सहयोग से चीन में ओपनकास्ट खान का विकास

(14) रेसिन कैप्सूल का उपयोग करने वाली रूफ बोल्टिंग प्रौद्योगिकी

(15) खान श्रमिकों का पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्वास

(16) बीसीसीएल की मधुबन जैसी खड़ी ढाल वाली खान में यंत्रीकृत शार्ट लांगवाल पद्धति से कोयले का उत्खनन

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.

(1) चीन द्वारा आपूर्तित 2 लांगवाल उपकरणों के उत्पादन संबंधी कार्य–निष्पादन की, उनमें आई बड़ी खराबियों और उनके निवारात्मक उपायों सहित समीक्षा।

(2) मैसर्स आंध्र प्रदेश हैवी मशीनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड (एपीएचएमईएल) के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में सीएमई, चीन द्वारा स्पेयर पार्ट्स डिपो, सर्विसिंग केन्द्र तथा कलपुर्जों का सह–विनिर्माण।

(3) खरीद संबंधी आदेशों के एवज में सामग्री की आपूर्ति में विसंगति।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

(1) जहां भी संभव हो, लिग्नाइट क्षेत्रों में भूमिगत गैसीयकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना।

(2) गहरे पैठे हुए तथा तटीय लिग्नाइट क्षेत्रों में (गहराई 200 मीटर से अधिक) जलीय–उत्खनन तथा अन्य प्रौद्योगिकीयों के विकास तथा अंगीकरण की सम्भाव्यता।

(3) कन्वेयर्स के सहयोग से कठोर तथा चिपचिपे ऊपरी मलबे की परत में सरफेस माइनर्स का उपयोग किया जाना।

(4) खारे पानी के अंतर्वेधन तथा एक्विफर को पुनः चार्ज करने के बारे में नवीनतम प्रौद्योगिकी।

(5) पानी को पम्प किए जाने तथा बड़े स्तर पर पम्पिंग द्वारा नीचे खींचना/डिप्रेशराइजेशन करने के अलावा, कोई अन्य पद्धति जैसे जमाना तथा खुदाई।

(6) आरओएम लिग्नाइट से मार्कोसाइट पृथक्करण की पद्धति।

(7) उच्च क्षमता बैल्टों के बार–बार विफल होने तथा रिकंडीशन्ड बैल्टों की अवधि में नए बैल्टों के सामने 80 प्रतिशत तक सुधार किए जाने को ध्यान में रखते हुए नवीनतम बैल्ट वल्कनाइजिंग/रिकंडीशनिंग तकनीक।

(8) लिग्नाइट पूर्वेक्षण के लिए सतही भू–भौतिकी अन्वेषण तकनीक।

(9) लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृहों से फ्लाई ऐश के निपटान की पद्धति।

(10) परती भूमि और ऐश पौंड निष्कर्षण पर पर्यावरणीय विकास तथा लिग्नाइट बैड मीथेन का उपयोग।

(11) लिग्नाइट बैड मीथेन का निष्कर्षण तथा उपयोग।

सामान्य

(1) कोयला खान सुरक्षा पर्यवेक्षण और कार्मिक प्रशिक्षण।

उपर्युक्त कार्यसूची मदों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :

कोल इंडिया लिमिटेड

(1) चाइना नेशनल कोल माइनिंग इक्विपमेंट एण्ड इंजीनियरिंग ग्रुप कं. लि. (सीएमई) चीन, झांजरा

में खदान आर–VI सीम के लिए 4.5 मी. निष्कर्षण हेतु 10 जुलाई, 2002 तक प्रौद्योगिकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और ईसीएल से करार करने के लिए बातचीत करेगा जिसे उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(2) सीएमई, चीन मूनीडीह परियोजना के लिए 15 जुलाई, 2002 तक एक पूर्ण प्रौद्योगिकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव पेश करेगा और बीसीसीएल से करार करने के लिए बातचीत करेगा जिसे उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(3) हार्ड रूफ मेनेजमेंट के लिए एसईसीएल के सहयोग से एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का पता लगाने के लिए चीनी पक्ष सहमत हो गया है जो डीजीएमएस, भारत को स्वीकार्य होना चाहिए।

(4) एसईसीएल में विद्यमान लांगवाल फेसेज के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सीएमई मामले को उनके विनिर्माताओं के साथ सख्ती से उठाने के लिए सहमत हो गया है जिससे स्पेयर पार्टों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार किया जा सके।

(5) सीएमई चीन जुलाई, 2002 में भारत के अपने अगले दौरे के दौरान भारत में स्पेयर पार्टों के सह–विनिर्माण के मुद्दे को उठाने के लिए सहमत हो गया है।

(6) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अब वार्षिक रख–रखाव ठेके की आवश्यकता नहीं है।

(7) दोनों पक्ष भारत में बांडेड वेयरहाउस की स्थापना पर और आगे पहल न करने पर सहमत हुए।

(8) सीएमई, चीन कलपुर्जों तथा मशीन के भागों (सब असेंबलियों) की सूची (कैटलोग) को अद्यतन बनाए रखने पर सहमत हुआ।

(9) एसईसीएल की बलराम पर परियोजना हेतु शार्ट लांगवाल उपकरण के लिए सीएमई, चीन जैस्सोप एण्ड कंपनी लि. में जीवन चक्र परीक्षण हेतु एक नई लैग की जून, 2002 तक आपूर्ति करने पर सहमत हुई।

(10) एसईसीएल की तीन लांगवाल परियोजनाओं के लिए पावर्ड सपोर्ट को मजबूत करने के लिए भारत में उपलब्ध स्टील प्लेट तथा स्टील के विनिर्देशन के ब्यौरे का सीएमई द्वारा परीक्षण किया जाना होगा। सीएमई, एसईसीएल से ब्यौरे मिलने के पश्चात दो सप्ताह के भीतर वापस अपनी रिपोर्ट देने पर सहमत हुई।

(11) अधिक खपत वाले कलपुर्जों के विनिर्माण हेतु सीएमई द्वारा एसईसीएल को 234 आरेख दी जा चुकी है। सीएमई अगले चार महीनों में और आरेखों (ड्राइंग्स) की पहचान करने के लिए सहमत हुई।

(12) सीएमई, एसईसीएल को एक वर्ष की वैधता वाली कलपुर्जों की मूल्य सूची देने पर सहमत हुई।

(13) चीनी पक्ष चीन की वैयक्तिक कंपनियों को भारत के साथ ओपनकास्ट खानों में सहयोग के लिए परामर्श देने हेतु सहमत हुआ।

(14) चूंकि पहले वाला प्रस्ताव अलाभकारी था, चीनी पक्ष रेसिन कैप्सूल का उपयोग करके रूफ बोल्टिंग टैक्नोलोजी हेतु एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर सहमत हुआ।

(15) खान श्रमिकों के पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए दोनों पक्ष अपने अनुभव के आधार पर सूचना के आदान–प्रदान के लिए सहमत हुए।

(16) बीसीसीएल की मधुबन जैसी तीव्र ढाल वाली खान में मशीनीकृत शार्ट लांगवाल पद्धति से कोयले के निष्कर्षण के लिए चीनी पक्ष ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। भारतीय पक्ष ने सुझाव दिया कि सीएमई द्वारा मामले पर बीसीसीएल के साथ विचार–विमर्श करें तथा मामले को सुलझा लें।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

(1) भारतीय तथा चीनी पक्ष, एससीसीएल में प्रचालनरत चीनी लांगवाल उपकरण के उत्पादन में कमी के विभिन्न कारणों की संयुक्त समीक्षा पर सहमत हुए जो जुलाई, 2002 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

(2) सीआईएल के इसी प्रकार की मदों के संबंध में

लिए गए निर्णय एससीसीएल पर भी लागू होंगे।

(3) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीएमई तथा एसईसीएल क्रय आदेश पर सामग्री की आपूर्ति में विसंगति के मामले दो माह के भीतर सुलझा लेंगे।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड

एनएलसी की कार्यसूची की मदों पर चर्चा की गई तथा चीनी पक्ष ने सूचित किया कि उनके द्वारा एनएलसी से संबंधित कार्यसूची मदों में उल्लिखित सभी क्षेत्रों में सहयोग देना संभव नहीं होगा क्योंकि चीन में लिग्नाइट का उत्पादन काफी कम है। तथापि, चीनी पक्ष उपर्युक्त मुद्दों पर, जहां कहीं चीन में टैक्नोलॉजी उपलब्ध है, सूचना के आदान-प्रदान के लिए सहमत हुआ।

सामान्य

(1) कोयला खान में सुरक्षा पर्यवेक्षण तथा कार्मिक प्रशिक्षण के लिए, चीनी पक्ष ने अपनी खानों में सुरक्षा कार्य-निष्पादन में सुधार की दृष्टि से इस क्षेत्र में सहयोग के लिए अपनी इच्छा प्रकट की।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए प्राप्त परियोजना प्रस्ताव

275. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 128.30 करोड़ की लागत वाली विशेष परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु राजस्थान सरकार से 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक केवल 4 परियोजनाओं को ही स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) सरकार के पास लंबित शेष परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी/स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत राजस्थान सरकार से अब तक 37 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 9 परियोजना प्रस्तावों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। परियोजना लागत के केन्द्रीय हिस्से और अब तक की गई केन्द्रीय रिलीज सहित स्वीकृत परियोजनाओं की सूची विवरण-I में दी गई है।

शेष 28 परियोजना प्रस्तावों की जांच की गई तथा एसजीएसवाई के विशेष परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाए गए। इन परियोजनाओं की स्थिति सहित सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत राजस्थान के लिए स्वीकृत विशेष परियोजनाओं की सूची

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विशेष परियोजना का नाम	परियोजना लागत में मंत्रालय का हिस्सा	कुल रिलीज
1	2	3	4
1.	राजस्थान के धौलपुर जिले में जल एकत्रीकरण ढांचे के निर्माण के लिए विशेष परियोजना	369.525	334.562
2.	झालावार (राजस्थान) में समुदाय प्रबंधित जल संसाधन विकास परियोजना के लिए विशेष परियोजना	634.700	238.010
3.	बारन जिले में जल विकास के लिए विशेष परियोजना	873.750	349.500

1	2	3	4
4.	राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में लोगों के पहल के जरिए सामुदायिक सिल्वी पास्चर के विकास के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना	289.910	115.960
5.	राजस्थान के बूंदी जिले में जल संसाधन विकास के अधिकतम उपयोग और समुदाय प्रबन्धित मृदा एवं जल संरक्षण के लिए विशेष परियोजना	166.500	66.600
6.	राजस्थान के टोंक जिले में लूज स्टोन चेक डेम के निर्माण के लिए विशेष परियोजना	564.300	225.700
7.	जल एकत्रीकरण ढांचा के निर्माण के जरिए कोटा जिले में बीपीएल परिवारों के विकास के लिए विशेष परियोजना	883.500	353.000
8.	राजस्थान के भरतपुर, भीलवाड़ा बीकानेर, चित्तौड़गढ़ जैसलमेर, झुनझुनू, कोटा, माऊण्ट आबू, राजसमन्द और उदयपुर जिले में स्थायी विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु विशेष परियोजना	525.000	210.000
9.	राजस्थान के सीकर जिले में सीकर डेयरी परियोजना के लिए विशेष परियोजना	825.000	330.000
	कुल	5132.185	2223.332

विवरण-II

परियोजनाएं जो या तो राज्य सरकार को लौटा दी गई हैं या अस्वीकृत कर दी गई हैं, की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1	2	3
1.	राजस्थान के उदयपुर जिले में ग्रामीण स्तर पर डेयरी और ढांचागत विकास के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
2.	राजस्थान के चुरू जिले के राजगढ़ खंड में ग्रामीण महिलाओं के लिए आय सर्जक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
3.	राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में दूध उत्पादक सहकारी समिति के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
4.	राजस्थान के राजसमन्द जिले के पीएस भीम खंड में एनीकट पर विशेष परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
5.	राजस्थान के सीकर जिले में गरीबी उपशमन हेतु विशेष परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।

1	2	3
6.	राजस्थान के जालौर जिले में ग्रामीण सड़क नेटवर्क के जरिए विपणन व्यवस्था हेतु विशेष परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
7.	जयपुर के चोमू शाहापुरा खंड के पास चिलिंग केन्द्रों के निर्माण के लिए प्रस्ताव	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
8.	राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में ग्रामीण सड़क नेटवर्क के जरिए पशुपालन और कृषि के विकास के लिए परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
9.	राजस्थान के अजमेर जिले में मिल्क यूनियन के ढांचागत विकास मौजूदा डेयरी प्लांट के विस्तार के लिए परियोजना	प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास इस सलाह के साथ लौटा दिया गया था कि राज्य सरकार नाबार्ड/राष्ट्रीय डेयरी डेवलमेंट बोर्ड से चिलिंग सेन्टर के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर सकती है।
10.	राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में समन्वित वर्षा जल एकत्रीकरण पर परियोजना रिपोर्ट	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
11.	राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा डेयरी प्लांट और डेयरी विकास कार्यक्रम के विस्तार पर विशेष परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
12.	राजस्थान के नोखा, बीकानेर जिले में डेयरी प्लांट के विस्तार, लूंकरन्सार, बिजू, छतारगढ़, चिलिंग प्लांट के विकास और मिल्क चिलिंग सेन्टर की स्थापना के लिए परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
13.	राजस्थान के चित्तौड़गढ़, जिले में बीएआईएफ के जरिए कमजोर वर्गों के लिए अभिनव बकरा विकास परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
14.	चित्तौड़गढ़ के डेयरी प्लांट के विस्तार और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भायसरोड गढ़ में डेयरी विकास कार्य के लिए परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
15.	राजस्थान के चुरू जिले में लकड़ी के फर्नीचर/हस्त शिल्प सामान्य सुविधा सह उत्पादन केन्द्रों की स्थापना के लिए परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
16.	राजस्थान के दारीबा, सूजनगढ़, चुरू जिले में हस्तकरघा बुनकर विकास प्रशिक्षण और विक्रय केन्द्र की स्थापना के लिए परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
17.	राजस्थान के राजगढ़, चुरू जिले में चिलिंग प्लांट के निर्माण के लिए परियोजना	परियोजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।

1	2	3
18.	राजस्थान के दौसा जिले में डेयरी गतिविधियों के विकास के लिए परियोजना	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
19.	राजस्थान के दौसा जिले में ग्रामीण सड़क नेटवर्क के जरिए पशुपालन और कृषि के विकास के लिए परियोजना	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
20.	राजस्थान के जयपुर जिले में डूडू, चोमू और शाहापुरा ब्लॉक में चिलिंग सेन्टर की स्थापना के लिए परियोजना	प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास इस सलाह के साथ लौटा दिया गया था कि राज्य सरकार नाबार्ड/राष्ट्रीय डेयरी डेवलमेंट बोर्ड से चिलिंग सेन्टर के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर सकती है।
21.	राजस्थान के जयपुर जिले में पशुधारा केन्द्र की स्थापना के लिए परियोजना	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
22.	राजस्थान के जामवा, रामगढ़ और जयपुर जिले में जल एकत्रीकरण ढांचे पर विशेष परियोजना	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
23.	राजस्थान के जालौर जिले में केरिया क्रास बांध और इससे संबंधित कार्यों के निर्माण के लिए परियोजना	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
24.	राजस्थान के नागौर जिले में ग्रामीण सड़क नेटवर्क के जरिए पशुपालन और कृषि के विकास के लिए परियोजना	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
25.	राजस्थान के राजसमन्द जिले में समुदाय प्रबंधित जल एकत्रीकरण के लिए विशेष परियोजना	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।
26.	राजस्थान के बीकानेर जिले में उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के ढांचागत विकास के लिए विशेष परियोजना	राज्य सरकार से परियोजना उत्तर पर मंत्रालय को दी गई अपनी टिप्पणियों में पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए परि-योजना राज्य सरकार को भेजी गई, की प्रतीक्षा है।
27.	राजस्थान के भरतपुर जिले के भरतपुर मिल्क यूनियन के ढांचागत विकास के लिए परियोजना रिपोर्ट	राज्य सरकार से परियोजना उत्तर पर मंत्रालय को दी गई अपनी टिप्पणियों में पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए परि-योजना राज्य सरकार को भेजी गई, की प्रतीक्षा है।
28.	राजस्थान के डुंगरपूर जिले में एसजीएसवाई के अंतर्गत समन्वित गरीबी उपशमन के लिए परियोजना प्रस्ताव	परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। अतः इसे अस्वीकृत कर राज्य सरकार को लौटा दी गई।

[हिन्दी]

नगर निगमों को सीधे धन भेजना

276. श्री सुबोध राय : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए दिल्ली नगर निगम को सीधे धन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विशेषकर बिहार में नगर निगमों को सीधे धन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां। दिल्ली में शहरी अवस्थापना में वृद्धि करने के लिए सड़कों के निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम को अक्तूबर 2001 में शहरी विकास कोष से 100 करोड़ रुपए (50 प्रतिशत ऋण + 50 प्रतिशत सहायता अनुदान) की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ख) से (घ) जी, नहीं। इस समय योजना का दिल्ली में शहरी अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं को सहायता देने का विचार है।

किसानों को यूरिया की आवश्यकता

277. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को बड़ी मात्रा में यूरिया (रासायनिक उर्वरक) की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्यों में यूरिया अभी भी सहकारी समितियों के माध्यम से बेचा जा रहा है और यह खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में काई ज्ञापन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। देश में सभी रसायन उर्वरकों में से यूरिया की खपत सबसे अधिक है।

(ख) राज्य के भीतर उर्वरक के वितरण का दायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है। सामान्यतः कृषकों को उर्वरकों का वितरण सहकारी नैटवर्क, राज्य सरकार और खुले बाजार में निजी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। तथापि, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा और नागालैण्ड में यूरिया का वितरण राज्य संस्थागत एजेंसियों/राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में यद्यपि यूरिया का वितरण मुख्यतः राज्य संस्थागत एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है, फिर भी उर्वरक कम्पनियों को कम्पनी के स्वयं के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से भी उर्वरकों की बिक्री करने की अनुमति है।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कंपनी के स्वयं के खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से यूरिया की बिक्री करने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व भारत सरकार ने अभ्यावेदन प्राप्त करने के पश्चात निजी व्यवस्था के माध्यम से यूरिया का विपणन प्रारम्भ करने के संबंध में विचार करने हेतु यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया था।

[अनुवाद]

स्नातक स्तर से नीचे और स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास का पाठ्यक्रम

278. श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को स्नातक स्तर से नीचे वाली कक्षाओं और स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ अध्यायों को शामिल करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए अध्यायों की विषय–वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा प्रतिरोध जताया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ अध्यायों को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालयों को कोई निर्देश नहीं दिया है। तथापि, उच्चतर शिक्षा के मानकों के समन्वय और अनुरक्षण करने संबंधी इसके अधिदेश के अनुसरण में और शिक्षण और अनुसंधान में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पाठ्यचर्चा तैयार करने वाली समितियों की सहायता से विभिन्न विषयों में अवर स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर मॉडल पाठ्यचर्याएं तैयार की हैं जिनमें इतिहास और पुरातत्व विज्ञान भी शामिल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मॉडल पाठ्यचर्याएं विश्वविद्यालयों को परिचालित की हैं जिसमें इन्हें पाठ्यचर्याओं को पूर्णतः अपनाने अथवा कुछ आवश्यक परिवर्तन जिन्हें विश्वविद्यालय उपयुक्त समझें, करके अपनाने का विकल्प दिया गया है। इतिहास की मॉडल पाठ्यचर्या की पाठ्यक्रम सामग्री का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

इतिहास की मॉडल पाठ्यचर्या के पाठ्यक्रम विषय–वस्तु के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

अवर स्नातक स्तर

बी.ए. (पास)

पेपर I : भारत का इतिहास 1200 ई. तक

पेपर II : भारत का इतिहास 1200–1757 ई. तक

पेपर III : भारत का इतिहास 1757–1950 ई. तक

पेपर IV : आधुनिक विश्व–15वीं शताब्दी मध्य से द्वितीय विश्व युद्ध तक

बी.ए. (आनर्स)

समिति का सुझाव है कि बी.ए. (आनर्स) पाठ्यक्रम में आठ पेपर होने चाहिए–दो प्रथम वर्ष में दो द्वितीय वर्ष में और चार अंतिम वर्ष में। इन आठ पेपरों में से, चार भारतीय इतिहास में और चार भारतीय इतिहास से इतर होने चाहिए। भारतीय इतिहास पेपर अनिवार्य होना चाहिए। भारत को छोड़कर अन्य देशों के इतिहास में से निम्न में से चार पेपर छात्र चुन सकते हैं।

1. आधुनिक पश्चिमी विश्व का उदय, 15वीं मध्य से 18वीं शताब्दी तक
2. आधुनिक यूरोप का इतिहास, 1789 से 1945 ई. तक
3. संयुक्त राज्य अमरीका का इतिहास, 1776 से 1945 ई. तक
4. चीन और जापान का इतिहास, 1840 से 1949 ई. तक
5. दक्षिण पूर्व एशिया का इतिहास, 1800 से 1970 ई. तक
6. पश्चिमी एशिया का इतिहास, 16वीं मध्य से 19वीं शताब्दी तक
7. अफ्रीका का इतिहास, 15वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक
8. रूस का इतिहास
9. इंग्लैंड का इतिहास 1688 से 1945 ई. तक
10. लैटिन अमरीका का इतिहास, 15वीं मध्य से वर्तमान समय तक

स्नातकोत्तर स्तर

एम.ए.

एम.ए. स्तर पर समिति ने चार कोर पेपरों की सिफारिश की है जो एम.ए. इतिहास करने वाले सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होंगे। ये पेपर निम्नलिखित हैं :

1. इतिहास लेखन, ऐतिहासिक अवधारणा, विधियां एवं उपकरण
2. प्राचीन समाज
3. मध्यकालीन समाज
4. बीसवां शताब्दी का विश्व

विशिष्ट पाठ्यक्रम

1. प्राचीन भारत का इतिहास	—	दो पेपर
2. मध्यकालीन भारत का इतिहास	—	दो पेपर
3. आधुनिक भारतीय इतिहास	—	दो पेपर
4. भारतीय पुरातत्व विज्ञान	—	दो पेपर

ऐच्छिक पाठ्यक्रम

ये पेपर उन तथ्यों पर आधारित हैं जिनको तिथियों की सीमाओं में सीमित नहीं किया गया है ताकि तुलनात्मक विश्लेषण को प्रोत्साहन दिया जा सके।

3.1 प्राचीन समाज : इससे छात्रों को क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर प्राचीन समाजों को व्यापक रूप से समझने का मौका मिलेगा। पाठ्य विवरणिका में व्यापार, वाणिज्य, शहरीकरण, धर्म, संस्कृति, राज्य का गठन इत्यादि शामिल हैं।

3.2 मध्यकालीन समाज : इससे उपरोलिखित उद्देश्यों के मद्देनजर संक्रमण और कार्य की प्रक्रियाओं को गहराई से समझा जा सकेगा। इस पेपर में तीन यूनिट होंगी–यूनिट 1 में पश्चिमी यूरोप 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, यूनिट 2 में पश्चिमी एशिया, और यूनिट 3 में मध्यकालीन चीन और जापान होंगे।

3.3 इतिहास और पुरातत्व विज्ञान : सिद्धांत विधियां, और उपकरण (आधुनिक विधियां और प्रवृत्ति) और क्षेत्रीय पुरातत्वविज्ञान

3.4 वास्तुकला का इतिहास

3.5 कला का इतिहास

3.6 प्राचीन भारतीय पुरालेखशास्त्र

3.7 प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र

3.8 मध्यकालीन भारत का पुरालेखाशास्त्र

3.9 मध्यकालीन भारत का मुद्राशास्त्र

3.10 मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास

3.11 औपनिवेशिक–पूर्व–भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास

3.12 आधुनिक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास

3.13 व्यापार इतिहास

3.14 भारतीय इतिहास और महिलाएं

3.15 पुरालेख अध्ययन : प्रासंगिकता; महत्व और पुरालेख प्रबंधन

3.16 पारिस्थितिकी और पर्यावरण का इतिहास

3.17 विचारों का इतिहास

3.18 भारतीय मूल के लोगों का इतिहास

3.19 पर्यटन में अनुप्रयोग का इतिहास

3.20 भारत के राज्य

3.21 औपनिवेशिक भारत का कृषिक इतिहास

3.22 भारत का आर्थिक इतिहास, 1775–1947

3.23 साहित्य का इतिहास

3.24 क्षेत्रीय इतिहास।

राज्यों में पेयजल परियोजनाएं

279. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री वी. वेत्रिसेलवन :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में पेयजल संबंधी 67 परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ये परियोजनाएं शुरू की गईं और इन परियोजनाओं पर आने वाली लागत कितनी है तथा इसमें केन्द्र सरकार की भागीदारी कितनी है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं ने अपना वांछित लक्ष्य हासिल नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पेयजल सुधार के संबंध में लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन के लिए 67 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं ग्रामीण जल आपूर्ति क्रियाकलापों में मांग-आधारित स्वरूप में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने, पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं और स्रोतों को स्थायी स्वरूप प्रदान करने पर बल देती है।

(ख) राज्य सरकारों के अनुरोध के अनुरूप, भारत सरकार द्वारा 26 राज्यों में कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र सुधार परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजनाओं की अनंतिम लागत तथा उनमें से प्रत्येक के लिए भारत सरकार के अंश से संबंधित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) नई सुधार पहल होने और प्रक्रिया परियोजनाएं होने के कारण, कुछ जिलों में परियोजना का कार्यान्वयन धीमा है। मुख्य कारण यह है कि मुख्यतः कार्यों के कार्यान्वयन की बजाय साफ्टवेयर घटकों जैसे सूचना, शिक्षा और संचार, मानव संसाधन विकास तथा क्षमता विकास पर बल है। अन्य कारणों में सिद्धान्त एवं चिन्तन का नया होना तथा ऐसी अभिनव परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य पणधारियों के बीच क्षमता की कमी है। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए नई दिल्ली में 28 जून, 2002 को हुई नेशनल कांफ्रेंस ऑफ सेक्टर रिफार्म्स में राज्य सरकारों एवं जिला कार्यान्वयन एजेंसियों से कहा गया कि वे आगामी तीन महीनों के अन्दर कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष प्रगति लाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करें। भारत सरकार ने भी मुख्य पणधारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ अंशधारी तरीके से जिला क्षमता विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए क्षेत्र सुधार प्रायोगिक जिलों में विस्तृत अभ्यास शुरू किए हैं।

विवरण

क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के अनंतिम लागत और भारत सरकार के अंश के ब्यौरे

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	राज्य का नाम	परियोजना की अनंतिम स्वीकृत लागत	भारत सरकार का अंश
1	2	3	4	5
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.000
2.	पूर्व गोदावरी	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.000
3.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.000
4.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	3753.00	3509.000
5.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.000
6.	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.000
7.	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	4000.00	3740.000
8.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	900.00	841.500
9.	पश्चिम सियांग	अरुणाचल प्रदेश	700.00	654.500
10.	जोरहट	असम	1275.00	1188.600
11.	कामरूप	असम	1000.00	935.000
12.	सोनीतपुर	असम	1181.00	1103.489
13.	वैशाली	बिहार	4000.00	3740.000
14.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	4000.00	3740.000
15.	मेहसाना	गुजरात	4000.00	3740.000
16.	राजकोट	गुजरात	4000.00	3740.000
17.	सूरत	गुजरात	4000.00	3740.000
18.	करनाल	हरियाणा	1507.00	1409.045

1	2	3	4	5
19.	यमुना नगर	हरियाणा	986.180	922.078
20.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश	2005.00	1857.500
21.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	2511.00	2347.785
22.	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर	2500.00	2250.000
23.	धनबाद	झारखंड	4000.00	3740.000
24.	बेल्लारी	कर्नाटक	4000.00	3740.000
25.	मंगलोर	कर्नाटक	4000.00	3740.000
26.	मैसूर	कर्नाटक	4000.00	3740.000
27.	कासरगौड	केरल	4000.00	3740.000
28.	कोलम	केरल	4000.00	3740.000
29.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2927.940	2737.620
30.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.000
31.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.000
32.	रायसेन	मध्य प्रदेश	4000.00	3740.000
33.	सिहोर	मध्य प्रदेश	1795.00	1678.150
34.	अमरावती	महाराष्ट्र	2126.00	1973.500
35.	धुले	महाराष्ट्र	3952.780	3692.958
36.	नांदेड	महाराष्ट्र	4000.00	3740.000
37.	रायगढ़	महाराष्ट्र	3793.00	3473.800
38.	रि-भोई	मेघालय	975.110	907.010
39.	सेरचिप	मिजोरम	268.980	248.172
40.	दीमापुर	नागालैंड	594.00	555.390
41.	बालासोर	उड़ीसा	4000.00	3740.000
42.	गंजम	उड़ीसा	4000.00	3740.000
43.	सुन्दरगढ़	उड़ीसा	4000.00	3740.000
44.	भटिंडा	पंजाब	752.190	700.954
45.	मोगा	पंजाब	344.00	321.440
46.	मुक्तसर	पंजाब	3992.800	3733.268
47.	अलवर	राजस्थान	4000.00	3740.000
48.	जयपुर	राजस्थान	4000.00	3740.000
49.	राजसमंद	राजस्थान	4000.00	3740.000
50.	सीकर	राजस्थान	2171.00	1986.050
51.	सिक्किम दक्षिण	सिक्किम	1322.480	1210.069
52.	सिक्किम पश्चिम	सिक्किम	892.350	816.500
53.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	4000.00	3740.000
54.	कुडालोर	तमिलनाडु	4000.00	3740.000
55.	कांचीपुरम	तमिलनाडु	4000.00	3740.000
56.	पेरामबलूर	तमिलनाडु	4000.00	3740.000
57.	वेल्लोर	तमिलनाडु	4000.00	3740.000
58.	विरुघूनगर	तमिलनाडु	4000.00	3740.000
59.	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा	2819.400	2566.900
60.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3000.000	2805.000
61.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.500
62.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	4000.00	3740.000
63.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3000.00	2805.000
64.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2500.00	2337.500
65.	हरिद्वार	उत्तरांचल	4000.00	3740.000
66.	मिदनापुर	प. बंगाल	4000.00	3740.000
67.	उत्तरी 24 परगना	प. बंगाल	4000.00	3740.000
	कुल		206045.210	192285.278

कोयले की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच का अंतर

280. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच अंतर दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के तथ्य और तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस अंतर को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयले की मांग का निर्धारण, विभिन्न कोयला उपभोक्ता क्षेत्रों के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा किया जाता है। मांग के क्रियान्वयन में अक्सर प्रारंभिक अनुमानों से भिन्नता होती है। मांग का कुछ भाग उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के आयात से पूरा किया जाता है, जबकि अधिकांश मांग स्वदेशी कोयला आपूर्ति के माध्यम से पूरी की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के लिए तथा वर्तमान वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा आकलित मांग और स्वदेशी स्रोतों से कोयले की वास्तविक आपूर्ति निम्नानुसार है :

(मिलियन टन में)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
1999–2000	331.03	307.53
2000–2001	333.85	319.60
2001–2002	354.29	330.55
2002.–2003	363.30	*336.10

*प्रत्याशित आपूर्ति

(ग) और (घ) कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कोयले के आयात को ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है।

(2) गृहीत अन्त्य उपयोग के लिए कोयला खनन ब्लाकों का आवंटन; गृहीत उपयोग के लिए अलग–अलग पार्टियों को 27 ब्लाक आवंटित किए जा चुके हैं।

(3) कोयला क्षेत्र को गृहीत उपभोग के प्रतिबंध के बगैर निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोलने हेतु कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 संसद में प्रस्तुत किया गया है।

(4) कोयला खनन नीति में संशोधन–राज्य सरकारों को "पृथक छोटे पाकेटों" के किसी प्रतिबंध के बगैर भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानें खोलने की अनुमति दी गई है।

खान मालिकों को रायल्टी देने के मानदंड

281. श्री के. पी. सिंह देव : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खान मालिकों को रॉयल्टी देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के खान मालिकों को रॉलल्टी दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान खान मालिकों को वर्षवार और राज्य वार कितनी रॉयल्टी दी गई?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) खनन पट्टाधारकों (खान स्वामियों) द्वारा खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान राज्य सरकारों को किया जाता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त "क" के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठते।

पेयजल परियोजनाओं के लिए यूनीसेफ से सहायता

282. श्री अनन्त नायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनीसेफ की सहायता से कुछ राज्यों में पेयजल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कब से ये परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और उन परियोजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों के लिए कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) आज की तारीख में इन परियोजनाओं में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) पेयजल आपूर्ति चूंकि राज्यों का विषय है, इसलिए पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने की योजना राज्यों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यूनिसेफ ग्रामीण पेयजल के क्षेत्र में राज्य सरकारों और भारत सरकार को मदद करता हे। परंतु, यूनिसेफ की भूमिका सामान्यतः साफ्टवेयर घटकों से जैसे सूचना, शिक्षा और संचार, क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, लॉजिस्टिक समर्थन आदि तक सीमित है। ग्रामीण पेयजल योजनाएं केवल यूनिसेफ से वित्तीय सहायता लेकर कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभा पलायन

283. श्री सुरेश कुरुप : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सूचना प्रौद्योगिकी के युवा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक बड़ी संख्या में देश से बाहर जा रहे हैं;

(ख) क्या उनके लिए देश में व्यावसायिक अवसरों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की उन्हें फिर से देश में वापस लाने की योजना है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) सरकार इस बात से जागरूक है कि कुछ सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक उच्च शिक्षा, अनुसंधान, रोजगार आदि के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। लेकिन मात्रात्मक संख्या उपलब्ध न होने के कारण बहिर्गमन की संख्या मापना संभव नहीं हो सका है।

सरकार द्वारा समय-समय पर बहिर्गमन को कम करने और विदेशों में बसे लोगों को देश में वापस बुलाने हेतु उन्हें आकर्षित करने के लिए बहुत से कदम उठाये गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सोफ्टवेयर निर्यातों को सुगमीकृत करने के लिए सोफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्कों की शुरूआत की है।
- विश्वविद्यालयों तथा अकादमी संस्थानों में और अधिक प्रतिभा/उन्नत अध्ययन केन्द्रों की स्थापना ।
- विज्ञान के नए व अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए आवश्यक आधुनिक सुविधा से युक्त व्यावसायिकों के कोर ग्रुपों का गठन।
- उद्यम विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण।
- चालू पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के परिव्यय में वृद्धि।
- नए वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का गठन।
- वैज्ञानिकों की कार्य दशाओं में सुधार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थानों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना।
- साझेदारियों/फैलोशिपों/पाठ्यक्रमों के द्वारा जनशक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम।

– साइंटिस्ट पूल योजना के तहत वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों के अस्थायी स्थानन का प्रावधान

– अधिसंख्य पदों का सृजन।

– विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता तथा लघु अवधि तकनीकी कार्यों के लिए विदेशों में बसे भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्त्रियों व पुरुषों को आमंत्रण।

– युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रेक योजना।

– अन्तर्राष्ट्रीय लेबोरेट्रीज तथा संस्थानों के भ्रमण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चुनिंदा क्षेत्रों में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर (बॉयजकास्ट) फैलोशिप।

– स्वर्णजंयती फैलोशिप।

– प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को अनुसंधान और विकास को कैरियर चुनने के लिए प्रेरित व आकर्षित करने के लिए संपर्क कार्यक्रम।

– विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता।

– किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत प्रतिभाशाली विज्ञान के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।

– अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आयोजनों में भारतीय छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समेकित विज्ञान ओलंपियाड कार्यक्रम।

– श्यामा प्रसाद मुखर्जी फैलोशिप्स।

– भारत का सोफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क देश भर में स्थित अपने केन्द्रों बंगलौर, पुणे, भुवनेश्वर, हैदराबाद, नोएडा, गांधी नगर, तिरुवंनतपुरम, चेन्नई, मोहाली, जयपुर, मुम्बई, हुगली, कोयबंटूर, मणिपाल, मैसूर, गुवाहाटी, विजॉग, कोलकाता, इंदौर, श्रीनगर, औरंगाबाद, शिमला, नागपुर, मैंगलौर, लखनऊ, कानपुर और भिलाई आदि के द्वारा सोफ्टवेयर निर्यात उद्योग की सेवा कर रहा है।

आई.एस.आई. नेटवर्क

284. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में 60 से भी अधिक ऐसे केन्द्रों की पहचान की है जहां पाकिस्तान की आई.एस.आई. एजेन्सी ने बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया है और वह जम्मू और कश्मीर के आतंकवादियों को भारी मात्रा में धन मुहैया करा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक पहचान किए गए केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत स्थित आई.एस.आई. केन्द्रों को पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों से भी धन मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान। प्रश्न ही नहीं उठता है।

उर्वरक कंपनियों को राजसहायता

285. **श्री गुनीपाटी रामैया** :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामान्यतः देश में और विशेषतः आंध्र प्रदेश में उर्वरक कंपनियों को प्रदान की गयी राज सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों के उत्पादन में सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) यूरिया सांविधिक मूल्य, वितरण एवं संचलन

नियंत्रण के अधीन एकमात्र उर्वरक होने के नाते प्रतिधारण मूल्य योजना में शामिल है और राजसहायता भुगतान का पात्र है। विगत तीन वर्षों के दौरान देश में यूरिया कम्पनियों को दी गई राजसहायता का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	अवधि	देश में यूरिया कम्पनियों को भुगतान की गई राजसहायता की धनराशि
1.	1999–2000	8670..00
2.	2000–2001	9480.00
3.	2001–2002	8257.00

विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में यूरिया कम्पनियों को भुगतान की गई राजसहायता का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	अवधि	आंध्र प्रदेश में यूरिया कम्पनियों को भुगतान की गई राजसहायता की धनराशि
1.	1999–2000	744.61
2.	2000–2001	499.11
3.	2001–2002	420.28

(ख) से (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(मात्रा '000 मी. टन में)

उत्पाद नाम		उत्पाद		
		2000–01	2001–02	2002–03
1		2	3	4
यूरिया		19829.8	19650.9	19172.7
डीएपी		3863.0	4888.9	5094.1
मिश्रित उर्वरक		5001.3	4744.1	4908.9
एसएसपी		3205.5	2762.3	2624.7
ए/सी		602.6	597.8	554.9
सीएएन		318.3	245.4	180.7
ए/सी		87.6	102.3	80.2
कुल (सभी)		32908.1	32991.7	32616.1
नाइट्रोजन	लक्ष्य	11066.9	11213.6	11658.4
	वास्तविक	10890.0	10961.0	10768.3
फास्फेट	लक्ष्य	3344.5	3993.43	4930.1
	वास्तविक	3398.5	3743.2	3860.2

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 एवं 2001–2002 के दौरान उर्वरकों का अखिल भारतीय उत्पादन निम्नांकित कारणों से लक्ष्य से कम था :

1999-2000

(i) आरसीएफ की ट्राम्बे एवं थाल इकाईयों को गैस की प्रतिबन्धित आपूर्ति।

(ii) कृभको–हजीरा, स्पीक–तूतीकोरिन, एनएफसीएल–काकीनाडा, ओसीएफ–शाहजहांपुर संयंत्रों में उपकरण समस्याएं; एवं

(iii) एनएलसी नवेली का लगातार बंद रहना।

2000-2001

(i) अधिकांश गैस आधारित संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की अपर्याप्त आपूर्ति एवं घटिया गुणवत्ता।

(ii) एफसीआई, एचएफसी, एनएलसी एवं एमएफएल संयंत्रों में उपकरण खराबी।

(iii) फॉस्फेट युक्त उर्वरकों का उत्पादन कर रही

पीपीएल, पारादीप एवं एचएलएल, हल्दिया संयंत्रों द्वारा कच्चे माल की कमी का सामना।

(iv) ओसीएफ, पारादीप एवं इंडो–गल्फ दाहेज के डीएपी संयंत्रों के स्थिरीकरण में प्रारम्भिक समस्याओं के कारण विलम्ब।

(v) वित्तीय कठिनाईयों/कच्चे माल की कमी के कारण मिश्रित ग्रेड उर्वरकों का कम उत्पादन; और

(vi) गुजरात में भूकम्प के कारण इफको के काण्डला संयंत्र में जनवरी से मार्च, 2001 के दौरान 45,000 मी.टन नाइट्रोजन एवं 1,15,00 मी.टन फास्फेट की उत्पादन हानि।

2001-2002

(i) गैस आधारित सभी उर्वरक संयंत्रों को अपर्याप्त एवं घटिया गुणवत्ता की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति।

(ii) फैक्ट, कोचीन–I इफको, आंवला–I और स्पिक, तूतीकोरिन के यूरिया संयंत्र में उपकरण खराबी।

(iii) गुजरात भूकम्प के कारण अप्रैल–मई, 2001 के दौरान कांडला स्थित इफको के डीएपी/मिश्रित उर्वरक संयंत्र के उत्पादन में अस्थिरता।

(iv) पीपीएल, पारादीप में फास्फोरिक एसिड की कमी एवं मजदूरों की हड़ताल।

(v) कच्चे माल की कमी एवं डीएपी उर्वरकों की विपणन कठिनाईयां।

(vi) जीएसएफसी, सिक्का–II डीएपी इकाई को चालू करने में विलम्ब।

रियांग शरणार्थी

286. श्री खगेन दास : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में शरण लेने वाले मिजोरम के शरणार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनके लिए कितने कैंप लगाये गये थे;

(ग) क्या इस समय त्रिपुरा में रह रहे रियांग शरणार्थियों को वापस मिजोरम भेजने की तारीख निश्चित की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन शरणार्थियों को त्रिपुरा से वापस उनके देश कब तक भेज दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) मिजोरम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार 30,000 से अधिक रियांग शरणार्थियों ने त्रिपुरा में शरण ले रखी है।

(ख) त्रिपुरा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार रियांग शरणार्थी छः शिविरों में रह रहे हैं।

(ग) से (ङ) सरकार, रियांग शरणार्थियों के त्रिपुरा से मिजोरम को शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए मिजोरम, त्रिपुरा तथा ब्रु नेताओं के साथ सभी प्रयास कर रही है। इसी बीच, सरकार त्रिपुरा में शिविरों में रह रहे रियांग शरणार्थियों पर त्रिपुरा सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय की प्रतिपूर्ति कर रही है।

फन एंड फूड विलेज

287. श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** 7.8.2001 और 17.4.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2492 और 4480 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फन एंड फूड विलेज कापसहेड़ा को भू प्रयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त नहीं है और यह कृषि/लाल डोरा भूमि पर स्थित है;

(ख) कृषि भूमि/लाल डोरा भूमि पर स्थित ऐसे मनोरंजन उद्यान को लाइसेंस प्रदान किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे मामलों में दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग के मानदंड, निर्देश और नीति क्या हैं;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस के लाइसेंस विभाग ने उक्त भूमि के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित राजस्व/पंचायत विभागों से 'अनुमति पत्र' प्राप्त नहीं किया था;

(ङ) इन दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती लेकिन फिर भी इसके द्वारा अनापत्ति पत्र जारी करने के क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 86 'क' और 81 के अंतर्गत फन एंड फूड विलेज के खिलाफ मामले कब से लंबित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में बारहवीं कक्षा के स्तर के पाठ्यक्रम आरंभ किया जाना

288. श्री राजैया मल्याला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) ने चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में अपने विद्यालयों में 'इंटरमीडिएट' (बारहवीं कक्षा के) स्तर के पाठ्यक्रम आरंभ कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इसी तर्ज पर नवोदय विद्यालयों में "इंटरमीडिएट" (+2) के पाठ्यक्रम आरंभ न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने आंध्र प्रदेश के साथ विद्यालयों में इंटरमीडिएट की शुरूआत की है। नवोदय विद्यालय समिति ने इस मामले में अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

शिक्षा के लिए अप्रयुक्त आवंटित राशि

289. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा को वरीयता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान शिक्षा में 597 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया और अगले वर्ष भी एक बड़ी राशि अप्रयुक्त ही रही;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्पेन के साथ समझौता

290. श्री जय प्रकाश : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में उनकी स्पेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच चर्चित विषयों और किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध एक संयुक्त अभियान चलाने के संबंध में स्पेन का दृष्टिकोण क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) श्री लाल कृष्ण आडवानी, उप प्रधान मंत्री ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ, 20 जून से 22 जून, 2002 तक स्पेन की यात्रा की थी। स्पेन में अपने प्रवास के दौरान, उप प्रधान मंत्री ने, श्री मरीयानो राजॉय ब्रे, उप प्रधान मंत्री एवं इन्टीरियर मिनिस्टर और श्री एंजल एकबीस पानीयागुआ, मिनिस्टर फार जस्टिस से मुलाकात की। उनकी यात्रा के दौरान, भारत और स्पेन के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए और भारत और स्पेन के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता संबंधी संधि पर सहमति हुई। यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उससे संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। इस यात्रा से, कानून प्रवर्तन में मजबूत द्विपक्षीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत की स्थिति

के बारे में स्पेन के अधिकारियों को अवगत कराने का अवसर मिला।

उत्तर प्रदेश और बिहार में इंदिरा आवास योजना

291. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गयी और उक्त अवधि के दौरान क्रमशः कितनी धनराशि खर्च की गयी और वापस कर दी गयी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग). इंदिरा आवास योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही है।

विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में योजना के अंतर्गत रिलीज की गई राशि, खर्च की गई राशि और निर्मित आवासों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

बिहार

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	कुल रिलीज	उपयोग	निर्मित आवास (संख्या)
1.	1999–2000	29527.28	9842.43	39369.71	35852.10	165893
2.	2000–2001	17866.73	5955.58	23822.31	26710.12	161199
3.	2001–2002#	19973.04	6657.68	26630.72	30940.08	167979
	कुल	67367.05	22455.69	8982.74	93502.30	495071

#अंनतिम

उत्तर प्रदेश

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रीय रिलीज	राज्य रिलीज	कुल रिलीज	उपयोग	निर्मित आवास (संख्या)
1.	1999–2000	21682.91	7227.68	28910.59	27957.70	155248
2.	2000–2001	18645.17	6215.06	24860.23	27925.52	159680
3.	2001–2002#	2328.38	7842.79	31371.17	17882.41	95950
	कुल	63856.46	21285.53	85141.99	73765.63	410878

#अंनतिम

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां केन्द्र को वापिस नहीं लौटाई जाती हैं।

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में स्व-सहायता समूह और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थी

292. श्री पवन कुमार बंसल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्व-सहायता समूह" और "स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना" की योजनाओं का चंडीगढ़ के गांवों तक विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके अंतर्गत अब तक कितने लाभार्थियों को शामिल किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा योजना

293. श्री शिवाजी माने :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में प्रौढ़ शिक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर इन दोनों राज्यों में कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार और वर्षवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या कतिपय राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में इस योजना के लिए निर्धारित की गयी धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई के तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार व्यय को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान साक्षर बनाए गए व्यक्तियों (समग्र रूप में) की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) योजना के लिए निर्धारित निधियों के दुरुपयोग संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

योजना : साक्षरता अभियानों तथा आपेरशन रिस्टोरेशन और सतत शिक्षा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	व्यय		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	629.65	405.00	527.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	227.85	104.63	32.69
4.	बिहार	147.28	223.78	1047.83
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	60.15

1	2	3	4	5
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	733.11	879.04	230.94
8.	हरियाणा	59.1	27.56	33.30
9.	हिमाचल प्रदेश	30.52	34.35	107.50
10.	जम्मू व कश्मीर	15.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	35.00	119.43
12.	कर्नाटक	477.76	2367.23	628.82
13.	केरल	324.05	606.25	623.75
14.	मध्य प्रदेश	136.59	111.15	87.87
15.	महाराष्ट्र	412.66	103.30	1818.85
16.	मणिपुर	0.00	0.00	7.50
17.	मेघालय	0.00	7.50	7.50
18.	मिजोरम	0.00	59.40	118.80
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	258.17	57.50	741.81
21.	पंजाब	45.83	20.83	10.00
22.	राजस्थान	1039.76	258.90	453.13
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	84.77	48.50	1929.38
25.	त्रिपुरा	0.00	7.50	383.05
26.	उत्तर प्रदेश	588.32	502.00	1488.99
27.	उत्तरांचल	0.00	18.31	281.58
28.	पश्चिमी बंगाल	313.15	598.15	768.94
29.	चंडीगढ़	2.30	0.00	21.99
30.	दिल्ली	70.00	20.00	0.00
31.	पांडिचेरी	0.00	31.92	31.92
32.	दमण और दीव	0.80	0.00	0.00
33.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	.000
34.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
	कुल	5596.67	6527.80	11563.00

विवरण-II

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किए जाने के समय से विभिन्न योजनाओं के तहत साक्षर किए गए व्यक्तियों की संख्या

(मार्च, 2000)

(लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य योजनाएं (संपूर्ण साक्षरता अभियान को छोड़कर (वर्ष 1998 से आज तक)	संपूर्ण साक्षरता अभियान (वर्ष 1989 से मार्च, 2000)	कुल योग (कालम 3 एवं 4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9,97,227	77,42,379	87,39,606
2.	अरुणाचल प्रदेश	79,612	0	79,612
3.	असम	8,44,193	8,13,381	16,57,574
4.	बिहार	29,72,471	31,09,480	60,44,709
5.	गोवा	21,327	49,910	71,237
6.	गुजरात	20,06,897	41,36,324	61,43,221
7.	हरियाणा	0	4,43,546	4,43,546
8.	हिमाचल प्रदेश	1,27,977	4,28,326	5,56,303

1	2	3	4	5
9	जम्मू व कश्मीर	2,70,052	0	2,70,052
10.	कर्नाटक	5,86,322	54,35,652	60,21,974
11.	केरल	2,15,152	13,45,000	15,60,152
12.	मध्य प्रदेश	15,40,177	53,57,435	68,97,612
13.	महाराष्ट्र	20,43,707	48,53,373	68,97,080
14.	मणिपुर	90,051	0	90,051
15.	मेघालय	84,425	38,758	1,13,775
16.	मिजोरम	63,919	0	63,919
17.	नागालैंड	63,123	0	63,123
18.	उड़ीसा	3,43,107	24,93,849	28,36,956
19.	पंजाब	3,34,011	3,06,621	6,40,632
20.	राजस्थान	12,31,195	55,42,608	67,73,803
21.	सिक्किम	26,604	0	26,604
22.	तमिलनाडु	9,31,747	65,44,319	74,76,066
23.	त्रिपुरा	81,387	3,79,179	4,40,686
24.	उत्तर प्रदेश	40,11,898	69,79,826	1,09,91,724
25.	पश्चिमी बंगाल	7,19,009	86,34,760	93,53,769
26.	अंदमान व निकोबार द्वीप	14,492	0	14,492
27.	चंडीगढ़	16,705	24,699	41,404
28.	दादरा और नागर हवेली	7,293	430	7,723
29.	दमण और दीव	2,991	460	3,451
30.	दिल्ली	3,45,451	1,07,573	4,53,024
31.	लक्षद्वीप	986	0	986
32.	पांडिचेरी	11,166	88,799	99,965
	कुल	2,00,84,674	6,48,56,687	8,48,74,831
				848.75 लाख

*योजनाएं : आर.एफ.एल.पी., एस.ए.ई.पी., यू.जी.सी., एन.वाई.के., स्वैच्छिक एजेन्सी एवं अन्य

साक्षर बनाए गए लोगों की संख्या
(मार्च, 2000)

(लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य योजनाएं (संपूर्ण साक्षरता अभियान को छोड़कर)	संपूर्ण साक्षरता अभियान	कुल योग (कालम 3 एवं 4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9.97	80.45	90.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.00	0.80
3.	असम	8.44	9.49	17.93
4.	बिहार	29.72	29.53	59.25
5.	छत्तीसगढ़	0	21.38	21.38
6.	दिल्ली	3.45	1.11	4.56
7.	गोवा	0.21	0.50	0.71
8.	गुजरात	20.07	40.72	60.79
9.	हरियाणा	0.00	5.99	5.99
10.	हिमाचल प्रदेश	1.28	4.32	5.60
11.	जम्मू व कश्मीर	2.70	0.00	2.70
12.	झारखंड	0	10.66	10.66
13.	कर्नाटक	5.86	56.07	61.93
14.	केरल	2.15	13.45	15.60

1	2	3	4	5
15.	मध्य प्रदेश	15.40	63.12	78.52
16.	महाराष्ट्र	20.44	52.20	72.64
17.	मणिपुर	0.90	0.00	0.90
18.	मेघालय	0.84	0.39	1.23
19.	मिजोरम	0.64	0.00	0.64
20.	नागालैंड	0.63	0.00	0.63
21.	उड़ीसा	3.43	26.68	30.11
22.	पंजाब	3.34	5.00	8.34
23.	राजस्थान	12.31	60.28	72.59
24.	सिक्किम	0.27	0	0.27
25.	तमिलनाडु	9.32	68.95	78.27
26.	त्रिपुरा	0.81	3.86	4.67
27.	उत्तरांचल	0	5.09	5.09
28.	उत्तर प्रदेश	40.12	80.17	120.29
29	पश्चिमी बंगाल	7.19	93.72	100.91
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.14	0.00	0.14
31.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	0.17	0.25	0.42
32.	दादरा और नागर हवेली	0.07	0.004	0.074
33.	दमण और दीव	0.03	0.005	0.035
34.	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.01
35.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	0.11	0.89	1.00
	कुल	200.82	734.28	935.10

*योजनाएं– ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता कार्यक्रम, एस.ए.ई.पी., नेहरू युवा केन्द्र, स्वैच्छिक एजेंसियां और अन्य

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किए जाने के समय से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की सख्या

(मार्च, 2002)

(लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्य योजनाएं (संपूर्ण साक्षरता अभियान को छोड़कर) (1988 से अब तक	संपूर्ण साक्षरता अभियान (1989-मार्च 2002)	कुल योग (कालम 3 एवं 4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	9.97	80.45	90.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.00	0.80
3.	असम	8.44	12.91	21.35
4.	बिहार	29.72	33.72	63.37
5.	छत्तीसगढ़	0	21.38	21.38
6.	गोवा	0.21	0.50	0.71
7.	गुजरात	20.07	40.72	60.79
8.	हरियाणा	0	7.43	7.43
9	हिमाचल प्रदेश	1.28	4.32	5.60
10.	जम्मू व कश्मीर	2.70	0	2.70
11.	झारखंड	0	10.66	10.66
12.	कर्नाटक	5.86	56.07	61.93
13.	केरल	2.15	13.45	15.60
14.	मध्य प्रदेश	15.40	63.29	78.69
15.	महाराष्ट्र	20.44	55.20	75.64
16.	मणिपुर	0.90	0	0.90

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	0.84	0.39	1.23
18.	मिजोरम	0.64	0	0.64
19.	नागालैंड	0.63	0	0.63
20.	उड़ीसा	3.43	29.41	32.84
21.	पंजाब	3.34	5.79	9.13
22.	राजस्थान	12.31	62.27	74.58
23.	सिक्किम	0.27	0	0.27
24.	तमिलनाडु	9.32	68.95	78.27
25.	त्रिपुरा	0.81	3.86	4.67
26.	उत्तरांचल	0	5.09	5.09
27.	उत्तर प्रदेश	40.12	88.43	128.55
28.	पश्चिमी बंगाल	7.19	99.48	106.67
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.14	0	0.14
30.	चंडीगढ़	0.17	0.25	0.42
31.	दादरा व नागर हवेली	0.07	0.004	0.074
32.	दमण और दीव	0.03	0.005	0.035
33.	दिल्ली	3.45	1.14	4.59
34.	लक्षद्वीप	0.01	0	0.01
35.	पांडिचेरी	0.11	1.00	1.11
	कुल	200.82	768.10	966.93

*योजनाएं : ग्रामीण कार्यसाधक साक्षरता कार्यक्रम, एस.ए.ई.पी., नेहरू युवा केन्द्र, स्वैच्छिक एजेंसियां और अन्य

[अनुवाद]

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

294. श्री एम. के. सुब्बा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित आपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओ.बी.सी.) मध्याह्न योजना और सर्व शिक्षा योजना जैसी अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक रणनीति तैयार करने हेतु 17 मई, 2002 को असम में गुवाहाटी में बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुंख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मांगों में अन्य बातों के साथ–साथ ये भी शामिल हैं :

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 100 प्रतिशत केन्द्रीय निधियन या व्यपगत न होने वाले पूल से राज्य के भाग को पूरा करना।

(2) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बनाए रखना।

(3) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त संसाधन और रियायतें।

(ग) इस मंत्रालय ने इन अनुरोधों पर विचार के लिए योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विभाग को अग्रेषित किया है।

[हिन्दी]

मितव्ययिता संबंधी उपाय

295. श्री रामदास आठवले : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों ने विभिन्न शीर्षों पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रचार–प्रसार, विज्ञापन, मनोरंजन, खान–पान, उद्घाटन समारोहों, संगोष्ठियों, देश के भीतर और बाहर यात्राओं तथा एस.टी.डी. और आई. एस.टी.डी. बिलों के भुगतान विशेषकर एयर कंडीशनर और कूलर के बिलों का भुगतान और अन्य ऐसे खर्चों को कम करने के लिए कोई मितव्ययिता संबंधी अभियान चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जहां तक कोयला और खान मंत्रालय के अधीन विभागों अर्थात कोयला विभाग तथा खान विभाग द्वारा कार्यालय चलाने के लिए किए गए व्यय का संबंध है, पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

कोयला विभाग

(हजार रुपए में)

उप शीर्ष	वर्ष		
	1999–00	2000–01	2001–02
वेतन	42663	38748	54088
मजदूरी	209	220	185
समयोपरि भत्ता	350	383	293
घरेलू यात्रा व्यय	1657	1438	1573
विदेश यात्रा व्यय	1674	1353	1760
कार्यालयीन व्यय	14009	15390	17502
व्यावसायिक सेवाएं	1	29	79
प्रकाशन	894	885	565
आतिथ्य व्यय (अन्य प्रशासनिक व्यय)	704	839	1090

खान विभाग

उप शीर्ष	वर्ष		
	1999–00	2000–01	2001–02
वेतन	32360	34364	36637
मजदूरी	314	287	407
समयोपरि भत्ता	577	601	737
घरेलू यात्रा व्यय	2041	2117	3032
विदेश यात्रा व्यय	2264	2774	2458
कार्यालयीन व्यय	8507	9783	16552
प्रकाशन	235	96	380
अन्य प्रशासनिक व्यय	541	788	3093
व्यवसायिक सेवाओं पर	48	121	116
प्रशिक्षण पर	–	30	100
सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर	1000	3105	1985

(ख) और (ग) अवैतनिक सचिवालय शीर्षों पर 10 प्रतिशत कमी सहित किफायत संबंधी उपायों का पालन करने के लिए वित्त मंत्रालय ने पूर्व में दिशा–निर्देश जारी किए थे। कोयला और खान मंत्रालय के अधीन विभागों ने विभिन्न शीर्षों पर किए गए व्यय में कमी करने के लिए किफायत संबंधी उपायों का पालन किए जाने हेतु अपनी ओर से भसक प्रयत्न किए हैं।

[अनुवाद]

कोचीन में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) प्रयोगशालाएं बन्द किया जाना

296. श्री टी. गोविन्दन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन में सी.एस.आई.आर. की प्रयोगशालाएं बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण हैं;

(ग) क्या कुछ वर्गों ने इस बंदीकरण के प्रयास का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सकरार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। कोचीन स्थित बंद की गई दो इकाइयां, सीएसआईआर की दो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों यथा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर और केन्द्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान (सीईसीआरआई), कारैकुड़ी के केवल दूरस्थ (आउटरीच) केन्द्र हैं। ये इकाइयां सीएसआईआर की मुख्य प्रयोगशालाएं नहीं हैं। इन पूर्वोक्त केन्द्रों की कार्यनिष्पादकता, प्रासंगिकता और भावी शक्यता की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की गई और इन्हें इनके मौजूदा स्थल पर बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। तथापि, राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान (एनआईओ) का केन्द्र कोचीन में काम करता रहेगा।

(ग) और (घ) इन दो केन्द्रों को जारी रखने के संबंध में कुछ जन प्रतिनिधियों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। सरकार ने इन जन प्रतिनिधियों को इन केन्द्रों को बंद किए जाने के औचित्य से अवगत करा दिया है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

297. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री क्रमशः 20.11.2001 और 26.2.2002 के अतारांकित प्रश्न सं. 239, 241 और 115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना भेजने के लिए मामले को दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) के साथ उठाया गया था। उन्होंने अन्तरिम सूचना दी है कि दिल्ली नगर निगम के परामर्श से सूचना तैयार/संकलित की जा रही है। उनसे त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ओलावृष्टि

298. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आये आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से इस क्षेत्र को कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या प्रभावित राज्यों ने केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार इनमें से प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी सहायता राशि प्रदान कर चुकी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) मेघालय और सिक्किम राज्यों ने अप्रैल-मई, 2002 के दौरान तूफान तथा ओलावृष्टि के कारण नुकसान की सूचना दी। मेघालय सरकार के अनुसार, एक व्यक्ति की मृत्यु के अलावा 6 जिलों में 12 ब्लॉकों के 392 गांवों में 3374 घर और सार्वजनिक संपत्ति जिसका मूल्य 1.78 करोड़ रुपए है, का नुकसान हुआ। सिक्किम की सरकार ने फसलों, पशुधन और संपत्ति के व्यापक नुकसान की सूचना दी लेकिन इन क्षेत्रों में हुए नुकसान की कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं भेजी है।

राहत संबंधी व्यय के वित्त पोषण की मौजूदा योजनानुसार, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकारों से आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) में से आवश्यक राहत अभियान चलाने की अपेक्षा की जाती है। यदि अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से दी जाती है। इन राज्यों से अतिरिक्त सहायता के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना

299. श्री नरेश पुगलिया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा सूखाप्रवण क्षेत्रों में श्रमप्रधान कार्यों के संचालनार्थ चलाई जाने वाली संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और विशेष घटक योजना के अन्तर्गत राज्यवार अब तक कितनी मात्रा में चावल प्रदान किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने सूखाप्रवण क्षेत्रों में उक्त कार्यों के लिए उद्दिष्ट चावल का अन्यत्र उपयोग किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या सरकार ने इस विषय में जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ज) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 (आज तक) के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) चरण–I, चरण–II के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज किये गये खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की मात्रा को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है। वर्ष 2002–2003 के दौरान विशेष घटक के अंतर्गत रिलीज खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

(ख) ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।

(ग) से (ज) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्न का आवंटन	प्राधिकृत खाद्यान्न (प्रथम–चरण) मात्रा (टन–हजार में) गेहूं	चावल	कुल	कुल मूल्य	प्राधिकृत खाद्यान्न (द्वितीय चरण) मात्रा (टन–हजार में) गेहूं	चावल	कुल	लागत मूल्य	कुल प्राधिकृत खाद्यान्न गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	132.86		117.58	117.58	13286.00		114.86	114.86	13259.62	0.00	232.44	232.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.92		3.94	3.94	446.14		3.07	3.07	347.07	0.00	7.01	7.01
3.	असम	179.88		159.20	159.20	17988.01		156.23	156.23	18035.68	0.00	315.43	315.43
4.	बिहार	266.05		117.72	117.72	13302.50		110.76	110.76	12516.57	0.00	228.48	228.48
5.	छत्तीसगढ़	74.98		72.67	72.67	8464.60		49.38	49.38	5609.61	0.00	122.05	122.05
6.	गोवा	0.31		0.14	0.14	15.31		0.86	0.86	97.55	0.00	1.00	1.00
7.	गुजरात	50.01	33.73		33.73	2800.56	58.71		58.71	4872.87	92.44	0.00	92.44
8.	हरियाणा	29.42	43.89		43.89	3643.24	44.93		44.93	3729.16	88.82	0.00	88.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	हिमाचल प्रदेश	12.39	2.96	3.31	6.27	619.55	4.22	5.75	9.97	1000.51	7.18	9.06	16.24
10	जम्मू व कश्मीर	15.34	5.23	12.26	17.49	1832.74	5.73	12.36	18.09	1886.77	10.96	24.62	35.58
11.	झारखं	169.18	26.12	57.57	83.69	8672.39	27.71	61.08	88.79	9201.97	53.83	118.65	172.48
12.	कर्नाटक	100.33	12.09	79.92	92.01	10032.82	10.45	79.06	89.51	10013.26	22.54	158.98	181.52
13.	केरल	45.02		19.92	19.92	2250.85		21.60	21.60	2449.26	0.00	41.52	41.52
14.	मध्य प्रदेश	145.63	124.88	48.97	173.85	15910.35	141.08	40.90	181.98	8127.25	265.96	89.87	355.83
15.	महाराष्ट्र	198.32	85.68	44.38	130.06	12116.97	68.22	37.47	105.69	9896.37	153.90	81.85	235.75
16.	मणिपुर	12.06		4.66	4.66	527.02		3.72	3.72	419.79	0.00	8.38	8.38
17.	मेघालय	13.51		5.98	5.98	675.51		5.99	5.99	677.33	0.00	11.97	11.97
18.	मिजोरम	3.13		3.65	3.65	413.00		2.77	2.77	312.64	0.00	6.42	6.42
19.	नागालैंड	9.27	2.78	4.06	6.84	463.51		4.11	4.11	464.62	2.78	8.17	10.95
20.	उड़ीसा	151.96		75.80	75.80	8564.90		113.02	113.02	13001.03	0.00	188.82	188.82
21.	पंजाब	14.30	12.62		12.62	1047.61	11.05		11.05	917.80	23.67	0.00	23.67
22.	राजस्थान	76.18	91.79		91.79	7618.25	45.80		45.80	3801.62	137.59	0.00	137.59
23.	सिक्किम	3.46		3.06	3.06	346.13		1.53	1.53	172.89	0.00	4.59	4.59
24.	तमिलनाडु	117.48		51.98	51.98	5873.88		99.86	99.86	11524.52	0.00	151.84	151.84
25.	त्रिपुरा	21.77		21.77	21.77	2177.00		10.90	10.90	1091.56	0.00	32.67	32.67
26.	उत्तर प्रदेश	448.99	187.17	66.32	253.49	23029.59	190.39	57.57	247.96	27244.57	377.56	123.89	501.45
27.	उत्तरांचल	29.99	7.32	7.89	15.21	1499.39	5.57	9.09	14.66	1489.48	12.89	16.98	29.87
28.	पश्चिमी बंगाल	168.88		72.90	72.90	8236.98	0.00	141.21	141.21	16291.95	0.00	214.11	214.11
29.	अंदमान व निकोबार द्वीप	0.71			0.00			0.57	0.57	64.29	0.00	0.57	0.57
30.	दादरा और नागर हवेली	0.71		0.31	0.31	35.34		0.38	0.38	42.44	0.00	0.69	0.69
31.	दमण और दीव	0.02			0.00				0.00		0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	लक्षद्वीप	0.05		0.02	0.02	2.36		0.29	0.29	32.23	0.00	0.31	0.31
33.	पांडिचेरी	0.90		0.40	0.40	44.76		0.58	0.58	65.33	0.00	0.98	0.98
	जोड़	2500.00	636.27	1056.36	1692.64	171937.27	613.86	1144.97	1758.83	178657.61	1250.13	2201.33	3451.47

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2002 को अर्थशेष			प्राधिकृत (प्रथम चरण)			प्राधिकृत (द्वितीय चरण)			कुल उपलब्धि		
		गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल	गेहूं	चावल	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	−149.23	−149.23	0.00	25.86	25.86	0.00	39.06	39.06	0.00	−84.31	−84.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	7.01	7.01		2.05	2.05	0.00	2.04	2.04	0.00	11.10	11.10
3.	असम	0.00	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85	212.85
4.	बिहार	0.00	203.58	203.58		49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	252.84	252.84
5.	छत्तीसगढ़	−2.75	−2.75	−4.92		18.33	18.33	00.00	16.52	16.52	−2.75	32.68	29.93
6.	गोवा	0.00	0.90	0.90		0.09	0.09	0.00	0.57	0.57	0.00	1.56	1.56
7.	गुजरात	80.84	−0.14	80.70	17.18		17.18	20.90	0.00	20.90	118.92	−0.14	118.78
8.	हरियाणा	22.82	0.00	22.82	12.31		12.31	12.30	0.00	12.30	47.43	0.00	47.43
9.	हिमाचल प्रदेश	2.10	3.60	5.70	2.20	2.06	4.26	2.03	1.75	3.78	6.33	7.41	13.74
10	जम्मू व कश्मीर	4.50	11.42	15.92	1.60	2.77	4.37	1.56	3.41	4.97	7.66	17.60	25.26
11.	झारखंड	45.36	108.64	154.00	16.96	35.78	52.74	19.27	40.66	59.93	81.59	185.08	266.67
12.	कर्नाटक	4.64	41.10	45.74	8.39	23.62	32.01	0.00	29.50	29.50	13.03	94.22	107.25
13.	केरल	0.00	28.27	28.27		11.40	11.40	0.00	13.24	13.24	0.00	52.91	52.91
14.	मध्य प्रदेश	12.18	11.30	23.48	42.41	13.02	55.43	49.26	13.69	62.95	103.85	38.01	141.86
15.	महाराष्ट्र	114.09	57.27	171.36	43.09	24.97	68.06	0.00	68.80	68.80	157.18	151.04	308.22
16.	मणिपुर	0.00	1.08	1.08		1.99	1.99	0.00	1.31	1.31	0.00	4.38	4.38
17.	मेघालय	0.00	1.85	1.85		3.24	3.24	0.00	3.99	3.99	0.00	9.08	9.08
18.	मिजोरम	0.00	0.87	0.87		0.93	0.93	0.00	0.92	0.92	0.00	2.72	2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	नागालैंड	1.33	2.98	4.31	1.96	1.38	3.34	0.00	2.20	2.20	3.29	6.56	9.85
20.	उड़ीसा	0.00	13.19	13.19		44.72	44.72	0.00	44.68	44.68	0.00	102.59	102.59
21.	पंजाब	9.64	0.00	9.64	5.98		5.98	5.98	0.00	5.98	21.60	0.00	21.60
22.	राजस्थान	128.07	0.00	128.07	31.87		31.87	31.84	0.00	31.84	191.78	0.00	191.78
23.	सिक्किम	0.00	1.30	1.30		1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33
24.	तमिलनाडु	0.00	117.57	117.57		34.57	34.57	0.00	34.54	34.54	0.00	186.68	186.68
25.	त्रिपुरा	0.00	15.31	15.31		6.46	6.46	0.00	6.43	6.43	0.00	28.20	28.20
26.	उत्तर प्रदेश	256.33	113.34	369.67	129.99	40.69	170.68	129.93	40.65	170.58	516.25	194.68	710.93
27.	उत्तरांचल	7.49	11.10	18.59	5.09	5.25	10.34	2.89	8.69	11.58	15.47	25.04	40.51
28.	पश्चिमी बंगाल	−0.18	67.54	67.36		44.15	44.15	0.00	49.65	49.65	−0.18	161.34	161.16
29.	अंदमान व निकोबार द्वीप	0.00	0.57	0.57			0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.95	0.95
30.	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.69	0.69			0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.94	0.94
31.	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.31	0.31			0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.31	0.31
33.	पांडिचेरी	0.00	0.33	0.33		0.26	0.26	0.00	0.39	0.39	0.00	0.98	0.98
	जोड़	686.47		1568.89	319.03	393.88	712.91	275.96	423.32	699.28	1281.46	1699.61	2981.08

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	रिलीज की गई मात्रा (मीट्रिक टन)		
		गेहूं	चावल	कुल
1.	आंध्र प्रदेश		1500000	1500000
2.	छत्तीसगढ़		93116	93116
3.	मध्य प्रदेश	88729	22771	111500
4.	उड़ीसा		200000	200000
	कुल	88729	1815887	1904616

गुजरात के दंगा पीड़ितों को मुआवजा

300. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री जे. एस. बराड़ :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के दंगा पीड़ितों के बारे में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाने सहित कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी सिफारिशों को मान लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक कितने व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है और इस शीर्ष के अन्तर्गत सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की है;

(च) पीड़ित व्यक्तियों को मिलने वाले मुआवजे से उनके पुनर्वास में कहां तक मदद मिली है; और

(छ) कितने व्यक्ति अभी तक मुआवजा नहीं मिलने के कारण दंगा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत–शिविरों में रह रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (छ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अप्रैल, 2002 में कतिपय सिफारिशें की थीं। इनमें गुजरात में हाल ही की हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के मुआवजे में बढ़ोतरी शामिल है। इस सिफारिश पर विचार किया गया और 1.5 लाख रुपए की धनराशि, जिसमें प्रधान मंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपये भी शामिल हैं, अप्रैल, 2002 में प्रधान मंत्री के गुजरात दौरे के पश्चात् निर्धारित की गई। अभी तक अनुमानित 983 मामलों में से 767 मामलों में 1127.20 लाख रुपये की धनराशि वितरित कर दी गई है। स्थिति में धीरे–धीरे सुधार होने के साथ–साथ शिविरों और संवासियों की संख्या में धीरे–धीरे कमी हुई है तथा 1.7.2002 की स्थिति के अनुसार, राज्य में दस राहत शिविरों में 13179 व्यक्ति थे। अन्य सिफारिशें विश्वास को पुनः कायम करना, अधिकारियों का स्थानान्तरण, दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए उपासना स्थलों को पुनर्निर्माण, योग्य अधिकारियों को पुरस्कार इत्यादि जैसे मुद्दों के संबंध में हैं जो मुख्य रूप से राज्य सरकार से संबंधित हैं, जिन्होंने हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार की गई कार्रवाई के बारे में अपनी रिपोर्ट/टिप्पणियां आयोग को सीधे भेज दी हैं।

पनधारा विकास कार्यक्रम

301. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे पनधारा विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा कौन–कौन के प्रमुख पनधारा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु को आवंटित की गई धनराशि के संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग तीन मुख्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीबों तथा उपेक्षित वर्गों के समग्र सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, फसलों, मानव और पशुधन पर सूखे और मरुस्थलीकरण जैसी विपरीत जलवायु परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल तथा वानस्पतिक आच्छादन का उपयोग, संरक्षण और विकास करके परिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करने की दृष्टि से भूमि की क्षमता, स्थल स्थितियों तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि, सूखा प्रवण और मरुभूमि वाले क्षेत्रों को विकसित करना है।

तमिलनाडु राज्य में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) चल रहे हैं। चूंकि ये कार्यक्रम परियोजना आधार पर कार्यान्वित किए जाते है, अतः इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों को कोई वार्षिक आवंटन नहीं किया जाता है और कार्यक्रमों के अन्तर्गत चल रही वाटरशेड परियोजनाओं के लिए निधियां जब कभी भी मांग की जाती हैं, जारी की जाती हैं। किसी एक विशेष वित्तीय वर्ष में चालू वाटरशेड परियोजनाओं के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं को लेखे में लेने के पश्चात् उस वर्ष के लिए बजट में उपलब्ध निधियों को नई वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता

है। विगत तीन वर्षों (1999–2000 से 2001–2002 तक) तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2002–2003 के दौरान इन दो कार्यक्रमों के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य के लिए जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार (वर्ष–वार) दिया जाता है :

क्र.सं.	कार्यक्रम	जारी निधियां (लाख रुपये में)			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003
1.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	350.17	718.05	743.00	136.44
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)	827.30	908.50	864.87	526.50

हिरासत में हुई मौतों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

302. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या उप-प्रधान मंत्री य ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अप्रैल, 2001 और मार्च, 2002 के बीच हिरासत में हुई मौतों की 1305 सूचनाएं दर्ज की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान न्यायिक और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामले पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बढ़ गए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं और किन–किन राज्यों में हिरासत में हुई मौतों की सख्या सबसे अधिक रही; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक की अवधि के बीच पुलिस हिरासत में मौत के 165 मामले तथा न्यायिक हिरासत में 1140 मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) वर्ष 2000–2001 की तुलना में वर्ष 2001–2002 में पुलिस तथा न्यायिक हिरासत में मौतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2000–2001 में पुलिस हिरासत में 127 तथा न्यायिक हिरासत में 910 मौतें हुई थीं। पुलिस हिरासत तथा न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का ब्यौरा अनलग्नक–I में दिया गया है। वर्ष 2000–2001 में न्यायिक हिरासत में सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में तथा पुलिस हिरासत में सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में हुई थीं।

(ङ) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बार–बार सभी संबंधितों को न्यायिक हिरासत में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने तथा जेलों में स्थितियों में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।

विवरण

आयोग में 1.4.2000 में 31.3.2001 क तथा 1.4.2001 से 31.3.2002 तक की अवधि के बीच दर्ज न्यायिक हिरासत में मौत के मामलों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा

राज्य	2000–2001			2000–2002		
	पु.हि.	न्या. हिरा.	योग	पु.हि.	न्या. हिरा.	योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	02	76	78	16	81	97
अरुणाचल प्रदेश	01	01	02	02	0	02
असम	11	11	22	10	20	30

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	02	137	139	02	144	146
गोवा	02	03	.5	0	05	05
गुजरात	11	27	38	08	44	52
हरियाणा	04	20	34	05	34	39
हिमाचल प्रदेश	01	02	03	01	01	02
जम्मू व कश्मीर	0	01	01	0	0	0
कर्नाटक	05	41	46	09	41	50
केरल	01	26	27	04	33	37
मध्य प्रदेश	11	37	48	07	38	45
महाराष्ट्र	19	104	123	27	125	152
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	01	0	01	03	02	05
मिजोरम	01	0	01	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	02	55	57	07	49	56
पंजाब	13	48	61	07	70	77
राजस्थान	03	38	41	05	49	54
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	04	24	28	07	48	55
त्रिपुरा	02	0	02	01	0	01
उत्तर प्रदेश	10	121	131	11	183	194
पश्चिमी बंगाल	09	38	47	17	54	71
अंदमान और निकोबार द्वीप	0	02	02	0	0	0
चंडीगढ़	01	02	03	0	01	01
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	09	28	37	05	27	32
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	01	29	30	04	28	32
झारखंड	01	33	34	04	55	59
उत्तरांचल	0	06	06	03	08	11
कुल मामले	127	910	1037	165	1140	1305

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

303. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जून, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में क्या तथ्य प्रकाशित किये गये हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली का संपूर्ण विकास करने और दिल्ली विकास प्राधिकरण को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार इस अभियान में किसी दबाव या प्रभाव के सामने नहीं झुकेगी, क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने तथा इसे बढ़ावा देने के लिए किया गया था और यह विविध प्रकार की व सार्थक शहर निर्माण गतिविधियों में शामिल रहा है, जिनमें भूमि का अधिग्रहण, आवासीय परिसरों, हरित पट्टियों, शॉपिंग केन्द्रों व वाणिज्यिक केन्द्रों इत्यादि का विकास शामिल है। इतने बड़े विकास कार्य में कुछ विभागों में कहीं असफलता हो सकती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रणाली में खामियों को दूर करने के विभिन्न प्रयास किए गए हैं।

डीडीए ने संगठन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए त्रि–आयामी कार्यनीति, यथा निवारक, संसूचक तथा दंडात्मक कार्यनीति अपनाई है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें कम्प्यूटरीकरण तथा ई–गवरनेंस शुरू करना, कार्य बल को प्रशिक्षित करना और सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता बरतना, नियमों व विनियमों को सरल बनाना तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता लााना शामिल है। डीडीए की कार्य प्रणाली को सरल व कारगर बनाने के लिए डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विभिन्न कार्यों की समय–सीमा की मानीटरिंग की जाती है। प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग को कम्प्यूट्रीकृत कर दिया गया है। जनता की सहायता के लिए तथा साथ ही प्रलेखन में मदद देने व दिशानिर्देश मुहैया कराने के लिए डीडीए के मुख्य स्वागत कक्ष में ही परामर्शदाता/सुविधाकार तैनात किए गए हैं। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इन सभी कार्रवाईयों में कानून में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

[हिन्दी]

कर्नाटक में जैव-प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

304. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में एक जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कहां स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस अनुसंधान केन्द्र द्वारा कामकाज कब तक शुरू करने की संभावना है; और

(घ) राज्य में पाये जाने वाले दुर्लभ प्राणियों, पौधों और सूक्ष्म जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (ग) कर्नाटक में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राज्य सरकार ने हाल ही में बंगलौर में जैवसूचनाप्रणाली और जैवप्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इस संस्थान में जैवसूचना प्रणाली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम और मानव आनुवंशिकी में एक प्रमुख कार्यक्रम को सहायता प्रदान की है।

(घ) विभिन्न सरकारी एजेन्सियां अर्थात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने राज्य में दुर्लभ पादपों, पशुओं और सूक्ष्मजैविक संसाधनों के संरक्षण और सूचीकरण संबंधी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

रणवीर सेना पर प्रतिबंध

305. **श्री शिवराज सिंह चौहान** :
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 2002 के 'हिन्दुस्तान' समाचारपत्र में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जो 'रणवीर सेना' की गतिविधियों के विषय में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार 'रणवीर सेना' पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, कानून और व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न उपाय निकालना और ठोस कदम उठाना राज्य सरकार का काम है। तथापि, केन्द्र सरकार, समय–समय पर, राज्य सरकार के साथ आसूचना का आदान–प्रदान करती रही है और जरूरत के आधार पर सम्भव सीमा तक अर्ध सैनिक उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) रणवीर सेना को बिहार सरकार ने 1995 में पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है।

एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों में प्रक्षेपास्त्र-कार्यक्रम विषयक अध्याय

306. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) को अपनी पाठ्य–पुस्तकों में भारतीय वैज्ञानिकों के संबंध में एक अध्याय जोड़ने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं कक्षा के लिए निर्धारित एन.सी.ई.आर. टी. की अंग्रेजी की पाठ्य–पुस्तकों के संशोधित संस्करण में प्रक्षेपास्त्र–कार्यक्रम विषयक जानकारी जोड़ दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रक्षेपास्त्र–कार्यक्रम विषयक उक्त अध्याय को, खासतौर पर उन पुस्तकों जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए हिंदी में लिखी गई हैं, में शामिल करने का विचार है; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। पाठ्यचर्या में भारतीय वैज्ञानिकों पर अध्याय शामिल करने हेतु जिन पुस्तकों के प्रकाशनों से उद्धरण लिए जाते हैं उनके लेखकों से कॉपीराइट अनुमति प्राप्त की जाती रही है।

(ग) कक्षा IX के लिए निर्धारित अंग्रेजी की किसी भी पाठ्य–पुस्तक में भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर कोई पाठ नहीं है। कक्षा IX के लिए अंग्रेजी की पाठ्य–पुस्तक "स्टेप्स टू इंगलिश" में डा. अब्दुल कलाम की आत्मकथा "विंग्स ऑफ फायर" के कुछ अंश शामिल हैं। "माई चाइल्ड हुड" नामक इस अंश में इस बात का विवरण है कि डा. कलाम के बचपन के दौरान उनका पालन–पोषण और शिक्षा–दीक्षा कहां और कैसे हुई।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का इस समय प्राथमिक कक्षाओं के लिए किसी भी भाषा की पाठ्य–पुस्तकों में प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर कोई भी पाठ शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

नगर विकास योजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

307. श्री सुशील कुमार शिन्दे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर विकास योजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए सरकार ने जनवरी, 2002 में अनिवासी भारतीयों को जो आमंत्रण दिया था, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ख) इन योजनाओं तथा उन नगरों के बारे में ब्यौरा क्या है जिनके विकास हेतु अनिवासी भारतीयों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया था; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) एकीकृत उपनगरों के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की योजना के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के दिनांक

4.1.2002 के प्रेस नोट सं. 3 (2002 सीरिज) में निहित दिशानिर्देशों के अनुसरण में एकीकृत उपनगरों के विकास हेतु प्रस्ताव आवश्यक अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

प्राप्त सूचना के अनुसार एकीकृत रिहायशी उपनगर परियोजना में विदेशी निवेश के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य

308. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की ओर से सन् 2015 तक प्रत्येक बालक/बालिका को प्राथमिक शिक्षा दिलाने के 'सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य' की पूर्ति करने की दिशा में, विकासशील देशों के सहायतार्थ बनाए गए 'सर्वशिक्षा' त्वरित–कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कतिपय देशों को आमंत्रण दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने भी इसमें सहभागिता की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई है/कराई जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्व बैंक की विकास समिति ने 21 अप्रैल, 2002 को आयोजित अपनी वसंत कालीन बैठक में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में महिला–पुरुष समानता पर सहस्राब्दि विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2015 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने तथा वर्ष 2005 तक शिक्षा में व्याप्त महिला–पुरुष विषमताओं को समाप्त करने हेतु अपनी वचनबद्धता दुहराई है। वर्ष 2015 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने के लिए बैठक में निर्धारित की गई कार्य–योजना में ई.एफ.ए. मॉनीटरिंग का सुनिश्चय करने के लिए सूचना प्रणालियों तथा डाटाबेस का सुदृढ़ीकरण, नीतियां/वित्तीय अंतर पर देश–वार विश्लेषण, अधिगम परिणामों को बढ़ाने के लिए देशों की क्षमता को सहयोग प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा हेतु विदेशी निधियन में महत्वपूर्ण वृद्धि सहित पर्याप्त संसाधनों को जुटाने और तत्काल एवं त्वरित सहयोग प्रदान करने के निमित्त 'फास्ट ट्रैक' प्रक्रिया आरंभ करने हेतु देशों का निर्धारण किया जाना शामिल है।

(ग) और (घ) भारत ने वर्ष 2015 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मतैक्य पर पहुंचने की योजना का समर्थन किया है। भारत सरकार ने 6–14 आयु–वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान (93वां संशोधन) विधेयक संसद में पुरःस्थापित किया है। इसने 2010 तक ऐसे सभी बच्चों को आठ वर्ष की स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरंभ किया है। दसवीं योजना में प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवंटन को भी नौवीं योजना के 16369 करोड़ रु. से बढ़ाकर 28750 करोड़ रु. किया गया है। विश्व बैंक ने भी आगामी वर्षों के दौरान बड़ी मात्रा में अपने संसाधनों को प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में अंतरित करने का प्रस्ताव रखा है।

[हिन्दी]

रासायनिक इकाइयों की लागत घटाने के विषय में समिति का गठन

309. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक इकाइयों पर आने वाली लागत को कम करने के लिए अर्थोपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) रसायन उद्योग के विभिन्न पहलुओं

तथा प्रमुख नीति–विषयक मुद्दों का अध्ययन करने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता एवं प्रगति को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करने के लिए आई सी आई इंडिया लि. के चेयरमैन डा. ए. एस. गांगुली की अध्यक्षता में रसायन उद्योग संबंधी एक टॉस्क फोर्स गठित किया गया था। टॉस्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। टॉस्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ यह उल्लेख किया है कि भारतीय रसायन उद्योग को कुछेक अड़चनें पेश आ रही हैं। इन अड़चनों के प्रतिकूल प्रभाव को सीमित करने के लिए टॉस्क फोर्स ने उपाय सुझाए कि कीमत श्रृंखला को सहक्रियाशील बनाने और आम सुविधाओं की लागतें कम करने के लिए "रसायन उद्योग पार्कों" के रूप में मौजूदा इकाइयों के समूहों का विकास किया जाए, बिजली की लागत पर कई स्रोतों से मिलने वाली राज सहायता हटाई जाए; उद्योगों को सह–सृजित बिजली अपनी पड़ोसी इकाइयों को बेचने की अनुमति दी जाए और उन्हें इसे राज्य विद्युत बोर्ड ग्रिडों को हस्तांतरित करना आवश्यक नहीं होना चाहिए; खेपों को मंजूरी देने में तथा ढुलाई में देरी के कारण हुए नुकसान की लागतें कम करने के लिए बंदरगाहों में तथा भूतल परिवहन में ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाए; और सुपर टैंकरों से बल्क पार्सल कार्गो के हैंडलिंग और भंडारण के लिए विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में बंदरगाहों का विकास किया जाए।

रिपोर्ट में की गई अनेक सिफारिशें/सुझावों के लिए व्यापक अंतर–मंत्रालीय परामर्श तथा राज्य सरकारों और उद्योग संघों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श अपेक्षित है। विचार–विमर्श की यह प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं

310. श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में नर्सरी कक्षाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक शुरू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षिक सत्र 2000–01 से केन्द्रीय विद्यालयों में एक वर्ष की अवधि वाली पूर्व–प्राथमिक कक्षाएं आरंभ की हैं। सभी केन्द्रीय विद्यालयों को आधारभूत ढांचे की उपलब्धता तथा मांग की शर्त पर पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी जाती है। अद्यतन स्थिति के अनुसार 145 केन्द्रीय विद्यालयों में पूर्व–प्राथमिक कक्षाएं हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्राथमिक सेक्शन नहीं होते क्योंकि इन विद्यालयों में प्रवेश छठी कक्षा में आरंभ होता है। अतः जवाहर नवोदय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

[अनुवाद]

पनधारा विकास कार्यक्रम

311. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पनधारा विकास कार्यक्रम के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित/जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी राशि का पूरा उपयोग किया है;

(ग) क्या पक्षपातपूर्ण तरीके से राशि को आवंटित करने अथवा पनधारा विकास परियोजना के स्थल का चयन करने के संबंध में कतिपय अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश में तीन मुख्य वाटरशेड विकास कार्यक्रमों, नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा

मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत 1.4.99 से पूर्व आरंभ की गई वाटरशेड परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष (2002–2003) के दौरान उपर्युक्त वाटरशेड कार्यक्रमों के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है–

क्र.स.	कार्यक्रम	जारी निधियां (लाख रुपये में)
1.	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम + सुनिश्चित रोजगार योजना	1154.52
2.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	2230.75
3.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	641.25

(ख) वाटरशेड परियोजना में केन्द्रीय निधियों की पहली किस्त परियोजना स्वीकृति के समय जारी की जाती है। बाद में प्रत्येक किस्त यह सुनिश्चित होने पर कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पास पिछली किस्त की 50% से अधिक राशि बिना उपयोग किए शेष नहीं पड़ी है के बाद ही जारी की जाती है। निधियां जारी करने की इस प्रक्रिया से परियोजनाओं के लिए जारी निधियों का उपयोग सुनिश्चित होता है।

(ग) से (ङ) वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निधियां कार्यान्वयन की प्रगति आदि को ध्यान में रखते हुए, सीधे ही संबंधित जिले को जारी की जाती हैं। इस प्रकार इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने में कोई अनियमितता नहीं हो सकती है। जहां तक वाटरशेड परियोजना के स्थान के चयन का संबंध है, इसे वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिला स्तर पर सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होता है। इस संबंध में कोई अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' परियोजना के चरण

312. श्री रामजीवन सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामानंद सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' परियोजना को देश, विशेषकर बिहार और मध्य प्रदेश राज्यों में कितने चरणों में पूरा किया जाना है;

(ख) परियोजना के प्रथम चरण के लिए प्राप्त कुल निविदाओं में से अब तक कितनी निविदाओं को आवंटित कर दिया गया है और उनका कार्य कितनी अवधि में पूरा होना है;

(ग) इस योजना के तहत प्रथम परियोजना–चरण की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसके क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) का उद्देश्य 500 व्यक्तियों से अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। वर्ष 2000–01 में स्वीकृत किए गए 1076 पैकेज में से 1034 में कार्य प्रारंभ हुआ है जबकि कुछ पैकेजों का फिर से ठेका देना था और कुछ पर विवाद है। 12867 कार्यों में से 7221 कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं (ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं), अन्य कार्यों के दिसम्बर, 2002 के पहले पूरा हो जाने का अनुमान है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पैकेज		सड़क कार्य	
		कुल संख्या	शुरू किए गए कार्यों की सं.	कुल संख्या	पूरे किए गए कार्यों की सं.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	161	161	1479	930
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	122	122
3.	असम	46	44	209	13

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	108	77	298	0
5.	छत्तीसगढ़	28	28	113	2
6.	गोवा	0	0	57	57
7.	गुजरात	35	35	171	148
8.	हरियाणा	9	9	20	14
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	123	119
10.	जम्मू व कश्मीर	12	12	22	0
11.	झारखंड	61	61	163	5
12.	कर्नाटक	65	65	414	227
13.	केरल	4	4	33	0
14.	मध्य प्रदेश	52	52	390	60
15.	महाराष्ट्र	33	33	805	757
16.	मणिपुर	0	0	663	404
17.	मेघालय	0	0	109	109
18.	मिजोरम	8	8	17	9
19.	नागालैंड	0	0	127	114
20.	उड़ीसा	140	138	574	19
21.	पंजाब	16	16	92	92
22.	राजस्थान	72	72	340	281
23.	सिक्किम	0	0	30	30
24.	तमिलनाडु	100	100	866	155
25.	त्रिपुरा	0	0	194	193
26.	उत्तर प्रदेश	4	4	5133	3246
27.	उत्तरांचल	43	43	69	12
28.	प. बंगाल	72	70	174	53
	कुल (राज्य)	1069	1032	12807	7171
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	4	0	7	0
30.	दादरा व नागर हवेली	0	0	0	0
31.	दमन व दीव				
32.	दिल्ली	1	0	1	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	2	2	52	50
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	7	2	60	50
	महा योग	1076	1034	12867	7221

[हिन्दी]

साक्षरता अभियान

313. प्रो. रासासिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में शतप्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं और इनके क्या परिणाम निकले;

(ख) किन साक्षरता योजनाओं के अंतर्गत ये उपाय किए गए हैं और केन्द्र सरकार का इसमें योगदान कितना है;

(ग) क्या सरकार को शिक्षा के नाम पर राज्य सरकारों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में कार्यात्मक साक्षरता के स्तर को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

वर्ष 2001 की जनगणना की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में साक्षरता उपलब्धि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

राजस्थान :

	साक्षरता में उपलब्धि (प्रतिशत में)		दशक वर्ष में वृद्धि
	1991	2001	
पूर्ण साक्षरता	38.55	61.03	22.48
पुरुष	54.99	76.46	21.47
महिला	20.44	44.34	23.90

राजस्थान में उपर्युक्त साक्षरता योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से जून, 2002 तक 75.86 करोड़ रु. की राशि प्रदान की है।

(ग) साक्षरता अभियानों में राज्य सरकार द्वारा निधियों के दुरुपयोग करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पहले संस्वीकृत एवं जारी की गई निधियों के संबंध में लेखाओं को पूर्ण करने तथा परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के बाद निधियां एक चरणबद्ध तरीके से संस्वीकृत तथा जारी की जाती हैं।

[अनुवाद]

आई.डी.पी.एल. का पुनरुद्धार

314. श्री भान सिंह भौरा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई.डी.पी.एल. के पुनरुद्धार हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) आई डी पी एल एक रुग्ण कंपनी है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित है। बी आई एफ आर को निम्नलिखित रियायतों/सुविधाओं की सूचना देते हुए इस आशय का एक पत्र भेजा गया है कि सरकार, सामरिक भागीदार को शामिल करके इसके निजीकरण को सुकर बनाना चाहती है—

(i) सरकारी ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना।

(ii) भारत सरकार द्वारा ब्याज/दांडिक ब्याज और गारंटी शुल्क की माफी।

(iii) सांविधिक बकाया देनदारियों का भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का वित्तपोषण।

(ग) उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. का विनिवेश

315. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के विनिवेश के लिए कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विनिवेश हेतु क्या कार्यविधि तैयार की गई है; और

(ग) बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. की विनिवेश प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) को अनुकूल बिक्री के माध्यम से, सिद्धांत रूप से विनिवेश करने और इस प्रयोजनार्थ सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

(ग) विनिवेश प्रक्रिया का पूरा होना, बाजार परिस्थितियों, विचाराधीन कम्पनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन, बिक्री के निबंधन और शर्तों, बोलीदाताओं की अभिरुचि, इच्छुक पार्टियों द्वारा विधिवत अध्यवसाय के लिए, लिए गए समय आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए इस चरण पर बी पी सी एल और एच पी सी एल में विनिवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के समय का संकेत देना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

हिरासत में हुई बच्चों की मौत

316. श्री बीर सिंह महतो :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हिरासत में कितने 14 वर्ष से कम उम्र के और नाबालिगों की मौत हुई और हिरासत में हुई कुल मौतों का यह कितना प्रतिशत है; और

(ख) किशोर अपराधियों की देखभाल हेतु क्या विशेष उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) हिरासत में होने वाली मौतों के सभी मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सूचित किए जाते हैं; तथापि वह हिरासत में हुई मौतों के उम्र-वार आंकड़े नहीं रखता है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समग्र बाल नीति

317. श्री सुनील खां :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अभी भी बच्चों के लिए समग्र नीति तैयार करना शेष है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक विस्तृत नीति तैयार और लागू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) 1974 से राष्ट्रीय बाल नीति विद्यमान है।

कोयले की रायल्टी के संबंध में समिति की रिपोर्ट

318. श्री सनत कुमार मंडल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर रायल्टी दर बढ़ाने के लिए गठित समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करने में हुई देरी के क्या कारण हैं;

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) से (ग) राज्य सरकारों सहित, सभी संबद्ध पक्षों से विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद, कोयले पर रायल्टी के निर्धारण हेतु यथा-मूल्य आधार को अपनाने तथा रायल्टी दरों में संशोधन पर समिति की रिपोर्ट कोयला विभाग में दिसम्बर, 2001 में प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, एक नोट तैयार किया गया था और उसे संबद्ध मंत्रालयों और विभागों को उनके मत प्राप्त करने हेतु परिचालित किया गया था। इन मतों को सम्मिलित करते हुए अंतिम नोट तथा उस पर कोयला विभाग की टिप्पणियां आर्थिक कार्यों से संबद्ध मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) के समक्ष उनके विचारार्थ रखे जाने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई हैं।

कोयले पर रायल्टी की नई दरों को नोट में समाविष्ट प्रस्ताव पर सी.सी.ई.ए. द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद ही अधिसूचित किया जा सकता है।

सी.एस.आई.आर. द्वारा पेटेंट विकसित किया जाना

319. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य. सी.एस.आई.आर. के अंतर्गत प्रयोगशालाओं में कोई पेटेंट विकसित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विकसित पेटेंटों का प्रयोगशालावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी तैयार पेटेंट का आज की तिथि तक विपणन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन पेटेंटों के विपणन के द्वारा सी.एस.आई.आर. को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस.आई.आर.) और उसकी प्रयोगशालाएं भारत में सबसे अधिक पेटेंट फाइल करती हैं और विदेशों में भी ये किसी भी भारतीय संगठन की तुलना में सबसे अधिक पेटेंट फाइल करती हैं। इनका ब्यौरा विवरण-। और ॥ पर दिया गया है। पेटेंट आवेदन की तिथि के बाद भारत में इसे प्रौसेस होने में लगभग 7 वर्ष तक का समय लगता है और विदेशों में देश के आधार पर 1 से 3 वर्ष तक का समय लगता है। विश्व के 5% से कम की औसत की तुलना में सी.एस.आई.आर. के 7% से अधिक पेटेंटों को उपयोग में भी लाया जाता है। पेटेंट, प्रौद्योगिकीय जानकारी और ज्ञान के छोटे किंतु महत्वपूर्ण घटक होते हैं। अतः पेटेंटों का विपणन समग्र प्रौद्योगिकी/जानकारी पैकेज के घटक के रूप में किया जाता है और इस पैकेज में इन पेटेंटों के लिए कोई अलग मान नहीं दिया जाता है।

विवरण-I

सीएसआईआर द्वारा भारत में फाइल तथा स्वीकृत किए गए पेटेंट

	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
	फाइल किए	स्वीकृत	फाइल किए	स्वीकृत	फाइल किए	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7
सीबीआरआई	5	0	4	2	2	1
सीबीटी	6	1	1	1	4	9
सीसीएमबी	0	0	0	0	0	1
सीडीआरआई	16	13	10	10	17	18
सीईसीआरआई	6	8	13	8	9	34
सीईईआरआई	1	3	2	1	3	7
सीएफआरआई	1	0	7	1	8	4
सीएफटीआरआई	55	6	61	2	100	8
सीजीसीआरआई	20	3	25	2	30	5
सीआईएमएपी	30	4	10	1	11	20

1	2	3	4	5	6	7
सीएलआरआई	10	4	14	3	10	5
सीएमईआरआई	2	0	5	2	2	1
सीएमआरआई	2	0	6	0	6	8
सीआरआरआई	0	1	0	0	0	0
सीएसआईओ	1	1	0	0	0	1
सीएसआईआर(एससीएच)	7	0	10	0	19	1
सीएसएमसीआरआई	3	3	6	1	4	1
आईएचबीटी	0	0	5	0	3	0
आईआईसीबी	5	2	2	2	1	12
आईआईसीटी	46	8	40	11	44	21
आईआईपी	7	3	12	1	9	7
आईएमटी	2	3	0	1	2	4
आईटीआरसी	4	0	3	2	2	3
एमईआरएडीओ (पी)	0	0	0	0	0	1
एनएएल	6	1	6	0	3	2
एनबीआरआई	1	0	3	0	2	0
एनसीएल	65	23	92	32	43	90
एनईईआरआई	10	0	0	0	4	1
एनजीआरआई	0	0	0	0	0	0
एनआईओ	11	1	1	0	2	1
एनएमएल	3	1	7	7	10	23
एनपीएल	8	2	5	2	9	4
आरआरएल (भुवनेश्वर)	1	2	10	2	17	11
आरआरएल (भोपाल)	3	1	1	3	7	2
आरआरएल (जम्मू)	24	8	17	8	10	9

1	2	3	4	5	6	7
आरआरएल (जोरहाट)	8	4	20	9	8	21
आरआरएल (तिरु.)	8	6	12	3	6	5
एसईआरसी (गाजि.)	0	0	0	0	0	0
एसईआरसी (मद्रास)	0	0	0	0	3	0
योग	377	112	410	117	410	341

विवरण-II

सीएसआईआर द्वारा विदेश में फाइल तथा स्वीकृत किए गए पेटेंट

	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
	फाइल किए	स्वीकृत	फाइल किए	स्वीकृत	फाइल किए	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7
सीबीआरआई	0	0	0	0	0	0
सीबीटी	7	2	10	1	22	1
सीसीएमबी	0	0	24	1	4	0
सीडीआरआई	16	0	8	6	27	6
सीईसीआरआई	0	0	3	2	2	0
सीईईआरआई	1	0	0	0	0	1
सीएफआरआई	1	0	4	0	10	0
सीएफटीआरआई	2	0	26	1	60	2
सीजीसीआरआई	3	0	3	1	8	3
सीआईएमएपी	68	1	38	7	31	25
सीएलआरआई	3	3	10	0	0	2
सीएमआरआई	1	0	0	1	0	0
सीएसआईओ	0	0	4	0	12	0
सीएसआईआर (एससीएच)	3	0	6	0	23	1
सीएसएमसीआरआई	0	0	5	0	30	0

1	2	3	4	5	6	7
आईएचबीटी	0	1	63	1	36	0
आईआईसीबी	3	1	18	0	9	5
आईआईसीटी	32	6	72	4	92	17
आईआईपी	0	3	16	1	0	0
आईएमटी	3	0	6	1	11	0
एनएएल	0	0	1	0	0	0
एनबीआरआई	3	0	13	0	10	1
एनसीएल	18	12	63	16	43	16
एनईईआरआई	0	2	0	4	1	0
एनजीआरआई	0	0	0	0	5	0
एनआईओ	6	0	27	0	29	0
एनएमएल	0	0	0	0	20	0
एनपीएल	7	0	8	3	20	3
आरआरएल (भुवनेश्वर)	1	0	0	0	3	0
आरआरएल (भोपाल)	1	0	0	0	0	0
आरआरएल (जम्मू)	0	0	0	0	48	1
आरआरएल (जोरहाट)	0	2	1	4	4	0
आरआरएल (तिरु.)	20	2	23	2	20	2
योग	199	35	452	56	580	86

महिला कार्य बल

320. श्री वाई. वी. राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार गत एक दशक के दौरान महिला कार्य बल में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं; और

(ग) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राज्यों को खाद्यान्न आवंटन

321. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बाढ़, चक्रवात और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने और टैंक और सड़क जैसे आधारभूत क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों को खाद्यान्न आवंटन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) इस योजना की शुरूआत से विभिन्न राज्यों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन किया गया, राज्य द्वारा कितना खाद्यान्न का उपयोग किया;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस योजना की परियोजना निगरानी और समानांतर मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। पूर्ववर्ती काम के बदले अनाज कार्यक्रम (जनवरी, 2001 से 31 मार्च, 2002) के अंतर्गत और अब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के विशेष घटक के अंतर्गत बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए थे/कराए जाते हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के जरिए खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। राज्यों को खाद्यान्न उनकी मांग पर और कृषि मंत्रालय के परामर्श से आवंटित किए गए थे/किए जाते हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन, उठान और उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए मार्च, 2002 में प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों को 6 अध्ययन कार्य सौंपे गए हैं। रिपोर्टों को प्रस्तुत करने का समय अभी बचा हुआ है।

विवरण

वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज/आवंटित, उठाए गए और वितरित किए गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2000–01 आवंटित/ रिलीज किए गए खाद्यान्न (टन में)	2001–02 आवंटित/ रिलीज किए गए खाद्यान्न (टन में)	कुल (3 + 4) (टन में)	उठाए गए खाद्यान्न (टन में)	वितरित खाद्यान्न (टन में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	0	1650000	1650000	1650000	1536111
2.	बिहार	0	100000	100000	2023	अनसूचित
3.	छत्तीसगढ़	207000	419007	626007	626007	626007
4.	गुजरात	90000	58105	148105	136336	119220
5.	हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549	11549	11549
6.	कर्नाटक	0	100000	100000	99763	असूचित
7.	केरल	0	5000	5000	5000	असूचित

1	2	3	4	5	6	7
8.	मध्य प्रदेश	63079	188665	251744	211112	176090
9.	महाराष्ट्र	10000	140000	150000	136699	58048
10.	उड़ीसा	100000	150000	250000	246643	200575
11.	राजस्थान	118145	621360	739505	593362	482980
	कुल	599773	3432137	4031910	3718494	3210581

वर्ष 2002–03 के दौरान एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत रिलीज/आवंटित, उठाए गए और वितरित किए गए खाद्यान्न

क्र.सं. राज्य	2002–03		
	आवंटित/ रिलीज किए गए खाद्यान्न (टन में)	उठाए गए खाद्यान्न (टन में)	वितरित खाद्यान्न (टन में)
1. आंध्र प्रदेश	1500000	993109	328000
2. मध्य प्रदेश	111500	असूचित	असूचित
3. उड़ीसा	200000	असूचित	असूचित
4. छत्तीसगढ़	93116	असूचित	असूचित
कुल	1904616	993109	328000

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा पर भू-संवेदी यंत्र

322. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार घुसपैठ रोकने के लिए नियंत्रण रेखा पर भू–संवेदी यंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों की दक्षता की जांच के लिए शिविर

323. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद् ने तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों की दक्षता की जांच हेतु देश भर में शिविरों का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित ऐसे शिविरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे शिविरों के आयोजन के क्या मानदंड हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर जिलों में इस तरह के शिविरों के आयोजन का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी सेना द्वारा विमान अपहरण की योजना

324. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 2002 को 'दैनिक जागरण' में पाकिस्तानी सेना की विमान अपहरण योजना के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। दिनांक 26 जून, 2002 के दैनिक जागरण में संदर्भित आसूचना जानकारी प्राप्त होने पर उसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के साथ बांटा गया था जिसने इस संबंध में अलर्ट जारी किया था।

(ग) सरकार ने राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और सुरक्षा एजेंसियों को देश के सभी सक्रिय एयरपोर्टों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के निर्देश जारी किए हैं। तीव्र प्रतिक्रिया टीमें (क्यू आर टीज) दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर के एयरपोर्टों, जिन्हें निशाना बनाए जाने की आशंका है, सहित संवेदनशील और अतिसक्रिय एयरपोर्टों पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया जा रहा है।

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवासों का निर्माण

325. श्री ए. नरेन्द्र : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों में विशेषकर आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में बाढ़, चक्रवात और ऐसी ही अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवासों के निर्माण की स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों हेतु इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई/जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ङ) आपात स्थितियों जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकम्प आदि में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विगत तीन वर्षों में उड़ीसा, उत्तरांचल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश एवं इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों को इस मामले में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है।

विवरण

(लाख रु. में)

वर्ष	राज्य का नाम	आपात स्थिति	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1999–2000	उड़ीसा	भीषण चक्रवात	4125.00
2000–2001*	उड़ीसा	भीषण चक्रवात	28875.05
2000–2001	उत्तरांचल	भूकम्प	108.34
2000–2001	गुजरात	भूकम्प	4900.00
2001–2002	गुजरात	भूकम्प	2600.00

1	2	3	4
2001–2002	उड़ीसा	बाढ़	8250.00
2001–2002	उड़ीसा	भीषण चक्रवात	33000.00
2001–2002	आंध्र प्रदेश	अतिवृष्टि/चक्रवात	3750.00
2001–2002	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	412.50
2002–2003	उत्तरांचल	भूस्खलन	412.50

*अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में वर्ष 2000–2001 के दौरान 4996.13 लाख रुपए की सामान्य केन्द्रीय रिलीज भी शामिल है।

[हिन्दी]

छोटे और बड़े शहरों के विकास के लिए नीति

326. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के छोटे और बड़े शहरों के विकास के लिए कोई प्रभावी और ठोस नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों के नाम क्या हैं और उनके लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) से (ग) छोटे तथा मझोले कस्बों के समेकित विकास की एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है, जो राजस्थान सहित समूचे देश में 1979–80 से चल रही है। यह केवल छोटे तथा मझोले कस्बों पर लागू है न कि बड़े शहरों पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2002–03 के दौरान (जून, 2002 तक) राजस्थान के निम्नलिखित तीन कस्बों के लिए 114.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है–

रावातभाटा	–	45.00 लाख रु.
टोंक	–	45.00 लाख रु.
पोकरन	–	24.00 लाख रु.
		114.00 लाख रु.

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए एक अन्य प्रवर्तित स्कीम है जो 1993–94 से चल रही है और जो 1991 की जनगणना के अनुसार 40 लाख तथा इससे अधिक की आबादी वाले शहरों पर लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत शामिल शहरों में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद तथा बंगलौर हैं। राजस्थान में किसी भी शहर की आबादी 1991 की जनगणना अनुसार 40 लाख व इससे अधिक नहीं है और इसीलिए यह स्कीम राजस्थान राज्य पर लागू नहीं होती।

मध्य प्रदेश में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेसीएसवाई)

327. श्री राभानंद सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–02 के दौरान जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को जिलेवार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विशेषकर विंध्य, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया में आवंटन और खर्च बहुत कम किया गया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) वर्ष 2001–2002 के दौरान मध्य प्रदेश में निधियों का जिलावार आवंटन और उपयोग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	जिले का नाम	1.4.01 को अथशेष	आवंटन			रिलीज			कुल उपलब्धता	खर्च	प्रतिशत
			केन्द्र	राज्य	कुल	केन्द्र	राज्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बालाघाट	49.54	293.55	97.85	391.40	293.55	97.84	391.39	440.93	456.97	103.64
2.	बदवानी	21.75	452.61	150.87	603.48	452.61	150.85	603.46	625.21	631.47	101.00
3.	बेतूल	14.29	404.55	134.85	539.40	404.55	134.84	539.39	553.68	537.74	97.12
4.	भींड	8.45	149.75	49.92	199.67	149.75	49.91	199.66	208.11	200.08	96.14
5.	भोपाल	9.35	104.31	34.77	139.08	104.31	34.77	139.08	148.43	145.10	97.76
6.	छत्तरपुर	34.40	230.40	76.80	307.19	230.40	76.79	307.19	341.59	301.49	88.26
7.	छिंदवाड़ा	25.31	342.57	114.19	456.76	342.57	114.18	456.75	482.06	471.55	97.82
8.	दमोह	36.84	211.89	70.63	282.52	211.89	70.62	282.51	319.35	227.70	71.30
9.	दतिया	14.21	118.45	49.48	157.93	118.45	39.48	157.93	172.14	148.08	86.02
10.	देवास	19.89	237.92	79.31	317.23	237.92	79.30	317.22	337.11	317.68	94.24
11.	धार	1.55	552.82	184.27	737.10	552.81	184.25	737.06	738.61	713.93	96.66
12.	दिनधोरी	34.80	348.90	116.30	465.20	348.90	116.29	465.19	499.99	524.91	104.98
13.	पूर्वी निमड़	52.48	383.33	127.78	511.10	383.33	127.76	511.09	563.57	541.86	96.15
14.	गुना	1.17	264.91	88.30	353.22	264.91	88.29	353.20	354.37	307.58	86.80
15.	ग्वालियर	9.69	109.25	36.42	145.66	109.25	36.41	145.66	155.34	141.56	91.13
16.	हरधा	0.99	121.81	40.60	162.41	121.81	40.60	162.41	163.40	142.64	87.30
17.	होशंगाबाद	1.25	154.63	51.54	206.17	154.63	51.54	206.17	207.42	203.60	98.16
18.	इंदौर	14.04	147.25	49.08	196.33	147.25	49.08	196.33	210.37	193.95	92.20
19.	जबलपुर	31.83	303.66	101.22	404.88	303.66	101.21	404.87	436.70	432.34	99.00
20.	झबुआ	1.54	686.45	228.82	915.26	686.44	228.79	915.23	916.77	940.83	102.62
21.	कतनी	30.74	286.72	95.57	382.30	286.72	95.56	382.28	413.02	366.05	88.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	मंडला	59.60	400.19	133.40	533.58	400.19	133.38	533.57	593.17	551.66	93.00
23.	मंदसौर	4.92	225.29	75.10	300.39	225.29	75.09	300.38	305.30	276.75	90.65
24.	मुरैना	9.17	136.24	45.41	181.66	136.24	45.41	181.65	190.82	184.22	96.54
25.	नरसिंहपुर	27.19	153.26	51.9	204.34	153.26	51.08	204.34	231.53	197.46	85.28
26.	नीमच	2.44	192.61	64.20	256.81	192.61	64.20	256.81	259.25	232.89	89.83
27.	पन्ना	74.25	206.97	68.99	275.96	206.97	68.98	275.95	350.20	294.60	84.12
28.	रायसेन	5.18	167.80	55.93	223.73	167.80	55.93	223.73	228.91	200.51	87.59
29.	राजगढ़	12.34	233.48	77.83	311.30	233.48	77.82	311.30	323.64	306.57	94.73
30.	रतलाम	56.22	312.14	104.05	416.18	312.14	104.04	416.18	472.40	455.87	96.50
31.	रीवा	52.48	316.71	105.57	422.28	316.71	105.56	422.27	474.75	418.22	88.09
32.	सागर	2.64	273.59	91.20	364.79	273.59	91.19	364.78	367.42	357.44	97.28
33.	सतना	126.69	311.01	103.67	414.68	311.01	103.66	414.67	541.36	441.22	81.50
34.	सिहोर	0.01	176.91	58.97	235.87	176.91	58.96	235.87	235.88	243.51	103.23
35.	सिओनी	160.88	483.01	161.00	644.01	483.01	160.99	644.00	804.88	781.90	97.15
36.	सोपर	13.34	107.74	35.91	143.65	107.74	35.91	143.65	156.99	141.90	90.39
37.	शहडोल	15.70	462.34	154.11	616.45	462.34	154.10	616.44	632.14	634.64	100.40
38.	शाहजापुर	10.08	206.80	68.93	275.73	206.80	68.93	275.73	285.81	286.66	100.30
39.	शिवपुरी	14.20	241.17	80.39	321.56	241.17	80.38	321.55	335.75	323.09	96.23
40.	सिद्धि	42.96	421.12	140.37	561.49	421.12	140.36	561.48	604.44	575.31	95.18
41.	टीकमगढ़	8.09	206.10	68.70	274.80	206.10	68.69	274.79	282.88	274.00	96.86
42.	उज्जैन	20.56	259.01	86.34	345.35	259.01	86.33	345.34	365.90	349.31	95.47
43.	उमरिया	5.37	279.12	93.04	372.16	279.12	93.03	372.15	377.52	458.00	121.32
44.	विदिशा	0.00	154.83	51.61	206.44	154.83	51.60	206.43	206.43	190.90	92.47
45.	पश्चिमी निमड़	96.42	443.47	147.82	591.29	443.47	147.81	591.28	687.70	568.09	82.61
	कुल	1234.83	12276.62	4092.21	16368.82	12276.62	4091.80	16368.42	17603.25	16691.83	94.82

[अनुवाद]

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना
(एस.जी.एस.वाई.)

328. श्री सुकदेव पासवान : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के अंतर्गत निर्धनतम ग्रामीण लोगों के निहतार्थ लाभ इन लोगों को पहुंचाने की बजाय बेईमानों के जेब में जा रहा है;

(ख) क्या शहरी और ग्रामीण विकास (2002) संबंधी स्थायी समिति ने अपने 31वीं रिपोर्ट के पृष्ठ सं.–17 के पैरा 3.19 में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन सिफारिशों की समीक्षा की है और उनमें से किसी को क्रियान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन पर विशेष बल दे रहा है। कार्यक्रम की निगरानी की एक विस्तृत प्रणाली निर्धारित की गई है, जो निम्नानुसार है–

- केन्द्र स्तर पर, केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति (सी. एल.सी.सी.) योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करती है और नीति संबंधी दिशा–निर्देशों के बारे में सुझाव देती है।

- राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) कार्यक्रम की निगरानी करती है।

- सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और राज्य प्राधिकारियों से रिपोर्ट और विवरण प्राप्त करके (मासिक और वार्षिक आधार पर) कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी की जाती है। प्रगति के बारे में जानकारी देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत निगरानी फार्मेट परिचालित किए गए हैं।

- आवधिक बैठकों के जरिए भी जिसमें राज्य सचिव (ग्रामीण विकास) शामिल होते हैं, कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है।

- ब्लॉक/डी.आर.डी.ए. स्तर पर, जिला/राज्य अधिकारियों एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों और परिसंपत्तियों की वास्तविक जांच के जरिए निगरानी की जाती है।

- मंत्रालय प्रतिष्ठित (और स्वतंत्र) अनुसंधान संस्थाओं की सहायता से समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन कराता है ताकि योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके और ध्यान में आई कमियों की शीघ्रता से जांच की जाती है और उपचारी कार्रवाई की जाती है।

पशु स्वास्थ्य परिचर्या में
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

329. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में 100 करोड़ रुपये वाले पशु स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसाय में निवेश की इच्छुक हैं और घरेलू भेषज उद्योग में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इस क्षेत्र में कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है;

(घ) इस क्षेत्र में निवेश हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कितने प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश हेतु सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य परिचर्या में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अलग डेटा बेस का रखरखाव नहीं किया जाता है। 'औषध एवं भेषज' क्षेत्र के लिए समग्र रूप में डेटा का रखरखाव किया जाता है। 1.8.91 से लेकर 31.5.2002 तक की अवधि के दौरान पशु स्वास्थ्य परिचर्या समेत औषध एवं भेषज क्षेत्र में कुल 257 अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, जिनमें 2916.81 करोड़ रुपये का कुल निवेश शामिल है। इसी अवधि में कुल आवक जैसा कि ऊपर कहा गया है, 1229.35 करोड़ रु. की प्राप्ति हुई है। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पास लंबित नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के कोयला, खनिज, पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन संबंधी उपक्रमों का विनिवेश

330. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला, खनिज, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रो-रसायन जैसे क्षेत्र में विनिवेश को बढ़ावा देने हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में विनिवेश कार्यक्रम में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) विनिवेश कार्यक्रम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) क्रम सं. 3, "कोयला और लिग्नाइट" 4 "खनिज तेल" 5 "लोह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिपसम, सल्फर, सोना तथा हीरे का खनन" 6 "तांबा, शीशा, जिंक टिन, मोलिबडेनम और वोल्फ्राम" खनन और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटाते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की 15वीं अनुसूची में संशोधन कंपनी कार्य विभाग के दिनांक 21.9.2001 की अधिसूचना के द्वारा किया गया है।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान जिंक लि. में 26 प्रतिशत, भारत पेट्रो-रसायन निगम लि. में 26 प्रतिशत तथा आई बी पी लि. में 33.9 प्रतिशत का विनिवेश पूरा कर लिया गया है। हिन्दुस्तान कॉपर लि., मैगनीज और इंडिया लि., नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लि. स्पॉन्ज आयर इंडिया लि., हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि., इंजीनियर्स (इंडिया) लि. में विनिवेश प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में विनिवेश करने का सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है।

मुंबई स्थित समुद्र तटवर्ती भूमि (साल्ट पैन लैंड) का उपयोग

331. **श्री किरीट सोमैया** : क्या शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों के समूह ने महाराष्ट्र में मुंबई स्थित समुद्र तटवर्ती भूमि (साल्ट पैन लैंड) के उपयोग के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, इस पर सरकार के क्या विचार हैं और इसके क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार और जन प्रतिनिधियों ने केन्द्र सरकार से इस मामले में शीघ्र कोई कार्रवाई करने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, हां।

(ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

दहेज के कारण हुई मौतें

332. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में दहेज के कारण कितनी मौतों का पता चला है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने अभियुक्तों को दंडित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा दहेज के कारण हुई मौतों की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) अपराधों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संकलित किए जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्टों में दहेज–मृत्यु के अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं दिए जाते। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो दोषसिद्ध की दर, अर्थात् वर्ष के दौरान जिन मामलों में सुनवाई पूरी हुई हो, उनकी संख्या की तुलना में दोषसिद्ध मामलों का प्रतिशत, संबंधी आंकड़े रखता है। देश में, विशेषकर गुजरात में दहेज–मृत्यु के मामलों की संख्या तथा दहेज मृत्यु के मामलों में दोषसिद्धि की दर दर्शाने वाला विवरण–I जो राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्टों पर आधारित है, संलग्न है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

पूरे देश में तथा गुजरात राज्य में दर्ज दहेज मृत्यु के मामले तथा दोषसिद्धि की दर

वर्ष	दर्ज दहेज मृत्यु की घटनाएं		दोष सिद्धि दर	
	अखिल भारत	गुजरात	अखिल भारत	गुजरात
1997	6006	87	35.33	34.76
1998	6917	90	32.15	10.91
1999	6699	94	33.6	23.1

विवरण-II

सरकार ने दहेज लेने अथवा देने के मामले के निषेध के लिए दहेज निषेध अधिनियम, 1961 बनाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख तथा 498क भी 'दहेज मृत्यु' और विवाहित महिला के साथ उसके पति अथवा सगे–संबंधियों द्वारा मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार की निर्दयता के अपराध से संबंधित हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113–ख में यह प्रावधान है कि दहेज के संबंध में महिला के साथ निर्दयता बरतने वाले पति अथवा सगे–संबंधी को न्यायालय दोषी मान सकते हैं।

इन कानूनों के कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष दायित्व राज्य सरकारों तथा उनके अधीन तंत्रों का है। तथापि, सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वे स्वतंत्र प्रभार वाले दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त करें और दहेज निषेध अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत नियम अधिसूचित करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के उपबंधों को अधिक कड़ा और कारगर बनाने के लिए इसकी समीक्षा कर रहा है।

चूंकि, दहेज की समस्या समाज में महिलाओं के निम्न दर्जे की द्योतक है, इसलिए सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने तथा लड़कियों और महिलाओं के प्रति सामाजिक रवैये में परिवर्तन लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन उपायों में प्रचार अभियान, जागरूकता विकास शिविरों का आयोजन, कानूनी साक्षरता का प्रसार, परामर्श, कानूनी सहायता, स्वैच्छिक अभिकरणों को समर्थन और महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्कीमें शामिल हैं।

सरकार द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय महिला शक्तिसम्पन्नता नीति में भी दहेज जैसी कुप्रथाओं से उत्पन्न हिंसा सहित महिलाओं के साथ होने वाली सभी प्रकार की हिंसा की घटनाओं के उन्मूलन की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

प्रतिबंधित संगठन

333. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद निवारक अधिनियम (पोटा) के अंतर्गत देश में अनेक आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संगठन–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य के मुख्य मंत्री ने उप–प्रधान मंत्री के एक प्रख्यात व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लिट्टे को खुले आम समर्थन देने के लिए उन्हें पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए इस संबंध में लिखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) अभी तक आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 32 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इन आतंकवादी संगठनों के नामों की सूची संलग्न विवरण में है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये संगठन, देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद में संलिप्त हैं।

(ग) और (घ) तमिलनाडु की मुख्य मंत्री ने उप–प्रधान मंत्री के ध्यान में यह बात लाई है कि श्री वाईको (एम. डी.एम.के. नेता और संसद सदस्य) के खिलाफ आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी की एक जनसभा में लिट्टे के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की है।

(ङ) चूंकि, लोक व्यवस्था राज्य का विषय है, अतः मामले पर कार्रवाई करना तमिलनाडु सरकार का काम है।

विवरण

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आतंकवादी संगठन घोषित किए गए संगठनों के नामों की सूची

1. बब्बर खालसा इंटरनेशनल
2. खालिस्तान कमांडो फोर्स
3. खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स
4. इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन
5. लश्कर–ए–तैयबा/पासबान–ए–अहले हदीस
6. जैश–ए–मोहम्मद/तहरीक–ए–फुरकान
7. हरकत-उल-मुजाहिद्दीन/हरकत-उल-अंसार/हरकत-उल जेहाद–ए–इस्लामी
8. हिज्ब–उल–मुजाहिद्दीन/हरकत–उल–मुजाहिद्दीन पीर पंजाल रेजिमेंट
9. अल–उमर–मुजाहिद्दीन
10. जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट
11. यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
12. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.)
13. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पी.एल.ए.)
14. यूनाईटेड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट (यू.एन.एल.एफ.)
15. पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांग्लेईपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.)
16. कांग्लेईपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के.सी.पी.)
17. कांग्लई याओल कान्बा लुप (के.वाई.के.एल.)
18. मणिपुर पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (एम.पी.एल.एफ.)
19. आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स
20. नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा
21. लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल.टी.टी.ई.)
22. स्टुडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया
23. दीनदार अंजुमन
24. कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी–लेनिनवादी)–पीपुल्स वार, इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन
25. माओवादी कॉम्यूनिस्ट सेंटर (एम.सी.सी.), इसके सभी फार्मेशन और प्रमुख संगठन

26. अल बदर

27. जमायत–उल–मुजाहिदीन

28. अल–कायदा

29. दुख्तरान–ए–मिल्लत (डी.ई.एम.)

30. तमिलनाडु लिब्रेशन आर्मी (टी.एन.एल.ए.)

31. तमिल नेशनल रिट्राईयल ट्रुप्स (टी.एन.आर.टी.)

32. अखिल भारत नेपाली एकता समाज (ए.बी.एन.ई.एस.)

भूमि संबंधी अभिलेखों को अद्यतन किया जाना

334. श्री रामजी मांझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 1987 से शुरू हुई भूमि संबंधी अभिलेखों को अद्यतन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके राज्य–वार क्या कारण हैं;

(घ) क्या भूमि संबंधी अभिलेखों को अद्यतन किए जाने संबंधी केन्द्र प्रायोजित योजना को बिना जमीनी सच्चाई जाने लागू किया जा रहा है और धनराशि का विभिन्न राज्यों में अनधिकृत उद्देश्य हेतु अन्यत्र उपयोग किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसकी मौजूद स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि संबंधी अभिलेखों के अद्यतन किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (च) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमि अभिलेखों को समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (एस.आर.ए. एंड यू.एल.आर.) केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50 : 50 के अंशदान के आधार पर वर्ष 1987–88 के दौरान आरंभ की गई है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों को शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) ई.डी.एम., टोटल स्टेशन्स तथा थियोडोलाइट्स आदि जैसे आधुनिक सर्वेक्षण उपस्करों को खरीदने, हवाई सर्वेक्षण करने, पटवारियों के लिए कार्यालय एवं आवास तथा प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण करने, कार्यालय उपस्करों जैसे फोटोकॉपीयर, लैमिनेसन मशीनों, बाइंडिंग मशीनों आदि को खरीदने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशेष प्रस्तावों पर ही दी जाती है। इस योजना के आरंभ होने (वर्ष 1987) से लेकर अभी तक भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगभग 221.04 करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय सहायता दी है। राज्य–वार जारी की गई और उपयोग में लाई गई निधियों की स्थिति को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। निधियों को अन्यत्र उपयोग में लाए जाने संबंधी कोई विशेष मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

राजस्व मंत्रियों/सचिवों के विभिन्न सम्मेलनों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात के लिए जोर दिया गया है कि भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने का कार्य सतत आधार पर किया जाना चाहिए और यदि कोई पिछला कार्य शेष पड़ा हो तो उसे निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई कुल निधियां (31.3.2002 तक)	उपयोग में लाई गई कुल निधियां (31.3.2002 तक)
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	172.80	107.51
2. अरुणाचल प्रदेश	173.75	150.97
3. असम	397.20	202.00
4. झारखंड सहित बिहार	1077.70	815.63
5. गुजरात	640.70	504.32

1	2	3	4
6.	गोवा	75.94	83.36
7.	हरियाणा	301.54	255.45
8.	हिमाचल प्रदेश	738.88	544.87
9.	जम्मू और कश्मीर	1329.00	1120.65
10.	कर्नाटक	826.47	478.66
11.	केरल	1280.84	85.00
12.	छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश	2885.75	2363.91
13.	महाराष्ट्र	1958.10	1072.88
14.	मणिपुर	60.18	0.15
15.	मेघालय	50.00	0.00
16.	मिजोरम	976.79	570.90
17.	नागालैंड	220.57	94.55
18.	उड़ीसा	355.62	217.78
19.	पंजाब	1265.35	1098.25
20.	राजस्थान	1197.49	°892.00
21.	सिक्किम	146.46	41.75
22.	तमिलनाडु	546.03	383.46
23.	त्रिपुरा	346.58	72.55
24.	उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश	23.99	1628.01
25.	पश्चिम बंगाल	2293.49	1615.49
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	43.03	28.18
27.	चंडीगढ़	32.00	37.55
28.	दादरा और नगर हवेली	50.00	25.00
29.	दिल्ली	62.00	44.26
30.	दमन और दीव	6.50	6.50
31.	पांडिचेरी	142.79	73.67
32.	लक्षद्वीप	50.71	25.71
	योग	22104.09	15405.97

दसवीं योजना में डीपीएपी/डीडीपी के अंतर्गत निधियों का आबंटन

335. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के लिए दसवीं योजना के अंतर्गत प्रस्तावित योजना परिव्यय दुगने से ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजना 2002–03 के प्रथम वर्ष के लिए कम हिस्से को आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कमी लाने और रेगिस्तान को हरे–भरे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कोई अर्थपूर्ण सफलता हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.ए.डी.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के संबंध में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित दसवीं योजना परिव्यय भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय से कुछ कम है। ब्यौरा निम्नानुसार है–

कार्यक्रम	परिव्यय (करोड़ रुपये में)			
	प्रस्तावित		योजना आयोग द्वारा अनुमोदित	
	दसवीं योजना के लिए	वर्ष 2002–2003 के लिए	दसवीं योजना के लिए	वर्ष 2002–2003 के लिए
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	1600.00	270.00	1500.00	250.00
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	1200.00	210.00	1100.00	185.00

(ग) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2002–03 के लिए बजट आवंटन क्रमशः 250.00 करोड़ रुपये तथा 185 करोड़ रुपये है। यह आवंटन वर्ष 2002–03 के लिए विभाग द्वारा प्रस्तावित परिव्यय से कुछ ही कम है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय द्वारा तेजी से किए गए मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों से यह पता चलता है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.ए.डी.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी. डी.पी.) के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन से भूमि की समग्र उत्पादकता तथा जल के स्तर में वृद्धि हुई है तथा परियोजना क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास पर इसका सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि मरुभूमि क्षेत्रों में भी हरित वानस्पतिक आच्छादन में वृद्धि हुई है जिसका जल और वायु द्वारा भूमि के कटाव को रोकने में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का आयात

336. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 के दौरान 'राजसहायता प्राप्त उर्वरक' (इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स सब्सिडी) शीर्ष के अंतर्गत बजटीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस शीर्ष के अंतर्गत बजटीय प्रावधान को सरकार द्वार उपयोग किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनके बजटीय प्रावधान नहीं थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ङ) वर्ष 1999–2000 के दौरान शीर्ष 'उर्वरकों का आयात–राजसहायता' के तहत बजट प्रावधान और उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

राशि (रु. करोड़ में)

ब्यौरे	बजट प्रावधान	उपयोग की गई निधियां
सकल व्यय	1370.00	293.00
प्राप्तियां और वसूलियां	620.00	218.93
राजसहायता	750.00	74.07

वर्ष 1999–2000 के प्रारंभ में राज्य द्वारा लगाए गए मांग पूर्वानुमानों के आधार पर यूरिया की 220 लाख मी. टन की अनुमानित मांग के आधार पर 17.50 लाख मी. टन के आयात के लिए बजट प्रावधान किया गया था। तथापि, वास्तविक यूरिया आयात को 5.33 लाख मी. टन तक सीमित रखना पड़ा था क्योंकि वर्ष के दौरान यूरिया की वास्तविक खपत केवल 202.78 लाख मी. टन की थी। बजट प्रावधान के उपयोग में कमी के अन्य कारण निम्नलिखित थे–

(i) वास्तविक आयातों के समय यूरिया के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 140 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन से घटकर 87 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन होना।

(ii) आयातों पर सकल व्यय की अपेक्षाकृत प्राप्तियों और वसूलियों की मात्रा भी, दिनांक 28.2.2000 से प्रभावी यूरिया के संशोधित मूल्य के कारण 6.68 करोड़ रुपये अधिक थी।

गोधरा रेल नरसंहार संबंधी एफ सी एल रिपोर्ट

337. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोधरा रेल नरसंहार संबंधी अपराध शस्त्र की प्रयोगशाला से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) केन्द्र सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, गुजरात सरकार ने 27 फरवरी, 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के नजदीक साबरमती एक्सप्रैस ट्रेन के कुछ डिब्बों को आग लगाए जाने की घटना और गोधरा घटना के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति, श्री जी. टी. नानावती को अध्यक्ष और गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री के. जी. शाह को सदस्य के रूप में लेकर जांच आयोग अधिनियम, 1952 के उपबंधों के तहत एक जांच आयोग नियुक्त किया है। इस मामले में वास्तविक तथ्यों का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धनराशि

338. श्री एम. के. सुब्बा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों को ग्रामीण विकास हेतु कितनी केन्द्रीय धनराशि जारी की गई है;

(ख) इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितने प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) राज्यवार कितनी निधियों का आवंटन किया गया और इसमें से वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई और राज्यवार कितनी योजनाओं को लागू किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001, 2001–2002 तथा चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) को जारी की गई केन्द्रीय निधियों के योजनावार ब्यौरे विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) 1999–2000 से 2001–2002 की अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां विवरण–II में दी गई हैं।

(ग) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान योजनावार तथा राज्यवार निधियों के आवंटन और किए गए खर्च के ब्यौरे क्रमशः विवरण–III तथा IV में दिए गए हैं।

विवरण-I

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय रिलीज

क्र.सं.	योजना	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	3	4	5	6
1.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)/ सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.–2)	5084.11	3988.15	18756.00	1888.50
2.	सुनिश्चित रोगजार योजना (ई.ए.एस.)/ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.–1)	7651.80	9332.66	18334.65	4395.03

1	2	3	4	5	6
3.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	4716.33	1382.86	4369.83	294.41
4.	डी.आर.डी.ए. प्रशासन	एन.ए.	1796.98	2132.06	422.19
5.	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	18139.93	12315.20	12485.48	1352.78
6.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	2045.62	5705.07	5595.63	$
7.	अन्नपूर्णा	एन.ए.	990.48	238.95	$
8.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	एन.ए.	26849.00	30963.00	एन.आर.
9.	समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	956.32	2677.52	3795.54	51.92
10.	भूमि सुधार	423.12	563.08	841.75	एन.आर.
11.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)	11868.81	13294.03	15908.59	5009.10
12.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.)	209.98	505.96	58.31	एन.आर.
	कुल	51096.02	79400.99	113479.79	13413.93

एन.आर.–असूचित *–मई 2002 तक

एन.ए.–लागू नहीं $–योजनाएं राज्यों को अंतरित कर दी गईं।

विवरण-II

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों का योजनावार वास्तविक निष्पादन

क्र.सं.	योजना का नाम	1999–2000		2000–2001		2001–02		2002–03*		इकाई
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जे.जी.एस.वाई./ एस.जी.आर.वाई.–2	एन.ए.	169.22	एन.ए.	199.28	एन.ए	35.24	एन.ए	एन.आर.	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
2.	ई.ए.एस./ एस.जी.आर.वाई.–1	190.48	239.61	338.98	160.03	418.31	267.57	0	एन.आर.	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिन)
3.	एस.जी.एस.वाई.		35680				52875	0	एन.आर.	सहायताप्राप्त कुल स्वरोजगारी (सं.)
4.	आई.ए.वाई.	159131	45659	131832	94899	134400	68906	129636	एन.आर.	आवासी इकाईयां (सं.)
5.	एन.एस.ए.पी.	159321	81559	132171	95059	134818	122049	$	$	सहायता प्राप्त परिवार (सं.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	6776	5455	8539	4737	6223	3656	12129	एन.आर.	कवर की गई बसावटें (सं.)
7.	सी.आर.एस.पी.	85294	9571	134403	13462	0	1086	0	एन.आर.	निर्मित स्वच्छ शौचालय की (सं.)

एन.आर.—असूचित *—मई, 2002 तक

एन.ए.—लागू नहीं $—योजनाएं राज्यों को अंतरित कर दी गई।

विवरण-III

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य वार केन्द्रीय आवंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई)/संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.–2)				सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.)/संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई–1)				स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	204.90	456.91	519.38	456.91	226.21	406.80	519.21	493.74	136.74	276.91	164.76	127.10
2.	असम	5324.02	11872.04	13495.28	11872.04	5877.72	10546.62	13490.96	12810.39	3553.09	7195.18	4281.13	3302.59
3.	मणिपुर	356.92	795.90	904.72	795.90	394.04	707.18	904.42	860.17	238.19	482.36	287.00	221.40
4.	मेघालय	399.88	891.69	1013.61	891.69	441.47	792.68	1013.29	963.63	266.87	540.42	321.55	248.05
5.	मिजोरम	92.53	206.33	234.54	206.33	102.16	183.36	234.48	222.99	61.75	125.06	74.41	57.40
6.	नागालैंड	274.30	611.66	695.29	611.66	302.82	543.30	695.06	660.99	183.06	370.70	220.57	170.16
7.	सिक्किम	102.45	228.45	259.69	228.45	113.10	203.84	259.60	246.88	68.38	138.45	82.38	63.55
8.	त्रिपुरा	644.43	1437.02	1633.50	1437.02	711.47	1276.22	1632.98	1553.21	430.08	870.92	518.20	399.75
	कुल	7399.43	16500.00	18756.01	16500.00	8168.99	14660.00	18750.00	17812.00	4938.16	10000.00	5950.00	4590.00

*—मई, 2002 तक

1999–2000 से 2002–03 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्यवार केन्द्रीय आवंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ	डी.आर.डी.ए. प्रशासन				इंदिरा आवास योजना				राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	अरुणाचल प्रदेश	एन.ए.	488.25	353.37	396.36	754.00	726.86	555.06	569.92	99.34	266.15	236.08	$
2.	असम	एन.ए.	1066.64	773.42	755.42	15658.00	16354.79	12489.11	12823.65	1765.66	4596.55	4097.46	$
3.	मणिपुर	एन.ए.	343.35	248.50	242.71	693.00	866.65	661.80	679.51	172.22	440.86	388.72	$
4.	मेघालय	एन.ए.	270.90	202.33	197.62	1057.00	1151.46	879.29	902.85	184.76	477.70	421.19	$
5.	मिजोरम	एन.ए.	298.46	216.01	210.98	260.00	276.42	211.09	216.73	64.79	135.03	119.07	$
6.	नागालैंड	एन.ए.	309.49	245.65	239.93	653.00	743.31	567.62	582.84	125.64	330.67	290.39	$
7.	सिक्किम	एन.ए.	44.89	32.49	31.73	122.00	199.28	152.17	156.25	41.50	130.39	115.13	$
8.	त्रिपुरा	एन.ए.	177.19	128.24	1193.07	1433.00	1681.23	1283.85	1318.25	331.85	772.65	681.94	$
	कुल		3001.17	2200.01	3267.82	20630.00	22000.00	16799.99	17250.00	2785.78	7150.00	6350.00	

*–मई, 2002 तक एन.ए.–लागू नहीं

$–योजनाएं राज्यों को अंतरित कर दी गईं।

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्यवार केन्द्रीय आवंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्नपूर्णा				प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजमा			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	अरुणाचल प्रदेश	एन.ए.	39.90	39.90	$	एन.ए.	4100.00	3500.00	3500.00
2.	असम	एन.ए.	577.63	577.63	$	एन.ए.	7500.00	7500.00	7500.00
3.	मणिपुर	एन.ए.	71.99	71.99	$	एन.ए.	4000.00	4000.00	4000.00

1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
4.	मेघालय	एन.ए.	77.62	77.62	$	एन.ए.	3500.00	3500.00	3500.00
5.	मिजोरम	एन.ए.	21.68	21.68	$	एन.ए.	2000.00	2000.00	2000.00
6.	नागालैंड	एन.ए.	56.38	56.38	$	एन.ए.	2000.00	2000.00	2000.00
7.	सिक्किम	एन.ए.	20.82	20.82	$	एन.ए.	2000.00	2000.00	2000.00
8.	त्रिपुरा	एन.ए.	124.46	124.46	$	एन.ए.	2500.00	2500.00	2500.00
	कुल		990.48	990.48			27600.00	27000.00	27000.00

*—मई, 2002 तक एन.ए.—लागू नहीं

$—योजनाएं राज्यों को अंतरित कर दी गईं।

1999—2000 से 2002—2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्यवार केन्द्रीय आवंटन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम				केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम			
		1999—2000	2000—2001	2001—2002	2002—2003*	1999—2000	2000—2001	2001—2002	2002—2003*
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	अरुणाचल प्रदेश	2924.80	4389.00	4476.00	एन.आर.	30.00	11.50	4.11	एन.ए.
2.	असम	5148.12	7372.00	7561.0	एन.आर.	792.82	303.95	108.55	एन.ए.
3.	मणिपुर	907.00	1475.00	1643.00	एन.आर.	52.98	20.31	7.26	एन.ए.
4.	मेघालय	974.00	1869.07	1760.00	एन.आर.	57.48	22.04	7.87	एन.ए.
5.	मिजोरम	770.45	1226.00	1257.00	एन.आर.	14.79	5.67	2.03	एन.ए.
6.	नागालैंड	890.61	1275.00	1308.00	एन.आर.	39.84	15.27	5.45	एन.ए.
7.	सिक्किम	1068.80	650.00	536.00	एन.आर.	14.70	5.64	2.01	एन.ए.
8.	त्रिपुरा	1632.07	1521.00	1559.00	एन.आर.	92.92	35.63	12.72	एन.ए.
	कुल	14315.85	19777.07	20100.00		1095.53	420.01	150.00	

*—मई, 2002 तक एन.ए.—लागू नहीं

एन.आर.—असूचित

विवरण-IV

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों का योजनावार खर्च

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई)/संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.–2)				सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.)/संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई–1)				स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	अरुणाचल प्रदेश	461.48	428.11	267.20	एन.आर.	1360.57	1064.19	247.70	एन.आर.	240.22	179.93	53.10	एन.आर
2.	असम	7800.48	1426.61	135.19	1148.29	9369.96	5880.31	357.77	708.46	4509.16	2071.74	2545.12	65.59
3.	मणिपुर	93.87	108.36	287.16	एन.आर.	766.44	308.27	एन.आर.	एन.आर.	0.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
4.	मेघालय	180.98	811.86	492.88	एन.आर.	465.47	420.90	36.80	एन.आर.	75.02	88.94	146.76	एन.आर.
5.	मिजोरम	187.20	330.54	156.82	एन.आर.	354.90	517.00	245.39	56.11	9.08	110.48	35.52	एन.आर.
6.	नागालैंड	291.76	597.75	324.39	एन.आर.	748.31	639.74	168.30	एन.आर.	228.94	53.86	63.20	एन.आर
7.	सिक्किम	206.97	248.45	144.90	एन.आर.	132.06	625.09	170.00	एन.आर.	81.62	151.69	117.92	एन.आर.
8.	त्रिपुरा	812.95	1908.67	951.63	एन.आर.	1201.46	1401.74	807.55	एन.आर.	836.58	1231.26	839.32	0.72
	कुल	10035.69	5860.35	2760.17	1148.29	14399.17	10857.24	2033.51	764.57	5981.52	3887.90	3800.94	66.31

*–मई, 2002 तक   एन.आर.–असूचित   #–अनंतिम

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों का योजनावार खर्च

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ	डी.आर.डी.ए. प्रशासन				इंदिरा आवास योजना				राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	अरुणाचल प्रदेश	एन.ए.	351.21	एन.आर.	एन.आर.	732.02	875.29	454.91	एन.आर.	9.59	26.07	24.72	$

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.	असम	एन.ए.	534.24	एन.आर.	एन.आर.	6184.05	11991.24	1923.12	659.26	1383.54	2567.52	2582.44	$
3.	मणिपुर	एन.ए.	208.74	एन.आर.	एन.आर.	78.41	104.34	एन.आर.	एन.आर.	128.27	272.76	194.90	$
4.	मेघालय	एन.ए.	146.40	एन.आर.	एन.आर.	93.18	804.58	322.82	एन.आर.	118.02	317.15	401.09	$
5.	मिजोरम	एन.ए.	195.78	एन.आर.	एन.आर.	320.38	412.96	111.60	एन.आर.	50.97	126.88	109.31	$
6.	नागालैंड	एन.ए.	200.65	एन.आर.	एन.आर.	1036.36	682.67	622.27	एन.आर.	56.07	220.15	94.01	$
7.	सिक्किम	एन.ए.	44.89	एन.आर.	एन.आर.	211.78	273.06	178.36	0.65	27.23	108.16	45.47	$
8.	त्रिपुरा	एन.ए.	115.07	एन.आर.	एन.आर	2012.15	2271.35	1301.64	50.91	279.46	616.44	437.77	$
	कुल		1796.98			10668.33	17415.49	4914.72	710.82	2053.15	4255.13	3889.71	

*–मई, 2002 तक एन.ए.–लागू नहीं एन.आर.–असूचित

$–योजनाएं राज्यों को अंतरित कर दी गईं। #अनंतिम

1999–2000 से 2002–03 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों का योजनावार खर्च

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्नपूर्णा				प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1.	अरुणाचल प्रदेश	एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.		एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एनआर.
2.	असम	एन.ए.	एन.आर.	56.45		एनए	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
3.	मणिपुर	एन.ए.	एन.आर.	54.43		एन.ए.	एन.आर.	2000.00	एन.आर.
4.	मेघालय	एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.		एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
5.	मिजोरम	एन.ए.	8.89	19.94		एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
6.	नागालैंड	एन.ए.	56.38	एन.आर.		एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
7.	सिक्किम	एन.ए.	20.81	एन.आर.		एन.ए.	एन.आर.	1316.00	एन.आर.
8.	त्रिपुरा	एन.ए.	54.88	54.88		एन.ए.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल		140.96	185.70				3316.00	

*–मई, 2002 तक एन.ए.–लागू नहीं एन.आर.–असूचित #अनंतिम

$–योजनाएं राज्यों को अंतरित कर दी गईं।

1999–2000 से 2002–2003 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों का योजनावार खर्च

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम				केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम			
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*	1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–2003*
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	अरुणाचल प्रदेश	2979.46	2163.45	1473.65	एन.आर.	8.65	7.50	एन.आर.	एन.आर.
2.	असम	5564.58	6033.80	5125.00	एन.आर.	5.00	35.00	एन.आर.	एन.आर.
3.	मणिपुर	235.01	17.07	18.29	एन.आर.	3.48	14.28	एन.आर.	एन.आर.
4.	मेघालय	1044.01	1519.67	999.14	एन.आर.	19.91	14.71	एन.आर.	एन.आर.
5.	मिजोरम	688.91	1048.81	746.32	एन.आर.	1.00	0.90	एन.आर.	एन.आर.
6.	नागालैंड	765.08	1195.54	654.00	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
7.	सिक्किम	695.59	513.18	491.38	एन.आर.	5.00	9.50	5.86	एन.आर.
8.	त्रिपुरा	1662.00	1580.00	1578.94	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
	कुल	13634.64	14071.52	11086.72		43.04	81.89	5.86	

*–मई, 2002 तक #–अनंतिम एन.आर.–असूचित

जैव-रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी एस आई आर) में अनुसंधान हेतु वित्तपोषण

339. **श्री रामदास आठवले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जैव–रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र (सेंटर फॉर बायोकैमिकल टेकनौलाजी, सी एस आई आर) का वर्ष–वार कुल कितना बजट था;

(ख) अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार संस्थान में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिकों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने विदेशों में अनुभव प्राप्त किया है और किन–किन अनुसंधान परियोजना पर उन्होंने कार्य किया उनके शीर्षक क्या थे और वे किस–किस क्षेत्र से संबंधित थे;

(ग) क्या उक्त परियोजनाएं वर्ष 2005 के बाद पेटेंट हेतु विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुसार तैयार की गई थीं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रकृति विज्ञान कोशिका और पी एन ए अर्थात् वैज्ञानिक पत्रिकाओं में निदेशक सहित वैज्ञानिक समूह IV (3) के अनुसंधान संबंधी प्रकाशनों की श्रेणी–वार, पत्रिका–वार कुल संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सीएसआईआर की एक घटक इकाई जैव रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार दिए गए सीएसआईआर अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है–

वर्ष	बजट लाख रुपये में
1999–2000	650
2000–2001	862
2001–2002	976

(ख) सीबीटी में कार्यरत 13 वैज्ञानिकों ने विदेशों में अनुभव ग्रहण किया है। इनकी अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार अनुसंधान परियोजनाओं का शीर्षकों सहित क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त मामले में विश्व व्यापार संगठन के फॉर्म्युलेशन प्रासंगिक नहीं हैं।

(घ) इन विशिष्ट जरनलों अर्थात् पीएनएज में **वर्ष 1999** में सीबीटी के एक वैज्ञानिक का एक शोध-पत्र **प्रकाशित हुआ।**

विवरण

आरडी 1 एलर्जी (प्रत्यूर्जता) तथा संक्रामक रोगों का आण्विक जैव-रसायन

आरडीपी संख्या	परियोजना का शीर्षक
आरडीपी 1.1	एंथ्रेक्स आविष की क्रियाविधि को समझना
आरडीपी 1.2	श्वसन रोगों का आण्विक जीवविज्ञान/जैव रसायन/निदान : ऐस्पर्जिलस-आर्ति
आरडीपी 1.3	परपोषी-रोगजनक अंतःक्रिया की आण्विक क्रियाविधि : आनुवंशिक पूर्वानुकूलता में फेफड़ों के पृष्ठ सक्रियक प्रोटीनों की भूमिका
आरडीपी 1.4	प्रत्यूर्जकों का आण्विक विश्लेषण
आरडीपी 1.5	भारत में प्रत्यूर्जता के रोगियों और चिकित्सकों के लिए प्रत्यूर्जक पूर्वानुमान

आरडी 2 जीनोमिक्स तथा आण्विक औषधि

आरडीपी संख्या	परियोजना का शीर्षक
आरडीपी 2.1	औषधियों की डिजाइनिंग को बेहतर समझने के लिए प्रोटीन का संरचना-प्रकार्य संबंध अर्थात् एंटी-थ्रोम्बोटिक औषध कैंडीडेट्स

आरडी 3 न्यूक्लिइक अम्ल तथा पेप्टाइड्स

डीपी संख्या	परियोजना का शीर्षक
आरडीपी 3.1	तंत्रिकीय प्रकार्य तथा प्रकार्यहीनता सहित पेप्टाइडों की डिजाइनिंग तथा संश्लेषण
आरडीपी 3.2	जीवविज्ञानीय तथा अजीवविज्ञानीय अनुप्रयोगों हेतु संशोधित ओलिगोन्यूक्लिओटाइडों का डिजाइन तथा संश्लेषण

आरडी 4 जीनोम इन्फॉरमेटिक्स

डीपी संख्या	परियोजना का शीर्षक
आरडीपी 4.1	जटिल विकार सिजोफ्रेनिया तथा द्विध्रुवीय विकार में आनुवंशिक उपापचयी नेटवर्कों का सैद्धांतिक अध्ययन

आरडी 5 तुलनात्मक जीनोमिक्स तथा जीन निष्पीडन

डीपी संख्या	परियोजना का शीर्षक
आरडीपी 5.1	डीएनए अनुक्रमण और/या प्रोटीन निष्पीडन के जरिए जीनों का अभिलक्षणन

आरडी 6 जैव सक्रिय अणु तथा प्रौद्योगिकी विकास

डीपी संख्या	परियोजना का शीर्षक
आरडीपी 6.1	इम्यूनो सेंसरों का विकास
आरडीपी 6.2	औद्योगिक तथा औषधीय महत्व के जैवअणुओं के नवीन स्रोत के रूप में समुद्री जैव-संसाधनों का मूल्यांकन।

भारत के प्राकृतिक आपदा संबंध क्षेत्रों के मानचित्र का प्रकाशन

340. **श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भवन सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बिल्डिंग मेटेरियल्स एंड टेक्नोलोजी काउंसिल) ने भारत के ऐसे क्षेत्रों का मानचित्र प्रकाशित किया है जहां प्राकृतिक आपदा का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो मानचित्र (एटलस) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस मानचित्र (एटलस) की प्रतियां राज्य सरकारों को भेजी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मानचित्र (एटलस) को प्रकाशन के बाद क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) एटलस में निम्न शामिल हैं–

(i) प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में भूकम्प, चक्रवात तथा बाढ़ संभावी क्षेत्रों तथा जिला स्तर पर ऐसी आपदाओं की संभावित तीव्रता एवं प्रचंडता को दर्शाते आपदा नक्शे।

(ii) सन् 1991 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक जिले में मौजूदा आवास स्टॉक के जोखिम स्तर।

(ग) और (घ) वल्नरेबलिटी एटलस को शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बुलाए गए आवास तथा शहरी विकास मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। सम्मेलन में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा उपयोग के लिए राज्य–वार वल्नरेबलिटी एटलस तैयार करने के बारे में थी। तदनुसार राज्य वल्नरेबलिटी एटलस तैयार किए गए एवं संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित किए गए।

राज्य सरकारों को यह भी बताया गया कि एटलस में राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उन निवारक कार्रवाइयों की योजना बनाने के लिए तत्काल संदर्भ का प्रावधान है जो तैयारी में सुधार तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए किए जाने चाहिए।

(ङ) भारत के वल्नरेबलिटी एटलस के प्रकाशन के बाद निम्न कार्रवाई की गई है–

मई, 1998 में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर अपने–अपने भवन उप–नियमों एवं विनियमों, भू–उपयोग जोनिंग, विकास नियंत्रण नियमों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियमों में आवश्यक उपांतरण करने की सलाह दी गई थी।

माननीय शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री ने फरवरी, 2001 में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से प्राथमिकता आधार पर भूकम्परोधी भवनों एवं मकानों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा भवन उप–नियमों में संशोधन एवं सुधार करते हुए एक टेक्नोलीगल शासन प्रणाली अपनाने के लिए कहा।

सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक मार्च, 2001 में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी राज्यों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों के सामने जिस मुख्य मुद्दे पर जोर दिया गया वह यह था कि भूकम्प सह मकानों व अन्य भवनों के निर्माण हेतु मौजूदा मानकों एवं दिशानिर्देशों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों से अनिवार्य प्रावधानों के जरिए भवन उपनियमों एवं विकास नियंत्रण विनियमों एवं अन्य नियामक दस्तावेजों को बाध्यकर नीति दस्तावेजों में अनिवार्य प्रावधान करके यथोचित ढंग से संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय की सलाह पर अमल करते हुए गुजरात, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों एवं चंडीगढ़ तथा दमन व दीव संघ शासित प्रदेशों ने अपने भवन उप–नियमों, नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों तथा म्यूनिसिपल कस्बों के विकास नियंत्रण विनियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी किए हैं। केरल, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दादर व नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में मामला विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों का विनिवेश

341. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री के. पी. सिंह देव :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री अनन्त नायक :

क्या **विनिवेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार

भारत पर्यटन विकास निगम (आई टी डी सी) के होटलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम की विनिवेश प्रक्रिया में पुनः विलंब किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विनिवेश किए जाने वाले भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक होटल की वर्तमान स्थिति क्या है और शेष होटलों के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ङ) अब तक होटलों के विनिवेश के माध्यम से अर्जित राजस्व का होटल-वार ब्यौरा क्या है;

(च) नौकरी से निकाले गए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले और खरीदकर्त्ता द्वारा रखे गए कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(छ) कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या राज्य सरकारें भी जो कि भारत पर्यटन विकास निगम के बराबर के भागीदार हैं, विनिवेश के लिए इच्छुक हैं;

(झ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें होटल भूमि को पट्टे पर देने की अनिच्छुक हैं; और

(ञ) भारत पर्यटन विकास निगम के विनिवेश के संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार चंडीगढ़ स्थित 1 अपूर्ण होटल परियोजना के अलावा, भारत पर्यटन विकास निगम लि. (आई टी डी सी) के स्वामित्व और इसके द्वारा संचालित होटलों की संख्या 17 थी। भारत पर्यटन विकास निगम, आनन्दपुर साहिब स्थित 1 अपूर्ण संयुक्त उद्यम परियोजना के अलावा राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों/विभागों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 6 होटलों का भी संचालन कर रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम की सभी होटल परिसंपत्तियों की स्थिति से संबंधित अपेक्षित जानकारी विवरण-I पर दी गई है।

(च) संबंधित परिसंपत्तियों के क्रेताओं के साथ शेयर खरीद करार (एस पी ए) के अनुसार समापन की तारीख को प्रत्येक होटल में कार्य कर रहे किसी भी कर्मचारी को रोजगार से अलग नहीं किया गया है और उन सबको भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन के अधीन उनको प्राप्त सेवा के उन्हीं निबंधन और शर्तों के साथ नए स्वामित्वों को हस्तांतरित किया गया है। बंगलौर, बोधगया, हसन, मदुरै, मामल्लापुरम, आगरा, उदयपुर स्थित होटल इकाइयों तथा नई दिल्ली स्थित दो होटलों के सभी कर्मचारियों को नए स्वामित्व में हस्तांतरित कर दिया गया है। कोवलम, कोलकाता और मनाली स्थित होटल इकाइयों के कर्मचारियों, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं दिया है, को भी नए स्वामित्व में हस्तांतरित कर दिया गया है। भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा घोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या विवरण-II पर दी गई है।

(छ) कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाले उपबंध प्रत्येक होटल इकाई के क्रेता के साथ पट्टा-सह-प्रबंधन करार/शेयर खरीद करार में किए गए हैं। पट्टा-सह-प्रबंधन करार/शेयर खरीद करार के प्रासंगिक उपबंधों का सार विवरण-III पर दिया गया है।

(ज) और (झ) भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त उद्यम संपत्तियों के मामले में, संबंधित राज्य सरकारों ने संयुक्त उद्यम कंपनियों को जमीन या तो रियायती पट्टा किराए पर अथवा नाममात्र के भुगतान पर दे दी थी। भारत पर्यटन विकास निगम और संयुक्त उद्यम साझीदारों के बीच सम्पन्न शेयरधारक करार में, दोनों पार्टियों की लिखित सहमति के बिना शेयर धारिता प्रतिमान में परिवर्तन पर रोक लगाने की व्यवस्था है। संबंधित राज्य सरकारों से शेयर धारक करार में प्रतिबंधित खंडों को समाप्त करने के लिए अपनी सम्मति देने और जमीन की कीमत में अनर्जित वृद्धि को बांटने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ञ) भारत पर्यटन विकास निगम की होटल परिसंपत्तियों का विनिवेश एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारत पर्यटन विकास निगम की सभी होटल परिसंपत्तियों का विनिवेश पूरा करने में लगने वाली समय-सीमा का संकेत देना संभव नहीं है।

विवरण-I

(क) वे मामले जिनमें सौदा हो चुका है :

क्र.सं.	होटल	क्रेता	प्राप्तियां (रुपए)	सौदे की तारीख/टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	अशोक बंगलौर (एयर पोर्ट रेस्टोरेंट सहित) (30 वर्ष के पट्टा-सह-प्रबन्धन अनुबंध पर)	भारत होटल्स लि.	4,11,00,000.00-न्यूनतम गारंटीशुदा वार्षिक भुगतान (एम जी ए पी.), 39,41,15,415.00 अग्रिम भुगतान की राशि (भारतीय विमानपत्तन को भुगतान सहित) 2 वर्ष के लिए प्रतिभूति जमा; 30 वर्षों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान की छूट का 50 प्रतिशत; दिसम्बर, 2001 से मार्च 2002 तक 4 महीनों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक भुगतान और होटल एवं एयरपोर्ट रेस्टोरेन्ट दोनों के लिए व्यवसाय हस्तांतरण प्रतिफल)	29.11.2001
2.	बोधगया अशोक (99.97 प्रतिशत इक्विटी बेची गई)	लोटस-निक्को होटल्स	2,01,04,813.00 भारत सरकार-1,80,94,272.88 आई एच सी एल-20,10,540.12	29.11.2001
3.	हसन अशोक (99.97% इक्विटी बेची गई)	मालंद होटल्स एण्ड रिसोर्ट (प्रा.) लि.	2,52,00,000.00 भारत सरकार-2,26,23,406.45 आई एच सी एल-25,13,793.55 हसन म्यूनिसिपैलिटी-62,800 रुपए	29.11.2001
4.	मदुरै अशोक (99.97% इक्विटी बेची गई)	सांगू चक्र होटल्स प्रा. लिमिटेड	5,52,51,021.00 भारत सरकार-4,93,73,728.79 आई एच सी एल-54,86,148.21 मदुरै नगर निगम-3,91,144	31.1.2002
5.	टी बी ए बी आर मामल्लापुरम (99.97% इक्विटी गई)	जी.आर. थंगा मालिगई (प्रा.) लि.	6,80,79,300.00 भारत सरकार-6,12,71,170.81 आई एच सी एल-68,08,129.19	1.2.2002

1	2	3	4	5
6.	आगरा अशोक (99.97% इक्विटी बेची गई)	श्री मोहन सिंह	4,00,53,000.00 भारत सरकार—3,53,92,672.94 आई एच सी एल—39,32,647.06 आगरा कैंट बोर्ड—7,27,680	7.2.2002
7.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर (99.97% इक्विटी बेची गई)	भारत होटल्स लि.	7,52,00,000.00 भारत सरकार—6,76,79,779.97 आई एच सी एल—75.20,220.03	26.2.2002
8.	कुत्तुब होटल, नई दिल्ली (99.97% इक्विटी बेची गई)	सुशील गुप्ता और संकाय	35,67,54,379.00 भरत सरकार—10,98,55,893.00 एल एंड डी ओ—7,32,37,500.00 एम सी डी—16,14,54,179.00 आई एच सी एल—1,22,06,807.00	20.3.2002
9.	लोधी होटल, नई दिल्ली (99.97% इक्विटी बेची गई)	सिलवर लिंक होल्डिंग्स लि. एंड कन्सोर्टियम	76,40,67,643.00 भारत सरकार—40,28,14,567.00 एल एंड डी ओ—30,03,83,872.00 एम सी डी—1,61,10.575.00 आई एच सी एल—4,47,58,629.00	22.3.2002
10.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता (एयरपोर्ट रेस्तरां सहित) (99.97% इक्विटी बेची गई)	ब्राइट इंटरप्राइजेज प्रा. लि.	20,01,51,000.00 भारत सरकार—5,64,73,145.00 ए ए आई—3,46,45,817.00 दमदम म्यूनिसिपैलिटी—94,15,040.00 वी आर एस—9,33,42,000.00 आई एच सी एल—62,74,998.00	8.7.02
11.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट (99.97% इक्विटी बेची गई)	एम. फार होटल्स लि.	43,68,76,000.00 भारत सरकार—29,72,69,034.00 वी आर एस—10,65,76,000.00 आई एच सी एल—3,30,30,966.00	11.7.02
12.	मनाली अशोक (99.97% इक्विटी बेची गई)	ऑटो इम्पैक्स लि.	4,00,00,000.00 भारत सरकार—3,10,43,599.00 एच पी एस ई बी—11,61,000.00 वी आर एस—43,46,000.00 आई एच सी एल—34,49,401.00	15.7.02

(ख) निर्णीत मामले, जिनमें सौदा किया जाना है :

क्र.सं.	होटल	क्रेता	प्राप्तियां (रुपए)	सौदे की तारीख/टिप्पणियां
1	2	3	4	5
13.	होटल औरंगाबाद अशोक (एयरपोर्ट रेस्तरां सहित) (99.97% इक्विटी बेची जानी है)	लोक संगम होटल्स एण्ड रिसोर्ट प्रा. लि.	17,40,42,000.00 भारत सरकार—8,15,92,835.00 एस सी आर—5,43,42,000.00 तहसीलदार—9,00,000.00 वी आर एस—2,81,41,000.00 आई एच सी एल—90,66,165.00	सौदा शीघ्र ही पूरा किया जाना है
14.	खजुराहो अशोक (99.97% इक्विटी बेची जानी है)	भारत होटल्स लि.	2,21,00,000.00 भारत सरकार—19,83,594.00 आई टी डी सी—11,00,000.00 वी आर एस—1,87,96,000.00 आई एच सी एल—2,20,406.00	—वही—
15.	वाराणसी अशोक (99.97% इक्विटी बेची जानी है)	रामनाथ होटल्स प्रा. लि.	9,11,00,000.00 भारत सरकार—6,57,36,686.00 वी आर एस—1,80,59,000.00 आई एच सी एल—73,04,314.00	—वही—
16.	कनिष्का, नई दिल्ली (99.97% इक्विटी बेची जानी है)	नेहरू प्लेस होटल्स लि.	95,95,01,000.00 भारत सरकार—32,19,62,904.00 एल एंड डी ओ—31,62,95,626.00 एन बी सी सी—2,80,29,707.00 एन डी एम सी—12,28,05,944.00 वी आर एस—13,46,32,000.00 आई एच सी एल—3,57,74.819.00	—वही—
17.	इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली (99.97% इक्विटी बेची जानी है)	मोरल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लि.	45,03,33,333.00 भारत सरकार—14,84,04,185.00 एल एंड डी ओ—15,30,56,905.00 एन बी सी सी—1,45,39,099.00 एन डी एम सी—4,37,67,254.00 वी आर एस—7,40,76,000.00 आई एच सी एल—1,64,89.890.00	—वही—

1	2	3	4	5
18.	अपूर्ण चंडीगढ़ परियोजना (आई टी डी सी की 100% इक्विटी बेची जानी है)	टी ए जे जी वी के होटल्स एंड रिसोर्ट लि.	17,27,20,981.00 चंडीगढ़ प्रशासन–12,65.37,813.00 आई टी डी सी–4,61,83,168.00	आई टी डी सी की 100% सहायक कंपनी के रूप में बेची जा रही है। सौदा जल्दी ही पूरा किया जाना है।

भारत सरकार, संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक निकायों को प्राप्त कुल अग्रिम धन की वसूली 414,88,02,011.84 रुपए।

आख्यान :

ए ए आई – भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को वसूली होटल की जमीन के लिए पट्टा किराया और रेस्तरां के लिए लाइसेंस शुल्क के बकाया लेनदारियों के कारण हुई है।

जी ओ आई – भारत सरकार (लगभग) 89.97 प्रतिशत शेयरों के लिए।

एच पी एस ई बी – हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड–हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को वसूली भारत पर्यटन विकास निगम से बकाया देनदारियों से हुई है।

आई एच सी एल – इंडियन होटल्स कंपनी लि. (लगभग) 10 प्रतिशत शेयरों के लिए।

आई टी डी सी – भारत पर्यटन विकास निगम लि.–खजुराहो अशोक के लिए धनराशि भूमि से संबंधित विवाद का अदालत से बाहर निपटाने के लिए प्रतिपूर्ति के लिए है। अपूर्ण चंडीगढ़ परियोजना के लिए धनराशि भारत पर्यटन विकास निगम के अंशदान के लिए है।

एल एंड डी ओ – भूमि एवं विकास कार्यालय (शहरी विकास विभाग) भूमि तथा विकास कार्यालय को वसूली पट्टे पर दी गई जमीन के मूल्य में अनअर्जित वृद्धि जमा हर्जाना प्रभार आदि के कारण प्राप्त हुई है।

एम सी डी – दिल्ली नगर निगम–दिल्ली नगर निगम को वसूली भारत पर्यटन विकास निगम से देय बकाया सम्पत्ति कर/सेवा के कारण हुई है।

एन बी सी सी – राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.–राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. को वसूली भारत पर्यटन विकास निगम से बकाया देनदारियों के कारण हुई है।

एन डी एम सी – नई दिल्ली नगर पालिका–नई दिल्ली नगर पालिका को वसूली भारत पर्यटन विकास निगम से बकाया सम्पत्ति कर/सेवा प्रभार/आहाता प्रभारों आदि की देनदारियों के कारण हुई है।

एस सी आर – दक्षिण केन्द्रीय रेलवे–दक्षिण केन्द्रीय रेलवे को वसूली भूमि के मूल्य विवाद के निपटाने के कारण हुई है।

तहसीलदार – तहसीलदार औरंगाबाद–भारत पर्यटन विकास निगम बकाया देनदारियां।

वी आर एस – स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (उपदान सहित) प्रत्येक होटल इकाई में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों के संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए धनराशि बोलीदाताओं से अग्रिम रूप में ली गई है।

अन्य आवर्ती वसूलियां :

1. **अशोक बंगलौर** : 2.55 करोड़ रुपए (एम जी ए जी का 50 प्रतिशत) की वार्षिक अथवा होटल के सकल कारोबार के 16.5 प्रतिशत के बीच अंतर के रूप में परिकलित धनराशि तथा एम जी ए पी का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, की वसूली होगी।

2. **कुतुब होटल, नई दिल्ली** : भूमि तथा विकास कार्यालय को भूमि के लिए निर्दिष्ट मूल्य का 2.5 प्रतिशत की दर से तथा 3 वर्ष के किराए के बराबर 1,09,85,625.00 रुपए का ब्याज मुक्त प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति जमा वार्षिक किराए के रूप में 36,61,875.00 रुपए प्राप्त करेगा। (वार्षिक किराया तथा तदनुरूपी प्रतिभूति जमा प्रत्येक 10 वर्ष में 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा)।

3. **लोधी होटल, नई दिल्ली** : भूमि तथा विकास कार्यालय भूमि के लिए निर्दिष्ट मूल्य का 2.5 प्रतिशत की दर से तथा 3 वर्ष के किराए के बराबर 4,02,81,588.00 रुपए का ब्याज मुक्त प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति जमा वार्षिक किराए के रूप में 1,34,27,196.00 रुपए प्राप्त करेगा (वार्षिक किराया तथा तदनुरूपी प्रतिभूति जमा प्रत्येक 10 वर्ष में 30 प्रतिशत बढ जाएगा)।

4. **होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता** : भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित धनराशि प्राप्त करेगा :

होटल के लिए : (11,440 वर्ग मीटर) अथवा 28,180 वर्ग मीटर (कुल भूमि) जो भी अधिक हो, निर्मित क्षेत्रफल पर परिकलित 92.15 प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्षिक पट्टा किराए के रूप में 25,96,787 रुपए। (वार्षिक पट्टा किराया प्रत्येक 3 वर्ष में 20 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा) प्रत्येक 5 वर्ष में क्रमशः 26 लाख, 34 लाख 50 लाख, 71 लाख तथा 85 लाख लाख रुपए की वृद्धि करते हुए न्यूनतम 14 लाख रुपए के गारंटीशुदा वार्षिक भुगतान के अध्यधीन 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक कारोबार शुल्क/प्रतिभूति जमा 6 महीने के वार्षिक पट्टा किराए के बराबर।

रेस्तरां के लिए : 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि करते हुए 30 लाख रुपए का वार्षिक किराया; विमान में खानपान की सुविधा प्रदान करने के लिए तथा उसमें/रेस्तरां परिसरों में बियर की बिक्री के लिए 70.10 लाख प्रति वर्ष की तय धनराशि और लाइसेंस शुल्क तथा विद्युत/पानी के प्रभार के लिए 71,40,000 रुपए का प्रतिभूति जमा।

5. **होटल कनिष्क, नई दिल्ली** : भूमि तथा विकास कार्यालय भूमि के लिए निर्दिष्ट मूल्य का 2.5 प्रतिशत की दर से तथा 3 वर्ष के किराए के बराबर 4,68,35,949.00 का ब्याज मुक्त प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति जमा वार्षिक किराए के रूप में 1,56,11,983.00 रुपए प्राप्त करेगा। (वार्षिक किराया तथा तदनुरूपी प्रतिभूति जमा प्रत्येक 10 वर्ष में 30 प्रतिशत बढ़ जाएगा)।

6. **होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली** : भूमि तथा विकास कार्यालय भूमि के लिए निर्दिष्ट मूल्य का 2.5 प्रतिशत की दर से तथा 3 वर्ष के किराए के बराबर 2,28,15,825.00 का ब्याज मुक्त प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति जमा वार्षिक किराए के रूप में 76,05,275.00 रुपए प्राप्त करेगा। (वार्षिक किराया तथा तदनुरूपी प्रतिभूति जमा प्रत्येक 10 वर्ष में 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा)।

7. **अपूर्ण चंडीगढ़ परियोजना** : चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पट्टा धारक स्थल तथा भवन नियमावली, 1973 के संदर्भ में पहले 33 वर्षों के लिए 31,89,375 रुपए की दर से, अगले 33 वर्षों के लिए 47,84,063 रुपए की दर से तथा अंतिम 33 वर्षों के लिए 63,78,750 रुपए की दर से वार्षिक जमीन किराया प्राप्त करेगा।

(ग) अन्य होटल

क्र.सं.	होटल	टिप्पणियां
1	2	3
19.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	99.77 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री के लिए दिनांक 5/8.2.01 को रुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। संपत्ति की बिक्री दिल्ली के मास्टर प्लान अर्थात् "स्थानीय दुकानदारी" के अंतर्गत मौजूदा भू-उपयोग के आधार पर की जानी है। दर, जिस पर जमीन की कीमत तय की जानी है, निर्धारित करने के लिए, एक समिति का गठन किया गया है।
20.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	99.97 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री के लिए दिनांक 1.1.02 को रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। डाटा कक्ष का अध्ययन और विधिवत अध्यवसाय पूरा कर लिया गया है। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त हो गई है। आगे की प्रक्रिया चल रही है।

1	2	3
21.	होटल जयपुर अशोक	99.97 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री के लिए दिनांक 1.1.02 को रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। डाटा कक्ष का अध्ययन और विधिवत अध्यवसाय पूरा कर लिया गया है। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
22.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	तदैव
23.	होटल जम्मू अशोक	तदैव
24.	अशोक होटल, नई दिल्ली	होटल को पट्टा–सह–प्रबंधन आधार पर हस्तांतरित करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंत्रित करने का विज्ञापन 11.12.00 को जारी किया गया था। नवम्बर, 2001 और जनवरी, 2002 में बोली के दो दौर चलने के बाद भी कोई बोलीदाता नहीं मिला। मार्च, 2002 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा नए प्रस्तावों का निरूपण लंबित रहने तक होटल को विनिवेश सौदे से अलग रखने का निर्णय लिया गया है।
25.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	99.97 इक्विटी की बिक्री के लिए, रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने का विज्ञापन 5/8.2.01 को जारी किया गया था। जनवरी, 2002 में जब बोलियां आमंत्रित की गई थीं तब कोई बोलीदाता नहीं मिला। मार्च, 2002 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा नए प्रस्तावों का निरूपण लंबित रहने तक होटल को विनिवेश सौदे से अलग रखने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग इस होटल को भारत पर्यटन भवन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करता है।
26.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	होटल को पट्टा–सह–प्रबंधन सौदे पर देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने का विज्ञापन 5/8.2.01 को जारी किया गया था। सुरक्षा से संबंधित हित चिंताओं के कारण वित्तीय बोलियां आमंत्रित नहीं की गई हैं। मार्च, 2002 में यह निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा एजेंसियों के परामर्श से सुरक्षा संबंधी हित चिंताओं का समाधान करने के बाद इस होटल के लिए फिर से विज्ञापन जारी किया जाए।
27.	ललिथा महल पैलेस होटल, मैसूर	विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में इस होटल को पट्टा–सह–प्रबंधन अनुबंध पर देना प्रस्तावित है। भारत पर्यटन विकास निगम कर्नाटक सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि और भवन में इस होटल का संचालन कर रहा है। करार में, निजीकरण होने पर पट्टे को समाप्त करने की व्यवस्था है। चूंकि राज्य सरकार ने विनिवेश के लिए अपनी सहमति नहीं दी है, अतः इसे अभी नहीं लिया जा सका है।

(घ) संयुक्त उद्यम होटल :

क्र.सं.	होटल	टिप्पणियां
1	2	3
1.	होटल नीलांचल अशोक, पुरी	भारत पर्यटन विकास निगम (98 प्रतिशत) और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम (2 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति प्राप्त हो गई है। आगे की प्रक्रिया चल रही है।

1	2	3
	2. होटल रांची अशोक, रांची	भारत पर्यटन विकास निगम (51 प्रतिशत) और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (49 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
	3. होटल लेकव्यूह अशोक, भोपाल	भारत पर्यटन विकास निगम (51 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (49 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
	4. होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी	भारत पर्यटन विकास मिगम (51 प्रतिशत) असम सरकार (49 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
	5. होटल पांडिचेरी अशोक, पांडिचेरी	भारत पर्यटन विकास निगम (51 प्रतिशत) और पी आई पी डी आई सी (49 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
	6. होटल डोनयी पोलो अशोक, ईटानगर	भारत पर्यटन विकास निगम (51 प्रतिशत) और ए पी आई डी एफ सी (49 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।
	7. होटल पंजाब अशोक, आनन्दपुर साहिब	अपूर्ण परियोजना। भारत पर्यटन विकास निगम (51 प्रतिशत) और पंजाब पर्यटन विकास निगम (49 प्रतिशत) के बीच संयुक्त उद्यम। विनिवेश अर्थागम में भागीदारी करने के लिए राज्य सरकार की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है।

विवरण-II

उन कर्मचारियों की होटल-वार संख्या, जिन्होंने अप्रैल, 2002 में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा घोषित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प दिया है, इस प्रकार है-

क्र.सं.	होटल का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कोलकाता (एयरपोर्ट रेस्तरां सहित)	471	166
2.	कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	361	205
3.	होटल मनाली अशोक	19	6
4.	होटल औरंगाबाद अशोक (एयरपोर्ट रेस्तरां सहित)	72	60
5.	होटल खजुराहो अशोक	40	39
6.	होटल वाराणसी अशोक	114	30
7.	होटल कनिष्क, नई दिल्ली	580	302
8.	होटल इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली	373	167
9.	होटल रणजीत, नई दिल्ली	157	58
10.	चंडीगढ़ परियोजना	शून्य	शून्य

1	2	3	4
11.	होटल जयपुर अशोक	108	92
12.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	91	34
13.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	78	72
14.	होटल जम्मू अशोक	55	47

टिप्पणी : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा घोषित योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को विनिवेश सौदे के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रदान की जाएगी।

विवरण-III

पट्टा-सह-प्रबंधन करार/शेयर खरीद करार में कर्मचारियों से संबंधित उपबंध :

(क) करार के एक विधिक अंश का पठन इस प्रकार है :

खरीददार/पट्टाधारी/लाइसेंस धारक इस बात को विशेष तौर पर मान्यता देता है कि सरकार अपनी रोजगार नीतियों के संबंध में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों के हितों के लिए कतिपय सिद्धांतों का अनुकरण करती है और खरीददार/पट्टाधारक/लाइसेंस धारक इस बात पर सहमत है कि इसमें अभिप्रेत सौदे के निष्पादन होने पर वह ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए कंपनी को प्रेरित करने में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी करने की दशा में, खरीददार/पट्टाधारक/लाइसेंस धारक यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की छंटनी अन्त में हो।

(ख) करारों में, सौदा सम्पन्न होने के बाद खरीददार/पट्टाधारक/लाइसेंस धारक के लिए निम्नलिखित बाध्यताओं की व्यवस्था की गई है—

खरीददार/पट्टाधारक/लाइसेंस धारक उस ईकाई के उन सभी नियमित कर्मचारियों को कंपनी के नियोजन में जारी रखेगा जिन्हें ऐसे निबंधन और शर्तों पर कंपनी में स्थानांतरित किया गया है जो लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार, यदि कोई हों, कंपनी पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में और ऐसे नियमित कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी/कामगार यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सम्पन्न करारों में तय की गई शर्तों सहित, उस ईकाई के हस्तांतरण की तारीख को नियमित कर्मचारियों पर लागू निबंधन और शर्तों से किसी प्रकार कम नहीं होंगे। खरीददार/पट्टाधारक/लाइसेंस धारक यह भी प्रतिज्ञा करता है कि वह निम्न बातों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी को प्रेरित करेगा;

(i) नियमित कर्मचारियों की सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं आएगा।

(ii) नियमित कर्मचारियों पर लागू सेवा के निबंधन और शर्तें उनसे किसी भी प्रकार कम अनुकूल नहीं होंगी जो इस तारीख से तत्काल पूर्व उन पर लागू रहे हैं।

(iii) वह लागू कर्मचारी विनियमन तथा कंपनी के स्थायी आदेश अथवा लागू कानून के अनुसरण में नियमित कर्मचारियों को उनके रोजगार से पदच्युत करने अथवा सेवा समाप्त कर देने के अलावा समापन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अपने नियमित कर्मचारियों की किसी प्रकार की छंटनी नहीं करेगा।

(iv) नियमित कर्मचारियों की छंटनी करने की दशा में कंपनी नियमित कर्मचारियों को ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान उस आधार पर लागू श्रम कानून के अधीन अपेक्षित व्यवस्था के अनुसार करेगी जैसे कि नियमित कर्मचारियों की सेवा सतत तथा अबाधित रही है। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी नियमित कर्मचारी की तब तक कोई छंटनी आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि प्रभावित कर्मचारी को ऐसे लाभ प्रदान न कर दिए जाएं जो (क) उस तारीख को लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार कंपनी

पर लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से अधिक हों और (ख) लाभ/क्षतिपूर्ति कर्मचारी को लागू कानून के अधीन सांविधिक रूप से प्रदान करनी होगी।

(v) कंपनी कर्मचारियों पर लागू विनियमों के अनुसरण में अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण ही कर्मचारियों को पदच्युत करने अथवा उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई आरंभ करेगी।

(vi) अनुबंधित कर्मचारियों के संबंध में प्रासंगिक अनुबंधों के निबंधन और शर्तों का कंपनी द्वारा पूरा-पूरा पालन किया जाएगा तथा खरीददार/पट्टाधारक/लाइसेंस धारक, सरकार तथा भारत पर्यटन विकास निगम को ऐसे निबंधन और शर्तों में से कंपनी द्वारा किसी के पालन में असफल रहने की दशा में हुए परिणामी नुकसान, घाटे अथवा दावों के विरुद्ध हर्जाना भरता रहेगा।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की दनकुनी इकाई का विनिवेश

342. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दनकुनी इकाई स्थापित करने हेतु किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस इकाई का संचालन इसके आधुनिकीकरण के पश्चात् कर पाना असंभव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) दनकुनी संयंत्र में 31.3.2002 तक निवेश की गई कुल पूंजी 141.04 करोड़ रुपये है। ब्यौरा निम्नानुसार है :

	(करोड़ रु. में)
भूमि	3.69
संयंत्र तथा मशीनरी	110.45
भवन, सड़क कल्वर्टस	17.85
रेलवे साइडिंग और स्टाक यार्ड	7.67
गाड़ियां	0.38
फर्नीचर तथा अन्य	1.01
कुल	141.05

(ख) और (ग) दनकुनी संयंत्र प्रारंभ से ही घाटे में चल रहा है। दनकुनी संयंत्र आधुनिकीकरण के बाद भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकता जब तक कि इसके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता।

(घ) सी.आई.एल. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(i) राज्य सरकार से संयंत्र को ई.सी.एल. से प्राप्त होने वाले कोयले के उपकर तथा रायल्टी में राहत देने तथा मैसर्स ग्रेटर कलकत्ता गैस सप्लाई कारपोरेशन को आपूर्ति की जा रही गैस के मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। लागत को कम करने के लिए दनकुनी में, वर्तमान में उच्च भाड़ा प्रभार अदा करने पर भी ई.सी.एल. के बजाए एस.ई.सी.एल. से कोयले का उपयोग किया जा रहा है।

(ii) इसके साथ-साथ निविदा के आधार पर संपूर्ण संयंत्र को पट्टे पर देने/बेचने के लिए कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण

343. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दशक के दौरान मौसम से संबंधित आपदाएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आपदा प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण/सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्राकृतिक आपदाओं का असर काफी ज्यादा महसूस किया जाता है। आपदाओं से कृषि पर प्रभाव पड़ता है, घरों और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचती है तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया भी बाधित होती है। सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अलग से कोई मात्रात्मक आकलन नहीं किया गया है।

भारत सरकार देश में आपदा से निपटने की तैयारी, इसे कम करने और आपात कार्रवाई प्रणाली रखने के उद्देश्य से प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव कर रही है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के विकास हेतु अनुदान देना

344. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक दल ने मध्य प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के विकास हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने हेतु मध्य प्रदेश का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है और इस दौरे के क्या परिणाम निकले;

(ग) इस हेतु संस्वीकृत किए गए अनुदान की धनराशि और अब तक जारी धनराशि कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेषज्ञों के एक दल ने नौवीं योजना अवधि के दौरान कॉलेजों को विकास अनुदान मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस दल ने सभी पात्र कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकास अनुदान आवंटित करने की सिफारिश की। दल की सिफारिशों को आयोग ने अनुमोदित किया और तदनुसार अनुदान जारी किए गए।

(ग) नौवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश के सभी पात्र कॉलेजों को आवंटित और जारी किए गए विकास अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नौवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के कॉलेजों को आवंटित और जारी किए गए विकास अनुदानों को दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रु. में)

विश्वविद्यालय का नाम	उन कॉलेजों की संख्या जिनको सहायता दी गई	नौवीं योजना के लिए अनुमोदित कुल अनुदान	31.3.2002 तक कालेजों/शिक्षकों को जारी कुल अनुदान
1	2	3	4
ए.पी.एस विश्वविद्यालय	34	378.00	307.85
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय	56	600.00	565.95
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	50	510.00	437.80
डा. एच. एस. गौड़ विश्वविद्यालय	32	281.00	269.34

1	2	3	4
जीवाजी विश्वविद्यालय	44	455.00	405.15
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	58	517.00	484.89
विक्रम विश्वविद्यालय	40	340.80	294.64
कुल	314	3081.80	2765.62

विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान

345. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 2002 के 'दैनिक जागरण' में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदानों के दुरुपयोग से संबंधित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया अनुदान मदवार कितना है;

(घ) क्या उक्त अनुदान के समुचित उपयोग के संबंध में कोई समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार

346. श्री रघुनाथ झा : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 1998 के अपने प्रतिवेदन संख्या 4 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त स्टॉक न रखे जाने के आश्वासन देने के बावजूद घटिया मुद्रण एवं आर्ट पेपर की खरीद का उल्लेख किया है जिससे वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पेपर की खरीदारी संबंधी मुद्दे की जांच श्री के. के. सिन्हा, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई थी जिनकी नियुक्ति अन्य मुद्दों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा पेपर की खरीदारी की जांच करने के लिए की गई थी। रिपोर्ट की जांच विश्वविद्यालय की स्थापना समिति तथा विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा की गई। बोर्ड ने दिनांक 1.7.2002 को आयोजित अपनी बैठक में यह निदेश दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की जाए। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(घ) विश्वविद्यालय ने अपने कार्यकरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं—

(i) पेपर की खरीदारी की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है। आपूर्ति करने के पहले पेपर की जांच की जाती है;

(ii) आंतरिक लेखा-परीक्षा विंग का सुदृढ़ीकरण;

(iii) खरीदारी के लिए सभी प्रस्तावों की बोर्ड की स्थाई समिति द्वारा जांच की जाती है;

(iv) वित्तीय आशय के सभी प्रस्तावों की वित्त प्रभाग द्वारा जांच की जाती है;

(v) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत; और

(vi) विश्वविद्यालय एक ऐसी स्कीम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसके द्वारा पेपर की खरीदारी केवल आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से ही की जाएगी।

[हिन्दी]

घाटे में चल रही कोयला खानों की बिक्री

347. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में घाटे में चलने वाली कोयला खानों को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी खानों का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हेतु निविदा आमंत्रित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयला खानों को बेचे जाने की प्रक्रिया के कब तक पूरा होने की संभावना है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

348. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद से निपटने और आंतरिक सुरक्षा अभियानों के प्रभावी संचालन हेतु कोई संगठन, सुरक्षा अथवा आसूचना इकाई गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

349. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री पदमसेन चौधरी :
श्री भीम दाहाल :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामपाल सिंह :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'टेरोरिस्ट किल 5 हिन्दूज इन जे एंड के' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रकाशित मामले के संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2002 में आज तक की तिथि तक आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य में मारे गए/घायल

नागरिकों/सुरक्षा कर्मियों की संख्या कितनी है और सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए/मारे गए आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ को रोकने और नागरिकों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। जैसाकि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है, दिनांक 15/16 जून, 2002 को आतंकवादियों का एक ग्रुप जिला उधमपुर में बधार, माहोर के श्री शोभाराम के घर में घुस गया तथा पांच संवासियों की हत्या कर दी। उक्त घटना में चार अन्य लोग भी घायल हो गए।

(ग) और (घ) राज्य में 1 जनवरी से 30 जून, 2002 के बीच हुए आतंकवादी हमले में मारे गए/घायल सिविलियन एवं सुरक्षा कार्मिक, गिरफ्तार किए गए/मारे गए आतंकवादियों की संख्या विगत वर्ष की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों सहित नीचे दी गई है–

	2002	2001
घटनाओं की संख्या	1863	2105
मारे गए सिविलियन	431	437
घायल हुए सिविलियन	464	1104
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	163	237
घायल हुए सुरक्षा कार्मिक	472	645
विभिन्न अधिनियमों और कानूनों के तहत गिरफ्तार आतंकवादी	77	56
मारे गए आतंकवादी	870	757

(ङ) विभिन्न स्तरों पर कूटनीतिक पहलों तथा सीमा/नियंत्रण रेखा पर सेना की तैनाती तथा भीतरी क्षेत्र में आतंकवादियों पर भारी दबाव के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवादी संगठनों/पाक आई एस आई द्वारा सीमा–पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को काबू करने के लिए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ घुसपैठ रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को मजबूत बनाना, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, सभी स्तरों पर एकीकृत मुख्यालयों के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के संस्थानिक ढांचे के माध्यम से व्यापक कार्यात्मक एकीकरण, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी शस्त्र और उपस्कर तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई शामिल हैं।

आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियों, युक्तियों तथा परिवर्तनात्मक तैनाती की निरंतर पुनरीक्षा की जाती है, इसमें परिशोधन किया जाता है तथा राज्य में एकीकृत मुख्यालय में तथा आपरेशन ग्रुपों में विभिन्न स्तरों पर इसका प्रबोधन किया जाता है।

क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत पेय जल योजनाएं

350. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत पेय जल योजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस योजना के अंतर्गत विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित/जारी किए गए धन का राज्यवार एवं जिलेवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण जल आपूर्ति क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने, पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं और स्रोतों को स्थायी स्वरूप देने के लिए 1999 से ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार किए गए हैं। सुधारों के कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं 67 प्रायोगिक जिलों हेतु स्वीकृत की गई हैं। 65 सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियों की प्रथम किस्त रिलीज कर दी गई है। आंध्र प्रदेश सहित, राज्यवार और जिलावार क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक स्वीकृत और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत और रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	राज्य का नाम	स्वीकृत की गई निधि	रिलीज की गई निधि
1	2	3	4	5
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	1122.000
2.	पूर्व गोदावरी	आंध्र प्रदेश	4000.00	374.000
3.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	4000.00	1122.000
4.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	3753.00	1052.700
5.	नालगोंडा	आंध्र प्रदेश	4000.00	1122.000
6.	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	4000.00	1122.000
7.	प्रकाशम	आंध्र प्रदेश	4000.00	1122.000
8.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश	900.00	252.450
9.	पश्चिम सियांग	अरुणाचल प्रदेश	700.00	392.700
10.	जोरहाट	असम	1275.00	356.580
11.	कामरूप	असम	1000.00	280.500
12.	सोनीतपुर	असम	1181.00	331.040
13.	वैशाली	बिहार	4000.00	1122.000
14.	दुर्ग	छत्तीसगढ़	4000.00	1122.000
15.	मेहसाना	गुजरात	4000.00	1122.000
16.	राजकोट	गुजरात	4000.00	1122.000
17.	सूरत	गुजरात	4000.00	1122.000
18.	करनाल	हरियाणा	1507.00	422.710
19.	यमुना नगर	हरियाणा	986.180	276.620
20.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश	2005.00	557.250
21.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	2511.00	704.330
22.	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर	2500.00	675.000
23.	धनबाद	झारखंड	4000.00	1122.000
24.	बेल्लारी	कर्नाटक	4000.00	1122.000
25.	मंगलोर	कर्नाटक	4000.00	1122.000
26.	मैसूर	कर्नाटक	4000.00	1122.000
27.	कासरगोड	केरल	4000.00	1122.000
28.	कोलम	केरल	4000.00	1122.000
29.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	2927.940	821.290
30.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	4000.00	1122.000
31.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	4000.00	1122.000
32.	रायसेन	मध्य प्रदेश	4000.00	1122.000
33.	सिहोर	मध्य प्रदेश	1795.00	503.440
34.	अमरावती	महाराष्ट्र	2126.00	592.050
35.	धुले	महाराष्ट्र	3952.780	1107.880
36.	नांदेड़	महाराष्ट्र	4000.00	1122.000
37.	रायगढ़	महाराष्ट्र	3793.00	1042.140
38.	रि-भोई	मेघालय	975.110	272.100
39.	सेरछिप	मिजोरम	268.980	223.350
40.	दीमापुर	नागालैंड	594.00	166.610
41.	बालासोर	उड़ीसा,	4000.00	1122.000
42.	गंजम	उड़ीसा	4000.00	1122.000
43.	सुन्दरगढ़	उड़ीसा	4000.00	1122.000

1	2	3	4	5
44.	भटिंडा	पंजाब	752.190	210.280
45.	मोगा	पंजाब	344.00	96.430
46.	मुक्तसर	पंजाब	3992.800	1119.980
47.	अलवर	राजस्थान	4000.00	1122.000
48.	जयपुर	राजस्थान	4000.00	1122.000
49.	राजसमंद	राजस्थान	4000.00	1122.000
50.	सीकर	राजस्थान	2171.00	595.820
51.	सिक्किम दक्षिण	सिक्किम	1322.480	363.020
52.	सिक्किम पश्चिम	सिक्किम	892.350	244.950
53.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	4000.00	2244.000
54.	कुडालोर	तमिलनाडु	4000.00	1122.000
55.	कांचीपुरम	तमिलनाडु	4000.00	0.00
56.	पेराम्बलूर	तमिलनाडु	4000.00	1122.000
57.	वेल्लोर	तमिलनाडु	4000.00	2244.000
58.	विरुधूनगर	तमिलनाडु	4000.00	0.00
59.	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा	2819.400	770.070
60.	आगरा	उत्तर प्रदेश	3000.000	841.500
61.	चंदौली	उत्तर प्रदेश	2500.00	701.250
62.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	4000.00	1122.000
63.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	3000.00	841.500
64.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	2500.00	701.250
65.	हरिद्वार	उत्तरांचल	4000.00	1122.000
66.	मिदनापुर	प. बंगाल	4000.00	1122.000
67.	उत्तरी 24 परगना	प. बंगाल	4000.00	1122.000
	कुल		206045.210	57282.790

पुनर्वास कार्यों का आकलन

351. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री विनेश चन्द्र यादव :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने राज्य में फरवरी–जून, 2002 में हुई सांप्रदायिक हिंसा में प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य की प्रगति का ब्यौरा देने के लिए जून 2002 में प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) हिंसा के दौरान मौत एवं अंगहीन होने के मामले में प्रति व्यक्ति और प्रति आवास भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की औसत धनराशि कितनी है और क्या विकल्प उपलब्ध कराए गए;

(घ) क्या शरणार्थी शिविरों में की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को शरणार्थियों द्वारा शिविरों को छोड़ने और खाली करने पर मजबूर करने हेतु बंद कर दिया गया था;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस वर्ष मई और जून में बंद किए गए शिविरों की संख्या कितनी है; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) गुजरात के मुख्य मंत्री ने दिनांक 13.6.2002 को प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा उन्हें गुजरात में दंगा प्रभावित लोगों के लिए किए गए राहत एवं पुनर्वास उपायों से संबंधित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया।

(ग) मृत्यु के मामले में परिवारों को 1.5 लाख रु. की दर से अनुग्रह मुआवजा प्रदान किया गया। घायलों के

मामले में चोट को दृष्टिगत रखते हुए 2000/- रु. से 50,000/- रु. की दर से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों को हुई क्षति के मामले में 50,000/- रु. तक भुगतान किया गया तथा शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण के बाद निर्धारित की जाने वाली दर पर भुगतान किया जाएगा।

(घ) केन्द्र सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(च) 1.7.02 की स्थिति के अनुसार राज्य में 10 राहत शिविर थे और इनमें 13,179 संवासी थे जबकि 15.4.2002 को शिविरों की अधिकतम संख्या 121 थी और इनमें 1,32,532 संवासी थे।

(छ) गुजरात में राहत एवं पुनर्वास कार्यों का प्रबोधन राज्य स्तर पर वरिष्ठ सचिवों तथा केन्द्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल सचिव द्वारा किया जा रहा है।

ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

352. **श्री भान सिंह भौरा :**

श्री राम टहल चौधरी :

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 हेतु विभिन्न केन्द्रीय ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान वर्ष और अगले वर्ष के दौरान भी आवासों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य राज्यवार किस अभिकरण को सौंपा गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) विभिन्न केन्द्रीय ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत वर्ष दर वर्ष निधियां आवंटित की जाती हैं बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। वर्ष 2002-2003 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1669.40 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्यवार आवंटन और आवासों के निर्माण/उन्नयन के लिए निर्धारित लक्ष्य विवरण में संलग्न है। ग्रामीण निर्मिति केन्द्र और ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के अभिनव चरण की योजनाएं परियोजना आधारित हैं इसलिए उनके तहत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

(घ) आवास निर्माण/उन्नयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें हैं। तथापि ग्रामीण आवास एवं पर्यावास के अभिनव चरण और ग्रामीण निर्मिति केन्द्र योजनाओं की परियोजनाएं मान्यता प्राप्त शैक्षणिक/तकनीकी संस्थाओं, निगमित निकायों और प्रौद्योगिकी संवर्धन और अनुप्रयोग में अनुभव रखने वाले स्वायत्तशासी सोसाइटियों, राज्य जिला निकाय/पंचायती राज संस्थाएं, सहकारी समितियों, अन्य विकास संस्थाओं और ग्रामीण आवास निर्माण और पर्यावास विकास में प्रमाणित रिकार्ड और अनुभव रखने वाले विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा सकती हैं।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान इंदिरा आवास योजना/ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्यवार आवंटन और लक्ष्य

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आवंटन			लक्ष्य संख्या में
		केन्द्र	राज्य का मैचिंग अंश	कुल कॉलम (3 + 4)	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12070.22	4023.41	16093.63	96562

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	569.92	189.97	759.89	4283
3.	असम	12823.65	4274.55	17098.20	96371
4.	बिहार	32787.84	10929.28	43717.12	262302
5.	छत्तीसगढ़	2064.05	688.02	2752.07	16512
6.	गोवा	77.98	25.99	103.97	624
7.	गुजरात	3468.85	1156.28	4625.13	27751
8.	हरियाणा	1172.95	390.98	1563.93	9384
9.	हिमाचल प्रदेश	518.91	172.97	691.88	3900
10.	जम्मू एवं कश्मीर	620.72	206.91	827.63	4665
11.	झारखंड	9633.38	3211.13	12844.51	77067
12.	कर्नाटक	6243.52	2081.17	8324.69	49948
13.	केरल	3868.97	1289.66	5158.63	30952
14.	मध्य प्रदेश	7202.92	2400.97	9603.89	57624
15.	महाराष्ट्र	11077.83	3692.61	14770.44	88623
16.	मणिपुर	679.51	226.50	906.01	5107
17.	मेघालय	902.85	300.95	1203.80	6785
18.	मिजोरम	216.73	72.24	288.97	16292
19.	नागालैंड	582.84	194.28	777.12	4380
20.	उड़ीसा	9716.97	3238.99	12955.96	77736
21.	पंजाब	777.00	259.00	1036.00	6216
22.	राजस्थान	3273.06	1091.02	4364.08	26184
23.	सिक्किम	156.25	52.08	208.33	1175
24.	तमिलनाडु	6061.33	2020.44	8081.77	48491
25.	त्रिपुरा	1318.25	439.42	1757.67	9907
26.	उत्तर प्रदेश	22100.00	7366.67	29466.67	176800
27.	उत्तरांचल	2295.43	765.14	3060.57	17250
28.	प. बंगाल	13026.91	4342.30	17369.21	104215

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	146.82	0.00	146.82	881
30.	दादरा व नगर हवेली	77.05	0.00	77.05	462
31.	दमन व दीव	31.89	0.00	31.89	192
32.	लक्षद्वीप	2.50	0.00	2.50	15
33.	पांडिचेरी	72.90	0.00	72.90	438
	जोड़	165640.00	55102.95	220742.95	1314431

चालू वर्ष के दौरान अभिनव योजना के तहत 10.00 करोड़ रु. आवंटित।

चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण निर्मित केन्द्र के तहत 3.00 करोड़ रु. आवंटित। और दोनों योजनाओं में राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण

353. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित सर्वेक्षण किस तिथि को पूरा किया गया था; और

(ख) इस सर्वेक्षण के राज्यवार क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1997 में (नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में) देश के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) की अंतिम जनगणना कराई गई थी। इस जनगणना के राज्यवार परिणाम विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बी.पी.एल. जनगणना, 1997 का राज्यवार परिणाम

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों की सं.	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10484028	4184628	39.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	102852	80627	78.39
3.	असम	3607241	2164416	60.00
4.	बिहार	18933813	9399281	49.64
5.	गोवा	135816	23101	17.00
6.	गुजरात	5587768	1980879	35.45
7.	हरियाणा	2074615	503019	24.25
8.	हिमाचल प्रदेश	1036996	286112	27.59
9.	जम्मू व कश्मीर	1047251	606545	57.92
10.	कर्नाटक	6479832	2202756	34.00
11.	केरल	4714295	1723556	36.56
12.	मध्य प्रदेश	11651082	5111874	43.87
13.	महाराष्ट्र	11010022	3860675	35.07
14.	मणिपुर	365670	246980	67.54
15.	मेघालय	282362	156646	55.48
16.	मिजोरम	110570	74154	67.07
17.	नागालैंड	146615	88541	60.39

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	6790202	4445736	65.47
19.	पंजाब	2330725	650209	27.90
20.	राजस्थान	6768541	2097560	30.99
21.	सिक्किम	एनआर	एनआर	एनआर
22.	तमिलनाडु	9388118	2737921	29.16
23.	त्रिपुरा	595397	397798	66.81
24.	उत्तर प्रदेश	20430204	7541494	36.91
25.	पश्चिम बंगाल	11076686	4918296	44.40
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	30221	6421	21.25
27.	दादरा व नगर हवेली	26237	17231	65.67
28.	दमन व दीव	10735	395	3.68
29.	लक्षद्वीप	8625	885	10.26
30.	पांडिचेरी	133555	63262	47.37
	संपूर्ण भारत	135360074	55570998	41.05

एन आर–सूचित नहीं। *अनंतिम

$$–ग्रामीण बसावट

गैर-महत्वपूर्ण अप मार्केट प्रयोक्ताओं के लिए कोयले का मूल्य

354. श्री वाई. वी. राव : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–महत्वपूर्ण अप मार्किट प्रयोक्ताओं के लिए कोयले के मूल्य में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोयला खनन और निजी क्षेत्र को विपणन के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) और (ख) कोयले के मूल्य को 1.1.2000 से केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः विनियंत्रित कर दिया गया है। कोयले के मूल्य को पूर्णतः विनियंत्रित किए जाने के पश्चात् कोयला उत्पादक कम्पनियां बाजार स्थितियों के संदर्भ में अपनी वाणिज्यिक समझदारी के अनुसार कोयले के मूल्य निर्धारित करने में सक्षम हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने नॉन–कोर क्षेत्र के बाजार के प्रयोक्ताओं के लिए कोयले के मूल्यों में कटौती करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ग) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों द्वारा गृहीत प्रयोग के प्रतिबंध के बिना कोयला खनन की अनुमति चाही गई है, अप्रैल 2000 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात निजी क्षेत्र में भारतीय कंपनियां कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ करने में समर्थ हो जाएंगी।

कोयला और लिग्नाइट का मूल्य

355. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1994 से आज तक विभिन्न खानों के विभिन्न श्रेणी के प्राप्त होने वोल कोयले, 'रन' ऑफ माइन्स का मूल्य क्या है;

(ख) अक्टूबर, 1994 से आज तक कोयले के मूल्य को कितनी बार संशोधित किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोयले पर रायल्टी को कितनी बार बढ़ाया गया है;

(घ) विभिन्न खानों के विभिन्न श्रेणी के कोयले में राख की मात्रा कितनी है;

(ङ) लिग्नाइट पर रायल्टी के संबंध में समीक्षा पिछली बार किस तारीख में की गई थी;

(च) वर्तमान में लिग्नाइट पर रायल्टी की दर क्या है और इससे पूर्व दर क्या थी;

(छ) क्या लिग्नाइट किसी प्रकार के कोयले की श्रेणी के समान होता है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) गत कई वर्षों के दौरान लिग्नाइट के खान मूल्यों पर राज्य-वार रायल्टी दर कितनी थी?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) अक्टूबर, 1994 से वर्तमान तिथि तक विभिन्न ग्रेडों के रन-ऑफ माइन (आर.ओ.एम.) कोयले के मूल्य विवरण-I में दिए गए हैं। सामान्यतः कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) द्वारा अधिसूचित मूल्य, मूल्य अधिसूचना में दिए गए कोयले के ग्रेडों के संबंध में इसकी संबंधित सहायक कोयला कंपनियों की सभी खानों पर लागू होता है, जब तक कि किसी खान के कोयले के संबंध में किसी ईंधन आपूर्ति करार अथवा किसी अन्य विशेष या तकनीकी कारण से विशिष्ट मूल्य निर्धारित नहीं किया गया हो।

(ख) अक्टूबर, 1994 से कोयले के मूल्यों में अनुषंगी-वार किए गए संशोधन की संख्या निम्नानुसार है-

क्र.सं.	कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी का नाम	वर्ष 1994 से मूल्यों में किए गए संशोधन की संख्या
1	2	3
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	10
2.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	8
3.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	8
4.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6
5.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	8
6.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	6
7.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	7
8.	नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	2

(ग) कोयले पर रायल्टी की दरों में अक्टूबर, 1994 से संशोधन नहीं किया गया है।

(घ) कोयले के विभिन्न ग्रेडों का राख तत्व विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) लिग्नाइट पर रायल्टी दर में अंतिम बार संशोधन 15 मार्च, 2001 को किया गया था।

(च) 15 मार्च, 2001 को लिग्नाइट पर रायल्टी की दर को 2.50 रु. प्रति टन से संशोधित करके 50.00 प्रति टन किया गया था।

(छ) और (ज) लिग्नाइट सकल कैलोरिफिक मान 2600 से 2800 किलो कैलोरी/प्रति कि.ग्रा. होने के कारण लिग्नाइट की तुलना उच्च नमी तत्व तथा अत्यधिक निम्न स्थिर कार्बन तत्व की वजह से कैलोरिफिक मान की दृष्टि से निम्न ग्रेड के नॉन कोकिंग कोयले से भी नहीं की जा सकती।

(झ) लिग्नाइट पर रायल्टी की दर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है तथा यह सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। वर्ष 1990 से लिग्नाइट पर रायल्टी की दरें नीचे दी गई हैं-

रायल्टी की दर (रु. प्रति टन उत्पादन पर)	से प्रभावी (तिथि)
2.50	21.7.1990
50.00	15.3.2001

विवरण-I

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य
निम्न तिथियों के अनुसार मूल्य

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	11.04.2000	31.01.2001
लांग फ्लेम कोयला									
ए	667	702	831	924	924	924	970	1019	1121
बी	611	646	752	836	836	836	878	922	1014
सी	538	573	650	698	698	698	733	770	847
डी	431	466	466	466	584	584	625	656	722
गैर-लांग फ्लेम कोयला									
ए	642	642	771	864	864	864	907	952	1047
बी	586	586	692	776	776	776	815	856	942
सी	513	513	590	638	638	638	670	704	774
डी	406	406	406	406	524	524	561	589	648
ई	322	322	322	322	416	416	445	467	514
एफ	257	257	257	257	332	332	355	373	410
जी	183	183	183	183	237	237	254	267	294
कोकिंग कोयला अनुबंध-III में सूचीबद्ध कोलियरियों के लिए									
इस्पात ग्रेड-I		अनुबंध-III 21.8.98 से शुरू किया गया था					1657	1740	1914
इस्पात ग्रेड-II							1384	1453	1598
वाशरी ग्रेड-I							1199	1259	1385
वाशरी ग्रेड-II							993	1043	1147
वाशरी ग्रेड-III							734	771	848

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	11.04.2000	31.01.2001
वाशरी ग्रेड–IV							683	717	789
सेमी कोकिंग ग्रेड–I							1156	1214	1335
सेमी कोकिंग ग्रेड–II							957	1005	1106
इस्पात ग्रेड–I	1048	1048	1310	1468	1468	1541	1541	1541	1695
इस्पात ग्रेड–II	875	875	1094	1226	1226	1287	1287	1287	1416
वाशरी ग्रेड–I	758	758	948	1062	1062	1115	1115	1115	1227
वाशरी ग्रेड–II	628	628	785	880	880	924	924	924	1016
वाशरी ग्रेड–III	483	483	580	650	650	683	683	683	751
वाशरी ग्रेड–IV	450	450	540	605	605	635	635	635	699
सेमी कोकिंग ग्रेड–I	758	758	948	1024	1024	1075	1075	1075	1183
सेमी कोकिंग ग्रेड–II	628	628	785	848	848	890	890	890	979

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य
निम्न तिथियों के अनुसार मूल्य

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि.

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	05.01.99	20.04.2000	31.01.2001
रानीगंज										
अनुबंध–I में सूचीबद्ध कोलियरियों में उत्पादित कोयला										
ए	733.70	772.20	914	1017	1017	1068	1121	1180	1262	1388
बी	672.10	710.60	827	920	920	966	1014	1115	1193	1312
सी	591.80	630.30	715	768	768	806	846	950	1016	1118
डी	474.10	512.60	512.60	512.60	643	643	688	770	823	905
लांग फ्लेम कोयला										
ए	667	702	831	924	924	970	1019	1073	1148	1263
बी	611	646	752	836	836	878	922	1014	1084	1192
सी	538	573	650	698	698	733	770	865	925	1018

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	05.01.99	20.04.2000	31.01.2001
डी	431	466	466	466	584	584	625	700	749	824
गैर-लांग फ्लेम कोयला										
ए	642	642	771	864	864	907	952	1006	1076	1184
बी	586	586	692	776	776	815	856	948	1014	1115
सी	513	513	590	638	638	670	704	799	854	939
डी	406	406	406	406	524	524	561	636	680	748
ई	322	322	322	322	416	416	445	445	476	524
एफ	257	257	257	257	332	332	355	355	379	417
जी	183	183	183	183	237	237	254	254	271	298
सालनपुर										
गैर-लांग फ्लेम कोयला										
ए	642	642	771	864	864	907	952	1000	1070	1177
बी	586	586	692	776	776	815	856	900	963	1059
सी	513	513	590	638	638	670	704	740	791	870
डी	406	406	406	406	524	524	561	590	631	694
ई	322	322	322	322	416	416	445	445	476	524
एफ	257	257	257	257	332	332	335	355	379	417
जी	183	183	183	183	237	237	254	254	271	298

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य

निम्न तिथियों के अनुसार मूल्य

ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि.

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	05.01.99	20.04.2000	31.01.2001
एस. पी. खानें										
अनुबंध-I में सूचीबद्ध कोलियरियों में उत्पादित कोयला										
ए	733.70	772.20	914	1017	1017	1068	1121	1199	1319	1628

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	05.01.99	20.04.2000	31.01.2001
बी	672.10	710.60	827	920	920	966	1014	1084	1192	1447
सी	591.80	630.30	715	768	768	806	846	905	96	1211
डी	474.10	512.60	512.60	512.60	643	643	688	736	810	974
लांग फ्लेम कोयला										
ए	667	702	831	924	924	970	1019	1090	1199	1480
बी	611	646	752	836	836	878	922	986	1085	1317
सी	538	573	650	698	698	733	770	823	905	1100
डी	431	466	466	466	584	584	625	668	735	884
गैर–लांग फ्लेम कोयला										
ए	642	642	771	864	864	907	952	1018	1120	1382
बी	586	586	692	776	776	815	856	915	1007	1222
सी	513	513	590	638	638	670	704	753	828	1006
डी	406	406	406	406	524	524	561	600	660	794
ई	322	322	322	322	416	416	445	476	524	630
एफ	257	257	257	257	332	332	355	379	417	502
जी	183	183	183	183	237	237	254	.271	298	358
मुग्मा										
लांग फ्लेम कोयला										
ए	667	702	831	924	924	970	1019	1090	1199	1440
बी	611	646	752	836	836	878	922	986	1085	1290
सी	538	573	650	698	698	733	770	823	905	1093
डी	431	466	466	466	584	584	625	668	735	895
गैर–लांग फ्लेम कोयला										
ए	642	642	771	864	864	907	952	1018	1120	1345
बी	586	586	692	776	776	815	856	915	1007	1197

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	05.01.99	20.04.2000	31.01.2001
सी	513	513	590	638	638	670	704	753	828	1000
डी	406	406	406	406	524	524	561	600	660	804
ई	322	322	322	322	416	416	445	476	524	591
एफ	257	257	257	257	332	332	355	379	417	476
जी	183	183	183	183	237	237	254	271	298	327
राजमहल परियोजना										
लांग फ्लेम कोयला										
डी	431	466	466	609	609	727	727	778	832	915
गैर–लांग फ्लेम कोयला										
ई	322	322	322	465	465	559	559	598	639	703
एफ	257	257	257	400	400	475	475	508	543	597
जी	183	183	183	326	326	380	380	407	435	479

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	05.01.99	05.01.99	11.04.2000	31.01.2001
कोकिंग कोयला											
इस्पात ग्रेड–I	1048	1048	1310								
इस्पात ग्रेड–II	875	875	1094								
वाशरी ग्रेड–I	758	758	948	1024	1024	1024	1024	1115	1193	1312	1575
वाशरी ग्रेड–II	628	628	785	848	848	848	848	924	988	1087	1305
वाशरी ग्रेड–III	483	483	580	627	627	627	627	683	730	803	964
वाशरी ग्रेड–IV	450	450	540	584	584	584	584	635	679	747	896
सेमी कोकिंग ग्रेड–I	758	758	948	1024	1024	1024	1024	1156	1236	1360	1360
सेमी कोकिंग ग्रेड–II	628	628	785	848	848	848	848	957	1024	1126	1120

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य
निम्नलिखित तिथियों के अनुसार मूल्य

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	21.8.98	31.5.99	11.07..2000	31.01.2001
लांग फ्लेम कोयला									
ए	667	702	831	924	924	970	1019	1070	1177
बी	611	646	752	836	836	878	922	968	1065
सी	538	573	650	698	698	733	770	809	890
डी	431	466	466	466	584	625	656	689	758
गैर-लांग फ्लेम कोयला									
ए	642	642	771	864	864	907	952	1000	1100
बी	586	586	692	776	776	815	856	899	989
सी	513	513	590	638	638	670	704	739	813
डी	406	406	406	406	524	561	589	618	680
ई	322	322	322	322	416	445	467	490	539
एफ	257	257	257	257	332	355	373	392	431
जी	183	183	183	183	237	254	267	280	308
कोकिंग कोयला									
इस्पात ग्रेड-I	1048	1048	1310						
इस्पात ग्रेड-II	875	875	1094						
वाशरी ग्रेड-I	758	758	948	1024	1024	1075	1115	1115	1287
वाशरी ग्रेड-II	628	628	785	848	848	890	924	970	1067
वाशरी ग्रेड-III	483	483	580	627	627	658	683	717	789
वाशरी ग्रेड-IV	450	450	540	584	584	613	635	667	734
अर्द्ध-कोकिंग ग्रेड-I	758	758	948	1024	1024	1075	1075	1075	1241
अर्द्ध-कोकिंग ग्रेड-II	628	628	785	848	848	890	890	890	1027

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य
निम्नलिखित तिथियों के अनुसार मूल्य

महानदी कोलफील्ड्स लि.

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	21.08.98	31.01.2001
लांग फ्लेम कोयला							
ए	667	702	799	888	888	932	979
बी	611	646	723	803	803	843	885
सी	538	573	625	671	671	705	740
डी	431	466	466	466	564	603	633
गैर लांग फ्लेम कोयला							
ए	642	642	739	828	828	869	912
बी	586	586	663	743	743	780	819
सी	513	513	565	611	611	642	674
डी	406	406	406	406	504	539	566
ई	322	322	322	322	400	428	445
एफ	257	257	257	257	319	341	351
जी	183	183	183	183	227	243	250

निम्नलिखित तिथियों के अनुसार मूल्य आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	22.03.96	31.03.96	19.10.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	31.01.2001
लांग फ्लेम कोयला									
ए	667	702	702	849	996	996	996	1036	1083
बी	611	646	646	793	940	940	940	978	1022
सी	538	573	573	720	855	855	879	914	955

	16.06.94	29.12.95	22.03.96	31.03.96	19.3.96	31.03.97	30.09.97	21.08.98	31.01.2001
डी	431	466	644	644	644	814	814	863	902
गैर–लांग फ्लेम कोयला									
ए	642	642	642	789	936	936	936	973	1017
बी	586	586	586	733	880	880	880	914	956
सी	513	513	513	660	795	795	819	852	890
डी	406	406	584	584	584	754	754	799	835
ई	322	322	486	486	486	627	627	665	708
एफ	257	257	405	405	405	523	523	554	590
जी	183	183	305	305	305	394	394	418	445
कोकिंग कोयला									
इस्पात ग्रेड–I	1048	1048	1048	1310					
इस्पात ग्रेड–II	875	875	875	1094					
वाशरी ग्रेड–I	758	758	758	948	1024	1024	1024	1024	1075
वाशरी ग्रेड–II	628	628	628	785	848	848	848	848	890
वाशरी ग्रेड–III	483	483	483	580	765	765	765	765	803
वाशरी ग्रेड–IV	450	450	450	540	628	628	628	628	659
अर्द्ध कोकिंग ग्रेड–I	758	758	758	948	1024	1024	1024	1024	1096
अर्द्ध कोकिंग ग्रेड–II	628	628	628	785	848	848	848	848	907

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य

निम्नलिखित तिथियों के अनुसार मूल्य

साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	21.08.98	31.01.2001
अनुबंध–I में सूचीबद्ध कोलियरियों में उत्पादित कोयला							
ए	733.70	772.20	914	1017	1017	1068	1100

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	21.08.98	31.01.2001
बी	672.10	710.60	827	920	920	966	1034
सी	591.80	630.30	715	768	768	806	862
डी	474.10	512.60	512.60	512.60	643	688	736
लांग फ्लेम कोयला							
ए	667	702	831	924	924	970	999
बी	611	646	752	836	836	878	939
सी	538	573	650	698	698	733	784
डी	431	466	466	466	584	625	669
गैर-लांग फ्लेम कोयला							
ए	642	642	771	864	864	907	934
बी	586	586	692	776	776	815	872
सी	513	513	590	638	638	670	717
डी	406	406	406	406	524	561	600
ई	322	322	322	322	416	445	497
एफ	257	257	257	257	332	355	396
जी	183	183	183	183	237	254	283
कोकिंग कोयला							
स्टील ग्रेड-I	1048	1048	1310				
स्टील ग्रेड-II	875	875	1094				
वाशरी ग्रेड-I	758	758	948	1024	1024	1024	1096
वाशरी ग्रेड-II	628	628	785	848	848	848	907
वाशरी ग्रेड-III	483	483	580	627	627	627	671
वाशरी ग्रेड-IV	450	450	540	584	584	584	625
अर्द्ध कोकिंग ग्रेड-I	758	758	948	1024	1024	1024	1096
अर्द्ध कोकिंग ग्रेड-II	628	628	785	848	848	848	907

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य
निम्नलिखित तिथियों के अनुसार मूल्य

नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	29.12.95	31.03.96	19.10.96	31.03.97	21.08.98	31.05.99	31.01.2001
लांग फ्लेम कोयला								
ए	667	702	831	924	924	970	1028	1147
बी	611	646	752	836	836	878	931	1039
सी	538	573	650	698	698	733	777	867
डी	431	466	466	466	584	625	663	740
गैर-लांग फ्लेम कोयला								
ए	642	642	771	864	864	907	961	1072
बी	586	586	692	776	776	815	864	964
सी	513	513	590	638	638	670	710	792
डी	406	406	406	406	524	561	595	664
ई	322	322	322	322	416	445	472	527
एफ	257	257	257	257	332	355	376	420
जी	183	183	183	183	237	254	269	300

पिछले वर्षों के दौरान आर.ओ.एम. कोयले का मूल्य
निम्नलिखित तिथियों के अनुसार मूल्य

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स

(आंकड़े रु. में)

	16.06.94	26.08.97	27.11.2000	22.05.2001
ग्रेड-ए		924	998	1148
ग्रेड-बी		741	741	778
अश्रेणीकृत	741			

विवरण-II

कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के विभिन्न ग्रेडों का राख तत्व

नॉन-कोकिंग कोयले का ग्रेड	5% नमी स्तर पर 60% संबंधित आर्द्रता (आर.एच.) और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर तदनुरूपी राख प्रतिशत तथा नमी प्रतिशत
1	2
ए	19.6 से अधिक नहीं

1	2
बी	(+) 19.6 तथा 23.9 तक
सी	(+) 23.9 तथा 28.7 तक
डी	(+) 28.7 तथा 34.1 तक
ई	(+) 34.1 तथा 40.1 तक
एफ	(+) 40.1 तथा 47.1 तक
जी	(+) 47.1 तथा 55.1 तक

कोकिंग तथा अर्ध कोकिंग कोयला राख प्रतिशत तथा राख–नमी प्रतिशत के तौर पर समान आधार अर्थात् 60% संबंधित आर्द्रता (आर.एस.) तथा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रत्येक ग्रेड हेतु निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जाता है–

कोकिंग कोयले के ग्रेड	राख तत्व
इस्पात ग्रेड–I	15% से अधिक नहीं
इस्पात ग्रेड–II	15% से अधिक परन्तु 18% से कम
वाशरी ग्रेड–I	18% से अधिक परन्तु 21% से कम
वाशरी ग्रेड–II	21% से अधिक परन्तु 24% से कम
वाशरी ग्रेड–III	24% से अधिक परन्तु 28% से कम
वाशरी ग्रेड–IV	28% से अधिक परन्तु 35% से कम

अर्ध कोकिंग कोयले के ग्रेड	राख + नमी तत्व
अर्ध कोकिंग ग्रेड–I	19% से अधिक नहीं
अर्ध कोकिंग ग्रेड–II	19% से अधिक परन्तु 24% से कम

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के संबंध में ए तथा बी दो ग्रेड हैं। तदनुरूपी राख तथा नमी प्रतिशत निम्नानुसार है–

ग्रेड	राख तथा नमी प्रतिशत
ए	18.85–19.57
बी	19.58–23.91

[हिन्दी]

ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोजगार योजनाएं

356. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण गरीबों को रोजगार प्रदान करने हेतु किसी प्रभावी उपाय पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक मजदूरी रोजगार योजना कार्यान्वित करता है। इसके अलावा सरकार ने चालू वर्ष के दौरान जय प्रकाश रोजगार गारंटी योजना नामक रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है।

[अनुवाद]

श्रमिकों में तकनीकी कौशल

357. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ए आई सी टी ई के माध्यम से श्रमिकों में तकनीकी कौशल के आकलन की कोई विशेष योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ए आई सी टी ई द्वारा अभी तक कितने प्रकार के कौशल की पहचान की गई है;

(ग) क्या एक आई सी टी ई ने कोई मॉडल तैयार किया है अथवा किसी तरह तकनीकी कौशल वाले कुशल कामगारों को प्रमाण–पत्र जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ राज्यों ने पहले ही उक्त योजना लागू कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकार फिलहाल श्रमिकों के तकनीकी कौशलों को आंकने की किसी विशेष योजना पर कार्य नहीं कर रही है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

कोयला उद्योग के श्रमिक संघों द्वारा धरना

358. श्री नरेश पुगलिया : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग में कार्यरत सभी श्रमिक संघों ने जून, 2002 को प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष संयुक्त रूप से एक दिन का धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) श्रमिकों की मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला उद्योग में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा घोषित कार्रवाई कार्यक्रम के अनुसार केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा काफी समय से लंबित पड़ी मांगों पर जोर देने के लिए सी.आई.एल. की सहायक कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष 24 जून, 2002 को एक दिन का धरना आयोजित किया गया था।

(ग) केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने 26 अप्रैल, 2002 को अपने प्रैस स्टेटमेंट में 19 सूत्री मांग पत्र प्रस्तावित किया था। मुख्य मांगें हैं—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 को वापस लेना, राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता–VI (एन.सी.डब्ल्यू.ए.–VI) की बकाया राशि के 20% का तत्काल भुगतान करना, एन.सी.डब्ल्यू.ए.–VII के लिए कोयला उद्योग हेतु संयुक्त द्विपक्षीय समिति का गठन करना, कोयले का आयात बंद करना और कोयला उद्योग को पूर्ण स्वायत्ता के साथ एकल एकीकृत कंपनी के रूप में पुनर्गठित करना। मांग पत्र में श्रमिकों के सेवा के निबंधन और शर्तों के बारे में भी कुछ मांगें शामिल की गई हैं। सी.आई.एल. प्रबंधन ने मुख्य श्रम आयुक्त नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रैस विज्ञप्ति की प्रति के साथ पहले ही सूचित कर दिया है। मंत्रालय को मामले की जानकारी है और सरकार ने स्थिति की समीक्षा और निगरानी करने के लिए मंत्रियों का दल भी गठित किया है।

गुजरात सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस

359. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मई, 2002 के 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में "गुजरात येट टू समिट रिपोर्ट टू एन एच आर सी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन एच आर सी ने गुजरात में हिंसा के संबंध में समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए गुजरात सरकार को कोई नया नोटिस जारी किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा क्या दलील दी गई है;

(ङ) क्या उक्त रिपोर्ट एन एच आर सी को प्रस्तुत कर दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो एन एच आर सी द्वारा गुजरात सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (छ) गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दिनांक 1.4.2000 की प्रारंभिक कार्यवाहियों के

उत्तर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तथापि, इसमें गुजरात की हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गोपनीय रिपोर्ट पर टिप्पणियां शामिल नहीं हैं। इसके बाद गुजरात सरकार ने उस गोपनीय रिपोर्ट, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिए 31.5.2002 को सार्वजनिक किया था, पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। गुजरात सरकार ने अपनी टिप्पणियों में बताया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में आयोग के गुजरात दौरे का वर्णन भर है तथा इसमें गुजरात सरकार के अधिकारियों के साथ हुए विचार–विमर्श के साथ–साथ, जनता, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, राहत शिविरों के संवासियों आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों का रिकार्ड है। गुजरात सरकार ने गोधरा कांड के बाद हिंसा रोकने के लिए उठाए कदमों का ब्यौरा दिया है तथा दंगों में मंत्रियों तथा विधायकों के शामिल होने से इंकार किया है। तथापि, उसने बताया है कि रिपोर्ट में उठाए गए अनेक मुद्दे गुजरात सरकार द्वारा स्थापित किए गए जांच आयोग की विषय वस्तु हैं तथा इन पर जांच आयोग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कार्रवाई की जाएगी।

लश्कर-ए-तैय्यबा की गतिविधियां

360. श्री पवन कुमार बंसल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लश्कर–ए–तैय्यबा की उच्चतम न्यायालय पर हमला करने की योजना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय परिसर की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध किए हैं।

मंत्रालय द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना

361. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों के दौरान मंत्रालय को दिए गए 100 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान को लगातार खर्च नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई सुधारात्मक उपाय किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) विगत पांच वर्षों के दौरान खर्च न किए गए बजट प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है—

(रु. करोड़ में)

वर्ष	खर्च न की गई धनराशि	
	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा	उर्वरक विभाग द्वारा
1997–1998	29.45	47.98
1998–1999	35.91	20.70
1999–2000	110.64	399.97
2000–2001	79.31	14.48
2001–2002	4.49	1774.40

उर्वरक विभाग 1999–2000 एवं 2001–02 के दौरान तथा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग 1999–2000 के दौरान 100 करोड़ रु. से ज्यादा का उपयोग नहीं कर सका।

(ग) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग निम्नांकित कारणों से निधियों का उपयोग नहीं कर सका—

(i) असम गैस क्रेकर योजना के क्रियान्वयन में सीमांत प्रगति।

(ii) इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी के लिए नये प्रयोगशाला भवन के निर्माण पर कम व्यय।

(iii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की परियोजना के लिए निविदाओं के आमंत्रण, उनके मूल्यांकन एवं उपकरणों की वास्तविक सुपुर्दगी के बीच विलंब।

(iv) विकास आयुक्त, भोपाल गैस रिसाव आपदा के कार्यालय में न्यायिक अधिकारियों की अनुपलब्धता एवं निर्णीत मामलों की कम संख्या।

उर्वरक विभाग के मामले में इन दो वर्षों के दौरान अव्ययित शेष का मुख्य कारण अनुमानित आयातों की तुलना में यूरिया के आयात का कम स्तर एवं नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए रियायत के भुगतान हेतु 2001–02 के दौरान लिए गए बजट प्रावधान का उपयोग न किया जाना था।

(घ) और (ङ) यूरिया के आयात के लिए बजट प्रावधान सचिवों की विषय–निर्वाचन समिति की अनुशंसा पर राज्यों के परामर्श से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा अनुमानित मांग के आकलन के पश्चात् किया जाता है। तथापि, वास्तविक आयात अन्य बातों के अलावा स्वदेशी उत्पादन एवं यूरिया की बिक्री/खपत के रुझान पर निर्भर करता है।

सी एस आई आर में पदोन्नति हेतु अ.जा./अ.ज.जा. के वैज्ञानिकों का मूल्यांकन

362. श्री रामदास आठवले : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सी एस आई आर में मूल्यांकन साक्षात्कार का सामना करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वैज्ञानिकों की पदोन्नति हेतु मूल्यांकन के लिए वर्षवार कितने अर्हक अंक निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या 1995–2000 की अवधि हेतु उपर्युक्त वैज्ञानिकों के मूल्यांकन हेतु अर्हक अंकों में छूट को सी एस आई आर द्वारा वापस ले लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसे वापस लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अर्हक अंकों में छूट 1996–2001 की मूल्यांकन अवधि पर भी लागू होगी; और

(ङ) क्या संस्थान में कार्यरत उपर्युक्त समुदायों के वैज्ञानिक उसी संस्थान में उपर्युक्त समुदायों के प्रतिनिधि के रूप में वैज्ञानिकों की मूल्यांकन समिति के सदस्य हो सकते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) नियमों के तहत स्वीकार्य अधिकतम छूट सहित अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) वर्गों के वैज्ञानिकों की प्रोन्नति आकलन के लिए अर्हक अंक वैज्ञानिक समूह IV(1) व (2) के लिए 50%; समूह IV(3) के लिए 60% और समूह IV(4) से (7) के लिए 65% है। भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 22.7.1997 के का.ज्ञा.सं. 36012/23/96–इस्टे. (रिस.) के अनुपालन में सीएसआईआर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के वैज्ञानिकों की प्रोन्नति आकलन के लिए अर्हक अंकों में दी जाने वाली छूट को दिनांक 8.5.1998 से समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 3.10.2000 के का.ज्ञा. सं. 36012/23/96–इस्टे.(रिस.)–वाल्यू–II के जारी होने के बाद इस छूट को दिनांक 3.10.2000 से पुनः बहाल कर दिया गया है। अतः सीएसआईआर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के वैज्ञानिकों को आकलन हेतु अर्हक अंकों में दिनांक 8.5.1998 से पूर्व और दिनांक 3.10.2000 से छूट प्राप्त है।

(ङ) जी, हां।

ग्रामीण स्वच्छता

363. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :
श्री रघुनाथ झा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को किस आधार पर निधियों का आबंटन किया जाता है;

(ख) योजना के अंतर्गत 2002–2003 के दौरान राज्य–वार कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या स्वतंत्रता के पांच दशकों से अधिक पश्चात् भी देश के केवल 16 से 20% ग्रामीण परिवारों को ही केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी लोगों को कब तक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन 1999 में किया गया तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया, जो एक मांग आधारित कार्यक्रम है। आवंटन आधारित कार्यक्रम को दिनांक 31.3.2002 से चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया गया। इसलिए वर्ष 2002–2003 से निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं होगा। तथापि, संपूर्ण स्वच्छता अभियान संपूर्ण देश के चयनित जिलों में जारी रहेगा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यक्रम के लिए 165 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तीव्रता के बावजूद संपूर्ण स्वच्छता कवरेज कुल ग्रामीण परिवारों का लगभग 20% है। कम कवरेज के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक हैं–

(i) शौचालयों के निर्माण को उच्च प्राथमिकता तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) को कम प्राथमिकता

(ii) एक मॉडल वाले जैसे स्टैंडर्ड टिवनपिट पोर फलश लेट्रिन को प्रोत्साहन

(iii) सब्सिडी पर अधिक निर्भरता

(iv) लाभार्थियों, एन जी ओ और निजी क्षेत्र की अपर्याप्त भागीदारी और

(v) समुदाय आधारित संस्थाओं आदि को शामिल नहीं किया जाना।

(ङ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का पुनर्गठन 1999 में किया गया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) शुरू किया गया है जो मांग आधारित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों को भारत सरकार से वित्तपोषण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने हैं। टी.एस.सी. के अंतर्गत सभी चयनित जिले ग्रामीण स्वच्छता के कार्यान्वयन के लिए लक्षित होते हैं। टी.एस.सी. के अंतर्गत अब तक 185 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। टी.एस.सी. परियोजनाओं की अवधि 3–4 वर्षों की होगी। ऐसा अनुमान है कि टी.एस.सी. के कार्यान्वयन से स्वच्छता कवरेज में वृद्धि होगी।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु विश्व बैंक की सहायता

364. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना परियोजना निधियों की कमी के कारण कठिन स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना के वित्तपोषण हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक कुल कितनी राशि देने पर सहमत हो गया है;

(घ) इस परियोजना की नवीनतम प्रगति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (घ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान है। कार्यक्रम के लिए अभी तक 7500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 7553.28 करोड़ रुपए के परियोजना प्रस्ताव कार्यान्वयन की अलग–अलग स्थितियों में हैं। विश्व बैंक ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के सरकार के अनुरोध को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है और उन्होंने इस संबंध में आरंभिक अध्ययन का कार्य शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में कोयले की चोरी

365. कुंवर अखिलेश सिंह :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों, विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. पर छापे मारे हैं और कोयला चोरी के मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो चोरी किए गए कोयले की मात्रा और लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले की चोरी के बारे में सी.बी.आई. द्वारा हाल ही में कोई छापे नहीं मारे गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

विदेश संचार निगम लि. का विनिवेश

366. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री बसुदेव आचार्य :

क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व विदेश संचार निगम लि. को पंद्रह सौ करोड़ रुपए में टाटा समूह को बेच दिया था;

(ख) क्या हां, तो उपर्युक्त निगम को बेचते हुए दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि टाटा समूह ने बारह सौ करोड़ रुपए विदेश संचार निगम में से लेकर टेली सर्विसेज नामक अपनी अन्य कंपनी में निवेश किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या टाटा समूह ने ऐसा करने से पहले सरकार की अनुमति प्राप्त की थी;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या टाटा समूह का उपर्युक्त कार्य समझौते की भावना के अनुकूल है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सरकार ने विदेश संचार निगम लि. (वी एस एन एल) की 25 प्रतिशत इक्विटी मैसर्स पेनाटोन फिनवेस्ट लि. (टाटा समूह) को 1439.25 करोड़ रुपए में बेची है जिसका प्रति शेयर मूल्य 202 रुपए बनता है।

(ख) अनुकूल साझीदार द्वारा भारत सरकार के साथ संपन्न करार नामतः शेयर धारक करार और शेयर खरीद करार के निबंधन और शर्तों में ऐसी व्यवस्था है जिससे विनिवेश के बाद कंपनी का कारोबार कैसे किया जाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की सकारात्मक मत मदों, बाहर निकलने के विकल्प, अनुकूल साझीदार की बाध्यताएं जैसे परिसंपत्ति हड़पने के विरुद्ध संरक्षण और विनिवेश के बाद कर्मचारियों को संरक्षण आदि जैसे प्रावधान भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) बुनियादी सेवा संचालक लाइसेंस धारण करने वाली किसी भारतीय कंपनी की शेयर पूंजी में 1200 करोड़ रुपए के स्तर तक अंतर-निगमित निवेश से संबंधित मसलों का अध्ययन करने के लिए विदेश संचार निगम लि. ने सरकारी नामित निदेशक सहित, विदेश संचार निगम लि. के बोर्ड के निदेशकों की एक उप-समिति गठित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य निर्धारण/मूल्य आदि के मामले भी शामिल हैं। विनिवेश के बाद किसी कंपनी द्वारा निवेश के निर्णय, कंपनी कानून और शेयर धारक/शेयर खरीद करारों के उपबंधों के द्वारा नियंत्रित होंगे। जब तक यह निर्णय विषयगत कंपनी के उद्यम के मूल्य में वृद्धि करने के लिए है यह विनिवेश की भावना और उद्देश्य के अनुरूप ही है। यह सुनिश्चित करने के लिए और कंपनी और सरकार के अन्य हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी विदेश संचार निगम लि. के पास पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

(च) उपर्युक्त (ग) से (ङ) तक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा

367. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 मई, 2002 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) की कार्यकारिणी की सभा में विभिन्न राज्य शिक्षा मंत्रियों द्वारा स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों में किए गए परिवर्तनों और किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में कई विवादास्पद मुद्दे उठाए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्य प्रतिनिधियों द्वारा क्या आपत्तियां उठाई गई थीं; और

(ग) उन पर सरकार का क्या उत्तर/प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) 26 मई, 2002 को आयोजित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार किए गए स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा पर बहस के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाएं। इसके जवाब में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि राज्यों, शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षाविदों आदि से व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया गया है। इसकी प्रतियां सभी मुख्यमंत्रियों, शिक्षामंत्रियों, सभी राज्यों के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, आदि, राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं, संसद सदस्यों और प्रख्यात पत्रकारों को भी अपनी टिप्पणी देने के लिए भेजी गई थीं। यह इंटरनेट पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट पर भी डाला गया था।

माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से मुक्त है और इसमें सभी धर्मों के लिए समान आदर तथा राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है। इस समय यह मुद्दा न्यायाधीन है तथा शीघ्र ही उच्चतम न्यायालय द्वारा इस पर सुनवाई किए जाने की संभावना है।

प्रतिष्ठित निर्माण कंपनियों द्वारा आवासीय क्षेत्रों का विकास

368. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवंटियों को अच्छी क्वालिटी वाले घर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवासीय क्षेत्रों का प्रतिष्ठित निर्माण कंपनियों द्वारा विकास कराने और जनता फ्लैट न बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डी.डी.ए. ने द्वारका में फ्लैटों का निर्माण कराने के लिए लार्सन एण्ड टूब्रो के साथ इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में एल एंड टी के चयन के लिए डी.डी.ए. द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं और इस उद्देश्य के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई है; और

(घ) डी.डी.ए. द्वारा जनता फ्लैट का निर्माण न किए जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 5 करोड़ रु. से अधिक के सभी निर्माण कार्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करने के बाद तैयार की गई 'चयन सूची' में शामिल एजेंसियों को सौंपे जाएंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी बताया है कि उन्होंने जनता फ्लैटों का निर्माण करना बंद नहीं किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख समाचार पत्रों में व्यापक

प्रचार करने के बाद एल एंड टी सहित 12 निर्माण कंपनियों को चुना गया था।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों की संख्या

369. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 1992 की तुलना में आज की तिथि के अनुसार श्रेणीवार कितनी है;

(ख) इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर वर्ष 1992 में और आज की तिथि के अनुसार कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या बड़ी संख्या में अनुपस्थिति के कारण नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का कार्यनिष्पादन दुष्प्रभावित होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुपस्थिति किस सीमा तक व्याप्त है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

श्रेणी	1992 में कर्मचारियों की संख्या	2002 में कर्मचारियों की संख्या
क	262	297
ख	444	556
ग	6972	7474
घ	8655	9318

(ख) 1992 के दौरान वेतन और भत्तों पर 49.87 करोड़ रुपये व्यय हुए जो आज की तारीख को बढ़कर 203.12 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गया है।

(ग) और (घ) अनुपस्थिति मुख्यतः सफाई कर्मचारियों तक सीमित है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इसे पहले के स्तर 30 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने में सफल हुई है। इससे सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार हुआ है।

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किशोर

370. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार और बंदी बनाए गए किशोरों की संख्या कितनी है;

(ख) इन मामलों में दिल्ली पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या सभी राज्यों को इस संबंध में कोई नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान केवल एक मामला ऐसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की हाथ घड़ी लूटने के बाद तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पुलिस और जेल प्राधिकारियों के समक्ष अपनी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक बताई थी लेकिन बाद में न्यायालय के सामने यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में वे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। अतः पुलिस कार्मिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने नेकनीयती से काम किया था।

(ग) और (घ) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000, जो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, अन्य बातों के साथ-साथ किशोरों या बच्चों के साथ क्रूरता करने के लिए दंड देने और किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना के लिए है।

आईएसआई की गतिविधियां

371. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आईएसआई जम्मू और कश्मीर के शांत जिलों विशेषतः लेह और कारगिल में आतंकवाद फैलाने का इरादा रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में आईएसआई और इसकी शाखाओं के कुत्सित इरादों को कुचलने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को आईएसआई के नेटवर्क के विस्तार के प्रति सावधान किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में आईएसआई की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) यह सर्वविदित है कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को पाक आईएसआई. द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर से समर्थन दिया जाता है और भड़काया जाता है। आईएसआई ने लेह और करगिल में आतंकवाद फैलाने के लिए उत्तरी क्षेत्रों में स्थित आतंकवादियों की द्रास और करगिल सैक्टरों में घुसपैठ कराने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है।

(ख) से (ङ) सरकार ने आईएसआई की गतिविधियों से निपटने के लिए एक सुसमन्वित और बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, सुसमन्वित आसूचना आधारित अभियानों द्वारा आईएसआई की योजनाओं को निष्क्रिय करना, संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना और अधुनातन हथियारों और संचार प्रणाली इत्यादि से पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल हैं।

राजनयिक स्तर पर, सरकार ने भारत में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए प्रत्येक अवसर का इस्तेमाल किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के इस मत का व्यापक समर्थन करता है कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं है और जहां कहीं भी यह है उसका अवश्य खात्मा किया जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार, देश में आईएसआई के खतरे की आशंका और गतिविधियों के बारे में राज्य सरकारों को सुग्राही भी बनाती रही है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आसूचना का आदान–प्रदान करने और इस प्रकार की गतिविधियों का सामना करने के लिए रणनीतियां बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ सावधिक समन्वय बैठकें भी की जाती हैं। आई.एस.आई. की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र और राज्यों की विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम करती रही हैं। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अनेक पाक समर्थित मोड्यूलों को निष्क्रिय किया गया है।

उर्वरक उद्योग विकास निधि

372. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 200 करोड़ रु. की आरंभिक राशि से एक उर्वरक उद्योग विकास निधि की स्थापना करने का है ताकि ऐसे कारपोरेट घरानों, जिनका राजस्व सामूहिक धारक मूल्य योजना के लागू होने के पश्चात् प्रभावित होगा को सहायता दी जा सके जैसा कि 26.5.2002 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा भी इस निधि में हिस्सेदारी की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उर्वरक या यूरिया उद्योग इस निधि का लाभ उठाने का पात्र होगा;

(च) यदि हां, तो इस निधि के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में उर्वरक उद्योग की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (छ) यूरिया इकाइयों के लिए प्रस्तावित

नई मूल्य निर्धारण नीति के एक भाग के रूप में यूरिया इकाईयों के आधुनिकीकरण के लिए उर्वरक उद्योग विकास निधि स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

संपत्तियों को जब्त किया जाना

373. श्री पवन कुमार बंसल : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपराध संपत्ति अर्थात् भ्रष्टाचार या अन्य अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्तियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के प्राधिकार हेतु एक कानून बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने, दांडिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उपायों पर विचार करने हेतु श्री (न्यायमूर्ति) वी. एस. मलीमठ की अध्यक्षता में एक पृथक् समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय व्यापक हैं जिसमें प्रक्रिया और दांडिक नियमों की जांच करना सम्मिलित हैं। मलीमठ समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अपराध संपत्ति को जब्त करने सहित, संशोधनों पर समग्र रूप से मत निर्धारित किया जाएगा।

जहां तक भ्रष्ट लोक सेवकों द्वारा अवैध तरीकों से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का प्रश्न है, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करार दिए जाने की हालत में, भ्रष्टाचार निवारण अध्यादेश, 1944 के तहत इसके लिए उपबंध पहले ही मौजूद हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन

374. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की अनुपलब्धता के कारण कई केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाएं शुरू नहीं की जा सकीं;

(ख) क्या मंत्रालय के पास उपलब्ध प्रावधानों में से वर्ष 1999–2000 के दौरान 451 करोड़ रुपये तक की बड़ी राशि और 2000–2001 में भी एक बड़ी धनराशि बिना व्यय किए हुए रह गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार के प्रमुख क्षेत्रों में इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) मंत्रालय के पास वर्ष 1999–2000 के दौरान 401.23 करोड़ रु. और वर्ष 2000–2001 के दौरान 496.70 करोड़ रु. (उत्तर–पूर्वी राज्यों के प्रावधान को छोड़कर) की अप्रयुक्त राशि थी।

(ग) राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अगले वर्ष ले जाई जाने वाली अत्यधिक शेष राशि की वजह से की गई कटौतियों के कारण अप्रयुक्त शेष राशि है और यह इस कारण से भी है कि उत्तर–पूर्वी राज्य अपने लिए निर्धारित आवंटन के संपूर्ण 10 प्रतिशत का दावा नहीं कर सके थे।

(घ) मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर उनके लिए आवंटित राशियों का पूरी तरह उपयोग करने हेतु जोर डालता रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया है और उच्च स्तर पर कार्यक्रमों के निष्पादन की समीक्षा की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे फरवरी माह के अंत से पहले दूसरी किस्त के रिलीज के लिए प्रस्ताव भेजे ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले निधियों के उपयोग हेतु उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।

बच्चों की बेहतर स्थिति के लिए पारित संकल्प

375. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र में बच्चों की बेहतर स्थिति के लिए कोई संकल्प पारित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भी उक्त संकल्प को लागू करने के लिए सहमत है;

(घ) इस संकल्प पर अब तक कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संकल्प को लागू करने के लिए विभिन्न देशों को उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र 8–10 मई, 2002 तक आयोजित किया गया था। विशेष सत्र में 'बच्चों के लिए उपयुक्त विश्व' नामक निष्कर्ष दस्तावेज अंगीकार किया गया, जिसमें वर्तमान दशक हेतु बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए लक्ष्य, कार्य नीतियां और कार्रवाई निर्धारित की गई है। इस विशेष सत्र में 180 देशों ने भाग लिया। निष्कर्ष दस्तावेज को सर्व–सम्मति से अंगीकार किया गया।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर फ्लैटों की बिक्री

376. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 मई, 2002 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसके अनुसार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण 20 प्रतिशत कम मूल्य पर फ्लैट बेच रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नरेला स्थित डीडीए के फ्लैट किन कारणों से ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भवन निर्माण में डीडीए द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार मद में नरेला आवास स्कीम–2002 के विस्तृत ब्यौरे का उल्लेख है जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नरेला में खाली डीडीए फ्लैटों के निपटान के लिए 15.5.2002 को शुरू किया गया। इसके लिए संभावित खरीददारों को रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए डीडीए ने यूटीआई बैंक से अनुबंध किया है। खरीददारों को आकर्षित करने के लिए सभी श्रेणियों के फ्लैटों पर 20% की सब्सिडी दी जाएगी।

(ग) डीडीए ने सूचित किया है कि पानी और बिजली की अनुपलब्धता तथा अवस्थापना की कमी के कारण नरेला में फ्लैटों का निपटान पिछले कुछ समय से अपेक्षानुसार नहीं रहा। अब यहां पानी तथा बिजली उपलब्ध हैं। नरेला, दक्षिण/मध्य दिल्ली के बिजनेस जिलों से भी कुछ दूरी पर है और यह अपेक्षाकृत नया विकास क्षेत्र है।

(घ) और (ङ) डीडीए ने सूचित किया है कि फ्लैटों के निर्माण में प्रयोग की जा रही सामग्रियों की गुणता की संबंधित फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। इसके अलावा डीडीए का गुणता नियंत्रण प्रकोष्ठ सामग्री की गुणता की आकस्मिक जांच भी करता है। यदि परीक्षण के दौरान सामग्रियां अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं होती हैं तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने संबंधी योजना

377. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में पका भोजन उपलब्ध कराने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देश के क्रियान्वयन से विद्यालयों में दाखिला किस सीमा तक प्रभावित हुआ है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 28.11.2001 को पारित किए गए थे जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन देने का निर्देश दिया गया है। इसलिए नामांकन पर इसके प्रभाव का आकलन करना अभी शीघ्रता होगी। तथापि, 1999 में ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली नामक एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा 10 राज्यों अर्थात् असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में किए गए मूल्यांकन के अनुसार मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में नामांकन में बढ़ोतरी हुई है तथा अन्य 6 राज्यों में उपस्थिति व अवधारण पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्कूलों में प्रोत्साहन योजनाओं पर राज्य नीतियों तथा बालिका सहभागिता में उनका योगदान पर वर्ष 2000 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन के तहत भी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तमिलनाडु की दोपहर भोजन योजना तथा उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अनाज की आपूर्ति से स्कूलों में लड़कियों के नामांकन और अवधारण में सुधार लाने में मदद मिली है।

औद्योगिक भूखंडों का व्यावसायिक उपयोग

378. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री रामजी मांझी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में, 'मिनिस्ट्री स्टाल्स डीडीए मूव आन कमर्शियल यूज ऑफ इंडस्ट्रीयल प्लाट्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कुछ औद्योगिक भूखंडों का व्यावसायिक उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है और जिससे दिल्ली के मास्टर प्लान का उल्लंघन होता है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे भूखंडों और उनके मालिकों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि उल्लंघनकर्त्ताओं को नोटिस देकर और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करके जुर्माना लेने की बजाय डीडीए ने औद्योगिक भूखंडों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) भ्रष्ट डीडीए अधिकारियों और भूखंडों के उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में उन उपयोगों का उल्लेख है जिन्हें विभिन्न उपयोग क्षेत्रों में अनुमति दी जा सकती है। ऐसा कोई भी कार्यकलाप जो अनुमेय उपयोग के अनुरूप न हो, दुरुपयोग माना जाता है इसके लिए दुरुपयोग प्रभार वसूल किया जा सकता है तथा पट्टा निर्धारण सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार उन्होंने एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसका आशय दुरुपयोग किए जा रहे औद्योगिक परिसरों के दखलकारों से दुरुपयोग प्रभार वसूल करना था।

(ग) और (घ) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि औद्योगिक क्षेत्रों का सामान्य सर्वेक्षण नहीं किया गया है अतः दुरुपयोग किए जा रहे औद्योगिक प्लाटों की सूची तैयार नहीं की गई है। तथापि औद्योगिक परिसर के दुरुपयोग के बारे में शिकायत मिलने अथवा सूचना दिए जाने पर लीज की शर्तों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई शुरू की जाती है जिसका परिणाम पट्टा निर्धारण भी हो सकता है।

(ङ) से (छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने औद्योगिक प्लाटों के दुरुपयोग प्रभार वसूल करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। उन्हें परामर्श दिया गया है कि इस प्रकार के दुरुपयोग प्रभारों की वसूली के लिए अलग–अलग नोटिस जारी किए गए जाएं जिनमें

ये उल्लेख किया जाए कि प्रभारों का भुगतान न करने पर पट्टा निर्धारण किया जाएगा तथा कानून के अंतर्गत अन्य दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी ऐसा मौजूदा व्यवस्था तथा दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 के प्रावधान को देखते हुए किया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम तथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

अभियांत्रिकी महाविद्यालय

379. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए आई सी टी ई पहले के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के कार्य की प्रगति की निगरानी कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ए आई सी टी ई ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कुछ अभियांत्रिकी महाविद्यालय को दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इससे प्रभावित महाविद्यालयों की संख्या कितनी है और उक्त अवधि के दौरान अनुमति के निरस्तीकरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अपने निर्धारित मानदंडों तथा मानकों के अनुसार इंजीनियरी कॉलेजों में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करने हेतु निरीक्षण करती है।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में 2–2 तथा उड़ीसा में एक, कुल 5 तकनीकी संस्थाओं को दी गई मान्यता समाप्त कर दी है।

[हिन्दी]

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

380. श्री रामदास आठवले :

श्री सुरेश चंदेल :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के लागू होने के बावजूद प्रतिदिन एक या दूसरे राज्य से दहेज के कारण होने वाली मौतों में कोई कमी नहीं आई है और इस प्रकार के मामले प्राप्त होते रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि पूरे देश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान अब तक सरकार के ध्यान में लाए गए उक्त अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न सामाजिक संस्थानों या अन्य लोगों से उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए अब तक कोई सुझाव या अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार दहेज प्रतिषेध अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संकलित सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997–1999 तक की अवधि के दौरान देश में दर्ज दहेज मृत्यु की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है–

वर्ष	दहेज मृत्यु के मामलों की संख्या
1997	6006
1998	6917
1999	6699

(ख) से (छ) पूरे देश में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में सरकार को कोई विशिष्ट सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज प्रतिषेध अधिनिमय की समीक्षा कर रहा है और इस प्रयोजनार्थ आयोग ने 20 राज्यों में 20 कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

[अनुवाद]

राजधानी में लश्कर-ए-तोएबा की गतिविधियां

381. श्री नरेश पुगलिया :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उन लश्कर–ए–तोएबा के आतंकवादियों के संभावित अड्डों पर छापा मारा है जो कि राजधानी के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और संस्थापनाओं पर हमला करने की योजना बना रहे थे जैसा कि 12 मई, 2002 के स्टेट्समैन में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नागरिक ऐसे आतंकवादियों को आश्रय दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा चुने हुए अड्डों से ऐसे आतंकवादियों को पकड़ने और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) लश्कर–ए–तैयबा के तीन उग्रवादियों को दिल्ली पुलिस ने 9 मई, 2002 को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में आर डी एक्स, विस्फोटक, शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया। उनसे पूछताछ करने पर मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में विस्फोट करने के लिए उग्रवादियों हेतु सुरक्षित ठिकाने बनाने की लश्कर–ए–तैयबा की योजना का पता चला। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दो अन्य उग्रवादियों जो कि पाकिस्तानी नागरिक थे, को रोका गया और वे उसी दिन दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए।

(ग) और (घ) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान और आज तक दो छिटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें भारतीय नागरिकों को दिल्ली में उग्रवादियों को पनाह देते हुए पाया गया था।

(ङ) दिल्ली में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में बीट गश्त को गहन करना; सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात करना; आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना; अपराधियों और उग्रवादियों के संदिग्ध छिपने के ठिकानों पर निगरानी और निरंतर छापे मारना; व्यक्तियों और सामानों की जांच करना विशेषतया भीड़भाड़ वाले बाजार और मनोरंजन स्थलों पर; अतिथि गृहों की जांच करना; और राजधानी में प्रवेश करने वाले माल वाहनों की अचानक जांच आदि शामिल है।

मीडिया सचिवालय

382. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उनके मंत्रालय के अंतर्गत एक मीडिया सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रयोजन और कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रेस सूचना ब्यूरो की तरह ही स्वतंत्र होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) आंतरिक सुरक्षा संबंधी मुद्दों के बारे में सूचना के प्रसारण के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने हेतु गृह मंत्रालय में एक मीडिया प्रबंधक सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह सचिवालय प्रेस सूचना ब्यूरो और मीडिया के साथ गृह मंत्रालय का संपर्क सूत्र होगा।

अमरनाथ तीर्थयात्रियों को सुविधाएं

383. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष पवित्र अमरनाथ धाम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के संबंध में जम्मू–कश्मीर सरकार से सूचना मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तीर्थयात्रियों को क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) क्या अप्रिय स्थिति से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन आधारित कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। जैसा कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने अवगत कराया है, लगभग 4200 तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए प्रतिदिन दिनांक 22.7.2002 से 22.8.2002 तक चलेंगे अर्थात् 2700 तीर्थयात्री पारंपरिक पहलगांव रास्ते से और 1500 तीर्थयात्री बलताल से 11 जुलाई, 2002 तक विभिन्न पंजीकरण केन्द्रों पर 87,170 यात्री पंजीकृत किए गए हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा, साफ–सफाई, दूरसंचार, बिजली, रास्तों का सुधार, सुरक्षा, जलाने की लकड़ी, आवागमन शिविरों में आवास, पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है और गैर सरकारी संगठनों को मुफ्त लंगर लगाने की अनुमति प्रदान की है।

(ग) और (घ) जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है, आतंकवादी हमले, खराब मौसम, भूस्खलन इत्यादि की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई है।

तीर्थयात्रियों का बीमा

384. श्री के. येरननायडू : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा पर जाने वाले समस्त तीर्थयात्रियों का बीमा करवाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार, एक बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका संचालन जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अधीन यात्री, यात्रा के लिए पंजीकरण करवाने के समय 20.00 रु. प्रति 1.00 लाख रु. की प्रीमियम धनराशि अदा करके स्वयं का बीमा करवा सकता है यह योजना देशभर में जे एंड के बैंक की अस्सी शाखाओं के माध्यम से चलाई जा रही है।

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस प्रयोजनार्थ कोई आवंटन नहीं किया गया है।

गुजरात दंगे

385. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के मुस्लिम पीड़ितों की ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनकी नष्ट हुई संपत्तियों के मूल्यांकन तथा अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 14.6.2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "मोदी हैज पोल प्लांस बट पी एम टाक्स अबाउट रिलीफ" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर भी आकर्षित कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में गुजरात सरकार को कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत तीन माह के दौरान आज तक गुजरात के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों की हत्याओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) गुजरात की स्थिति के बारे में विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं और इन्हें उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) गुजरात में दंगा पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों के बारे में केन्द्र सरकार निरंतर राज्य सरकार से संपर्क बनाए हुए है और इसका प्रबोधन मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किया जा रहा है।

(च) न्यायमूर्ति श्री जी. टी. नानावती, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य सरकार

द्वारा गठित जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में कोई स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।

'नाल्को' का विनिवेश

386. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) के विनिवेश के बारे में केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से कोई अनुरोध तथा आपत्ति प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे नजरअंदाज कर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके विनिवेश की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा विनिवेश संबंधी निर्णय हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं और इसका विनिवेश किस सीमा तक किया जाएगा?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) नाल्को में विनिवेश के बारे में उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ नाल्को की महत्ता, इसके रिकॉर्ड कार्य–निष्पादन पर प्रकाश डाला है और सुझाव दिया है कि कार्य–कुशलता के आधार पर नाल्को के निजीकरण की प्रक्रिया में इस समय जल्दबाजी का कोई कारण नहीं है। विनिवेश मंत्री ने नाल्को में विनिवेश करने के सरकार के निर्णय की जानकारी देते हुए और इसके पीछे के तर्काधार को स्पष्ट करते हुए मुख्य मंत्री के पत्र का उत्तर दिया है। नाल्को में विनिवेश का निर्णय साधारण मामलों में सभी गैर–सामरिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी को 26 प्रतिशत अथवा इसके निचले स्तर तक नीचे लाने की सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में लिया गया है। नाल्को में विनिवेश का निर्णय लंबे समय तक अंतर–मंत्रालय परामर्शों के माध्यम से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद ही लिया गया है।

(ग) नाल्को में विनिवेश प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और इसमें अच्छी प्रगति हो रही है। विनिवेश प्रक्रिया में सहायता देने के लिए सार्वभौमिक समन्वयक सह–सलाहकार तथा संयुक्त सार्वभौमिक समन्वयक नियुक्त कर लिए गए हैं। सरकार द्वारा इसमें धारित 87.15 प्रतिशत इक्विटी में से 2 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखने के बाद, सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत तक कम करते हुए 10 प्रतिशत का विनिवेश घरेलू निर्गम के माध्यम से, 20 प्रतिशत ए.डी. आर. के माध्यम से तथा 29.15 प्रतिशत अनुकूल बिक्री के माध्यम से किया जाना है।

उर्वरक नीति के लिए नई नीति संबंधी मापदंड

387. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई नीति के मापदंडों के कारण उर्वरक उद्योग से 1,062 करोड़ रुपये वसूलने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता वाले व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को भी लागू करने का निश्चय किया है;

(ग) क्या उपर्युक्त योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष से यूरिया उद्योग के मूल्य निर्धारण, बिक्री और वितरण पर से नियंत्रण पूर्णतः समाप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, उपर्युक्त नीति किस सीमा तक लाभदायक होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विद्यमान प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत सातवीं तथा आठवीं मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए नीति मानदंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16.5.2002 को अनुमोदित किए गए हैं और दिनांक 4.6.2002 को सभी यूरिया कंपनियों को सूचित कर दिए गए हैं। सातवीं मूल्य निर्धारण अवधि में 1.7.1997 से 31.3.2000 तक की अवधि शामिल होगी जबकि आठवीं मूल्य निर्धारण अवधि में 1.4.2000 से 31.3.2003 तक की अवधि या नई मूल्य निर्धारण अवधि के अस्तित्व में आने तक की अवधि जो भी पहले हो, शामिल होगी। अनुमोदित मानदंडों के आधार पर प्रतिधारण मूल्यों का अंतिम एकक–वार निर्धारण से वेतन और मजदूरी, उपयोगिताओं, मरम्मत व अनुरक्षण, पूंजी संयोजन, विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव जो 1.7.97 से अद्यतन नहीं थे, के संबंध में विभिन्न इकाईयों के मानकों को अद्यतन बनाना आवश्यक होगा और इससे कुछ मामलों में वसूली की तथा कुछ अन्य मामलों में भुगतान की स्थिति सामने आएगी।

(ख) से (घ) वर्तमान में सरकार, मौजूदा प्रतिधारण मूल्य योजना को प्रतिस्थापित करने हेतु व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नई मूल्य निर्धारण नीति तैयार करने के कार्य में जुटी है। यह प्रस्ताव इस समय मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है। प्रस्तावित नीति सामूहिक रियायत योजना के स्वरूप में होगी और समानता तथा राजसहायता भुगतानों के संवितरण में अधिक पारदर्शिता पर लक्षित होगी और यूरिया उत्पादकों को उनकी स्वयं की ओर से लागत कटौती उपाय करने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए भी प्रेरित करेगी।

[हिन्दी]

गुजरात में दंगे

388 श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अभी भी दंगे की घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो 1.5.2002 से 30.6.2002 की अवधि के दौरान छिट–पुट दंगों की कुल कितनी घटनाएं घटित हुईं और ये घटनाएं किन स्थानों पर घटित हुईं और इन घटनाओं में जानमाल की कितनी हानि हुई; और

(ग) अब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) प्रश्नगत अवधि के दौरान गुजरात में छुट–पुट किस्म की कुछ सांप्रदायिक घटनाएं हुईं।

भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय हैं और इसलिए अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज करने, जांच–पड़ताल एवं अभियोजन चलाने के साथ–साथ इस संबंध में आंकड़े रखना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का काम है।

(ग) देश में सांप्रदायिक दंगे रोकने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की कई प्रकार से सहायता करती है जैसे आसूचना का आदान–प्रदान करना, सतर्कता संदेश भेजना, विशेष अनुरोध पर संयुक्त त्वरित कार्य बल, जिसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए किया गया है, सहित संबंधित राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल भेजना और राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना। इसके अलावा, केन्द्र सरकार समय–समय पर इस संबंध में सलाह और दिशा निर्देश भेजती है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां निरंतर नजर रखती हैं तथा जहां कहीं भी आवश्यकता होती है, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

पूर्व प्रधान मंत्रियों के लिए एस.पी.जी. सुरक्षा

389. श्री अधीर चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पूर्व प्रधान मंत्रियों के लिए एस.पी.जी. सुरक्षा घटाने का निर्णय लिया है जैसा कि 11 जून, 2002 के 'दि स्टेट्समेन' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या एसपीजी सुरक्षा को घटाने से पहले पूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों के विचारों पर भी ध्यान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पूर्व प्रधान मंत्रियों के उन परिवारों जिन्होंने एसपीजी सुरक्षा आदि को घटाने के लिए नहीं कहा है को किस सीमा तक संरक्षण प्रदान किया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) सरकार ने, खतरे के आधार पर भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों तथा उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को एस. पी.जी. कवर उपलब्ध कराने के लिए एस.पी.जी. अधिनियम में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक लाने का निर्णय लिया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) सरकार ने एस.पी.जी. अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को खतरे के स्तर के आधार पर एस.पी.जी. कवर उपलब्ध कराई जा सके। यदि एस.पी.

जी. कवर देने का औचित्य नहीं पाया जाता है तो केन्द्र सरकार द्वारा यथा आकलित खतरे के स्तर के आधार पर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

दिल्ली में अपराध

390. श्री श्रीनिवास पाटील :

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' में सीलमपुर और डिफेंस कालोनी में डकैती की घटनाओं से संबंधित प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 1.1.2002 से 1.7.2002 के दौरान अपराधवार और जिलेवार विभिन्न अपराधों की कितनी घटनाएं हुईं;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष हुई अपराध की घटनाओं की तुलना में इस वर्ष अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध की घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ बीट गश्त को गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के संदिग्ध ठिकानों पर कड़ी निगरानी रखना और बार-बार छापे मारना, घरेलू नौकरों के पूर्व-वृत्तों का सत्यापन, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर निगरानी में बढ़ोत्तरी, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना, प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी विरोधी एकक का गठन और चलती बसों, बाजारों, व्यापारिक स्थानों और अपराध बहुल अन्य स्थानों पर सादी वर्दी में पुलिस कार्मिकों की तैनाती शामिल है।

विवरण

अपराध	उत्तरी	उत्तर-पश्चिमी	केन्द्रीय	नई दिल्ली	पूर्वी	उत्तर-पूर्वी	दक्षिणी	दक्षिण-पश्चिम	पश्चिम	अपराध और रेलवे	आई जी आई एयरपोर्ट	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
डकैती	4	13	1	0	2	2	2	2	1	1	0	28
हत्या	26	67	11	4	24	32	36	27	33	1	2	263
हत्या का प्रयास	13	43	15	5	20	30	30	21	28	3	0	208
लूटपाट	30	52	22	9	17	40	43	27	24	4	2	270
दंगे	5	6	7	1	12	6	17	15	1	0	1	71
बलात्कार	10	63	6	5	7	24	38	27	22	0	0	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
फिरोती के लिए अपहरण	0	2	1	0	1	3	6	2	3	0	0	18
छीना–झपटी	13	90	14	5	30	23	43	19	52	10	0	299
चोट पहुंचाना	78	175	60	17	124	99	130	85	157	6	0	931
सेंधमारी	80	255	83	28	114	75	279	180	171	0	0	1265
चोरी	643	1198	733	589	724	464	1848	808	939	617	24	8587
अन्य भ.द.सं.	974	2384	829	534	872	687	1893	1113	1558	32	294	11170
कुल भा.द.सं.	1876	4348	1782	1197	1947	1485	4365	2326	2989	674	323	23312

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नीति

391. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु नीति बनाई गई है;

(ख) क्या इस नीति का उद्यमी विकास आवश्यक हिस्सा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) (क) पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास के लिए कुछ मुख्य नीतियां, अवसंरचना में सुधार अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल तथा साफ–सफाई आदि जैसी मूल सामाजिक सेवाएं प्रदान करना आदि; सभी के लिए आर्थिक एवं सामाजिक अवसर उपलब्ध कराना, कुशलता बढ़ाने के लिए क्षमता बनाना विकासोन्मुखी निजी भागीदारिता के लिए वातावरण बनाना तथा रोजगार/आय उत्पादन की संभावना वाले सकारात्मक प्रभाव वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए नीति वातावरण प्रदान करना है।

(ख) और (ग) उद्यमी (इन्ट्रेप्रेन्योरशिप) विकास पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास का एक अनिवार्य अंग है। इस उद्देश्य के लिए, लघु उद्योग विकास संगठन (सिडो) अपने फील्ड संस्थानों सिसि (लघु उद्योग सेवा संस्थान) तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम तथा त्रिपुरा स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उत्प्रेरण अभियान आयोजित करता है।

मौजूदा तथा भावी उद्यमियों के लिए आवधिक तौर पर अनुवर्ती प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि प्रबंधन विकास परिपाटियों को पुनर्बलित किया जा सके। इस क्षेत्र में लघु उद्योगों में प्रशिक्षित कार्य बल तैयार करने के लिए कुशलता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1999–2000 तथा 2001–2002 के बीच 240 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों में 11465 उद्यमियों ने लाभ उठाया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उद्यमियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों की झलक दिखाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मुम्बई में दिनांक 19 एवं 20 जुलाई, 2002 को व्यापारिक सम्मेलन आयोजित किया।

भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकारियों के लिए परियोजना संबंधी योजना, निष्पादन एवं मूल्यांकन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

यह विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं को शीघ्रता से निपटाने के लिए कदम भी उठाता रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली और उसके आस-पास में हिंसा

392. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली और उसके आस–पास के इलाकों में बढ़ रही हिंसात्मक घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी हत्याएं हुईं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) भविष्य में इन अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सूचित किए गए हत्या के मामलों और इन मामलों के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी–

वर्ष	हत्या के मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए अभियुक्त
1999	656	1090
2000	597	989
2001	547	743

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपराध की स्थिति में सुधार लाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ, बीट गश्त गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों और आतंकवादियों के छुपने के संदिग्ध स्थानों पर निरंतर छापे मारना और नजर रखना, घरेलू नौकरों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर निगरानी बढ़ाना, पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आवासीय कल्याण संघों के सदस्यों के साथ बैठकें करना तथा चलती बसों, बाजारों, व्यावसायिक स्थानों और अन्य अपराध–बहुतल स्थानों में सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती करना शामिल है।

बी.सी.सी.एल., धनबाद में कोयला घोटाला

393. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 मई, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'स्कैम इन झारखंड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या धनबाद स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में वस्तुओं की खरीद और घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति में 9500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इससे प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) (क) जी, हां।

(ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

'झारखंड में हुए अरबों के घोटाले के खिलाफ आंदोलन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में उल्लिखित मामलों तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	समाचार में उल्लिखित मामले	सरकार की प्रतिक्रिया *[अनुवाद]*प्रधान मंत्री
1.	बी.सी.सी.एल. में कोयले की आपूर्ति और सामान की खरीददारी में 9500 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ था।	किसी प्रकार की अनियमितता के किसी विशेष मामले में विशिष्ट ब्यौरे नहीं होने की स्थिति में आरोप को सत्यापित करना संभव नहीं है।

1	2	3
2.	आर. एन. मिश्र समिति ने 130.79 करोड़ रुपये के मूल्य का 130.14 लाख टन की स्टाक में कमी के बारे में बताया था।	वार्षिक स्टाक सत्यापन दल को 1.4.199 को 1991–92 के दौरान 130.79 करोड़ रु. मूल्य के 34.13 (न कि 130.14) लाख टन के कम स्टाक का पता लगा था। बी.सी.सी.एल. में 1986–87 से 1992–93 के दौरान स्टाक में कमी की जांच करने के लिए 27.7.1992 को आर. एन. मिश्र समिति का गठन किया गया था। समिति ने कोयला कार्यपालकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने तथा प्रणाली में सुधार करने के उपाय करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों पर कार्रवाई की गई है।
3.	एक अन्य रिपोर्ट में यह पाया गया कि बी.सी. सी.एल. द्वारा पी.एस.यू. को भेजे गए कोयले में 62.9% राख होती है जबकि अधिकतम अनुमेय सीमा 50% है।	कुछ मामलों में, सीम के ढांचे आदि में भिन्नता होने के कारण, क्वालिटी/ग्रेड में स्लिपेज हुआ होगा। तथापि, वसूली आपूर्ति कोयले के ग्रेड की संयुक्त सैम्पलिंग अथवा तृतीय पार्टी सैम्पलिंग के माध्यम से विश्लेषण के आधार पर की गई है।
4.	1990–91 में सतर्कता आयोग ने श्री ए. टी. राय के द्वारा जांच करवाई थी जिसने सामग्री की खरीददारी में 200 करोड़ रुपये के घपले के बारे में बताया था।	18.6.1997 को तत्कालीन ई.डी (सतर्कता), बी.सी.सी.एल. की पहल पर सी.एम.डी. ने बी.सी.सी.एल. की इन्वेन्टरी मैनेजमैन्ट सिस्टम का गहन विश्लेषण करने के लिए बी.सी.सी.एल. की मैटिरियल मैनेजमैन्ट, स्क्रैप मैनेजमैन्ट तथा क्रय कार्य–प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए श्री ए. टी. राय, भूतपूर्व जी. एम. (आई ए. डी.) को नियुक्त किया था। श्री राय ने इन मुद्दों पर विचार करते हुए तीन अध्ययन रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। ये रिपोर्ट जांच रिपोर्ट नहीं हैं और किसी प्रकार के बड़े नुकसान के बारे में नहीं बताया गया है जैसा कि आरोप लगाया गया है।
5.	झरिया में, रेत भराई के नाम पर कई बिलियन रुपयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भराई की गई रेत की मात्रा कागजों पर दिखाई गई मात्रा से काफी कम है। इसी कारण से झरिया की खानों में आग विद्यमान है और इससे कोयले का नुकसान हो रहा है।	भूमिगत खानों में भराई और स्थिरीकरण के लिए रेत का प्रयोग किया जाता है। रेत की ढुलाई के लिए विभागीय अवसंरचना की कमी होने के कारण कुछ आवश्यकता की पूर्ति निजी ठेकेदारों के माध्यम से की जाती है। रेत की ढुलाई और खपत की विभिन्न आंतरिक नियंत्रण उपायों से नियमित रूप से जांच की जा रही है।
6.	बी.जे.पी. नेता सर्वश्री सुशील कुमार मोदी और सरयू राय ने 3.6.1999 को प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था जिसमें 12,000 करोड़ रुपये के घपले की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।	किसी अनियमितता के किसी विशेष मामले में विशिष्ट ब्यौरे के न होने की स्थिति में आरोप को सत्यापित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कच्ची सड़कों तथा अन्य सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए परियोजना प्रस्ताव

394. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधियां : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत अपने राज्यों में गांवों और 1000 से ऊपर की आबादी वाली बस्तियों को जोड़ने वाली कच्ची सड़कों और खाली कंकरीट बिछी सड़कों को चौड़ी बड़े ब्लॉकों से निर्मित सड़कों में बदलने तथा इस प्रकार की बस्तियों से 2003 तक वर्तमान सड़क नेट जोड़कर नई संपर्क सड़कें बनाने के संबंध में एक व्यापक परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसकी लागत कितनी है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) लिंक सड़कों के कार्य स्थानीय सांसद की स्वीकृति और सलाह से करवाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) राज्य सरकारें प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत समय-समय पर प्रस्ताव भेजती हैं। अब तक वर्ष 2000-01 तथा 2001-02 में लगभग 7553.28 करोड़ रुपए के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। स्वीकृत किए गए प्रस्तावों के मूल्य के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(घ) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे पी.एम.जी. एस.वाई के अंतर्गत प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय माननीय संसद सदस्यों के प्रस्तावों को ध्यान में रखें।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2000-01 में स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य	2001-02 में स्वीकृत प्रस्तावों का मूल्य	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	244.62	415.35	659.97
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.95	80.00	120.95
3.	असम	75.00	154.92	229.92
4.	बिहार	149.89	302.98	452.87
5.	छत्तीसगढ़	91.99	184.45	276.44
6.	गोवा	5.00	10.16	15.16
7.	गुजरात	56.76	106.15	162.91
8.	हरियाणा	20.57	65.00	85.57
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	132.36	192.36
10.	जम्मू व कश्मीर	20.09	60.33	80.42
11.	झारखंड	105.92	230.26	336.18
12.	कर्नाटक	102.94	203.35	306.29
13.	केरल	16.98	47.65	64.63
14.	मध्य प्रदेश	207.13	513.68	720.81
15.	महाराष्ट्र	130.21	263.90	394.11
16.	मणिपुर	40.00	80.71	120.71
17.	मेघालय	30.95	80.72	115.67
18.	मिजोरम	23.12	46.53	69.65
19.	नागालैंड	19.75	45.53	65.28
20.	उड़ीसा	170.88	350.00	520.88

1	2	3	4	5
21.	पंजाब	27.93	74.29	102.22
22.	राजस्थान	140.09	263.05	403.14
23.	सिक्किम	13.16	37.81	50.97
24.	तमिलनाडु	152.01	115.81	267.82
25.	त्रिपुरा	24.75	51.85	76.60
26.	उत्तर प्रदेश	324.22	638.83	963.05
27.	उत्तरांचल	58.99	140.41	199.40
28.	प. बंगाल	138.58	281.07	419.65
	कुल (राज्य)	2496.49	4977.15	7473.64
	संघ राज्य क्षेत्र			0.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	10.01	22.38	32.39
30.	दादरा व नगर हवेली	0.00	9.95	9.95
31.	दमन व दीव	5.00	10.00	15.00
32.	दिल्ली	5.00	0.00	5.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	4.89	4.89
34.	पांडिचेरी	5.00	7.40	12.40
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	25.01	54.62	79.63
	महायोग	2521.51	5031.77	7553.28

राष्ट्रीय बाल आयोग

395. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं और इसके सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने बाल अधिकारों और अपने विचारों के संबंध में सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक इसकी सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) सरकार राष्ट्रीय बाल आयोग स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान कर रही है। यह आयोग बच्चों से संबंधित कानूनों और उनके अधिकारों के कारगर कार्यान्वयन के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत गठित किया जाएगा।

देश में हो रहे अपराध

396. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ रही अपराध दर पर गौर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपराध में वृद्धि और ऐसे अपराधों की बढ़ती घटनाओं के लिए दोषी अपराधियों, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों एवं पुलिस के बीच बढ़ती सांठ–गांठ के संबंध में गहन अध्ययन करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सांठ–गांठ को खत्म करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर संज्ञेय अपराधों की दर में कमी का रुझान देखा गया है जो 1998 में 183.2 से घटकर 1999 में 178.9 और 2000 में 176.7 हो गया।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

कश्मीर में चुनाव

397. श्री ए. नरेन्द्र :

श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 2002 के 'हिन्दुस्तान' में हिजबुल की कश्मीर में चुनाव में हिंसा की धमकी के बारे में समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में विधान सभा चुनावों के लिए सरकार द्वारा क्या सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं;

(घ) क्या सशस्त्र सेनाओं ने ऐसी सूचनाएं दी हैं कि जम्मू और कश्मीर में आगामी चुनाव हिंसक होंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित प्रबंधों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव) : (क) से (च) जी हां, श्रीमान। जनता और राजनैतिक दलों को हिंसा और डरा–धमकाकर जम्मू और कश्मीर विधान सभा चुनाव में बाधा डालने के लिए सीमा पार से विभिन्न आतंकवादी गुटों एवं उनके आकाओं की मंशा से सरकार अवगत है। तथापि, सरकार किसी भी कीमत पर राज्य विधान सभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय ढंग से कराने के लिए दृढ़संकल्प है। राज्य सरकार को, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को, प्रत्येक मामले में खतरे की आशंका के अनुरूप सुरक्षा कवर प्रदान करने की सलाह पहले ही दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य सकरार को सामान्य व्यक्ति और साथ ही साथराजनैतिक दलों के नेताओं की चिंताओं पर विचार करने की सलाह दी गई है ताकि वे बिना किसी भय के विचार–विनिमय कर सकें और इसी के साथ उनसे चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की उनकी क्षमताओं को कुन्द करने हेतु आतंकवादियों एवं अन्य पाक समर्थित कट्टरपंथियों के विरुद्ध निरंतर और ध्यान केन्द्रित करके निर्णायक आतंकवादी विरोधी प्रहार करने के लिए कहा गया है। केन्द्र सरकार चुनावों को निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए और कहीं से भी दबावों तथा मांगों के बावजूद अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल प्रदान करने के लिए हरेक प्रयास करेगी।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

398. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाली 3,000 से अधिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने में विफल रहा है क्योंकि यह राशि मंत्रालय, राज्य सरकारों और देश भर की कार्यान्वयन एजेंसियों के पास पड़ी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए नियत राशि को मंत्रालय द्वारा उपयोग में नहीं लाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस मामले में उनके मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि प्रदान की जाती है तथा केन्द्र सरकार के पास कोई धनराशि अप्रयुक्त नहीं रहती है। तथापि परियोजनाओं के

कार्यान्वयन के दौरान राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के पास कुछ धनराशि अप्रयुक्त रहती है। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की मानीटरिंग तिमाही प्रगति रिपोर्टों, पुनरीक्षा बैठकों तथा फील्ड निरीक्षणों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में विकास

399. श्री एम. के सुब्बा : क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ख) विकास कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न राज्यों का राज्यवार कार्यकरण कैसा रहा?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) विकास लक्ष्य, राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों की योजनाओं के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। राज्य योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती हैं। राज्य सरकार की योजना के लिए सेक्टोरल परिव्ययों को राज्य सरकार के साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित राज्यों के लिए वास्तविक रूप से विकास लक्ष्य विनिर्दिष्ट करने की परिपाटी नहीं है। नौवीं योजना के दौरान राज्यों द्वारा प्रमुख सेक्टरों के लिए किए गए आवंटन विवरण-। पर हैं।

राज्यों की संवृद्धि निष्पादन के योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, 1993-94 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की मिश्रित वार्षिक विकास दरें इस प्रकार थीं :

राज्य	मिश्रित वार्षिक विकास दर
अरुणाचल प्रदेश	4.10%
असम	2.49%
मणिपुर	6.01%
मेघालय	6.00%
मिजोरम	3.79%
नागालैंड	4.55%
सिक्किम	7.54%
त्रिपुरा	7.25%
अखिल भारत	6.68%

आर्थिक विकास और संवृद्धि का पता जनसंख्या के लिए निम्नतम रहन-सहन के स्तर के रूप में भी लगाया जा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मानव विकास के कुछेक प्रमुख संकेतक, जैसा कि योना आयोग द्वारा संकलित राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट-2001 में उपलब्ध हैं; विवरण-॥ में दिए गए हैं।

विवरण-I

पूर्वोत्तर राज्यों के प्रमुख सेक्टरों में नौवीं योजना के लिए परिव्यय

(रुपयों लाखों में)

सेक्टर	अरुणाचल प्रदेश	असम	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कृषि	34170	10946	18317	39170	15325	26000	20540	19568
ग्रामीण विकास	11476	80771	6120	13950	23540	291451	5450	35746

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	27995	71042	32060	9800	1811	5700	4100	19401
ऊर्जा	46041	85272	33534	31800	22421	11700	34300	17454
परिवहन	92951	99699	39968	48100	27227	30540	16000	36737
शिक्षा	48884	229344	22390	33500	15144	15101	24300	33105
कुल नौवीं योजना परिव्यय	356989	898393	242669	250062	161851	200643	160000	257739

विवरण-II

प्रमुख मानव संकेतक

(स्त्रोत : राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001)

(i) शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार)

	1981	1991
अरुणाचल प्रदेश	126	91
असम	–	92
मणिपुर	32	28
मेघालय	79	80
मिजोरम	83	53
नागालैंड	68	51
सिक्किम	127	60
त्रिपुरा	130	82
अखिल भारत	115	77

(ii) प्रति हजार विद्यालयों की संख्या

	1992–93		1997–98	
	प्राइमरी	अपर प्राइमरी	प्राइमरी	अपर प्राइमरी
1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	10.53	4.52	8.21	4.64
असम	8.89	3.07	8.62	3.58
मणिपुर	13.10	5.17	8.69	4.02
मेघालय	17.97	5.30	13.38	6.05
मिजोरम	12.65	10.68	11.17	11.11
नागालैंड	8.89	4.08	6.80	4.56
सिक्किम	8.35	3.57	6.72	3.05
त्रिपुरा	6.81	2.58	4.14	1.77
अखिल भारत	5.75	2.69	5.04	2.75

(iii) साक्षरता दर (प्रतिशत)

	1991	2001
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	41.59	54.74
असम	52.89	64.28
मणिपुर	59.89	68.87
मेघालय	49.10	63.31
मिजोरम	82.27	88.49
नागालैंड	61.65	67.11

1	2	3
सिक्किम	56.94	69.68
त्रिपुरा	60.44	73.66
अखिल भारत	52.21	65.20

(iv) गांवों को सड़कों से जोड़ना (जनसंख्या 1000 से 1500 तक) स्तर

(सड़क से जुड़े हुए गांवों का प्रतिशत)

	1991–92	1994–95	1996–97
अरुणाचल प्रदेश	73.47	89.80	86.54
असम	100.00	100.00	97.08
मणिपुर	86.36	91.82	65.83
मेघालय	100	100	86.49
मिजोरम	100	100	100
नागालैंड	87.88	96.97	100
सिक्किम	83.33	87.50	93.22
त्रिपुरा	72.34	85.11	100.00
अखिल भारत	72.32	76.54	74.58

(v) विद्युत कनेक्शन से युक्त परिवार (प्रतिशत)

	1981	1991
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	15.15	40.85
असम	–	18.74
मणिपुर	20.06	50.92
मेघालय	16.84	29.16
मिजोरम	16.27	59.20
नागालैंड	26.12	53.42
सिक्किम	23.11	60.66
त्रिपुरा	25.05	36.93
अखिल भारत	26.19	42.37

(vi) सुरक्षित पेयजल से युक्त परिवार (प्रतिशत)

	1981	1991
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	43.89	70.02
असम	–	45.86
मणिपुर	19.54	38.72
मेघालय	25.11	36.16
मिजोरम	4.88	16.21
नागालैंड	45.63	53.37
सिक्किम	30.33	73.19
त्रिपुरा	27.33	37.18
अखिल भारत	38.19	62.30

(vii) गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या और प्रतिशत (1999-2000)

	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	जनसंख्या की प्रतिशतता
1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	3.98	33.47
असम	94.55	36.09
मणिपुर	7.19	28.54
मेघालय	8.23	33.87
मिजोरम	1.85	19.47
नागालैंड	5.49	32.67
सिक्किम	2.05	36.55

1	2	3
त्रिपुरा	13.02	34.44
अखिल भारत	2602.50	26.10

(viii) बेरोजगारी का प्रभाव (श्रम बल के प्रतिशत के रूप में)

	1993–94	1999–2000
अरुणाचल प्रदेश	1.0	0.9
असम	5.6	4.6
मणिपुर	1.8	3.5
मेघालय	0.5	0.9
मिजोरम	0.8	2.0
नागालैंड	2.4	3.5
सिक्किम	1.0	3.4
त्रिपुरा	3.4	1.9
अखिल भारत	2.0	2.3

(ix) प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (1980-81 की कीमतों पर आंकड़े रुपयों में)

	1981–82	1997–98
अरुणाचल प्रदेश	1725	3571
असम	1262	1675
मणिपुर	1466	1948
मेघालय	1390	1804
मिजोरम	–	–
नागालैंड	1604	–
सिक्किम	1686	–
त्रिपुरा	1318	2117
अखिल भारत	1671	2840

(x) प्रति व्यक्ति खपत व्यय (रु. प्रति माह)

	1993–94	1999–2000
अरुणाचल प्रदेश	343.75	672.31
असम	280.42	473.42
मणिपुर	305.59	596.36
मेघालय	390.00	639.13
मिजोरम	472.59	935.53
नागालैंड	454.48	1005.99
सिक्किम	321.12	559.97
त्रिपुरा	367.43	589.50
अखिल भारत	328.18	590.98

असम में आतंकवादियों के साथ बातचीत

400. श्री एम. के. सुब्बा : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान और आज की तिथि तक सरकार द्वारा असम/अल्फा के उग्रवादियों के साथ बातचीत आरंभ करने के लिए क्या प्रगति की गई है और क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) राज्य सरकार के दबाव के बावजूद इस संबंध में केन्द्र सरकार की ओर से पहल न किए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत ने उन सभी लोगों को संविधान के दायरे के भीतर वार्ता के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है जो भाई–चारे के रास्ते से भटक गए हैं। यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यू.एल.एफ.ए.) अभी तक बताए गए पैरामीटरों के भीतर शांति वार्ता के लिए आगे नहीं आया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मित्रो, जैसा कि आप सबको विदित है कि कल दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रश्न काल के पश्चात्, जम्मू में हुए नरसंहार के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी।

इससे पहले, मैं पत्रों को सभा पटल पर रखने की मद को लूंगा, इसलिए, मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी से अनुरोध करूंगा कि पत्रों को सभा पटल पर रखा जाए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, सूखे के सवाल पर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)* पूरा देश तबाही के कगार पर खड़ा है, किसान आत्महत्या कर रहा है...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (योधक परा–चिकित्सीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2002 जो 20 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 202 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी 5790/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 21 जून, 2002 को प्रख्यापित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी 5791/2002]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी 5792/2002]

अपराह्न 12.2 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 17 मई, 2002 को सभा को सूचित करने के पश्चात् तेरहवीं लोक सभा के नौवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2002;

(2) उपराष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002;

(3) हज समिति विधेयक, 2002;

(4) विदेशी वायुयान (ईंधन और स्नेहक पर करों और शुल्कों में छूट) विधेयक, 2002; और

(5) पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2002;

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चौदह विधेयकों की राज्य सभा महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियों को भी सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सेंट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन (इंडिया) निधि अंतरण (निरसन) विधेयक, 2002

(2) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2002

(3) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002

(4) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2002

(5) चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) निरसनकारी विधेयक, 2002

(6) राष्ट्रीय ओषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2002

(7) संसद अधिकारी और संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2002

(8) चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2002

(9) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002

(10) संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002

(11) परिसीमन विधेयक, 2002

(12) संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2002

(13) विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2002

(14) बहुराज्य सहकारी सोसायटी विधेयक, 2002

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

राजभाषा समिति

उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री जगदम्बी प्रसाद यादव के निधन से रिक्त हुए स्थान पर अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री जगदम्बी प्रसाद यादव के निधन से रिक्त हुए स्थान पर अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव

जम्मू के कासिमपुरा में हुआ नरसंहार

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 13 जुलाई, 2002 को जम्मू के कासिमपुरा में हुए नरसंहार और सीमा–पार से जारी आतंकवाद से निपटने में केन्द्र सरकार की असफलता के बारे में मुझे निम्नलिखित सदस्यों से पैंसठ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

1. श्री अजय चक्रवर्ती
2. श्री हन्नान मोल्लाह
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
4. श्री सुरेश प्रभु
5. श्री चन्द्रनाथ सिंह
6. श्री बसुदेव आचार्य
7. श्री रामजीलाल सुमन
8. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
9. श्री पवन सिंह घाटोवार
10. श्रीमती संतोष चौधरी
11. श्री के. एच. मुनियप्पा
12. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी
13. श्री राजो सिंह
14. श्री विलास मुत्तेमवार
15. श्री सुशील कुमार शिन्दे
16. श्री बूटा सिंह
17. श्री एम. के. सुब्बा
18. श्री के. ए. सांगतम
19. श्री आर. एस. पाटिल
20. श्री शिवराज वि. पाटील
21. डा. गिरिजा व्यास
22. श्री सईदुज्जमा
23. श्री ए. बी. ए. गनी खां चौधरी
24. श्री पवन कुमार बंसल
25. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
26. श्री सुन्दर लाल तिवारी
27. श्री विनय कुमार सोराके
28. श्रीमती रानी नरह
29. श्री थामस हंसदा
30. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल
31. श्री कांतिलाल भूरिया
32. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी
33. श्री अवतार सिंह भडाना
34. श्री माणिकराव होडल्या गावित
35. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी
36. श्री भेरूलाल मीणा
37. श्री ताराचन्द भगोरा
38. श्री एस. सी. जोस
39. श्री वी. एम. सुधीरन
40. श्रीमती प्रभा राव
41. डा. चरणदास महंत
42. श्री नरेश पुगलिया
43. श्री नेपाल चन्द्र दास
44. श्री उत्तमराव पाटील
45. श्री जार्ज ईडन
46. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी
47. प्रो. आई. जी. सनदी
48. श्री रामेश्वर डूडी
49. श्री ए. वेंकटेश नायक
50. श्री अधीर चौधरी
51. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
52. श्री राजकुमार वंग्चा
53. श्री कमलनाथ
54. श्री एस. जयपाल रेड्डी
55. श्री विजय हान्दिक
56. श्री भास्करराव पाटील
57. श्री कोलुर बसवनागौड
58. श्री एच. डी. देवगौडा
59. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
60. श्री प्रबोध पण्डा
61. श्री शमशेर सिंह दूलो
62. श्री आर. एल. जालप्पा
63. श्री खेलसाय सिंह
64. बेगम नूर बानो
65. श्री चन्द्र भूषण सिंह

मैंने श्री वी. एम. सुधीरन को अनुमति दी है। उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए किए गए बैलेट में पहला स्थान प्राप्त किया है।

इसी बीच श्री वी. एम. सुधीरन जिनका पत्र मुझे आज ही मिला है ने अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर श्री शिवराज वि. पाटील को चर्चा आरंभ करने के लिए सभा की अनुमति दी जाए। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अब श्री शिवराज वि. पाटील सभा की अनुमति ले सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं 13 जुलाई, 2002 की जम्मू के कासिमपुरा में हुए नरसंहार और सीमा-पार से जारी आतंकवाद से निपटने में केन्द्र सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाता है? यदि अनुमति दिए जाने का विरोध कोई नहीं कर रहा है तो मैं श्री शिवराज पाटील से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं?...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : महोदय, क्या यह स्थगन प्रस्ताव हिन्दुओं के पक्ष में है? हिन्दू मारे गए हैं और कांग्रेस पहली बार इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव लाई है। अब तक अनेक हिन्दू मारे गए हैं लेकिन वे स्थगन प्रस्ताव कभी नहीं लाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव बिल्कुल स्पष्ट है। यह स्थगन प्रस्ताव न तो किसी के पक्ष में है और न किसी के विरुद्ध।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश परांजपे : महोदय, अब तक कई हिन्दू मारे गए हैं लेकिन वे स्थगन प्रस्ताव कभी भी नहीं लाए। अब अचानक उन्होंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस हिन्दुओं के लिए स्थगन प्रस्ताव ला रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे, कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। यह सदस्य की अति आपत्तिजनक टिप्पणी है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। संसद के अब तक के इतिहास में किसी भी सदस्य ने धर्म के नाम पर प्रस्ताव की बात नहीं की है। इसे निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि प्रस्ताव न तो हिन्दुओं के पक्ष में है और न ही मुसलमानों के विरुद्ध। इसलिए, श्री परांजपे द्वारा उठाया गया प्रश्न पैदा ही नहीं होता। अब कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की बातें नहीं उठाई जानी चाहिए।

अनुमति प्रदान की जाती है। नियम 61 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा अपराह्न 4.00 बजे या उससे पहले कराई जा सकती है। नियम 62 के अधीन इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे 30 मिनट से कम का समय नहीं दिया जाता है।

मेरा प्रस्ताव है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शीघ्र शुरू की जाए और सायं 6.30 बजे इस पर मतदान कराया जाए। इस तरह हमारे पास चर्चा के लिए छह घंटे तीस मिनट का समय होगा।

मुझे उम्मीद है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।...*(व्यवधान)*

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन) : महोदय, हमारी पार्टी के नेता को पोटा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज हम लोग जम्मू के एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने यह भी आपको बताया है कि जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चूंकि आज 'शून्य काल' नहीं होगा इसलिए कल 'शून्य काल' में उस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए मैं आपको अनुमति दूंगा। आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अध्यक्षपीठ से सहयोग करें और सभा के कार्य को आगे बढ़ाने की मुझे अनुमति दें। जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कल उठाया जा सकता है।

पार्टीवार समय का आवंटन निम्न प्रकार है :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पार्टियों के लिए समय का आवंटन कर रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए। हमें अपराह्न 6.30 बजे तक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त कर लेनी है।

1.	भाजपा और सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य पार्टियां	– 2 घंटे 45 मिनट
2.	कांग्रेस पार्टी	– 1 घंटा 14 मिनट
3.	सीपीआई (एम)	– 22 मिनट
4.	टीडीपी	– 19 मिनट
5.	समाजवादी पार्टी	– 18 मिनट
6.	बीएसपी	– 9 मिनट
7.	एआईएडीएमके	– 7 मिनट
8.	एआईटीसी	– 6 मिनट
9.	एनसीपी	– 6 मिनट
10.	आईएनएलडी	– 3 मिनट
11.	पीएमके	– 3 मिनट
12.	छोटी पार्टियां (सबको एक साथ मिलाकर)	– 17 मिनट
13.	निर्दलीय/एक सदस्यीय पार्टियां	– 11 मिनट

(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदुर) : महोदय, तमिलनाडु सरकार ने पोटा का दुरुपयोग किया है...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके महत्व को समझता हूं। इसलिए कृपया आप मेरे अनुरोध को स्वीकार कीजिए और कल तक इंतजार कीजिए।

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे समय सीमा का पालन करें जिससे कि चर्चा निर्धारित समय के अन्दर समाप्त हो सके।

अब चर्चा की शुरूआत श्री शिवराज पाटील करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : वे आज नहीं, कल होंगे।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

महोदय, आतंकवादियों ने एक बार फिर हमला किया है और 28 निर्दोष लोगों की जानें...

श्री प्रकाश परांजपे : हिन्दुओं की...

श्री शिवराज वि. पाटील : भारतीयों की जानें गई हैं। यही तो बात है जिससे देश के लिए परेशानी खड़ी होती है। इस तरह की टिप्पणियों से हमें बचना होगा। महोदय, कासिमपुरा या राजीव नगर में कौन मारे गए हैं। इस जगह को राजीव नगर कहा जाता है क्योंकि राजीव जी ने वहां के लोगों को राहत दी थी। इसलिए लोगों ने उस स्थान का नाम राजीव नगर दे दिया था। कौन मारे गए हैं? हम यह नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम मारे गए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि हिन्दू मारे गए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि बौद्ध लोग मारे गए हैं या हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि ईसाई मारे गए हैं। हम यह कह रहे हैं कि भारतीय मारे गए हैं और हम लोग इस मुद्दे पर इसी दृष्टिकोण से विचार करें।

हमारे लिए इस बात का जायजा लेने का यही अवसर है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और आरोप-प्रत्यारोप या चर्चा में प्रतिद्वंद्विता करने की कोशिश की बजाय कंधे-से-कंधे मिलाकर हमें समस्या का हल ढूंढ़ना चाहिए। राजीव नगर में जो कुछ हुआ है वह एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है और मुझे विश्वास है कि हम सभी इसकी भर्त्सना करते हैं। पूरा देश इसकी भर्त्सना करता है। जो यहां मारे गए हैं वे भारतीय हैं और हमें इसके लिए अफसोस है। हम उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हैं।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

ऐसा कहा जाता है कि जो लोग खड़े–खड़े देखते रहते हैं वे भी देश की सेवा करते हैं। जो भारतीय नागरिक इस तरह मारे जाते हैं वे भी देश की सेवा कर रहे हैं। जो मारे गए हैं वे कोई शत्रु नहीं थे और न ही हत्यारों से उनकी कोई शत्रुता थी, तथापि उनकी हत्या कर दी गई। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी और इसीलिए मेरे विचार में वे लोग शहीद हुए हैं और हमें उनके बलिदान और याद को सलाम करना चाहिए।

इस कायरतापूर्ण कार्रवाई से प्रभावित हुए लोगों या उनके सगे–संबंधियों और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों को सांत्वना किसी भी शब्द से नहीं दी जा सकती है। कितना भी मुआवजा दे दिया जाए फिर भी उनके नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तथापि, यह जरूरी है कि हम उनके इस दुःख में हाथ बटाएं और उनकी यथासंभव सहायता करें। हमें शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों की सहायता कंजूसी से या नौकरशाही तरीके से नहीं करनी चाहिए। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और कानूनी तरीके से बाल की खाल नहीं निकाली जानी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता।

जिन्हें वास्तव में नुकसान हुआ है उनकी मदद की जानी चाहिए। यह मदद न केवल प्रभावित लोगों को दी जानी चाहिए, बल्कि उन लोगों को भी दी जानी चाहिए जो सीमावर्ती इलाकों में रह रहे हैं। जहां कहीं मुठभेड़ होती है, तो गोली–बारी होती है, वहां के लोग भाग खड़े होते हैं और उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों से दूर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें भी मदद की जरूरत है और वह मदद राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से भी दी जानी चाहिए। हम माननीय उप–प्रधान मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे हमें बताएं कि उन लोगों के सहायतार्थ अब तक क्या किया गया है। इन लोगों की सहायता के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं? यह सहायता पर्याप्त होनी चाहिए, कंजूसी से नहीं। इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। यह तत्काल होनी चाहिए और कम से कम प्रभावित लोगों की भावनाओं पर मरहम–पट्टी के लिए तो यह निश्चित रूप से पर्याप्त होनी चाहिए।

महोदय, सीमा–पार से चलाए जा रहे आतंकवाद के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। यह बात सभा के अंदर और सभा के बाहर भी कही गई है। पाकिस्तान कहता है कि वह आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए विश्व के साथ सहयोग करने जा रहा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग वह तब करता है जब वह विश्व के शक्तिशाली देशों से बात करता है। किन्तु, उन आतंकवादियों के बारे में जो सीमा–पार से भारतीय सीमा में घुस आते हैं, पाकिस्तानी नेताओं का कहना है कि वे स्वतंत्रता सेनानी (जेहादी) हैं। ये दुमुंही बातें हैं। यह पाकिस्तान के हित में नहीं हो सकता है। इससे आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता है। निश्चित रूप से यह भारत के हित में भी अच्छा नहीं है और इससे पूरे विश्व में आतंकवाद पर नियंत्रण में मदद नहीं मिल सकती है। इसे स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को समझना चाहिए। यदि पाकिस्तान इस बात को नहीं समझ रहा है, तो वह गलती कर रहा है।

भारत एकजुट है। विपक्ष की नेता ने सभा में कहा था कि विपक्ष में बैठी पार्टियां आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए सरकार का समर्थन करेंगी, चाहे सरकार जैसे भी इससे निपटना चाहती हो। यह बिना शर्त आश्वासन है, किन्तु सरकार को विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा और तदनुसार कार्रवाई करनी होगी। आज भी मैं इस बात को दुहराना चाहूंगा कि विपक्ष की नेता ने कहा है कि विपक्ष में बैठे सदस्य भारत में व्याप्त आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार का निश्चित रूप से समर्थन करेंगे, चाहे सरकार जैसे भी इससे निपटना चाहती हो, किन्तु इसे विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम बिलकुल यही कह रहे हैं। यदि पाकिस्तान यह सोचता है कि वह इस तरीके से भारत में आतंकवाद फैलाकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकेगा, तो वह गलतफहमी में है। यदि किसी युद्ध से इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है, तो छोटे–मोटे युद्ध या आतंकवाद से भी इसे हासिल नहीं किया जा सकता और निश्चित तौर पर भारत कभी यह लक्ष्य हासिल नहीं करने देगा। पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। विश्व के अन्य देशों को भी यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि भारत आतंकवाद से लड़ने, भारत की संप्रभुता की रक्षा करने, भारत के नागरिकों की रक्षा करने, भारत की परिसंपत्ति को बचाने, भारत की प्रतिष्ठा और उसके मूल्यों की रक्षा करने में एकजुट है। पाकिस्तान को यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए।

इसके बाद अब कृपया मुझे उन आशंकाओं को व्यक्त करने की अनुमति दी जाए जो मेरे दिमाग में व्याप्त हैं। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हमें यह बताएगी कि कैसे

वह आतंकवाद पर नियंत्रण करने जा रही है। पिछले वाद–विवाद में माननीय उप–प्रधान मंत्री ने कहा था कि इस मुद्दे पर सभा में तीस से अधिक बार चर्चा हो चुकी है।

बावजूद इसके देश में आतंकवाद जारी है और हम विपक्ष में बैठे लोग आतंकवाद पर काबू पाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण और उसकी नीति को नहीं समझ पाए हैं। कम से कम हम लोग आज इस चर्चा में यह तो जानें कि सरकार उस आतंकवाद से कैसे निपटना चाहती है जो भारत में हमारे लिए घोर पीड़ा का कारण बना हुआ है। हम यह जानना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहेंगे कि वह हमें इसका खुलासा करे। अब जो कुछ भी बताया जा रहा है, मेरी भावना किसी का अपमान करने की नहीं है, संभवतः यह एक कौशल है जिसका उपयोग कभी–कभार सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय मंत्री करते हैं, यदि वे कुछ बताना नहीं चाहते हैं तो वे जो कुछ हुआ उसके तथ्यों का वर्णन करने में लग जाते हैं और वे ऐसा आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों के बारे में बताए बिना करते हैं। यही कार्य द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले महान् नेताओं ने किया था। संभवतः, अब भी ऐसा ही किया जा रहा है, लेकिन इससे सत्ता पक्ष का कोई भला होने वाला नहीं है। इससे संसद का भला होने वाला नहीं है, और इससे देश का भला होने वाला नहीं है। लोगों को इस बारे में पता चलना चाहिए कि सरकार इस संबंध में क्या करना चाहती है।

आज मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम यह जानें कि आपकी नीति क्या है; यदि हमें इस बारे में नहीं बताया जा सकता है तो आप हमें न बताएं। यदि आप इसके बारे में हमें परामर्शदात्री समिति की बैठक में इसे स्पष्ट कर सकते हैं तो आप हमें यह बात परामर्शदात्री समिति की बैठक में बताएं। यदि आप इसे स्थायी समिति की बैठक में बताना चाहते हैं तो आप हमें इस बारे में स्थायी समिति की बैठक में बताएं। यदि आप यह कार्य स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति में नहीं कर सकते तो आप यह कार्य दलों के नेताओं के बीच करें। यदि आप स्वयं को ऐसा करने की भी अनुमति नहीं दे सकते तो आप राष्ट्रीय विकास परिषद में इस बारे में बताएं अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में बताएं। यदि आप इनके बीच भी बात स्पष्ट नहीं करते, तो आप पूरे देश को अंधेरे में रख रहे हैं, और यदि आप पूरे देश को अंधेरे में रख रहे हैं तो आप लोगों को, संसद सदस्यों को, हमारे रक्षा बलों को, पुलिस बल को इस आतंकवाद से लड़ने की शक्ति प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए, हम आपसे स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं, हम इस तरह की कोई व्याख्या सुनना नहीं चाहते कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अथवा कुछ और हुआ। हम नहीं चाहते कि हमें कहानियां सुनाई जाएं। हम मीडिया और समाचार–पत्रों में इन कहानियों को पढ़ चुके हैं। हम नहीं चाहते कि उनकी पुनरावृत्ति हो। यदि उन्हें सभा पटल पर दोहराया जाता है तो इससे हम प्रबुद्ध बनने वाले नहीं हैं। हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि समाचार–पत्रों में क्या नहीं कहा गया है। मैं आशा करता हूं कि यहां घटने वाली आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के बारे में कुछ प्रकाश डालकर सरकार हमें कृतार्थ करेगी, और इन आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने और उन पर काबू पाने के लिए उसके द्वारा खोजे गए समाधानों के संबंध में भी बताएगी।

अब, भारत सरकार की नीति क्या है, हो सकता है उसे हमने गलत समझा हो? यदि इसे हमने गलत ढंग से समझा है तो कृपया आप हमें बताएं कि हम कहां गलती कर रहे हैं। जब कभी इस प्रकार की घटना होती है, तो मीडिया में क्या प्रकाशित होता है, मंत्रियों और सरकार के उत्तरदायी सदस्यों द्वारा क्या वक्तव्य दिए जाते हैं : "कि पाकिस्तान उत्तरदायी है। यह पाकिस्तान की वजह से हो रहा है।" हम सभी यह कहते हैं कि यह पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, हमें पाकिस्तान पर आरोप लगाना चाहिए। हमने पाकिस्तान की निंदा की है और हम पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों के लिए उसकी निंदा करने से परहेज नहीं करेंगे। और फिर भी, क्या इससे इस समस्या का समाधान होने वाला है? केवल पाकिस्तान पर आरोप लगा देने से क्या आप इस समस्यां का समाधान कर लेंगे? यह कहने का क्या उद्देश्य है कि वे ही आतंकवादियों को सीमा–पार भेज रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य है कि हम इस बात को समझें। आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? आप उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने उनके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश को रोकने के लिए क्या किया है? आपने क्या किया है? हम आपसे यह जानना चाहते हैं। बार–बार यह दोहराकर कि 'पाकिस्तान उत्तरदायी है, पाकिस्तान उत्तरदायी है, पाकिस्तान उत्तरदायी है', इससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

पिछली बहस में उप–प्रधान मंत्री ने बिलकुल ठीक कहा था कि हम इस समस्या का समाधान स्वयं करेंगे। हम नहीं जानते कि वे इस समस्या का समाधान किस तरह करना चाहते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वे इस समस्या का समाधान किस तरह करना चाहते हैं। कम से कम, जितना संभव हो उतनी ही बात हमें इस बारे में बताएं कि आप इस समस्या का समाधान किस प्रकार करना चाहते हैं और पाकिस्तान के विरुद्ध बार–बार एक ही बात न दोहराएं क्योंकि इससे हमारा भला होने वाला नहीं है और यह एक सुस्थापित तथ्य है।

पाकिस्तान के विरुद्ध बार–बार ऐसा तर्क देकर बातों को न दोहराएं। इससे हम कोई नयी बात कहने नहीं जा रहे हैं। कोई नये तथ्य नहीं हैं। इससे हमें कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार कर लिया गया है। यह बात न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में स्वीकार कर ली गई है।

महोदय, सरकार ने दूसरा जो कार्य किया है वह यह है कि वह विश्व समुदाय से कहती है कि 'देखो, वे ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं'। यह ऐसा है जैसे एक बालक अपनी माता अथवा बड़े भाई के पास जाकर कहता है, 'देखो वह मुझे तंग कर रहा है।' हर समय यही बताते रहते हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। हां, मैं यह नहीं समझता कि हमें विश्व समुदाय को वास्तव में हो रही घटनाओं के संबंध में नहीं बताना चाहिए। लेकिन उन्हें इस बारे में एक बार, दो बार और तीन बार बताना पर्याप्त है। विश्व समुदाय इसे जानता है। लेकिन विश्व में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि विश्व के इस भाग में क्या हो रहा है। दूसरे देशों में जाकर और उन्हें यह बताना कि वे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं का कोई औचित्य नहीं है। हम उन पर इस तरह दबाव बनाना चाहिए कि वे हमारे विरुद्ध कार्य न करें। एक तरह से हम उन पर निर्भर हैं और इसीलिए हम बार–बार ऐसा कर रहे हैं और इस प्रकार हम अपनी कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। हम विश्व को यह बता रहे हैं कि 'देखो, हम कहीं न कहीं कमजोरी से ग्रस्त हैं और इसीलिए आपको हमारी मदद के लिए आना होगा'। इस प्रकार का रवैया अपनाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। एक सीमा से आगे विश्व शक्तियों के समक्ष यह दोहराना आवश्यक नहीं है कि आप हमारी सहायता के लिए आगे आएं। यह आवश्यक नहीं है।

महोदय, सरकार की तीसरी नीति क्या रही है? सरकार इस समस्या का समाधान और बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने के प्रयास करती है। हम इसका स्वागत करते हैं। हमने विगत समय में इसका स्वागत किया था, हम इसका अब भी स्वागत करते हैं और भविष्य में भी इसका स्वागत करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तनाव कम करने, समझदारी पैदा करने और कुछ सीमा तक इस समस्या का समाधान करने के लिए बातचीत करना आवश्यक होगा। जब हमारे देश का राष्ट्र प्रमुख किसी अन्य देश में जाता है अथवा उस देश का राष्ट्र प्रमुख हमारे देश में आता है, तो इसे सफल बनाने अथवा कम से कम एक कदम आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए क्या तैयारी करना अनिवार्य नहीं है? क्या यह आवश्यक नहीं है? अथवा, क्या यह आवश्यक है? क्या हमने ऐसा किया? हमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए हमारे प्रधान मंत्री की पाकिस्तान यात्रा के कोई परिणाम नहीं निकले और पाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का भी कोई परिणाम नहीं निकला। इसके विपरीत, इससे कड़वाहट उत्पन्न हुई। अब, इस प्रकार की बातचीत, हमारे पड़ोसी के साथ बातचीत के इस प्रकार के प्रयोग के तरीके से विपरीत परिणाम निकलेंगे। इससे हमें कोई सहायता मिलने वाली नहीं है। बातचीत अनिवार्य है। लेकिन इसे ढंग से किया जाना चाहिए। इसे पूरी तैयारी के साथ किया जाना चाहिए। इसे इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे भारत को, पाकिस्तान को, विश्व को तनाव कम करने में वस्तुतः मदद मिले। इसे कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए। यदि इसे कुशलतापूर्वक नहीं किया जाता है तो यदि सरकार पर नहीं तो फिर किस पर आरोप लगाया जाएगा?

महोदय, हम सभा में पूरी जिम्मेदारी और विनम्रता के साथ यह कहना चाहते हैं कि इस संबंध में जो भी कार्य किया गया है वह वास्तव में बहुत कुशलतापूर्वक नहीं किया गया है। सीमा पर सेना भेजना कोई उचित काम न था। बातचीत के लिए पाकिस्तान को कुशलतापूर्वक निमन्त्रण नहीं दिया गया और पाकिस्तान से राजनयिक संबंध तोड़ना जिसके सहारे हम पाकिस्तान से बातचीत कर सकते थे, एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं था। इससे ऐसा वातावरण तैयार नहीं हो सका जिसमें हम अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाते। इन पहलुओं की जांच बहुत सावधानीपूर्वक करें और फिर सरकार हमें यह बताए कि सरकार किस प्रकार से इस राजनयिक कूटनीति का उपयोग करना चाहेगी। मैं सीमा पर

तनाव कम करने के लिए हथियार की वकालत नहीं करूंगा। यह एक अति है।

महोदय, दूसरी अति क्या है? हम सरकार के साथ हैं और संसद की रक्षा के लिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए और देश के मान–सम्मान की रक्षा के लिए हम सरकार के साथ हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका उत्तर है क्या? क्या आतंकवाद को रोकने का उत्तर यही है कि सुरक्षा बलों को सीमा पर भेजा जाए और दूसरे देशों की फौजों के सामने उन्हें महीनों तक खड़ा रखा जाए? क्या इससे सहायता मिलेगी? या, क्या इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है जिससे कि युद्ध भड़काया जा सके और जिसमें युद्ध की सम्भावना बने जब दोनों देशों की सेनाएं एक–दूसरे के आमने–सामने खड़ी हों?

क्या यह आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सैनिक रणनीति का उपयोग करना उचित तरीका है? वास्तविक प्रश्न यह है। आप दूसरे देश की ओर भागने अथवा दूसरे देश को बातचीत के लिए बुलाने की एक अति से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु अपने सुरक्षा बलों के उपयोग की दूसरी अति के बीच झूल रहे हैं। यह तो हथौड़ी से मक्खी मारने जैसी बात है। आप हथौड़ा तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप मक्खी नहीं मार सकते। हमारे सुरक्षा बल सीमा पर खड़े हैं। वे युद्ध लड़ने के लिए होते हैं। समुद्र में पोत होंगे; आकाश में विमान होंगे। आतंकवादी गांवों में छिपे होंगे; वे वनों में छिपे होंगे, वे जिलों और तालुका में ऐसे स्थानों पर छिपे होंगे जहां रक्षा बल आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे। यह काम न तो रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाना है और न ही सुरक्षा बलों द्वारा; यह कार्य तो पुलिस बल, गृह मंत्रालय और उप–प्रधान मंत्री द्वारा किया जाना है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : ...जो पूरी तरह विफल हो गए।

श्री शिवराज वि. पाटील : अब हम पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। हम अन्य देशों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं। हम आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय पर डाल रहे हैं। क्या यह सही नीति है? यदि सुरक्षा बल एक–दूसरे के सामने खड़े रहे तो क्या इससे समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर और खतरनाक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी?

हम सरकार से युद्ध से दूर भागने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम युद्ध से नहीं डरते। लेकिन हम निश्चित रूप से सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं कि युद्ध को न्यौता न दिया जाए, युद्ध को गले न लगाया जाए, बेकार में युद्ध आरंभ न किया जाए। इस संबंध में हमारा स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। केवल तभी आप युद्ध आरंभ कर सकते हैं। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के, बिना उकसाये यदि आप आवेश में आकर युद्ध भड़काते हैं तो आप देश में युद्ध के भावोन्माद को और अधिक भड़का रहे हैं जिससे किसी भी प्रकार का भला होने वाला नहीं है।

आज देश में क्या हो रहा है? देश में हम देखते हैं कि युद्ध भावोन्माद पैदा किया गया। प्रत्येक व्यक्ति यह कह रहा था कि 30 लोग मारे गए हैं, इसलिए हमें युद्ध कर लेना चाहिए, जैसे कि युद्ध में 30 से कम लोग मरेंगे और इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि युद्ध आरंभ होता है तो अधिक लोग मारे जाएंगे। हम मौत से नहीं डरते, हम युद्ध से नहीं डरते। लेकिन मूर्खतापूर्ण ढंग से युद्ध को गले लगाना नहीं चाहते, वो भी बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के। हमें यह बात समझनी चाहिए।

संभवतः इस संबंध में आपने कुछ संयम बरता है और यह प्रशंसनीय है। एक ओर हम युद्ध से भयभीत नहीं हैं और दूसरी ओर हमें बहुत जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से इस कूटनीति का उपयोग करना होगा। इन सुरक्षा बलों को, लाखों सुरक्षा बलों को वहां रखने का क्या उद्देश्य है, कुछ लोग कहते हैं तीन लाख और कुछ लोग कहते हैं छः लाख सुरक्षा बल सीमा पर हर समय बहुत सतर्क होकर खड़े रहते हैं। क्या इससे सेना का हौसला, उसका आत्मबल बढ़ेगा? इसे समझें। यदि आप हमें समझा दें तो हम समझ सकेंगे, मान लेंगे। लेकिन हमें यह तो समझ में आए कि इससे क्या मदद मिलेगी? क्या इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाएगी जिससे कि युद्ध भड़क सकता है और एक बार यदि ऐसा हो गया, तो फिर स्थिति कुछ भी हो सकती है?

मैं पुनः कह रहा हूं कि हम युद्ध से नहीं डरते। लेकिन हम अनिच्छापूर्वक, अनावश्यक रूप से युद्ध के पक्ष में नहीं

[श्री शिवराज वि. पाटील]

हैं। लक्ष्यहीन लड़ाई के पक्ष में हम नहीं हैं। लेकिन यही हो रहा है। क्या यही सरकार की नीति है? वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं, सीमा पर फौजें इसलिए भेज रहे हैं, दुनिया की महाशक्तियों से शिकायत इसलिए कर रहे हैं और पाकिस्तान पर इसलिए दोषारोपण कर रहे हैं—कि अपनी जिम्मेदारी को दूसरों के कंधे पर डाल सकें? कभी–कभी तो ऐसा ही लगने लगता है।

कभी–कभी तो यही लगता है कि अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश में, आतंकवाद पर काबू पाने में विफलता को ढांकने की कोशिश में, सरकार पाकिस्तान पर कुछ अधिक ही मुखर होकर दोषारोपण करने लगती है और विश्वशक्तियों से जब–तब शिकायत करने लगती है और उपलब्ध फौजों का उपयोग इस प्रकार किया जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी जाए, सही जगह से गलत जगह डाल दी जाए। हमें तो यही महसूस होने लगा है। यदि हमारी सोच गलत है, तो सरकार हमें माफ करे ! हमें यह समझाए कि हम क्योंकर गलत हैं। हम इसे समझें। इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण की अपेक्षा है और उम्मीद है कि वह यह स्पष्ट करेगी।

आपकी सोच क्या है? अब युद्धकला निपुण एक खास रणनीतिकारों द्वारा एक नीति तैयार की गई है—और मेरा विचार है कि यह वही रणनीति है जिसे अब से 5000 वर्ष पूर्व से अपनाया जाता रहा है क्योंकि इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि भूतकाल में भी इस पर अमल होता था। कमजोर देश खुल्लमखुल्ला युद्ध नहीं करते, बल्कि वे चोट करके भाग जाने की नीति अपनाते हैं या आतंकवादी गतिविधि करके पड़ोसी ताकतवर देशों की शक्ति को निर्बल करने का प्रयास करते हैं। यदि पूर्ण युद्ध नहीं लड़ा जाए और एक दिन की लड़ाई में जितना व्यय होगा—उतनी रकम आतंकवादी गतिविधियों में लगा दी जाए, तो अपेक्षाकृत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार की रणनीति पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने अपनाई और इसी को भारत में कार्यान्वित किया जा रहा है।

उनकी यह रणनीति है, और आप अपनी यही नीति बनाए हुए हैं कि इसका मुकाबला प्रति रक्षाबलों, युद्धक पोतों और नौकाओं तथा सेना को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करके तथा वायुसेना के विमान भेजकर किया जा सकता है और उनको तबाह किया जा सकता है। यह सही नहीं है। यह सोच की कमी है, रणनीति की चूक है, नीति–निर्धारण का अभाव है।

सभा में कोई भी यह पूछ सकता है कि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अब क्या किया जाए? हम हमेशा से कहते रहे हैं कि यदि आपको वास्तव में आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाना है तो आपको अपने पुलिसबल को मजबूत करना होगा। हमसे बार–बार यही कहा जाता है—मैंने इसे सलाहकार समिति में भी कहा था और माननीय उप–प्रधान मंत्री भी वहां उपस्थित थे—कि इस मुद्दे पर सोचने का वक्त ही नहीं है! मैंने वहां भी यह बात कही थी और पहले भी कहा था कि भारत में हम युद्ध की मार नहीं झेलने जा रहे, बल्कि आतंकवादी हरकतों की मार झेलने जा रहे हैं। एक नहीं कई बार, मैंने इस सदन में यह बात कही थी लेकिन मेरे लिए बड़े दुःख की बात है कि मैंने जो कहा था, वही हो रहा है, मुझे इसका गहरा अफसोस है। मुझे जो लगा, मैंने वही कहा। पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकता, मेरा दल कोई कार्रवाई नहीं कर सकता और न ही हमारी नेता कोई कार्रवाई कर सकती हैं क्योंकि हम तो प्रतिपक्ष में बैठे हैं ! कार्रवाई तो आपको ही करनी है; और यदि आपने नहीं की, तो कम से कम हमें यह पूछने का हक तो है कि आपने किया क्या है और क्या करने का इरादा रखते हैं?

हम कहते रहे हैं कि पुलिस बल को सबल बनाने की योजना तैयार की जाए। उत्तर में हमसे जो पहली बात कही जाती है वह यह है, "पुलिस बल तो राज्य सरकारों के अधीन है, हम क्या कर सकते हैं?" यह गलत नहीं है। सही है कि पुलिस बल पर राज्य सरकारों का नियंत्रण रहता है। किंतु, केन्द्रीय पुलिस बल भी तो है। आतंकवादी हरकतों और अन्य आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य जगहों पर तो इस केन्द्रीय पुलिस बल की तैनाती ही की जाती है। केन्द्र सरकार ने अपने अधीनस्थ पुलिस बल को सबल बनाने के लिए क्या किया? हमें यह समझना चाहिए, क्योंकि यह पुलिस बल, प्रतिरक्षा बलों की अपेक्षा इस मामले में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। आतंकवाद पर काबू वायु सैनिकों, नौसैनिकों, पोतचालकों, सेनाकर्मियों के माध्यम से नहीं हो पाएगा। पुलिस बल ही इसे प्रभावपूर्ण ढंग से काबू कर पाएगा। इस मामले में क्या किया गया है—हमें बताइए।

हमने पूछा कि राज्य सरकारें इस मामले में क्या कर रही हैं। हमसे कहा गया, "हम राज्य सरकारों को नियंत्रित नहीं कर सकते।" मुझे नहीं लगता कि किसी भी जिम्मेदार सरकार को इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए। यदि केन्द्र सरकार उन्हें पैसा देने को तैयार रहे, उन्हें काम का तरीका सुझाए, हथिया、 उपलब्ध कराए; तो वे जरूर इसका लाभ उठाना चाहेंगे और अपने पुलिस बल को सशक्त करना चाहेंगे—और, फिर आप और अधिक सफलतापूर्वक आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पा सकते हैं। क्या आपने ऐसा किया?

हमसे कहा जा रहा है कि एक योजना बनाई गई है। हमसे यह भी कहा गया है कि "हम इस पर अमल कर रहे हैं।" लेकिन इस योजना और इस पर अमल की जानकारी हमें कब दी जाएगी? कहा गया है कि इसमें जो भी पैसा लगा है या दिया गया है, वह केवल एक हजार या दो हजार करोड़ रुपये है। देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को आप केवल एक-दो हजार करोड़ रुपये की धनराशि की सहायता से नियंत्रित करना चाह रहे हैं। जो कि तीन-चार साल में केवल पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर ही खर्च हो जाएगी? क्या यह सही नीति है? क्या यह सही तरीका है? रक्षा मंत्रालय में तो आप खर्चा कर रहे हैं। खर्चा तो होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि आप रक्षा मंत्रालय के बजट में कटौती कीजिए। लेकिन, मेरा कहना यह है कि पुलिस बलों को आधुनिक बनाने के लिए आपको और अधिक धनराशि उपलब्ध करानी पड़ेगी।

अभी आपकी पुलिस थ्री-नॉट-थ्री राइफल लेकर चलती है; और यह राइफल डण्डा भी नहीं है! इससे तो अच्छा, यदि आप हाथ में लाठी रखें तो ज्यादा ठीक है। एक बार इस थ्री-नॉट-थ्री राइफल की कारतूस-मैगजीन खाली हो जाए और जब तक वह पुलिसकर्मी उसमें फिर से कारतूस लोड करेगा, तब तक तो ए.के.-47 स्वचालित राइफल से लैस आतंकवादी उसे मार ही देंगे ! पुलिस बल का आधुनिकीकरण करने और उन्हें बेहतर हथियार देने के लिए क्या किया जा रहा है? रक्षा मंत्रालय के पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिन्हें वह किसी साधारण युद्ध में शायद उपयोग न करना चाहे। उसका उद्देश्य संभवतः इन बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों का उपयोग परमाणु हमले, रासायनिक अस्त्रों या जैव-आक्रमण विषाणुओं आदि के माध्यम से किए गए हमले—के खिलाफ करने का हो। अभी इनका उपयोग करने का विचार नहीं है, तो क्यों नहीं इन कवचधारी गाड़ियों को पुलिस बलों को उपलब्ध करा दिया जाता ? इस पर तो एक पैसा भी खर्च नहीं होगा! इनका उपयोग किया जाए। सरकार में इस तरह का कोई विचार क्यों नहीं किया जा रहा? तय है कि रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय तो इसे नहीं करेगा, सरकार ही ऐसा करेगी। ऐसा क्यों नहीं किया जाता?

फिर, पुलिस बलों के पास संचार-सुविधाएं भी नहीं हैं, जबकि आतंकवादी अत्याधुनिक संचार-उपकरणों से लैस रहते हैं; इसके कारण वे एक-दूसरे के साथ लगातार संपर्क करते रहते हैं; कहीं से भी आकर कहीं भी आक्रमण कर देते हैं और तत्काल वहां से निकल भागते हैं। पुलिस को भी ऐसी संचार-सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध कराई जातीं? उनके पास हैलिकॉप्टर्स नहीं हैं; विमान नहीं हैं; बख्तरबंद गाड़ियां नहीं हैं, स्वचालित हथियार नहीं हैं; और न ही उनका कोई आसूचना तंत्र है!

हमारे बलों की सबसे बड़ी कमजोरी है—पर्याप्त आसूचना का अभाव। राष्ट्रीय सुरक्षा की कड़ी में यही सबसे कमजोर कड़ी है। इस संबंध में क्या किया गया है? यदि आप यह बता सकें तो कृपया बता दीजिए; यदि हम सभी को बताने की इच्छा न हो तो हमारी नेता को बता दीजिए—हम संतुष्ट हो जाएंगे!

यही सबसे बड़ी कमजोरी है। आसूचना के अभाव में आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि आसूचना उपलब्ध है तो आप इन तत्वों पर अंकुश लगा सकते हैं। अवश्य, हम पाकिस्तान और अन्य देशों से बातचीत करेंगे। किंतु, यदि आत्मनिर्भरता चाहिए—जैसा कि सरकार कहती रहती है कि देश आत्मनिर्भर है और दूसरों के भरोसे नहीं है—तो आसूचना उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन, प्रतिरक्षा बलों के पास यह उपलब्ध नहीं है, न ही पुलिस बलों के पास। इस बारे में क्या किया जा रहा है?

मुझे बताया गया कि इनकी जो योजना है, उस पर अमल होते-होते तीन साल लग जाएंगे। यदि आप तीन साल इंतजार करेंगे, तो आपकी योजना ही पुरानी पड़ जाएगी ! तीन साल में तो कितनी नयी चीजें आ जाएंगी। नये-नये अस्त्र-शस्त्र होंगे, संचार और परिवहन की नयी-नयी सुविधाएं होंगी। आपका काम पुराना पड़ जाएगा! इस तरह की नौकरशाही वाली सोच मत रखिए। यदि आतंकवाद को

[श्री शिवराज वि. पाटील]

अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाला युद्ध मान रहे हैं, तो फिर उससे युद्धस्तर पर ही निपटिए। और यदि आप युद्धस्तर पर ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिए, कि आप बिलकुल विफल हो जाएंगे और फिर वापस संसद में आएंगे; दो–चार–दस बार नहीं सौ बार भी आएंगे, तो भी क्या–फिर बड़ी चतुराई से समझाने लगेंगे–ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम इस पर काबू नहीं पा सके, आप कृपया समझने की कोशिश करें; आदि–आदि। और फिर, यदि हम आलोचना करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप देशभक्त नहीं हैं ! युद्ध हो जाए–हम चर्चा न करें; युद्ध खत्म हो जाए–हम चर्चा न करें; रिपोर्ट आए–चर्चा न करें; नया घटनाक्रम हो–कोई चर्चा न करें !!

लेकिन, कभी–कभी ही ऐसा अवसर मिलता है। महोदय, आपने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अन्यथा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात ही न होती ! प्रधान मंत्री जी राष्ट्रीय सुरक्षा पर चली बहस का उत्तर देवें, हमें काफी खुशी होगी। वे इस सरकार के प्रधान हैं। वे उत्तर दें, हमें खुशी होगी। लेकिन हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा नहीं करते हैं। प्रतिरक्षा बलों का किस तरह उपयोग किया जाए, पुलिस बलों को किस तरह काम में लिया जाए–हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं। फिर, इनका कहना यह होता है कि इसके लिए तो फलां–फलां जिम्मेदार है और हमारा इससे कोई लेना–देना नहीं है ! क्या हम इसी तरह का रवैया रखकर इस देश में आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाएंगे और आतंकवाद नियंत्रण में रख पाएंगे?

मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक यह कह दूं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहते हुए मुझे बड़ा खेद होता है। यदि मैं गलत साबित होऊं तो मुझे बड़ी खुशी रहेगी। लेकिन अंदर से मुझे ऐसा महसूस होता है कि यदि यही रवैया कायम रहा–किसी भी बात को हलके से लेने का रवैया, पूरी तरह से किसी बात को न सोचने का रवैया, भविष्य में क्या होगा–इस पर ध्यान न देने का रवैया, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच सहयोग स्थापित न करने का रवैया, प्रतिरक्षा–बलों और पुलिस बलों के बीच समन्वय न करने का रवैया, देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न एजेंसियों के बीच संयोजन न रखने का रवैया–यदि यही रवैया कायम रहा, तो आप सफल नहीं हो सकेंगे ! मैं पुनः कहता हूं, आप सफल नहीं हो सकेंगे !

यदि आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं और फिर हमसे यह कहते हैं कि ऐसा हो गया है, आपे इसे ऐसा मान लीजिए; और यदि आप नहीं मानते और आलोचना करते हैं, तो आप देशप्रेमी नहीं हैं–यह तो उचति बात नहीं हुई ! हमारा तो मुंह ही बंद हो गया ! क्योंदि हम यदि आलोचना भी करें तो हमसे कहा जाएगा कि आप देशभक्त नहीं हैं ! इसलिए हमारे मुंह बंद हैं। सरकार को इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाना चाहिए।

हमारा मुख्य आरोप यह है कि इस सरकार के पास नीति का अभाव है, दृष्टि का अभाव है और किसी योजना को लागू करने की प्रतिबद्धता का अभाव है। यह सरकार ऐसी मौजूदा योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है जो सही तरीके से तैयार नहीं की गई हैं। जिन्हें बिलकुल नौकरशाही तरीके से और विलंबित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। वे समय पर परिणाम नहीं देने वाली हैं और वे सरकार को और हम सभी देशवासियों को आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम कसने और अंकुश लगाने में सहायता नहीं पहुंचाने वाली हैं।

इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया कुछ कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। हम आप पर यह आरोप लगाते हैं और आपसे इन सभी बातों का उत्तर देने का अनुरोध करते हैं।

महोदय, इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं जिसके दो भाग हैं। एक भाग जैसा कि मैं समझता हूं यह है कि इस कायरतापूर्ण कार्रवाई के प्रति हम सभी रोष महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार की बार–बार होने वाली घटनाओं की न सिर्फ यहां हम चिंता कर रहे हैं बल्कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति इसकी चिंता कर रहा है। स्थगन प्रस्ताव के दूसरे भाग में कहा गया है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और इसी पर मैं मुख्य रूप से चर्चा को केन्द्रित करने जा रहा हूं।

जम्मू के बाहरी क्षेत्र में स्थित राजीव नगर में हुई हत्याओं को एक नमूने के रूप में देखना होगा। हाल ही में किसी समुदाय अथवा किसी क्षेत्र को आतंकित करने के लिए सभी आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनाया जाने वाला सुपरिचित तरीका है। हाल ही में हमने कालूचक की घटना देखी जो जम्मू के बाहरी इलाके में एक किनारे पर स्थित है और दूसरी ओर राजीव नगर है जो जम्मू के बाहरी इलाके में दूसरे किनारे पर स्थित है। सेना सीमाओं पर तैनात है। डोडा में एक विशेष जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। अतः इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आतंकवादी आलान लक्ष्यों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। राजीव नगर में चार दिनों तक बिजली नहीं थी। यह जम्मू के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। इसके एक ओर जंगल हैं और दूसरी ओर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र हैं। मैं इस क्षेत्र को जानता हूं क्योंकि रातनूचक में मैंने एक ब्रिगेड की कमान संभाली थी और जो यूनिट कालूचक की हाल की घटना में प्रभावित हुई थी वह एक समय मेरी कमान में थी। इसलिए इस क्षेत्र के भूगोल को मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस बात को समझना होगा कि आतंकवादियों का प्रयास होगा आसान लक्ष्यों पर नजर रखना, इनका पता लगाना, लोगों की हत्या करना और आतंक फैलाना। हमें इस बात को समझना चाहिए।

इस प्रकार की घटनाओं के लिए यह कोई क्षमायाचना करना अथवा उनका स्पष्टीकरण देना नहीं है। ऐसी घटनाओं के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। हमें इसे पूरी तरह रोकने के लिए सक्षम बनना होगा, साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि यदि इसी तरह की घटनाएं अंधाधुंध सभी जगहों पर होती हैं तब हमें इससे कुछ सबक सीखना होगा। मेरे परम आदरणीय मित्र शिवराज जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत सरकार की नीति क्या है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि एक अत्यंत ही सशक्त भाषण दिया गया और जिसका उत्तर माननीय गृह मंत्री देंगे। एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि यहां हमारी नीति प्रत्येक घटना पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने की नहीं होनी चाहिए। हमारी नीति प्रतिक्रियात्मक नीति नहीं हो सकती। यह सक्रिय नीति होनी चाहिए। हम चाहे अपनी नीति जो भी चुनें, वह प्रत्येक बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की नहीं हो सकती।

अतः इस संदर्भ में इस प्रकार का स्थगन प्रस्ताव लाना कोई मायने नहीं रखता। यह उचित नहीं है। यह कोई विषय नहीं है। यदि हम प्रत्येक घटना पर सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे और स्थगन प्रस्ताव लाते रहे तो मैं नहीं समझता कि यह उचित है। हम प्रत्येक घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। यह हमारी नीति नहीं हो सकती है। हमें कार्रवाई करनी होगी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : इसके लिए बधाई का प्रस्ताव लाएं. कांग्रेचुलेशन रैजोल्यूशन लाएं?

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैं आपसे रिएक्ट करने लगूं तो वह भी गलत है। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

लेकिन निश्चित रूप से हर समय किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना हमारी नीति नहीं हो सकती। मैं यही बात कहना चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : तब आप वहां क्यों गए?

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : यह प्रतिक्रिया नहीं है। यह सरकार की कार्रवाई है। यह प्रतिक्रिया के अंतर्गत नहीं आ सकती।

डोडा और कालूचक में नरसंहार, रघुनाथ मंदिर पर हमला और अब राजीव नगर में हमला ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे मस्तिष्क तक कुछ संकेत जाना चाहिए और इसमें कुछ खतरे की घंटी बजनी चाहिए कि अब आतंकवादी कतिपय क्षेत्रों और वर्गों को निशाना बना रहे हैं जिनको वे पहले ज्यादा निशाना नहीं बना रहे थे। इस बात पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। एक और बात पर चर्चा की गई कि हम यह क्यों दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान सीमा-पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए है। ऐसा हम बार-बार क्यों कह रहे हैं? मैं आज इसे कार्यवाही-वृत्तांत में दर्ज कराना चाहूंगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले हमने ऐसा बार-बार नहीं कहा और यह चर्चा का विषय नहीं बना। यह पहली बार है जब सीमा-पार से चलाया जाने वाला आतंकवाद चर्चा का एक विषय बना है और इसे चर्चा का विषय बनने के लिए आपको इसे बार-बार दोहराना होगा। सीमा-पार से चलाया

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

जाने वाला आतकवाद दो वर्ष अथवा तीन वर्ष पहले चर्चा का विषय नहीं था। इसे बार-बार दोहराना होगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : राजग सरकार सीमा-पार से चलाया जाने वाला आतंकवाद नामक विषय को तैयार करने में अब सक्षम हुई है?

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : आप लाहौर घोषणा में सीमा-पार से चलाए जाने वाले आतंकवाद का उल्लेख करना भूल गए। इसके बारे में 1990 से बात कर रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं आपने इसे अभी सुना है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया चर्चा जारी रखें। आपको हर किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : दूसरी बात यह समझने की आवश्यकता है कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत होगी। यह एकल बिन्दु केन्द्रित नीति नहीं हो सकती। यह बार-बार पूछा गया है। इस संदर्भ में यह कहा गया है कि कतिपय विसंगतियां हैं और कतिपय विरोधाभासी बातें हैं सेना सीमा पर है तथा सुरक्षा बल, अर्ध-सैनिक बल, पुलिस बल सीमा के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इस तथ्य को कि ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं एक अलग संदर्भ में समझने की आवश्यकता है और वह यही है। प्रतिदिन आतंकवाद के स्तर और आतंकवादियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इसमें सुधार होगा। उन्हें बेहतर हथियार और बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। अतः विगत दिनों में आतंकवादी हमलों में आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति अथवा दो व्यक्ति मारे गए। लेकिन अब हम यह सुन रहे हैं कि 17 व्यक्ति अथवा 29 व्यक्ति मारे गए। इसलिए आतंकवाद के स्तर और उनकी कार्य-प्रणाली निश्चित रूप से दिन-प्रतिदिन परिष्कृत हो रही है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं तब हमें एक अन्य बात भी ध्यान में रखनी होगी कि कोई विशेष मतभेद नहीं हो सकता कि यहां सशस्त्र सेना कार्रवाई करेगी, यहां सेना कार्रवाई करेगी, यहां अर्ध-सैनिक बल कार्रवाई करेंगे और यहां केन्द्रीय पुलिस बल कार्रवाई करेंगे। यदि इसे बहुआयामी होना है तो संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखना होगा। इस बात को अवश्य समझना चाहिए और इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस बात की भी आलोचना की गई थी कि इसे बार-बार दोहराना नहीं चाहिए कि आतंकवादी सीमा-पार से आ रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई व्यक्ति इस तथ्य की आलोचना कर रहा हो कि हम इसे बार-बार दुहरा रहे हैं कि आतंकवादी सीमा-पार से आ रहे हैं। इसे जारी रखना होगा। यह बहुआयामी नीति का एक आयाम है। दूसरा आयाम रक्षा सेनाओं का उपयोग है। तीसरा आयाम अर्ध-सैनिक बलों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों का उपयोग होगा और चौथा आयाम नागरिक उपायों के रूप में जारी रहेगा जिसे श्री पाटिल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें पर्याप्त मात्रा में और समय पर राहत देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उनको ज्यादा कष्ट न हो। वे पहले से ही बहुत गरीब लोग हैं। इसे ध्यान में रखना चाहिए।

इस बात पर एकता है। नीति विद्यमान है। अभी-अभी मेरे प्रिय मित्र श्री मणि शंकर अय्यर ने इंगित किया कि वे बहुत पहले से ही इसके बारे में इंगित करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह वर्ष 1990 था जिसे मैं स्वीकार करता हूं। उनसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है। नीति लागू रहेगी। लेकिन जैसे-जैसे विद्रोह का स्तर बढ़ता है सरकार और सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया और हमारे बलों की कार्य-पद्धति को भी बदलना होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को जारी रखना होगा और यह जारी रहेगी।

यह उल्लेख किया गया था कि हमारे पास पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के पर्याप्त कारण थे और प्रत्येक व्यक्ति इस मुद्दे पर हमारे साथ था। लेकिन हम इसलिए इस नीति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे कि इस समय महसूस किया गया कि हमने सीमा-पार से चलाए जाने वाले आतंकवाद के संबंध में एक प्रकार से विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन अब एक-दो प्रश्न और उठे हैं। एक प्रश्न यह है कि सीमा-पार से केवल आतंकवाद को रोकना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोग पहले ही अंदर आ चुके हैं। अब सीमा-पार करने का प्रश्न नहीं है। मुझे संदेह है कि कालूचक अथवा राजीव नगर की घटनाएं ऐसे लोगों द्वारा नहीं की गई हैं जो सीमा-पार करके आए हैं अथवा बाहर से आए और वे गांव में गए और वहां लोगों को गोली मार दी। नहीं। वे वहां कुछ देर पहले से रह रहे थे। उन्होंने पहले ही हथियार तैयार कराए, इधर-उधर घूमने में समय बिताया। असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की और कालूचक की तरह ही उन्होंने समुचित टोह ली और पाया कि सभी परिवार बाहर गए हुए थे, छावनी में

सैनिकों के परिवारों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, यह आसान लक्ष्य था और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। यह बिल्कुल संभव है कि प्रत्येक घटना जो अखबारों में प्रकाशित होती है और प्रत्येक बड़ी घटना जो घटती है और जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है उनमें से मात्र दो अथवा तीन घटनाएं ही ऐसी होंगी जिनके लिए प्रयास किया गया और जिन्हें टाला जा सका। हमारा अनुभव भी यही है। ऐसा हुआ है कि उन्होंने प्रयास किया हो और यह पाया कि परिस्थितियां सहायक नहीं थीं और अपने प्रयास को छोड़ दिया।

इसलिए, एक बात जिसे हमें विशेष रूप से करना है, वह उस तथ्य को ध्यान में रखना है कि वहां अस्त्रों का भंडार एवं वैसे लोगों की भीड़ होगी जो साधु या भारतीय सैनिकों के वेश में चुपचाप बिना किसी संदेह के वहां गए और फिर विनाश कार्य को अंजाम दिया। अतएव, पहली बात जो हमें करनी है वह है सभी संभावित क्षेत्रों में खोज अभियान चलाना जहां ये वस्तुएं रखी गई हों। यह वह महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें करना है।

अपराह्न 1.00 बजे

दूसरी बात जो हमें अपने ध्यान में रखनी है वह यह कि अफगान युद्ध की समाप्ति के पश्चात् तालिबानी लोगों के पास अब कोई कार्य नहीं है, इसके फलस्वरूप अब हमारे क्षेत्र पर दबाव पड़ना आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने से यह सुपष्ट है कि अब आतंकवादी मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं और न ही वे सशस्त्र लोगों का सामना करना चाहते हैं। डोडा नरसंहार में भी गाड्डियों की हत्या की गई थी जो कि अपने पशुओं को अपने गांव से दूर चराने के लिए ले गए थे। यह दूसरी बात थी, जो कि मुख्य बात से अलग है। वे ऐसा नहीं चाह रहे हैं। इसलिए यह बात ध्यान में रखनी होगी कि विद्रोह और आतंकवाद बढ़ेगा। किसी भी मामले में, हमें हमेशा अधमतम अवस्था को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा कि इसमें वृद्धि होगी। हमारी योजना एवं आचरण इस पर आधारित होना चाहिए कि इस संबंध में स्तर में वृद्धि होने वाली है। यह मेरे सुझावों में से एक है जिसे मुझे देना है।

आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ने का आधार आसूचना है, पूर्व चेतावनी है, उनके जुटने की पूर्व जानकारी है, अस्त्रों की पूर्व जानकारी है कि वे कहां रखे गए हैं। घाटी में, पूर्व जानकारी के स्रोत खत्म हो गए, जब एक समुदाय ने पूर्ण रूप से अपने को अलग कर लिया। यहां भी, आतंकवादियों का यह प्रयास है कि लोग वहां से हट जाएं ताकि अलगाववाद से लड़ने के लिए पूर्व सूचना भी जम्मू में खत्म हो जाए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे लोग वहां रहे। केवल ऐसा ही है नहीं है। मैंने अपने पिछले भाषण में यह भी इसका उल्लेख किया है कि हमें सुनिश्चित करना है कि, हम घाटी के उन लोगों को वहां वापस भेजें जो कि सूचना प्राप्त करने में सक्षम हैं। अतएव, वे घाटी से विस्थापित किए गए लोगों को यथाशीघ्र घाटी में वापस भेजा जाए।

महोदय, यह एक युद्ध है। चाहे आप इसे आतंकवाद कहें, चाहे इसे अलगाववाद, मामले की सच्चाई यह है कि यह एक युद्ध है, संभवतः एक अघोषित युद्ध। अतएव, हमें इस युद्ध को जीतना है क्योंकि घोषित युद्ध में भी, हमें पिछले क्षेत्रों में इस प्रकृति की स्थिति का सामना करना होगा। नीचे के क्षेत्रों में भी, युद्ध के समय ऐसी ही स्थिति विद्यमान होगी। इसलिए, हमें इस क्षेत्र को यथाशीघ्र साफ करना होगा। जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यही वह बात है जिसका माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे होंगे परन्तु मेरा विचार है कि हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। मेरा विचार है कि हमारे पास हमारी अपनी नीति होनी चाहिए। हम अपनी नीति के अनुसार लड़ रहे हैं। इस प्रकृति की सभी घटनाएं आने वाले खतरे की झलक भर हैं। ऐसी पांच घटनाएं हुई हैं जो सुरक्षा बलों के कारण विफल हुईं अथवा आतंकवादियों ने सहायक परिस्थितियां नहीं पाईं। हमें जिस बात का पता चला है, वह यह है कि ऐसा वहां हो रहा है। इस प्रकार के कार्य क्षम्य नहीं हैं। इन्हें रोकना होगा। हम इसका समर्थन करते हैं। परन्तु मेरे विचार से कश्मीर में स्थिति यह है कि सीमा–पार जहां सेना तैनात है, प्रतिदिन आतंकवादियों के घुसपैठ के मार्गों एवं क्षेत्रों को बेहतर तरीके से सीलबंद किया जा रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें सीलबंद किया जा चुका है अथवा कि वे सीलिंग को पूर्णरूपेण रोक सकते हैं। पपरन्तु उन्हें प्रतिदिन बेहतर तरीके से सीलबंद किया जा रहा है। मेरे विचार से, हमारे पास जल्दी ही ऐसी तकनीक मौजूद होगी जिससे हम सीमा–पार के आतंकवाद से लड़ सकेंगे। बहुस्तरीय हमले में विभिन्न अभिकरणों के साथ समन्वय का काम विशेषकर जम्मू–कश्मीर जैसे राज्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जहां कि तीन सुस्पष्ट पहचान वाले तीन सुस्पष्ट क्षेत्र हैं, जहां तीन सुस्पष्ट जनांकिकीय विशिष्टता वाले लोग बसते

[श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी]

हैं। अतएव, कोई भी एक मॉडल दूसरी तरफ लागू नहीं हो सकता। लंबे समय से समन्वय का अच्छा रहा है। परन्तु, आज जब यह काम गृह मंत्रालय के पास है, इस प्रकार के कार्य के लिए साधन उपलब्ध हैं। इस तरह के कार्य में प्रशिक्षित लोग वहां उपलब्ध हैं। एक समय ऐसा था जिसे गृह मंत्रालय से वापस ले लिया गया था। अब, यह वापस गृह मंत्रालय के पास वापस आ गया है और इसके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

मैं, अतएव, यह महसूस करता हूं कि इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव के लिए कोई स्थान नहीं है और सरकार अपनी शक्तियों के अधीन अच्छा कार्य कर रही है। निश्चित ही इन बातों का घटित होना क्षम्य नहीं है। इसे रोकना होगा। परन्तु, मानदंडों के अंतर्गत, हम इस अलगाववाद से लड़ने में सफलतापूर्वक, सुस्पष्ट कदमों के साथ और निश्चित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा भाषण शुरू करने से पहले मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि आज कोई मध्यावकाश नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम 13 तारीख की रात को कासिमपुरा एवं राजीव नगर में हुई घटनाओं की सख्त रूप से निंदा करते हैं। हम शोक–संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के प्रति भी अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। आतंकवादियों द्वारा मारी जा रही इस देश की मासूम जनता के संत्रास को व्यक्त करने को कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं हो सकता है। जो कि सर्वाधिक नृशंस अपराध का काम है। परन्तु ऐसी घटनाएं अब दुर्भाग्यवश नियमित रूप से हो रही हैं। दो माह पहले ही, कालूचक की घटनाओं की भावी परिणामों के रूप में हमने इस सभा में घंटों वाद–विवाद किया था। चर्चा के अंत में हमारे प्रतिष्ठित गृह मंत्री, जो कि तब उप–प्रधान मंत्री नहीं थे, ने कहा था :

> "प्रधान मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों एवं सेना प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) के साथ बातचीत करने के पश्चात् समुचित निर्णय लिए जाएंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी सूचना आप तक निश्चित रूप से पहुंचाई जाएगी।"

महोदय, हम अभी भी लिए जा रहे अथवा हम तक पहुंचाए जाने वाले किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। कम से कम, यह प्रतीत होता है कि सत्तारूढ़ दल, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रथम वक्त यह नहीं जानते कि नीति क्या है और क्या कार्रवाई की गई है। मुझे अफसोस है कि उनसे सलाह नहीं किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ होते हुए भी उनसे सत्ता ने सलाह नहीं किया। वे यहां सुझाव दे रहे हैं। हम उनके सुझावों के साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें ये सुझाव सरकार को देने चाहिए।

गृह मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि समुचित निर्णय लिया जाएगा और कार्यान्वयन किया जाएगा, उक्त क्षेत्र में समान प्रकृति की इस आयाम की घटना, सरकार की आश्चर्यजनक विफलता का परिणाम है। संभवतः गृह मंत्री का उप–प्रधान मंत्री के रूप में पदोन्नति, इस सरकार की पूर्ण असफलता के कारण है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा अफसोस का एक शब्द भी नहीं कहा गया है। तीन–चार लोग किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, लूट–खसोट करते हैं और मासूम लोगों की हत्या कर भाग जाते हैं। उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। हमें कहा गया है कि उन्हें पकड़ने के लिए सुरक्षा बल कदम उठा रहे हैं और पूरे क्षेत्र की छानबीन कर रहे हैं, परन्तु एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है।

आप इस देश की रक्षा कैसे कर रहे हैं? इस सरकार के हाथ में मासूम लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज यह पूरी तरह से साबित हो गया है। मैं यह नहीं जानना चाहता कि सुरक्षा बलों को लगाए जाने और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र में कोई आसूचना अभिकरण भी कार्यरत है या नहीं? जब सीमा की रक्षा रक्षा बलों द्वारा की जाती है, तब ये लोग हमारे क्षेत्र के अंदर संचालन कर रहे हैं। इसका कैसे पता लगाया जाएगा? गत दो माह के अंदर, 17 मई से, जब हमने इस सभा में चर्चा की थी, हमने कितनी प्रगति की है? माननीय गृह मंत्री ने वही आश्वासन दिया था जैसा कि मैंने पढ़ा है। निश्चित ही उन्होंने किसी सूचना के द्वारा हमें विश्वास में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि वे हम तक संसद तक उन बातों को पहुंचाएंगे कि क्या कदम उठाए गए थे, माननीय प्रधान मंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों, एवं सेना प्रमुख के परामर्श के साथ क्या निर्णय लिए गए थे। क्या सरकार पर इस देश की जनता को यह स्पष्टीकरण

देने की जवाबदेही नहीं बनती कि ऐसा क्यों होने दिया जाता है?

महोदय, कृपया मुझे उसे उद्धृत करने दीजिए जैसा मैंने 17 मई को कहा है। मैंने गहरी व्यथा के साथ बजट सत्र के अंतिम दिवस पर कुछ बातें कही थीं। मैं सही साबित नहीं करना चाहता। परन्तु मैंने क्या कहा था? आपकी अनुमति से, मैं उन बातों को प्रस्तुत कर रहा हूं जैसा कि मैंने कहा है :

"मैं माननीय प्रधान मंत्री से इस सभा को विश्वास में लेने, और इस सभा के माध्यम से समस्त देश को विश्वास में लेने और यह कहने का अनुरोध करता हूं कि यह सरकार अपना उत्तरदायित्व समझती है। आजकल क्या हो रहा है जब कुछ गंभीर घटनाएं हुई हैं? हम इकट्ठा होते हैं, अपनी निंदा को व्यक्त करते हैं और तब सरकार यह कहती है कि वह उसके बारे में बहुत चिंतित है और सरकार इसके विरुद्ध कदम उठाएगी परन्तु हम अगली घटना के होने तक इंतजार करते हैं। पुनः हम इकट्ठा होते हैं। घटना के समाधान पर विचार किए बिना इसकी निंदा करते हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने दें।"

इसलिए, ठीक वही हुआ था। मैं इससे बिल्कुल खुश नहीं हूं। 17 मई को बजट सत्र के अंतिम दिन पूरी सत्यनिष्ठा से हमने इस पर चर्चा की थी। मेरे विचार से माननीय गृह मंत्री ने पूर्ण सत्यनिष्ठा से बहस का उत्तर दिया था। और हम इस सभा का अगला सत्र लगभग इसी प्रकार की चर्चा से प्रारंभ कर रहे हैं। समाचार पत्रों से हमें क्या मिलता है? माननीय गृह मंत्री यही कह रहे हैं। उन्होंने बहुत तथ्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने कहा : "यह आतंकवाद का सबसे घृणित स्वरूप है।" इससे देश का भला कैसे हो सकता है? माननीय गृह मंत्री द्वारा लोगों को यह बताया जाना चाहिए कि यह सर्वाधिक घृणित आतंकवाद है। लोगों की क्या मदद हो सकती है? उसे नियंत्रित करने का दायित्व किसका है? अब, उन्होंने आगे कहा है : "मैं यह नहीं कह सकता कि क्या पाकिस्तान अब भी इसमें शामिल है या नहीं?" निःसंदेह प्रतिदिन, साउथ ब्लॉक में उच्च पदों पर आसीन अमरीकी राजनयिक आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि क्या श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी की उन तक पहुंच होती है...*(व्यवधान)* शायद आप नहीं मिल सकते, आपको उस भवन में प्रवेश के लिए पास लेने पड़ते हैं। परन्तु हमें पता चला है कि इसी माह बहुत से बड़े अधिकारी अमरीका से आएंगे। लगता है वह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के मोर्चे में शामिल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए एक बड़ा गठबंधन है। हो क्या रहा है? लड़ाई कहां है? कौन किससे लड़ रहा है? अमरीका ने पाकिस्तान में अपनी सेनाएं रखी हुई हैं। वे अल कायदा से लड़ रहे हैं। मंत्री महोदय क्या आप अमरीकी सेना को आतंकवाद से लड़ने हेतु यहां आमंत्रित करेंगे? उनकी भूमिका क्या है? मैं इसके बारे में माननीय उप-प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं। आप इस प्रसंग में अमरीका की भूमिका को कैसे देखते हैं? वे कौन लोग हैं जो आतंकवाद से लड़ने में आपका समर्थन कर रहे हैं? यदि आपको अमरीका एक बार मुस्कराकर देख ले तो आपकी बाछें खिल जाती हैं। यदि अमरीका से पाकिस्तान को एक फटकार भी मिल जाती है तो आप यह सोचकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि अमरीका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है।

जनरल मुशर्रफ ने अब एक पाठ सीख लिया है; बुश नाराज हैं, आर्मिटेज आए हैं और अब राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कहा है : "मैं वायदा करता हूं कि सीमा-पार से आतंकवाद नहीं होगा।"

महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार कभी भी ईमानदारी से यह नहीं कह सकती है कि विपक्ष ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सरकार के साथ सहयोग नहीं किया है। जब भी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विपक्ष के साथ चर्चा करने का प्रयास किया है तो हमने हमेशा कहा है; आप जो चाहें कदम उठाएं हम आपका समर्थन करेंगे। जब उन्होंने वास्तविक कदम उठाना बंद कर दिया हमने उनका समर्थन किया क्योंकि उनके विचार से यह आवश्यक था और जब उन्होंने पुनः इन्हें प्रारंभ करना चाहा, हमने कहा : "ठीक है हम आपका समर्थन करते हैं क्योंकि आप सभा में हैं और यह आपकी धारणा है।" क्या ऐसा एक भी उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है जब हमने पूर्ण समर्थन न दिया हो? पिछली बार हमने सरकार को पूर्ण समर्थन दिया था। मुझे याद है कि अपने भाषण में, जिसे मैंने आज प्रातः भी देखा है, हम बहुत से मुद्दे उठाना चाहते थे परन्तु हमने उन्हें नहीं उठाया क्योंकि हम मामले को जटिल नहीं बनाना चाहते थे। हमने कहा : "ठीक है आप कार्यवाही करें हम आपका समर्थन करेंगे।" परन्तु

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हम यहां मूक और बधिर दर्शक के रूप में नहीं बैठ सकते। यह सरकार जो भी करे उसको दोषमुक्त नहीं कर सकते।

महोदय, गत तीन दिनों से हमें नहीं मालूम कि यह सरकार चाहती क्या है। मैं माननीय विदेश मंत्री पर आरोप नहीं लगाता। इन्होंने अभी इस स्थिति पर निशाना साधा है। वह कर क्या सकते हैं? इन्होंने सोचा थां कि यह अच्छे के लिए हमारी अर्थव्यवस्था बदल रहे थे। वह अचानक बदल गए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वह बदल गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अर्थव्यवस्था नहीं बदली वह बदल गए हैं। परन्तु मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। वह हमारे अच्छे मित्र हैं। श्री यशवन्त सिन्हा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने पहले ही उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। परन्तु वह कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपना रवैया नहीं बदला है। इसलिए, मैं माननीय उप-प्रधान मंत्री, मेरे विचार से अब गृह मंत्रालय उनके पास है और मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह समझते हैं कि पाकिस्तान का इस आक्रमण में हाथ है अथवा नहीं। यदि पाकिस्तान इसके पीछे है तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

महोदय, पिछली बार मैं अकेला व्यक्ति था और मैं इसके लिए कोई विशेष श्रेय नहीं ले रहा हूं, किसने कहा : "युद्ध की बात करने से सावधान रहो, उद्धत रग्ष्ट्रवाद से इस देश का कोई भला नहीं होगा।" अंततोगत्वा सरकार को कारण मिल गए। संभवतः श्री स्वामी युद्ध की बात करना नहीं चाहते थे परन्तु इनके उद्धत राष्ट्रवादी मित्र ऐसा चाहते थे। कम से कम हमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे प्रख्यात उम्मीदवार से पता चला है कि परमाणु शस्त्रागार के कारण ही कोई युद्ध नहीं हुआ।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस आतंकवादी हमले के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं चाहता था कि माननीय प्रधान मंत्री यहां पर होते। मैं उन्हें भी दोष नहीं देता। आज कोई लंच की व्यवस्था नहीं है इसलिए हम आज परेशान हैं परन्तु हम गम्भीर स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। हम लंच छोड़ने के लिए तैयार हैं। परन्तु समस्या यह है कि गत कुछ दिनों से माननीय प्रधान मंत्री इस देश के लोगों को आतंकवाद से बचाने से अधिक भाजपा की छवि सुधारने में व्यस्त हैं। माननीय प्रधान मंत्री की एकमात्र प्राथमिकता और कार्यसूची भाजपा की छवि को सुधारना है। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि श्री अरूण जेटली उच्चतम न्यायालय वापस चले गए हैं और वकालत शुरू कर दी है। क्रमपरिवर्तन और संयोजन जारी है। निःसंदेह मैं आपको सभी प्रकार के क्रमपरिवर्तन के लिए शुभकामना नहीं देता हूं। परन्तु मैं इस प्रकार की घटना फिर पुनः घटित होने का कारण जानना चाहता हूं। अब आपका 'पोटा' कहां गया? आपका 'पोटा' क्या कट रहा है? पोटा लागू करने का एकमात्र उदाहरण श्री वैको के विरुद्ध है। क्या एमडीएमके का कोई सदस्य यहां पर है? मुझे पता नहीं है। 'पोटा' की आवश्यकता पर श्री लाल कृष्ण आडवाणी के भाषण का समर्थन करने का प्रयास करते हुए बहुत जोश के साथ जब वह खड़े हो रहे थे, बैठ रहे थे और फिर उठ रहे थे तो मैंने उन्हें बताया था, "आप पहले शिकार होंगे।" मैं भविष्यवक्ता बनकर प्रसन्न नहीं हूं। परन्तु इससे मालूम होता है प्रत्येक शब्द, जो कि हमने कहा था कि इसे राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाएगा, सिद्ध हो ही गया है। आप ज्यादा शोर नहीं मचा सकते हैं क्योंकि आपको एआईएडीएमके से वोट पाने की उम्मीद है। आप श्री पांडियन की नेता, 'अम्मा' को नाराज नहीं करना चाहते। अतः श्री वैको की गिरफ्तारी पर अनेक प्रकार के मौन विचार, टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं व्यक्त हुई हैं। यहां श्री पांडियन भी अब चुप हैं।

जहां तक इस आतंकवाद का संबंध है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 'पोटा' का औचित्य क्या था? क्या इसे वहां पर लागू करने का प्रयास किया गया है? निःसंदेह हम इसके विरुद्ध हैं। ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने राज्यों की परिषदों के विचारों की अनदेखी करके सभाओं का संयुक्त सत्र बुलाकर इतिहास रच दिया। आपने उत्सुकता दिखाई कि आपके पास 'पोटा' होना चाहिए। एक बार वहां पर 'पोटा' लगा दिया है तो आज उसके चैम्पियन कहां हैं? डा. नीतिश सेनगुप्ता 'पोटा' के समर्थन में बोले थे।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : हम न इसके पक्ष में बोले थे और न विपक्ष में।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने समर्थन किया था और फिर अलग हो गए।...*(व्यवधान)* आप शायद मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद करने वाले तृणमूल कांग्रेस के दूसरे ग्रुप में हैं। श्री आडवाणी कृपया इस पर ध्यान दें। यह आशा

के विपरीत आशा रख रहे हैं। आप मंत्री बनने की परिस्थितियां पैदा करते हैं और आपका नेता मंत्री बन जाता है। यही होगा।

मैं माननीय उप–प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि उनके अनुसार इस नवीनतम घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या आप गत दो या तीन दिनों में इसका पता लगा पाए? क्या आप किसी को पकड़ पाए? आप उनमें से किसी को पकड़ पाने में असफल क्यों रहे? देश के उस भाग में अथवा इस देश में कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। जो कुछ भी हुआ है हमने संसद में देखा है कि हम केवल बगुला बने बैठे हैं। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि यह हमेशा घटना घट जाने के बाद कार्यवाही करती है। हमें बार–बार यही बताया गया था कि संसद पर हमला हो सकता है।

मुझे विश्वास है कि यहां पर हम सभी को यह याद रहेगा। प्रधान मंत्री जब हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री शरद पवार के जन्म दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए गए थे तो उन्होंने हमें गैर–जिम्मेदार कहकर गाली दी देखिए वहां पर विपक्ष कैसे गैर जिम्मेदार है। अकेले जिम्मेदार संसद सदस्य हैं श्री शरद पवार, क्योंकि उन्होंने पोटा का समर्थन किया था। फिर क्या हुआ? इतने लोग अंदर आ गए। कुछ निर्दोष लोग मारे गए क्योंकि इस महान भारत की रक्षा करनी थी। वे श्री लाल कृष्ण आडवाणी की सेनाओं के नहीं थे बल्कि इस संसद के निशस्त्र बलों के थे जिन्होंने इस संसद को बचाया।

अब हम देखते हैं कि हमारे अधिकार कम कर दिए गए हैं। अब एक मक्खी भी अन्दर नहीं आ सकती है। मक्खियों को अन्दर मत आने दो। उस घटना के बाद मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। हमें यही विश्वास दिलाया गया। मैं इस सरकार पर आतंकवाद को नियंत्रित करने हेतु उचित कार्यवाही करने के बारे में इस संसद और राष्ट्र को गुमराह करने का आरोप लगाता हूं। यदि श्री आडवाणी के शब्दों का कोई औचित्य है तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश से क्षमा मांगनी चाहिए।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : जब आतंकवादियों ने कोलकाता में अमरीकन सेंटर पर आक्रमण किया था तो उनकी सरकार क्या कर रही थी?...*(व्यवधान)* उनकी सरकार क्या कर रही थी?...*(व्यवधान)* क्या वे इसकी रक्षा कर सके?... *(व्यवधान)* उन्हें पहले इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। जब आतंकवादियों ने अमरीकन सेंटर पर आक्रमण किया था तो उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में क्या कर रही थी?...*(व्यवधान)* क्या वे इसे बचा सके?...*(व्यवधान)* कुछ कहने से पहले उन्हें यह बात बतानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री खगेन दास (त्रिपुरा, पश्चिम) : यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाइं : पश्चिम बंगाल पुलिस वहां पर क्या कर रही थी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उनके लिए इनके अनुदेशों की प्रतीक्षा करेंगे।

मैं अपने दल की ओर से पुनः दोहरा रहा हूं और मुझे यकीन है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी की पसंदीदा उक्ति नव–धर्मनिरपेक्षता की तरह छद्म युद्ध है, का मुकाबला करने हेतु सीमा–पार से आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारी वचनबद्धता के लिए व्यक्त करने के बारे में इस सभा में प्रत्येक सदस्य मेरा साथ देगा। यह इनकी पसंदीदा अभिव्यक्ति है। यह छद्म युद्ध भी इनकी पसंदीदा अभिव्यक्ति है। इसका जो भी अर्थ हो हम इसका समर्थन करेंगे। अतः यह बहुत आवश्यक है कि देश इसके लिए एकजुट हो। हरेक व्यक्ति इनके साथ है। इनके पास पूरा साजो–सामान है, पूरी प्रतिरक्षा, पूरी पुलिस, संपूर्ण अर्ध–सैनिक बल हैं। राज्य सरकार इनकी तर्ज पर कार्य कर रही है और रक्षा मंत्री इनकी जो भी आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। फिर यह इसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इनके विचार से इसमें अमरीका की क्या भूमिका है। यह अमरीकी रवैये पर कहां तक निर्भर हैं।

जो खतरनाक कार्य हो रहा है वह यह है कि स्वायत्तता की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। श्री उमर अब्दुल्ला यहां पर नहीं हैं परन्तु जब कश्मीर विधान सभा ने स्वायत्तता के लिए संकल्प पारित किया था तो यह तत्काल अस्वीकार हो गया था।

अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। और श्री आडवाणी कहते हैं कि, "अब हम स्वायत्तता के प्रश्न पर विचार करेंगे।"

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

पहले कही गई बात से अभद्र तरीके से इंकार कर दिया गया। क्या स्वायत्तता का प्रश्न एवं जम्मू–कश्मीर के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रश्न, समस्याएं नहीं हैं? यह उनकी मांग है। श्री उमर अब्दुल्ला ने भी यह मांग दोहरायी है। वह मंत्रिमंडल में हैं। मैं इस पर सरकार का जवाब चाहता हूं। इसके प्रति लोगों को उत्साहित करने एवं लोगों की सक्रिय भागीदारी हेतु उनका क्या उपाय करने का विचार है?

हमने पंजाब में देखा है कि आतंकवाद को कैसे नियंत्रित किया गया। यह लोगों की सक्रिय भागीदारी एवं आतंकवाद के विरोध से संभव हुआ। उनके सहयोग के बगैर हम ऐसा नहीं कर पाते। फिर भी स्वायत्तता का प्रश्न उपेक्षित किया गया है।

एक और खतरनाक बात जम्मू–कश्मीर को तीन भागों में बांटने की है। यह अत्यंत घातक मांग है जो अत्यन्त नाजुक समय पर की गई है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हम जम्मू–कश्मीर में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। लोगों को अपना निर्णय देना चाहिए। उनके सहयोगी संगठन आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद, जो केवल सहयोगी संगठन ही नहीं बल्कि उस पर नियंत्रण भी रखते हैं, ने धर्म के आधार पर राज्य को तीन भागों में बांटने की मांग की है। हमारा क्या विचार है? आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद की मांग के संदर्भ में इस सरकार की क्या नीति है?

महोदय, इस संसद में आप सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं और हम आपसे सुरक्षा चाहते हैं। श्री विद्यासागर राव जो कि यहां उपस्थित हैं, को यहां अनेक बातें कहनी पड़ी थीं। पिछली बार मैंने उनकी बातों का उल्लेख किया। महोदय, मैं उन बातों का उल्लेख करने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं क्योंकि कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रधान मंत्री ने देश की इस ज्वलंत समस्या पर बहस से अपने को अलग रखा है।

यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्री जो कि उप–प्रधान मंत्री हैं, उपस्थित हैं और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस बात को सुना है और माना है।

महोदय, यहां कुछ दिन पहले 16 अप्रैल को एक प्रश्न पूछा गया था–और मैं श्री विद्यासागर राव द्वारा गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए उत्तर को उद्धृत करता हूं। इसमें कहा गया है :

"सरकार जम्मू–कश्मीर से उग्रवाद को समाप्त करने और राज्य में यथाशीघ्र शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कृतसंकल्प है।"

साथ ही प्रश्न यह है कि यह कैसे किया जाएगा? क्या आपने ऐसा किया है? श्री त्रिपाठी जी, अफसोस है कि आपके विचार नहीं जाने जाएंगे। आप हमारे देश के एक विशिष्ट 'जनरल' हैं। आप देश के उस भाग को भली–भांति जानते हैं और आपसे परामर्श नहीं किया गया। उन्होंने आपकी पूरी उपेक्षा की है। श्री त्रिपाठी आपके प्रति हमारे मन में पूरा सम्मान है। आपको अपने दल के नेता, अपने दल के मंत्री बने व्यक्ति को परामर्श देने हेतु इस सभा में बोलने के अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी।

अप्रैल माह में यहां जो कहा गया, मैं उद्धृत करना चाहता हूं। श्री विद्यासागर राव, कृपया सुनिए इसमें कहा गया है :

"विभिन्न स्तरों पर निरन्तर राजनयिक पहल, सीमा और नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती, और भीतरी प्रदेश में आतंकवादियों के ऊपर भारी दबाव बनाए रखने के अतिरिक्त सरकार ने राज्य सरकार से मिलकर एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है ताकि पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा जम्मू–कश्मीर में सीमा–पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके।" ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह एक काफी लम्बा वक्तव्य है। मुझे आज सांस की तकलीफ है। यह लम्बा वाक्य है इसमें पूर्ण विराम नहीं है। इसमें कहा गया है :

"पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा जम्मू–कश्मीर में सीमा–पार से चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों के अतिरिक्त घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना..."

कृपया यह बताएं कि क्या हम इसे रोक पाए हैं। इसमें कहा गया है :

"जम्मू–कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करना..."

श्री त्रिपाठी राजनीति में पुनः सक्रिय होने से दुखी हैं। आप प्रतिकारी निर्णय लेते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रतिकारी कार्रवाई की गई। इसमें कहा गया है :

"...आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना..."

इसी से मेरे मन में विचार आया। आसूचना तंत्र होना चाहिए। सवाल उसको सक्रिय बनाने का है। इसमें कहा गया है :

"...सभी स्तरों पर संस्थागत ढांचे के माध्यम से यू.एच. क्यू. के आपरेशन ग्रुपों तथा आसूचना ग्रुपों के कार्य को बड़े पैमाने पर संगठित करना..."

आपको जब कुछ कहना होता है तो आप ऐसा अनाप-शनाप बोलते हैं। इसमें कहा गया है :

"...सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियारों और उपकरणों की व्यवस्था करना तथा आतंकवादियों के सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना।"

क्या हुआ? आपने इसमें कौन सा कार्य किया? यदि आपने ऐसा किया है तो आपके अनुसार हमारे पास आतंकवाद से निपटने हेतु एक कारगर उपाय है। आप इसमें से क्या कर पाए हैं और क्या नहीं कर पाए हैं? कर नहीं पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं? क्या देश ने आपको समर्थन नहीं दिया? क्या संसद ने आपको समर्थन नहीं दिया?

महोदय, मैं 7 मई को दिए गए दूसरे उत्तर को उद्धृत करता हूं। इसमें भी श्री विद्यासागर राव को ही उत्तर देना पड़ा है जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के वादे किए हैं लेकिन पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है :

"जम्मू-कश्मीर राज्य में शान्ति और सामान्य स्थिति बहाल करने और सामाजिक-आर्थिक विकास को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर एक बहुआयामी रणनीति जारी रखे हुए है। इस रणनीति के तीन मुख्य आयाम हैं-जम्मू-कश्मीर के भीतर सीमा-पार से आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिकारी कार्रवाई करना।"

क्या हुआ? कृपया मुझे बताएं। आपको सदैव देश को विश्वास में लेना होगा। यह आपका अधिकार नहीं है कि आप बातों को अपने तक सीमित रखें। आपके इस देश, इस संसद और निर्दोष पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं। उन गरीब निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम हुआ। मुझे पता चला है कि वे क्रिकेट का खेल देख रहे थे। यह अत्यन्त करुण एवं हृदय विदारक था। वे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है। सरकार चुप बैठी है। आपने केवल कहा था, "हां, हमें प्रतिकार करना चाहिए।" श्री त्रिपाठी आपके दल की सरकार ने काफी पहले ऐसा निर्णय लिया था।

उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने का वादा किया था। श्री उमर अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर से उनके कुछ मित्र यहां उपस्थित हैं।

राज्य में क्या आर्थिक विकास हुआ है? आपने राज्य में आर्थिक विकास की नीति इसलिए बनाई है क्योंकि आप लोगों को अपने साथ लेना चाहते हैं, और ऐसा करना आपकी बाध्यता है। "राज्य के भीतर लोगों के किसी भी ऐसे ग्रुप से बातचीत के लिए तैयार रहना जो हिंसा का रास्ता त्याग देते हैं और जिनकी शिकायतें न्यायसंगत हैं। रणनीति में आवश्यकतानुसार समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जाते हैं।"

ये बड़ी ऊंची बातें हैं। इसका फल केवल उदारवादी अब्दुल गनी लोन की हत्या रहा है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि सरकार इस देश के निर्दोष लोगों के जीवन की रक्षा करने में एकदम असफल रही है। सबको पता है कि जम्मू और कश्मीर एक असुरक्षित क्षेत्र है। हमें अनेक बातें बताई गई हैं।

पिछली बार श्री आडवाणी ने कहा था, "एक प्रकार से अमरीका के पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण से उसे अपने गलत कार्यों को करते रहने का प्रोत्साहन मिला है।" मैं उनके वक्तव्य से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने कहा, "हमें इस संघर्ष में विजय प्राप्त करनी होगी। अन्यथा हम इसे समाप्त नहीं कर पाएंगे।" आप इसे समाप्त नहीं कर सके हैं। क्या आप विजय प्राप्त करने के लिए लड़े? आप कैसे लड़े? आप किससे लड़े? आपकी लड़ाई में क्या हुआ? श्री आडवाणी जी क्या आपको हमें नहीं बताना है? आप सत्तापक्ष के प्रमुख व्यक्ति हैं। अतः इस पर आप द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा : "मुशर्रफ की जिद है कि उन्हें कश्मीर चाहिए और वह कश्मीर के लिए अटल हैं।" हमें यह सब

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कुछ ज्ञात है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों की रक्षा करने के लिए हम सब बातों पर ध्यान देंगे। इस पर हम प्रत्येक सत्र के दौरान बहस में भाग लेते हैं। हमने इस सत्र की शुरूआत इसी त्रासदी से की। मुझे आशा है कि अब ऐसा नहीं होगा। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि आपके सत्ता में रहते ऐसा नहीं होगा। यह आपकी वजह से हुआ है क्योंकि कोई नीति, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई सफलता या विजय प्राप्त नहीं हुई है। आपने एक ही बातें कही हैं, 'हम इस पर विचार करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे और हम यह करेंगे, वह करेंगे।' आप द्वारा किए गए वादों की एक लम्बी सूची है जिन्हें पूरा नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू–कश्मीर में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसा समझा जाता है कि जम्मू–कश्मीर में सामान्य जनजीवन में व्यवधान डालने के प्रयास किए जाएंगे। अतः सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अत्यंत सतर्क रहे और देखे कि उग्रवाद की कोई घटना न घटे। यदि सीमा पर अभी भी सेना है जैसा कि हमें बताया गया है, तो यह यहीं के लोग होंगे, देश के लोग होंगे जो कि इस प्रकार की आपराधिक, नीच एवं असभ्य गतिविधियों में संलिप्त हैं। वे क्रूरतम किस्म के हत्यारे हैं। अतः केवल हम सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे', 'हम क्या कर सकते हैं', 'लोग आते हैं और वे छिपकर घुस आते हैं' जैसे कथनों से काम नहीं चलेगा। आपकी सेना क्या कर रही है?

अध्यक्ष महोदय, इसलिए, मैं इस घटना की पुरजोर निन्दा करता हूं और पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के प्रति शोक एवं सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं भी इस सरकार को समान रूप से जिम्मेदार मानता हूं और उन्हें अपनी असफलता के कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। अन्यथा इसका फैसला देश करेगा। इस प्रकार की स्थिति के चलते रहने का कोई सवाल ही नहीं है। महोदय, भारत के लोग उचित समय पर अपना निर्णय देंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा जो एडजर्नमेंट मोशन लाया गया है, उस पर चर्चा हो रही है। जम्मू–कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 27 लोगों को गोलियों से भून डाला गया, उनकी हत्याएं कर दी गईं, यह बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। मेरे ख्याल से ऐसी घटना के लिए निंदा शब्द बहुत ही कम है। यह बहुत दर्दनाक घटना है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू–कश्मीर में घटने वाली यह कोई पहली घटना नहीं है। जम्मू–कश्मीर में लगातार नरसंहार हो रहा है। इतना ही नहीं कई सालों से यह नरसंहार हो रहा है। इससे जम्मू–कश्मीर के लोगों की प्रापर्टी का भी काफी नुकसान हो रहा है। मेरा कहना है कि जम्मू–कश्मीर की समस्या कोई नयी समस्या नहीं है। यह कई सालों से चली आ रही है। सीमा–पार से आतंकवाद वहां लगातार जारी है और वहां नरसंहार हो रहे हैं। इसी का एक उदाहरण यह 13 तारीख की घटना है। यह खासतौर पर एक विशिष्ट समाज के लोगों को डराने–धमकाने की साजिश है। एक मंदिर के ऊपर कब्जा करना और बेकसूर लोगों की हत्या करना जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। उनका कसूर क्या है? महिलाओं और बच्चों को गोलियों से भून डालना, एक विशिष्ट समाज के लोगों को गोलियों से भून डालना, यह कोई बड़ी साजिश है, ऐसा मुझे लगता है। अब तक जम्मू–कश्मीर में कितने लोगों की हत्याएं हुईं, उनके आंकड़े मुझे इस सदन में बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें इतने लोग नहीं मारे गए जितने सीमा–पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में मारे जा रहे हैं। इसमें 65 या 70 हजार के करीब लोग मारे गए हैं जिसमें मिलिटेंट्स भी हैं। इस सरकार का और हमारे पूरे देश का दायित्व है आम जनता की सुरक्षा करना, उनकी जान–माल की सुरक्षा करना। यह हम सबका फर्ज है, सरकार का फर्ज है लेकिन विपक्ष इससे बच नहीं सकता। यह समय टीका–टिप्पणी करने का नहीं है। हम सबको मिलकर, पूरे सदन को पार्टी से ऊपर उठकर यह तय करना होगा कि सीमा–पार से जो आतंकवाद चल रहा है, उसको हमें खत्म करना है। इसके लिए हमने प्रयास भी बहुत किए हैं।

अपराह्न 1.44 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

हमने लाहौर बस यात्रा की शुरूआत की। जम्मू–कश्मीर

में सीज फायर किए गए। एक बार नहीं दो–दो सीज फायर हमारी तरफ से किए गए। उसके बाद आगरा शिखर वार्ता हुई फिर भी हमारी जो सर्वोच्च संस्था है, हिन्दुस्तान की जो लोक सभा है, उसके ऊपर 13 दिसम्बर को हमला हुआ। उसके बाद भी कुछ घटनाएं हुई। 13 दिसम्बर को संसद पर जो हमला हुआ, उसकी बहुत चर्चा हुई। अभी तक हमारी सीमा पर 6–7 लाख फौज के जवान हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं फिर भी आतंकवादी घुस जाते हैं। इसमें कुछ न कुछ कमी है, यह हमें जानना होगा। 13 जुलाई को जो हमला हुआ और विशेष रूप से सीमा–पार से जो आतंकवाद चल रहा है, उसे रोकने के लिए कोई खास उपाय करने की जरूरत है।

मुझसे पूर्व–वक्ताओं ने कहा कि हमारे जवानों के पास पुराने हथियार हैं। यह बात सब लोग जानते हैं। आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। आतंकवादी वेबसाइट के माध्यम से जेहाद फैला रहे हैं। हमारी स्टेट पुलिस बल, केन्द्र की रिजर्व पुलिस बल को निश्चित तौर पर हथियारों का माडर्नाइजेशन करना होगा। यह कदम जल्दी से जल्दी उठाने की जरूरत है, यह मेरा अपना ओपीनियन है।

हमारी दूर–संचार प्रणाली में भी कमी है। हमें देर से सूचना मिलती है। यदि वक्त पर सूचना मिले तो हम आतंकवादियों को रोक सकते हैं, उन पर लगाम लगा सकते हैं। हमारी सूचना प्रणाली को जितना काम करना चाहिए, वह उतना काम नहीं करती। हमारे जासूसी तंत्र में निश्चित तौर पर कुछ कमी है। इसे हमें देखना होगा और यदि हमें सही मायने में आतंकवाद को रोकना है तो हमें संचार प्रणाली, सूचना प्रणाली का माडर्नाइजेशन करना होगा, तभी हम आतंकवाद को रोकने में कामयाब होंगे।

युद्ध दो प्रकार का होता है–घोषित युद्ध और अघोषित युद्ध। मेरे ख्याल से अघोषित युद्ध घोषित युद्ध से ज्यादा खतरनाक है। हमारा शत्रु कहां है, उसके ऊपर हमने कैसे अटैक करना है, घोषित युद्ध में हमें इन चीजों का पता होता है लेकिन अघोषित युद्ध में आतंकवादी छुपे रास्ते से जम्मू–कश्मीर में आकर हमला करते हैं। इसलिए हमें अघोषित युद्ध को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इसकी ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सीमा–पार से जो आतंकवाद चल रहा है, वह कौन कर रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। हमें यह बोलने में डरना नहीं चाहिए, हमें बार–बार बोलना चाहिए कि यह सब पाकिस्तान कर रहा है। जम्मू–कश्मीर में बार–बार निरीह लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, खासतौर से एक विशेष समाज को टारगेट बनाया जा रहा है ताकि वे जम्मू–कश्मीर से भाग जाएं। एक विशेष समुदाय को जम्मू–कश्मीर में न रहने देने की उनकी साजिश है। इसके लिए भी हमें रोकना पड़ेगा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और मेरी तरफ से जम्मू में आतंकवादियों द्वारा जिन 27 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई है, उन मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भविष्य में आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार की और हमारे विपक्ष की, सब की जिम्मेदारी है, पूरे हिन्दुस्तान की जिम्मेदारी है। पूरे हिन्दुस्तान के लोगों की जान–माल की रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ ठोस उपाय करने होंगे। इसके लिए भविष्य में हमें कुछ सुचारु रूप से कार्य करने की जरूरत है और कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

ऐसा सुझाव देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 13वीं लोक सभा में पांचवीं बार आतंकवाद पर विभिन्न नियमों के अंतर्गत चर्चा हो रही है और हम यह दोहराना चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से सरकार को पूरी तरह समर्थन दिया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी कार्रवाई करे, उसका सफाया करने में पूरा विपक्ष, पूरा देश, पूरी सेना साथ है।

बार–बार यहां आश्वासन दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन आज स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। 13 जुलाई को सवेरे ही कासिम नगर (राजीव नगर) में 27–28 निर्दोष लोगों की हत्या की गई, जो राजस्थानी मूल के थे और रोजी–रोटी की तलाश में वहां पर गए हुए थे। इन निर्दोष लोगों की हत्या करने का आतंकवादियों का मकसद पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर दहशत फैलाना है। यह दहशत उस वक्त फैलाई जा रही है, जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, कश्मीर की विधान सभा भी चलने वाली है और अमेरिका के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि हिन्दुस्तान पाकिस्तान की बात कराने के लिए दौरे पर आ रहे हैं। एक तरफ आतंकवादियों का इतना कहर और दूसरी तरफ सरकार की पूरी की पूरी निगाहें अमेरिका की तरफ लगी हुई हैं कि अमेरिका आतंकवाद को रोकेगा। हमारी हमेशा यह राय रही कि आतंकवाद के खिलाफ

[श्री मुलायम सिंह यादव]

भारत को अपने बलबूते पर अपनी ताकत से आतंकवाद से लड़ना पड़ेगा। किसी दूसरे देश के भरोसे आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता, न उसका सफाया किया जा सकता है, लेकिन सरकार की मानसिकता क्या है, कितने प्रकार के बयान आए, त्रिपाठी जी यहां नहीं हैं, वे कहते हैं कि प्रतिक्रिया मत दीजिए, प्रतिक्रिया कौन देता है, हम लोग तो प्रतिक्रिया देश की सुरक्षा की स्थिति सुधारने के लिए देशहित में देते हैं और ये प्रतिक्रिया क्या देते हैं जब कालूचक में सवेरे-सवेरे सेना के शिविरों पर हमला करके और जिस दिन सेना के जवानों की ज्यादा तादाद थी, सेना के परिवारों की ज्यादा तादाद थी, निर्दोषों की हत्या कर दी गई, वह भी 30 लोगों की और उसके बाद प्रधान मंत्री ने तत्काल कालूचक में जाकर कहा कि अब निर्णायक लड़ाई होने वाली है और हमारे देश के जवानो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे ही दिन दिल्ली के लिए जब चलने लगे तो क्या कहा, रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, वही बताएं कि अमेरिका से टेलीफोन से क्या निर्देश मिले। वहां से निर्देश दिए गए कि अपनी भाषा बदलो, अपना बयान बदलो तो प्रधान मंत्री जी ने तुरन्त कहा कि अब बादल छंट गए हैं, बिजली गिरने वाली नहीं है और अपनी गर्मी की छुट्टी बिताने शिमला और मनाली चले गए।

हमने आतंकवाद के खिलाफ सीमा पर लड़ाई की तैयारी की थी, अगर युद्ध होगा तो उसके लिए हम तैयार थे, वह तैयारी सारी धरी रह गई है। पिछले सात महीनों से लगातार हमारे जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं। उन्हें अवकाश तक नहीं मिल रहा है। रक्षा मंत्री जी इस बात को सोचें कि वे किस स्थिति में रह रहे हैं। मोटा अनुमान है कि भारतीय जवानों की तैयारी पर करीब 8000 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा हो रहा है। अब यह अनुमान कितना सही है, यह तो रक्षा मंत्री जी ही जानते हैं। मगर परिणाम कुछ भी नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता कि पूरी फौज वहां लगी हुई है, सारे सुरक्षा बल वहां तैनात हैं, उसके बावजूद भी कैसे आतंकवादी इस तरह से जघन्य अपराध करके निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। वे इन निर्दोष लोगों की हत्या करके साफ निकल गए। घुसपैठिए किधर से आ रहे हैं, ये समझ से परे है। अभी तक इस तरह का कोई आतंकवादी न तो पकड़ा गया है और न ही मारा गया है। जहां तक हमें पता चला है कि सीमा पर जो जवान तैनात हैं उनमें से कई जवानों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उनकी छुट्टियां रद्द होने के कारण वे शादियां स्थगित हो गई हैं, क्योंकि वे सीमा पर तैनात हैं, अपने घर नहीं जा सकते। उनके ठहरने का क्या इंतजाम है, किन परिस्थितियों में वे वहां रह रहे हैं, यह सब देखना चाहिए। इसके अलावा जो आतंकवाद प्रभावित इलाके हैं, वहां के लोग कहां जा रहे हैं, वे भाग-भागकर अपनी रोजी-रोटी दूसरी जगह तलाश रहे हैं, उसके बावजूद भी हम आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। करीब आठ हजार करोड़ रुपया खर्च हो गया है, जवानों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं, उनकी शादियां स्थगित हो गई हैं, एक प्रकार से यह सेना का मनोबल तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर जो उत्साह था, कुर्बानी के लिए वे तैयार थे, लेकिन आज उनकी क्या हालत है और आतंकवाद का उन पर क्या असर पड़ा, इसको भी देखना चाहिए। मेरा यह मानना है कि इससे ज्यादा कमजोर और अक्षम सरकार कोई नहीं हो सकती। जहां हम आतंकवादियों के जघन्य अपराधों की निंदा करते हैं, वहीं हम इस कमजोर और अक्षम सरकार की भी निंदा करते हैं।

15 जुलाई के हिन्दुस्तान अखबार में छपा है कि "कालूचक के बाद कासिमनगर (राजीवनगर) का नरसंहार सरकार की लापरवाही का परिणाम"। यह उस अखबार की मुख्य खबर है। मैं इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए कि वह आतंकवाद से लड़ने में नाकाम साबित हो रही है। पिछले डेढ़ वर्ष से जम्मू आतंकवादियों के निशाने पर है। अभी तक वहां 150 लोगों की हत्या हो चुकी है। पहले उनके निशाने पर कश्मीर था। उसके बाद कुछ समय तक हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से रहे, फिर कारगिल था। अब पूरा जम्मू उनके निशाने पर है। हम शिवराज पाटील जी से सहमत हैं कि जो लोग मारे जा रहे हैं, वे कोई हिन्दू, मुसलमान या सिख नहीं हैं, भारतीय हैं। हम लोगों ने कभी हिन्दुत्व की बात नहीं कही। आप लोग हिन्दुत्व का नारा लगाकर सत्ता में आए। कश्मीर की घाटी से सारे हिन्दुओं का पलायन हो गया। आज कश्मीरी ब्राह्मण कैम्पों में, टैंटों में देश के विभिन्न स्थानों में रह रहे हैं। उनकी देखरेख नहीं हो रही है। उनको कैसे वापस वैली में पहुंचाया जाए, इसका कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अगर सरकार इसी तरह से कमजोर रही तो हो सकता है जैसे श्रीनगर और सारा कश्मीर हिन्दूविहीन

हो गया है, उसी तरह से जम्मू भी हिन्दूविहीन हो जाएगा। हिन्दुत्व का नारा देकर और हिन्दुत्व की भावना फैलाकर ये लोग आज यहां सत्ता में बैठे हैं। अब कहां हैं वे हिन्दुओं के रक्षक जो हिन्दुत्व की बात करते थे, जबकि मुझे हिन्दुत्व-विरोधी कहते थे? प्रकाश मणि जी फौज में लेफ्टीनेंट जनरल रह चुके हैं, हम इस बात को मानते हैं। लेकिन हमने भी देखा है, वे भी जानते हैं तो हम भी जानते हैं कि कैसे युद्ध जीता जाता है, कैसे पड़ोसियों से रिश्ते बनाए जाते हैं और कैसे सेना का मनोबल बढ़ाया जा सकता है।

अपराह्न 2.00 बजे

कैसे हथियार दिए जा सकते हैं? मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि किस तरह के बयान दिए गए हैं? प्रधान मंत्री जी ने निराशा भाव से कबूल किया कि 13 दिसम्बर को जब संसद पर हमला हुआ था, तभी हमें पाकिस्तान [illegible]ा बोल देना चाहिए था। प्रधान मंत्री के बयान को इसलिए संदर्भ में ले रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने रुक गए। हम यह कहना चाहते हैं और इसका संदर्भ इसीलिए दिया है कि देश का हित अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए कैसे कुर्बान किया जा सकता है? ये स्वयं को बहुत बड़ा देशभक्त कहते हैं। क्या-क्या हमने झेला है। हमारे खिलाफ तो पर्चे छपाए गए थे, इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि यह सरकार अंतर्राष्ट्रीय समूह को खुश करने के लिए देश का हित कैसे कुर्बान कर सकती है? हम जानबूझकर इस बात को कह रहे हैं। हो सकता है कि यह कटु शब्द है लेकिन राष्ट्रहित का ध्यान न कर अंतर्राष्ट्रीय हित में आप झुक गए हैं।

19 जुलाई से अमरनाथ यात्रा फिर शुरू होने जा रही है। गत वर्ष आपने कहा कि हम पूरी सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे लेकिन 1,80,000 यात्रियों में से आधे से ज्यादा सुरक्षा के अभाव में खतरा समझकर वापस लौट गए हैं। आज लोग अमरनाथ की तीर्थयात्रा पर नहीं जा सकते। आप तीर्थयात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था न कर सके। आप आतंकवाद का मुकाबला कहां कर रहे हैं? आपको हमें बताना चाहिए कि आतंकवाद का मुकाबला कहां-कहां किया और क्या-क्या किया? 14 जुलाई को भारत के गृह मंत्री जो अब उप-प्रधान मंत्री हुए हैं उनसे जब पत्रकार पूछते हैं कि क्या इस लोमहर्षक घटना में पाकिस्तान का हाथ है तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। रक्षा मंत्री और कश्मीर के मुख्य मंत्री फारूख अब्दुल्ला की बोलती बंद और विदेश मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री दोनों कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। प्रधान मंत्री की बोलती बंद कि इस संबंध में किसका हाथ है और किसका नहीं है। आप सोचिए कि सर्वोच्च पदों पर बैठे प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री चारों के बयान अलग-अलग हैं। कितना संवेदनशील मामला है। हमारे देश की रक्षा का सवाल है और उस पर सरकार की एक राय नहीं है। सरकार एकमत नहीं है। एक निर्णय साथ-साथ नहीं ले सकते हैं। जबकि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष साथ है, जनता साथ है, फौज साथ-साथ है और सके बाद भी क्या वजह है कि चार-चार अलग बयान दिए जा रहे हैं। बताएं तो किसका बयान सही है? प्रधान मंत्री जी कहते हैं चुनाव से पूर्व हुरियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को विश्वास में लिया जाए। रक्षा मंत्री कहते हैं हुरियत से चुनाव पर कोई बात नहीं होगी। प्रधान मंत्री जी लखनऊ गए और वहां बयान दिया कि कश्मीर में चुनाव की पूर्व संध्या पर भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्या इससे कश्मीर के अंदर शांति रह सकती है? वहां दुर्दशा बनी हुई है। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अक्टूबर में वहां विधान सभा के होने वाले चुनाव निर्विघ्न तरीके से न हो सके इसमें पाकिस्तान और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय सभी उग्रवादी संगठनों की सम्मिलित भूमिका है। आजादी के बाद कश्मीर को क्या मिला? क्या कश्मीर के लोगों को रोजगार दिया गया? क्या कश्मीर के लोगों को शिक्षा दी गई? क्या आवागमन की सुविधा दी गई? क्या आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। आज वहां चुनाव होने वाले हैं। वहां जितने लोग नौकरियों में हैं, उनमें कितने लोग बाहर के हैं और कितने कश्मीरी हैं, इस बात की जानकारी है? क्या पिछले 13-14 सालों से बैंकों में लेन-देन बंद नहीं हैं? वहां कोई विकास नहीं है। वहां सभी सुविधाओं का अभाव है। आपकी योजनाएं कहां जा रही हैं और कहां खर्चा हो रहा है, लेकिन कश्मीर ज्यों-का-त्यों तबाह है। जिस कश्मीर ने हमारे भारत के साथ रहना पसन्द किया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, उस कश्मीर की दुर्दशा ज्यों-की-त्यों है। क्या आपने कभी सोचा है, वहां के नौजवानों में क्या भावना पैदा हो रही है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार की नीतियां हैं और इन नीतियों को आपको सुधारना होगा। कश्मीर के बारे में हम बार-बार कहते

[श्री मुलायम सिंह यादव]

हैं, आप कश्मीर की जनता को विश्वास में लें। आप अमरीका, इंग्लैंड और दुनिया के अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय समूह को विश्वास में लेते हैं, अगर आप कश्मीर की जनता को विश्वास में ले लें, तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप अमरीका, इंग्लैंड और यूरोपीय देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेकर आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाएंगे। रक्षा मंत्री जी, पता नहीं आपकी नीतियां कहां बदल जाती हैं। आप किस संस्कृति के थे, रक्षा मंत्री होकर आपकी संस्कृति ही बदल गई है। आप अपनी राय रखें और कश्मीर की जनता को विश्वास में लें। आपके 1989-90 के बयान हमारे पास रखे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने कितना विरोध किया था और हम लोग एक साथ थे। उस समय हम उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। मजबूती से अपनी बातें रखते थे। किसको बैठा दिया है, जो सारे कश्मीर को ही बरबाद कर रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप समझ गए होंगे। आपने कितना विरोध किया था। आपने कहा था कि कारखानों में देखा है, कितने हिन्दू और मुसलमान काम कर रहे हैं। वहां कोई हिन्दू और मुसलमान की भावना ही नहीं है। इतने प्यार और मोहब्बत से रह रहे थे। अब तो आप रक्षा मंत्री हैं, अब यह स्थिति क्यों है? आप सभी जानते हैं और प्रधान मंत्री जी को आपकी राय समझ में आ जाए, तो इनको भी समझ में आ जाएगी। थोड़ा बदलिए। इसलिए कश्मीर की जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी, अमरीका, इंग्लैंड और यूरोप के देशों को विश्वास में लेकर आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। कश्मीर की जनता को विश्वास में लेकर आप आतंकवाद का सफाया कर सकते हैं। वहां की जनता को विश्वास में लेकर कुछ कीजिए। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की चर्चा करके समस्या को आज तक चलाते रहे हैं और बार-बार राष्ट्रपति शासन लगता रहा है। उसका यही नतीजा है और आतंकवाद का एक कारण है। राष्ट्रपति शासन किसी ने भी लगाया हो, लेकिन आप भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो आप आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

महोदय, अब स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जम्मू की विधान सभा में सवाल उठाया, तो मुख्य मंत्री फारुख अब्दुल्ला ने सीधे-सीधे कहा कि गृह मंत्री आडवाणी जी से जाकर पूछें। यह बात उन्होंने कही है, चाहें तो आप विधान सभा की कार्यवाही मंगा लें। उन्होंने कहा-आप गृह मंत्री श्री आडवाणी जी से पूछें। सारी की सारी फौज उनके हाथ में है। सब कुछ उनके पास है, कश्मीर की सरकार कहती है कि दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है और दिल्ली की सरकार कहती है कि कश्मीर की सरकार जिम्मेदार है। हम कहते हैं कि दोनों जिम्मेदार हैं। कश्मीर की सरकार भी जिम्मेदार है और केन्द्र की सरकार भी जिम्मेदार है और इस आतंकवाद के चलते हुए निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है। इसलिए दोनों जिम्मेदार हैं।

इस मौके पर माननीय सोमनाथ चटर्जी ने पूछा कि गृह मंत्री जी आपकी राय क्या है। मैं जानता हूं, आप क्या जवाब देंगे। विश्व हिन्दू परिषद और संघ परिवार के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कश्मीर को तीन हिस्सों या चार हिस्सों में बांट दिया जाए। यहां तो कह देंगे कि सहमत नहीं हैं, लेकिन हमारा आरोप है, सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बाकायदा समर्थन है। संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद के लोगों को अलग-अलग करके कैसे देखा जा सकता है। चिन्मयानन्द जी विश्व हिन्दू परिषद के हैं या नहीं, बजरंग दल के हैं या नहीं। गोरखपुर से लोक सभा के सदस्य विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य हैं। उसके लिए कहेंगे कि संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद या कहीं बजरंग दल की राय है। बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के मेम्बर्स लोक सभा में बैठे हैं। संघ परिवार के लोग कहेंगे कि मैं फख्र करता हूं कि संघ परिवार का सदस्य रहा हूं और हूं। नेकर पहनकर केसरिया झण्डे को सलाम करते हैं और फिर कहेंगे कि संघ परिवार अलग है। ये कोई अलग नहीं हैं, आपके नियंत्रण में हैं।

प्रधान मंत्री जी, हम आपकी ताकत को जानते हैं। हम जानते हैं कि आपका संघ परिवार, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल सब पर आपका पूरी तरह से नियंत्रण है। आपके बिना ये क्यों कश्मीर को बांटने की बात करेंगे। कश्मीर को बांटने की भावना और मंशा क्या है? क्यों चाहते हो? क्या सीधे-सीधे कश्मीर को पाकिस्तान के दरवाजे भेजना चाहते हो, क्या यही इसके पीछे मंशा है? लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को बांटकर, सीधे-सीधे कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते हो-यही शुरू से जिन्ना चाहता था। क्या जिन्ना जो चाहता था वही संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद चाहता है? आप जिन्ना के समर्थक हैं, आप में और जिन्ना के लोगों में अंतर क्या है? जिन्ना, संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद, सब एक ही

राय के हैं। जब प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी यहां जवाब दें तो बताएं, हम तो एक राय के मानते हैं। अगर देश को एक रखना है, ये नहीं रख पा रहे हैं, आप लोग समझ बैठे हैं कि सरकार चाहिए, आप किसी भी तरह से देश को एक नहीं रख पा रहे हैं। आप कश्मीर को नहीं बचा पा रहे हैं, क्या यह संदेश देश के अंदर नहीं जा रहा है। आप देश । और यहां की फौज को क्या संदेश दे रहे हैं? आप क्या जवानों को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने की बात कर रहे हैं? सरकार यहां कुर्बानी की बात कर रही है और वहां संदेश दे रहे हैं कि हम कश्मीर को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप जिन्ना के रास्ते पर जा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी, इसका उत्तर मिलना चाहिए।

महोदय, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरा दस मिनट का समय रखा था। हम माननीय शिवराज पाटील और सोमनाथ चटर्जी जी की बात को दोहराना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हम इस घटना की घोर निन्दा करते हैं, यह जघन्य अपराध है। आतंकवादियों के खिलाफ आप जो भी कार्यवाही करना चाहते हो, कीजिए। इसमें समाजवादी पार्टी और सभी विपक्षी दलों के माननीय सदस्य पूरी तरह सरकार के साथ हैं, लेकिन जहां हम इसकी निन्दा करते हुए, जघन्य अपराध करने वालों की, आतंकवादियों और पाकिस्तान की निन्दा करते हैं वहीं पर हम पुनः इसका विरोध और निकम्मी सरकार की निन्दा करते हुए इस सरकार से एक ठोस निर्णय की उम्मीद रखते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं।

अपराह्न 2.14 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : अध्यक्ष महोदय, यहां जो बहस चल रही है, राजीव नगर में जो कांड हुआ है, उसके पश्चात् जो भी विषय यहां उठाए गए हैं, वे जायज हैं और जो अपेक्षाएं हैं, उनके बारे में भी कोई विवाद नहीं हो सकता। जो कांड हुआ, उसकी हम जितनी भी निन्दा करें, उतनी ही कम है, यह हम सभी लोग मानते हैं। यह कांड और उसके पहले कालूचक में जो कांड हुआ था या डोडा में जो होता रहा, जम्मू-कश्मीर के अनेक इलाकों में पिछले कुछ महीनों में होता रहा है, उसमें हम एक यह क्रम देख रहे हैं, ये सब उनके खिलाफ हो रहा है या उन पर हो रहा है जो बिल्कुल निहत्थे हैं, जिनके हाथों में न लड़ने की कोई क्षमता है। यह भी देखा गया कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग जो बाहर के प्रदेशों से आकर रोजगार में लगे लोग थे और सेना के जो जवान वहां तैनात हैं और जिनके कैम्पस में केवल उनकी महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं। अजीब किस्म के क्रम में आतंकवाद आज अपना नंगा नाच कर रहा है।

मुलायम सिंह जी और अन्य एक-दो वक्ताओं ने यह बात कही कि सेना इतनी बड़ी ताकत में सारी सीमाओं पर तैनात होने के बावजूद आतंकवाद अभी भी जम्मू-कश्मीर में खेल खेल सका है। सेना अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर है, जहां पहले किसी प्रकार के आतंकवाद की समस्या नहीं रही और आज भी नहीं है। आतंकवाद से लडने वाली सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या अन्य केन्द्र सरकार की पुलिस फोर्स और उसके साथ-साथ कश्मीर के बारे में कहा जाए तो कश्मीर की पुलिस भी उसमें शामिल है। ये सारे सुरक्षा बल लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अर्से से अपना काम करते आए हैं। यह काम करते हुए उन्हें एक साथ लाना चाहिए, ऐसा यहां कहा गया। हकीकत यह है कि वे एक साथ अपना काम कर रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यूनिफाइड कमांड है जिसका मुख्यालय श्रीनगर में है। उसके तहत उस इलाके में जो भी सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके निर्देशन में आतंकवाद से जूझने का काम इन सारे सुरक्षा बलों द्वारा होता आया है और आज भी हो रहा है। इसमें सुधार की जरूरत थी या है, माननीय पाटील साहब ने यहां अपने भाषण में इस बात को कहा। यह बात सही है कि इसमें और सुधार हो और वह इस मायने में उन्हें अत्याधुनिक शस्त्र पहुंचाने की आवश्यकता थी। उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम तेजी से चलाया गया। मैं आज के दिन सदन को कह सकता हूं कि उनके पास जो शस्त्र बहुत आवश्यक करके माने जाते थे, जिनमें हमें हैंड हैल्ड थर्मल इमेजर्स, बैटल फील्ड सर्वेलेंस राडार्स, ग्राउंड सैंसर्स चाहिए। इन सारी चीजों का अभाव था जिन्हें हम लोगों ने काफी मात्रा में दूर कर दिया है। हम यह भी मानेंगे कि हमारी जो और आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति का काम लगातार जारी है। चूंकि इनमें से अनेक चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहां अभी तक नहीं बन पा रही हैं, इनका आयात करना आवश्यक है। इन चीजों के आयात में कितनी समस्याएं हैं, इनमें कितना समय लग जाता है, वह कोई और जाने या न जाने, लेकिन पाटील

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

जी जानते हैं क्योंकि उन्होंने यह विभाग बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाला हुआ है। श्री मुलायम सिंह जी भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने भी यह विभाग संभाला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि जो कार्य हम लोग कर रहे हैं और जिसके लिए उप-प्रधान मंत्री जी की ओर सुरक्षा बलों के मनोबल के बारे में इशारा किया गया है, मैं इस बात को यहां बताना चाहता हूं, वे बताएं या न बताएं-जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद एक प्रकार से युद्ध है। इस संबंध में सरकारी स्तर पर सभी मंत्रालयों को एक साथ लाने की आवश्यकता है क्योंकि उन सभी मंत्रालयों का योगदान है। यह काम सुचारु रूप से चले, इसके लिए जो भी आवश्यक निर्णय लेना हो, न केवल उनका दायित्व रहा है बल्कि उस दायित्व को निभाते भी आए हैं।

अध्यक्ष जी, मैं नीति से जुड़ी हुई समस्याओं पर नहीं बोलूंगा लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ मसलों पर खुलासा किए जाने की जरूरत है, वह करूंगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों की यहां गलतफहमियां दिखाई दी हैं। जैसे यह कहा गया कि काफी समय से सेना बॉर्डर पर खड़ी है, उनके मनोबल का क्या हुआ, उन पर कितना खर्चा हो रहा है। जहां तक खर्च का सवाल है, इसमें 8000 करोड़ रुपये का कोई अर्थ नहीं। मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगा कि देश की सुरक्षा के लिए जब हम लोग मैदान में हैं, तब यह कहना कि कितना खर्च होगा, मेरे ख्याल से यह बात सामने रखना उचित नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : इसमें खर्च करने की बात नहीं, मैंने कहा था कि इसका परिणाम क्या होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, एक समस्या जो बार-बार इस सदन के भीतर और बाहर कही जाती है और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि एक अभियान सा चलता है कि हमारे जवानों और अधिकारियों के मनोबल की क्या स्थिति है। यह प्रश्न कम से कम श्री मुलायम सिंह जी के मुंह से नहीं आएगा। हमारी सेना का मनोबल क्या है, क्या हमेशा रहा है, आज के दिन क्या है, यह वे समझ सकते हैं। हमारी सेना जहां-जहां तैनात है, मैं बार-बार वहां जाता हूं। हमारे जवान और अधिकारी किन हालात में वहां रहे हैं, क्या खा रहे हैं, केवल देखने का प्रयास नहीं है बल्कि जहां कहीं भी कमी नजर आती है, उसे तत्काल दूर करने की जो भी जिम्मेदारी है, उसे निभाते आए हैं। मैं न केवल इस सदन को बल्कि समूचे देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सेना के मनोबल को लेकर किसी प्रकार की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। उनका मनोबल ऊंचा है। चूंकि वे भारी मजबूती के साथ किसी भी समस्या या चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैनात हैं, इसलिए उससे उनका कदम पीछे नहीं हटना है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि कैसे बिना हथियार, बिना किसी भी प्रकार शक्ति के जो लोग हैं, उन्हें निशाना बनाकर यह आतंकवाद चल रहा है। इसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया, उस पर कुछ माननीय सदस्यों ने परेशानी व्यक्त की। पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य है। चूंकि यह आतंकवाद नहीं चलेगा, एक क्षण भी नहीं चलेगा, अगर पाकिस्तान चाहे कि यह न चले। जब यह तथ्य आंखों के सामने हैं तो फिर अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ नजर न डालें और जब भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उस पर पाकिस्तान को जो भी कहना है, वह न कहें तो जो निर्दोष लोग आतंकवाद के शिकार बनते हैं, हम उनके साथ एक प्रकार का जुल्म करेंगे। सारी दुनिया जो अपनी नजर इस भूखंड पर लगाए बैठी है और जब-जब भी इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और दुनिया में जो इस पर आज आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, पाकिस्तान इसकी जड़ है। हम यह बात मानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत का तौर-तरीका रहना चाहिए और बार-बार यह बात कही गई है कि पाकिस्तान से बातचीत होगी और होनी चाहिए। लेकिन अगर आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने का कार्य, उन्हें हर तरह से पैसे तथा अन्य सामग्री से लैस करने का काम करके उन्हें हमारी सीमाओं के भीतर भेजने का काम जब तक पाकिस्तान की तरफ से होता रहेगा तो एक तरफ हम उनसे जूझने का काम करें और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए बैठ जाएं तो यह किस कूटनीति में सही बैठाया जा सकता है, यह हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान का नाम बार-बार आएगा। पाकिस्तान भले ही आज के दिन इस सबको नकारने का काम करे। जैसे राजीव नगर कांड के तत्काल पश्चात् उन्होंने स्वयं इसकी निंदा करने का काम किया। अब अगर उनकी निंदा करने पर कोई विश्वास करने लग जाए तो यह बहुत मुश्किल होगा। दुनिया के लोग जब कहते हैं तब पाकिस्तान पर जो दबाव बढ़ता है, वह भी एक कारण है कि पाकिस्तान के बारे में

जो सत्य और तथ्य हैं, उन्हें हमें देश और दुनिया के सामने रखना चाहिए।

अध्यक्ष जी, जो प्रयास पिछले कुछ महीनों से या कहा जाए कि पिछले साल-दो सालों से चल रहे हैं, हम पिछले कुछ महीनों से इसलिए कहते हैं क्योंकि तब आतंकवाद ने एक नया रू५ लिया था, हमारे संसद भवन पर जो हमला किया गया और उस हमले के बाद जो घटनाएं घटीं, उनकी जो एक रणनीति है, उस रणनीति को दुनिया के सामने रख दिया। पिछले दो सालों में विशेष तौर पर सेना ने आतंकवाद से न केवल जूझने और उसे मात देने का कार्य किया, बल्कि बड़ी मात्रा में इस पर काबू पाया। मैं कुछ आंकड़ों को सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह केवल सेना की बात है, इसमें मैं पैरा मिलीट्री फोर्सेज या अन्य पुलिस या फोर्सेज के आंकड़ों को नहीं रख रहा हूं। पिछले साल हमारी सेना ने 1889 आतंकवादियों को मार गिराया और 663 आतंकवादियों को गिरफ्तार करके रख दिया। उसके पहले साल 1432 आतंकवादियों को मार गिराया और 274 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। 1990 से चला हुआ जो आतंकवाद है, वैसे तो इसके पहले से है, लेकिन 1990 से जो आंकड़े हमारे पास हैं, वह मैं बता दूं। अभी तक जितने आतंकवादियों को मार दिया है, उनकी संख्या 15 जुलाई, 2002 तक 12940 है। यह मामूली काम नहीं है। विशेषकर पिछले दो सालों में सेना द्वारा जो किया हुआ काम है, उसके लिए उनको जितनी भी शाबाशी दें वह कम है। चूंकि युद्ध में लड़ना एक चीज है जहां शत्रु बिल्कुल सामने है और यह जो आतंकवाद से लड़ाई कश्मीर के जंगलों में, कश्मीर के बर्फीले इलाकों में जहां राडार का काम या थर्मल इमेजिंग का काम आसान नहीं है, ऐसे स्थानों पर जूझते हुए जिस प्रकार की कामयाबी हमारी सेना ने हासिल की है, वह आंकड़ों द्वारा मैंने आपके सामने रखी और यह करते समय हमारे जवान भी शहीद हुए। हमारे जवान जो इस अवधि में मारे गए, 1990 से लेकर 15 जुलाई, 2002 तक, उनकी संख्या 1918 है। कुर्बानियां भी दी जा रही हैं और जो घायल हुए जवान हैं, इन सालों में उनकी संख्या 5440 है। जो प्रश्न छेड़े गए हैं, वह जायज प्रश्न हैं, लेकिन यह समझना और इस बात को दिमाग में रखना कि कोई नीति ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है और इसके चलते यह सारी चीज बढ़ती जा रही है या चलती जा रही है, यह ठीक नहीं है, ये आंकड़े दिखाते हैं। पिछले कुछ सालों में जो नई अत्यावश्यक सामग्री ली गई है ताकि सेना के हाथों में वह सामग्री रहने पर आतंकवादियों से लड़ना उनके लिए आसान हो, उसका भी यह नतीजा है। अगर सन् 2000 में 1432 और सन् 2001 में 1889 आतंकवादियों को मारना संभव रहा तो उसके पीछे सेना के जवानों के हाथों में कुछ आधुनिक शस्त्र देना भी काम में आया था। इसलिए इस कार्य में जो सेना का योगदान है, हम चाहेंगे कि जब सदन में हम लोग इस विषय पर आज बहस चला रहे हैं तो उसको भी ख्याल में रखा जाए और उन्हें भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया जाए कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वह विल्कुल कोई महत्व का काम नहीं है या जितना उनकी तरफ से होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। हमारी किसी बात से, ऐसी कहीं किसी प्रकार से बू नहीं आ जाए, मुझे यह भी बहुत अदब के साथ यहां कहना है।

अध्यक्ष जी, इसमें जो सुधार की बात है, वह हम लोग करेंगे। हमें सीमाओं पर सर्वीलेंस के लिए ऐसे काबिल इमेजिंग इक्विपमेंट्स चाहिए। वे आ रहे हैं। एक लंबे समय से उनके लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसके कारण वे अब आ रहे हैं, आते रहेंगे और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा हमारे पास उनकी पर्याप्त मात्रा हो जाएगी। यह लड़ाई जो चल रही है यह कोई एक-दो महीने या एक साल में समाप्त होने वाली नहीं है। मैं उस लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं जो हुई नहीं है, बल्कि मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूं जो पिछले दशक से जम्मू-कश्मीर में चल रही है, आज भी चल रही है और जब तक पाकिस्तान की सोच बदल नहीं जाती है तब तक चलती रहेगी।

महोदय, पाकिरतान की अपनी एक समझ है। जब तक उनके दिमाग में यह समझ रहेगी, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं हो सकती है। कम से कम मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि पिछले 50 सालों का यदि इतिहास देखा जाए, तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई मौका मिला, पाकिस्तान ने कश्मीर को छोड़कर दूसरा कोई विषय नहीं उठाया। अगर उनमें कोई भारी परिवर्तन आ जाए, तो अलग बात है, वरना यह लड़ाई आगे चलने वाली लड़ाई है।

महोदय, जैसा यहां सभी बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में कहा और बार-बार इस बात को दोहराया कि इस काम में सारा देश एक है। यह एकता न केवल अपने देश के लिए बल्कि सारी दुनिया को दिखाने वाली एकता है और यह क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म तक ऐसी ही बनी

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

रहनी चाहिए। यह पूछा जाता है कि कब लड़ाई होगी, तो हम कहते हैं कि लड़ाई तो एक प्रकार से चल रही है। इसलिए सारे देश की एकता की बात जो कही गई है, हम चाहते हैं कि यह एकता बनी रहे।

महोदय, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुलायम सिंह जी ने जम्मू-कश्मीर में जनसमस्याओं का हल कैसे हो, यह बात कही है। जम्मू-कश्मीर में मेरा खुद का अनुभव है। आतंकवाद 1989 में जब शुरू हुआ और कश्मीर विषय के मंत्री के रूप में कुछ महीनों के लिए मेरी नियुक्ति हुई तब का मेरा कुछ अनुभव है। मैंने कुछ महीने तक काम भी किया था। उन दिनों में और आज भी यदि कश्मीर के नौजवानों से रूबरू बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए तो वे कहते हैं कि आजादी चाहिए, लेकिन वे आगे कहते हैं कि आजादी के साथ-साथ हमें कहीं रोजगार दिलाइए। अक्सर यह बात आती है। मैं यह मानता हूं कि ऐसे लोग हैं जिनका आतंकवाद किसी और चीज से जुड़ा हुआ है। जो आतंकवादी हैं वे तो रोजगार की बात नहीं करेंगे, लेकिन जम्मू-कश्मीर में एक अर्से से आर्थिक क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है और आर्थिक विकास के साथ-साथ वहां के लोगों की जरूरतों की पूर्ति होना भी आवश्यक था, जो नहीं हुईं। ये खामियां रही हैं। यह जो कमियां रही हैं, उस उपेक्षा के चलते उनके मन में जो दुराव का निर्माण हुआ, उस दुराव को भी खत्म करना आवश्यक है।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : इसके लिए आपके द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 1989 और 1990 में आपका जो दृष्टिकोण था, उसकी तरफ आदरणीय मुलायम सिंह जी ने आपका ध्यान इंगित किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, यह ठीक प्रश्न है। मैं यह आपको बता दूं कि मात्र सरकार की तरफ से नहीं बल्कि सेना की तरफ से भी विशेष प्रयास जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं। इन प्रयासों में बच्चों के लिए स्कूल चलाना है। इन प्रयासों में मिलिट्री के डाक्टर जिन इलाकों में तैनात हैं, वहां के लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना भी है। सद्भावना के नाम से ये कार्यक्रम वहां चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में न केवल सेना के लोग शामिल हैं बल्कि देश भर के अनेक ऐसे स्वयंसेवी, मैं स्वयंसेवी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, स्वयंसेवी व्यक्ति इस काम में शामिल होने के लिए आते हैं क्योंकि इसकी जानकारी आज देश में काफी फैल गई है। प्रचार-प्रसार के साधनों के जरिए सद्भावना का जो कार्यक्रम वहां पर चल रहा है, उसकी जानकारी सारे देशों को पहुंचा दी गई है।

असल में दुनिया भर में इसका प्रचार-प्रसार भी काफी हुआ है क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि बाहर से भी कभी-कभी लोग कहते हैं कि हमारा इसमें कोई योगदान होना हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसके लिए अलग पूंजी का आवंटन गृह मंत्रालय की तरफ से होता है, सेना के बजट से होता है। इसके अलावा कुछ प्रदेश की तरफ से भी हो जाता है। प्रदेश सरकार को जो भी आर्थिक समस्या है, उनकी समस्याओं को हम समझते हैं, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कुछ योगदान हो जाता है। यह अत्यावश्यक चीज है कि वहां के दुराव को मिटाने और वहां की आर्थिक और उसके साथ जुड़ी हुई सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल करने का प्रयास आज जारी है। मुझे विश्वास है कि, सामरिक तौर पर उठाए गए सारे कदमों में जो सुधार होने की जरूरत है, वे सुधार और उसके साथ-साथ वहां के दुराव को मिटाने के लिए उठाए गए कदमों में हमें जो कामयाबी दिन-प्रतिदिन मिल रही है। उन दोनों के मेल से मुझे विश्वास है कि समस्या का निदान करने के काम में भारी योगदान मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : अध्यक्ष महोदय, आज हम यहां कश्मीर त्रासदी पर चर्चा करने के लिए पुनः एकत्र हुए हैं। कासिम नगर जिसका नाम बदलकर राजीव गांधी नगर रखा गया था क्यों यह वह ही थे जिन्होंने बाढ़ आने पर इन लोगों का पुनर्वास करने में सहायता की थी, यह जम्मू में गरीब प्रवासी मजदूरों की एक कालोनी है। शनिवार की रात को, जब वे लोग लॉर्ड्स में हो रहे एक दिवसीय मैच को टी.वी. पर देख रहे थे तब उन पर हमला बोला गया। उनमें से अधिकांश स्त्रियाँ तथा बच्चे थे जिसमें 27 लोग मारे गए थे।

अपराह्न 2.44 बजे

(श्री के. येरननायडू *पीठासीन हुए*)

हमें बताया गया है कि वहां बंदूकों से लड़ाई हुई। तीन घंटे तक गोलीबारी होती रही और अंत में दुर्भाग्यवश—और मैं समझती हूं कि यह शर्म की बात है—हमला करने वाले सभी व्यक्ति बच निकले। इनमें से एक भी व्यक्ति को न तो पकड़ा गया और न ही किसी को गोली मारी गई। हमारे बलों की क्या तैयारी है? श्री फर्नान्डीज बहुत ही बढ़—चढ़कर सुरक्षा बलों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में बोल रहे थे। तीन घंटे की लड़ाई के पश्चात् आप एक भी व्यक्ति को न तो गोली मार सके और न ही उसे पकड़ सके?

आज के समाचार—पत्रों में बताया गया है कि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश में अब भी उन्हें वनों में ढूंढ़ रहे हैं। आज कोई भी नागरिक पहला प्रश्न यही करता है कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में किस प्रकार की तैयारी है? आज मैं यहां सरकार की अथवा विपक्ष की बात नहीं कर रही हूं। मैं धार्मिक समूहों अथवा जो मारे गए या नहीं मारे गए लोगों की बात नहीं कर रही हूं। मैं इस प्रकार के आतंकवादी हमले वाले संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिक के न्यूनतम सुरक्षा अधिकार की बात कर रही हूं। मैं पूछना चाहूंगी, अगला कदम क्या है? यदि मैं गलत नहीं हूं तो रिपोर्टों से पता चलता है कि जम्मू—कश्मीर में सुरक्षा बलों, अर्ध सैनिक बलों अथवा उन्हें आप कुछ भी कहें, विभिन्न प्रकार के लगभग 400, 800 आदमी हैं यदि यह सही नहीं हैं तो बताएं। हमें यह बताया गया कि आपके पास हर तरह के खतरे से निबटने की तैयारी है। लेकिन सरकार फिर भी चुप है। गृह मंत्री जी ने कहा कि पहले वह स्वयं मूल्यांकन करेंगे तत्पश्चात् बोलेंगे तथा विदेश मंत्री ने तत्काल विश्व के किसी भाग में कहा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। एक ही शाम को एक घटना पर दो अलग—अलग बयान और आज जो हम क्या देखते हैं कि स्थानांतरण, परिवर्तन, मुखौटे बदलना और मंत्रालयों में परिवर्तन, मंत्रियों के कार्य में परिवर्तन और अंत में ढाक के वही तीन पात और यह कहना कि हमें स्थिति से निपटना है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है और हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगी कि हम किस चीज के लिए तैयार रहें?

मेरे पास आंकड़े हैं। ये जनवरी से लेकर दिसम्बर, 2001 तक के प्रकाशित आंकड़े हैं। इसमें प्रतिष्ठानों पर 60 बड़े आक्रमण, गांवों की तबाही, गांवों को जलाए जाने, घरों और कालोनियों आदि को नष्ट किया जाना शामिल है। इन सबकी तिथियां और स्थान भी दिए गए हैं। इन वर्षों में कश्मीर में तीस हजार बेकसूर लोग अपना जीवन गंवा चुके हैं। यह सब इन वर्षों में हुआ है। मैं यह नहीं कह रही हूं कि यह कब, कहां और किसके सत्ता में रहते हुए हुआ। लगभग 4,50,000 पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी और सुरक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ा। आप इन घटनाओं पर जरा एक नजर डालें। अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ और उसमें 38 लोग मारे गए। तत्पश्चात् दिनांक 1 अक्टूबर, 2001 को जम्मू—कश्मीर विधान सभा पर हमला हुआ। इसके पश्चात् 13 दिसम्बर को संसद पर हमला हुआ और उस हमले में 14 लोग मारे गए। दिनांक 14 मई को भारतीय सेना के कैंप पर हुए हमले में 30 लोग मारे गए। दिनांक 21 मई को, उदारवादी कश्मीरी राजनीतिज्ञ अब्दुल गनी लोन की गोली मार कर हत्या कर दी गई। यह घटनाएं होती रहीं। हर बार हम चर्चा करते रहें, बहस करते रहें और प्रस्ताव पारित करते रहें। इस मुद्दे पर सरकार किसी पार्टी को दोष नहीं दे सकती। हम सबने एक स्वर में कहा कि हम आपके साथ हैं और हम आपका समर्थन करते हैं, हमारी स्थानीय इकाइयां आपके साथ हैं। आप कृपया हमें यह बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं और हम आपका साथ देने को तैयार हैं। लेकिन, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि व्यवस्था में कहीं—न—कहीं क्षय हुआ है अथवा यह लुंज—पुंज हो गई है जो किसी प्रकार के काम करने के लायक नहीं है। जनरल त्रिपाठी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने आज सुबह बहुत ठीक बात कही कि हम केवल स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और यही हमारी शिकायत है। आप कार्रवाई नहीं करते। आप सदैव घटनाओं के पश्चात् प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हां, कुछ हो गया, अभी कुछ करना है। अच्छा बात करेंगे, डिबेट करेंगे, देखेंगे क्या होना है।

मैं सरकार से एक बात जानना चाहूंगी। इन सभी घटनाओं में सरकार द्वारा तैयार दीर्घकालिक, अल्पकालिक और तात्कालिक नीति क्या रही? मंत्री महोदय, आपने संसद में अपने सहकर्मियों और नेताओं को क्या बताया? क्या आपकी रणनीति में कोई कमी है? मैं किसी दूसरे के कंधे पर दोष मंढ़ने का प्रयास नहीं कर रही हूं। लोक प्रतिनिधियों के रूप

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

में हम उत्तरदायी हैं। यह संसद इस देश के लोगों के प्रति उत्तरदायी है। हम क्या कर रहे हैं? कश्मीर के लोग चैन से सो सकने, अपने बच्चों को स्कूल जाते देखने से पहले कश्मीर कितना खून खराबा और देखेगा? उन्होंने मुझसे एक बार बताया कि "हम नहीं जानते कि शाम को कितने वापस आएंगे। हमारे लड़के बाहर चले जाएंगे। हम नहीं जानते कि रात्रि भोजन पर कितने जीवित बचेंगे।" घाटी में इस प्रकार के भय का वातावरण है, और मैं समझती हूं यह पूरे कश्मीर और यहां तक कि जम्मू में भी यही भय व्याप्त है।

आगे, केवल रिकॉर्ड की खातिर, मैं यहां पर लोक सभा प्रश्नों के जवाबों को उद्धृत कर रही हूं। श्री फर्नान्डीज ने सुरक्षा बलों के संदर्भ में हताहतों की संख्या के बारे में कुछ आंकड़े दिए। उदाहरण के लिए, सीमा सुरक्षा बल के संबंध में, अखिल भारत के संदर्भ में हताहतों की संख्या 80 है। इनमें से, वर्ष 1999 के दौरान कश्मीर में 55 लोग मारे गए थे। वर्ष 2000 में, पूरे भारत में हताहतों की संख्या 114 थी जिसमें से 73 लोग अकेले जम्मू-कश्मीर में मारे गए थे। वर्ष 2001 में, अखिल भारतीय संख्या 71 थी। और 67 लोग जम्मू-कश्मीर में मारे गए थे। यह एक छोटा-सा राज्य है और लोग इस तरह से मर रहे हैं ! उन पर हमला किया जा रहा है। मंत्री महोदय, आपके पास इन सबको रोकने का कोई उपाय नहीं है। सुरक्षा बलों के संबंध में, आप कृपया हताहतों की संख्या देखें। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संबंध में, वर्ष 1999 में अखिल भारतीय संख्या 91 थी। इसमें से 12 लोग अकेले कश्मीर में मारे गए थे। वर्ष 2000 में, अखिल भारतीय संख्या 55 थी जिसमें से 26 लोग कश्मीर में मारे गए थे। वर्ष 2001 में, अखिल भारतीय संख्या 109 थी जिसमें से कश्मीर में 28 लोग मारे गए थे। लेकिन वर्ष 1999 के हताहतों की कुल संख्या को देखें तो, देश में मारे गए 89 लोगों में से 72 लोग अकेले जम्मू-कश्मीर में मारे गए थे। वर्ष 2000 में, 192 हताहतों में से, 103 जम्मू-कश्मीर में मारे गए थे। वर्ष 2001 में, 196 की संख्या में से 99 लोग जम्मू-कश्मीर में ही मारे गए थे। सुरक्षा बलों को भी मूल्य चुकाना पड़ता है। आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे?

जहां तक इन घटनाओं का संबंध है, वर्ष 1999 में 3071 घटनाएं हुईं और इसमें 821 लोग मारे गए। वर्ष 2000 में आपके सामने 3074 घटनाएं हुईं और 762 लोग मारे गए। वर्ष 2001 में, आपके सामने 4522 घटनाएं घटीं और 919 लोग मारे गए। ये लोक सभा में सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य हैं। ये लोक सभा प्रश्नों के उत्तर हैं। मेरे उत्तर नहीं हैं। मैं आपके स्टेटमेंट्स कोट कर रही हूं। इसका अर्थ यह है कि रक्षा मंत्री जिस पूरी तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, के बावजूद घटनाओं और मरने वालों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। आप इसके लिए किसे दोषी ठहराएंगे? क्या यह आई.एस.आई. है अथवा पाकिस्तान सरकार है? यदि पाकिस्तान हमें इस प्रकार भयाक्रांत कर सकता है, तो यह देश इससे निबट क्यों नहीं पाता है। आखिरकार इस देश की जनसंख्या एक हजार मिलियन है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रही हूं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हम कहां भूल कर रहे हैं? क्या हमारी कोई रणनीति, कार्ययोजना है? क्या हमारे पास इससे निपटने का कोई तरीका है? मैं बिना किसी भय और हिचकिचाहट के साथ यह कह सकती हूं कि इसे आप केवल गोलियों से नहीं रोक सकते। आप दस आतंकवादियों को गोलियों से मार सकते हैं और कल दूसरे दस आतंकवादी नजर आएंगे। इसका उत्तर केवल गोलियां नहीं हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको एक अधिक विस्तृत और प्रभावी नीति बनानी होगी।

हम क्या कर रहे हैं? हमें बार-बार यही बताया जाता है कि हम राजनियिक युद्ध जीत रहे हैं। डिप्लोमेटिकली हमारा सब कुछ ठीक हो रहा है। स्ट्रॉ महोदय आते हैं और चले जाते हैं। आज वह कहेंगे कि "उन्हें बेकसूर नागरिकों पर हुए हमलों का बेहद अफसोस है।" पॉवेल महोदय आते हैं और चले जाते हैं। आज वह कहते हैं कि "आतंकवादी गिरोह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भड़काने का प्रयास कर रहे हैं।" उन्हें जो भी हुआ उसका खेद है। श्री आडवाणी जाते हैं और वापस आते हैं और कहते हैं "मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। केवल तभी मैं वक्तव्य दूंगा।" जैसा कि मैंने पहले कहा, विदेश मंत्री विश्व के किसी अन्य भाग में कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। प्रधान मंत्री जी को वहां जाना है। वह वहां एक भाषण देंगे। वह वापस आएंगे। लेकिन कश्मीर में हत्याएं, लूटपाट, तबाही और दुःख-दर्द जारी रहेगा। मैं यह प्रश्न माननीय गृह मंत्री जी और उप-प्रधान मंत्री से करना चाहूंगी कितने लोग और मारे जाने चाहिए जिससे कि हम यह महसूस कर सकें कि कश्मीर में बहुत से लोग मारे जा चुके हैं?

कब तक यह पीड़ा जारी रहेगी? प्रधान मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं। जब वे लाहौर गए थे, वह करगिल की तैयारी कर रहे थे। सरकार ने जनरल के राष्ट्रपति बनने का स्वागत किया। वह आगरा आए, टालमटोल की और श्रीमती सुषमा स्वराज ने उन्हें वापस भेज दिया। सीमा पर बहुत चौकसी है। सैन्य टुकड़ियां भेज दी गई हैं, नौसेना भी भेज दी गई है और तब हम कहते हैं : "रुको; रुको; हम उन्हें समय दे रहे हैं।" रक्षा मंत्री जी कहते हैं कि सैन्य टुकड़ियां सीमा पर रहेंगी और यह भी घोषणा करते हैं कि घुसपैठ कम हुई है। मैं यह नहीं जानती कि वे कैसे और कहां वह इस सबका मूल्यांकन कर लेते हैं।

श्री फारूख अब्दुल्ला कहते हैं, "राष्ट्रपति शासन लागू करो" और गोल्फ खेलते रहते हैं। उनका बेटा श्री उमर अब्दुल्ला, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं और केन्द्र में मंत्री हैं कहते हैं, "हमें अधिक स्वायत्तता प्रदान करें।" सरकार ने विधान सभा द्वारा पारित इस प्रस्ताव को पहले ही अस्वीकार कर दिया था। मंत्रिमंडल ने इसे अस्वीकार कर दिया था और आज हम श्री फारूख अब्दुल्ला को यह कहते हुए देखते हैं, "स्वायत्तता के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से एक सज्जन आ रहे हैं।" उन्होंने उन्हें सज्जन व्यक्ति कहा है। सरकार के रवैये में अचानक परिवर्तन कैसे आ गया? मैं नहीं जानती कि यहां कितने सज्जन व्यक्ति बैठे हैं। मंत्रिमंडल ने विधान सभा से आए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और आज संसद के बाहर, उनकी विधान सभा के बाहर सरकार एक व्यक्ति और राज्य सरकार के एक नामित व्यक्ति के माध्यम से स्वायत्तता के संबंध में बातचीत करने जा रही है। मैं जानना चाहती हूं कि यह संसद के संविधान के दायरे में है या संसद के दायरे के बाहर है। मैं समझती हूं कि सरकार को इस पर उत्तर देना चाहिए। निःसंदेह, आर.एस.एस. और भा.ज.पा. के सलाहकार जम्मू-कश्मीर को तीन भागों में बांटने का प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसे मैं आखिरी कोशिश समझती हूं। इससे हमारे पास एक बौद्ध धर्मावलंबियों वाला क्षेत्र होगा, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र होगा और हमारे पास एक हिन्दू बहुल क्षेत्र होगा और हम जानते हैं कि इसके बाद कश्मीर का भविष्य क्या होगा?

महोदय, मैं यह अवश्य कहूंगी कि गृह मंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा था कि जनरल पर विश्वास नहीं किया जा सकता और फिर भी वह पश्चिमी दबाव के आगे झुक जाते हैं और कहते हैं : "हमें उन्हें और समय देना चाहिए; उन्हें अपनी सदाशयता सिद्ध करनी चाहिए।" मैं इस सभा में उनके द्वारा दिए गए परस्पर विरोधात्मक वक्तव्यों, विरोधात्मक कार्रवाइयों और उनके भ्रम को बता रही हूं। तब वे जम्मू-कश्मीर में घी में आग डालने और अधिक भ्रम पैदा करने के बजाय कैसे कोई समस्या हल करेंगे? प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग प्रकार से बोल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग विषयों पर बोल रहा है। सरकार की योजना क्या है? क्या उनके पास पूरे विश्व विशेषकर पश्चिम के उनके तथाकथित मित्रों के टेलीफोन कॉल सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य रणनीति भी है?

पश्चिम द्वारा सरकार को बताया जाता है : "धैर्य रखें। उप-महाद्वीप में लड़ाई से आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।" और अभी कल-परसों ही श्री बुश ने घोषणा की कि किसी भी अमेरिकी पर कहीं भी हमला होता है तो वह पूरे अमरीका राष्ट्र पर आक्रमण होगा। और आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने पूरे विश्व में अमरीकी सेना के ऊपर लगाए गए युद्ध संबंधी अपराध के आरोपों से छूट दे दी है। अफगानिस्तान का सत्यानाश किया गया है, बारातियों पर बम से हमला किया जा रहा है और अब इराक को निशाना बनाया जा रहा है और हमें आशा है कि वे हमारी मदद के लिए आएंगे और हमारी पाकिस्तान एवं उसकी रणनीति से रक्षा करेंगे। हमें क्या आशा है? हम क्या आशा कर रहे हैं?

महोदय, अमरीका की दोतरफी बातें अत्यन्त स्पष्ट हैं। 11 जून को अमरीका के विदेश मंत्री श्री रम्सफील्ड दिल्ली में थे। उसने पाकिस्तान में आतंकवाद एवं पाकिस्तानी घुसपैठ का जोरदार विरोध किया। अगले दिन जी-8 के देशों की बैठक हुई। लेकिन वहां एकदम अलग बात कही गई। वहां पाकिस्तान के साथ हमारी समस्या का एकदम उल्लेख नही किया गया। उनका एजेंडा क्या है? यह संयोग की बात है कि हमारे एवं उनके हित एक ही हैं? मैं गृह मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या उन्हें विश्वास है कि वास्तव में वे उनके साथ हैं। उनके तथाकथित मित्र कितने विश्वसनीय हैं? आज के समाचार-पत्रों का मुख्य समाचार है-अमेरिकी पत्रकार पर्ल की हत्या के लिए शेख उमर को मृत्युदंड एवं चार अन्य लोगों को आजीवन कारावास।

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

अपराह्न 3.00 बजे

हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। कहीं भी किसी की हत्या की केवल निंदा ही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यह वही आदमी है जिसे आपने औपचारिक रूप से कान्धार भेज दिया। विदेश मंत्री उसके साथ गए एवं उसे औचारिक रूप से वहां सौंप दिए। उसके वकील आज कहते हैं कि अभियोग सही प्रकार से चला था लेकिन निर्णय अमेरिका के दबाव में दिया गया। वे पाकिस्तान में अपने हितों के अनुरूप न्यायालय के निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन वे 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को हमारे देश में उचित प्रकार से अभियोग चलाने के लिए हमें सौंपवा नहीं सके। हमारे राजनयिक उपाय इतने प्रभावहीन हैं।

हम सीमा–पार करने को नहीं कह रहे हैं। वे आपको बताते हैं, "ऐसा न करें।" हमारा यह कहना नहीं है कि उनके आतंकवादी कैम्पों पर बमबारी करें जैसे कि वे अफगानिस्तान में बरातियों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। हमारा केवल यही कहना है : "आप केवल यह देखें कि पाकिस्तान हमें उन 20 व्यक्तियों को सौंपे जिनके ऊपर हमें मुकदमा चलाना है। एक भी व्यक्ति को सौंपा नहीं गया या अवयुक्त नहीं किया गया। लेकिन किसी आतंकवादी गुट के उस व्यक्ति को पाकिस्तान में फांसी की सजा दे दी गई है जिसने अमरीका के मात्र एक व्यक्ति की हत्या की है। शायद भारत के लोगों की जान गोरे लोगों जैसी मूल्यवान नहीं है।

इसलिए मैं आपके समक्ष कुछ विशेष मुद्दे रखना चाहती हूं। मेरा आपसे कहना है कि भारत की वर्तमान प्रतिक्रिया भारत के राष्ट्रीय हितों एवं कश्मीर से संबंधित रणनीतिक चिंताओं पर आधारित होनी चाहिए न कि इस आधार पर कि विदेशी शक्तियां हमसे क्या अपेक्षा करती हैं। बहुत समय से मैं यह सोचती रही हूं कि हम अपने उन अधिकारों पर मुग्ध रहे हैं, जो कि वास्तव में हमारे हैं ही नहीं। कोई भी प्रधान मंत्री या कोई भी सरकार भारतीय जनता या संसद को उन मुद्दों पर अंधकार में नहीं रख सकती जो कि भारत की सुरक्षा या सामाजिक ढांचे से संबंधित हैं।

आपके पास सुब्रह्मण्यम समिति का प्रतिवेदन है। इसे अभी संसद में बहस के लिए लाया जाना है। सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती निर्णय लिया गया? आंतरिक सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। हमने अनुवर्ती कार्रवाई के नाम पर कभी भी बहस, विचार–विमर्श या ठोस कार्य नहीं किए हैं। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रयास सफल न हो और पाकिस्तान जब तक जम्मू–कश्मीर में छद्म युद्ध बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान का पिछले दरवाजे से वार्ता शुरू करने का प्रयास सफल न हो, अन्यथा इस संघर्ष में पराजय निश्चित है।

कोई भी शांति प्रयास शुरू करने से पहले आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। कृपया इस बात का ध्यान रखें कि पाकिस्तान दोतरफी रणनीति पर चल रहा है। बड़ी चालाकी से हित उल मुजाहीदीन को युद्ध विराम की घोषणा करवाना तथा साथ ही लश्कर–ए–तोयबा एवं अन्य संगठनों को घाटी में हत्याओं का दौर बढ़ाने का निदेश देना। एक तरफ वे शांति एवं वार्ता के बारे में बात करेंगे दूसरी तरफ कश्मीर में चुनाव से पूर्व हिंसा और अधिक बढ़ने वाली है। और अधिक आक्रमण होने वाले हैं। चुनाव में व्यवधान डालने हेतु सुनियोजित प्रयास किए जाने हैं और हम जो करना चाहते हैं उसमें व्यवधान डाला जाने वाला है।

मैं लश्कर–ए–तोयबा के 6.7.2000 के समाचार को उद्धृत करती हूं। इस पर ध्यान दीजिए। इसमें उन्होंने घोषणा की है :

> "हम कश्मीर समस्या के समाधान के बाद भारत में जेहाद शुरू करेंगे। इस समय हम केवल कश्मीर के दबे हुए लोगों की सफलता के लिए प्रयास करेंगे।"

अतः उनका लक्ष्य कश्मीर से शुरू होता है लेकिन उनकी योजना बड़ी है। यह केवल कश्मीर में ही समाप्त नहीं होगा।

और पाकिस्तान के सैनिक शासक जनरल मुशर्रफ ने बार–बार घोषणा की है कि जेहाद उनकी विदेश नीति का एक साधन है। आपको सीमा–पार बहुत ही खतरनाक लोगों से निपटना है। इसलिए आपका एवं साथ ही पश्चिमी देशों का सहज रूप से मानना है कि कश्मीर मुद्दा हल हो जाने के बाद दक्षिण एशिया में शांति रहेगी। मेरा मानना है कि आपको दूरदर्शी रणनीति अपनानी होगी।

क्या आप अब तक के अनुकरण किए गए सिद्धान्तों से दूर हटेंगे? वे सिद्धान्त हैं; कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी भी भीतरी या बाहरी तीसरी पार्टी को सम्मिलित

नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, जब तक पाकिस्तान छद्म युद्ध या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बंद नहीं करता उसके साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। तीसरे कोई भी अन्तिम निर्णय भारतीय संविधान के अंतर्गत लिया जाएगा।

महोदय, हम इन मुद्दों पर स्पष्ट उत्तर चाहते हैं क्योंकि हमें संसद में कुछ बताया जाता है और बाहर कुछ और होता रहता है। यह याद रहे कि तालिबान एवं अल–कायदा के लड़ाकू कश्मीर में घुस गए हैं। वे अफगानिस्तान में नहीं हैं, वे कश्मीर में घुस आए हैं। वे तथाकथित पाक अधिकृत कश्मीर से आगे निकल गए हैं। मुझे आशा है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया है; विश्व बैंक ने अपने सरकारी रिकोर्ड में पाक अधिकृत कश्मीर न कहकर 'आजाद कश्मीर' कहना शुरू कर दिया है। उनकी मंशा जम्मू–कश्मीर के स्वतन्त्र चुनावों में व्यवधान डालने की है और पाकिस्तान में चुनाव से पूर्व जनरल को प्रोत्साहन प्रदान करने की है। इसलिए, मेरा आपसे कहना है कि इसे बहुआयामी रणनीति के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने 'पोटो' की बात की। वे विधेयक लाया और सुबह हमने इसके बारे में बात की। अब यह 'पोटा' हो गया है। उन्होंने कहा, "हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए इसकी आवश्यकता है; बिना 'पोटा' के आप ऐसा नहीं कर सकते और विपक्ष का रवैया जिम्मेदाराना नहीं है। वे खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए देश में क्या हो रहा है। संसद पर आक्रमण होता है, कहीं और आक्रमण होता है। कल हो सकता है परमाणु प्रतिष्ठानों पर आक्रमण हो।"

'पोटा' से क्या हो रहा है? हत्याएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बेचारे श्री वैको को गलत तरीके से पकड़ लिया गया है और अब वे जेल में हैं। मैंने यही कहा और जब श्री वैको यहां खड़े होकर जोर से चिल्लाकर धाराप्रवाह गति से बोल रहे थे तो मैं खड़ी हुई और मैंने कहा : "श्री वैको, कृपया सावधान रहिए, शायद आप ही इसके पहले शिकार बनें।" मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूं लेकिन मैंने जो कहा, वही हुआ है और 'पोटा' के प्रस्तावकों में वे सबसे पहले उसके शिकार हुए हैं।

जनरल त्रिपाठी ने आज सुबह कहा, "इसके बनाए जाने एवं हमारे आने पर व्यक्त किए जाने तक सीमा–पार आतंकवाद का उल्लेख नहीं था।" मुझे नहीं मालूम उन्होंने किसके बारे में बात की है। वह एक 'जनरल' हैं और मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। मैं कहना चाहती हूं कि 1990 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ वार्ता मात्र सीमा–पार आतंकवाद को मुख्य मुद्दा स्वीकार करने के प्रश्न पर टूट गई।

श्रीमती बेनजीर भुट्टो ने अगले दिन टी.वी. पर अपने साक्षात्कार में जिसका व्यापक प्रसारण हुआ, यह कहा कि उनके प्रधान मंत्री रहते क्या हुआ, सीमा–पार आतंकवाद में अधिकारियों की भूमिका को रोकने में वह किस प्रकार असहाय थी। फिर भी, फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा–पत्र में जो कि संयुक्त रूप से जारी किया गया था, सीमा–पार आतंकवाद के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

इसके बाद आगरा शिखर वार्ता हुई और आगरा शिखर वार्ता घोषणा–पत्र में सीमा–पार आतंकवाद के उल्लेख के साथ ही टूट गई। अतः मुझे नहीं पता आप कूदकर कहां से कहां चले गए और आपने कितनी बार रंग बदले हैं। लेकिन अन्ततः प्रधान मंत्री जी ने कुपवाड़ा में कहा कि सीमा–पार आतंकवाद कारगिल के बाद की कुंठा की उपज है। यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री की व्याख्या है। मुझे नहीं पता आप सीमा–पार आतंकवाद के बारे में क्या समझते हैं और आप किसे दोष देते हैं और आप इसकी शुरूआत कहां से मानते हैं।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। मुझे केवल दो बातें कहनी हैं। मेरा कहना है कि सैन्य दबाव बनाए रखा जाए। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह दबाव बनाए रखा जाए।

लेकिन इसी के साथ जैसा कि श्री पाटील ने इस सुबह कहा, हमें पुलिस, होमगार्ड या जो भी 'फोर्स' हो उससे सिविल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। नागरिकों की स्थानीय समितियां स्वयं सिविल नागरिकों के जीवन की रक्षा करती हैं।

हमें उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग वार्ता करें, कुछ लोग वार्ता के लिए तैयार हों, हो सकता है वार्ता के दौरान वे विभाजित हो जाएं लेकिन आवश्यकता है हमें वार्ता शुरू करने की और कोई रास्ता निकालने की। हमने ऐसा मिजोरम में किया है। हमने ऐसा नागालैंड में किया है। हमने

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा]

ऐसा असम में किया है। हमने ऐसा पंजाब में किया है। हमने ऐसा अनेकों बार किया है। वास्तव में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया पुनः शुरू करने का है। चुनाव आ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है और इसकी गारंटी देनी है कि लोगों की भागीदारी संभव हो। इससे भी अधिक मैं मानती हूं कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया और आर्थिक विकास दोनों की मुख्य धारा में लाया जाना है। वहां बहुत अधिक नैराश्य है। वहां कोई नौकरी नहीं है। कोई विकास नहीं है। वहां भ्रष्टाचार है। इससे भी अधिक मुझे आशा है कि मैं गलत नहीं हूं कि जम्मू-कश्मीर के बजट का लगभग 70 प्रतिशत दिल्ली से दिया जाता है। कृपया यह देखें कि इसका कितना भाग वास्तव में लोगों तक पहुंचता है। पैसा कहां जा रहा है? क्या आपको लगता है कि वर्षों से समस्त निवेश और वहां आने वाले धन से जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास और परिवर्तन हो रहा है? मैं समझती हूं कि इस बहु-आयामी रणनीति में कश्मीर के आर्थिक विकास को नम्बर एक का मुद्दा बनाने की आवश्यकता है। मैं आपसे कहती हूं कि आप अपने आप यह नहीं कर सकते। आपको राष्ट्र को, सभी दलों को, हर वर्ग के लोगों-हिन्दुओं, मुस्लिमों, ईसाइयों और हरेक को अपने साथ लेने की आवश्यकता है। विकास का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का जम्मू-कश्मीर में कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। ये निर्दोष लोग तथा कामगार जो दिन के कठिन परिश्रम के बाद घर पर बैठे थे उन्हें गोलियों से मार दिया गया। अतः मैं आपसे अपील करती हूं कि हम मिलकर भरोसे, विश्वास और राष्ट्र-निर्माण का वातावरण पैदा करें और अलग-अलग न बंटें। यह कहा जाता है कि हम सुरक्षा के लिए अपने घरों के चारों ओर दीवारें बना लेते हैं परन्तु उनके ऊपर से देखने के लिए पर्याप्त लम्बे नहीं होते। इसलिए, हम इन दीवारों को तोड़ दें और समझदारी, प्रेम, क्षमा तथा सेवा की भावना से कश्मीर का समाधान तलाश करने का प्रयास करें। अन्यथा मैं समझती हूं कि कश्मीर का हल निकालना आपके लिए बहुत कठिन होगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ जिन्हें मैं समझती हूं कि श्री आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री सुदर्शन से सुनकर बहुत प्रसन्न हों, अपनी बात समाप्त करती हूं। उन्होंने एक वक्तव्य जिसे आजकल बहुत उद्धृत किया जाता है, में कहा है :

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू के लोगों की जान की रक्षा करने में केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार की बार-बार विफलता पर भारी क्षोभ व्यक्त करता है।"

मुझे आशा है कि आप यह सुनिश्चित करने हेतु तत्काल कोई कार्यवाही करेंगे। मेरी आवाज नहीं तो कम से कम इस आवाज को तो सुनेंगे।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। महोदय, एक बार फिर इस हाउस में एक ऐसे अंदोनाक वाकये पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, जो पूरे मुल्क से मुतल्लिक है और पूरे मुल्क के लोग इससे मुतल्लिक हैं। जम्मू के अंदर जो कुछ वाकया हुआ वह इंतहाई अफसोसनाक है। अल्फाज नहीं हैं कि इस वाकये को कंडेम किया जाए।

डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब आडवाणी साहब वहां तशरीफ लेकर गए। वहां के लोगों ने जिस तरीके से अपने अफसोस का इजहार किया, एजिटेशन किया, अपने दिल की बात आपसे कही, वह बात सिर्फ उन्हीं लोगों की नहीं, सारे मुल्क की है। सारे मुल्क के लोगों के दिलों में वही तकलीफ है जो जम्मू के लोगों के अन्दर है लेकिन मैं बहुत अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि चाहे कोई इन्सान हो या कौम हो जब तक हम माजी की गलतियों से सबक हासिल नहीं करते, अपना मुस्तकबिल ताबनाक नहीं कर सकते। गुजरे हुए दिनों में हमने जो ठोकरें खाई हैं, अगर उनसे सबक हासिल नहीं किया जाएगा तो आने वाले कल को हम ठीक नहीं कर सकते। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पै-दर-पै ठोकरें खाते चले जा रहे हैं। हम ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, दिल रोने लगता है, हम चिल्लाने लगते हैं, संसद के अन्दर हम अपने दिल की बात एक-दूसरे से कहते हैं लेकिन उस लगी ठोकर से, उस माजी की गलती से ज्यादा सबक हासिल नहीं करते।

जार्ज साहब ने जो डेटा दिया, वह मेरे पास भी है लेकिन मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। इस तरीके के वाकयात होते रहेंगे, टैरारिस्ट मरते रहेंगे, फौज के लोग मरते रहेंगे, पुलिस मरती रहेगी, इसी तरह बहस होती रहेगी और यह हालात ज्यों के त्यों बने रहेंगे। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी

पर बना। हिन्दू अलेहदा खड़े हो गए और मुसलमान अलेहदा खड़े हो गए। कश्मीर में कुछ ताकतें कश्मीर को अलायदा करना चाहती हैं। जब तक हम टैरारिज्म की बुनियाद में जाकर सही बीमारी का पता नहीं करेंगे, हम इसकी दवा नहीं कर सकते। पाकिस्तान इसमें बिला शुबा शामिल है लेकिन आप उसकी स्ट्रैटेजी देखिए। लोगों को घुसाता है, मरवाता है और मारने के बाद दौड़ाकर ले जाता है और अगले दिन बयान देता है कि हमें बहुत तकलीफ है, अफसोस है। हम उसकी बात मान जाते हैं। वह पूरी दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देने की कोशिश करता है।

अपराह्न 3.17 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए)*

आज आम आदमी के दिल में यह है कि हम टैरारिज्म से लड़ाई लड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ ताकतें हमें रोकना चाहती हैं। अमेरिका अपना खेल खेल रहा है। अभी अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी आए थे। हमने सरहद से टेंशन कम किया और फौज को दो-दो कदम पीछे हटाया, हथियारों को पीछे हटाया और पूरी दुनिया को यह इम्प्रैशन दे दिया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमने ऐसा इसलिए किया कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी आए थे। हमने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत ऐसा किया होगा और सरकार ने कुछ सोच-समझकर फैसला किया होगा लेकिन हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हमने अमेरिका के दबाव में किया। हमने पूरे मुल्क को यह इम्प्रैशन दिया कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हमारे मुल्क में आ रहे हैं और हमने उनके दबाव में इतना बड़ा कदम उठाया। मैं आपकी नीयत पर शुबा नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यकीनन आप टैरारिज्म से लड़ना चाहते हैं। अगर आपने मुल्क के लोगों का विश्वास तोड़ दिया तो हम टैरारिज्म से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम उन ताकतों से लड़ाई नहीं लड़ सकते जो पिछले दस साल से लगातार इस मुल्क में टैरारिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारें आती और चली जाती हैं। जनता दल की सरकार के समय टैरारिज्म अपने शबाब के ऊपर था। कांग्रेस की सरकार आई और आज बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। हम पिछले 10-12 सालों से टैरारिज्म के खिलाफ कामयाबी से लड़ नहीं पाए हैं। मैं किसी को मौरिद इल्जाम या किसी को गुनाहगार ठहराना नहीं चाहता। आज यह मसला पूरे देश का मसला है। इसे लेकर पूरा देश चिंतित है और यह शुबा कर रहा है कि क्या हम इस टैरारिज्म से लड़ाई लड़ पाएंगे या नहीं? अगर दुनिया में यह इम्प्रैशन चला गया कि हिन्दुस्तान एक कमजोर मुल्क है और वह अपने मुल्क की बीमारियों से लड़ाई नहीं लड़ सकता तो हम टैरारिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि यह जमाना और दुनिया बड़ी जालिम है। यह किसी कमजोर इन्सान, कमजोर कौम और कमजोर मुल्क को जिन्दा नहीं देख सकती।

मैं तारीख के पन्ने पलट-पलटकर साबित कर सकता हूं कि दुनिया के अंदर न कमजोर इन्सान की इज्जत होती है, न कमजोर कौम की इज्जत होती है और न ही कमजोर मुल्क की इज्जत होती है। इराक ने 24 घंटे के अंदर ही कुवैत का नामोनिशां दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। चूंकि इराक कुवैत से ज्यादा मजबूत था और अमरीका इराक से ज्यादा मजबूत था, उसने इराक की पिटाई करके न केवल कुवैत को वापस करवा दिया बल्कि जिन हथियारों से इराक की पिटाई की थी, उसके कम्पनसेशन के बदले इराक की धरती से जो तेल निकलता था, उसका फैसला भी अमरीका कर रहा है कि कितना तेल निकलेगा, किन मुल्कों को बेचा जाएगा, कितना पैसा आएगा, उसमें कितना इराक रखेगा। उन हथियारों के कम्पनसेशन के बदले अमरीका का प्रेजीडेंट लगातार इसका फैसला करता है, न कि सद्दाम हुसैन करता है।

सभापति जी, हिन्दुस्तान एक ताकतवर मुल्क है। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे इन्सान की कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। हमें अपने मुल्क को ताकतवर करना है। चाहे रूलिंग पार्टी का एम.पी. हो या अपोजीशन का एम.पी. हो, किसी को हिन्दुस्तान की फौज के मोरेल पर कोई शक-ओ-शुबहा नहीं है। मैं जार्ज साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि यह किसी के अख्तयार नहीं कि वह हिन्दुसतन की फौज को शक-ओ-शुबहा की निगाह से देखे। आज वे लोग सरहद पर सर्दी, गर्मी और बरसात के अंदर पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं लेकिन देश यह जरूर जानना चाहेगा कि यह टैरेरिज्म से कैसे लड़ेगा।

सभापति जी, मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि फारूख साहब जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं।

[श्री राशिद अलवी]

डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक कश्मीर के अंदर ईमानदारी से चुनाव नहीं कराए जाएंगे तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। हिन्दुस्तान किसी की जागीर नहीं। आज मुगलिया दौर का जमाना नहीं कि बादशाह की जागीर है और उसने फलां आदमी को दे दी। कश्मीर की आवाम के अंदर यह इंप्रेशन नहीं चला जाए कि हिन्दुस्तान की लीडरशिप जागीर बांट रही है कि फलां आदमी को कश्मीर की जागीर दे दी जाए। इससे न आप कश्मीर का भला करेंगे और न ही इससे कश्मीर की आवाम का भला होगा। अरग आप ईमानदारी के साथ कश्मीर के आवाम को चुनाव में इन्वाल्व करना चाहते हैं तो उन्हें लगेगा कि यह हमारा मुल्क है, कश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है। किसी मजहब की बुनियाद पर कोई मुल्क नहीं बन सकता है। पाकिस्तान बना था। अगर मजहब की बुनियाद पर बना होता तो बंगलादेश हिन्दुस्तान पाकिस्तान से अलाहिदा नहीं होता। मैं दुनिया की ऐसी कई मिसालें दे सकता हूं। लीबिया और मिस्र की सरहदें मिलती हैं। पिछले 25 सालों में इन दोनों मुमालिकों ने कितनी बार तय किया कि बीच की सरहदें मिटाकर एक मुल्क बना दिया जाए लेकिन आज तक लीबिया–मिस्र एक नहीं हो पाए। इसी तरह इराक और ईरान की सरहदें एक–दूसरे के साथ मिलती हैं। दोनों मुमालिक में शिया–सुन्नी रहते हैं लेकिन फिर भी दोनों में दुश्मनी है। इराक का कहना है कि उसके 150 जहाज अमरीका ने लड़ाई के वक्त रखवा दिए थे, वे वापस नहीं किए हैं। दोनों मुमालिक एक ही मजहब के हैं लेकिन एक–दूसरे के गिरेहबान में हाथ डालकर खड़े हुए हैं। कश्मीर के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जो ताकतें कश्मीर में जजबात भड़काने का काम कर रही हैं, उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फारूख साहब बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, ईमानदार नेता हो सकते हैं, अच्छे नेता हो सकते हैं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है लेकिन जब तक कश्मीर के लोगों को इन्वाल्व नहीं करेंगे और केवल 2 रुपए किलो के भाव से चावल देकर कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। पिछले 50 सालों से और यहां तक कि शेख अब्दुल्ला के जमाने से ऐसा होता रहा है कि वहां के आवाम को सस्ते दर पर गेहूं और चावल दिया जाए जिससे ये लोग हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के नौजवान को देश के दूसरे हिस्से में नौकरी दी जाए। उन्हें कहा जाए कि वे इंडस्ट्री लगाएं, उन्हें पैसा दिया जाए तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यह मुमकिन है कि एक भाई कश्मीर के अंदर रहे, दूसरा भाई मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहा है, वह यह कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर अलाहिदा कर दिया जाए। इस समस्या के समाधान के लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और उसके मुताबिक इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, होम मिनिस्ट्री की ऐनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि 1990 से 2002 तक 14793 टैरेरिस्ट्स मारे गए हैं। 12905 सिविलियंस मारे गए। 20 अप्रैल, 1999 से लेकर 19 दिसम्बर, 2000 तक इस देश के अंदर 50 मेजर इन्सीडेंट्स हुई और वर्ष 1999 से लेकर 2002 तक एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा सिक्युरिटीज रिलेटिड हमारा एक्सपेंडीचर हुआ है। यह होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। सिविलयंस, सिक्युरिटी फोर्सेज और मिलिटेंस के करीब–करीब 35 हजार आदमी कश्मीर के अंदर मारे गए। यह होम मिनिस्ट्री का डेटा है। करीब–करीब 15 हजार से लेकर दो हजार तक फॉरेनर्स कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं। सिक्युरिटी फोर्सेज और मिलिटैंसी से मरने वालों का रेश्यो पहले 1.33 था जो अब बढ़कर 1.38 हो गया है। मैं बहुत अदब से सरकार से कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर यह आपका मसला है कि वहां पर प्रेसीडेंट रूल लगाकर चुनाव कराएं या बगैर प्रेसीजेंट रूल के चुनाव कराएं। मौजूदा सरकार में ईमानदारी के साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। वहां चुनाव होना चाहिए और आम आदमी को यह लगना चाहिए कि उसके द्वारा चुनी हुई सरकार आई है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि वहां के लोगों को कोई इस तरह का पैकेज दिया जाए जिससे वहां की बेरोजगारी खत्म हो।

आज से 15 साल पहले कश्मीर का मासूम आदमी एक मामूली सी छुरी से भी डरता था। अगर कोई आदमी छुरी लेकर चौक पर खड़ा हो जाता था तो लोग दौड़कर घरों में चले जाते थे। वह कौन सी वजह है कि एक छुरी से डरने वाला नौजवान आज ए.के.–47 के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस वजह को भी हमें जानना पड़ेगा और उस डिस्सैटिस्फैक्शन को भी हमें दूर करना पड़ेगा। कश्मीर के अंदर हो रहे टैररिज्म का एक ही हल है और वह है कि हम कश्मीर के लोगों को विन ओवर करें, उनके साथ मिलकर हम इस लड़ाई को लड़ें। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि टैररिस्ट्स की साइक्लोजी को भी हमें समझना चाहिए।

जब–जब दुनिया के बड़े देश का कोई आदमी यहां आता है तो उससे एक–दो दिन पहले कोई बड़ा वाकया हो जाता है। इस मुल्क के अंदर अगर कोई इम्पॉर्टेन्ट दिन होता है तो उससे पहले कोई बड़ा वाकया हो जाता है। आज पार्लियामेंट का सैशन शुरू होने वाला था, इससे दो दिन पहले इस तरीके का काम हो गया। मौलाना आजाद ने कहा था कि किसी भी कौम की कयादत सिर्फ वह कर सकता है जिसके पास फोरसाइटेडनैस हो, तदब्बुर और तफक्कुर। जो यह समझ ले कि आने वाले कल क्या होने वाला है। आज की सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि टैररिस्ट लोगों की साइक्लोजी क्या है, किस तरह से हम इनसे लड़ सकते हैं और पाकिस्तान से हम किस तरह से लड़ सकते हैं। सरहदों पर फौजें खड़ी हैं। इसका फैसला आप करें कि हमें जंग करनी है या नहीं करनी। लेकिन पूरा देश इस बात के लिए तैयार है कि टैररिज्म खत्म होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी चाहिए। इसमें कोई हिचक करने की जरूरत नहीं है।

कश्मीर के बारे में कहा जाता था–

गर फिरदौस बरोंए जमीं अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त।

अगर इस पूरी दुनिया में कहीं जन्नत है तो वह जगह कश्मीर है। यही जन्नत है, यही जन्नत है, यही फिरदौस है। लेकिन आजकल इसका उल्टा हो रहा है कि अगर दुनिया में कहीं जहन्नुम है तो वह यह जगह है। मैं बहुत अदब के साथ सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरा सदन आपके साथ है। बहुजन समाज पार्टी टैररिज्म की लड़ाई में पूरी तरह से आपके साथ शाना–ब–शाना चलकर इस टैररिज्म को खत्म करना चाहती है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, गरीबी रेखा से नीचे के निर्धन लोगों पर 13 ता. को जो आक्रमण की घटना घटी थी वह बहुत बर्बर घटना है और तेलगु देसम पार्टी ने घटना की निंदा की है। जो भी घटना के पीछे हो उसकी सम्पूर्ण सभा को निंदा करनी पड़ेगी।

यह कालूचक की घटना के दो माह बाद हुआ है। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। कालूचक की घटना में उन्होंने सेना के लोगों के परिवारों और बच्चों को लक्ष्य बनाया था।

13 जुलाई की घटना निर्धन लोगों, निर्दोष नागरिकों पर एक आक्रमण था। उन्होंने भारतीय संसद पर हमला किया, उन्होंने जम्मू–कश्मीर विधान सभा पर भी हमला किया था। विश्व व्यापार केन्द्र पर 11 सितम्बर, 2001 को हमले के पश्चात् पूरी दुनिया आतंकवाद के बारे में बात कर रही है। परन्तु गत दो दशकों से भारत आतंकवाद तथा सीमा–पार से आतंकवाद से पीड़ित है। हमने इस सीमा–पार से आतंकवाद से हजारों नागरिकों को खोया है। हम चिल्ला रहे हैं और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है परन्तु कोई भी इस आतंकवाद के बारे में बात नहीं कर रहा है। भारत गत बीस वर्षों से कष्ट उठा रहा है। यदि उन्होंने बहुत पहले आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया होता तो यह हमारे देश में नहीं हुआ होता और विश्व में कहीं भी नहीं हुआ होता।

आज भी संयुक्त राज्य अमरीका दोहरी बात कर रहा है। वे बनावटी सहानुभूति दिखा रहे हैं। उन्होंने 13 जुलाई की घटना की निंदा की है। परन्तु उन्हें आतंकवाद को एक विशेष अर्थ देना चाहिए। आतंकवाद क्या है? क्या ऐसा है कि जो अमरीका में हुआ वह आतंकवाद था और जो जम्मू–कश्मीर में हुआ वह आतंकवाद नहीं है? हमें आतंकवाद को विशिष्ट अर्थ देना पड़ेगा। यदि विश्व में कहीं भी यह होता है तो पूरी दुनिया, पूरी मानवता को इसकी निंदा करनी पड़ेगी और तभी हम विश्व से आतंकवाद और सीमा–पार से आतंकवाद को रोक सकते हैं।

हमने आतंकवाद और सीमा–पार से आतंकवाद को रोकने के लिए 'पोटा' भी पारित किया है। उसके पश्चात् जम्मू–कश्मीर में बहुत सी घटनाएं हुईं। हम फ्री–परीक्षण से पीड़ित हैं। हमने पाकिस्तान सरकार से 20 आरोपियों को भेजने का अनुरोध किया था। ऐसा करने की बजाय वे कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री और अन्य भी आरोपी हैं। पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं हैं। कई अवसरों पर हमारे माननीय उप–प्रधान मंत्री और गृह मंत्री और यहां तक कि इस देश के माननीय प्रधान मंत्री ने जनरल परवेज मुशर्रफ के वक्तव्यों की निंदा की है कि हम उन पर विश्वास नहीं करते।

इस कठिन घड़ी में भारत सरकार को नागरिकों की

[श्री के. येरननायडु]

विशेषकर जम्मू-कश्मीर में निर्दोष लोगों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। कई अवसरों पर भारत सरकार ने सभी विपक्षी दलों के साथ बहुत सी बैठकें की हैं। सभी विपक्षी दल सरकार के साथ हैं। हमने एक खाली चेक दे दिया है। हम शांति चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर में शांति बहाली चाहते हैं। हमें आतंकवाद और सीमा-पार से आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। हमें घुसपैठ को रोकना पड़ेगा।

आज प्रातःकाल भी जब मैं टेलीविजन देख रहा था तो मैंने एक कार्यक्रम देखा जिसमें माननीय रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज कह रहे थे कि बहुत से युवा उग्रवादी हमारी सीमा पार कर रहे हैं और वे यह सब कह रहे हैं। हम अब इस पर सभा में चर्चा कर रहे हैं। यह सर्वोच्च संस्था है। यदि यह घटना पाकिस्तान ने कराई है तो हमें पाकिस्तान की सीधे निंदा करनी चाहिए। तब संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। हम अभी तक इसे नहीं जानते। कुछ समाचार-पत्र लिख रहे हैं कि लश्कर-ए-तैयबा इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान की योजना वहां है। यदि सरकार को इसकी पूरी जानकारी है, यदि यह हमला पाकिस्तान ने कराया था तो हमें इसकी सभा में निंदा करनी पड़ेगी। एक संदेश जाना चाहिए। हमें यह देखना है कि कल से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्या प्रतिक्रिया होगी?

हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। यह बहुत तनावपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में हम केवल स्थिति को देख रहे हैं। हमें अपनी राजनयिक भूमिका भी निभानी पड़ेगी। हमें इसके बारे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी बताना पड़ेगा। इस स्थिति में भारत सरकार को सभी आसूचना एजेंसियों का प्रयोग करना चाहिए और पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हमारी अपनी हजारों की संख्या में सेना जम्मू-कश्मीर में है। हमले के पश्चात् भी हमने अभी तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा है। यह शर्मनाक बात है।

अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में ऐसी बातों को रोकने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। भविष्य में एक भी घटना नहीं घटनी चाहिए। हम इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं? भारत सरकार की क्या योजना है? पहले ही हमारे माननीय उप-प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जानकारी प्राप्त करने और ब्यौरा लेने मौके पर गए थे।

हमें नहीं पता कि क्या हुआ था। इसलिए, हर कोई यह जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था? यद्यपि हमारी सेनाएं पूरी तरह नियंत्रण रेखा पर हैं फिर भी लगातार घुसपैठ क्यों हो रही है? इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। हरेक उत्तर जानना चाहता है। इसलिए इस स्थिति में तेलगु देसम पार्टी शांति बहाल करने के लिए, आतंकवाद और सीमा-पार से आतंकवाद को रोकने के लिए हमेशा सरकार का समर्थन कर रही है। यहां तक कि 70 प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा है। 2001 की नवीनतम जनगणना के अनुसार जम्मू-कश्मीर में गरीबी के आंकड़े ऊंचे हैं। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं परन्तु पैसा जम्मू-कश्मीर के नागरिकों तक नहीं पहुंच रहा है। इस परिदृश्य में हम हर चीज को केवल बंदूक से, केवल गोली से नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए, हमें लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार लाना पड़ेगा। हमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना पड़ेगा।

हर व्यक्ति स्वायत्तता की बात कर रहा है यहां तक कि श्री फारुख अब्दुल्ला भी। हमने स्वायत्तता प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर दिया है। जम्मू-कश्मीर को किस प्रकार की विशेष शक्तियों की आवश्यकता है? हमें इसकी अन्य राज्यों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर को कुछ विशेष शक्तियों की आवश्यकता है। इसलिए, हमें विश्लेषण करना होगा, हमें यह विचार-विमर्श करना होगा कि इन सब चीजों को नियंत्रित करने हेतु किन शक्तियों की आवश्यकता है। बिना प्रतीक्षा किए हमें कुछ शक्तियां देनी पड़ेंगी। हमें जम्मू-कश्मीर की तुलना अन्य राज्यों से नहीं करनी चाहिए। हमें जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देना पड़ेगा। भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है। इसलिए, हमें इन सब चीजों को नियंत्रित करने हेतु इसे कुछ विशेष शक्तियां देनी पड़ेंगी।

सरकार को इस सभा को एक वचन, एक आश्वासन देना चाहिए कि भविष्य में भी ऐसी घटना नहीं घटेगी और सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। संपूर्ण सभा और सभी राजनीतिक दल सरकार का समर्थन करेंगे। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। यह सम्पूर्ण देश का मुद्दा है। इसीलिए, हरेक सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को बहुत कड़ाई से कार्यवाही करनी चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

उनके पास सभी साधन हैं। सुझाव देने की कोई

आवश्यकता नहीं है। कुछ गोपनीय चीजों में यदि सरकार कुछ कठोर कार्यवाही भी करना चाहती है तो प्रत्येक इसका समर्थन करेगा। यहां तक कि सर्वदलीय बैठक ने भी पूर्ण अधिकार दे दिया है। सभा में भी चर्चा के समय समस्त दलों ने समर्थन दिया था परन्तु सरकार को बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए। लोग सरकार के प्रशासन को देख रहे हैं। इसीलिए, मेरा दल आतंकवाद तथा सीमा–पार से आतंकवाद को रोकने के लिए तहेदिल से इस सरकार का समर्थन कर रहा है।

भविष्य में हमें निर्दोष लोगों की विशेषकर गरीब लोगों की सुरक्षा करनी होगी। हमें जम्मू–कश्मीर में सबसे गरीब लोगों को सुरक्षा प्रदान करनी है, हमें उन्हें मूलभूत न्यूनतम सेवाएं प्रदान करनी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जम्मू–कश्मीर में आर्थिक विकास हो और हमें रोजगार प्रदान कराना है।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की ओर से अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

महोदय, सबसे पहले मैं इस घटना की एक भयंकर घटना के रूप में निन्दा करना चाहूंगा। हम गत दो वर्षों से इस सभा में प्रत्येक तीन महीने के पश्चात् सीमा–पार से आतंकवाद पर विचार करते रहे हैं...*(व्यवधान)* जम्मू में उस स्थान पर हमला जहां मजदूर रहते हैं...*(व्यवधान)* इसकी निन्दा समुदाय के सभी वर्गों द्वारा की जानी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय उप–प्रधान मंत्री को इसकी पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहूंगा। लगभग 20 वर्ष पूर्व, जब मैं संयुक्त राष्ट्र में लिफ्ट से नीचे आ रहा था तब मेरा परिचय उप–प्रधान मंत्री से कराया गया था। वे वहां एक संसद सदस्य की हैसियत से गए थे। मैं राज्य विधान सभा का उपाध्यक्ष था। मैं लिफ्ट में उनके साथ नीचे आया। वे बाहर चले गए। मैं संयुक्त राष्ट्र भवन के भू–तल पर स्थित कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। संयोगवश, इसका मालिक एक पाकिस्तानी था। उसने मुझसे पूछा, "आप कौन हैं?" मैंने उसे बताया कि "मैं एक भारतीय हूं।" उसने कहा, "हम भारत को टुकड़ों में विभाजित कर देंगे।" उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने बंगलादेश को पाकिस्तान से विभाजित होते देखा था, और उसे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के विभाजन या इसे दो भागों में बांटने के पीछे भारत का हाथ था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को इस घृणा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी युवा भारत और भारतीयों के विरुद्ध शत्रुता का भाव रखते हैं। यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से मैं इन घटनाओं के बारे में बात करना चाहता था। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को उचित सैन्य जवाब दिया जाए। हमारी नेत्री, हमारे दल की महासचिव, तमिलनाडु की मुख्य मंत्री, पुराची तलैवी डा. जयललिता द्वारा यही विचार व्यक्त किए गए हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : आपको रक्षा मंत्री बनाना चाहिए।

श्री पी. एच. पांडियन : संसद पर हमले सहित कई हमले इसके साक्षी हैं। सर्वदलीय बैठक में भाग लेते हुए हम सरकार को सुझाव देते रहे हैं और हमने सरकार का समर्थन भी किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और हम एकपक्षीय रुख नहीं अपना सकते। हमें सरकार के साथ रहना होगा, हमें सरकार का समर्थन करना होगा। केवल सरकार ही पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकती है। हम आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेना नहीं है। हमारी केन्द्र में सरकार को लगातार समर्थन करने की प्रबल राय है क्योंकि यही नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

मैंने इस सभा में कई बार राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के रवैये का उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि वे विश्वास योग्य नहीं हैं। वे एक पर्यटक की भांति भारत आए। वे ताजमहल गए। उन्होंने ताजमहल देखा और कुछ तस्वीरें लीं। तत्पश्चात् उन्होंने अपना पुश्तैनी घर देखा और वापस चले गए।

आपने यहां उल्लेख किया है कि जब भी आपने सीमा–पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाना या खड़ा करना शुरू कर दिया। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि गत पचास वर्षों के दौरान कश्मीर में हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सेना पर जितनी धनराशि खर्च हुई है उतनी धनराशि में हम भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में विकसित कर सकते थे। हमने कश्मीर की सुरक्षा के लिए सेना पर भारी रकम खर्च की है। कश्मीर को भारत से अलग करने की किसी को अनुमति नहीं देनी चाहिए।

एक बार राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि बिन

[श्री पी. एच. पांडियन]

लादेन पाकिस्तान में नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा और यह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ कि बिन लादेन पाकिस्तान में है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण के पश्चात् राष्ट्रपति बुश ने कहा कि वे आतंकवादियों को ढूंढ़ निकालेंगे। वे बिन लादेन को ढूंढ़ निकालेंगे। अब, सब कुछ ठप्प है। हम नहीं जानते कि विश्व में क्या हो रहा है। हम नहीं जानते कि राष्ट्रपति के मन में क्या है, तानाशाह के मन में क्या है, भारत के दुश्मनों के दिमाग में क्या है। आपके पास आसूचना के स्रोत हैं। उप-प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री के पास आसूचना स्रोत है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हमारा देश एक विशाल देश है और उनका एक छोटा देश है। उनके पास निर्वाचित संसद नहीं है और उनका निर्वाचित राष्ट्रपति नहीं है। हमारे प्रधान मंत्री से इसके अनुमोदन की मुहर के लिए उन्होंने भारत की यात्रा की।

मैं कहूंगा कि ऐसा भयंकर आक्रमण दोहराया नहीं जाना चाहिए। कई अवसरों पर हमने कहा है कि ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

लेकिन लगभग हर तीसरे महीने ऐसी घटना होती रही है। तीन महीने पूर्व कालूचक में हुए हमले के विषय में क्या हुआ? अतः यह केन्द्र सरकार के ऊपर है कि वह पाकिस्तान के विरुद्ध कठोर सैन्य कार्रवाई करे। धर्म के विषय में बात करने का कोई फायदा नहीं है। बेवजह की चीजों के विषय में बात करने का कोई फायदा नहीं है।

महोदय, भारत में भी नवयुवक आतंकवाद अपना रहे हैं और सीमा-पार से आतंकवादी घुसपैठ भी कर रहे हैं। हमें भारत में आतंकवादी बन रहे नवयुवकों को ऐसा करने से रोकना होगा। हम लोकतंत्र में विवास करते हैं। हम बैलट में विश्वास करते हैं बुलेट में नहीं। इसलिए भारत में आतंकवादियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। एक प्रतिबंधित संगठन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। एक प्रतिबंधित संगठन का किसी व्यक्ति द्वारा चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो, समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। चाहे वह संसद सदस्य ही क्यों न हो। इस संबंध में आपराधिक विधि की किसी धारा में कोई अपवाद नहीं दिया गया है। आपराधिक दंड संहिता में 511 धाराएं हैं। आपराधिक विधि की कोई भी धारा यह नहीं कहती कि संसद सदस्य इसकी परिधि से बाहर हैं। पोटा में 51 धाराएं हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप श्री वैको का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री पी. एच. पांडियन : नहीं। मैं केवल कानूनी मुद्दों पर बात कर रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह राजनीतिज्ञ हो या एक आम नागरिक, कानून के समक्ष सब बराबर हैं। अतः यदि देश के भीतर आतंकवादी गतिविधियां नियंत्रित नहीं की जा सकतीं तो आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि दुश्मन देश अपने यहां से भारत के विरुद्ध कार्यरत आतंकवादी ग्रुपों को नियंत्रित करेंगे। इसलिए, अब समय आ गया है कि सरकार...*(व्यवधान)* आप कृपया मुझे यहां व्यवधान न पहुंचाएं। यह कोई बाजार नहीं है। मैं किसी को भी यहां व्यवधान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया जाइए और कानून सीखिए...*(व्यवधान)* कानून कहता है, 'चाहे कोई भी' यदि आप यह शब्द नहीं चाहते हैं तो इसे हटा दीजिए। यदि आप यह विधि नहीं चाहते तो इसका निरसन कीजिए। आपके पास ऐसा करने की शक्तियां हैं। भारत और इसके नागरिकों की रक्षा के लिए आप सांविधिक पुस्तक में एक विधि क्यों चाहते हैं? यदि आप इस विधि को समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक संशोधन ला सकते हैं और वर्तमान विधि का निरसन कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक सांविधिक पुस्तक में एक विधि है, हमें उस विधि का सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। इस प्रकार से, भारत को विदेशी शक्तियों से बचाया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय, ये एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं जो सभा में उपस्थित नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : लिट्टे एक प्रतिबंधित संगठन है...*(व्यवधान)* किसी को लिट्टे का समर्थन नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन : महोदय, ये एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख कर रहे हैं जो सभा में उपस्थित नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. कृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

डा. सी. कृष्णन : महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। जब एक व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है तो उसका

नाम नहीं लिया जा सकता...*(व्यवधान)* मैं इन्हें इस प्रकार की बात नहीं करने दूंगा...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मैं अपनी बात पर कायम हूं। यदि विधिनिर्माता विधि का सम्मान नहीं करते हैं तो विधि है किसलिए?...*(व्यवधान)* विधिनिर्माताओं को विधि का सम्मान करना चाहिए...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन : महोदय, जब एक व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसका नाम नहीं लिया जा सकता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री पी. एच. पांडियन : यह केवल आम आदमी के लिए ही नहीं है कि वह विधि का सम्मान और अनुपालन करे...*(व्यवधान)* मैंने यहां किसी का नाम नहीं लिया है...*(व्यवधान)* मेरे पास प्रमाण है...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन : महोदय, एक सदस्य जो उपस्थित नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : डा. कृष्णन, यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैंने किसी का उल्लेख नहीं किया है। मैंने कहा कि चाहे वह कोई भी हो, उसे कानून का सम्मान करना ही है। इसमें कोई अपवाद नहीं है।..*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन : महोदय, एक व्यक्ति का उल्लेख कैसे दिया जा सकता है जब वह सभा में उपस्थित ही नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने राज्य सभा में देश में आतंकवादी संगठनों की सूची प्रस्तुत की है। इस सूची में, 21वें स्थान पर लिट्टे का नाम है और 28वें स्थान पर अल-कायदा है। उन सभी आतंकवादी संगठनों जिन पर प्रतिबंध लगा है का इस सूची में उल्लेख है। इस सूची को सरकार द्वारा दिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : पोटा के अंतर्गत भी लिट्टे पर प्रतिबंध है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : श्री पांडियन, क्या मैं कुछ कह सकता हूं?

श्री पी. एच. पांडियन : जी, नहीं।

लिट्टे पोटा के प्रावधानों के अधीन आता है जिस पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जब इस पर प्रतिबंध है तो कोई भी इसे प्रोत्साहित नहीं कर सकता, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। इस संसद में बैठकर क्या मैं जेहाद छेड़ने के लिए किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को समर्थन दे सकता हूं? क्या मैं किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को जेहाद छेड़ने को कह सकता हूं? यह निषिद्ध है।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : किस रूल को रैफर कर रहे हैं?

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : नियम 376 के अधीन।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मैं अपनी बात पर अडिग हूं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : मुझे उनकी बात सुनने दें।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, कोई भी व्यक्ति संदर्भ का मुद्दा उठा सकता है। मैं केवल तमिलनाडु के सदस्य श्री पांडियन की इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि जो कोई भी लिट्टे का समर्थन करता है उसे संसद में बैठने का अधिकार नहीं है। मैं इस सम्मानित सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि लिट्टे को श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली माननीय सरकार द्वारा उत्तरांचल में चकराता में प्रशिक्षण दिलाया गया था। यह अवैधानिक नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है?

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : उस समय सरकार ने इस संगठन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, अब इसे आतंकवादी संगठन कहा जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. एच. पांडियन : यदि आप 'पोटा' की धारा 18 को देखें तो आपको 25 आतंकवादी संगठनों की सूची मिलेगी। चूंकि यह मामला इस स्तर पर आ चुका है इसलिए मैं 'पोटा' की धारा 21(3) को अवश्य पढ़ूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, हमारा स्थगन प्रस्ताव एक दूसरे विषय पर है।

श्री पी. एच. पांडियन : यह आतंकवाद पर है।

सभापति महोदय : आपको स्थगन प्रस्ताव पर बोलना चाहिए।

श्री पी. एच. पांडियन : यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी संगठन अथवा इसकी गतिविधियों को समर्थन देने के उद्देश्य से बढ़ावा देने हेतु किसी बैठक को संबोधित करता है, तो वह अपराध करता है। आप किसी आतंकवादी संगठन को बढ़ावा नहीं दे सकते। आप किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन नहीं दे सकते। यदि आप समर्थन देना चाहते हैं तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपको संसद के अंदर नहीं होना चाहिए। आपको किसी दूसरी जगह होना चाहिए। यह विधान बनाने वाली सर्वोच्च निकाय है। जब कोई कानून पारित होता है तो कम से कम पहले इन 544 सदस्यों को इस कानून की इज्जत करनी चाहिए। यदि हम इस कानून की इज्जत नहीं करते हैं तो हम आतंकवादियों को इस कानून का अनुपालन करने के लिए नहीं कह सकते हैं।

सभापति महोदय : कृपया विषय पर ही चर्चा करें।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, मैं भारत सरकार से भविष्य में कम से कम इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए अनुरोध करता हूं। हम आतंकवादियों द्वारा रचे गए दारुण और बर्बर घटना में अब तक मारे गए 28 आदमियों के बाद इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हम ऑल इंडिया अन्ना डी एम पार्टी की ओर से इस घटना की निंदा करते हैं। हम सरकार से इन आतंकवादी संगठनों और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने की अपील करते हैं चाहे वे विदेशी हों या भारतीय और ताकि भारतीय नागरिक शांति से रह सकें और इस आधार पर कश्मीर को मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

महोदय, परवेज मुशर्रफ द्वारा यह भयंकर प्रयास रचा गया है कि कश्मीर को आजाद किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह एक हमला है। पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के सभी हमले रचे गए हैं।

अब केवल सरकार की जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की घोषणा है। यह हमला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करना है। यह बर्बर हमला गरीब लोगों पर किया गया है।

इन्हीं शबदों के साति मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं राजीव नगर में आतंकवादी हमले में मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं।

मैं अपने सभी सहयोगियों की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। विशेषकर यह हमला इस समय क्यों किया गया। कुछ स्पष्टीकरण सामने आए हैं अर्थात् इस हमले से चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना था जो कश्मीर में शुरू हो गया था। दूसरा कारण अमरनाथ जाने वाले यात्रियों को डराना था। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि तनाव कम करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तथा किसी तरह अथवा कुछ अन्य लोगों इस शांति प्रक्रिया को बाधित करना चाहते थे जो भारत और पाकिस्तान के दोनों ओर शुरू हुई है।

महोदय, 13 दिसम्बर, 2001 को जब हमारी संसद पर हमला हुआ था तो वह पांच पाकिस्तानी जेहादियों अथवा फिदायीनों द्वारा किया गया था जैसा कि आप उन्हें कहते हैं और देश भर में गुस्से की लहर उठ रही थी। लेकिन यह भी सच है कि इन जेहादियों को भारत, जम्मू-कश्मीर तथा दिल्ली में भी समर्थन प्राप्त था।

अब, अति सुरक्षित किसी सैन्य शिविर अथवा कालूचक या राजीव नगर जैसे आसान लक्ष्यों पर किया गया प्रत्येक हमला गैर-स्थानीय जेहादियों द्वारा किया गया था। यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि उन्हें कहीं न कहीं से हमेशा

उन लोगों से समर्थन मिला है जो उन धार्मिक कट्टरपंथियों की सहायता करते हैं और जो बाहर से आते हैं। इस बीच मैं छोटे मुठभेड़ों के बारे में चर्चा नहीं करूंगी। वर्ष 1999 के मध्य से और वर्ष 2001 के अंत तक लेकिन बड़ी मुठभेड़ों और बड़े हमले में से 45 बड़े हमले किए गए जिसमें 35 लश्कर-ए-तोइ्बा द्वारा किए गए थे जो पाकिस्तान में स्थित है और जिनका नेतृत्व पाकिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा किया गया था लेकिन यह भी सच है कि भारतीय बागी निरोधी प्राधिकारियों ने कहा है कि स्थानीय लोग उन्हें आश्रय और समर्थन देते हैं और वे स्थानीय लोगों को भी भर्ती करते हैं। इन मुठभेड़ों के दौरान हुई मौतों से भी यह पता चलता है कि भारी प्रतिशत में स्थानीय लोग इसमें शामिल थे और जो इन मुठभेड़ों में मारे गए थे।

महोदय, अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझती हूं कि सरकार की नीति द्विविध होनी चाहिए एक अर्थात् पाकिस्तान और दूसरा कश्मीर में हमारे लोगों के साथ। कश्मीर में हमारे अपने लोगों के साथ हमारी क्या नीति होनी चाहिए हमें इसके बारे में सोचना है।

पहले पाकिस्तान को लें। राष्ट्रपति मुशर्रफ ने अमेरिकियों से कहा है कि वे इस बात पर ध्यान देंगे कि सीमा-पार से स्थायी रूप से घुसपैठ बंद हो। हमें यही बताया गया है। लेकिन दो सवाल हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। क्या उनके पास ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति है? क्या सचमुच उनका यही आशय है? क्या वे इसके प्रति ईमानदार हैं? यह एक प्रश्न है। इसलिए हमें इस वादे पर बहुत ही फूंक-फूंक कदम रखना होगा लेकिन दूसरा सवाल यह है। क्या राष्ट्रपति मुशर्रफ के पास इस घुसपैठ को रोकने का कोई अधिकार है? हम सभी जानते हैं कि 11 सितम्बर, 2001 के बाद पाकिस्तान का पूरा चक्र घूम गया था और अमेरिका का घनिष्ठ सहयोगी बन गया।

अपराह्न 4.00 बजे

यह उनके लिए सुखद समाचार लाया। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अलग-थलग पड़ जाने के बाद वह अचानक तत्कालीन सर्वाधिक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली सहयोगी के रूप में उभरा। इसने इसे आर्थिक रूप से मदद भी की क्योंकि वह लगभग बर्बादी के कगार पर था। यह सच है। लेकिन इसी समय वह पाकिस्तान और पड़ोसी क्षेत्रों के धार्मिक कट्टरपंथियों की नफरत का भी शिकार हो गया।

उनका कहना है कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें धोखा दिया है। उनकी इसके बारे में ऐसी धारणा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईएसआई जो बहुत शक्तिशाली है और यद्यपि इसके प्रमुख को कुछ समय पहले हटा दिया गया था, भारत का बहुत ज्यादा विरोधी है और विशेषकर कश्मीर में भी और भारत के विरुद्ध सक्रिय है। हम यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना अथवा उनका बहुत बड़ा तबका अभी भी भारत का कट्टर विरोधी है।

अतः हमें यह प्रश्न पूछना था कि जनरल मुशर्रफ के पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिससे वह घुसपैठ रोकना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? भारत क्या कर सकता है? हमें बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखना चाहिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बातचीत के रास्ते खुले होने चाहिए। बेशक अभी स्वाभाविक रूप से हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। लेकिन हमने कहा है कि जब घुसपैठ कम हो रही है और जब कम से कम कुछेक आतंकवादी शिविर ध्वस्त हो रहे हैं तो हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन हमें बाचतीत के लिए दरवाजे खुले रखने होंगे क्योंकि इसका विकल्प बहुत घातक होगा।

मुझे यह समझ में नहीं आया। मेरे अनेक सहयोगी यह कह रहे थे कि हम भयभीत नहीं हैं? उनमें से कुछ ने कहा हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। हम यह कैसे करें? हम पड़ोसी देश हैं और परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और हमारी सेनाएं बिल्कुल आमने-सामने खड़ी हैं और जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि सेनाएं सीमा पर तैनात हैं। इसलिए उन्हें सबक सिखाने के बारे में बात करना अथवा यह कहना हम युद्ध से भयभीत नहीं हैं, बहुत ही खतरनाक है। हमें बहुत ही सावधान रहना है क्योंकि इसका अर्थ विध्वंस होता है और इसे इसके बारे में और ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें यहां पर भरसक संयम दिखाना है। हमें भड़काऊ होने से बचना चाहिए। छेड़छाड़ बार-बार होगी लेकिन हमें उत्तेजित होने से बचना चाहिए।

हमने देखा कि मई और जून में क्या हुआ। जब विश्व को यह अहसास हो रहा था कि हम नाभिकीय युद्ध के कगार पर हैं। उस समय मैं अमेरिका और यूरोपीय देशों में थी। मैंने अपनी आंखों से असली आतंक को देखा जो उस समय पैदा हुआ था। मेरे और अन्य भारतीयों के लिए यह आवश्यकता

[श्रीमती कृष्णा बोस]

से अधिक प्रतिक्रिया थी। लेकिन उनके लिए यह अति प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने समझा कि भारत और पाकिस्तान को नाभिकीय युद्धों के बारे में कोई समझ नहीं थी और इसलिए हम हाव–भाव और भाव–भंगिमा दिखा रहे थे। इसलिए उन्होंने समझा कि हम किसी भी समय युद्ध कर सकते हैं।

हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखी और हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए तथा हमें इस प्रकार बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब भी हम इस समय चर्चा करते हैं तो हमें अवश्य संयम दिखाना चाहिए।

द्विविध नीति के बारे में जैसा कि मैं कह रही थी मैं अपनी नीति के प्रति, कश्मीर में हमारे अपने लोगों के प्रति बहुत अधिक महत्व देना चाहूंगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि कश्मीर में अन्य संक्रामण की आम अवधारणा है और हमें इससे इनकार नहीं करना चाहिए। उनके जख्म पर मलहम लगाना बहुत पुरानी बात हो चुकी है। हमें अलग–अलग पड़े रहने को दूर करना है। लोगों की सच्ची भावनाओं अथवा शिकायतों का दमन करने से कभी सहायता नहीं मिलेगी। हमें यह सोचना है कि हम उन्हें जेल में रखने अथवा उन्हें किसी अन्य तरीके से दमन करने के बजाय उन सभी को मुख्य धारा में कैसे वापस ला सकते हैं। कश्मीर के ऐसे कुछ मध्यमार्गी नेताओं जिनसे हम कोई बातचीत करने की उम्मीद रख सकते थे कि हाल ही में इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि कुछ लोगों की नीयत यह नहीं है कि उन्हें पुनः मुख्य धारा में लाया जाए। फिर, आजादी की बात करने वाले कुछ लोग भी हैं, लेकिन वे जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की खिलाफत करने वाले ग्रुपों से संबंधित हैं, जिन्हें जेल में डाल दिया गया है–और वह भी 'पोटा' के तहत! मैं नहीं समझती कि यह कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था, क्योंकि हम यदि सभी विचारधाराओं के लोगों के एक बड़े समूह से बात करें तो ही अच्छा रहेगा। अन्यथा, किसी दलविशेष से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। अतः बजाय इसके कि हम उन्हें दबाएं, प्रताड़ित करें या जेल में डाल दें, हमें उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव का उल्लेख करूंगी। कुछ वर्ष पूर्व, कोलकाता के 'नेताजी भवन' में हम बंद कमरे में क.ीर पर एक गोलमेज वार्ताव कर रहे थे। इसमें भारतीयों, पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों के अतिरिक्त कुछ तथाकथित 'आतंकवादी' भी मौजूद थे। मुझे आज भी याद है कि अपनी बात कह चुकने के बाद एक महत्वपूर्ण 'आतंकवादी' ने उठकर कहा, "यदि हमें ऐसा मंच मिलता जहां हम अपना गिला–शिकवा कह सकते और ऐसे लोग हों, जो हमारी बात सुनें–तो हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।" मुझे लगता है कि उसने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। उसने कहा कि चूंकि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा–वे लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा–इसीलिए उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। एक महत्वपूर्ण नेता की तरफ से मैंने वह बड़े मुद्दे की बात सुनी!

हम सभी जानते हैं कि जम्मू में चुनाव नजदीक हैं। हमें देखना होगा कि निर्वाचन–प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। हमें ऐसे अधिक से अधिक समूहों को निर्वाचन–प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और, हमें यह भी देखना होगा कि यह कार्य बिलकुल स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से हो। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं कि गलत छवि बनना एक बड़ी दुरूह बात है। यदि हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवा भी लिया और दुनिया नें इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं माना–तो स्थिति कठिन बन जाएगी। अतः, जूलियस सीजर की पत्नी की ही भांति हमें भी अपनी अग्नि–परीक्षा देनी होगी और दुनिया को दिखाना होगा कि हम वहां वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने जा रहे हैं।

विपक्ष से मेरा एक ही अनुरोध है। यह वास्तव में अब 50 साल पुरानी समस्या बन चुकी है और हम इसका ही रोना रोते रहते हैं। यह रोना इसका होता है कि यह–यह बात हमारी सरकार से पहले वाली सरकारों की कई भूलों और गलत नीतियों का परिणाम है ! उनमें से कई सरकारें तो अब विपक्ष में बैठी हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। एक क्षण में ही किसी समस्या का समाधान नहीं होता। विपक्ष यह नहीं कह सकता कि सरकार ने कोई कोशिश नहीं की है। हम वाजपेयी जी की लाहौर बस–यात्रा को भूले नहीं हैं। हम लाहौर घोषणा को भी नहीं भूले हैं। हम यह भी नहीं भूले हैं कि प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ को आगरा आने का निमंत्रण दिया था। विपक्ष तो हर बात पर नाराज होने लगता है ! उदाहरण के तौर पर, प्रधान मंत्री के लाहौर जाने या राष्ट्रपति मुशर्रफ को आगरा

बुलाने पर भी उसे आपत्ति थी। ठीक है, प्रधान मंत्री ने प्रयास किया था और इस सबमें विफलता स्वाभाविक बात है। प्रधान मंत्री ने तो अपनी तरफ से संजीदा प्रयास किया था। उन्होंने अपनी कोशिश की थी, और, आपको याद रखना चाहिए कि इस सरकार ने इस बारे में अनेक प्रयास किए हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं उप-प्रधान मंत्री से कहना चाहूंगी कि उत्तरी आयरलैंड की शांति-प्रक्रिया की मिसाल ध्यान में रखें। वहां की समस्या भी बहुत कुछ हमारे जैसी ही है। उनकी समस्या भी वैसे ही आयरलैंड के विभाजन से जन्मी है, जिस प्रकार हमारी अधिकांश समस्या देश के विभाजन से जन्मी है। हमें किसी आदर्श शांति-प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि उप-प्रधान मंत्री इस बारे में सोचेंगे। यदि उत्तरी आयरलैंड की शांति-प्रक्रिया को आदर्श रखा जाए, तो हमारे लिए अच्छा होगा।

विपक्ष से मुझे यही कहना है कि कृपया उसी तरह सरकार को अपना पूरा समर्थन दें, जैसा आपने पिछली बार दिया था। हम भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संकट है। हम इसका समाधान केवल तभी कर सकेंगे, जबकि हम एक साथ खड़े हों।

इस संबंध में भारत और पाकिस्तान के अलावा जिस एक और देश की बात बार-बार हो रही है, वह है-अमेरिका। पता नहीं क्यों, हमारे वामपंथी मित्रों को अमेरिका को लेकर एक चिढ़ सी है ! लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि आज चूंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक सहयोगी है, अतः उसकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका इस मामले में पाकिस्तान से कुछ कहे तो यह हमारे हित में ही होगा। हम एक आत्मनिर्भर देश हैं। हमारी अपनी विदेश नीति है। हमें तो दूसरों का मुंह नहीं ताकना है, लेकिन, यदि पाकिस्तान से कुछ कहा जाए--तो हमारे लिए अच्छा ही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा) : महोदय, मैं भी आतंकवादियों द्वारा कासिम नगर में निर्दोष लोगों की हत्या किए जाने की भर्त्सना करता हूं। स्पष्ट रूप से, ये आतंकवादी सीमा-पार से आए थे। 17 मई, 2002 को इस सभा में कालूचक हत्याकांड पर चर्चा हुई थी उस चर्चा में सभा में पाकिस्तान के खिलाफ संभावित कार्रवाई के विकल्पों पर विचार हुआ था--क्या हम पूर्ण युद्ध करें, क्या हम सीमित युद्ध करें, या फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाएं या निग्रहकारी राजनय का इस्तेमाल करें, इत्यादि। सभा में इस बात पर सर्वसम्मति थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई तो की ही जानी चाहिए और यह पूरी तरह सरकार पर ही छोड़ दिया गया था कि किस प्रकार की कार्रवाई हो। एक तरह से हमने सरकार को कह दिया था कि आप जो करना चाहें, कीजिए-हम पूरी तरह आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, आप अपनी इच्छा के मुताबिक कदम उठाइए। सरकार ने अपनी सोच यह रखी कि वह, निग्रहकारी राजनय की नीति का इस्तेमाल करेगी।

अपराह्न 4.11 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

निग्रहकारी राजनय का विकल्प चुनने के बाद, सरकार ने दावा किया कि उनकी यह नीति सफल रही है। लेकिन इस राजनय के तहत सरकार ने किया क्या? मैं इस सरकार के सत्तासीन होने के बाद से कश्मीर मुद्दे पर हमारी नीति और कार्रवाइयों के लेखा-जोखों को कहना चाहूंगा। रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने नियंत्रण-रेखा पर फौजों की तैनाती कर दी। उन्होंने अरब सागर में रणनीतिक तौर पर नौसेना को भी लगाया। पाकिस्तान के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया गया। भारत सरकार ने पाकिस्तानी विमानों के भारतीय वायु-सीमा में उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया। हमारे उच्चायुक्त को पाकिस्तान से वापिस बुला लिया गया। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह, जो उस समय विदेश मंत्री थे, ने अपनी राजनयिकता दिखाई। सरकार की ओर से इतना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमरीका के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफील्ड और अमरीकी प्राधिकारियों द्वारा गहरी कूटनीतिकता का प्रदर्शन किया गया तथा यूरोपीय संघ के अधिकारियों तथा ब्रिटिश विदेश मंत्री श्री जैक स्ट्रॉ ने भी इस सिलसिले में उनका साथ दिया। उन्होंने लगातार भारत और पाकिस्तान की यात्रा की। मुझे याद नहीं पड़ता कि कितनी बार उन्होंने यहां की यात्रा की-मुझे याद करना पड़ेगा। चाहे श्री जैक स्ट्रॉ हों या श्री रम्सफील्ड या फिर कोई और, जितनी भी बार वे भारत आए, उन्होंने भारत के संयम की बड़ी सराहना की। उन्होंने यह भी दावा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने भारत में घुसपैठ तथा सीमा-पार से आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने का वायदा किया है। वे यह दावा करते रहे और भारत सरकार खुश होती रही ! अमरीका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ इस तरह से जैसी सहायता कर

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

रहे थे, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री उसका काफी आभार मानते रहे।

इन्होंने उनका उतना विश्वास किया कि सरकार और रक्षा मंत्री ने नौसेना को वापस बुलाने का निर्णय कर लिया। नौसेना वापस बुला ली गई ! सरकार ने भारतीय आकाश में पाकिस्तानी विमानों को फिर उड़ान भरने की अनुमति देने का फैसला किया। पाकिस्तान से राजनयिक संबंध बहाल करने का निर्णय भी किया गया। यद्यपि भारत से कोई राजदूत अभी पाकिस्तान गया नहीं है, फिर भी उसे नामित कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? जनरल मुशर्रफ ने क्या सोचा होगा? वह हँस रहे होंगे कि भारत की अच्छी बेइज्जती हुई !

25 जून, 2002 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' समचार-पत्र में प्रकाशित समाचार में जनरल मुशर्रफ का एक बयान छपा है कि भारत ने अरब सागर से नौसेना हटाकर तथाकथित रूप से तनाव कम करने की जो कार्रवाई की है, वह केवल दिखावटी है। यह कहना है उनका-कि यह केवल दिखावटी कार्रवाई भर है ! जनरल मुशर्रफ का कहना है-

"तथाकथित रूप से तनाव कम करने की बात कहकर वास्तव में भारत अपनी खुद की समस्याएं कर रहा है। भारत के रक्षा मंत्री ने नियंत्रण-रेखा पर फौजें भेजकर और अरब सागर में नौसेना तैनात करके वस्तुतः खुद के लिए ही एक समस्या पैदा कर ली थी और उन्हें लग रहा था कि इसे दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने नौसेना वापस बुलाई है। इस तरह, इस कार्रवाई का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसा करके वे स्वयं की समस्याएं ही कम कर रहे हैं।"

हमारे रक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री के बारे में जनरल मुशर्रफ यह सब कह रहे हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अमरीका के रक्षा मंत्री कहते रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ने भारत में घुसपैठ और सीमा-पार से आतंकवाद को स्थायी तौर पर समाप्त करने का वायदा किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में किसी से कोई भी वायदा नहीं किया।

जनरल मुशर्रफ ने टेलीविजन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यमों पर जो कहा, मैंने स्वयं उसे देखा-सुना था। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के बारे में उन्होंने किसी को भी कोई आश्वासन नहीं दिया और आगे क्या होगा, इस बारे में वे किसी से भी कोई वायदा नहीं कर सकते ! यह जनरल मुशर्रफ का कथन था। उन्होंने कहा है कि, "मैंने किसी को कोई आश्वासन नहीं दिया। इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सीमा-पार से आतंकवाद अब और नहीं होगा, भारत में और घुसपैठ नहीं होगी। मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता।" यह जनरल मुशर्रफ का कथन है ! लेकिन चूंकि अमरीका कह रहा था कि "नहीं, नहीं! जनरल मुशर्रफ ने तो हमसे यही कहा और वायदा किया है कि वह घुसपैठ और सीमा-पार से चलने वाले आतंकवाद को स्थायी रूप से रोक देंगे।" और हमारे भोले भारतीय प्रधान मंत्री और सहृदय रक्षा मंत्री ने उनकी हर बात पर विश्वास कर लिया ! मुझे याद है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने स्टार टी.वी. पर कहा था कि सीमा-पार से आतंकवाद में कमी आ रही है। उन्होंने यह दावा किया था। कासिमपुरा में यह घटना होने के बाद आप अब अपने उस कथन का औचित्य क्या ठहराएंगे कि आतंकवादी गतिविधियों और सीमा-पार से आतंकवाद में कमी आई है? क्या इससे भारत के रक्षा मंत्री के बयान की सच्चाई सिद्ध होती है?

मैं गृह राज्य मंत्री श्री आई. डी. स्वामी का सम्मान करता हूं तथा उनकी सराहना भी करता हूं कि वे निश्चित ही एक प्रगल्भ और आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति हैं। जब कभी भी वे टेलीविजन पर दिखाई पड़ते हैं तो उनके बोलने में इतना आत्मविश्वास और प्रगल्भता होती है कि मैं सराहना किए बगैर रह नहीं पाता। मैंने उन्हें टी.वी. पर कासिमपुरा घटना पर बोलते सुना। वे कह रहे थे कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। टी.वी. पर उन्होंने ऐसा कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता ! सरकार की कैसी निस्सहाय दशा है ! भारत सरकार जैसे सारे हथियार डाल चुकी हो ! एक अरब लोगों की सरकार है यह, और उसके गृह राज्य मंत्री का यह कहना है। लगभग 15 वर्ष पहले मैं भी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री रहा हूं। मैंने तो कभी इस तरह के आत्मसमर्पण करने वाले वक्तव्य देने की जुर्रत नहीं की। इस देश के गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री क्यों कहते हैं कि इस तरह की घटना को रोका नहीं जा सकता? ठीक है, यदि इस तरह की घटना को रोक पाना संभव नहीं भी है तो भी आप इस तरह के वक्तव्य नहीं दे सकते। इससे पूरे राष्ट्र का मनोबल गिरता है। इससे

देश का उत्साह भंग होता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को अपना वक्तव्य देने में थोड़ा संयम बरतना चाहिए।

आजकल पूरा परिदृश्य क्या है? यह बहुत ही कठिन परिस्थिति है ! पाकिस्तान के जो शासक हैं वे अलग राग अलाप रहे हैं। वे भारत का मजाक बनाने में ही आनंद महसूस करते हैं। मैंने सैकड़ों बार उन्हें ऐसा करते देखा है। वे भारत का मजाक बनाकर मजे लेते हैं। और हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो बहुत ही खामोश है और खामोश रहकर यह देश सब कुछ देख रहा है। हमारे तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका, इंग्लैंड और पूरा यूरोपीय संघ है जो जनरल मुशर्रफ पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं है। वे जनरल मुशर्रफ को अपने वायदे पर कायम रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

किन्तु, जब अमेरिका की बारी आती है और जब न्यूयार्क के ट्विन टावर पर हमला होता है, तो अमेरिकी बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। वे समझते हैं कि इससे उसके अहम् पर कुठाराघात हुआ है और उसने आतंक के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वह इस मामले में काफी चिंतित है और संयुक्त राष्ट्र के संकल्प सं. 1373 को क्रियान्वित करने के प्रति वचनबद्ध है। किन्तु, जब भारत की बारी आती है, जम्मू और कश्मीर का मामला आता है, तो सब ठीक है। क्या करें? यह गत पचास वर्षों से हो रहा है। यह जारी रहेगा। वह इसके प्रति तनिक भी चिंतित नहीं है। हम क्या करेंगे?

17 मई को मैंने इस सभा में कालूचक में हुए हमले के मामले में एक बड़ा ही लंबा भाषण दिया था। हर बार जब भी कुछ होता है, विपक्ष की मांग होती है कि सभा में चर्चा हो। सरकार कहती है कि वह किसी भी मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। सभी लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है और सब लोग अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं। फिर, संसद का सत्र समाप्त हो जाता है, सब लोग इसे भूल जाते हैं। हर बार संसद में हम कहते हैं, "आप जो चाहे करें, हम आपको प्राधिकृत करते हैं, हम सरकार के साथ हैं और यह राष्ट्र एकजुट है।" इन सबके बावजूद निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हम यह क्या कर रहे हैं? 17 मई को हुई चर्चा का क्या फायदा हुआ? मैंने दो महीने पूर्व 17 मई को संसद में हुई चर्चा का कोई असर नहीं देखा है।

मैं करगिल रिपोर्ट का एक-एक पन्ना पढ़ चुका हूं। उसमें करगिल आयोग की 25 सिफारिशें थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या करगिल आयोग की उन 25 सिफारिशों में से किसी को भी सरकार द्वारा लागू किया गया है। मैंने इसी सभा में आवाज उठाई थी। उनमें से क्या एक भी आज तक लागू की गई है? नहीं। फिर यहां चर्चा करने का फायदा क्या है? मैं समझता हूं कि विपक्ष चर्चा की मांग करते समय सावधानी से अपने दिमाग का उपयोग करें। जब विपक्ष चर्चा की मांग करे और सरकार इसे शीघ्र स्वीकार कर ले तो ऐसे में हम सरकार की ही मदद कर रहे होते हैं। वह सोच सकती है कि ठीक है सभा पटल पर इसे रख दिया जाए, उन्हें चिल्लाने दिया जाए चर्चा हो जाए।

[हिन्दी]

हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अपोजीशन को चिल्लाने दो, अपोजीशन को कुछ बोलने दो। बाद में हम लोग चुपचाप बैठेंगे। पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही है वह हमेशा होती है, उसका नतीजा क्या होता है, सरकार कुछ नहीं करती है।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि भारत सरकार की दबाव की कूटनीति निरर्थक साबित हुई है, पूरी तरह से निरर्थक सिद्ध हुई है। सरकार दावा करती है कि उसकी कूटनीति काफी सफल रही है। यदि यह सफल रही होती, तो इसका श्रेय किसको जाता? इसका श्रेय तत्कालीन विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह को जाता। फिर क्यों सरकार ने उन्हें वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया? इसके पीछे क्या तर्क है? एक सफल विदेश मंत्री को जिन्होंने सरकार की दबाव की कूटनीति संबंधी नीति को आगे बढ़ाया था, उन्हें अचानक वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। और, विदेश मंत्रालय में कौन गए हैं? श्री यशवन्त सिन्हा को। मैं केन्द्रीय मंत्री के रूप में भारत सरकार में 17 वर्षों तक रहा हूं। नौकरशाहों से मेरा पाला पड़ चुका है। मैं आईएएस अधिकारियों के अहम् को जानता हूं। मैं आइएफएस अधिकारियों के अहम् को भी अच्छी तरह जानता हूं। मुझे अपने पिछले अनुभवों से इस बात की आशंका है कि एक आईएएस अधिकारी आईएफएस अधिकारियों के गढ़ का प्रमुख कैसे बना रहेगा। मंत्री जी, केवल कुछ करने के लिए आप ऐसा न करें। आप अपना

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

दिमाग लगाएं। श्री यशवन्त सिन्हा जो एक नौकरशाह थे, जो एक आईएएस अधिकारी थे, संभवतः आईएफएस अधिकारियों का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। इस बारे में मुझे आशंका है। इस पर विचार करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। विदेश मंत्री को वित्त मंत्री और वित्त मंत्री को विदेश मंत्री के रूप में अदला-बदली किए जाने की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

भाजपा में ढेर सारे गुण हैं। आप बहुत सक्षम हैं। मैं समझता हूं कि भाजपा एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसके पास एक ठोस किस्म का थिंक टैंक है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा थिंक टैंक जो बड़ी बारीकी से निपुणतापूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ षड्यंत्र रचने में सफल रहा है...*(व्यवधान)* जब आप प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी के विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आप श्री मुशर्रफ के खिलाफ इस तरह की योजना या षड्यंत्र नहीं रच सकते। मैं जानता हूं कि यदि आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने ऐसा किया है। प्रधान मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र एक बड़ी बात है। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। कृपया ऐसा कीजिए। उप-प्रधान मंत्री जी, मैं समझता हूं कि आपके लिए यह कार्रवाई करने का समय है। साथ ही, मैं कोई युद्ध की वकालत नहीं कर रहा हूं। किन्तु, यदि अमेरिका अफगानिस्तान जाकर प्रशिक्षण शिविरों, वहां के आतंकवादी शिविरों को तबाह कर सकता है, यदि अमेरिका को ऐसा करने का अधिकार है, तो भारत को क्यों नहीं ऐसा करने का अधिकार हो रुकता है? अमेरिका जो कह रहा है उस पर आप ज्यादा निर्भर है। आपको वह भी करना चाहिए जो अमेरिका कर रहा है। कृपया आप उसकी कथनी पर निर्भर न रहें। आपको वह भी करना चाहिए जो अमेरिका कर रहा है। कृपया कार्रवाई करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आज कार्य स्थगन प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे हैं। जम्मू में राजीव नगर या कासिमनगर में जिस तरह की घटना घटी है, उसकी जितनी भी निन्दा की जाए, वह कम है। मैं कठोर शब्दों मे उसकी निन्दा करता हूं तथा वहां मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, वहां जो बेसहारा और गरीब निर्दोष लोग थे, जो रोजगार के लिए गए थे, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग थे, ऐसे निरपराध और निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या की गई। पिछले दिनों भी यह चर्चा बराबर सदन में चलती रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से हमारा देश दो दशकों से जूझ रहा है और हम इसके खिलाफ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम उसका मजबूती से सामना करते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सेना की भूमिका पर हमारे देश को गर्व है, हमें नाज है अपने देश की सेना पर। यहां सेना की भूमिका का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह घटना बार-बार घटती है और हम कदमताल करते हैं। आखिर किसी नतीजे या निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे या नहीं? किस तरह से हमारी जो इससे संबंधित कार्य योजना है, जो इंटीग्रेटेड प्लान है, उसमें कहीं न कहीं त्रुटि है। इसमें कभी झांका गया है या नहीं? मैं इसलिए यह सवाल उठा रहा हूं कि कभी कश्मीर के महाराजा की फौज मात्र 7000 थी। गृह मंत्री जी, उप-प्रधान मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं। हम मान सकते हैं कि उस समय मिलिटेन्सी की ऐसी गतिविधियां नहीं थीं। लेकिन महाराजा की 7000 फौज, जो क्रिमीनल्स काबुल की ओर से आते थे, जो क्रिमिनल्स पाकिस्तान की ओर से आते थे उन अपराधी और लुटेरों को रोकने में पूरी तरह कामयाब हुई, परन्तु आज इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी पलटन, राज्य की इतनी पुलिस, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के इतने लोग, खुफिया तंत्र के बड़ी संख्या में तैनात लोग, कामयाब नहीं हो रहे हैं, हम उनकी नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह अवश्य है कि कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है।

सभापति महोदय, पिछली बार कालूचक पर बहस हुई थी। मैंने उस दिन भी हाउस में इस बात को कहा था कि जम्मू और पठानकोट के रास्ते में भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से घुसपैठ रोकने में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन जो एंट्री पाइंट है, वहां से भी घुसपैठ बढ़ती जा रही है, घुसपैठ में कमी के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, बराबर घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारी कार्य-योजना नहीं है और यदि कोई समन्वित कार्य योजना है, तो फिर बॉर्डर सिक्योरिटी

फोर्स, खुफिया तंत्र, राज्य की पुलिस क्यों फेल हो रही है, क्यों घुसपैठियों का पता नहीं लगता है और वे लोग आकर वारदात करके चले जाते हैं। इसलिए समन्वित कार्य योजना में कहीं कोई कमी, गलती या दोष अवश्य है।

सभापति जी, इसके साथ-साथ देश के अंदर आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाले लोग भी हैं, जो टैररिस्ट्स एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। जो इंडिया में ओवर ग्राउंड काम कर रहे हैं और टैररिस्ट्स की मदद कर रहे हैं। उनमें से कितने लोगों को पकड़ा गया, यह नहीं बताया गया है। रक्षा मंत्री महोदय ने कुल कितने आतंकवादी पकड़े और मारे, यह संख्या बताई है, लेकिन देश के अंदर आतंकवादियों की मदद करने, उन्हें प्रश्रय देने वाले लोगों की संख्या नहीं बताई है। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय गत पांच महीनों में ऐसे कितने लोग पकड़े गए, यह जानकारी भी दें। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल पर संपूर्ण सदन, समूचा देश और सभी विपक्षी पार्टियां एक हैं।

महोदय, हमारे देश में आतंकवाद, हमारी राष्ट्रीय समस्या है। उससे हमें जूझना है और हमारा देश जूझ भी रहा है, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। घटना हो जाती है और हम कदमताल करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। कालूचक की घटना होती है, जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर हमला होता है, संसद पर भी हमला होता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता।

आज प्रातः जब यह प्रस्ताव आ रहा था, तो हमारे कुछ उधर के साथी जोर-जोर से बोलकर इसको दूसरा रंग देने का प्रयास कर रहे थे। माफ कीजिए, मेरा उनसे कहना है कि मैं उस नजरिये से बिलकुल सहमत नहीं हूं। यह किसी एक कम्युनिटी के साथ लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई किसी खास समुदाय की नहीं है बल्कि यह देश की सुरक्षा और विदेशी आतंकवाद की लड़ाई है। इसमें किसी खास समुदाय या बिरादरी का सवाल नहीं है। जो विदेशी आतंकवाद है उसके कारण हमारे देश के नागरिकों की जान खतरे में है। वह अपनी आतंकवादी एक्टीविटीज छिपे रूप में हमारी धरती पर कर रहा है। उसकी जड़ें हमारे देश की धरती पर भी हैं। उन्हें यहां से सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले पांच महीनों में देश के अंदर ऐसे कितने आदमियों को पकड़ा गया है जो आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। इसका खुलासा होना चाहिए।

महोदय, एंट्री पाइंट पर डिटैक्ट करने में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कठिनाइयां हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं कहा जा सकता है, यह बात मैं समझता हूं, लेकिन सरकार इतने प्रयास कर रही है, हमारी फौजें बराबर लगी हुई हैं, परन्तु परिणाम नहीं आता है। हम घुसपैठियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और विदेशी आतंकवादी यहां आकर कभी 27 और कभी 30 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारकर चले जाते हैं। इसके बाद हम निन्दा भी करते हैं, बहस भी करते हैं और शब्दों से काफी जोर से मुकाबला करने की बात भी करते हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हमें निश्चित रूप से कोई ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। बिना कार्य योजना बनाए हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो कार्य योजना बनी हुई है क्या उसकी मानिटरिंग हो रही है या ठीक प्रकार से कार्य योजना पर अमल होना चाहिए उस प्रकार से अमल नहीं हो रहा है उसमें कहीं कमी है या कोई ऐसी बात जरूर है जिससे हमें सफलता नहीं मिल रही है और बराबर घुसपैठिए आ रहे हैं। घुसपैठियों के आने के दो लिंक हैं। उनके ऊपर पूरी तरह से बंदिश लगनी चाहिए। एक एंट्री पाइंट है, उस पर डिटैक्ट करके पूरी तरह से घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए। दूसरे, हमारे देश के अंदर घुसपैठियों और आतंकवादियों को जो प्रश्रय दे रहे हैं, उनको चिन्हित करना, उनको रेखांकित करना बहुत जरूरी है। वहां बहुत सारी योजनाएं बनती होंगी। इसके अलावा और भी सवाल हैं। अभी हमारे विदेश राज्य मंत्री जी बोलेंगे कि कश्मीर की क्या समस्याएं हैं? कश्मीर में आटोनोमी का सवाल है। वहां के विकास का सवाल है। वहां के लोगों को राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का सवाल है क्योंकि सपोर्टर्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उस राज्य को आर्थिक रूप से सबल करना जरूरी है। उस राज्य को पूरी तरह से मुख्य धारा के साथ जोड़ने में जहां भी कमी है, उस कमी को दूर करने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां काफी समय से यह सिलसिला चल रहा है। दो दशक से हम आतंकवाद का मुकाबला कर रहे हैं। हम कदमताल करते रहते हैं लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि कालूचक के बाद फिर यह कासिमनगर की घटना घट गई। यह जो सिलसिला लगातार चल रहा है, यह कहीं न कहीं रुकना चाहिए। अगर यह घटता नहीं

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

तो बढ़ना भी नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं सोचते थे कि इस सदन के शुरू होने पहले दिन ही जम्मू में इस तरह की घटना होगी और वहां हुए नरसंहार पर हमें फिर से इस सदन में चर्चा करनी पड़ेगी लेकिन हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है।

हम समझते हैं कि निश्चित रूप से सदन को आश्वस्त किया जाए और उसकी त्रुटियों को दूर करके एक समन्वित कार्य योजना बनाई जाए। देश आज इस बात के लिए टकटकी लगाए देख रहा है। सम्पूर्ण देश आपके साथ है। इसमें कोई मतभेद नहीं है और राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में या आतंकवाद से मुकाबला करने के सवाल पर कोई भी दल पीछे नहीं है। सभी दल एन.डी.ए. के साथ हैं, चाहे वे एन.डी.ए. में हों या एन.डी.ए. से बाहर के दल हों। सरकार के साथ सभी लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। हमें निश्चित रूप से एक नतीजे पर पहुंचना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित करना चाहिए, गारंटी देनी चाहिए ताकि एक विश्वास का माहौल वहां की जनता में पैदा हो क्योंकि वहां लोगों में विश्वास का माहौल टूटा है। जिस तरह से वहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे वहां की जनता में अविश्वास का संकट बढ़ा है। वहां देखने को भी मिला है। अभी वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुनाव होगा इसलिए आम जनता में शांति बहाल करने के लिए हमें आतंकवादी गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही करके उन पर रोक लगानी चाहिए।

सभापति जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं जिसका दुनिया में शायद कोई उदाहरण नहीं है। सरहद पर इतने दिनों से हमारी फौजें खड़ी हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई कार्यवाही कीजिए। समन्वित कार्यवाही योजना में चूंकि राज्य पुलिस भी रहती है इसलिए आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए अलग से कोई फौजी कार्यवाही करने पर विचार किया जाए। पाकिस्तान पर डिप्लोमैटिक प्रैशर डालना चाहिए। पिछली बार आपने ऐसा किया भी था। आपको बहुत सहयोग मिला था। हिन्दुस्तान को एक सफलता का संकेत भी मिला था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आपको इस सवाल पर सपोर्ट किया था। उसके खिलाफ एक वातावरण बनाने में हमारी एन.डी.ए. की सरकार कामयाब हुई। जब इस तरह की घटनाएं घटित होने का सिलसिला जारी है तो आप पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कराइए। अंतर्राष्ट्रीय देशों से इस पर मोहर लगाइए। हमको अंतर्राष्ट्रीय देशों से ताकत नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा देश एक सार्वभौमिक देश है। हमारे देश की सार्वभौमिकता का सवाल है, उसकी आत्मरक्षा का सवाल है इसलिए हमें पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कराना चाहिए। दुनिया के जो समुदाय उनकी हिमायत की बात करते हैं, उनको भी कहिए कि आप मोहर लगाइए कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। यदि वे उसको घोषित नहीं करते और केवल मुंह जुबानी बोलते हैं और उनके लिए अपने यहां पूरा ऑफिस खोल रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो हमारी समस्या ज्यों की त्यों ही है। इसलिए हमें अपनी ताकत से आतंकवादियों का मुकाबला करना है। जो हमारी सेना है, स्टेट में पुलिस है, सीमावर्ती फोर्सेस है, उसी से हमें मुकाबला करना है। अपने पुरुषार्थ के बल पर, ताकत के बल पर हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। दूसरे देश की सलाह समय-समय पर मांगकर हम इस आतंकवाद की लड़ाई को एक मोड़ देकर, एक नये सिलसिले में ले जाएंगे। इसलिए हमको डिप्लोमैटिक प्रैशर इतना बिल्ड अप करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसमें केवल शब्दों से नहीं बल्कि ईमानदारी से हमारा साथ दे। इसे भी सुनिश्चित करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सूची में 15 सदस्य शेष बच रहे हैं। उप-प्रधान मंत्री 6 बजे बोलेंगे। मैं प्रत्येक सदस्य को पांच-पांच मिनट का समय दूंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, काम रोको प्रस्ताव मंजूर किया गया है। काम रोको प्रस्ताव में सबसे मुख्य मुद्दा होता है कि यदि सरकार की घोर विफलता हो तो अध्यक्ष महोदय कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर कर देते हैं।

अपराह्न 4.46 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

सदन को इसे मंजूर करना है, इस पर बहस चल रही है। हमारे यहां एक कहावत है—धन घटल जाए और

हुकूमत बदल जाए। हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री जी की पोस्ट बढ़ रही है और उनका काम खराब हो रहा है। गृह मंत्री से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो गई और उनका काम लगातार खराब होता जा रहा है। 14 मई को जब कालूचक में घटना घटी थी तो हम देखते थे कि उस समय ज्यादा रोष था, पाकिस्तान पर हमला करके उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, हम ऐसे लक्षण देख रहे थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि निन्दा कर दी जाए, विचार कर रहे हैं, डिप्लोमैसी को ठीक कर रहे हैं, वही रूटीन वर्क वाला बयान चल रहा है। जैसे गांव में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग उसके श्राद्ध का मंत्र पढ़कर खत्म कर देते हैं, उसी तरह के कर्मकांड में सरकार लगी हुई है। एक बार कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ सीज फायर कर दी जाए। कभी-कभी लगता था कि हमला कर देंगे। लेकिन कालूचक की घटना और अभी जो गरीब लोग मारे गए, उसमें आतंकवादी साधु के भेष में गए थे। सरकार अभी तक बात साफ नहीं कर रही है कि असलियत क्या है। आतंकवादी साधु के भेष में गया था।...*(व्यवधान)* हाल में कुरुक्षेत्र में प्रस्ताव पारित हुआ कि जम्मू-कश्मीर के तीन खंड कर दिए जाएं। यह कैसा प्रस्ताव है, इस पर सरकार कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है। साधु के भेष में कौन था, सरकार इस बात को साफ क्यों नहीं कर रही है। इस बात की असलियत की जांच करवा रही है और चाहती है कि रस्मी तौर पर बहस करवाकर बात को खत्म कर दिया जाए। यह देश की सुरक्षा का सवाल है और देश का अहम् मसला है।

सुना है कि ये लोग पोटो लागू कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं और हम खिलाफत कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : लागू नहीं हुआ है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपया बैठिए। ऐसा लगता था कि ये पोटो लाकर आतंकवाद को समूल नष्ट कर देंगे और हम उसमें बाधक हैं। पोटो से आतंकवाद रुका नहीं, घटा नहीं बल्कि बढ़ रहा है। वाइको साहब पोटो के अंतर्गत धरे गए। उनके और मंत्री क्यों बचे हुए हैं, हम नहीं जानते। श्री जेटली ने भी भाजपा का समर्थन कर दिया। कहा गया कि जो आतंकवाद और उस तरह की घटना का समर्थन करेगा, उसको भी पोटो के अंतर्गत बंद कर दिया जाए। यदि ईमानदारी से पोटो लागू करेंगे तो भाजपा और एन. डी.ए. के ज्यादा पार्टनर जेल में चले जाएंगे, पोटो के अंतर्गत बुक हो जाएंगे। उसे ईमानदारी से क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। कहते हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पोटो बनाया है। हम देख रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। तर्क था कि विभिन्न दफाओं का दुरुपयोग होता है, पोटो का भी दुरुपयोग हो सकता है। यही कहा गया था। उधर से लोग बार-बार यही बयान देते रहे। इसलिए हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि ये पोस्ट तो बढवा रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं, कितने आदमी मरेंगे तब ये त्यागपत्र देंगे। क्या बात होगी तो ये त्याग-पत्र देंगे और विफलता मानेंगे। इसीलिए पहले नम्बर पर हम इनसे त्याग-पत्र की मांग करते हैं क्योंकि ये आतंकवाद को खत्म करने में, आतंकवाद से मुकाबला करने में विफल हैं और इनमें इच्छाशक्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि इस सरकार के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, चूंकि देश की जनता भगवान भरोसे, खुदा के भरोसे जी रही है, इनसे कुछ नहीं होगा। इनके श्री आई. डी. स्वामी का अभी संगमा साहब ने बयान पढ़ा था कि इस तरह की घटना को रोका नहीं जा सकता है तो अब आपका क्या काम है, आग लगवाने का काम और फसाद कराने का काम है? विश्व हिन्दू परिषद ने कहा कि संसद के चलते मंदिर नहीं बन रहा है। इसके माने संसद को ही आरोपित कर रहे हैं और कहा कि हम कानून-कायदा, कोर्ट-कचहरी को नहीं मानेंगे, उनके आदेश को नहीं मानेंगे। ऐसे-ऐसे लोग इनके सहयोगी हैं और कहते हैं, संघ परिवार, संघ परिवार है तो इस देश का काम कैसे हल होगा, कैसे समस्या का समाधान होगा, जबकि अभी जार्ज साहब भाषण कर रहे थे। सेना का हम लोग कोई कसूर नहीं मानते, सेना तो देश को बलिदान देकर बचा रही है, लेकिन आपके विभिन्न मंत्री विभिन्न किस्म का बयान करते हैं, उस पर हम लोगों ने आपत्ति जताई है। इधर से कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवाद कर रहा है, इसमें आप कौन सी नई बात का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं। विदेशी मंत्री ने जल्दी से कह दिया कि पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है, यह सब लोग जान रहे हैं, देश और दुनिया के लोग इस बात को जान गए। यह तो ऐसी घटना घटी है कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान आदि सब जितने बड़े मुल्क हैं, जितने ताकतवर मुल्क हैं, सबने इसकी निन्दा की है, खराब कहा है और कहा है कि आतंकवाद रुकना चाहिए। लेकिन सरकार की इस संदर्भ में कोई ठोस नीति क्या है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

वहां पर पहले डोडा में सुनते थे कि चट्टीसिंहपुरा और घाटी के इलाके में आतंकवादी आते थे और इस सरकार के निकम्मेपन के चलते, इनकी कमजोरी और इनकी उदासीनता और कमजोर इच्छाशक्ति के चलते जम्मू के समतल इलाके में चाहे कालूचक हो या कासिमपुरा, राजीव नगर, जम्मू के जो नाम लोग बता रहे हैं, यहां तक कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ और आतंकवादी देश के भीतर घुस रहे हैं। देश के भीतर प्रवेश करके कल तक तो पुरवा नुकिया किनारे में जहां-तहां उत्पात करते थे, लेकिन अब तो भीतर आ रहे हैं। अगर यह पाकिस्तान कर रहा है तो उसको कौन ठीक करेगा, इसका क्या इलाज है। सीमा पर सेना है, फिर भी सब लोग सवाल उठा रहे हैं। सीमा पर सेना तैनात है और उसकी वजह से हमारी सीमा पर बसी जनता सीमा से 5-7 मील भीतर आकर रिफ्यूजी कैम्प में डेरा डाले हुए है। डेढ़ लाख आबादी केवल जम्मू के इलाके में है, पंजाब के इलाके सीमा पर हैं और गुजरात की सीमा पर भी जो देशवासी हैं, वे सीमा से 5-6 किलोमीटर पीछे अपनी जान बचाने के लिए आए हुए हैं। सेना को रक्षा मंत्री जी ने सीमा पर तैनात कर दिया। हम लोग सेना के विशेषज्ञ लोग नहीं हैं, लेकिन सेना के लोगों से भी हम लोगों की बातचीत हुई है। आप लोग सेना को किसलिए वहां पर मौजूद रखे हुए हैं? या तो सेना सीमा पर हमला करे, पाकिस्तान को मटियामेट करे, नहीं तो सेना अपने खेमे में आ जाए। सेना से पहरा देने का काम लेना कौन सी डिप्लोमेसी है, युद्धनीति है, राजनीति है, कौन सी नीति है, हमें मालूम नहीं है? ये इसे बताएं, बात को साफ करें कि सेना को किसलिए वहां रखा हुआ है। बार-बार प्रधान मंत्री ने ऐलान किया कि युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो फिर सेना को सीमा पर गर्मी में रखने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, यह हम लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको ज्यादा समझ में आता है, ये जानकार हैं तो हम लोगों को खोलकर बताएं, नहीं तो भेद खोल देने से क्या होगा। देख रहे हैं कि अपने सारे विशेषज्ञों से हम लोगों ने पूछा है कि सेना सीमा पर तैनात है तो इसका देशव्यापी या विश्वव्यापी असर पड़ेगा कि लगे हिन्दुस्तान चढ़ बैठना चाहता है, इसलिए इस सरकार से आतंकवाद का मुकाबला नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आप कृपया अपना भाषण पूरा कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें, क्योंकि आपकी पार्टी का समय पूरा हो गया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं अंतिम बात कहकर समाप्त करता हूं। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था कि कोई भी अच्छा और आदर्श वाला काम ट्रिक से या चालाकी से नहीं हुआ करता। लेकिन ये लोग चालाकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे तो ये लोग पोटा लाए, अब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं इसलिए ये इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। असल बात यह है कि ये लोग आतंकवाद को खत्म नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए चालाकी से ये काम करते हैं और इससे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। इन लोगों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, न ही आंतरिक सुरक्षा है और न ही बाह्य सुरक्षा है।

अमेरिका की कूटनीति यहां चल रही है। अमेरिका मदारी की भूमिका निभाकर भारत और पाकिस्तान को नचा रहा है। जब जसवंत सिंह जी विदेश मंत्री थे तो यहां अमेरिका के व्यक्ति टाल बोट का नाम लिया करते थे। वह यहां आया करते थे और जसवंत सिंह जी उससे बराबर बात करते थे। अब वहां से कभी आर्मिटेज और ब्रिटेन से जैक स्ट्रा भारत और पाकिस्तान की यात्रा करते रहते हैं और ये उनसे बात करते हैं। हमें खुद आत्मनिर्भर होना है और अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकालना है, लेकिन आपमें इच्छाशक्ति नहीं है।

अभी हाल ही में उप-प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया है कि मैं पार्टी और सरकार के बीच सेतु का काम करूंगा। अभी तक बिना सेतु के ही काम चल रहा था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो सेतु का काम करने दें। अब आप समाप्त करें, क्योंकि दूसरे सदस्यों को भी बोलना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। ये अपनी पोस्ट सरकार में बढ़वा रहे हैं। पार्टी तो खत्म होने जा रही है, सरकार का काम भी चौपट है। आतंकवाद से हमारे देश की निर्दोष जनता की सुरक्षा इस सरकार से सम्भव नहीं है। इसलिए हम लोग उपाय में लगे हुए हैं कि कैसे इनको हटाया जाए, तब देश सुरक्षित होगा, नहीं तो आतंकवाद सब जगह फैलता जाएगा।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की ओर से राजीव नगर, कासिमपुरा या इसे आप जो भी कह लें, में हुई घटना की निन्दा करना चाहता हूं। जैसा कि माननीय उप-प्रधान मंत्री ने कहा, यह आतंकवाद का सबसे नग्न रूप है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप मंत्री के रूप में हस्तक्षेप कर रहे हैं?

श्री उमर अब्दुल्ला : मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं।

जैसा कि मैं कह रहा था और माननीय उप-प्रधान मंत्री ने भी कहा कि शायद यह आतंकवाद का सबसे नग्न रूप है और इस हमले को सांप्रदायिक रंग देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित होगा।

यदि आप जम्मू और कश्मीर की आतंकवादी हिंसा के गत 12 वर्षों के आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे, जिस तरह वहां आतंकवादी हमले हो रहे हैं या ऐसी घटनाएं घट रही हैं उस पर यदि आप गौर फरमाएंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हां, यह बात सही है कि आपने 27 या 28 या 30 मुसलमानों की एक दिन में हत्याएं नहीं देखी हैं जबकि इनकी हत्याएं दो, तीन, चार या पांच की संख्या में अक्सर होती हैं और शायद यही कारण है कि ऐसी हत्याओं की खबर अखबारों के मुख पृष्ठ पर शायद ही आ पाती हैं। किन्तु, यदि आप हत्याओं की संख्या पर दृष्टिपात करेंगे, तो स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाएगी। यहां तक कि यदि आप आम नागरिकों की हत्याओं के आधिकारिक आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अब तक कुल 13,250 लोग मारे गए हैं जिनमें 11,747 मुसलमान हैं, 1400 हिन्दू हैं और सिखों तथा अन्य धर्मों के 103 लोग हैं। हालांकि कुछ लोग इस आंकड़े को सही नहीं मानते हैं। इसलिए जब हिन्दू मारे जाएं तो यह मान लेना या शायद यह सोच लेना कि केवल हम ही प्रभावित हैं, केवल हमें ही जलाया गया है या हमें ही भड़काया गया है, उन मुसलमानों के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने इस राष्ट्र की खातिर अपनी जानें दी हैं, जिन्होंने इस कारण भी अपनी जानें गवाई हैं कि पाकिस्तान द्वारा हमारे विरुद्ध चलाए जा रहे इस घृणित अभियान में उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है।

मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से एक-दूसरे की आलोचना करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमें ऐसा करके मसले को सांप्रदायिक रंग देने के पाकिस्तान के झांसे में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की यही मंशा है। यदि वह यह समझ जाएगा कि यह हमारी कमजोरी नहीं है तो वह ऐसा नहीं करेगा। फिर वह इस आतंकवादी अभियान को आगे जारी रखने के लिए किसी और लक्ष्य की या किसी और माध्यम की तलाश करेगा। पर सच्चाई यही है कि 12 वर्षों में वह जम्मू और कश्मीर की धार्मिक एकता को हिलाने में कामयाब नहीं रहा है। चाहे वह चट्टीसिंहपुरा पर हमला हो, चाहे वह रघुनाथ मंदिर पर हुआ हमला हो, चाहे वह राजीव नगर में हुआ हमला हो जो अल्पसंख्यक समुदाय को लक्ष्य करके किया गया है, सच्चाई यही है कि जम्मू और कश्मीर में सभी धर्मों के लोग एक साथ आ गए हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

उन्होंने कहा है कि 'हम इस आतंकवाद को अपनी धार्मिक एकता को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे।' इसलिए मैं मानता हूं कि इसे संसद की ओर से इस तरह का सांप्रदायिक रंग देना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और निश्चित रूप से हमें इससे बचना होगा।

इसी प्रकार इस घटना को राजनीतिक रंग देना भी इस देश के हित में नहीं है। मैं कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता श्री शिवराज वि. पाटील का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने भाषण के शुरू में ही कहा कि जो मारे गए हैं वे भारतीय हैं और इसमें राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से मैं घटना-स्थल पर घटना के यही कोई 12 घंटे बाद पहुंचा। मैंने वहां देखा कि उस घटना की आड़ में राजनीति का नंगा खेल खेलने की कोशिश की गई थी और दुर्भाग्य से उस खेल की अग्रिम पंक्ति में उसी पार्टी के लोग थे जिस पार्टी से श्री शिवराज वि. पाटील आते हैं। मेरे साथ राज्य सरकार की मशीनरी थी क्योंकि मेरी पार्टी वहां सत्ता में है। मैं जानता हूं उन लोगों को जो इसे हवा दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि अखबार वालों और अन्य लोगों ने यह संदेश फैलाने की कोशिश की है

[श्री उमर अब्दुल्ला]

कि जो लोग राज्य सरकार, माननीय उप-प्रधान मंत्री और अन्यों के खिलाफ हाथ ऊपर उठाए नारे लगा रहे थे, वे वहीं के निवासी थे। दरअसल बात ऐसी नहीं है। उनमें उन लोगों की तादाद कम थी जो मूल रूप से इस घटना से प्रभावित हुए थे। उनमें ज्यादातर लोग उन लोगों की अगुवाई में आए थे जो पिछले विधान सभा चुनाव में चुनाव हार चुके थे और शायद आगे टिकट की चाह में थे। उन लोगों ने सोचा कि चुनाव से पूर्व इस घटना को राजनीतिक रंग देकर उसका लाभ उठाने का यह सबसे बढ़िया मौका है।

यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ढाई महीने बाद आने वाले चुनावों के लिए नेशनल कांफ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध उपयोग करने हेतु पर्याप्त राजनीतिक हथियार हैं। हमें राजनीति करने के लिए निर्दोष लोगों के खून से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरा सभी राजनीतिक दलों से निवेदन है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हम मारे गए लोगों के नाम पर राजनीति न करें क्योंकि जब माननीय उप-प्रधान मंत्री बोलेंगे तो वह इस तथ्य का उल्लेख करेंगे कि इस घटना से सर्वाधिक प्रभावित लोगों की भावनाएं वही थीं जो वहां दर्शाई गई थीं, तो ये लोग राजभवन में माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से मिलने नहीं आते। उस क्षेत्र का मुखिया, प्रधान और पांच-छह लोग शांतिपूर्वक आए। उन लोगों ने माननीय उप-प्रधान मंत्री, राज्यपाल और मुख्य मंत्री से बातचीत की। वहां पर कोई अव्यवस्था नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी, न आरोप लगाए गए थे और न ही किसी पर उंगली उठाई गई थी। वहां पर इनमें से कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा की कमी का फायदा उठाया गया है। इस बात का फायदा उठाया गया है कि वहां पर पिछले चार दिनों से बिजली नहीं थी। लेकिन उन्होंने अपनी न्यायोचित मांग से अधिक कुछ भी मांग नहीं रखी, और यह न्यायोचित मांग यही है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, पुलिस की कुछ मौजूदगी होनी चाहिए, बिजली की आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए और जो लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं उनके निकट संबंधियों को राहत प्रदान की जानी चाहिए। इससे अधिक उन्होंने कोई मांग नहीं की।

अतः मेरा विनम्र निवेदन दो पक्षों के बारे में है। कृपया इसे साम्प्रदायिक रंग मत दीजिए और इस पर राजनीति मत कीजिए। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। आइए, हम सब इससे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में निपटें।

अब देखें कि हुआ क्या है? इस प्रकार की घटनाओं में विशेषतः उस समय जब कोई आतंकवादी न मारा गया है, न पकड़ा गया है, हम लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों की सुनी-सुनाई बातों पर निर्भर कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि कुछ लोगों ने अखबारों में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित किए हैं कि ये लोग 'साधुओं' के रूप में थे। घटना स्थल पर उस समय स्वयं मेरी मेजर जनरल से बातचीत हुई थी और उन्होंने इन लोगों के 'साधु' रूप में होने के बारे में कुछ नहीं कहा। हां, यह हो सकता है कि उनमें से किसी ने हल्के रंग की कमीज पहनी हो या किसी ने नारंगी रंग की कमीज पहनी हो। लेकिन, ऐसे कपड़ों वाला व्यक्ति एक ही था। अन्य लोग अलग-अलग रंगों की पैंट-कमीजों में थे और उनकी लम्बी-लम्बी दाढ़ियां थीं। उन्होंने 'साधुओं' वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहने थे और किसी धार्मिक कृत्य का नाटक भी उन्होंने नहीं किया था। वे अक्सर पुलिस या सेना की वर्दी में आते हैं। किन्तु, इस बार वे आम नागरिकों की तरह ही आए थे। यह उनका सुनियोजित कारनामा था। उन्होंने इसकी अच्छी तरह योजना बनाई थी, परिणाम हमारे सामने है। इस तरह की घटना क्यों होती हैं? मेरे विचार से इसके अनेक कारण हैं। स्पष्टतः यह उस कमजोरी का लाभ उठाने का प्रयास है जिसका प्रदर्शन हम कई बार साम्प्रदायिक वैमनस्य के रूप में करते हैं। यह एक स्पष्ट कारण है। जम्मू-कश्मीर में ढाई महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं। जितना भय ये लोग जनता में पैदा कर पाएंगे, इनके लिए वह मददगार होगा। अमरनाथ यात्रा भी दूर नहीं है। स्पष्टतः वे जनता का विश्वास कम से कम करने के लिए अधिक से अधिक व्यवधान डालना चाहेंगे ताकि अमरनाथ यात्रा को प्रभावित कर सकें। मेरा विश्वास है-और यह मेरा मत है जो मैंने लोगों से बातचीत करके बनाया है-और मुझे यह विश्वास है कि इसमें गहरा षड्यंत्र है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति यह जताना चाह रहे हैं कि सीमा-पार से कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, यह बंद हो गई है और पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को समर्थन नहीं मिल रहा है। मेरी जानकारी में यह तथ्य है कि घुसपैठ जारी है। मैंने राज्य की पुलिस और आसूचना अधिकारियों से विस्तृत विचार-विमर्श किया है। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि घुसपैठ का स्तर बढ़ रहा है। मैं इसके विस्तार

में नहीं जा रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि जनरल मुशर्रफ ने घुसपैठ बंद करा दी, तब भी क्या? जम्मू–कश्मीर में पहले से ही तीन से चार हजार से भी अधिक आतंकवादी हैं। ये लोग तबाही मचाते रहेंगे। जनरल मुशर्रफ अगले छह महीने तक यही कहते रहेंगे कि घुसपैठ बंद है, घुसपैठ बंद है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उनकी बात को सच मान लिया जाएगा। यदि घुसपैठ रुक जाएगी तो हम भी उनकी बात को सच मान लेंगे। लेकिन जो तीन या चार हजार लोग आतंकवादी कार्रवाइयों में लिप्त हैं, वे कार्रवाइयां करते रहेंगे। तब क्या होगा? तब जनरल मुशर्रफ पलटी मार जाएंगे और हम उनकी हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। वह कहेंगे : "देखिए, छह–आठ महीने से कोई घुसपैठ नहीं हो रही है लेकिन आतंकवाद जारी है। मैं यही कहना चाहता हूं। यह इनकी अपनी समस्या है; यह मुहिम बाहरी समर्थन से नहीं चलाई जा रही है। इसलिए, जम्मू–कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अब आप पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकते।" यह स्थिति बहुत खतरनाक होगी। इसलिए हमें मात्र घुसपैठ की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के अलवा आतंकवादियों को अन्य प्रकार की बहुत सी मदद मिलती है। वहां पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, वित्तीय सहायता जारी है, उनको राजनीतिक और नैतिक समर्थन मिल रहा है। इससे पहले कि आप भारत सरकार को अपनी सेना हटाने का सुझाव दें, यह सब बंद होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने शायद यह बात कही है कि सीमा–पार हमारी सेना ने कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है और हमने सेना को दिखावे के लिए सीमा पर तैनात कर रखा है। लेकिन, तथ्य यह है कि जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आज आपको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से मिल रही हैं, आतंकवाद की जो निंदा हो रही है, वाशिंगटन, मास्को, पैरिस, बर्लिन, लंदन या आप दुनिया की किसी भी राजधानी का नाम लें, सबके सब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि घुसपैठ रुकनी चाहिए; यह बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आप मुझे बताइए कि हमारी संसद पर 13 दिसम्बर को हुए हमले के बाद क्या आपने विभिन्न देशों की राजधानियों की ओर से यह बात सुनी थी कि पाकिस्तान को घुसपैठ रोकनी चाहिए? क्या आपने 'घुसपैठ' शब्द का प्रयोग सुना था? उन्होंने कहा था कि यह हमला भयानक है, एक अपराध है, एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है और यह सब बंद होना चाहिए; लेकिन किसी भी समय 'पाकिस्तान' और 'घुसपैठ' शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं हुआ। आज आप उस स्थिति में हैं कि जब जनरल मुशर्रफ ने न्यूजवीक या टाइम्स पत्रिका को दिए अपने साक्षात्कार में अपने पहले दिए गए वक्तव्य से मुकरने का प्रयास किया तो अमरीकी सरकार ने तुरन्त कड़े शब्दों में उनकी निंदा की और कहा–"आपने भारत को कुछ आश्वासन दिए होंगे जो पूरे नहीं किए, किन्तु अब आपने अमरीकी सरकार से बात किया है और आपको अपना यह वादा पूरा करना ही होगा।" ये वादे इसलिए नहीं हुए कि अमरीका को भारत में आतंकवाद की बड़ी चिन्ता है। हमें ईमानदारी से सच्चाई का सामना करना चाहिए। आतंकवाद को भारत में चलते 20 वर्ष हो गए हैं। फिर अब ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकाएक यह निर्णय लिया कि यह बंद होना चाहिए। मेरे विचार से ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहली बार भारत सरकार ने, भारत की जनता ने, संसद में हम सभी ने एक साथ कदम बढ़ाया है और कहा है : "यह खतम होगाग। इसे या तो आप रोकेंगे या इसे हम नेस्तनाबूद करेंगे। यदि आप नहीं करते तो इसे रोकने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हम करेंगे। इसलिए, जो भी कमद आप उठाते हैं, सावधान होकर उठाइए।" यह बाध्यकारी राजनयिकता है। कई बार यह नीति सर्वाधिक उपयुक्त नहीं होती, किन्तु इस मामले में हमारे पास कूटनीति का यही माध्यम उपलब्ध था और हमने इसी का इस्तेमाल किया। और, मेरा यह मानना है कि हमने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। मेरा यह भी मानना है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान को आतंकवाद की मशीनरी को समाप्त करना होगा। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है या वे इसके समीप भी नहीं पहुंचे हैं; किन्तु इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है।

बहुजन समाज पार्टी के माननीय सांसद श्री राशीद अलवी सहित इस प्रतिष्ठित सभा के कुछ सदस्यों ने उस चर्चा में, जो पूर्णतः आतंकवाद के बारे में थी, राज्य सरकार के कार्य निष्पादन, भ्रष्टाचार, स्वायत्तता, निष्पक्ष चुनाव और अन्य बातों को लाना चाहा। मैं यहां खड़ा होकर आपकी पार्टी की राज्य सरकार का कोई बचाव नहीं कर रहा हूं। राज्य सरकार के कार्य निष्पादन पर ढाई महीने बाद जनता निर्णय दे देगी। हम यह चुनाव लड़ेंगे। यह चुनाव निष्पक्ष होगा क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा।

[श्री उमर अब्दुल्ला]

यह एक सच है कि हम सभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। ये चुनाव भी पहले लड़े गए चुनावों जितने ही स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम ही यही है। यह आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। इसके लिए जो भी आवश्यक होता है, वह करता है और इस विषय पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या किया जाए कि ऐसी घटनाएं न हों? ये आतंकवादी आसान शिकार ढूंढते रहते हैं। वे हमें उस जगह चोट पहुंचाना चाहते हैं जहां सबसे अधिक चोट लगे; वे हमें उस जगह चोट पहुंचाना चाहते हैं जहां से हम कमजोर हैं। दुर्भाग्यवश, राजीव नगर या कासिमपुरा जैसे क्षेत्र, जिसका कुछ भी नाम हो, वह क्षेत्र अंधकार में डूबा हुआ था; पुलिस चौकी कुछ दूरी पर थी; कोई नियमित सुरक्षा नहीं थी। इस क्षेत्र में गरीब लोग थे और आतंकवादी खून बहाने के उद्देश्य से ही आए थे। उनका अन्य कोई उद्देश्य नहीं था। गोलीबारी शुरू होने पर एक औरत ने बंदूकधारी से पूछा : "आप हमसे क्या चाहते हो, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ है नहीं।" तो बंदूकधारी ने उसको देखा और बोला : "हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपको मारने आए हैं।" उन्हें पैसा या और कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ खून बहाना था।

इसलिए, स्वाभाविक है कि केन्द्र और राज्य सरकार को मिल–बैठकर ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी है जो संवेदनशील हैं और तदनुसार हल निकालना है। यदि हम जगह–जगह पुलिस चौकी नहीं बना सकते तो सचल गश्त (मोबाइल पैट्रोलिंग) की व्यवस्था कर सकते हैं जो नियमित न होकर यादृच्छिक या अनियमित हो ताकि मिलिटेंटों को नियमित रुटीन की जानकारी न मिले और वे उसका फायदा न उठा सकें। हम, विशेषतः राज्य सरकार इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या हम पुलिस थानों पर त्वरित कार्रवाई बल (रैपिड रिएक्शन फोर्स) उपलब्ध करा सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्थान से पुलिस थाना केवल एक किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन हमारे पास जम्मू में इस तरह की कार्रवाई के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित लोग नहीं थे। दुर्भाग्यवश, ऐसे अधिकांश लोग घाटी में हैं जहां हमारी अधिकांश आतंकवाद विरोधी कार्रवाई केन्द्रित है।

इस प्रकार, हम शायद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कुछ फोर्सेज की पुनः तैनाती करके कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि वे कुछ चुनिंदा पुलिस थानों पर अन्य विशेष बलों के पहुंचने तक त्वरित कार्रवाई बल का काम कर सकें। सेना द्वारा गहन गश्त लगाने की जरूरत है क्योंकि सेना को अमरनाथ यात्रा और आगामी चुनावों की तैयारी के क्रम में सीमा की निगरानी के अलावा आतंकवादियों के अंदर छिपने के स्थानों पर भी धावा बोलना होगा।

जहां तक जनता की मांगों का संबंध है—चाहे वह विकास हो, नौकरी हो, आय हो—ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार भली–भांति अवगत हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा हाल में जम्मू–कश्मीर के लिए पैकेज की घोषणा इसका सबूत है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात का अंत उसी विनम्र निवेदन से करना चाहूंगा जिसके साथ मैंने बात शुरू की थी—हम कृपया इस तरह की घटनाओं का सांप्रदायिकरण न करें, न ही इनका राजनीतिकरण; क्योंकि इससे उन कुर्बानियों और शहादत का अपमान होता है जो केवल इस भावना से दी गई हैं कि हम भारतीय हैं, केवल भारतीय !

अध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं। श्री चतुर्वेदी, मैं आपको बता दूं कि आपके पास केवल आठ मिनट का समय है, क्योंकि इसके पश्चात् आपके दल के लिए निर्धारित समय समाप्त हो जाएगा। अन्य माननीय सदस्यों के पास केवल चार–चार मिनट का समय रहेगा, चूंकि 6 बजे सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर दिया जाएगा।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, सुबह आपने बताया था कि तारांकित प्रश्नों में से केवल दो प्रतिशत का ही उत्तर दिया जा रहा है। क्या आप यह गणना भी करेंगे कि अल्प सदस्य संख्या वाले दलों को इस सभा में बोलने के लिए कितना समय मिल रहा है? मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें भी बोलने और अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर दिया जाए। मैं आज संयुक्त रूप से समस्त अकाली दल की ओर से अपनी बात कहना चाहता हूं और अकाली दल के अग्रणी सदस्य श्री तरलोचन सिंह तुड़ ने लिखित में आपको सूचित किया है कि अकाली दल की ओर से मैं बोलूंगा। महोदय, मुझे दस मिनट चाहिए, न कि चार मिनट।

अध्यक्ष महोदय : चार मिनट में से एक मिनट तो आपने पहले ही खर्च कर दिया है।

(व्यवधान)

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : ठीक है, अल्पसंख्यकों को इतना ही तो मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, हमने सुना था कि पानी कभी सीने से ऊपर उठने लगे तो चिंता का विषय हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि चट्टीसिंहपुरा, डोडा, कश्मीर विधान सभा, उसके बाद कालूचक, लालकिला और फिर संसद, एक के बाद एक घटनाएं आतंकवादी इस देश के अंदर कर रहे हैं। हमारी फौज है, हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, सब कुछ हमारे पास है, उसके बाद इन घटनाओं पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। हर बार यहां बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, सुझाव देते हैं, सरकार समर्थन मांगती है, समूचा विपक्ष चाहे वह संसद की घटना हो, चाहे कश्मीर विधान सभा की बात हो, जब भी सरकार ने समर्थन मांगा, समूचे विपक्ष ने मिलकर सरकार को कहा कि आप फैसला करिए, जो उचित समझते हैं, फैसला करिए, हमारा भरपूर समर्थन आपको मिलेगा। क्या इस बात से कोई सरकार इंकार कर सकती है? इस सबके बाद भी यह हालात निरंतर जारी हैं? कोई सत्र खाली नहीं जाता जब इस तरह की घटनाओं को लेकर हम सब लोगों ने यहां पर बहस न की हो। पानी सीने से ऊपर नहीं, पानी अब सिर से ऊपर जाने के हालात तक पहुंच गया है। यह हालात उस पार्टी की सरकार के जमाने से पैदा हो रहे हैं जो यहां विपक्ष में बैठते थे। उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे कि अगर कभी हमारी सरकार आएगी तो 15 दिन में कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी। आडवाणी जी को विशेष रूप से स्मरण होगा जिन्होंने कुछ शब्द ईजाद किए थे प्रो-एक्टिव पॉलिसी, जीरो टॉलरेंस, हॉट पर्स्यूएट। ये शब्द उस समय के थे जब वह यहां विपक्ष में बैठते थे। उस सरकार के सत्ता में आने के बाद इन शब्दों का ऐसे विलोप हो गया कि ताज्जुब होता है कि कारण क्या है? पता नहीं यह पॉलिसी आर्मीटेज की है या पॉवेल की है। आज इन शब्दों का उपयोग ही नहीं होता है। हम इनकी वकालत करने वाले नहीं हैं।

अभी थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे। उनकी बहुत सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूं। लेकिन उन्होंने चलते-चलते एक आरोप बड़े हल्के तरीके से लगाया कि परसों जब आडवाणी जी, फारूख अब्दुल्ला और श्री गिरीश चन्द्र सक्सेना जी वहां गए तो जिस आक्रोश का वहां प्रदर्शन हुआ, वह कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आक्रोश था। उमर अब्दुल्ला जी, आपकी बात को यहां लोग मान लेते। जमाना बदल गया है। अब टेलीविजन है। टेलीविजन में सारे लोगों ने लाइव पिक्चर देखी जिसमें औरतें हाय-हाय कर रही थीं और आप लोगों के मुर्दाबाद के नारे लगा रही थीं। वह कांग्रेस नहीं थी। जिनके बेटे-बेटियां मर गए, वे वहां चिल्ला रहे थे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का यह काम है। कौन राजनीति कर रहा है? क्षमा करिए। हमारी तरफ से बोलने वाले दो स्पीकर थे-शिवराज पाटील जी और मार्ग्रेट आल्वा जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन दोनों की स्पीच में एक भी ऐसा लांछन नहीं था जिसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की हो। आपकी तरफ से जो आरोप लगा है वह गैर जिम्मेदाराना है जिसे वापस लेना चाहिए। यह आक्रोश इसलिए नहीं था कि लोगों की जानें गईं। उनकी जानें गई थीं। कश्मीर जो लोग जाते हैं वे किन्हीं कारण से चाहे वे मजदूरी करने या घूमने जाते हों लेकिन वे अपनी जान हथेली पर रखकर जाते हैं। वहां के हालात से सभी वाकिफ हैं। वहां आक्रोश का कारण यह था कि आखिरकार पुलिस को इन्हें दुकान में बंद करना पड़ा और उनकी सुरक्षा करनी पड़ी जो अच्छी बात नहीं है। हमें इससे खुशी नहीं हुई। लोगों का विश्वास टूट गया। वह क्यों टूटा इसका कारण है। पिछले समय में जब भी ऐसी घटना होती है, आप याद करिए, बड़ी लम्बी और ऊंची-ऊंची बातें की जाती हैं। कहा गया कि लक्ष्मणरेखा को पार करने नहीं दिया जाएगा। हमारी भी सहन करने की सीमा है। प्रधान मंत्री जी भी इस बारे में बोलते हैं। कालूचक की घटना के बाद स्टेटमेंट आया था कि एक भी कालूचक जैसी घटना हुई तो भारत कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा, आर-पार की लड़ाई होगी। आतंकवाद हमारी समस्या है। इसे बाहर से नहीं, खुद अपने बूते से सुलझाना है। ये तमाम स्टेटमेंट सरकार के बड़े जिम्मेदार लोग प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने दिए। इससे सारे देश को पहले भरोसा होता है कि शायद कुछ होने वाला है, शायद सरकार अब कुछ करने वाली है, शायद सुरक्षा का वातावरण बनने वाला

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

है लेकिन हर बार स्टेटमेंट के बाद वही ढाक के तीन पात होते हैं। फिर ज्यों की त्यों वही लचर व्यवस्था और उसी तरह निर्दोष लोगों की हत्याएं होती हैं। यह सरकार यहां बैठे तमाशा देखती रहती है। हम सदन में चर्चा करते हैं लेकिन नतीजा शून्य निकलता है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि यह सरकार खुद अपने अंतर्द्वन्द्व अपने असमंजस का शिकार है। यह अमरीका और विदेश के दबाव से लाचार है। इन दो कारणों से यह स्थिति निर्मित हो रही है। मैं इस संदर्भ में उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे उप-प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री कासिम नगर में पहुंचे। मीडिया और अखबार वालों और स्थानीय लोगों ने पूछा कि यह नर-संहार कैसे हुआ, और इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है। उप-प्रधान मंत्री जी ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा कि किसकी जिम्मेदारी है। कालूचक की घटना के तत्काल बाद हमारे स्टेटमेंट आ रहे थे। एक तरफ गृह मंत्री जी कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी दिन दिल्ली में विदेश मंत्री कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उधर जम्मू-कश्मीर के डी.जी.पी. श्री सूरी कहते हैं कि इसके पीछे लश्कर-ए-तैय्यबा का हाथ है और हमारे पास सबूत हैं। आखिर इस सबके पीछे क्या वजह है कि सरकार का एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है और उसी सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी कुछ कहता है। इसी अंतर्द्वन्द्व की वजह से एकरूपता नहीं, एक विचार नहीं। इस सबके पीछे केवल एक ही कारण है कि इस सरकार ने एक समन्वित नीति बनाकर काम करना सीखा ही नहीं। यह एक अकेला उदाहरण नहीं, मैं पिछले ढाई-तीन सालों के अनेक उदाहरण दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कजाकिस्तान में एक मीटिंग में कहा था कि पाकिस्तान और भारत मिलकर सांझा गश्त कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट वहां दिया गया लेकिन इधर श्री जार्ज फर्नान्डीज कहते हैं कि यह संभव नहीं है। प्रधान मंत्री जी कुछ कहते हैं और रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं। इसी प्रकार वी.एस.एन.एल. के डिसइनवेस्टमेंट के मामले में श्री प्रमोद महाजन कुछ कह रहे हैं और श्री अरूण शौरी कुछ कह रहे हैं। यह इन लोगों का अंतर्द्वन्द्व ही है जो इनको किसी एक दिशा में ठोस नीति बनाने से रोकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सेना पिछले सात महीने से बॉर्डर पर तैनात है। मैं समझता हूं कि इस बात के लिए मैं और सभी राजी होंगे कि सेना की तैनाती को मजाक का विषय नहीं बनाया जा सकता। अगर सेना वहां तैनात की गई है तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि इस देश के लाखों सैनिक 7 महीने से हर तरह की लू, सर्दी, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, आखिर उससे हमने क्या लक्ष्य पाया है। अब तक उन्होंने क्या लक्ष्य हासिल किया है? सारा देश यह जानना चाहेगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कश्मीर के विभाजन की बात कर रहे हैं लेकिन यहां त्रिभाजन कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये दो शब्द बहुत ही पापुलर होते जा रहे हैं। यह अकारण ही नहीं है। आप कहते हैं कि इस विषय का पौलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूं कि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए लेकिन कश्मीर के निर्दोष लोगों की जान बचानें के लिए सरकार की प्राथमिकता नहीं रह गई है। सरकार की प्राथमिकता दो-ढाई महीने में होने वाले इलैक्शन की हो गई है। इसलिए एक सोची-समझी रणनीति के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस-बी.जे.पी. की मिलीभगत से एक नीति बनाई गई है। एक त्रिभाजन की बात करता है जिससे हिन्दू वोटों का सैंटीमेंट्स के आधार पर पोलराइज किया जाए, दूसरा स्वायत्तता की बात करके कश्मीर के मुस्लिम वोटों को अपने साथ रखना चाहता है। यह वोटों को पोलराइज करने की मिलीभगत है, एक साजिश है जिससे वहां का सारा प्रशासन लचर हो गया है, असमंजस, भ्रामक स्थिति में है। प्रशासन को जो ड्यूटी अंजाम देनी चाहिए, वह नहीं दे रहा है। नहीं मालूम, कल क्या नतीजे होंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि समय की कमी है। मैं प्रधान मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ट्राइफर्केशन और स्वायत्तता के इश्यु को उछाला गया तो कश्मीर की समस्या आज जितनी बद है, कल इससे भी बदतर हो जाएगी और इस पर नियंत्रण करने के सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। इसलिए देश के दूरगामी हित में कम से कम इस मुद्दे को अब विवाद का विषय बनाने से रोकिए। आप प्रत्यक्षतः यहां पर ट्राइफर्केशन के मुद्दे का खंडन करते हो, लेकिन यह बहुत साफ है कि वे लोग जो आपके ही दल के लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वही इसे हवा दे रहे हैं। इसे रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अगर आप वाकई में कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए गंभीर हैं तो ऐसा होना चाहिए।

मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी वहां चुनाव होने वाले हैं। वहां निष्पक्ष चुनाव की बात कही जा रही है, यह पहली मांग है। हमें खुशी है कि सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि वह वहां निष्पक्ष चुनाव कराएगी। लेकिन उसके लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली बात है कि आप वहां जो भी गवर्नर नियुक्त करें, आपका कहना है कि आप गवर्नर और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव कराएंगे। यह फैसला आपको करना है, आप जाने और वह जाने। आप कुछ कहते हैं और फारूख अब्दुल्ला जी कुछ कहते हैं। आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो भी वहां इतनी रिगिंग होती है, क्योंकि नीचे तक जो सरकारी मशीनरी है वह पूरी की पूरी पोलिटीसाइज कर दी गई है और वहां का एक सब-इंस्पेक्टर एक पार्टी के वर्कर की तरह काम करता है। अगर इस पूरे प्रशासन तंत्र में निष्पक्ष लोगों को नहीं लगाया गया तो इससे वहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के रहते चुनाव कराएं या गवर्नर के रहते चुनाव कराएं, इससे वहां कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मैं इसके लिए आपको आगाह करना चाहता हूं।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बाकी उपाय करने हैं, वे किए। अभी यहां जो बहस हुई है, आप उसका जवाब देंगे। अब आपके पास एकमात्र उपाय है, बाकी सारे डिप्लोमैटिक उपाय आप कर चुके हैं। जब तक पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद नहीं होगी और उसकी आर्थिक नाकेबंदी नहीं होगी, इस तमाम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के बावजूद, तमाम तरह की चेतावनियों के बावजूद आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसे आर्थिक सहायता मिल रही है। जब तक पाकिस्तान को यह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी, हिन्दुस्तान के अंदर आतंकवाद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के अंदर अगर आप वाकई में डिप्लोमैटिक जीत हासिल करना चाहते हैं तो इस बात के लिए आपके पास पर्याप्त उपाय हैं, लॉकरबी में एक प्लेन गिरता है तो लीबिया आतंकवादी देश घोषित हो जाता है। यहां हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और आपके पास सारे सबूत हैं, इसके बाद भी हम पाकिस्तान को आज तक आतंकवादी देश घोषित नहीं करा सके हैं। यह हमारी बहुत बड़ी विफलता है। हमें इस दिशा में काम करना चाहिए।

तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज भी सीमावर्ती क्षेत्रों में इनफिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती है, उसकी वजह से ग्रामीण गांव खाली करके भाग रहे हैं। इसके लिए पंजाब की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां उसने उन्हें पीछे की तरफ सुरक्षित स्थानों पर वैकल्पिक भूमि दी है, उन लोगों को बसाने का काम किया है और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी है। चाहे कश्मीर के हिस्से, जम्मू के हिस्से या कारगिल क्षेत्र के हिस्से हों, जहां भी लोग इससे प्रभावित हैं, जहां से भी लोगों को पलायन जरूरी हो गया है, वहां उन्हें जमीनें दी जाएं, उन्हें वैकल्पिक साधन दिए जाएं। उन्हें मकान बनाने के लिए जगह दी जाए और उन्हें कम्पैनसेशन दिया जाए। यह बहुत जरूरी है। सर्वेक्षण के जरिए उनके बारे में पूरी सूचनाएं आपको मिलनी चाहिए, इसका प्रबंध आपके पास होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। पिछले वर्ष यूनीफाइड कमांड बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत कश्मीर की समस्या पर समन्वित रूप से प्रतिबंध लगाने और रोक लगाने का काम किया गया था। मुझे जहां तक याद है कालूचक की घटना के बाद से आज तक यूनीफाइड कमांड की केवल एक बार बैठक हुई है। यदि इससे ज्यादा बैठकें हुई हैं तो उसमें क्या प्रस्ताव पारित किए गए, क्या रिकमेंडेशंस की गईं, उन पर क्या कार्रवाई हुई, सुब्रह्मण्यम कमेटी की रिकमेंडेशंस को भगवान जाने। उस पर आज तक ढाई साल में इस सदन में चर्चा करने का हमें वक्त नहीं मिला, जिसमें हम पूछते कि क्या कार्रवाई हुई, लेकिन कम से कम यूनीफाइड कमांड ने क्या कार्रवाई की, इसकी रिकमेंडेशंस पर क्या कार्रवाई हुई, कृपा करके इसके बारे में सदन में जानकारी देने का कष्ट करें। चूंकि समय कम है, बातें और भी बहुत हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, सरकार का समर्थन करना चाहते हैं। सरकार के लिए ही नहीं बल्कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश के नागरिकों के व्यापक हितों के लिए हम चाहते हैं कि सारे मतभेद भुलाकर हम आपको समर्थन दें, ताकि पूरी शक्ति के साथ आप देश के सामने आए हुए इस संकट का मुकाबला कर सकें। मैं आशा करता हूं कि अभी न सही, लेकिन आगे ऐसा करने में आप सक्षम साबित होंगे।

[अनुवाद]

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि ये चीजें 13 तारीख को ही क्यों होती रही हैं। 13 दिसम्बर को संसद पर हमला हुआ। कालूचक नरसंहार 13 मई को ही हुआ। अब कासिम नगर की मलिन बस्ती पर 13 जुलाई को ही हमला हुआ है।

हाल के हमले के पश्चात् पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने समाचार-पत्रों में यह घोषणा की कि हमले के पीछे की मंशा इस क्षेत्र में तनाव में वृद्धि करना है। यह वक्तव्य दर्शाता है कि मुशर्रफ शासन इस तथ्य को मान्यता देता है कि आतंकवादियों की गतिविधियां इस क्षेत्र के हित में नहीं हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

"रीचोरवेरे परोम व्योमन यास्मिन देवाधि विश्वे निषेधु"

चेतना की संरचना में ज्ञान निहित है। ऐसी चेतन-अवस्था में सृजनात्मक प्रज्ञा का आवेग स्थित होता है। जब विचारण श्रेष्ठतम होता है तब मन-मस्तिष्क विशुद्ध विचारों के संपर्क में आता है। विचार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विनाशकारी और दूसरा सहायक। हम भारतीय सहायक विचारों की परिधि में अग्रसर हैं। मुशर्रफ एवं पाकिस्तानी विनाशकारी विचारों के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं।

ऐसा रावण के काल में भी हुआ था। भगवान रामचन्द्र ने रावण से अनुरोध किया कि, 'ओ ! प्रिय रावण ! कृपया मेरी पत्नी को लौटा दीजिए, फिर मैं आपके विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ूंगा।' उन्होंने बार-बार यह अनुरोध किया। पर रावण ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसने भगवान राम पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। अंततः क्या हुआ? राम को रावण के विरुद्ध युद्ध में कूदना पड़ा।

महाभारत काल में भी ऐसा ही हुआ। भगवान कृष्ण ने युद्धक्षेत्र में बजाए जाने वाले शंख के साथ शांति का पक्ष लिया था। अंततः क्या हुआ? भगवान कृष्ण को धर्मयुद्ध का नेतृत्व करना पड़ा।

अब हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है। निर्दोष लोग हर दिन मारे जा रहे हैं। हम इसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? हम इस पर विचार-विमर्श और चर्चा करते रहे हैं। हत्यारों, संहारकों ने निरीह माताओं एवं उनके बच्चों का संहार किया है। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो दुबारा अपनी माताओं की गोद में कभी नहीं जा सकेंगे।

एक अंतर्राष्ट्रीय मानवविद् ए. के. बैरेन ने प्रबल रूप से 'थैनटस' के बारे में घोषणा की जिसका अर्थ है युद्ध का तनाव। प्रत्येक व्यक्ति हृदय में युद्ध का तनाव लिए जी रहा है। तनाव की तुलना क्रोध से की जा सकती है और क्रोध की तुलना युद्ध से की जा सकती है। जब हृदय में तनाव और थकान गहरे पैठ जाते हैं तो फिर ये बाहर फूट पड़ते हैं। प्रतिदिन हम ब्रह्मांड में तनाव एवं थकान निर्मुक्त करते हैं। और यह ब्रह्मांड सभी अवसादों को अपने में समा लेता है। यह वायु में संग्रहित तनाव एवं थकान को अपने में समा लेता है जिसका परिणाम अकाल, बाढ़ एवं युद्ध के रूप में होता है।

प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक विश्व ने लगभग 14,600 युद्धों को झेला है। परन्तु यह युद्ध कुछ अलग है। यह युद्ध नहीं है। यह व्यक्तिगत तनाव एवं क्रोध का परिणाम है। ये उन व्यक्तियों के कार्य हैं जिन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। वे कसाईयों की एक जमात है जो हमारे देश के निरीह लोगों का कत्ल कर रहे हैं। वे युद्ध फैलाने वाले लोग नहीं हैं। वे तो ऐसे लोग हैं जो पीठ में छुरा घोंपने और संहार करने में लिप्त हैं। यह युद्ध की नैतिकता से परे है।

महोदय, मैं माननीय उप-प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री से आतंकवादियों के शिविरों का पता लगाने हेतु जासूसों को तैनात करने और उन पर तत्काल बमबारी आरंभ करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : अध्यक्ष महोदय, जम्मू में जो कुछ हुआ, उस पर हम खेद प्रकट करते हैं और जो लोग मारे गए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है यह रुकने वाला नहीं है क्योंकि हमारे रक्षा मंत्री संत फर्नान्डीज जी हैं जो संतों की तरह रहते हैं और बातें भी संतों जैसी करते हैं। डिफेंस का मामला उनका कम ही है। इसलिए जब हम देखते हैं कि डिफेंस में हो क्या रहा है, वह तो आपके सामने तहलका ने साफ कर दिया। उसके पहले जो कारगिल में

हुआ उसमें जो सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें पता चल गया कि उसमें करोड़ों रुपया खाया गया। मगर ये मानने को तैयार नहीं हैं। पिछले हफ्ते भटिंडा में फौज वाले पैट्रोल बेचते पकड़े गए। लाखों रुपए का पैट्रोल बेचा जाता रहा। जब फौज में ऐसा हो, तो इसमें संत जी क्या करेंगे। इसलिए यह इनके वश का रोग नहीं है।

फौज पर हमें कोई शंका नहीं है। वे कुर्बानी देने को हमेशा तैयार रहते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हिन्दुस्तान को बचाना है, तो रक्षा मंत्री का जो काम करने का तरीका है, उससे कोई खुश नहीं है। यह हम समझ चुके हैं। इसलिए इनकी छुट्टी हो जानी चाहिए। पहले छुट्टी हो भी गई थी, लेकिन फिर बाद में पता नहीं इन्हें क्यों बुला लिया गया।

दूसरी तरफ आडवाणी जी आए हैं। इनके काम करने का तरीका अलग है। ये आर.एस.एस. और दूसरे लोगों की बात ज्यादा मानते हैं। इनके काम करने का जो तरीका है उसमें आर.एस.एस. की झलक मिलती है। ये गुजरात गए थे। हम भी गुजरात गए। गुजरात में इतनी गलत बातें हुईं, लेकिन ये नरेन्द्र मोदी को बचा रहे हैं। हमने कैम्पों में जाकर देखा। एक कैम्प में 5000 औरतें थीं। उन्होंने हमें बताया कि हमारे साथ कैसी बीती। उन्होंने कहा कि हमारे साथ बलात्कार किए गए।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उनके साथ मैं भी कैम्पों में गया था। हमारे साथ डॉ. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा भी थीं। वे यहां मौजूद हैं। मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे इस प्रकार की असत्य बातें सदन में न करें।...*(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा : सर, एक कैम्प में 5000 औरतें थीं जिनमें 58 औरतों ने हमें लिखकर दिया कि हमारे साथ क्या-क्या किया गया, हमारे साथ बलात्कार किया गया।... *(व्यवधान)*

प्रो. रासासिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भान सिंह भौरा के ये शब्द कार्रवाई से निकाले जाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री भान सिंह भौरा जी, आप अपनी बात एक मिनट में पूरी कीजिए।

श्री भान सिंह भौरा : अध्यक्ष महोदय, जो वहां हुआ, वह पूरे हिन्दुस्तान को पता है, भले ही ये मानने को तैयार न हों, लेकिन सब लोग जानते हैं। श्री के. पी. एस. गिल ने वहां जाकर हिन्दू अफसरों की गलतियों को पकड़ा, लेकिन नरेन्द्र मोदी ने गिल की छुट्टी कर दी। ये सब बातें अब सामने आ रही हैं। इसलिए आप नरेन्द्र मोदी को बचा नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं आडवाणी जी से कि अगर आपको देश को बचाना है, तो आप आर.एस.एस. का साथ छोड़िए और सामान्य लोगों को साथ लीजिए। यह देश के लिए अच्छा होगा। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. चमन लाल गुप्त) : माननीय अध्यक्ष जी, कासिमनगर में जो कुछ हुआ, जैसा अभी आपके सामने सारा वर्णन हुआ, वहां एक हफ्ते से बिजली नहीं थी, ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, इस वजह से सारे लोग जो बस्ती में रहने वाले हैं वे एक मंदिर में रेडियो सुन रहे थे। उस बस्ती में अधिकांश राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के गरीब लोग रहते हैं। वे आज से नहीं बल्कि विगत 40 वर्षों से जम्मू में रहते आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग बूट पालिश का काम करते हैं, कुछ मजदूरी का काम करते हैं और शाम को अपने घरों में लौटते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, उस दिन एक प्रैस्टीजियस मैच था और चूंकि बस्ती में बिजली नहीं थी इसलिए वे सब लोग एक छोटे से मंदिर में इकट्ठे होकर रेडियो सुन रहे थे। उग्रवादी एक गाड़ी में आते हैं। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने ग्रेनेड फेंके। उसके बाद उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। जैसा सभी ने बताया कि उन्होंने किस तरह से लोगों की निर्मम हत्याएं कीं। उसमें एक चार वर्ष का बच्चा मारा गया। एक अंधा व्यक्ति जो मंदिर के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वह वहीं रहता था उसको मार दिया गया। उनका साफ-साफ लक्ष्य था कि वहां आतंक फैलाया जाए। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना चाहता है क्योंकि इस समय अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। इसके अलावा वहां चुनाव होने वाले हैं। बॉर्डर से आए हुए जो लोग अंदर बैठे हैं, वे अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं। समय-समय पर उनकी कोशिश होती है कि कहीं न कहीं साफ्ट टारगेट ढूंढ़कर वहां पर कोई न कोई इस तरह की घटना कर दें। उस घटना में चूंकि उस बस्ती के आगे बिल्कुल जंगल था, पहाड़ था, इसलिए वह उसमें निकल गए।

[प्रो. चमन लाल गुप्त]

यह ठीक कहा गया कि लगातार जम्मू शहर के इर्द-गिर्द छह इंसीडेंट पिछले चार-पांच महीनों में हुए। पार्लियामेंट में भी एक इंसीडेंट हुआ था। उसके बाद कितनी फोर्टीफिकेशन हुई कि हरेक मैम्बर भी महसूस करता है कि यहां तक पहुंचना उसके लिए कितना कठिन होता है। मैं समझता हूं कि इसमें जरूर कमी है कि आखिर एक के बाद दूसरा इंसीडेंट हो जाए। वे लोग रघुनाथ मंदिर तक पहुंच जाएं। उसके बाद भी उनको यह मौका मिल जाए; बार-बार चूंकि बहुत समय से यह कहा जा रहा है कि इस शहर के इर्द-गिर्द कुछ डेमोग्रेफिक चेंज हो रहे हैं, कुछ बस्तियां ऐसी आ गईं जहां लोग उनको शैल्टर्स देते हैं। मैं समझता हूं कि हम इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स को देखें जिससे हम इसका एक परमानेंट हल आने वाले वक्त को देखते हुए निकाल सकें।

जैसा मेरे साथियों ने बताया कि अमरनाथ की यात्रा एक बड़ी प्रमुख यात्रा है। लाखों यात्री कन्याकुमारी से जल लेकर अमरनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं। ऐसी सूरत में उस सारे क्षेत्र को कितना सम्भालने की जरूरत है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने फर्ज को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करने की जरूरत नजर आती है। पार्लियामेंट में हर बार इस पर बहस करते हैं। उन सबका मकसद एक ही है कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। हम इस दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश कश्मीर समस्या पर एक है। यह किसी पार्टी की समस्या नहीं है, सारे देश की समस्या है। स्वाभाविक है कि आज की इस डिबेट में से कम से कम हमारी एकता नजर आए और उसी के साथ-साथ आगे आने वाली आतंकवादी घटनाओं को हम रोक पाएं, यह भी एक बात सामने नजर आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैं वहां पर गया था और वहां मैंने अपनी आंखों से देखा था। आज भी मैं वहां मौके पर गया था। ठीक है, मीडिया आजकल बहुत अजीब ढंग से खबरों को देती है। जो कुछ मीडिया के अंदर आया है वह सच नहीं है। हकीकत यह है कि लोगों के अंदर एक रोष जरूर है। लोग चाहते हैं कि मिलिटेन्ट्स मर जाते तो अच्छा होता लेकिन वे निकल गए इसलिए उनको ज्यादा रोष है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, उसके अंदर कोई सलीका नहीं है। पिछली बार जब मैं मौके पर गया तो वहां मैंने एक सिपाही को देखा। उसके बच्चे मर गए थे। वह उनका दाह संस्कार करने के लिए आया हुआ था। लेकिन वह उनको कह रहा था कि जल्दी करो, मुझे फिर से बॉर्डर पर जाना है। जिस देश के अंदर इस तरह के सिपाही हैं, इस तरह की फौज है, मैं समझता हूं कि उसके मोरल को हम किसी तरह से कमजोर न होने दें। यह हम सबकी एक तरह से ड्यूटी बन जाती है, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम फौज के मोरल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर दिखाएं।

इस सारे प्रसंग में दो-तीन चीजें हुई हैं। एक-फौज के आने से वहां बहुत सारे किसान घरों से उजड़ गए। इसके अलावा पिछले सात महीने से किसान खेत में जा नहीं सकता, अपनी फसल नहीं लगा सकता। उसके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। उनके जानवरों को कहीं से चारा नहीं मिल पा रहा है। उन सब किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहां बताया गया है कि पंजाब और राजस्थान के लोग भी वहां से उजड़े थे। उनको जितना कम्पैनसेशन मिलना चाहिए था, वह मिल गया लेकिन जम्मू-कश्मीर में हम इस बात पर उलझे हुए हैं कि वहां की सरकार को जिस तरह पूरे रिकार्ड भेजने चाहिए थे, वह नहीं भेज पाई जिसका नतीजा यह है कि हम किसानों को कम्पैनसेट नहीं कर पा रहे हैं। जिन बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, जिनको आज राशन की जरूरत है, उसकी तरफ भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि वहां तीन से चार हजार तक मिलिटेंट्स घुसे हुए हैं। मतलब वे अलग-अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। कई जगहों पर उनके कैम्प चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर किसी ने उनका मुकाबला करना है तो जब तक वहां के स्थानीय लोग तैयार नहीं होते तब तक उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां विलेज डिफेंस कमेटी बनी है जो सही मायने में उनके साथ लड़ रही है। आज उनको स्ट्रैनदन करना बहुत जरूरी है।

मेरा सबसे निवेदन है, मैं सुबह से चर्चा सुन रहा हूं। आखिर कश्मीर जम्मू और लद्दाख को मिलाकर बनता है। किसी ने न लद्दाख की चर्चा की, न जम्मू की चर्चा की है। यदि आप किसी भी रूप में देखेंगे, जम्मू आबादी के लिहाज से ज्यादा है, लद्दाख एरिया के लिहाज से बहुत ज्यादा है। जब तक हम इन तीनों रीजन्स की समस्याओं को नहीं

समझेंगे तब तक हमें कश्मीर की समस्या को समझने में थोड़ी कठिनाई रहेगी।

यहां मेरे भाई ने बायफर्केशन की चर्चा की। मैं जनसंघ में रहा हूं। जनसंघ के समय कर्नल पी. मोहम्मद खान फौज में रहे व्यक्ति थे। वे हमारे अध्यक्ष थे। कई बार जब वे पब्लिक में बोलते थे तो कहते थे कि जम्मू-कश्मीर एक ऐसी रियासत है जिसको जम्मू के लोगों ने अपने बलबूते पर इकट्ठा किया है, हमने इसको बनाया है। वे यह तक कहते थे कि जिस समय हमने यह रियासत बनाई, अपने भारत का झंडा हुंजा और गिलगित तक ले गए, उस समय स्थिति यह थी कि जम्मू में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें कोई विधवा नहीं बैठी थी। आज यह कहा जाए कि हम बायफर्केशन चाहते हैं, स्टेट को अलग-अलग करना चाहते हैं, मैं समझता हूं जैसे मेरे भाई ने कहा, यह इसे पोलीटीसाइज करने की बात है। माननीय आडवाणी जी ने तो दबकर यह कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। हम सबने मिलकर यह आवाज उठाई है कि यह रियासत एक रहनी चाहिए, हमें इसका किसी तरह का बायफर्केशन मंजूर नहीं है। हां, अलबत्ता यह बात हम हमेशा कहते रहे हैं, 1987 में जिस समय पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में बाकायदा अधिवेशन हुआ था, उसमें यह बात पास की गई थी कि हमें रीजनल काउंसिल चाहिए। तीनों रीजन्स को बाकायदा इंसाफ मिले। उनके पास जहां से फंड्स जा रहे हैं, सम्भव हो तो मैं गिना सकता हूं कि अरबों रुपया जा रहा है। वह सारा पैसा सही मायने में तीनो रीजन्स में खर्च हो, यह मांग हम हमेशा उठाते रहे हैं। आज भी हमारा यह कहना है कि रीजनल काउंसिल्स बननी चाहिए और तीनों रीजन्स को इंसाफ मिलना चाहिए।

जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई आटोनोमी की चर्चा करे, जैसा कहा गया कि फारूख साहब आटोनोमी की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने आटोनोमी को रिजेक्ट किया हुआ है। भारत सरकार ने यह बात जरूर कही है कि हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स चाहते हैं, सारे देश में चाहते हैं, नार्थ ईस्ट में भी चाहते हैं, जम्मू-कश्मीर में भी चाहते हैं। अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स का मतलब कोई आटोनोमी निकालेगा तो मैं समझता हूं कि यह गलत होगा, अन्यथा न जम्मू के लोग आटोनोमी चाहते हैं, न लद्दाख के लोग आटोनोमी चाहते हैं, न बकरवाल जो कश्मीर के हैं, वे आटोनोमी चाहते हैं, न वहां के सिख चाहते हैं, न कश्मीरी पंडित चाहते हैं। आखिर आटोनोमी कौन चाह रहा है। मेरा कहना है कि सारे लोग वहां की रियासत को एकजुट रखना चाहते हैं लेकिन पिछले चौदह वर्षों से लगातार...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, विश्व हिन्दू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने विश्व हिन्दू परिषद और उसके इस प्रस्ताव का खंडन किया है। हम लोग यह आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपके ही लोगों ने यह आरोप लगाया है। कृपया विश्व हिन्दू परिषद और आर.एस.एस. पर लगाम लगाएं।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यही कारण है कि अरुण जेटली जी को ऑटोनोमी के लिए बयान देना पड़ा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपना भाषण पूरा करिए।

प्रो. चमन लाल गुप्त : मेरा यह कहना है कि ये जो कह रहे हैं कि हम पोलिटिसाइज नहीं करते हैं तो हमने वह वक्त देखा हुआ है कि जिस समय जम्मू-कश्मीर के अंदर रीसैटिलमेंट एक्ट बना था तो रीसैटिलमेंट एक्ट का हम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, विशेष रूप से इन्दिरा गांधी जी ने वहां जाकर सिचुएशन को इतना ज्यादा कम्युनलाइज किया, उन्होंने यह कहा कि अगर कोई जम्मू-कश्मीर में आपको रीसैटिलमेंट एक्ट से बचा सकता है तो मैं बचा सकती हूं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। इस तरह से उन्होंने टोटली कम्युनलाइज करके सारे हिन्दुओं के वोट इकट्ठे किए थे। मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, हम किसी कीमत पर भी देश की अखंडता पर आंच नहीं आने देंगे और उसके लिए हमने जिस तरह से डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का बलिदान दिया है...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इसे आप लोगों ने कम्युनलाइज किया है, आपके एक तरफ हिन्दूवादी पार्टी है और दूसरी तरफ मुस्लिमवादी पार्टी है।...*(व्यवधान)*

प्रो. चमन लाल गुप्त : और जिस तरह से हमने 17 लोगों को शहीद करवाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिन्होंने तिरंगा फहराते हुए गोलियां खाई हैं। इसलिए यह कहना कि हम लोग किसी तरह से यह बर्दाश्त कर

[प्रो. चमन लाल गुप्ता]

लेंगे कि हमारी स्टेट के टुकड़े हो जाएं, इससे बड़ा असत्य कोई नहीं हो सकता।

मेरा इतना ही कहना है कि हम लोग एकता चाहते हैं। एकता के लिए जितना भी बलिदान हमने दिया है, वह आगे भी देने के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। लेकिन जहां तक तीनों रीजन्स का सवाल है, उनको पूरा-पूरा इंसाफ मिले, वहां की विलेज डिफेंस कमेटियां मजबूत हों, वहां का किसान जो आफत में है, उसको बाकायदा सहायता मिले, यह हम सब चाहते हैं। धन्यवाद।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : चमन लाल जी, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, लेकिन जो ऑटोनोमी की बात कर रहे हैं, वे देशद्रोही हैं, जो ट्राइफरकेशन की मांग कर रहे हैं, आप यह मानते हैं कि वे देशद्रोही हैं, उसे आप देश के हित में नहीं मानते। आप यह भी बोल दें, लेकिन आप यह नहीं बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी, आप शुरू करिए।

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष ने भारी मन से यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आतंकवादियों ने जम्मू में पुनः हमला किया है।

[हिन्दी]

जैसी मुझे जानकारी है, राजीव नगर, कासिमपुरा में दो दिन पहले 27 गरीब निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्या की है, मेरी पार्टी आर.एस.पी. की तरफ से मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं। साथ ही साथ मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

कालूचक की घटना के बाद पिछले बजट सैशन में हमने यहां आतंकवाद की आलोचना की है और सब पार्टियों ने सरकार की मदद की और एक यूनानिमस रैजोल्यूशन भी पास किया। उसमें यह कहा था कि भविष्य में जो आतंकवाद के खिलाफ सरकार ठोस कदम उठाएगी, मगर दो महीने के बाद में भी हमें कोई ऐसा ठोस कदम उठाने की जानकारी नहीं है। हमारे सुरक्षा मंत्री ने कहा कि कश्मीर हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बोर्डर स्टेट है, उस स्टेट में हमारे सुरक्षा बल रहेंगे। वहां पुलिस है, मगर तीन-चार घंटे तक आतंकवादियों ने उस गांव में जिस तरह से निर्दोष लोगों की हत्या की, उसके बाद एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। इसलिए हिन्दुस्तान की आम जनता को यह विश्वास नहीं है कि यह सरकार देश में हमारी सुरक्षा कर पाएगी। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में ही देश में आतंकवाद फैल रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग के डिप्टी सैक्रेटरी पाकिस्तान गए और फिर हमारे देश में भी आए। उनके विज़िट के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ का बयान आया था कि घुसपैठ बंद होगी। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि वहां से हमारे देश में घुसपैठ बंद हो गई है। पाकिस्तान हिन्दुस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और हम उसके बहकावे में आ रहे हैं। मेरा सरकार पर आरोप है कि पाकिस्तान द्वारा जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसका वह दृढ़ता से मुकाबला नहीं कर रही है। 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा ही हमला किया गया था। इस तरह से देश में विभिन्न इलाकों में लोग आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। इसको रोकने में यह सरकार सक्षम नहीं है। अभी उप-प्रधान मंत्री आडवाणी जी ने बयान दिया था, तो हमें उनकी बात से लगा कि कुछ होगा, लेकिन उनकी बात सिर्फ बात ही रह गई, कोई एक्शन इस सरकार ने नहीं लिया। हमारा कहना है कि आतंकवाद को निर्मूल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसका खुलासा आज इस सदन में होना चाहिए।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अकाली दल की संयुक्त शक्ति शिरोमणि अकाली की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और शिरोमणि अकाली दल की ओर से सभा पटल पर मेरे बोलने का अर्थ राजग सरकार को समर्थन में कोई बदलाव नहीं है। शिरोमणि अकाली दल (बादल) राजग सरकार को अपना समर्थन जारी रखेगा।

महोदय, अनेक वक्ताओं ने कश्मीर में आतंकवाद के बारे में बोला है जिसकी हमारी पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। हम समझते हैं कि निर्दोष लोगों को मारकर कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जैसा कि हमारा अनुभव रहा है कि वास्तव में आतंकवादियों की छवि निर्दोष लोगों के मारे जाने से खराब होगी। लेकिन हम यह भी समझते हैं कि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी और सरकार आतंकवाद के विरुद्ध

संघर्ष में कश्मीर में तैनात किए जाने वाले अधिक बलों की वकालत करती है। कांग्रेस के प्रमुख वक्ता ने कहा कि पुलिस का अधिक शक्तिशाली ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए और इसे भारतीय सैन्य की ओर से अधिक अस्त्र-शस्त्र प्रदान किए जाने चाहिए। सरकार भी अधिक बलों का प्रयोग करना चाहती है। लेकिन हम महसूस करते हैं कि एक बार फिर शांति की बात हो और हम महसूस करते हैं कि एक बार शांति की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए और कश्मीर मुद्दे से संबंधित वैकल्पिक प्रक्रिया की शुरूआत होनी चाहिए। वे लोग जो भारत के लिए इस युद्ध का सामना कर रहे हैं, उन्हें मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। कश्मीर घाटी में लोकतान्त्रिक ताकतों ने वर्ष 1953 के पहले की स्थिति के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से मांग की है। हम समझते हैं कि इसे प्रदान किया जाना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

लेकिन भारत सरकार और भारतीय राज्य कश्मीरी लोगों को खरीदने का प्रयास करते हैं। हाल ही में प्रधान मंत्री कश्मीर गए थे और 6000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। मैं समझता हूं कि निष्ठा ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। हम कश्मीरी लोगों की निष्ठा नहीं खरीद सकते। इसे जीतना है क्योंकि यह एक भावुकता और भावना है। इसलिए मैं गहराई से समझता हूं कि दूसरे दृष्टिकोण की आवश्यकता है और सैन्य और पुलिसिया दृष्टिकोण का त्याग किया जाना चाहिए।

कश्मीरियों से वादे किए गए हैं। राजग सरकार में माननीय मंत्री श्री उमर अब्दुल्ला के यह कहने की बात प्रकाश में आई है कि भारतीय राज्य उनके पिता के साथ कुत्ते जैसा बर्ताव करती है। यह उन्हें निवाला और खाने के लिए रोटी देती है। यदि श्री फारूख अब्दुल्ला के साथ यह वादा किया गया है कि उन्हें उप-राष्ट्रपति बनाया जाएगा तब इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। यदि किसी हिन्दू को भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, यदि प्रधान मंत्री, उप-प्रधान मंत्री, सेनाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्ष हिन्दू हो सकते हैं तब भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के रूप में दो मुसलमानों के बनने की पूरी संभावना है। मैं नेशनल कांफ्रेंस की मांगों का पूरी तरह समर्थन करता हूं। इसमें देश विरोधी जैसी कोई बात नहीं है। उन्हें मुख्य धारा से अलग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सिखों के साथ किया गया था। कश्मीर में राजनीतिक हल की आवश्यकता है।

हमारे पास कश्मीर मामले की पूरी जानकारी और अनुभव है। कश्मीर भारत का एक भाग नहीं था लेकिन 1818 तक अफगानिस्तान का एक प्रांत था जब सिक्ख साम्राज्य ने कश्मीर को भारतीय भू-भाग में शामिल किया और हमने भारत की सीमाओं का अफगानिस्तान तक विस्तार किया और लद्दाख तक को भी शामिल किया गया। हमारे पास अनुभव है हम इससे निपटना जानते हैं। सिक्खों की विजय के कारण ही भारतीय सीमा चीन को स्पर्श करती है।...*(व्यवधान)* मैं आपसे कह रहा हूं कि हम ही वे लोग हैं जो भारत की एकता को बनाए हुए हैं। जैसे ही हिन्दुत्व भारत की विचारधारा में शामिल हुआ भारत का क्षरण होने लगा। और हिन्दुत्व को श्री आडवाणी जी अथवा जनसंघ द्वारा शामिल नहीं किया गया है। इसका जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के साथ ही 1885 में हुआ और उसी समय से दो राष्ट्र का सिद्धांत सामने आ रहा है। वर्ष 1997 में हम डूरंड लाइन से पीछे हट गए और रेडकिलफ लाइन को स्वीकार कर लिया तथा कश्मीर को छोड़ दिया। हमने नियंत्रण रेखा और अवलई चिन दोनों का त्याग कर दिया। हम अपने भू-भागों का त्याग कर रहे हैं। अब नवीनतम बात जम्मू-कश्मीर का तीन भागों में बांटा जाना है।

महोदय, मैं समझता हूं कि कश्मीर की समस्या का समाधान शांतिपूर्ण और राजनीतिक ढंग से ही हो सकता है। इसे एक मौका दिया जाना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और नेल्सन मंडेला, जिमी कार्टर और बिल क्लिंटन जैसे स्वतंत्र प्रेक्षकों को कश्मीर में बुलाया जाना चाहिए। कतिपय प्रेक्षकों को परिदृश्य का आकलन करने के लिए भारत अवश्य आना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सभा महसूस करती है यदि श्री अब्दुल्ला को उप-राष्ट्रपति बनाए जाने का वादा किया गया है तो इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चन्द्रकांत खैरे बोलें। दो मिनट आपकी पार्टी के बाकी हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, 13 जुलाई को जम्मू में कासिम नगर और राजीव

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

नगर में जो हत्याकांड हुआ है, उसके कारण कांग्रेस और विपक्ष द्वारा जो कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार का समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि जम्मू-कश्मीर में काफी वारदातें हो चुकी हैं। अभी अमरनाथ जी की यात्रा 22 जुलाई से हो रही है। मैं यह बताऊंगा कि पिछले कई वर्षों से, 10-12 सालों से हजारों लोग वहां मारे गए हैं। हजारों लोग आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं, चाहे जम्मू रेलवे स्टेशन हो, उधमपुर हो या विधान सभा के परिसर में विस्फोट हुआ या जम्मू-कश्मीर में रघुनाथ जी का मंदिर या कालूचक में जवानों की छावनी की घटना हो। मैं यही कहूंगा कि सदन में बोल्ड उप-प्रधान मंत्री जी बैठे हैं। देश में पहले गृह मंत्री और उप-प्रधान मंत्री, श्री वल्लभभाई पटेल थे। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में निजाम के समय में भी ऐसी ही वारदातें हुआ करती थीं। वहां भी जब लोगों को तकलीफें हुईं, हत्याएं हुईं, तो गृह मंत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा पुलिस एक्शन लिया गया और वारदातें खत्म हुईं। उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी बोल्ड हैं और उन्होंने कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय है, हम कब तक चर्चा करते रहेंगे। अब चर्चा करने का समय नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद जी के समय में, जब उनकी कन्या को ले गए थे, चर्चा हुई थी और पूर्व गृह मंत्री, श्री एस. बी. चव्हाण, के समय में भी चर्चा हुई थी। हम शिवसेना के लोग यही चाहते हैं कि गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। अगर गोली से उत्तर नहीं देंगे, तो कब तक मरते रहेंगे। हिन्दू, सिक्ख और मुसलमान सभी मर रहे हैं। कोई सांप्रदायिक भावना नहीं है।

मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे नेता बालासाहिब ठाकरे जी भी यही कहते हैं कि हम कब तक निगरानी करते रहेंगे और इसी समय कदम उठाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि चर्चा मत करिए और आतंकवाद को समाप्त कर दीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : अध्यक्ष महोदय, कासिम नगर में 13 जुलाई को जो नरसंहार हुआ है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और जिन व्यक्तियों की जानें गई हैं, उनके लिए मैं शोक प्रकट करता हूं।

महोदय, ऐसी घटनाएं कब तक चलेंगी। कालूचक से कासिम नगर तक आतंकवाद चल रहा है और नरसंहार चल रहा है और चलता रहेगा। मैं पूछता हूं, यह आतंकवाद क्यों चल रहा है? मैं आज सुबह जब टी.वी. देख रहा था, तो दूरदर्शन न्यूज में हमारे देश के उप-प्रधान मंत्री भाषण दे रहे थे। उस भाषण से ऐसा स्थापित होता है कि लोगों की हत्या करो, आतंक फैलाओ और डरो फैलाओ। उसके बाद कहा कि देश के सामने चुनौतियां हैं और देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार मजबूत होनी चाहिए। उनको साफ बोलना चाहिए, जम्मू-कश्मीर की सरकार या केन्द्रीय सरकार। बाद में उन्होंने कहा कि एक मजबूत पार्टी चाहिए। यह बात उनको तब बोलनी चाहिए, जब बीजेपी की सलामती रहे। जो व्यक्ति देश का उप-प्रधान मंत्री है, उसके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। कश्मीर को लेकर ऐसी दलबाजी करना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं, इस तरह की राजनीति की आलोचना होनी चाहिए। उसी टाइम विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने सब कुछ भूलाकर सरकार को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, आतंकवाद और क्रॉस बार्डर टेरेरिज्म खत्म करो। अभी तक क्या हुआ, दो महीने बीत गए हैं। उसके बाद यह घटना घटी और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं। आप बोलते हैं कि हमारी पार्टी, बीजेपी को मजबूत करो। इस तरह नहीं चलेगा, ऐसे जम्मू-कश्मीर हमारे देश के साथ नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो सवाल अभी उठा है, जम्मू-कश्मीर को तीन हिस्सों में बंटवा देना-जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। इसमें आपकी क्या राय है, यह आपको सच-सच बताना चाहिए। इस पर आप क्या कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद के लोग कहेंगे कि यह होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, हमें यह जानकारी देनी चाहिए। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने बोला है, लेकिन आटोनोमी के बारे में कोई चर्चा नहीं की। अखबार में निकला, हमने टी.वी. में देखा कि जम्मू-कश्मीर में आटोनोमी मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। आपने नेशनल कांफ्रेंस के साथ बात की है, वह क्या चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अमर राय प्रधान जी, आप बैठिए, आपका समय हो गया है।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि

[अनुवाद]

स्वायत्तता भारत की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की कीमत पर नहीं दी जा सकती।

[हिन्दी]

यह नहीं हो सकता है। मैं प्रधान मंत्री जी और उप–प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने उनके साथ बात की है या नहीं। हमारे संविधान में जो धारा 370 है, उसके बारे में आपका क्या विचार है?...*(व्यवधान)* जम्मू–कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे या नहीं, यह भी बताएं।...*(व्यवधान)*

देश और भारत के हितों के लिए आपको हमने समर्थन दिया, उसका आपने ठीक ढंग से पालन नहीं किया, यह बहुत दुख की बात है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) अध्यक्ष महोदय, जम्मू में जो हुआ उस पर अपने माननीय मित्रों के साथ मैं भी क्रोध, गुस्सा और विरोध व्यक्त करता हूं। इन नृशंस, कायरतापूर्ण और बर्बर हत्याओं की पूरी ताकत से निंदा की जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आतंकवाद का सामना करने, नियंत्रित करने और उसे कम करने एवं साथ ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसका भरपूर समर्थन करेगी। हमारी पार्टी उग्रवाद और आतंकवाद का विरोध करती रही है क्योंकि भारत जैसा प्रजातांत्रिक राष्ट्र अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता यदि देश में आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियां चलती रहीं। लेकिन इसी समय, मैं माननीय उप–प्रधान मंत्री से भी एक बात की जानकारी चाहूंगा। इस घटना के बाद, माननीय उप–प्रधान मंत्री ने एक टिप्पणी की है कि जम्मू में कासिम नगर में जो हुआ राष्ट्र उसका जवाब देगा। इस मामले में, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को संसद को भी अपने विश्वास में लेना चाहिए। यदि कुछ ऐसा है जो इस सभा या जनता को नहीं बताया जा सकता, तो निश्चित रूप से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि आतंकवाद ही इस बुराई को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। आतंकवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने के लिए सरकार को कल्पनाशील और रचनात्मक पहल करनी चाहिए।

माननीय राज्य मंत्री श्री उमर अब्दुल्ला और अन्य माननीय मंत्री श्री चमन लाल गुप्त ने कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, वे सारी बातें कहीं। पुनः वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान यह कर रहा है और पाकिस्तान वह कर रहा है आदि–आदि। मैं इस सभा में वर्ष 1991 में दसवीं लोक सभा में एक सदस्य के रूप में आया।

तभी से मैं यही सब सुन रहा हूं। उस समय श्री एस. बी. चव्हाण गृह मंत्री थे। तब श्री इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री बने और अब श्री आडवाणी गृह मंत्री हैं। सिर्फ मंत्री बदले हैं, लेकिन वे सब एक ही बात कह रहे हैं। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन लोगों के विरुद्ध हम क्या करने जा रहे हैं? अमरीका पाकिस्तान को कभी निराश नहीं करेगा। जब जनरल मुशर्रफ ने साक्षात्कार दिया और कुछ बोला एवं इस पर अमरीका के विदेश मंत्री, श्री कॉलिन पावेल ने फोन पर उन्हें डांटा तो श्री उमर अब्दुल्ला बहुत खुश हो रहे थे। यदि जनरल मुशर्रफ उनसे कहते हैं कि उन्हें अफगानिस्तान में अल कायदा के विरुद्ध लड़ाई में शामिल उनके बलों को भी हटना पड़ेगा, तो अमरीका भी हाथ जोड़कर मुशर्रफ के सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें अमरीका को इन सभी परिवर्तनों और सम्मिश्रणों के साथ देखना चाहिए। हमें अमरीका पर कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगा क्योंकि मैं लोगों के बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं जो सरकार के समक्ष अपना विचार रखना चाहते हैं।

महोदय, जम्मू–कश्मीर एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर मुद्दा साम्प्रदायिक मुद्दा नहीं है। मैं श्री उमर अब्दुल्ला से पूरी तरह सहमत हूं कि यह धार्मिक मुद्दा नहीं है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए राष्ट्रीय मुद्दा है और प्रत्येक भारतीय को कश्मीर के संबंध में सरकार जो भी निर्णय लेती है उसके साथ होना चाहिए। हम यहां सरकार का समर्थन कर रहे हैं और पाकिस्तान एवं पूरे विश्व को यह समझने दें कि इस देश के सभी लोग चाहे वह किसी भी धर्म, राज्य अथवा क्षेत्र के हैं कश्मीर के मुद्दे पर सरकार के पीछे एक होकर खड़े हैं।

[श्री ई. अहमद]

मैं उमर अब्दुल्ला से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उनके भाषण से जम्मू–कश्मीर सरकार की कमियों का पता नहीं चलता? उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर सरकार स्वायत्तता के प्रश्न पर भारत सरकार के साथ वार्ता करने जा रही है। इतने समय तक आप क्या करते रहे? क्या यह रक्षा राज्य मंत्री, श्री चमन लाल गुप्ता की ओर से असफलता की बात स्वीकारना नहीं है जब वे कहते हैं कि जम्मू में चार दिनों तक बिजली गुल रही थी? वे क्या कर रहे हैं? वहां बिजली क्यों नहीं थी? केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर राज्य को बहुत पैसा दिया जाता है।

अब, मैं स्वायत्तता के प्रश्न पर आता हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू–कश्मीर के विधान सभा चुनाव की जब भी बात आती है, स्वायत्तता की बात शुरू हो जाती है, और चुनाव के बाद स्वायत्तता, सत्ता के हस्तांतरण की बात नहीं होती और न ही जम्मू–कश्मीर के लोगों की बात की जाती है। आज भी, श्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए स्वायत्तता का प्रस्ताव किया और श्री चमन लाल गुप्ता ने उसे खारिज कर दिया। यही सब वहां चल रहा है, जैसा कि अभी हमने यहां देखा। मैं माननीय प्रधान मंत्री और माननीय उप–प्रधान मंत्री से सिर्फ एक निवेदन करूंगा। उन्हें जम्मू–कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए। वे इस राष्ट्र के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वे एक तरफ से तो सुरक्षा बलों द्वारा, दूसरी तरफ से आतंकवादियों द्वारा और तीसरी तरफ से विश्वासघातियों द्वारा चक्की में पीसे जा रहे हैं। वे कहां जाएंगे और क्या करेंगे? कोई भी आम आदमी को विश्वास में नहीं ले रहा है। इसलिए, वे अलग–थलग पड़ गए हैं। इसलिए, सरकार को जम्मू–कश्मीर के आम आदमी में विश्वास बहाल करने के लिए कुछ करना चाहिए। वे जम्मू–कश्मीर का दो भागों में या तीन भागों में बंटवारा नहीं चाहते। वे जम्मू–कश्मीर को एक और भारत सरकार का अभिन्न हिस्सा बना रहने देना चाहते हैं।

महोदय, मैं पुनः जम्मू–कश्मीर के संबंध में सरकार जो भी प्रायोगिक एवं व्यावहारिक कदम उठाएगी उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। लेकिन ठीक इसी समय, सरकार को भारत की आम जनता की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। हमें सरकार की कार्रवाई पर आशंका है। इसलिए, मैं इस सभा में श्री शिवराज पाटील द्वारा जो भी विचार रखे गए उनका पूर्ण समर्थन करता हूं।

महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जम्मू–कश्मीर के लोगों को बांटने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मेरे मित्र सरदार सिमरनजीत सिंह ने श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में जो कुछ भी कहा वह दुर्भाग्यपूर्ण है, अनावश्यक है और हम उनसे सहमत नहीं हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ही सिर्फ एकमात्र नेता थीं जो पूरे जम्मू–कश्मीर राज्य को भारतीय संघ का एक अहस्तांतरणीय और अभिन्न हिस्से के रूप में बनाए रखना चाहती थीं।

[हिन्दी]

श्री नागमणि (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल (डेमोक्रेटिक) जिस का जन्म अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ हुआ था, आज उसे बोलने का समय दिया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। कार्य स्थगन प्रस्ताव उस समय आना चाहिए, जब कोई कार्रवाई नहीं होती। हम भारत के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री जी, श्री जॉर्ज फर्नान्डीज साहब, जसवन्त सिंह जी और यशवंत सिन्हा जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान की दुनिया में एक ऐसे राष्ट्र की पहचान बनाई, जो शांतिप्रिय देश है और पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र। कालूचक में जो घटना हुई, उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आर–पार की लड़ाई होगी लेकिन लोग कहते हैं कि कहां हुई। अध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान अकेला है और पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर भारत ने साबित कर दिया है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नान्डीज का नेतृत्व काफी शानदार है। विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत के नेतृत्व को नीचा दिखाने का काम कर सके। जिस दिन भारत चाहेगा, उस दिन पाकिस्तान का मलियामेट हो सकता है लेकिन हम नहीं चाहते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि युद्ध करो। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो भारत के पास भी है। अगर परमाणु युद्ध होगा तो न भारत बचेगा और न पाकिस्तान बचेगा। इसलिए नेतृत्व वर्ग की जो नीति है, वह बिलकुल सही है। आज भारत के साथ पूरी दुनिया के लोग हैं जबकि पाकिस्तान अकेला है। मुझे विश्वास है कि आज के नेतृत्व वर्ग का शानदार काम है और भारत का खेत–खलिहान मजदूर और आम जनता इनके साथ है।

[अनुवाद]

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : महोदय, इंडियन फेडेरल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मैं जम्मू–कश्मीर में हुई हत्याओं पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त करता हूं। मैं कहूंगा कि आतंकवाद से लड़ने और सीमा–पार से होने वाले आतंकवाद को रोकने के लिए भी सरकार जो भी संभव कार्रवाई करेगी उसका समर्थन करते हुए पूरी सभा और देश एक है।

बल्कि मैं यह कहूंगा कि सभा को बांटने की बजाय, इस चर्चा के बाद हमें संयुक्त संकल्प पारित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह संदेश जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपना दृष्टिकोण बदलता रहा है। सीमा–पार से होने वाले आतंकवाद को रोकने के संबंध में जनरल मुशर्रफ जो भी कह रहे हैं वह सब हवा हो गई। इसलिए, मैं कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह संदेश जाना चाहिए कि यदि वे आतंकवाद से लड़ने में सचमुच गंभीर हैं, तो उन्हें शीघ्र ही एक काम करना चाहिए। उन्हें शीघ्र कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। यह बात हमें इस वाद–विवाद के बाद सशक्त तरीके से पूछनी चाहिए।

अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर पूरी एकजुटता है। मैं यह कहूंगा कि कश्मीर में विश्वास निर्माण के संबंध में और लोगों को अत्यधिक जनतांत्रिक रास्ते पर लाने के संबंध में हमें कश्मीर में अधिक से अधिक राजनैतिक प्रक्रियाओं को बहाल करना चाहिए।

राज्य को कुछ वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए। बल्कि मैं यह कहूंगा कि वित्तीय स्वायत्तता सिर्फ कश्मीर को ही नहीं दी जानी चाहिए बल्कि ऐसा सभी राज्यों के बारे में सोचा जाना चाहिए। जहां तक वित्तीय स्थिति का संबंध है, सभी राज्य वास्तव में संकट की स्थिति में हैं।

मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद। चर्चा के बाद जो भी कार्रवाई करने का निर्णय लिया जाता है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास दो मिनट का समय बचा है। श्री हरीभाऊ शंकर महाले और श्री रामदास आठवले—दो वक्ता शेष रह गए हैं। पहले श्री महाले बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, द्वितीया का चन्द्र जैसे दिन–ब–दिन बढ़ जाता है, वैसे ही जम्मू–कश्मीर की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस बारे में तो सरकार का प्रयास है लेकिन जब घर में आग लगती है तो ईमानदार और जानकार आदमी घर की आग बुझाने का प्रयत्न करता है। लेकिन यहां कश्मीर के मुख्य मंत्री स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। यह कैसी बात है। यहां के पंडित जी वहां अलग–अलग भाषा बोलते हैं, यह कैसी परिस्थिति है। यह ठीक नहीं लगता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और मोरार जी भाई देसाई के समय के ये सामने बैठे हुए लोग साक्षी हैं, पंतप्रधान जी साक्षी हैं, उप–प्रधान जी साक्षी हैं, रक्षा मंत्री जी साक्षी हैं, जब जम्मू–कश्मीर का चुनाव हुआ तो मोरार जी भाई 85 वर्ष के एक तार के ऊपर कश्मीर में घूमते थे और लोगों को बोलते थे कि चाहे किसी को वोट दीजिए, लेकिन निर्भयता के साथ चुनाव में वोट देने के लिए आप आइए। उस वक्त से आज तक 75 प्रतिशत मतदान कश्मीर में नहीं हुआ। लेकिन मोरार जी भाई के चुनाव के वक्त हुआ। स्वर्गीय राज नारायण जी ने धारा 144 तोड़ी थी तो मोरार जी भाई ने तुरंत उन्हें निकाल दिया। इसलिए पंतप्रधान जी से मेरी प्रार्थना है कि जो कश्मीर में स्वायत्तता मांगते हैं, हिन्दुत्व की बात करते हैं, इन्हें रोकना जरूरी है, यही मेरी प्रार्थना है। विपक्ष में बैठे हुए लोग आपके साथ हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजीव नगर में जो हत्याएं हुई हैं उनकी मैं सभी अम्बडेकर लोगों की तरफ से कटु निंदा करता हूं और मृतकों के परिवारों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। अटल जी आप मंत्रिमंडल को बढ़ा रहे हैं और आतंकवादी जम्मू–कश्मीर पर हमला चढ़ा रहे हैं। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को आप डिप्टी प्रधान मंत्री बना रहे हो...*(व्यवधान)* आडवाणी जी को आपने डिप्टी प्रधान मंत्री बनाया है और जनरल मुशर्रफ को आपने किसलिए बनाया है। जम्मू–कश्मीर का सवाल हंसने का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। हम लोगों की पार्टियां

[श्री रामदास आठवले]

अलग–अलग हैं, मगर अटल जी का कहना है कि ऐसे इश्यु पर अपोजीशन के सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जब वक्त आता है हम सपोर्ट करते हैं। जब वक्त नहीं आता है तो हम सपोर्ट नहीं करते हैं। आपने देखा कि अभी श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के इश्यु पर हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। इस इश्यु पर हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, मगर श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का नाम आने के बाद हमने आपको सपोर्ट किया। हम देश के सभी लोग एक हैं। पाकिस्तान को जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी, लोकशाही, लोकतंत्र है और जब इस तरह का इश्यु आता है तो भारत के सभी नागरिक एक होते हैं। मगर हमारे एक होने के बाद भी अगर इस तरह के हमले हर रोज होते जा रहे हैं और आप उनके साथ बात कर रहे हैं। पहले यह स्थिति थी कि जनरल मुशर्रफ आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर हम लोग बात करने के लिए तैयार थे। अभी हम लोग तैयार नहीं हैं, जनरल मुशर्रफ बात करने के लिए तैयार हैं। वह बोलते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। मगर बात करने से काम चलने वाला नहीं है। अटल जी इस वक्त हम आपसे अपील करते हैं कि हम सब लोग आपके साथ हैं, सोनिया जी, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री मुलायम सिंह यादव, श्री शरद पवार, श्री पांडियन जी और डी.एम.के. वाले आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूं।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री वाइको भी साथ हैं।

श्री रामदास आठवले : वाइको जी भी साथ हैं, मगर अभी अंदर हैं। हमारा कहना है कि आपको कोई न कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है। अभी उमर जी बोल रहे थे और हम आपको भी सपोर्ट करते हैं। अभी स्वायत्तता की मांग हो रही है, लेकिन जम्मू–कश्मीर के विकास के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा देने की आवश्यकता है। एक बार इस इश्यू को अगर हमें सुलझाना है तो हमें लगता है कि पाकिस्तान पर ऐसा हमला होना चाहिए कि पाकिस्तान दोबारा इस तरह का आतंकवाद फैलाने का विचार भी न करे। आडवाणी जी हमारे गृह मंत्री हैं और उनको आपने उप–प्रधान मंत्री भी बनाया है लेकिन मेरा कहना है कि उनको उप–प्रधान मंत्री बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आपकी पार्टी ने बनाया है तो आपको अच्छी ताकत मिली है, इसलिए जम्मू–कश्मीर के लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको सरकार चलानी है तो देश के सौ करोड़ लोगों की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, अगर आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो आप सत्ता से बाहर जाओ, हम उधर आते हैं और उन लोगों की रक्षा हम करते हैं। आपने आर–पार की लड़ाई की बात की थी। हर बार आठ दिन के बाद या पंद्रह दिन के बाद हमला होता है और हम चर्चा करते हैं। हम कहते हैं कि हम एक हैं मगर मेरा इतना ही निवेदन है कि इस मामले को सुलझाना है तो यह कहने से काम नहीं चलेगा। जम्मू–कश्मीर के बॉर्डर पर हमें जाना होगा और पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाने की आवश्यकता है। अटल जी, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। मगर आप आगे बढ़ेंगे और सेना पीछे आएगी तो उससे काम नहीं चलेगा। जो बॉर्डर पर सेना है।

श्री शरद पवार (बारामती) : कौन सी सेना ?

श्री रामदास आठवले : शिवसेना नहीं, हमारे देश की सेना। और बीच में बालासाहब ठाकरे जी का स्टेटमेंट था कि मेरे हाथ में सेना दो, मैं आठ दिन में पाकिस्तान को सबक सिखाता हूं। आप तालियां मत बजाओ। बालासाहब ठाकरे को मेरा कहना है कि अभी आडवाणी साहब को उप–प्रधान मंत्री बनाया है और बालासाहब ठाकरे का कहना है कि मुझे सेना दो, मैं आठ दिन में पाकिस्ताम को सबक सिखाता हूं। तो बालासाहब ठाकरे जी को आप जार्ज फर्नान्डीज की जगह पर लाइए और रक्षा मंत्री बनाइए। जो हमारी मांग थी जॉर्ज फर्नान्डीज जी को हटाने की इससे वह भी पूरी हो जाएगी। इसलिए हम इस मामले को हल करने के लिए पूरी तरह से आपके साथ हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप–प्रधान मंत्री और गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्रालय तथा कोयला और खान मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आज की इस चर्चा में श्री शिवराज पाटील और जिन–जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, उनका औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन वास्तव में धन्यवाद करना चाहता हूं। इस नाते कि मुझे स्मरण नहीं कि इससे पहले कभी कोई

कार्य स्थगन प्रस्ताव की चर्चा हुई हो और लहजा यह हो जैसा आज रहा है। यह सही है कि उसके लिए प्रमुख श्रेय जिन्होंने चर्चा आरंभ की, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कहा कि यह कोई पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है। यह विषय ऐसा है कि जिस विषय पर यह सदन ही नहीं पूरा देश एक है और इसीलिए मुझे लगा कि चाहे जिस समय संसद पर हमला हुआ था पिछले साल 13 दिसंबर को, तब जो चर्चा हुई थी, फिर उसके बाद दूसरी बार जब कालूचक में हमला हुआ, तब जो चर्चा हुई और आज तीसरी बार जो चर्चा हुई है, चाहे वह पहली दो चर्चा एडजर्नमेंट मोशन पर नहीं थीं, सबस्टैन्टिव मोशन पर थीं, एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था और आज एडजर्नमेंट मोशन पर थी, जो एडजर्नमेंट मोशन पार्लियाट्री डिबेट में हमेशा माना जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव से थोड़ा सा ही कम है। लेकिन तीखापन नहीं था।

मैं आरंभ करूंगा इस बात से कि मैंने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहा गया कि आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और किसी ने पाकिस्तान का नाम लिया। क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ है? जहां तक क्रॉस बॉर्डर टैररिज्म है, यह आज दिसम्बर 2001 से या मई 2002 से या जुलाई 2002 से शुरू नहीं हुआ। यह 20 सालों से चल रहा है। जम्मू–कश्मीर में भले ही 1989 से शुरू हुआ, लेकिन सीमा–पार से प्रायोजित आतंकवाद करीब 1980 के आरंभ में शुरू हुआ था। पहला दशक पंजाब में अनुभव किया। 1989 से आज तक हम जम्मू–कश्मीर में अनुभव कर रहे हैं। यह फर्क जरूर है कि जम्मू–कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि 1947 से रही है।

आज ही किसी ने यहां कहा कि 1947 से लेकर वे इस बात को री–कंसाइल नहीं कर पाए कि जम्मू–कश्मीर जो कि मुस्लिम बहुल राज्य था, उसने पाकिस्तान के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। यदि हम औपचारिक दृष्टि से चलें, तो वहां के महाराजा को यह निर्णय करने का अधिकार था कि वह पाकिस्तान को एक्सीड करे या भारत को एक्सीड करे और उन्होंने कहा कि मैं अपने को भारत के साथ विलय करता हूं, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि वहां मुसलमान बहुल संख्या है इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां की प्रतिनिधि सभा इस बारे में निर्णय करे। वहां की प्रतिनिधि सभा नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसके अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला थे। उन्होंने और वहां की कांस्टीट्यूएंट असेम्बली ने अपने को पूरी तरह से भारत के साथ विलय करने का निर्णय किया। तब से लेकर पाकिस्तान अभी तक री–कंसाइल नहीं कर पाया है।

उसकी जो गिद्ध दृष्टि थी उसके कारण 1947 से लेकर 1971 तक उसने हमारे साथ तीन लड़ाइयां लड़ीं। पहली 1947 में, दूसरी 1965 में और तीसरी 1971 में। 1971 के बाद से उसने सोचना शुरू कर दिया, लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन 1980 से शुरू हुआ और 1980 से लेकर आज तक चला आ रहा है। उसने सोचा कि भारत के साथ हम प्रकट युद्ध नहीं करेंगे। भारत के साथ सीमाओं पर जूझना तो भारत से फिर पिटना है, जैसे पहले पिटे थे। इसलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। उस तरीके में जो उसके अंश हैं उसके अनुसार देश भर में, केवल जम्मू–कश्मीर में ही नहीं, पंजाब से शुरू किया और देश भर में आई.एस.आई. को यह काम दो कि वह भारत में सब जगह अपने अड्डे बनाए, मॉड्यूल्स स्थापित करे और उनके द्वारा सैपरेटिज्म जहां पर भी संभव हो, उसको प्रारंभ करे।

जम्मू–कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू से है। शुरू में तो प्रॉब्लम रही जो कि 1971 में एक प्रकार से समाप्त हो चुकी थी, लेकिन पंजाब में नहीं रही। वहां पर भी उन्होंने सैपरेटिज्म को, पृथकवाद को प्रोत्साहन दिया और लगातार 10 साल तक ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें कभी–कभी लगता था कि क्या कभी नॉर्मलसी आएगी, क्या फिर से आपस में इकट्ठे बैठकर लोग बातचीत कर सकेंगे, परस्पर विश्वास होगा। आए दिन लोगों की मृत्यु होती थी। पंजाब के लोग याद कर सकते हैं, उस समय कभी किसी ने यह नहीं कहा कि कब तक मरते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। हमने पंजाब में आतंकवाद के दौरान प्रधान मंत्री को खो दिया, लेकिन किसी ने कभी नहीं कहा कि कब तक वी.आई.पी. मरते रहेंगे, कब तक सांसद मरते रहेंगे।

मुझे याद है, मैं उन दिनों पार्टी की ओर से हर सप्ताह या दो सप्ताह में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किसी न किसी जिले में जाता था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, वह 1980 से लेकर लड़ते आ रहे हैं और इसमें कहीं भी हमारे शत्रु को यह नहीं लगे कि निरीह लोगों की हत्या

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

कर दी, उन्हें उससे कोई प्रोत्साहन नहीं मिले कि उन्होंने कोई बड़ी भारी विजय प्राप्त कर ली।

कासिम नगर, जिसे राजीव गांधी ने बसाया, वे स्वयं वहां गए थे। उन्होंने सारी बस्ती को वहां बसाया था। मैं वहां गया हूं केवल इसी साल नहीं गया हूं बल्कि जम्मू–कश्मीर और पंजाब में मैं कई बार गया हूं। यदि राजीव नगर में जाकर देखें और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों से बात करें, वहां जिस प्रकार के, जिस समाज के, जिस वर्ग के लोग थे, उनको देखें, तो आपको पता लगेगा कि उनमें एक अंधा था जो मंदिर में रहता था, उसको मार दिया। चार साल का एक बच्चा था। छह महीने का एक बच्चा हास्पिटल में पड़ा था। अभी उमर जी ने बताया कि वह महिला मुझे भी मिली थी। उसने बताया कि मैंने उनसे कहा कि तुमको क्या चाहिए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको तो आप लोगों को मारना है, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि टैरोरिज्म का बिल्कुल एक नेकड स्वरूप क्या होता है? वह यह होता है कि मारना है और मारकर आतंक फैलाना है।

अभी मार्ग्रेट आल्वा जी ने कहा कि तीन घंटे तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे लड़ती रहीं। वे एक को भी मार नहीं सकीं और न ही पकड़ सकीं। उनको शायद जानकारी नहीं होगी कि वे लोग दस मिनट में अपना काम करके चले गए। पुलिस तो वहां पहुंची ही नहीं थी। सेना उसके बाद पहुंची। इस प्रकार की घटना के आधार पर अगर हम यह मानते हैं कि उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त कर ली, तो यह नहीं होना चाहिए। यह होने की गुंजाइश है नहीं। अलबत्ता उसका मतलब यह भी नहीं कि हमसे यह कहें कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। उसे रोकना हमारा कर्त्तव्य है और हमें इसे करना पड़ेगा। जिस तरह से उमर जी ने कहा कि हमको ऐसे क्षेत्रों के लिए मोबाइल पेट्रोल स्थापित करना चाहिए, तो वह भी करेंगे। इसके लिए संकल्प चाहिए लेकिन इसके साथ–साथ हमारे विरोधी को, हमारे शत्रु को इस बात का संतोष हमें नहीं देना कि उन्होंने बड़ी विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी को मार दिया। जब उन्होंने हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी की हत्या कर डाली तब भी हममें से किसी ने नहीं कहा कि उनकी विजय हो गई। उनकी विजय नहीं हुई बल्कि उनकी पराजय हुई। जिस पंजाब के आतंकवाद के सिलसिले में हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जी की हत्या हुई थी, उस पंजाब में हमने 10 साल में विजय प्राप्त की। पार्टियां बदलती रहीं, सरकारें बदलती रहीं लेकिन हमने विजय प्राप्त की। आज भी जो स्थिति पैदा हुई है, वह कोई इस सरकार के कारण या उस सरकार के कारण पैदा नहीं हुई। अगर कोई राज्य यह तय कर ले कि हम अपने पड़ोसी देश में जाकर वहां के लोगों को यहां लाकर टैरोरिस्ट कैम्प्स में उनको शिक्षा देकर वापिस इंफिलट्रेट करना, उनको हथियार देना, उनको रुपया–पैसा देना और अगर वे मर जाएं तो उनके परिवार वालों को पैसा देना, यह जो रणनीति पाकिस्तान ने सोच–विचार कर बनाई और उन्होंने पिछले दिनों में यही किया। अभी उमर जी ने सही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद के प्रति परिवर्तन का आभास हुआ तो वह 11 सितम्बर, 2001 के बाद हुआ। लेकिन फिर भी हम अपने अनुभव से कह सकते हैं कि उन्होंने दिसम्बर तक कभी पाकिस्तान को सार्वजनिक रूप से अपराधी नहीं कहा। वह यह तो कहते थे कि आतंकवाद के बारे में आपकी चिंता वाजिब है और हम भी आपके साथ हैं एवं हम चाहते हैं कि भारत में आतंकवाद खत्म हो जाए। लेकिन हमारे यहां पर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद के लिए पाकिस्तान दोषी है। यह कोई भी दुनिया का बड़ा देश कहने को तैयार नहीं था। हां, यह कहने को जब तैयार हुआ, यह कहने के लिए मजबूर हुआ तो उसका कारण है; इस संसद का संकल्प, इस संसद का रेज्योलूशन जिसमें दुनिया को साफ दिखाई दिया कि आज एक प्रकार से इस सरकार को मेन्डेट दिया है कि हिन्दुस्तान की जनता ने और उनके प्रतिनिधियों ने कि आपको आवश्यकता अनुभव होगी तो आप प्रकट युद्ध का सहारा ले सकते हैं, डिक्लेयर्ड वार का भी सहारा ले सकते हैं। इसीलिए जब हमसे कोई पूछता है कि क्या वार होगा, तो हमारा हमेशा जवाब रहा है कि वार चल रहा है। वार होगा क्या, यह सवाल निरर्थक है। 20 साल से युद्ध चल रहा है और उस युद्ध का सामना कैसे करना है, उस युद्ध का मुकाबला कैसे करना है, इस पर थोड़ी देर चिंता चलती रहती है, विचार–विमर्श चलता रहता है और उस विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप रक्षा मंत्रालय या कैबिनेट की सुरक्षा समिति को यह तय करना पड़ा कि सेना सीमा पर तैनात करनी चाहिए क्योंकि कब कैसी स्थिति पैदा हो जाए, कौन जानता है और उसके लिए हमने यही किया।

आपकी चिंता स्वाभाविक है कि इतनी देर तक सेना को कैसे खड़ा करना। हम भी बार–बार पूछते हैं, सेना से भी पूछते हैं लेकिन जब लगता है कि हम जो कुछ भी कल्पना करते हैं, उसमें यह जरूरी है तो जरूरी है, करते रहते हैं। इस बात को जिन लोगों ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि आपका पना अधिकार है कि अगर आप डिप्लोमैटिक प्रेशर बनाना चाहते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, जरूर करें। हम वही करते रहे हैं।

कई लोगों ने कहा कि अमरीका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अमरीका पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा। अपना–अपना विश्लेषण है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि पिछले दिनों अमरीका के प्रमुख लोगों ने कई बातें ऐसी की हैं जो हमको भी आश्चर्यकारक लगती थीं, लेकिन हमको यह भी लगता था कि उनका एक असेसमेंट है कि पाकिस्तान का आतंकवाद तो बंद होना चाहिए। जनरल मुशर्रफ हमारे लिए सही दांव हैं, उनका असेसमेंट है। जिस असेसमेंट से हम लोग सहमत नहीं होंगे लेकिन उनका असेसमेंट है और हरेक देश जो भी नीति अपनाता है, वह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपनाता है, इससे कभी कोई गलतफहमी में न रहे। इसलिए पिछली बार भी मैंने कहा था, आज फिर से दोहराता हूं कि भारत में आतंकवाद के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो भारत को ही करनी होगी, दूसरे किसी की सहायता से नहीं करनी होगी। आज हमारा देश इस मामले में इतना सजग, सचेत और यूनाइटेड है कि ऐडजर्नमेंट मोशन के अवसर पर भी ऐसे भाषण होते हैं जिसमें चाहे शिवराज पाटील जी बोले, चाहे चतुर्वेदी जी बोले, कि हम आपके साथ हैं, इस काम में सरकार के साथ हैं। ऐडजर्नमेंट मोशन में कोई सरकार के साथ नहीं होता, ऐडजर्नमेंट मोशन इसलिए होता है कि सरकार को अभी निकालो। लेकिन वह मूड ही नहीं था, वह लहजा ही नहीं था, उसका कारण है कि हम क्रॉस बॉर्डर टैरोरिज्म की चर्चा कर रहे हैं और क्रॉस बॉर्डर टैरोरिज्म के साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है, इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारी तरफ से इन चार सालों में, क्योंकि आतंकवाद भले ही 1980 से शुरू हुआ होगा, इन चार सालों में हमने कन्सैंट्रेट किया कि उन्होंने जो आई.एस.आई के अड्डे सारे हिन्दुस्तान में फैला रखे हैं, उनको खोज निकालो, उनको ध्वस्त करो। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि इन चार सालों में

[अनुवाद]

आई.एस.आई. के ऐसे 154 अड्डों का पता चला और नष्ट किया गया जिनमें से अधिकांश दिल्ली में हैं। शायद दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे सात अड्डों का पता लगाया गया और नष्ट किया गया।

[हिन्दी]

सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए इस प्रकार के जितने आई. एस.आई. के अड्डे हैं, उनको ढूंढ निकालो। यह बात सही है कि हमको इस बात का अहसास होता था कि आतंकवाद की समस्या ऐसी है कि जो पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया के देशों का समर्थन मिलता है, चाहे दूसरे कारणों से। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो समझते हैं कि जम्मू–कश्मीर में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच एक विवाद चल रहा है।

[अनुवाद]

ये इसे एक विवाद की तरह देखते हैं जबकि किसी भी कसौटी से यह विवाद नहीं है। विवाद का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

हम 1947 में यूनाइटेड नेशन में यह बताने के लिए गए थे कि उन्होंने हमारे यहां ऐग्रैशन किया है, हमारे यहां इनवेजन किया है, चाहे उन्होंने ट्राइब्स मैन के नाम पर किया लेकिन पाकिस्तान की सेना थी जिसने हमला किया था और हमारी सरकार ने उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसिल में जाकर कम्प्लेंट की और हम उल्टे डाक में चले गए। तब से दुनिया के बहुत सारे देश समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट है जम्मू–कश्मीर। कई तो अपने नक्शे में भी डिस्प्यूटेड टेरीटरी करके दिखाते हैं। हम इसका हल करें। धीरे–धीरे उनको साफ हो गया कि हिन्दुस्तान इसको डिस्प्यूट नहीं मानता और हिन्दुस्तान में यूनैनीमिटी ऑफ व्यू है कि इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। कई लोगों ने जब बीच में कहा, मैं इसे दोहराना चाहूंगा कि भारत सरकार इस बात पर कृतसंकल्प है कि हम इसमें किसी का भी मीडिएशन स्वीकार नहीं करेंगे, हम यह मानते हैं कि जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

हम संविधान की शपथ लेते हैं, जिस समय मुशर्रफ साहब यहां आए थे, कि मैं पार्लियामेंट का मैम्बर हूं और पार्लियामेंट के मैम्बर के नाते मैं कांस्टीट्यूशन के प्रति शपथ लेता हूं और मेरे कांस्टीट्यूशन के अनुसार

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वे क्षेत्र ही नहीं हैं जिन पर हम वास्तव में शासन कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र और चीन से हारे क्षेत्र भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

वह हमारे संविधान के अनुसार जम्मू-कश्मीर है। यह मेरी निष्ठा है, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा वचन है। मैंने कहा कि मैं आपकी भी बात समझ सकता हूं और वह यह है कि आप समझते हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर और उस टू नेशन थ्यौरी के अनुसार हिन्दुस्तान का जो-जो हिस्सा मुस्लिम बहुल था, वह पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था, मैंने कहा, दुर्भाग्यवश यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का अंग नहीं था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार राज्यों को, रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि आप जहां जाना चाहो, जाओ। हमारे यहां पर जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने जब भारत को एक्सीड किया तो उसके बावजूद भी हमने इस बात पर इन्सिस्ट किया कि वहां के प्रतिनिधि लोग भी, वहां की जनता भी, वहां की कांस्टीट्यूएंट भी मारे साथ आए, उसके बाद यह हुआ है। आप उससे रीकन्साइल नहीं हैं और एक विवाद खड़ा हो गया है। हमने शिमला में एग्री किया कि हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। हम बातचीत करने को आज भी तैयार हैं, आपको प्रधान मंत्री जी ने निमंत्रण दिया है कि आगरा में आकर बातचीत करिए। लेकिन टैररिज्म के माध्यम से यह काम चले तो यह नहीं चलेगा। उन्होंने डिस्प्यूट किया कि कोई टैररिज्म नहीं है, जम्मू-कश्मीर में जो भी हिंसा हो रही है वह तो आजादी की जंग हो रही हे। वहां पर कोई आतंकवाद नहीं है, इससे उन्होंने इन्कार किया। आगरा में अगर वार्ता विफल हुई तो उसका कारण यह है कि वे उसे मानने को तैयार नहीं हुए थे। उसके बाद आगरा से लेकर अलमाटी पहुंचते-पहुंचते पाकिस्तान की भाषा में फर्क आया। अब वे कहते हैं कि अगर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जैसे कालूचक में मारे गए या जैसे अभी मारे गए तो वह तो आतंकवाद है। अंतर्राष्ट्रीय जगत के लोग भी जो पाकिस्तान को दोष देने लगे हैं, दिसम्बर के बाद से लेकर या कालूचक के बाद से लेकर उनकी भी भाषा में फर्क आया है, लेकिन भाषा में फर्क आने के बाद भी वे उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं।

मैंने एक अमेरिकी नेता को कहा, जो मुझे मिले थे। मैंने कहा कि अगर आप करना चाहें तो आप पाकिस्तान के आतंकवाद को केवल एक बात कहकर रोक सकते हैं कि अगर आप आतंकवाद बंद नहीं करते हो, आप आतंकवाद का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आपके यहां बना हुआ है, क्योंकि इश्यू जो है, यह सिर्फ घुसपैठ का मुद्दा नहीं है। केवल घुसपैठ इश्यू नहीं है, इश्यू है आतंकवाद, सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद के बारे में, उन्होंने जो बुनियादी ढांचा तैयार किया है। वहां पर जो आतंकवादी कैम्प चल रहे हैं, उनमें जो शिक्षण दिया जा रहा है, जो पैसा दिया जाता है, जो हथियार दिए जाते हैं, जो घुसपैठ करवाई जाती है। यह सब आतंकवाद के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। जब तक बुनियादी ढांचा खत्म नहीं हो जाता, हम आपको आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देंगे।

[हिन्दी]

जिस दिन आप यह संकल्प करेंगे, आतंकवाद बंद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में यह साहस नहीं है, किसी स्टेट को अगर आतंकवादी डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, उसके जो सैंक्शंस होते हैं, उसको वह बियर कर सके, वह नहीं कर सकेगा। इसीलिए कभी-कभी वे कहते हैं

[अनुवाद]

आप हमारी ताकत का ज्यादा बखान कर रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। हम पाकिस्तान की ताकत समझते हैं। पाकिस्तान के पास इस स्तर तक आपके निर्देशों का प्रतिरोध करने की ताकत नहीं है।

[हिन्दी]

लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि हमको उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमारे इस दिशा में प्रयत्न

चलते रहने चाहिए कि दुनिया इस बात को पहचाने, दुनिया इस बात को समझे। दुनिया इस बात को समझने लगी है और यह भी समझने लगी है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केन्द्र अब पाकिस्तान हो गया है। इस सच्चाई को वे समझने लगे हैं। इसके कारण हो सकता है कि किसी दिन उनको लगे कि हमें कुछ और कदम उठाने चाहिए, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा करके, अपने ऊपर विश्वास करके और जहां तक हो सके, देश में इसके बारे में एक एकता बनी रहे, यह प्रयत्न करना चाहिए। इसका प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शिवराज पाटिल जी ने बहुत अच्छी बातें यहां कहीं, पुलिस बल के आधुनिकीकरण और पूरी तरह से लैश करने के बारे में। हमने कभी यह स्टेंड नहीं लिया कि पुलिस की देखरेख राज्यों का काम है इसलिए हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस समय संविधान बना था, तब यह कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होगा। उस समय लॉ एंड ऑर्डर ही समझा गया था, चोरी, डकैती, हत्या, खून आदि से इसका संबंध था। आतंकवाद की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आतंकवाद की कल्पना तो तब भी नहीं थी, जब हम पहली बार सत्ता में आए थे यानी मोरारजी देसाई की जब सरकार देश में बनी थी, तब भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। प्रधान मंत्री के साथ भी नहीं थी। लेकिन आज तो सांसदों और विधायकों के साथ तक इतनी सिक्योरिटी होती है। कई लोगों के पास तो केवल इसलिए सिक्योरिटी होती है कि उनको लगता है कि इससे मेरा ओहदा बढ़ जाता हे। अगर इसमें कोई परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है तो नाराजगी होती है। लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा का वातावरण इस तरह का बन गया है कि सुरक्षा जरूरी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यह परिवर्तन आया है। लेकिन उसके कारण किसी स्टेट के रिसोर्सेज नहीं बढ़ गए। अगर कोई राज्य अपनी पुलिस को ठीक करने की कोशिश करे तो उसके पास पैसा नहीं है। यह बात आपके द्वारा उठाई गई इसलिए मैंने इस संबंध में आंकड़े इकट्ठे किए और मुझे पता चला कि केन्द्रीय सहायता देकर पुलिस बल के आधुनिकीकरण की शुरूआत वर्ष 1980 में ही कर दी गई थी। यह 1980 में शुरू हुआ। 1980 से लेकर सन् 2000 तक, इन बीस सालों में जम्मू-कश्मीर राज्य को 14.84 करोड़ रुपए दिए गए। हमने सन् 2000 में प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया कि जो हम सब्वेंशन देते हैं, आधुनिकीकरण को, उसमें आपका दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, लेकिन यह काम तो वर्षों से जारी है। सेंट्रल पैरामिलिट्री एक चीज है, लेकिन राजय पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कुल 15 करोड़ रुपए दिए गए।

[अनुवाद]

वर्ष 2001 और 2002 में, बीस वर्षों में 15 करोड़ रु. की बजाय 60 करोड़ रु. दिए गए। इसी अवधि के दौरान 60 करोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

यह भी अपर्याप्त है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं। यह बहुत कम है, अपर्याप्त है। बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज पुलिसकर्मियों में अधिकांश के पास मकान नहीं हैं, रहने को जगह नहीं है। फिर भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, इतना त्याग करना पड़ता है, इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। आपने जो बातें कही थीं, मैं अपने वित्त मंत्री जी से, जो अभी यहां नहीं हैं, यह कहूंगा कि जहां तक संभव हो आप डिफेंस मिनिस्ट्री को देते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री को और दीजिए। मैं इस बात के लिए आपका आभारी हूं कि आपने इसका जिक्र किया, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि सरकार इस तथ्य के प्रति सचेत है। सरकार इस बात के प्रति उदासीन नहीं है। हम समझते हैं यह महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं एकाध बात ही और कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें हमारे मित्र उमर जी ने कह दी हैं इसलिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। यहां पर ट्रायफरकेशन की चर्चा हमने पहली बार नहीं सुनी है। चमन लाल गुप्त जी ने सही कहा कि जनसंघ के समय से लेकर आज तक कोई ट्रायफरकेशन की बात नहीं कहता। उस समय हम लोग यह जरूर कहते थे कि कम से कम, क्योंकि जनसंघ का काम उस समय मुख्य रूप से जम्मू में था, जम्मू के साथ अन्याय होता है इसलिए जम्मू को आप जम्मू-कश्मीर के अलग कर दें और कुछ नहीं तो जम्मू को हिमाचल प्रदेश से मिला दीजिए और फिर हम देश के शेष संपूर्ण भाग के अभिन्न हिस्से हो जाएंगे। जम्मू के संबंध में कोई अनुच्छेद 370 नहीं होगा। यह कर लीजिए। हमने कभी उनको स्वीकार नहीं किया, हमने कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य एक इकाई है, जिसमें जम्मू है, जिसमें कश्मीर घाटी है और लद्दाख भी है।

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

सायं 7.00

तीनों की अलग–अलग प्रकृति होगी लेकिन यह भी बात तसही है और अनायास ही सही, लेकिन अलग–अलग सम्प्रदाय के लोगों का अलग–अलग क्षेत्रों में बहुमत है। मैंने कहा कि किसका कहां बहुमत है, उसके आधार पर एक बार भारत का विभाजन हो गया। उसका काफी नुकसान हुआ। हम दोबारा किसी राज्य का बंटवारा सांप्रदायिक आधार पर स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे और इसीलिए ट्राइफर्केशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता तीनों क्षेत्रों से न्याय होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि जो भी सरकार वहां पर चुनी जाएगी, वह इस बात को ख्याल में रखेगी और सही निर्णय करेगी। अलबत्ता वहां के चुनाव ईमानदारी से होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मुझे खुशी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के नाते और इस सरकार के प्रतिनिधि के नाते श्री उमर ने इस बात पर बल दिया कि दो–ढाई महीने बाद वहां जो चुनाव होंगे वह फ्री एंड फेयर होंगे और पूरा प्रयत्न होगा कि अधिक से अधिक लोग उसमें भाग लें और सुरक्षा के साथ भाग लें। इसके लिए हमसे जितनी सहायता चाहिए, इलेक्शन कमीशन से जितनी सहायता चाहिए, वह हम राज्य को देने को जरूर तैयार होंगे।

यहां पोटा की बात की गई, श्री वैको का नाम लिया गया।...*(व्यवधान)* ऑटोनॉमी की बात की गई और उस संदर्भ में हमारे सोमनाथ चटर्जी ने जिक्र किया कि विधान सभा का एक प्रस्ताव पारित हुआ था और इस सरकार ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया था। उस समय भी श्री फारूख अब्दुल्ला हमसे मिले थे। तब भी हमने कहा था कि हमारे कैबिनेट का जो निर्णय था, उसका यह कारण था कि उस सारे प्रस्ताव में जो सरकार का थ्रस्ट था, वह यह था कि प्री–1953 की पोजीशन रिस्टोर होनी चाहिए, ऑटोनॉमी का जिक्र था लेकिन प्री–1953 की पोजीशन रिस्टोर होनी चाहिए। हमने उस समय श्री फारूख अब्दुल्ला को भी बताया था कि उसके बाद 1975 में सेंट्रल गवर्नमेंट में श्रीमती गांधी यहां प्रधान मंत्री थीं और आपसे विस्तृत चर्चा हुई थी। उसमें आपने स्वीकार कर लिया था कि जहां तक संविधान में परिवर्तन हो चुके हैं, वे सब स्वीकार्य हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमें चिंता होती है कि प्री–1953 का मतलब है कि जो अधिकार 1953 के बाद जम्मू–कश्मीर की जनता को दिए गए, उनको इलेक्शन कमीशन का अधिकार दिया गया, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय लेने का अधिकार दिया गया, उनको कई सारे अधिकार कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अधिकार दिए गए। हम प्री–1953 की पोजीशन लाकर उनसे ये अधिकार भी छीन लें, यह तो नहीं होगा। यह गलत होगा। प्री–1953 हम स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने फारूख साहब को यह कहा था कि आपको अपनी जनता की सेवा करने के लिए राज्य के लिए अधिक अधिकार चाहिए तो उस पर हम विचार करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे एन.डी.ए. के मैनिफेस्टो में हम कमिटेड हैं। हम यह देखेंगे कि सभी राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाएं। मैं श्री के. येरननायडू जी से सहमत हूं कि बाकी सभी स्टेट्स के साथ जम्मू–कश्मीर को जोड़ना जरूरी नहीं है। बाकी स्टेट्स का अलग फैसला हो सकता है। वह सरकारिया कमीशन के निर्णय के आधार पर हो सकता है लेकिन जम्मू–कश्मीर एक 'विशेष राज्य' है; इसका एक विशेष इतिहास है। इस कारण अगर वे हमें बताते कि इस–इस क्षेत्र में हमारे अधिकार बढ़ने चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने तय किया कि हमारी तरफ से हमारे पूर्व विधि मंत्री श्री अरुण जेटली इस दृष्टि से जम्मू–कश्मीर की सरकार से जम्मू–कश्मीर की अलग–अलग पार्टियों से इस बारे में बातचीत करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम निर्णय कर सकें।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : ढाई साल के समय में नहीं हुआ...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी : देर से होता है तो भी आपको शिकायत है। कम से कम अब तो स्वागत करिए। मैं समझता हूं कि इस मामले में जम्मू–कश्मीर की जनता की भी इच्छा पूरी हो और उससे भी हमें आतंकवाद की इस विशाल विभीषिका से लड़ने में सहायता मिलेगी। यह बात सही है कि सामाजिक और आर्थिक विकास राज्य में होना आवश्यक है और वह राज्य सरकार कर रही है और जो भी नई सरकार आएगी, वह तेजी से करेगी, यह मुझे विश्वास है। मैं समझता हूं कि इस समय सिवाय इसके कि मैं कुछ और कहूं, मैं श्री शिवराज पाटील जी का और सभी दलों का धन्यवाद करता हूं।

श्री रघुनाथ झा : पोटा के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : पोटा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा श्री वैको के संदर्भ में हो गई है। मैं इतना ही कहना

चाहता हूं, यह कल्पना करना कि पोटा का उपयोग खाली श्री वैको के केस में हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कई लोगों के खिलाफ पोटा में कार्रवाई की गई है। दिल्ली में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जम्मू-कश्मीर में शायद 96 लोग हैं या 91 लोग हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

श्री मुलायम सिंह यादव : श्री वैको को पोटा के संदर्भ में मत जोड़िए। यह पूरी तरह से राजनीतिक और विद्वेष की भावना से किया गया है।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं उसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पोटा का उपयोग किया गया है, उसका जिक्र किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। मगर इस चर्चा में उपलब्धि क्या है? इस चर्चा में कुछ बातों पर सहमति जरूर सामने आई है। जिस बात पर सहमति है, वह यह है कि कश्मीर को तीन हिस्सों में नहीं बांटा जाए। यह बात सदन में बहुत सारे सदस्यों ने कही है और सरकार की ओर से भी कही गई है। हम इसका स्वागत करते हैं। मगर इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहते हैं कि सरकार को मदद देने वाले जो बाहर के दूसरे संघ हैं, जो यह विचार प्रकट कर रहे हैं, उसका असर हमारे देश में हो सकता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार में बैठे हुए लोगों को लेनी पड़ेगी, तभी उसका कुछ अर्थ होगा, नहीं तो उसका अर्थ खत्म हो जाएगा। यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

दूसरी बात पर जो सहमति हुई है, वह यह है कि चुनाव अच्छे ढंग से होने चाहिए। यह बात इधर से भी कही गई है और यह बात उप-प्रधान मंत्री जी द्वारा भी कही गई है। इसका मतलब यह है, सबके मन में यह शंका है कि चुनाव में कुछ गलती हो सकती है और गलती को दूर करना चाहिए। यह मन में शंका है और इसका ध्यान कश्मीर की सरकार को, कश्मीर के नेताओं को लेना पड़ेगा। सिर्फ यह कहकर नहीं चलेगा कि जैसे पहले चुनाव हुए हैं, वैसे ही होंगे और अच्छे ढंग से होंगे। लोगों के मन में शंका है और उस शंका को दूर करने का काम वहां की सरकार को करना पड़ेगा। असहमति कहां पर है? यह बात इधर से कही गई है कि आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि कुछ हुआ है, मगर बहुत नहीं हुआ है और आतंकवाद आज भी चल रहा है। उधर की ओर से कहा गया है कि आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत कुछ किया गया है। उन्होंने मान्य किया है कि आतंकवाद को रोकने के लिए जितना होना चाहिए, शायद उतना नहीं हुआ है, अधिक करना जरूरी है। इस बात पर असहमति है, इधर और उधर के विचारों में। इस बात पर सहमति नहीं है। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूं।

महोदय, मैंने अपने भाषण में एक मुद्दा बार-बार दोहराया है और बड़ी नम्रता के साथ दोहराया है। वह मुद्दा है, आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार की नीति का। अगर कोई नीति है, तो उसको बताया जाना चाहिए। वे जितना बता सकते हैं, उतना बताया जाए किस प्रकार से वे पब्लिक ओपीनियन बनाना चाहते हैं, किस प्रकार से इंटरनेशनल ओपीनियन बनाना चाहते हैं और किस प्रकार से आर्थिक कदम उठाना चाहते हैं। वे किस प्रकार से पुलिस और डिफेंस स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। उनका किस प्रकार से आज और कल के लिए प्लान है और किस प्रकार से वे टेक्नोलॉजी तथा अन्य मार्गों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर काबू करना चाहते हैं। मगर मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आडवाणी साहब ने मेरे बारे में बहुत अच्छा कहा है। उसके जवाब में मैं कुछ कहूं और वह बात वैसी न हो तो थोड़ा सा गलत लगता है, इसलिए मुझे थोड़ा संकोच होता है। मगर मैं अपना कर्त्तव्य समझकर यहां कहना चाहता हूं। आडवाणी साहब, हम आपसे इस बारे में जानना चाहते हैं, मैंने यह भी कहा था कि अगर यहां पूरी बात नहीं बता सकते तो आप कमेटी में, नेशनल सिक्युरिटी काउंसिल में बताइए। प्रधान मंत्री जी, हमारी नेता को, दूसरे पक्ष के नेताओं को बुलाकर इस बात को बताएं। आप जितने भी लोगों को बता सकते हैं, बताएं। हमें इस पर बहुत निराशा हुई है, हम आपसे कहना चाहते हैं कि पहले का जो भाषण हुआ था, उसमें आपने बड़े अच्छे ढंग से सारी बातें हमारे सामने रखी थीं और हमने सुनी थीं। उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा था। मगर आज के भाषण में, जबकि हमने बार-बार दोहराया कि हम आपकी, सरकार की नीति देखना चाहते हैं और यह कहकर हमने आपको बताया कि हम पूरी तरह से सरकार को इस काम में मदद करेंगे। हमने पहले भी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

कहा और आज भी कहा, मगर आपने एक बार भी नहीं कहा। सारी पार्टियों के नेताओं ने कहा, इसके बावजूद भी आपने इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, हमें इस पर घोर निराशा हुई है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि अच्छा होता, हम लोगों को आप बताते कि आप क्या करने जा रहे हैं और इस माध्यम से देश के लोगों को भी मालूम हो जाता तथा यह और भी अच्छी बात हो जाती कि पाकिस्तान और दुनिया के लोगों को मालूम हो जाता कि हम जो करना चाहते हैं वह बड़ी जिम्मेदारी से करना चाहते हैं। हम अपनी ताकत का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहते हैं और इस ढंग से करना चाहते हैं कि हम आतंकवाद और लड़ाई को रोक सकें। ऐसी कोई भी बात आपकी तरफ से नहीं आई। हमें इसके बारे में घोर निराशा हुई है। क्षमा करेंगे, मुझे बार-बार इस बात को दोहराना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार भी नहीं बताया गया था, उसके पहले भी नहीं बताया गया और यहां बार-बार कहने के बाद भी नहीं बताया गया। इसलिए हमें घोर निराशा हुई है। सरकार की कमजोरी है या नहीं, इस बारे में यहां बताया गया, उमर साहब ने भी अपने भाषण में बताया। उनके पूरे भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने अपने भाषण के कुछ भाग बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने रखे हैं, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस इश्यु को वहां पोलिटिसाइज किया।

उमर साहब, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपके बारे में हमारे दिल में एक अपनेपन की भावना है। वहां आपके बैठे होने के बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, क्या आपने टी.वी. पर यह नहीं देखा कि जम्मू के अंदर बीजेपी के झंडे लेकर लोग रास्ते पर आए थे। क्या आपने नहीं देखा, मैंने देखा, यहां बहुत सारे लोगों ने देखा। फिर आपने सिर्फ कांग्रेस का नाम क्यों लिया, बीजेपी का नाम क्यों नहीं लिया? अगर आप सिर्फ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का नहीं ले रहे हैं तो क्या आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप ऐसा मत कीजिए। आपने बड़े अच्छे ढंग से अपनी बात कही, उसकी मैं सराहना करता हूं। आपने कहा कि हम कश्मीर में क्या करेंगे। आपने अपने भाषण में कहा कि आप कश्मीर में एक प्लान, पूरे देश का प्लान शायद न हो, कश्मीर का जो प्लान है उसके बारे में आपने कहा कि हम वल्नरेबल एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां पुलिस को डिप्युट करेंगे। वहां निगरानी रखेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। यही कश्मीर और दूसरे प्रांतों में होना चाहिए और आतंकवाद को रोकने के लिए देश के लिए जो प्लान बनाया जाए, उस प्लान में भी इस बात की चर्चा होनी चाहिए। स्टेट आइडेंटिफाई होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई होने चाहिए, रीजन्स आइडेंटिफाई होने चाहिए और वहां आतंकवाद को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपने इसे स्टेट में लागू करने की बात कही लेकिन वह देश में भी लागू हो। आपने रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स के इस्तेमाल की बात कही जो बहुत अच्छी बात है। आप इसे कीजिए। आज आपके पास सत्ता है। आप उसे आज से शुरू करिए। बाद में जो सरकार आएगी, उसे आगे बनाने दीजिए। रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स की कल्पना 15-20 साल पहले संसार में आई थी। रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स से देश को कंट्रोल करने के लिए समुद्र और जमीन में उसे रखा गया है। देश में, प्रांत में और जिले में ऐसी चीज होती है तो उसे कंट्रोल करने के लिए अगर रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स की कल्पना आपके मन में आ रही है तो वह अवश्य पूरी होनी चाहिए।

आपने कहा कि वहां बहुत सी चीजें नहीं हुई हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो होना चाहिए था वह नहीं हुआ। 20 साल से अगर आतंकवाद चालू है तो रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स की कल्पना गुजरात में हो सकती है तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती है। दूसरे प्रांतों में क्यों नहीं हो सकती है? यह आपकी कमजोरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबल एरिया आज तक नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मुंह से निकली बात अभी तक पूरी नहीं की गई है। यह बात हमने नहीं कही। यह चीज बताती है कि जो होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। आपके पास नीति नहीं है और आप नीति को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

आडवाणी जी ने कहा कि पहले 14 करोड़ रुपए दिए जाते थे लेकिन आज 60 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आप जरूर ज्यादा पैसे दे रहे हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कश्मीर जैसे प्रांत में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए क्या 60 करोड़ रुपए काफी होते हैं? फर्नान्डीज साहब से इस बारे में पूछिए। 60 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज आता है। टैरारिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए क्या 60 करोड़ रुपए काफी हैं? शायद आप मानते होंगे, शायद वित्त मंत्री

की मजबूरी होगी, पहले पैसे नहीं दिए होंगे। शायद अब नए वित्त मंत्री दे सकें, शायद प्रधान मंत्री के कहने से दे सकें। हमने कहा था कि हम इस बात की वकालत यहां बैठकर करेंगे। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। हमं कमेटी में बताया गया था कि 2 हजार करोड़ रुपए चार साल के लिए पूरे देश के लिए दिए गए हैं लेकिन दो हजार करोड़ रुपए काफी नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आपने इसकी गंभीरता को ध्यान में नहीं रखा है और जितना पैसा देना चाहिए था नहीं दिया है। नीति नहीं बनाई है। और जो प्लान बनाया है उस पर अमल नहीं किया है। इसलिए यह हुआ। नीति नहीं है, प्लान इम्पलीमेंटेशन नहीं है, पैसा काफी नहीं है, जो होना चाहिए था नहीं हुआ। सरकार ने इस दिशा में जो काम किया, उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपने मुझे बहुत कॉम्पलीमेंट्स दिए हैं लेकिन मैं उसे गलत तरीके से रिटर्न नहीं करना चाहूंगा। मुझे ड्यूटी के तौर पर विनम्रता से अपनी बात कहने दीजिए। आपने यहां जो कुछ कहा उससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और न ही होगा। इस प्रकार बताने और करने से काम नहीं चलेगा।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से हम पूरी तरह असंतुष्ट हैं...*(व्यवधान)* विरोध में, हम सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

सायं 7.19 बजे

(तत्पश्चात् श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

सायं 07.19¼ बजे

(इस समय, श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन के बाहर चले गए।)

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मुझे यह जानने की उत्सुकता है। कोई सदस्य कैसे अपने प्रस्ताव पर ही सभा से बहिर्गमन कर सकता है? कोई दूसरे के प्रस्ताव पर सभा से बहिर्गमन कर सकता है। लेकिन अभी, माननीय सदस्य ने बिना सभा का निर्णय जाने अपने प्रस्ताव पर ही सभा से बहिर्गमन किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, अब मैं प्रस्ताव पर मतदान करवाता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 07.20 बजे

[अनुवाद]

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक

वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय : अब सभा आज की कार्य–सूची की मद संख्या 7 पर चर्चा करेगी। श्री अनंत गंगाराम गीते विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे।

[हिन्दी]

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 में और संशोधन करने वाले विधेयक वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सायं 07.21 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएं।

[हिन्दी]

(एक) देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में और अधिक टी.वी. प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, संचार माध्यमों का देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें आकाशवाणी और दूरदर्शन अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। यद्यपि पिछले वर्षों में दूरदर्शन का काफी विस्तार हुआ है तथापि आज भी देश में कतिपय ऐसे स्थान हैं, जो उस सुविधा से सीधे लाभ नहीं प्राप्त कर रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि ऐसे प्रसारण क्षेत्रों या केन्द्रों की क्षमता का विस्तार किया जाए तथा कुछ अन्य स्थानों पर प्रसारण केन्द्र बनाए जाएं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां उक्त दूरदर्शन की सुविधा से कई सुदूरवर्ती क्षेत्र वंचित हैं।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा तथा नीमच जिले के जावद क्षेत्र के जावद व सिंगौली में प्रसारण केन्द्र खोले जाएं ताकि वहां की जनता इन सुविधाओं का लाभ ले सके व देश की प्रगति के साथ दुनिया भर के बारे में सीधे जान सके। मेरा सूचना प्रसारण मंत्री जी से निवेदन है कि वे एतदर्थ आवश्यक निर्देश प्रदान करें।

(दो) झारखंड के लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाक्साइट आधारित उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत (लोहरदगा) : अध्यक्ष महोदय, झारखंड के मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा में बाक्साइट के अपार भंडार हैं। यहां का कच्चा माल दूरस्थ क्षेत्र रेणकूट, उत्तर प्रदेश एवं रांची के मूरी क्षेत्र को ले जाया जाता है। अगर लोहरदगा के आसपास बाक्साइट आधारित उद्योग स्थापित हो जाए तो यहां के आदिवासी लोगों को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। साथ ही परिवहन पर बेकार की लागत को बचाया जा सकता है और परिवहन के समय कच्चे माल की जो हानि होती है उसको बचाया जा सकता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र लोहरदगा में बाक्साइट आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहनात्मक कार्यवाही की जाए।

(तीन) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, झारखंड द्वारा दामोदर नदी में किए जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के विभिन्न कोयला खदानों के द्वारा वनों की कटाई भूमि का अतिक्रमण और ओवर बर्डेन दामोदर नदी में गिराया जा रहा है, जिसके कारण दामोदर नदी पर पानी प्रदूषित हो रहा है और नदी का पानी जहरीला हो गया है। वनों की कटाई से पर्यावरण मानकों का खुला उल्लंघन हो रहा है और प्रदूषण से इस क्षेत्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं।

अतः सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त मामले की जांच सुनिश्चित कर दामोदर नदी के पानी को प्रदूषण से बचाया जाए।

(चार) अहमदाबाद और दिल्ली के बीच, विशेष रूप से दिन के समय और अधिक विमान सेवाएं चलाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच दिन में दो फ्लाइट हैं और इन फ्लाइटों में प्रतीक्षा सूची भी ज्यादा रहती है। दिन में कोई भी फ्लाइट न होने से व्यापारियों और अन्य लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। लोगों को मुंबई पहुंचकर दिल्ली आना पड़ता है। गुजरात के लोगों की मांग है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में दोपहर के आसपस भी एक फ्लाइट आरंभ किया जाए। दिल्ली से मुंबई के बीच एक दिन में 20 के लगभग फ्लाइटें हैं। इसमें कुछ फ्लाइटों को दोपहर के आसपास अहमदाबाद होकर भी चलाया जा सकता है।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच दोपहर में एक फ्लाइट शीघ्र चलाई जाए।

(पांच) झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र सिंहभूम पूर्णतः आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहां के आदिवासी लोगों के गांवों में आवश्यकतानुसार चापाकल नहीं है और जो हैं भी वह मरम्मत के अभाव में बेकार पड़े हैं। पेयजल के अभाव में एक ओर तो आदिवासी लोगों को तालाब का दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिसके कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं। दूसरी तरफ सरकार द्वारा लगाए गए पैसे का सही प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। इस संबंध में जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाकर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाना लोकहित में होगा।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सिंहभूम में आवश्यकतानुसार चापाकल आवंटित किए जाएं और जो नलकूप बेकार पड़े हैं, उनको तत्काल ठीक किया जाए, जिससे कि वहां पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके।

[अनुवाद]

(छह) देश में मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा किए जाने की दृष्टि से 'मैरिन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट' को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके (उडुपी) : भारत का मछुआरा समुदाय विशेषकर दक्षिण कन्नड क्षेत्र में अपने न्यायोचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा है। केन्द्र ने मजूमदार समिति द्वारा प्रारूपित मैरिन फिशिंग रेगुलेशन मॉडल विधेयक राज्य \को वापस भेज दिया है और इससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका है। केन्द्र ने तत्कालीन मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत उच्च अधिकार प्राप्त मुरारी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन भी नहीं किया है। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ परम्परागत और लघु यंत्रीकृत क्षेत्र को राजसहायता प्राप्त दरों पर एच.एस.डी. और मिट्टी के तेल को उपलब्ध कराने, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमों से संबंधित कानून बनाए जाने, मछली पकड़ने वाले विदेशी पोतों को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी लाइसेंसों को रद्द किए जाने तथा समुद्री पट्टी आदि के आस-पास मछुआरा समुदाय की बस्तियों संबंधी सभी बाधाओं को हटाने के पश्चात तटीय विनियमन क्षेत्र (सी.आर.ए.) का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

सभी तटवर्ती राज्यों में मैरिन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट को लागू किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। मछुआरा समुदाय को साहूकारों, निर्यातकों और व्यापारियों के चंगुल से मुक्त करने, मछुआरों संबंधी सभी सहकारी समितियों को समाप्त करने और उन्हें मछुआरा समुदाय के शत-प्रतिशत प्रतिनिधित्व/भागीदारी से पुनर्गठित किए जाने की भी आवश्यकता है।

(सात) उत्तरी बंगाल क्षेत्र को बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अब मानसून अपने चरम पर है लेकिन केन्द्र तथा राज्य सरकार ने अपने योजना परिव्यय में पश्चिम बंगाल के उत्तर क्षेत्र में और विशेषकर उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर और माल्वा के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु किसी व्यापक नीतिगत निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मैं उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर के इतहार, रायगंज, करनदीघी, कालियागंज, हेमताबाद, हरिरामपुर, बंशीहारी कुशमादी प्रखंडों तथा उत्तरी माल्दा के रतुआ एक और दो, खरबा एक और दो, हरिशचन्द्रपुर एक और दो प्रखंडों के बारे में चिंतित हूं। यह क्षेत्र पांच बार अभूतपूर्व बर्बादी का साक्षी रहा है लेकिन आज तक कोई भी दीर्घ या अल्पकालीन उपाय नहीं किया गया है। रतुआ में भयानक मिट्टी के कटाव से महानंदा टोला और बिलाईमारी में हजारों लोगों की बस्तियां समाप्त हो गई हैं। मैं इस संबंध में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय से इस क्षेत्र में आसन्न बाढ़ की चेतावनी हेतु कम से कम अल्पकालीन उपायों की व्यवस्था किए जाने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

(आठ) सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों का विनिवेश न किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) अध्यक्ष महोदय, वैश्वीकरण

[श्री भेरूलाल मीणा]

के दौर में आज भारत पूरी तरह शामिल हो गया है। वर्ष 1991–92 में मैंने इसका विरोध किया था। आज भी मैं इस प्रक्रिया से सहमत नहीं हूं क्योंकि देश के श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों श्रमिक अपनी रोजी–रोटी गंवा चुके हैं। इस वैश्वीकरण के दौर में रोजी–रोटी देने के बजाय रोजी छीनी जा रही है। यह तो सबको ज्ञात हो गया है कि हजारों–लाखों श्रमिकों ने मजबूरन स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ले ली है अथवा ले रहे हैं। यह भी ज्ञात हो गया है कि जिन उपक्रमों को निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया गया है, उसके नये प्रबंधन द्वारा कंपनी को रुग्ण करने की चेतावनी दे दी गई है। निजी कंपनियां मुनाफा कमाने की खातिर देश का हित नहीं देखेंगी। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि श्रमिकों के हित में निजी कंपनियों के अधिकारियों को सचेत किया जाए। मेरा अनुभव है कि हिन्दुस्तान जिंक लि. के श्रमिकों ने उत्पादन बढ़ाया, जिस कारण वह आज भी लाभ में है। परंतु सरकार ने उसका भी विनिवेश कर दिया है। वहां का नवीन प्रबंधन तंत्र भी वह कार्य कर रहा है और अन्य कंपनियां कर रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि अभी भी जो उपक्रम अपनी जिम्मेदारी और क्षमता से लाभ में चल रहे हैं, उन्हें निजी कंपनी को नहीं सौंपा जाए।

[हिन्दी]

(नौ) भागलपुर, बिहार में एक केन्द्रीय अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी बिहार में भागलपुर अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा एवं साधनों के अभाव के कारण किसानों, बुनकरों, व्यापारियों एवं आम जनता को हृदय, गुर्दा, नेत्र एवं अन्य असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु काफी खर्च करके चेन्नई, दिल्ली, अमृतसर, कलकत्ता जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

अतएव भारत सरकार से मांग है कि पूर्वांचल की आबादी को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु भागलपुर में केन्द्रीय स्तर के चिकित्सालय की स्थापना की जाए।

[अनुवाद]

(दस) आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के रामागुंडम शहर में एन.टी.पी.सी. की आठवीं इकाई को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा. (श्रीमती) सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली) : आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले के रामागुंडम शहर 'कोयला क्षेत्र' के मध्य में स्थित है। मंडमर्री, मंचेरियल, श्रिम्पूर, गोदावरी खनी, पेद्दापल्ली और मंथनी को भारत का 'मैनचेस्टर' भी कहा जाता है। यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। रामागुंडम में एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। वहां कोयला और पानी काफी मात्रा में उपलब्ध है। 'बीपीएल' भी यहां 520 मेगावाट की क्षमता का एक विद्युत संयंत्र स्थापित कर रहा है। माननीय विद्युत मंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे जांच करवाकर यथाशीघ्र आठवीं इकाई को स्वीकृत करें। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस आठवीं इकाई के लिए सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी।

[हिन्दी]

(ग्यारह) आगरा के लिए और अधिक रेलगाड़ियां आरंभ करके इसे देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आगरा ऐतिहासिक नगर होने के साथ–साथ औद्योगिक, व्यवसायिक एवं दर्शनीय शहर भी है। हजारों लोग देश–विदेश से दिन–प्रतिदिन इस शहर में आते हैं और यहां से जाते हैं। किंतु, इस शहर से यातायात की व्यवस्था आवश्यकतानुसार नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस शहर से रेल यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और आवश्यकतानुसार विकसित किया जाए और इस हेतु निम्न व्यवस्था रेल मंत्रालय को तुरंत करनी आवश्यक है :

1. चार साल पूर्व स्वीकृत रेल मंडल को दर्जा देने के लिए तुरंत कार्यवाही।

2. आगरा मुंबई के बीच द्रुत गति की रेलगाड़ी चलाना।

3. जोधपुर–हावड़ा वाया आगरा यात्री रेलगाड़ी में आगरा से आरक्षण कोटा नियत करना।

4. आगरा–इलाहाबाद के बीच द्रुत गति की रेलगाड़ी चलाना।

5. आगरा–बांदीकुई के बीच आमान परिवर्तन कार्य को तुरन्त पूरा करना।

6. बांद्रा से गोरखपुर वाया आगरा चलने वाली अवध एक्सप्रेस में आगरा से आरक्षण कोटा तय करना।

7. दिल्ली–आगरा के मध्य जन शताब्दी रेलगाड़ी चलाना।

8. जयपुर–आगरा के मध्य जन शताब्दी चलाना।

(बारह) बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रभावित भागों में निःशुल्क नलकूप लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सूखा–अकाल पीड़ित बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, इलाहाबाद, वाराणसी तथा मिर्जापुर जिलों के दक्षिणी भाग एवं सोनभद्र जिले में जमीन कंकरीली, पथरीली और ऊंची–नीची होने के कारण राजकीय नलकूप सफल नहीं हैं और लगाए नहीं जाते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए लघु सिंचाई विभाग की हैवीरिग मशीन द्वारा फ्री बोर करने की योजना चला रही है, और उसके अंतर्गत किसान को लागत पर एक लाख रुपयों का अनुदान अनुमण्य है। यह योजना किसानों को थोड़ी राहत पहुंचाती है और लोकप्रिय है। परंतु धन की कमी के कारण अधिकांश किसान उस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। भारत सरकार को उस योजना पर अपनी स्वीकृति देकर धन की व्यवस्था करनी चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन ऐसी कोई योजना नहीं है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसी नयी योजना बनाने की आवश्यकता है। सूखा अकाल पीड़ित किसानों की सहायता हेतु नलकूप खनन कार्य में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध/अनुमण्य कराने की महती आवश्यकता है।

(तेरह) गोपालगंज जिले में सारण तटबंध की मरम्मत के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, लगभग 100 वर्ष पूर्व बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में बाढ़, सुरक्षा एवं सिंचाई के मद्देनजर सारण तटबंध का निर्माण किया गया था। तटबंध के अंदर बसने वाले गांव एवं लोगों की हिफाजत के लिए 9 रिंग बांध बनाए गए थे। आजादी के पूर्व उक्त रिंग बांध की देखरेख, रख–रखाव, मरम्मत का कार्य जमींदारों द्वारा किया जाता था। देश की आजादी के बाद जमींदारी प्रथा की समाप्ति हुई और उसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार पर आ गई। जो 9 रिंग, बांध सारण तटबंध के अंदर थे, उसमें 4 राज्य सरकार के बाढ़ नियंत्रण (सिंचाई विभाग) अपने अधीन ले लिया और शेष को छोड़ दिया। जो शेष बचे हुए तटबंध हैं एवं मुख्य सारण तटबंध विगत दो वर्षों से बराबर टूटने के कारण जान–माल का व्यापक नुकसान होता रहा है। इस वर्ष भी बाढ़ के कारण भयावह स्थिति पैदा होने के खतरे को देखते हुए लोगों में भय एवं आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिहार सरकार को आर्थिक मदद देकर सारण तटबंध के अंदर शेष बचे बांध के मरम्मत का कार्य पूरा करावें।

[अनुवाद]

(चौदह) 'अपैरल पार्क्स फार एक्सपोर्ट्स' योजना के अंतर्गत चौडवार उड़ीसा में अपैरल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, केन्द्रीय सरकार की सहायता से मुंबई में मिलेनियम पार्क के जैसा ही चौडवार, उड़ीसा में तत्काल एक अपैरल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रस्तावित पार्क को राष्ट्रीय वस्त्र नीति–2000 के अनुरूप स्थापित किया जा सकता है। अपैरल पार्क्स फार एक्सपोर्ट्स नामक केन्द्र प्रायोजित योजना का आशय संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की वस्त्र विनिर्माता इकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान देना है।

इस अपैरल पार्क में वस्त्र इकाइयां होंगी और इसकी प्रत्येक इकाई में कम से कम 200 सिलाई मशीन होंगी जिसमें लगभग 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य के 3.5 लाख बुनकर भी लाभान्वित होंगे क्योंकि उन्हें तैयार बाजार मिलेगा। इस पार्क की बटन बनाने, प्रसंस्करण और कपड़े धोने की सहायक इकाइयां होंगी ताकि वस्त्रों की अतिरिक्त गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

[श्री भर्तृहरि महताब]

उड़ीसा सरकार पार्क के लिए स्टाम्प शुल्क मुक्त 150 एकड़ भूमि प्रदान करने के लिए तैयार हो गई है और उड़ीसा अवसंरचना विकास निगम की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पहचान की गई है इसलिए परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अनुदान के रूप में आवश्यक सहायता शीघ्रातिशीघ्र प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

(पंद्रह) बिहार में मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, 14 साल के बच्चों तक के लिए सरकार ने शिक्षा अनिवार्य कर दी है लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर, बिहार में 33 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें एक ही कमरा है और 200 प्राइमरी स्कूलों में मात्र दो कमरे हैं जबकि स्कूलों में 5 कमरे होना नितांत आवश्यक है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जिन प्राइमरी स्कूलों में भी एक-दो कमरे हैं, उनमें 5-5 कमरे निर्माण करने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए राज्य सरकार को धन की व्यवस्था की जाए।

सायं 7.21½ बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 16 जुलाई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 16 जुलाई, 2002 को राज्य सभा द्वारा यथापारित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002 सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 17 जुलाई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 जुलाई, 2002/26 आषाढ़, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/26/2/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली—110006 द्वारा मुद्रित।